पंचदश माला, खंड 3, अंक 18

सोमवार, 27 जुलाई, 2009
5 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 77-18
Dated 26 July 2010

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)
अंक 18, सोमवार, 27 जुलाई, 2009/5 श्रावण, 1931 (शक)

विषय | **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर 3-39

*तारांकित प्रश्न संख्या 321 और 325 3-39

प्रश्नों के लिखित उत्तर 39-745

*तारांकित प्रश्न संख्या 326 से 340 39-91

अतारांकित प्रश्न संख्या 3027 से 3178 91-745

सभा पटल पर रखे गए पत्र 745-753

मंत्री द्वारा वक्तव्य

'रक्षा और संबद्ध सेवाओं में विवादित आवास परियोजना की स्थिति' तथा 'सशस्त्र बलों में तनाव प्रबंधन' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 30वें और 31वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री ए.के. एंटनी 753

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव 754-757

समितियों के लिए निर्वाचन 757-758

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् 757

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद की जनरल काउंसिल 757

नियम 377 के अधीन मामले 766-779

(एक) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस 766

(दो) तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एम. कृष्णास्वामी 767

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से सिद्धार्थनगर जिले में किसानों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 767

(चार) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिलबिला रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरि रेल पुल बनाए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 768

(पांच) गुजरात के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में उन किसानों, जिनकी फसल भारी वर्षा के कारण नष्ट हुई है, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया 769

(छह) बहरेपन से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 769

(सात) पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी से होने वाले मृदा अपरदन को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 770

(आठ) झारखण्ड के गुमला शहर के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाईपास सड़क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुदर्शन भगत 770

(नौ) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और सोनौली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29(ई) पर नया सेतु बनाए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 771

(दस) पोंग बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 772

(ग्यारह) जल में फ्लोराईड की अधिक मात्रा के कारण विभिन्न शारीरिक विकृतियों से ग्रस्त लोगों की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता

डा. भोला सिंह 773

(बारह) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निजीकरण का निर्णय वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुशीला सरोज 774

(तेरह) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंडी श्याम नगर लेवल क्रॉसिंग पर सड़क ऊपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 774

(चौदह) बिहार के मुजफ्फरपुर को देश के अन्य भागों के साथ हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद 775

(पन्द्रह) तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धन लोगों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना पर सेवा कर में छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए.के.एस. विजयन 775

(सोलह) तमिलनाडु के तिरप्पुर में सिलाई-बुनाई उद्योग के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ और अन्य मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन 776

(सत्रह) उड़ीसा के गंजाम जिले के भंजन नगर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रुद्रमाधव राय 777

(अठारह) महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकर 777

(उन्नीस) आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश राठौड़ 778

(बीस) देश में चीनी की जमाखोरी रोके जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 778

वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2009 781-930

विचार करने के लिए प्रस्ताव 781

श्री संजय निरूपम 781

श्री मंगनी लाल मंडल 789

श्री पी.सी. चाको 796

श्री तूफानी सरोज 805

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 809

श्री पन्ना लाल पुनिया 810

श्री प्रबोध पांडा 814

श्री विजय बहादुर सिंह 818

श्री अर्जुन राम मेघवाल 823

श्री एन.एस.वी. चित्तन 830

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 834

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 838

श्री हमदुल्लाह सईद 840

श्री राधे मोहन सिंह 844

श्री एम. कृष्णास्वामी 848

श्री खगेन दास 853

कुमारी मीनाक्षी नटराजन 857

श्री आधि शंकर 859

श्री विष्णु पद राय 860

डॉ. जी. विवेकानन्द 867

श्री कमल किशोर कमांडो 872

श्री रामकिशुन 874

श्री नामा नागेश्वर राव 877

श्री सतपाल महाराज 880

श्री प्रणब मुखर्जी 883

खण्ड 2 से 116 और 1 898-918

विषय	कॉलम

पारित करने के लिए प्रस्ताव 919

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 931-932

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 932-938

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 939-940

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 939-940

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 27 जुलाई, 2009/5 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 321 - श्री निशिकांत दुबे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न-काल के बाद इसे उठाइए, अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: रामकिशुन जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप 12 बजे शून्य-प्रहर में ये सब बातें उठाएं, अभी प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। आप इसे शून्य-प्रहर में अच्छे से उठाइए। अभी आप प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने रिपोर्ट भेजी है।...*(व्यवधान)* बहुत गंभीर संकट पैदा हो गया है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, आप हमारी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इस पर 193 भी लगा हुआ है, आप इस बात को उस समय उठाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन: उन्होंने 47 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, लेकिन राजनैतिक भेदभाव के कारण बाकी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जा रहा है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार तत्काल अपनी स्थिति स्पष्ट करे और यह बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले सूखे घोषित हुए?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बैठ जाइए, प्रश्न-काल के बाद इसे उठाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन: अध्यक्ष महोदया, पूर्वांचल की हालत बड़ी खराब है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप शांत हो जाइए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य इस सदन में रखे और इस पर तत्काल इसी वक्त वस्तुस्थिति बताने का काम करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप शून्य-प्रहर में इस बात को उठाइए, अभी आप प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, ये इटावा के रहने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप एक घंटे बाद शून्य-काल में इस पर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, आसपास के सभी जिले घोषित हो गए, बीच में एक जिले में पानी कहां से बरस गया?...*(व्यवधान)* जालौन और अररिया भी हो गया, अररिया और इटावा एक जिले के दो जिले

बना दिए गए। मैनपुरी और फिरोजाबाद हो गया। इटावा में पानी बरसा, लेकिन उसके आसपास सूखा है।...*(व्यवधान)* पूरे प्रदेश में सूखा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: निशिकांत दुबे जी, **आप अपना प्रथम पूरक प्रश्न पूछिए।**

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 321, श्री निशिकांत दुबे।

लघु पत्तनों का विकास

***321. श्री निशिकांत दुबे :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तटीय पोत परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय सामुद्रिक विकास तथा आधुनिकीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए वर्षवार तथा राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित, जारी तथा व्यय की गयी है;

(घ) इन पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार लघु पत्तनों के विकास के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, महापत्तनों से भिन्न पत्तनों को विकसित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। अतः महापत्तनों से भिन्न पत्तनों का विकास, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जा सकता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, मुझे मंत्री जी का उत्तर प्राप्त हुआ है। मैंने मंत्री जी से नेशनल मेरीटाइम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछा था। केन्द्र सरकार ने इसमें एक लाख करोड़ रुपए इनवेस्ट करने की बात की है, उसमें मेजर पोर्ट्स डेवलपमेंट, 'शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने की बात थी।

अध्यक्ष महोदया, आपको पता है कि जो पूरा ईस्टर्न इंडिया है, कलकत्ता पोर्ट खत्म हो जाने के बाद माइंस और मिनरल्स में रिच होने के बाद भी उस इलाके के लोग, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है, आज भी 70 परसैंट इंटरनेशनल ट्रेड केवल समुद्री रास्ते से होता है। कोलकाता में कोई पोर्ट नहीं है, उड़ीसा का पोर्ट थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है। इन्होंने जो नेशनल मेरीटाइम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 55 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसमें से आठ हजार करोड़ रुपए कोलकाता, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के लिए दिए हुए हैं, जबकि पापुलेशन, माइंस एंड मिनरल्स कितना है। इसी तरह 1908 के एक्ट की बात की है, उससे हम गाइडेड हैं और माइनर पोर्ट नहीं बनाते। यह बहुत अच्छी बात है कि आप माइनर पोर्ट नहीं बनाते। इसी तरह जो रूरल रोड्स हैं,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप प्रश्न पूछिए?

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि रूरल रोड्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी, पॉवर का जो विषय था, वह स्टेट का था, लेकिन केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ईस्टर्न इंडिया, जो नैग्लैक्टेड है, नॉर्थ ईस्ट जो नैग्लेक्टेड है, क्या केन्द्र सरकार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की तरह या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह वहां माइनर पोर्ट्स या मेजर पोर्ट्स बनाना चाहती है या नहीं, यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

श्री जी.के. वासन: महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक छोटे पत्तनों का संबंध है, तो छोटे पत्तनों के विकास की जवाबदेही संबंधित राज्य सरकारों की है। माननीय सदस्य ने एन.एम.डी.पी. का उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नेशनल मैरिटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विशिष्ट योजनाओं और परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसमें लगभग 1,00,339 करोड़ रु. का निवेश किया गया है, जिसमें से 55,804 करोड़ रु. पत्तन क्षेत्र के लिए हैं और शेष राशि पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए हैं।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बड़े पत्तनों की 276 परियोजनाओं में समग्र क्रियाकलापों नामतः निर्माण, घाट का उन्नयन, चैनलों का गहरा करना, रेल-सड़क सम्पर्क परियोजनाओं को कवर किया जा रहा है। पोत परिवहन क्षेत्र में, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए 20 वर्षों की अवधि के लिए 44,535 करोड़ रु. के कुल निवेश के साथ लगभग 111 परियोजनाओं की पहचान की गई है। जहां तक आज के प्रश्न का संबंध है, एन.एम.डी.पी. कार्यक्रम की स्थिति यह है कि बड़े पत्तनों के अंतर्गत लगभग 276 परियोजनाओं की पहचान की गई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक बड़े पत्तनों का संबंध है उन सभी राज्यों, जहां पत्तन हैं, को समान महत्व दिया गया है और सरकार बड़े पत्तनों की क्षमता में सुधार करने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है। जहां तक छोटे पत्तनों का संबंध है, यह जानना आवश्यक है कि छोटे पत्तन राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और यदि इसमें कुछ केन्द्र सरकार से संबंधित होगा, तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जिन 276 पोर्ट्स की बात कही है, उनमें से केवल 60 पोर्ट्स ईस्टर्न इंडिया के हैं। मैंने ईस्टर्न इंडिया के जो प्रिवलेज हैं और उनकी जो प्लाइट है, उसके बारे में बताया था।

महोदया, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है कि नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोजैक्ट में आपने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कही है और गंगा नदी उसमें इन्क्लूड है। आप सेतु समुद्रम चैनल के लिए, राम सेतु तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन गंगा में पानी नहीं है, गंगा में बालू आ गई है और मेरे चुनाव क्षेत्र में साहबगंज में सिल्क इंडस्ट्री है। इसी प्रकार भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री है, मिरजापुर में कालीन इंडस्ट्री है और कानपुर में चमड़ा उद्योग है। इनके द्वारा ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गंगा नदी की जो स्थिति है, उसे देखते हुए उसकी ड्रेजिंग के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या केन्द्र सरकार के पास कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री जी.के. वासन: जहां तक अंतर्देशीय जलमार्ग का प्रश्न है, तो क्रम संख्या 4 में एक पृथक प्रश्न पूछा गया है। यह इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता।

अध्यक्ष महोदया: जी, हां।

श्री अधीर चौधरी: महोदया, भारत आने वाले पांच वर्षों में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। इसका उद्देश्य व्यापार में वर्तमान भागीदारी को दुगुना करना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे कुल व्यापार का 95 प्रतिशत तथा व्यापार के मूल्य का 73 प्रतिशत पोत परिवहन के द्वारा दिया जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बड़े और लघु पत्तनों द्वारा 1009 मिलियन मीट्रिक टन सामान की चढ़ाई-उतराई का अनुमान लगाया गया है। इसमें से, 709 मिलियन मीट्रिक टन सामान की चढ़ाई-उतराई बड़े पत्तनों द्वारा किये जाने का अनुमान है। यह निश्चित है कि लघु और मध्यम पत्तन पोत परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या छोटे पत्तनों को अर्थक्षम बनाने हेतु आवश्यक वित्तपोषण आसानी से प्राप्त हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया: आपने प्रश्न पूछ लिया है। अब माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री अधीर चौधरी: छोटे पत्तनों के ऑपरेटरों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अर्थक्षम बनाने हेतु आवश्यक वित्तपोषण प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, जो निधियों तक उनकी पहुंच को बाधित करता है।

श्री जी.के. वासन: माननीय सदस्य ने मैरिटाईम स्टेट

डेवलपमेंट काउंसिल का उल्लेख किया, जिसका गठन देश में छोटे पत्तनों तथा अन्य पत्तनों के विकास हेतु कार्यनीति बनाने के लिए वर्ष 1997 में किया गया था; इसका कार्य बड़े पत्तनों के साथ एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। इस परिषद् की अध्यक्षता मंत्री जी करते हैं तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और पत्तन के सभी राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं; इसकी बैठक वर्ष में एक बार की जाती है; यह तटीय क्षेत्रों में पोत परिवहन कार्यक्रमों (मैरिटाइम प्रोग्राम्स) के विकास हेतु समन्वय भी करता है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदया, देश की अर्थव्यवस्था का सतत विकास अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निर्भर करता है। विभिन्न महाद्वीपों में थोक माल की आवाजाही हेतु पत्तन सबसे सस्ता परिवहन का साधन प्रदान करता है। तमिलनाडु की तटरेखा लगभग 1,000 कि.मी. है और तमिलनाडु की तटरेखा पर तीन बड़े पत्तन - चेन्नई, एन्नौर तथा तूतीकोरिन तथा 15 छोटे पत्तन पड़ते हैं।

महोदया, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार के पास इन छोटे पत्तनों जैसे तमिलनाडु में कोलायल को मध्यम अथवा बड़े पत्तनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ताकि वे अधिकाधिक माल की आवाजाही और अधिक राजस्व अर्जित कर सकें। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार उन पत्तनों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अधिक निधियों का आबंटन करेगी?

श्री जी.के. वासन: महोदया, कोलाचल तमिलनाडु का छोटा पत्तन है। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, कोलायाल पत्तन के विकास की जिम्मेदारी तमिलनाडु राज्य सरकार की है। तथापि, तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस पत्तन 'ट्रांसशिपमेंट हब' के रूप में विकास करने का अनुरोध किया है। पोत परिवहन मंत्रालय तटीय राज्यों को व्यवहार्य अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय ने एस.सी.एल. से कोलायल पत्तन का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्य अध्ययन तथा इस पत्तन हेतु डी.पी.आर. की तैयारी से संबंधित कार्य करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह नॉन मेजर पोर्ट्स में आता है या माइनर पोर्ट्स में आता है, जबकि हमारी लाइफलाइन सी रूट्स ही हैं। आप अंडमान निकोबार को मेजर पोर्ट्स में इन्क्लूड करेंगे या नहीं? यह मेरा पहला सवाल है।

अध्यक्ष महोदया: आप एक ही सवाल पूछिये।

श्री विष्णु पद राय: सैकिण्ड सवाल। मैडम, मैं अंडमान निकोबार, मेजर पोर्ट्स से आया हूं। मेरा दूसरा सवाल उनसे है कि खासकर सुनामी में 256 करोड़ रुपये सरैण्डर हो चुके हैं। सरकार के माध्यम से एक शब्द इंग्लिश डिक्शनरी से निकला, फिजिबिलिटी, मतलब ऐसे कुछ द्वीप हैं, पश्चिम सागर, शान्ति नगर, गणेश नगर, जहां रोड कनैक्टिविटी नहीं है, लेकिन आबादी है। वहां पर जेटी बनाने के लिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपने प्रश्न पूछ लिए।

श्री विष्णु पद राय: मेरा लास्ट सवाल है। जहां पर आबादी है, इस फिजिबिलिटी के नाम पर सरकार ने जेटी को बन्द कर दिया है। क्या आप जेटी बनाएंगे? ये मेरे दो सवाल हैं।

अध्यक्ष महोदया: इनका एक ही सवाल है।

[अनुवाद]

श्री जी.के. वासन: माननीय संसद सदस्य ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 23 छोटे पत्तन हैं। यह द्वीपसमूह वास्तव में भूमध्यवर्ती अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के समीप स्थित है और देश में अन्य छोटे अथवा बड़े पत्तनों की तुलना में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पत्तन पर कोई भी पोत कम समय में पहुंच सकता है।

इस महत्वपूर्ण तथ्य के दृष्टिगत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पत्तनों की घोषणा अंडमान और निकोबार पत्तन न्यास, उसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा, का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

टी.आर.पी., सुनामी के संबंध में जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, टी.आर.पी. के अंतर्गत केवल 87 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 23 परियोजनाओं में कार्य पूरा हो चुका है, 19 योजनाओं को छोड़ दिया गया है। यह अंडमान और निकोबार प्रशासन के परामर्श से किया गया है। माननीय सदस्य को अन्य जानकारी भी दी जा सकती है।

चीन में निर्मित खिलौनों/मोबाइलों के आयात पर प्रतिबंध

***322. श्री एंटो एंटोनी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान तंत्र अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत द्वारा चीन में निर्मित खिलौनों/मोबाइलों तथा अन्य सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) चीन ने इस वर्ष माह मार्च, 2009 तथा पुनः जून, 2009 में चीन में निर्मित खिलौनों के आयात पर भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टी.बी.टी.) से संबंधित डब्ल्यू.टी.ओ. समिति में मुद्दा उठाया है।

(ख) चीन ने यह उल्लेख किया था कि चीन में निर्मित खिलौनों के आयात पर लगे ये प्रतिबंध भेदभावपूर्ण हैं तथा डब्ल्यू.टी.ओ. नियमों का उल्लंघन हैं। भारत ने यह स्पष्ट किया कि उसने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के आधार पर चीन में निर्मित खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। तदुपरांत स्थिति की समीक्षा की गई और यह चीन से खिलौनों के आयात सहित खिलौनों का भारत में आयात समान मानकों के अध्यधीन है।

श्री एंटो एंटोनी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अस्पष्ट उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि:-

"बाद में, स्थिति की समीक्षा की गई और भारत में चीन से खिलौनों का आयात उन्हीं मानदण्डों के अधीन किया जा सकता है।"

'समान मानदण्डों' का क्या अर्थ है। क्या माननीय मंत्री ने भारत में बाल सुरक्षा के मुद्दे पर उचित ध्यान दिया? क्या सरकार सीसा मिश्रित घटिया खिलौनों को भारत में लाने की पुनः अनुमति दे रही है? क्या सरकार भारतीय बच्चों के लिए मैलामाइल के डेयरी उत्पादों की पुनः अनुमति दे रही है? क्या वह चीन से ऐसे मोबाइल फोन आयात करने की अनुमति दे रही है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डाल सकते हैं? मुझे चिन्ता इसलिए हो रही है, क्योंकि चीन के मोबाइल फोन की कोई अन्तर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या न होने के कारण वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। आतंकवादी इन फोनों का इस्तेमाल या तो आपस में बातचीत करने या बम धमाके करने के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक माह चीन से लगभग आठ लाख ऐसे फोन भारत आ रहे हैं।

चीन के दूध के उत्पादों में कैमिकल मैलामाइन की मिलावट होती है, जिससे गुर्दे में पत्थरी अथवा अंग काम करना बंद कर सकते हैं। वर्ष 2008 में, 20 देशों से अधिक देशों ने चीन के डेयरी उत्पादों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था। चीन में बने खिलौनों में भारी मात्रा में सीसा और कैडमियम मिला होता है। बच्चों में सीसे के विष से अति सक्रियता, सीखने की धीमी गति, अंधापन जैसे रोग हो सकते हैं, यहां तक की मृत्यु भी हो सकती है।

मेरा यह मानना है कि भारत ने जन सुरक्षा के मुद्दे पर कोई विपक्षी तंत्र नहीं बनाया है। अतः मेरा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह भारत में बाल सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए अमरीका, चीन में बने तंत्र जैसे द्विपक्षी तंत्र बनाएं।

श्री आनन्द शर्मा: यह प्रश्न चीन द्वारा चीनी खिलौनों और अन्तर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान पर लगाए गए प्रतिबंध के लिए विश्व व्यापार संगठन में की गई शिकायत से संबंधित है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चीन से भारत जा रहे खिलौनों के सुरक्षा मानदण्डों संबंधी यह मुद्दा वर्ष 2007 से संसद में उठाया जा रहा है। अमरीका सहित अन्य देशों में इस मुद्दे को उठाया गया था और सीसा की उच्च मात्रा होने तथा दम घुटना, आंत की चोट, आदि सहित अनेक सुरक्षा खतरों के कारण कई खिलौनों पर प्रतिबंध लगाया गया। अतः सरकार ने सोच-विचार के पश्चात यह निर्णय लिया। चीनी खिलौनों के स्वास्थ्य संबंधी खतरे के बारे में उपभोक्ता फोरम द्वारा दर्ज की गई एक रिट याचिका के संबंध में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा भी एक निर्देश जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने भी 30 दिसम्बर, 2008 को

इस संबंध में एक विशेष निर्देश जारी किया था। प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने सोच-विचार के बाद निर्णय लिया। चीन विश्व व्यापार संगठन के समक्ष गया और तीन मुद्दे उठाए। पहला व्यापार पर तकनीकी प्रतिबंध के संबंध में, दूसरा एम.एफ.एन. दर्जे के बारे में। विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों को विशेष दर्जा प्राप्त है और तीसरा मुद्दा देशों का एक दूसरे से बर्ताव से संबंधित है। इसकी समीक्षा की गई और अब भारत में आयात हेतु केवल उन खिलौनों को अनुमति दी जाती है जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात ए.एस.टी.एम., एफ 963 अथवा आई.एस.ओ. 8124 को पूरा करते हैं। चीन में बने खिलौनों सहित केवल उन खिलौनों को भारत में लाने की अनुमति दी जाती है जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। यदि वे इन मानकों को पूरा नहीं करते तो उन्हें भारत में आयात की अनुमति नहीं दी जाती। अतः माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए द्विपक्षी तंत्र का कोई प्रश्न नहीं उठता। चीन ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष मार्च और जून में दो बार शिकायत की है। तदनुसार हमने उचित निर्णय लिया है।

महोदया, मोबाइल फोन के संबंध में, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान रहित सभी मोबाइल फोनों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध इस वर्ष जुलाई में लगाया गया था। केवल 'शून्य' अंक वाले फोनों को अनुमति दी गई है। ऐसा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है।

श्री एंटो एंटोनी: भारत सरकार ने सीसा युक्त चीनी खिलौनों के आयात पर छह माह का प्रतिबंध लगाया है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे का उचित समाधान होने तक इस प्रतिबंध को जारी रखें।

श्री आनन्द शर्मा: महोदया, मैं पहले ही इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले खिलौनों को आयात करने की अनुमति दी गई है और यह विश्वव्यापी मानदण्ड हैं, जिन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है।

महोदया, माननीय सदस्य ने पहले एक और मुद्दे का उल्लेख किया था, जो इस प्रश्न से संबंधित नहीं था और मैं उन्हें डेयरी उत्पादों के बारे में भी बताना चाहूंगा। चीन के इन डेयरी उत्पादों में मैलामाइन पाया गया था। इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और यह प्रतिबंध चॉकलेट और अन्य संबंधित उत्पादों पर भी लगाया गया है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के आधार पर चीन में निर्मित खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, तदुपरान्त स्थिति की समीक्षा की गई। इस संबंध में समाचार पत्रों में भी काफी निकलता रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने खिलौनों एवं मोबाइल फोनों पर प्रतिबंध लगाया गया था? उनमें से कितनों को परीक्षण के उपरान्त छूट दी गई तथा कितने अभी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक हैं? क्या ऐसी कोई सूचीबद्ध श्रेणी बनाई गई है? साथ ही हमारे देवी-देवताओं को भी प्लास्टिक के खिलौनों के रूप में चीन द्वारा गलत रूप में बनाया जाता है। इस संबंध में सारे देश में भीषण प्रतिरोध हुआ है। हमारे देवी-देवताओं की गलत रूप में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, क्या उसकी जानकारी लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है?

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मैंने पहले दिया है कि जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खतरनाक समझे जाते हैं, उन पर पाबन्दी लगाई गई है। मोबाइल फोनों पर इसी महीने की 16 तारीख को पाबन्दी लगी है, जिनमें आई.एम.ई.आई. नम्बर नहीं है। उसमें कितने रुके हैं, मैं इसकी जानकारी मालूम कर सकता हूं, लेकिन संख्या कितने खिलौनों की है, वह मालूम नहीं कर सकता। इनका मापदंड क्या है, यहां उसकी बात हुई है। हमारे बच्चों को उन खिलौनों से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो खतरा है, उसे मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया है। यह प्रश्न केवल मोबाइल फोन और डब्ल्यू.टी.ओ. में चीन की शिकायत से संबंधित है। माननीय सदस्य ने देवी-देवताओं की मूर्तियों के बारे में जो प्रश्न पूछा है, यदि ये अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, मेरा प्रश्न चीन से आयात किए जा रहे दूध उत्पादों के संबंध में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने चीन से आयात किए जा रहे शिशु दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में मैलामाइन, जो एक प्रकार का प्लास्टिक और उर्वरक भी है, को मिलाने संबंधी उचित मुद्दा उठाया है। यह एक खतरनाक स्थिति है। इन मिलावटी दूध उत्पादों का देश में चॉकलेट बनाने और चॉकलेट उत्पादों में प्रयोग किया जा रहा था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन मिलावटी कैन्डी, चॉकलेट उत्पादों और मिठाईयों, जिन्हें खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है, की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री आनन्द शर्मा: *अध्यक्ष महोदया, मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं कि भारत सरकार को यह बताया गया था कि चीन से मिलावटी डेयरी उत्पाद भारत आ रहे हैं। भारत और विश्व के अन्य देशों में निर्यात किए जा रहे दूध और दूध उत्पादों में मैलामाइन की मिलावट की शिकायतें मिली थीं।*

इन रिपोर्टों और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक अधिकरण की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 24 सितम्बर, 2008 से दूध और दूध उत्पादों सहित सभी डेयरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध चॉकलेट, चॉकलेट उत्पादों, कैण्डीज, मिठाइयों और ऐसे सभी खाद्य पदार्थों पर भी लगाया गया है जिसमें दूध अथवा 'सॉलिड मिल्क' का इस्तेमाल किया जाता है, यह प्रतिबंध खाद्य संरक्षा और मानक संबंधी एजेन्सियों द्वारा लगाया जा रहा है।

श्री नवीन जिन्दल: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी सभा को यह बताया है कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले खिलौनों को ही देश में आयात करने की अनुमति दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मानकों की समीक्षा की गई है अथवा यह चीन द्वारा विश्व व्यापार संगठन में शिकायत करने से पहले बने मानदण्ड हैं।

श्री आनन्द शर्मा: *जैसा कि मैंने सभा को जानकारी दी है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मानक हैं और जहां तक खिलौनों के आयात का संबंध है, वे मानक जो कि वैश्विक* रूप से स्वीकार्य हैं, का कड़ाई से पालन किया गया है। घरेलू उद्देश्य हेतु, यांत्रिक, भौतिकीय विशेषताओं, ज्वलनशीलता, अपेक्षाओं, कुछ विशेष तत्वों के परिवर्तन आदि हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक अधिसूचित किए गए हैं। अधिकतम स्वीकार्य तत्व परिवर्तन निर्धारित किए गए हैं। विषाक्तता के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें सीसा, संखिया और पारा आदि शामिल हैं। ये अनिवार्य मानक हैं जो कि निर्धारित किए गए हैं।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: *अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी के उत्तर में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि "तत्पश्चात्, स्थिति की समीक्षा की गई और चीन सहित अन्य देशों से भारत में खिलौनों का आयात उन्हीं मानकों के अधीन नहीं हैं, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी अन्य देश ने विश्व व्यापार संगठन के पास कोई शिकायत दर्ज की है।*

श्री आनन्द शर्मा: कोई अन्य शिकायत नहीं की गई। शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिबंध लगाया गया। चीनी खिलौनों से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के संबंध में अन्य देशों से भी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। यूरोप और अमेरिका के देशों में बहुत से खिलौनों के आयात को निरस्त किया गया। मैंने भी जनता की मांग का हवाला दिया है। इस सभा तथा राज्य सभा में भी इस मामले को उठाया गया और रिट याचिका के माध्यम से यह मामला न्यायालय में भी पहुंचा। अतः, केवल चीन के मामले में शिकायतें प्राप्त हुईं और निर्णय लिया गया। चीन ने विश्व व्यापार संगठन से संपर्क किया था। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है जिसका भारत भी सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कुछ करार किए गए हैं और जिनका मैंने उल्लेख किया है उनमें व्यापार पर प्रौद्योगिकीय अवरोध, राष्ट्रीय व्यवहार और एम.एफ.एन. भी शामिल हैं।

अतः इस स्थिति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि चीन सहित किसी भी देश से किसी भी प्रकार के खिलौनों के आयात पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल उपभोक्ता

*323. **श्री देवजी एम. पटेल:** *क्या* **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) इस समय भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या हाल के वर्षों में उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली राशि की वृद्धि दर में गिरावट का रुझान देखने में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

30 जून, 2009 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 5,43,66,683 है।

(ख) से (घ) 30 बी.एस.एन. के मोबाइल कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि की दर प्रतिवर्ष बढ़ती रही है। तथापि, देश में प्रतिवर्ष उपभोक्ता आधार में वृद्धि होने तथा इस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण देशभर में बी.एस.एन.एल. के मोबाइल कनेक्शनों के उपभोक्ता आधार में समग्र वृद्धि दर में वर्षानुवर्ष गिरावट का रुझान रहा है।

वित्त वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान बी.एस.एन.एल. के मोबाइल फोनों के उपभोक्ता आधार में वृद्धि दर क्रमशः 57%, 32% और 28% थी। सर्किल-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

स्थिति में सुधार लाने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

- वर्ष 2009-10 में, वायरलेस नेटवर्क की क्षमता में लगभग 20 मिलियन लाइनों की वृद्धि की गई है। इससे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी तथा परियात संकुलन में कमी एवं मूल्य-वर्द्धित सेवाओं की उपलब्धता से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- बिक्री कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करके तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों के प्रयोग से रिटेलरों एवं फ्रेंचाइजियों की अधिक प्रभावी रूप में निगरानी द्वारा वाणिज्यिक सेवाओं में सुधार लाना।
- देश के और अधिक बिक्री केंद्रों में बी.एस.एन.एल. उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करना।
- नए कनेक्शनों/रोमिंग सेवाओं को शीघ्र चालू करने जैसी ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक सक्रियता से ध्यान देना।

अनुबंध

हाल के वर्षों के दौरान बी.एस.एन.एल. के मोबाइल फोनों के उपभोक्ता आधार में वृद्धि दर का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2006-07 के दौरान वृद्धि-दर का प्रतिशत	2007-08 के दौरान वृद्धि-दर का प्रतिशत	2008-09 के दौरान वृद्धि-दर का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	35.28	31.22	37.75
2.	आन्ध्र प्रदेश	45.25	23.33	38.86
3.	असम	56.59	38.20	5.92
4.	बिहार	30.37	38.14	72.99

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	144.12	50.02	32.22
6.	गुजरात	24.31	79.22	17.55
7.	हरियाणा	86.44	26.55	30.21
8.	हिमाचल प्रदेश	114.27	14.80	39.93
9.	जम्मू-कश्मीर	59.60	6.83	0.93
10.	झारखण्ड	41.61	12.08	31.84
11.	कर्णाटक	38.71	5.55	31.56
12.	केरल	25.15	13.71	15.76
13.	मध्य प्रदेश	103.15	45.52	33.43
14.	महाराष्ट्र	91.64	37.56	13.16
15.	पूर्वोत्तर-I	90.49	50.33	14.67
16.	पूर्वोत्तर-II	75.27	47.37	3.30
17.	उड़ीसा	36.75	32.05	36.94
18.	पंजाब	161.06	64.95	43.40
19.	राजस्थान	71.95	11.30	27.62
20.	तमिलनाडु	49.07	16.43	24.32
21.	उत्तरांचल	69.33	25.82	19.52
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	72.03	49.83	33.23
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	33.74	56.38	19.63
24.	पश्चिमी बंगाल	51.35	28.00	28.49
25.	कोलकाता दूरसंचार जिला	41.95	61.33	49.16
26.	चेन्नै दूरसंचार जिला	34.97	19.32	14.62
	कुल	56.99	31.64	27.84
	बी.एस.एन. के मोबाइल उपभोक्ता आधार में समग्र वृद्धि दर	57%	32%	28%

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि ग्राहकों की वृद्धि दर में गिरावट हुई है और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति इससे एकदम विपरीत है। आज ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है जैसा मेरे संसदीय क्षेत्र राजस्थान के जालौर-सिरोही में जालौर के अन्दर 5,000 ग्राहकों के कनेक्शन काट दिए गए। कई दिनों बाद उसके लिए यह कारण बताया गया कि उनके डाक्युमेंट्स में कमी है। दस्तावेज की कमी बताकर बी.एस.एन.एल. ने ग्राहकों के कनेक्शन काट दिए। इससे ग्राहकों की गुडविल पर असर पड़ता है। जब उन नम्बर्स पर इनकमिंग कॉल आती है, तो उसमें सुनाई देता है कि इस फोन की सेवाएं बन्द कर दी गयी हैं। आज ग्राहकों को यह जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए बी.एस.एन.एल. के महाप्रबंधक * से...* कम्प्लेन्ट की, तो उन्होंने सुना ही नहीं और यह कहा गया कि आपने कम्प्लेन्ट के बारे में समाचार पत्र में लिखा है, हम आपको बाद में देखेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं वह सेवा में सुधार के लिए जो स्वीकृत टावर्स हैं, लेकिन अभी तक बने नहीं हैं तथा जो टावर बंद पड़े हैं जैसे सातपुरे का टावर दो साल से बंद पड़ा है, को चालू करने के लिए क्या विचार कर रहे है, कब तक इनको चालू करेंगे और कब तक इस सुविधा में सुधार लाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): महोदया, जिस बात का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि देश में जब से संचार क्रान्ति आई है, आज देश का मोबाइल सब्सक्राइबर बेस 41 करोड़ से ज्यादा हो गया है और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हम रूरल टेलीडिन्सिटी को वर्ष 2014 तक बढ़ाकर 40 प्रतिशत करेंगे। इसके लिए हमने व्यापक कदम उठाए हैं जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र में संचार के सभी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। जहां तक बी.एस.एन.एल. की बात है, अपने उत्तर में हमने कहा है कि बढ़ोतरी की दर में गिरावट आई है। बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन बढ़ोत्तरी की दर में कमी आई है। यह सभी प्राइवेट प्रोवाइडर्स का भी डिक्रीज हुआ है और बी.एस.एन.एल. का भी डिक्रीज हुआ है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि बी.एस.एन.एल. ने लगभग 20,200 कस्बों और शहरों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा है और 3,21,000 गांवों को हमने जोड़ा है। जालौर में बी.एस.एन.एल. के मोबाइल कनेक्शन्स में पिछले तीन साल में बढ़ोत्तरी हुई है। सन् 2007 में जहां सिर्फ 97,000 मोबाइल कनेक्शन थे, इस साल उनकी संख्या बढ़कर लगभग 1,37,000 हो गयी है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है, उसे मेरे पास लेकर आएं, हम उसे निश्चित रूप से दिखवाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. ने जो काम किया है, उससे बहुत जागरूकता आई है। प्राइवेट प्लेयर्स ने अब तक केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। हमारी अर्बन टेलीडेन्सिटी 91 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 16 प्रतिशत है। हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से माननीय सदस्य ने राजस्थान का जो भी जिक्र किया है, इसके बारे में हमारी कोशिश रहेगी कि करेन्ट ईयर में हम देश भर में 20 मिलियन नई लाइन्स जोड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदया: ऑनरेबल मेम्बर ने अपने पहले सप्लीमेंटरी क्वेश्चन में एक ऑफिसर का नाम लिया था, वह नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री देवजी एम. पटेल: महोदया, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि सिरोही में 5,000 ग्राहकों के कनेक्शन दस्तावेज की कमी के कारण काट दिए गए थे, जालौर और सिरोही दो जिले हैं, मंत्री जी ने जालौर के बारे में बताया है लेकिन सिरोही की बात नहीं बताई है।

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे गुजरात के समीप, बापला टावर मात्र 10 किलोमीटर दूर है और राजस्थान में स्थित मोखला टावर पांच किलोमीटर दूर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि गुजरात का टावर वहां पर फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और राजस्थान के उस ग्रामीण इलाके में इनकमिंग काल्स पर भी रोमिंग चार्ज करता है। उसके बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री सचिन पायलट: महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न बी.एस.एन.एल. के ग्राहकों के दर में जो कमी आई है,

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसके बारे में था। जहां तक मोबाइल कनेक्शन कैंसिल किए जाने की बात है, आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी प्वाइंट ऑफ व्यु से आईडेण्टीफिकेशन बहुत जरूरी है और खासकर बी.एस.एन.एल. के लिए क्योंकि एक वह पी.एस.यू. कंपनी है, एक मिनिरत्न कंपनी है, इसलिए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी चांस नहीं ले सकते हैं। इसलिए पूरे वेरीफिकेशन करने के बाद ही हम लोग कनेक्शन देते हैं। इसी में अगर कोई कमी आई होगी, आप हमें सूचित करें, हम उस पर अवश्य कदम उठाएंगे। जहां तक कॉल रेट्स का सवाल है, जब लाइसेंस ग्रांट होते हैं, चाहे बी.सी.एन.एल. हो या प्राइवेट हो, किस रेट पर चार्ज करना है, यह सर्विस प्रोवाइडर्स पर निर्भर करता है। आज से 15 साल पहले जो कॉल रेट्स 15-16 रुपए प्रति मिनट थे, वे आज एक रुपया प्रति मिनट से भी कम हो गए हैं। आज बी.एस.एन.एल. के 5 करोड़ 43 लाख मोबाइल ग्राहक हैं। इस हिसाब से उसका मार्केट शेयर 13 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

श्री विजय बहुगुणा: बी.एस.एन.एल., जन उपयोगी सुविधा प्रदाता होने के साथ-साथ एक वाणिज्यिक उपक्रम होने के कारण दो भूमिकाएं अदा करता है। अध्यक्ष महदोया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में, पहाड़ी जिलों में 70 प्रतिशत क्षेत्र संचार सेवाओं से वंचित है। इसका अर्थ यह है कि सीमावर्ती जिलों सहित पहाड़ी जिलों में रहने वाली जनसंख्या दूरसंचार सुविधाओं से वंचित है। अंतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों हेतु कोई विशेष अतिरिक्त निधि या पैकेज या निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है ताकि वहां रहने वाले लोग बी.एस.एन.एल. की संचार सेवाओं का लाभ उठा सकें।

श्री सचिन पायलट: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश के ऐसे कुछ भाग हैं जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पूरी तरह से संचार सुविधाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र, कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्र और संचार संपर्क रहित कुछ भागों के लिए हमारे पास यू.एस.ओ. निधि नामक एक पृथक निधि है। इस निधि का पहाड़ी क्षेत्रों और उन क्षेत्रों जहां पर जनसंख्या कम है, में नेटवर्क क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि, निजी कंपनियां केवल उन्हीं क्षेत्रों में जाती हैं जहां बड़े बाजार मौजूद हैं। अतः, सरकार ने यह सुनिश्चित करने का कार्य आरंभ किया है कि टावर लगाने के लिए यू.एस.ओ. निधियों का उपयोग किया जाए और समाज के उन वर्गों और देश के उन क्षेत्रों, जो कि अभी तक मोबाइल सेवाओं से नहीं जुड़े हैं उन्हें संचार सेवाओं से जोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में राजसहायता प्रदान की जाती है।

इस संबंध में, 28,000 ग्रामीण एक्सचेंजों को ब्राड बैंड स्पैक्ट्रम भी प्रदान किए गए हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो कि अभी तक संचार सेवाओं से नहीं जुड़े हैं। यह सुनिश्चित करने कि शहरी क्षेत्रों की तरह देश के जनजातीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्र भी दूरसंचार सेवाओं से जुड़ जाएं, बी.एस.एन.एल. एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : अध्यक्ष महोदया, मोबाइल कम्पनीज द्वारा फोन किए जाने पर एक मिनट की दर से कॉल रेट फिक्स किया गया है। अगर एक मिनट बात करने पर एक सेकंड भी ज्यादा हो जाए तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा उपभोक्ता से दो मिनट का पैसा लिया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो यह उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि उपभोक्ता जब इन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स से टॉक टाइम खरीदता है, तो जितने समय के लिए वह पैसा देता है, उतने समय तक वह बात नहीं कर पाता है। होना यह चाहिए कि उपभोक्ता जितने समय बात करे, उतना ही पैसा उससे वसूल किया जाए। क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनाने पर विचार कर रही है कि उपभोक्ता जितने समय बात करे, उतने ही समय का पैसा चार्ज किया जाए?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: अध्यक्ष महोदया, भारत में दरों को सरकार द्वारा नहीं बल्कि ट्राई की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यह एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है। अतः, हमने धैर्य के सिद्धांत को अपनाने का निर्णय लिया। सभी निजी आपरेटर और सरकारी उपक्रम वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वे एक दूसरे के बराबर हैं। अतः हम यह आदेश नहीं दे सकते कि इस प्रकार का पैकेज दिया जा सकता है। वे ग्राहकों की संख्या बढ़ाना चाहते थे। अतः. उन्होंने कई पैकेजों की घोषणा की। मान लीजिए कि आप किसी विशेष प्रकार की पल्स दर,

मूल्य दर चाहते हैं तो आपको इतना रैंटल मूल्य देना होगा। रैंटल मूल्य कम हो सकता है और काल दर अधिक हो सकती है। कभी-कभी अधिक रैंटल मूल्य रखकर काल दर को कम किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी उपक्रमों सहित कंपनियों द्वारा जो भी मांग की गई है उसके आधार पर "पारदर्शिता सहित आम लोगों के लिए पैकेजों की घोषणा की जाती है।" पैकेज और शुल्क की घोषणा किए जाने के बाद किसी प्रकार का उल्लंघन या विचलन नहीं किया जाना चाहिए। इनकी घोषणा किए जाने के बाद, इन घोषणाओं पर विश्वास करते हुए यदि कोई व्यक्ति कोई पैकेज को लेता है तो उसे उस पैकेज से वंचित या उसे धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे मामले में यदि कोई समस्या आती है तो उसे मेरी जानकारी में लाया जाए और मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: माननीय अध्यक्षा जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ता आधार में वर्षानुवर्ष गिरावट का रुख रहा है। आपने यह भी कहा है कि गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपने यह भी कहा है कि ग्रामीण अंचलों में विशेष व्यवस्था और विशेष सुधार की योजना चल रही है।

माननीय अध्यक्षा जी, हम लोग उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के ग्रामीण अंचल से आते हैं। हमारा क्षेत्र भदोही, पूर्ण रूप से ग्रामीण एरिया है, वहां शाम के समय जैसे पीक-आवर बिजली का माना गया है, वैसे ही पीक-आवर टेलीफोन का हो गया है। सात बजे से लेकर आठ-सांढ़े-आठ बजे के बीच में कोई फोन नहीं लगता। उपभोक्ता अगर फोन करता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि रूट बिजी है, लाइनें व्यस्त हैं, कृपया इंतजार कीजिए। अध्यक्ष महोदया, आज टेलीफोन और मोबाइल का इस्तेमाल ग्रामीण अंचलों में, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। किसान, मजदूर अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके टेलीफोन और मोबाइल लेता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप ग्रामीण अंचलों की बात कर रहे हैं लेकिन रूट बिजी बताकर, लाइनें व्यस्त बताकर जो बात नहीं हो पाती है, उसमें सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? साथ ही कभी जो बात नहीं होती है, उसका बिल भी आ जाता है। इसलिए ग्रामीण अंचलों में उन व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आज गांव में "बी.एस.एन.एल." यानी "भाई साहब नहीं लगेगा" लोकोक्ति में सुधार के लिए, लोगों में विश्वसनीयता कायम करने के लिए, ग्रामीण अंचलों में सायंकाल, जो रूट बिजी बताया जाता है, उसमें सुधार करने के लिए, क्या आप बी.एस.एन.एल. की सेवाओं में सुधार करेंगे? साथ ही जो बिना बात किये ही पैसा कट जाता है, उपभोक्ता से पैसा चार्ज कर लिया जाता है, उसमें सुधार करेंगे?

श्री सचिन पायलट: माननीय स्पीकर महोदया, उत्तर प्रदेश देश का बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है, पूर्वांचल उसका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां दूरसंचार के माध्यम से लोगों के जीवन में कुछ सुधार हो रहा है। जहां तक कनैक्टिविटी की बात है, इसके दो कारण होते हैं। एक, जब कंजैशन बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होता है, स्पैक्ट्रम सीमित होता है तो कॉल नहीं लग पाती है। दो, कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह दिक्कत आती है कि वहां टावर लगे हुए हैं लेकिन बिजली की सप्लाई नहीं होती है। बिजली न होने के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है, वहां पर हम जैनरेटर और डीजल उपलब्ध कराते हैं ताकि टावर चल सके। लेकिन जब पावर-सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाती है तो वे टावर काम नहीं करते हैं। इस पर हम कदम उठा रहे हैं, चौकसी-निगरानी रख रहे हैं कि जहां पर हम जैनरेटर और डीजल सप्लाई करते हैं, उसका सही तरीके से उपयोग हो सके। महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर कोई दिल से काम कर रहा है तो वह बी.एस.एन.एल. कर रहा है, बाकी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से अब तक ज्यादा लाभ नहीं हुआ था। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि पिछले साल हम लोगों ने 131 मिलियन नये मोबाइल कनैक्शन्स, इस देश में जोड़े हैं तथा 50 प्रतिशत उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अब प्राइवेट ऑपरेटर्स भी समझ गये हैं कि गांव-देहात में ही उनकी कंपनियों का भविष्य है। बी.एस.एन.एल. शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद था, उसकी सर्विस को हम और बेहतर करेंगे, यह आश्वासन आपके माध्यम से, मैं सदन को देना चाहता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: सायंकाल जो बात हो नहीं पाती है, उसका उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने उत्तर दे दिया है, आप बैठ जाइये।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: धन्यवाद महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सुविधा प्रदान कर रहे हैं और उपभोक्ताओं में वृद्धि हो रही है। माननीय मंत्री जी, क्या आपने कभी आंकलन किया है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स की तुलना में आपकी सेवाओं में कितनी वृद्धि हो रही है? हम लोग भी यूजर्स हैं। हमें भी बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. का फोन प्राप्त है, लेकिन भाई साहब ने जो बात कही कि "भाई साहब नहीं लगेगा" इसकी चर्चा आमतौर पर गांव में है। हमारे पास भी बी.एस.एन.एल. का टेलीफोन रहते हुए भी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में घूमने के दौरान, कनैक्टिविटी के लिए एक प्राइवेट ऑपरेटर का प्राइवेट कनैक्शन लेना पड़ा। सेवा देना और बेहतर सेवा देना, दोनों में काफी अंतर है। अगर आप सेवा देकर संतुष्ट हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक सरकारी दफ्तर की तरफ आप बी.एस.एन.एल. को चला पाएंगे और प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ कंप्टीशन में आप कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज बी.एस.एन.एल. की यही स्थिति है कि बी.एस.एन.एल. एक सरकारी संगठन के रूप में काम कर रहा है। गांव में आपका जो जैनरेटर है, वह जैनरेटर ऑपरेटर सायंकाल चार बजे जैनरेटर बंद करके चला जाता है जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स की एक-एक गांव में कनैक्टिविटी है। आपका यह कहना शत-प्रतिशत गलत है कि गांव में प्राइवेट ऑपरेटर्स की कनैक्टिविटी कम है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बी.एस.एन.एल. को व्यावसायिक संगठन के रूप में विकसित करने के लिए, उसके कमर्शियल ऑरगेनाइजेशन के रूप में काम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री सचिन पायलट: महोदया, बी.एस.एन.एल. की जो सेवाएं हैं, लगभग तीन लाख कर्मचारी इसमें काम करते हैं और हमें बी.एस.एन.एल. की सेवा पर बहुत फख्र है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री सचिन पायलट: महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी आज बी.एस.एन.एल. निभा रहा है, वह जिम्मेदारी शायद ही कोई प्राइवेट ऑपरेटर निभा रहा है। हम सिर्फ सेवाएं देने से ही संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहते हैं कि सेवाएं अच्छी हों और प्राइवेट ऑपरेटर्स से ज्यादा अच्छी सेवाएं हम उपभोक्ताओं को दे सकें।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि बी.एस.एन.एल. की कार्य प्रणाली में हम लोग फेज छह में 93 मिलियन मोबाइल कनेक्शन और जोड़ना चाहते हैं। यह बात भी सच है कि जब सरकारी पी.एस.यू. काम करती है, हमारे ऊपर बहुत चैक्स एंड बैलेंसेस हैं। जो अनसक्सेसफुल बिडर्स होते हैं, वे कोर्ट में चले जाते हैं। हमें छठे वेतन आयोग को भी लागू करना है। हम पर देश के लोगों की भी जिम्मेदारी है, इसलिए बी.एस.एन.एल. पर जो भार है, वह शायद ही किसी प्राइवेट ओपरेटर पर हो। इसके बावजूद भी बी.एस.एन.एल. ने हर साल मुनाफा कमाया है और देश में जितना फुट प्रिंट बी.एस.एन.एल. का है, शायद ही किसी प्राइवेट ओपरेटर का होगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर इनके क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक परेशानी है, तो कृपया मुझे सूचित करें। हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।

अन्तर्देशीय जल फेरी तथा
समुद्री कार्गो सेवाएं

+

***324. श्री रामसिंह राठवा:**
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अन्तर्देशीय जल फेरी सेवाएं तथा समुद्री कार्गो सेवाएं शुरू करने के लिए गुजरात सहित राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा: महोदया, मंत्री जी ने इस सदन

को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश के छोटे-मोटे बंदरगाहों से कोस्टल कार्गो बहुत अच्छी तरह से हैंडल हो सकते हैं। ऐसे बंदरगाहों की पसंदगी के लिए भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय की ओर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को एक काम दिया था कि वह बंदरगाह चुने। टी.सी.एस. ने दिसम्बर, 2003 में भारत सरकार शिपिंग मंत्रालय को कम्प्लीट रिपोर्ट दी थी, जिसमें 9 छोटे-छोटे बंदरगाहों की योजना थी। उनमें से गुजरात राज्य के मगदला बंदरगाह को कोस्टल शिपिंग के लिए सही और आइडल बताया था। गुजरात सरकार ने मगदला बंदरगाह से माल सामान को वहन करने के लिए दिनांक 11-05-2005, दूसरा दिनांक 21-06-2005 और तीसरा दिनांक 10-01-2006 को भारत सरकार को पत्र लिखा था। आज मंत्री जी बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है।

मेरा सवाल है कि टी.सी.एस. ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर गुजरात सरकार ने दर्खास्त दी है। वह दर्खास्त कब तक मंजूर की जाएगी?

[अनुवाद]

श्री जी.के. वासन: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यद्यपि, यह प्रश्न अन्तर्देशीय जल मार्गों से संबंधित है परन्तु, जब गैर-प्रमुख पत्तनों, की बात आती है तो राष्ट्रीय समुद्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास और तटीय नौवहन को बढ़ावा देने के लिए सात गैर-प्रमुख पत्तनों की पहचान की गई है। जहाजों के ठहरने की प्रक्रिया को आसान बनाने (सोफ्ट लैंडिंग) के प्रयोजन से तटीय नौवहन विकास निधि और तटीय नौवहन के विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित, दो योजनाओं का प्रस्ताव किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से बजटीय सहायता हेतु भी अनुरोध किया गया। दुर्भाग्यवश, यह स्वीकृत नहीं की गई।

जहां तक गुजरात सरकार के प्रस्ताव का संबंध है तो मैं पत्तनों संबंधी प्रश्न उठाए जाने पर माननीय सदस्य को ब्यौरे सहित जानकारी दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा: महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुजरात के कांडला, मुदरा और सीका बंदरगाह से पेट्रोलियम, क्रूड आयल और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का वहन होता रहता है। करीब कच्छ के अखात से सालाना तीन हजार जहाज आते-जाते रहते हैं। इन जहाजों की निगरानी के लिए, सुविधा के लिए और नियंत्रण रखने के लिए क्या भारत सरकार ने कच्छ के अखात में वैसल्स ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अथोरिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो यह ट्रैफिक सिस्टम कब तक लागू किया जाएगा। अगर नहीं, तो आने वाले दिनों में आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री जी.के. वासन: अध्यक्ष महोदया, छोटे पत्तनों का विकास करते समय चैनलबर्थ, बर्थ क्षमता, माल संभलाई उपकरण, कराधार, निकासी, रेल और सड़क हेतु मार्ग जैसे कुछ घटकों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि यातायात के संबंध में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए; इसमें कोई सन्देह नहीं है। जहां तक प्रमुख पत्तनों का संबंध है, पिछले वर्ष 31 मार्च, 2009 तक लगभग 530.37 मिलियन टन ट्रैफिक संचालित किया गया। मैं बता सकता हूं कि प्रमुख पत्तनों का अंश भी लगभग 202.17 मिलियन टन था, जिसने पत्तनों को अच्छा प्रोत्साहन दिया है। ग्यारहवीं योजना के अंत तक प्रमुख पत्तनों का प्रक्षेपित ट्रैफिक पुनः एक बिलियन टन है, और छोटे पत्तनों का ट्रैफिक पुनः 500 मिलियन टन है जिससे यह कुल मिलाकर 1.5 बिलियन टन हो जाएगा। सरकार इस पर ध्यान दे रही है। हम उस आधार पर कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं दहेज से सीधा पोगा तक के लिए क्या गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव आया है? यदि हां तो उनकी लागत कितने करोड़ की है? मेरीटाइम वॉर की पॉलिसी आज तक डिक्लेअर नहीं हुई है क्योंकि प्लानिंग कमीशन का विचार अलग है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग और प्लानिंग कमीशन इन दोनों की वजह से कोई मेरीटाइम वॉर पॉलिसी बन पाई है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री जी.के. वासन: अध्यक्ष महोदया, केवल राष्ट्रीय

जल मार्ग ही केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं। अन्य जल मार्ग राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। इस समय, गुजरात में कोई राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। अतः, राज्य सरकार ही गुजरात के जलमार्गों का विकास और विनियमन करती है।

डा. के.एस. राव: अध्यक्ष महोदया, आज अन्तर्देशीय परिवहन देश की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि देश में हाइड्रोकार्बन संसाधन सीमित हैं, 75 प्रतिशत से अधिक हाइड्रोकार्बन का आयात किया जाता है। इस समय कृष्णा और गोदावरी दोनों को जोड़ने वाली वर्तमान नहरों के द्वारा विशाखापतनम से चेन्नई तक अन्तर्देशीय परिवहन उपलब्ध कराया जा सकता है, इससे परिवहन लागत में भारी कमी आएगी और इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्व पोत परिवहन मंत्री ने वादा किया था कि विजयवाड़ा को चेन्नई से जोड़ने के लिए बकिंघम नहर के विकास संबंधी परियोजना आरंभ करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि उस परियोजना की क्या स्थिति है, जिसका पूर्व मंत्री जी ने अन्तर्देशीय परिवहन के लिए बंकिंघम नहर के विकास के लिए वायदा किया था, जिससे कृषि उत्पादों विशेष रूप से चावल, कीटनाशकों, उर्वरकों इत्यादि के संबंध में कृषि उत्पादकों को अच्छा मूल्य और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर उत्पाद मिल सकें।

श्री जी.के. वासन: मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देश में पांच राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई लगभग 4434 किलोमीटर है, जिसका 2716 किलोमीटर मार्ग, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 3 हैं, अब ग्यारहवीं योजना में आरंभ हो चुका है। हमें जो भी धनराशि मिली है, हम उससे राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 3 का कार्य पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 और 5 का कार्य बाद में शुरू किया जाएगा।

पूर्व मंत्रीजी ने सभा को जो भी बताया है, मैं उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा और माननीय मंत्री जी को निश्चित रूप से सकारात्मक उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: *अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 3 को विकास के लिए शामिल किया गया है और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 और 5 को अभी शामिल नहीं किया गया है। क्या वह सभी को बतायेंगे वे राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 3 कौन-से हैं, जिन्हें शामिल किया गया है और वे राष्ट्रीय जलमार्ग 4 और 5 कौन से हैं, जिन्हें शामिल नहीं किया गया है? क्या वे उन परियोजनाओं का नाम बता सकते हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने किया है?*

श्री जी.के. वासन: देश में पांच राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। पहला जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 1,620 किलोमीटर है, जिसकी घोषणा 1986 में की गई थी। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी है जो दुब्री से सादिया तक है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और जिसकी घोषणा 1988 में की गई थी।

तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग पश्चिमी तट नहर है, जो उद्योगमण्डल और चंपकारा नहरों के साथ कोटपुरम से कोल्लम तक है, 1993 मेंघोषित इस जलमार्ग की लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है। ये तीन राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 3 हैं, जो आरंभ हो चुके हैं और ग्यारहवीं योजना में इन्हें पूरी तरह कार्यशील बना दिया जाएगा; धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और हम उसका उपयोग उनको पूरी तरह कार्यशील बनाने के लिए करेंगे। चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग काकीनाड़ा से पुडुचेरी नहर प्रणाली है, जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ एकीकृत है, जिसकी लंबाई 1,095 किलोमीटर है; और पांचवा पूर्व तटीय नहर है, जो ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा के साथ है, जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। दोनों की घोषणा नवम्बर, 2008 में हुई थी।

निर्यात में गिरावट

\+

***325. श्री सुरेश कलमाडी:**

श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डालर के मुकाबले रुपए के अवमूल्यन के

बावजूद रुपए के संदर्भ में निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा विशेषतः वस्त्र, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा कच्ची कपास जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके संभावित प्रभाव के बारे में सरकार का आकलन क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2008-09 के दौरान एक अम. डा. के मुकाबले रुपए का मूल्य 39.97 रु. (दिनांक 1-4-2008 की स्थिति के अनुसार) से घटकर एक अम.डा. के मुकाबले 50.95 रु. (दिनांक 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार) हो गया। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में पण्य वस्तु निर्यात में रुपए के रूप में 16.9% की वृद्धि हुई। अप्रैल, 09 से जून, 09 की अवधि के दौरान एक अम. डा. के मुकाबले रुपए का मूल्य 50.95 रु. (1-4-2009 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर एक अम. डा. के मुकाबले 47.87 रु. (30-06-2009 की स्थिति के अनुसार) हो गया। अनंतिम त्वरित अनुमानों के अनुसार अप्रैल से जून, 09 की अवधि के दौरान पण्य वस्तु निर्यातों में वर्ष 2008 की समनुरूपी अवधि की तुलना में रुपये के रूप में 19.6% की गिरावट आई। हाल के महीनों के दौरान निर्यातों में गिरावट का कारण मुख्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त वित्तीय संकट और विशेष रूप से विकसित देशों में मंदी रही है जिससे मांग में कमी आई है।

(ग) और (घ) सरकार और आर.बी.आई. द्वारा देश में आर्थिक घटनाक्रमों और वैश्विक स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उनके द्वारा निर्यातों में गिरावट को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज के साथ-साथ बजट 2009-10 में कई उपायों की घोषणा की है। अब तक विशेष रूप से निर्यात क्षेत्र के लिए घोषित उपाय अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी से उत्पन्न निर्यातकों की चिंताओं के समाधान के लिए सरकार/आर.बी.आई. द्वारा उठाए गए कदम (बजट, 2009-10 में की गई घोषणाओं सहित)

(क) सरकार द्वारा किए गए उपाय:

(1) निर्यात हेतु निम्नलिखित श्रम गहन क्षेत्रों हेतु दिनांक 30-9-2009 तक प्रदान की जाने वाली 2% की ब्याज छूट सुविधा का समय बढ़ाकर 31-03-2010 कर दिया गया है:-

वेस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, चर्म, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा एस.एम.ई.;

(2) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी. यू.वाई.) में हस्तशिल्प मदों आदि को (दिसम्बर, 2008 में) 350 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;

(3) दिनांक 01-04-2009 से 30-09-2009 तक किए जाने वाले निर्यातों के लिए बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम का विस्तार कर उसमें साइकिल के पुर्जों; मोटर कार तथा मोटर साइकिलों, परिधानों एवं वस्त्र सहायक सामग्री, ऑटो के पुर्जों आदि को शामिल किया गया;

(4) माने गए निर्यातों पर सी.एस.टी./अंतिम उत्पाद शुल्क/शुल्क प्रतिअदायगी के दावों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए।

(5) निर्यातक अनुकूल एवं लोकप्रिय शुल्क शून्यीकरण स्कीम अर्थात शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम को 31 दिसम्बर, 2009 तक जारी रखना;

(6) जिन मदों पर नवम्बर, 2008 में डी.ई.पी.बी. दरें कम की गयी थीं, उन समस्त मदों पर भूतलक्षी प्रभाव से डी.ई.पी.बी. दरों को बहाल करना;

(7) दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से कुछेक मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की उच्चतर दरें बहाल करना;

(8) बैंक वसूली प्रमाण-पत्र (बी.आर.सी.) की शुरुआती

अपेक्षा के बिना डी.ई.पी.बी. तथा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीमों की अनुमति;

(9) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत संरचना शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात दायित्व की अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया;

(10) ई.सी.जी.सी. को 350 करोड़ रु. तक समर्थन गारंटी उपलब्ध कराई गई ताकि वह दुर्गम बाजारों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियां प्रदान कर सके। ई.सी.जी.सी. अब अपने दायरे में विस्तार करने में सक्षम है;

(11) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) के अंतर्गत वस्त्र इकाइयों के पिछले दावों का निपटान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को 1400 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;

(12) एम.डी.ए. स्कीम-आवंटन बढ़ाकर 124 करोड़ रुपए (148% की वृद्धि) किया गया;

(13) निम्नलिखित रोजगारोन्मुख क्षेत्रों के लिए मौजूदा शुल्क मुक्त आयात हकदारी के भीतर अतिरिक्त मदों की अनुमति दी गई :-

(i) खेल सामग्री क्षेत्र हेतु 5 अतिरिक्त मदें;

(ii) चर्म परिधान तथा फुटवियर एवं वस्त्र मदों के लिए अतिरिक्त मदें;

(14) वेतनेतर लाभ कर (एफ.बी.टी.) समाप्त किया गया;

(15) एस.टी.पी.आई. तथा ई.ओ.यू. स्कीमों के लिए "सनसेट" संबंधी खण्डों से संबंधित क्रमशः धारा 10क और 10ख को वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू रखा गया। "इकाई की तुलना में निर्धारिती" के कराधार लाभ से संबंधित धारा 10क क में विसंगति को समाप्त किया गया;

(16) लौह अयस्क फाइंस पर निर्यात शुल्क समाप्त किया गया और लम्प्स के लिए इसे घटाकर 5% किया गया;

(17) निर्यातों पर सेवाकर वापसी से संबंधित कुछेक लम्बित मुद्दों का निपटान किया गया। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :-

(i) निर्यातों से जुड़ी सेवाओं पर सेवाकर से छूट;

(क) किसी सी.एफ.एस. या आई.सी.डी. से पत्तन या हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के परिवहन से संबंधित सेवा पर और निकासी के स्थान से सीधे किसी आई.सी.डी., सी.एफ.एस., पत्तन या हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के परिवहन से संबंधित सेवाओं पर;

(ख) विदेशी एजेंट कमीशन सेवा द्वारा प्रदत्त सेवाएं;

(ii) विदेशी के एफ.ओ.बी. मूल्य के 0.25% से अनधिक के वापसी के दावे के मामले में स्व-प्रमाणन; तथा अन्य मामलों में सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणन पर वापसी की अनुमति देकर सेवाकर की वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है;

(iii) वापसी का दावा प्रस्तुत करने के लिए समयावधि बढ़ाकर निर्यात की तारीख से 1 वर्ष (छमाही की तुलना में) कर दी गई है।

(18) निर्यातकों के लिए विलंब में कमी करने हेतु अनेक प्रक्रियागत मुद्दों के फास्ट ट्रैक समाधान हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें राजस्व एवं वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं। तदनुसार कई मुद्दों का समाधान किया गया;

(19) पेट्रोलियम उत्पाद एवं अन्य उत्पादों जिनके संबंध में वर्तमान दर 4% से कम थी, को छोड़कर सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में 4% की समान दर से कमी की गयी। इसके अतिरिक्त चर्म आदि जैसे कुछेक उत्पादों हेतु उत्पाद शुल्क में और 2% की कमी की गई;

(20) अतिलघु एवं लघु उद्यमों के लिए ऋणों पर ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर 50% के गारंटी कवर के साथ दोगुना कर 1 करोड़ रु. किया गया। ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा प्रदत्त गारंटी कवर को 5 लाख रु. तक की ऋण सुविधा हेतु बढ़ाकर 85% किया गया। ऐसे सम्पार्श्विक मुक्त ऋणों हेतु अवरुद्ध अवधि में कमी की गयी;

(21) बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों हेतु 95% तक संवर्धित ई.सी.जी.सी. कवर प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2008 में शुरू की गई समायोजन सहायता स्कीम को मार्च, 2010 तक जारी रखा गया;

(22) विशेष रूप से चीन से पाटित/सस्ते आयातों से घरेलू विनिर्माण उद्योग की रक्षा करने के लिए एच.आर. कॉयल, कार्बन ब्लैक, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न (पी.एफ.वाई.) तथा रेडियल टायरों (बस एवं ट्रक) पर आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(23) पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वृहद हथकरघा समूहों, राजस्थान में पावरलूम समूहों तथा श्रीनगर एवं मिर्जापुर में कालीन हेतु नव वृहत समूहों को अनुमोदित किया गया;

(24) अपरिष्कृत/अनगढ़ कोरल पर 5% मूल सीमा शुल्क समाप्त किया गया;

(25) विद्युत क्षेत्र हेतु नैफ्था पर आयात शुल्क समाप्त किया गया;

(26) टी.एस.टी. छड़ों पर संरचनाओं तथा सीमेंट पर सी.वी.डी. समाप्त किया गया;

(27) जस्ता एवं फेरो-एलॉय पर मूल सीमा शुल्क से छूट समाप्त की गयी;

(28) नियमित निगरानी तंत्र :

(क) सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि अपेक्षानुसार आगे और सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जा सकें। इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित दो उच्चस्तरीय समितियां गठित की हैं जो नियमित आधार पर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रही हैं :-

(i) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ दल जिसमें वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उपाध्यक्ष (योजना आयोग), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शामिल हैं;

(ii) वर्तमान वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट के संबंध में व्यापार एवं उद्योग जगत तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करने तथा शीर्षस्थ दल के लिए कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु नियमित रूप से बैठक करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की समिति, जिसमें वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव, सचिव (डी.आई.पी.पी.), सचिव (योजना आयोग) शामिल हैं।

(ख) एम.एस.एम.ई. के ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु राज्यस्तरीय बैंककार समिति की मासिक बैठक की बैठकों की प्रगति पर एम.एस.एम.ई. विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की जाएगी।

(ख) आर.बी.आई. द्वारा किए गए उपाय :

(क) निम्नलिखित के द्वारा नकद प्रवाह में वृद्धि करने के लिए बैंकों की नकदी में वृद्धि :

(i) सी.आर.आर. एस.एल.आर., रेपो दर तथा प्रति रेपो दर में कमी (अक्तू. 08 से सी.आर.आर. को 9% से घटाकर 5%, एस.एल.आर. को 25% से घटाकर 24% रेपो दर को 7.5% से घटाकर 4.75% और प्रति रेपो दर को 6% से घटाकर 3.25% किया गया)।

(ii) रुपए या डॉलर में लदना-पूर्व तथा लदान-पश्चात ऋण प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि हेतु एक्जिम बैंक को पुनर्वित्त सुविधा।

(iii) निर्यातों, अति लघु एवं लघु उद्यमों, म्युचुअल फंड तथा एन.बी.एफ.सी. को वित्त प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बैंकों हेतु एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्थापित की गई है। उपबंधात्मक अपेक्षाओं में कमी की गई है। वाणिज्यिक बैंकों हेतु निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा को बढ़ा कर बकाया रुपया निर्यात ऋण का 50% किया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा (फॉरिक्स) की नकदी में वृद्धि

(i) घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा (अम. डा.) की बिक्री जारी रखने के संबंध में आर.बी.आई. का आश्वासन।

(ii) निर्यातकों को विदेशी मुद्रा मेंलाभकारी ऋण प्रदान करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अधिकतम दर सीमा को बढ़ाकर एल.आई.बी.ओ.आर. + 350 आधार बिंदु किया गया है बशर्ते बैंक अपनी ओर से किए गए व्ययों की वसूली को छोड़कर अन्य प्रभारों अर्थात् सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि का उद्ग्रहण नहीं करेंगे।

(ग) ऋण संबंधी शर्तों को सरल बनाना:

(i) लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण की अवधि को बढ़ाकर प्रत्येक के लिए 90 दिन करना;

(ii) गैर-दर्जाधारक निर्यातकों हेतु निर्यात आय की समयावधि को दर्जाधारकों के समतुल्य बनाते हुए बढ़ाकर 12 माह करना। यह सुविधा जो पहले 03-06-2009 तक के लिए उपलब्ध थी, इसमें और एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया है।

(iii) आर.बी.आई. द्वारा घोषित उपायों के उपरांत पी.एस.यू. बैंकों द्वारा निर्यात इकाइयों हेतु गारंटियों पर मार्जिन मनी में कमी की गई।

श्री सुरेश कलमाडी: वे प्रमुख निर्यात क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जो वैश्विक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, और वे किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं?

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महदोया, वैश्विक मंदी से प्रतिकूल ढंग से प्रभावित प्रमुख निर्यात क्षेत्र रत्न और जवाहरात, वस्त्र, तैयार वस्त्र, चमड़ा उत्पाद, हथकरघा, समुद्री उत्पाद और हस्तकला उत्पाद हैं।

श्री सुरेश कलमाडी: क्या विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों पर कोई प्रभाव पड़ा है और भारत के विकास के संबंध में किए गए उपाय क्या हैं?

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वैश्विक संकट के कारण निर्यात क्षेत्र विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, वैश्विक वाणिज्य में 12 प्रतिशत से अधिक गिरावट आने वाली है; और विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, निर्यातों में वैश्विक गिरावट नौ से ग्यारह प्रतिशत होगी।

भारत सरकार हमारे निर्यात क्षेत्रों और उद्योग पर विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों, जिसका मैंने उल्लेख किया है, पर विपरीत प्रभाव को लेकर चिंतित है। सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, और उनका ब्यौरा दिया गया है। दो प्रोत्साहन पैकेज दिए गए थे और अधिक उत्प्रेरक बजट में दिए गए हैं। पूंजीगत उद्योग के क्षेत्र में उन पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। मैं यह नहीं कह सकता कि निर्यात की स्थिति में सुधार हुआ है। अक्तूबर, 2008 से निर्यात में तेजी से गिरावट आई, और मार्च और अप्रैल में 33 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई, लेकिन पिछले दो महीनों में यह 30 प्रतिशत से नीचे आ गया है; डालर और रुपये दोनों के संदर्भ में गिरावट की गति धीमी हुई है। मैं कह सकता हूं कि किये गये उपायों का सकारात्मक प्रभाव हुआ था, तेजी से गिरावट, कुछ सीमा तक रुकी है, लेकिन उसमें वैश्विक स्तर पर उठान का कोई संकेत नहीं है। निर्यात ऋण के मामले में हमने उत्प्रेरक दिए हैं; संवेदनशील क्षेत्रों के लिए 95 प्रतिशत तक ई.सी.जी.सी. के माध्यम से निर्यात ऋण कवर किया गया है; एक्जिम बैंक को अलग से 5,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं; ब्याज सहायता दी गई है; आधिकारिक रूप से इसमें 4 प्रतिशत की कटौती की गई है। ये सभी उपाय तथा आसान ऋण की उपलब्धता भारतीय निर्यात को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किए गए हैं, इसी समय, घरेलू विनिर्माण उद्योग में भी बदलाव आ रहा है। अनेक क्षेत्रों विशेषकर पूंजीगत वस्तु उद्योग ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की है। जून के आंकड़े, जो पिछले सप्ताह जारी किए गए हैं, यह दर्शाते हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्र अच्छा कार्य कर रहे हैं; इस्पात, सीमेंट, यहां तक कि ऑटोमोबाइल उद्योग और उपभोक्ता वस्तुएं भी दोहरे अंकों में वृद्धि कर रही हैं। यह घरेलू मांग में वृद्धि और उपलब्धता के प्रस्तावों के कारण भी है। अतः, हम भी यह आशा करते हैं कि जो उपाय किए गए हैं उनका

स्थायी प्रभाव होगा और विनिर्माण उद्योग ने जीर्णोद्धार के स्पष्ट संकेत दिए हैं; लेकिन वैश्विक संदर्भ में सभी अनुमानों और अध्ययनों के अनुसार अक्तूबर, 2010 तक बुनियादी सुधार के कोई संकेत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदया: श्री प्रहलाद जोशी - उपस्थिति नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

संपूर्ण साक्षरता अभियान

***326. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गयी है; और

(घ) देश में प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने में यह कार्यक्रम कितना सहायक रहा है?;

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टी.एल.सी.) इस समय देश के 95 जिलों में चल रहा है। इसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष (30-06-2009 की स्थिति के अनुसार) सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है चूंकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का कार्यान्वयन परियोजना पद्धति के आधार पर किया जाता है इसलिए इस प्रयोजनार्थ जारी की गई निधियों के उपयोग की स्थिति का पता परियोजना की समाप्ति के पश्चात् ही चलता है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को शुरू किये जाने से लेकर वर्ष 2008-09 तक 127.45 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है।

विवरण-I

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टी.एल.सी.) के अंतर्गत इस समय शामिल किये गये 95 जिलों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	5
2.	असम	13
3.	बिहार	9
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	गोवा	2
6.	हरियाणा	2
7.	जम्मू-कश्मीर	14
8.	झारखंड	7
9.	महाराष्ट्र	1
10.	मणिपुर	1
11.	मेघालय	4
12.	नागालैण्ड	8
13.	उड़ीसा	6
14.	पंजाब	6
15.	सिक्किम	4
16.	उत्तर प्रदेश	11
17.	दादरा व नागर हवेली	1
	कुल	95

विवरण-II

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10 (30 जून, 2009)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	14.42	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	43.33	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	11.59	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	52.86	12.51	0.00
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिमी बंगाल	0.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
31.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
33.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00
34.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
	कुल	110.61	24.10	0.00

[हिन्दी]

स्वीकृत एस.ई.जेड. परियोजनाओं का कार्यकरण

***327. श्री जगदीश शर्मा:**

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के पश्चात जून, 2009 तक सरकार द्वारा कितने एस.ई.जेड. प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी थी;

(ख) क्या बड़ी संख्या में स्वीकृत एस.ई.जेड. परियोजनाओं ने अब तक कार्य करना शुरू नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन एस.ई.जेड. परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से कार्यशील बनाने के लिए सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) 578 एस.ई.जेडों. को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 325 अधिसूचित किए गए हैं। एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत एस.ई.जेड. विकासकर्ताओं को प्रदत्त अनुमोदन तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहते हैं और इस अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विकासकर्ता द्वारा समयानुसार कारगर कदम उठाने होते हैं। एस.ई.जेड. नियम, 2006 में अन्य बातों के साथ-साथ अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) द्वारा अनुमोदन की अवधि को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाए जाने का प्रावधान है। दिनांक 30-06-2009 की स्थिति के अनुसार 91 एस.ई.जेडों ने निर्यात शुरू कर दिया है।

(घ) सभी नव अधिसूचित एस.ई.जेड. मुख्य रूप से निजी निवेश द्वारा संचालित हैं। शीर्ष स्तर पर अनुमोदन बोर्ड के अलावा, अधिसूचित जोनों की इकाई अनुमोदन समितियां उनकी प्रगति की निगरानी करती हैं और एस.ई.जेड. विकासकर्ताओं/इकाइयों के लिए अनुमोदनों हेतु एक सुविधाकारी तथा बाधामुक्त पटल प्रदान करती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी एस.ई.जेड. विकासकर्ताओं और एस.ई.जेड. इकाइयों के लिए एकल स्थायी अनुमोदन प्रणाली लागू की है।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र में कामगारों की स्थिति

***328. श्री राजू शेट्टी:**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों/कामगारों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों/कामगारों की स्वास्थ्य सहित खराब हो रही स्थिति के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों/कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं/किये जाने का विचार है; और

(घ) इन योजनाओं से राज्यवार कितने श्रमिक/कामगार लाभान्वित हुए हैं/लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) यद्यपि असंगठित क्षेत्र में सामान्यतया श्रमिकों/कामगारों के स्वास्थ्य सहित खराब हो रही स्थिति के संबंध में कोई विशिष्ट आकलन नहीं किया गया है किन्तु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों को गठित किये जाने का प्रावधान है, ये बोर्ड असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार किए जाने की सिफारिश करेंगे। असंगठित कामगारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ऐसे परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा मजदूरी-रोजगार उपलब्ध कराता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, जैसी विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त, सरकार ने मृत्यु एवं अपंगता के मामले में बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना और गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों को स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) जैसी कुछ नई योजनाएं प्रारम्भ की हैं। गरीबी रेखा से नीचे के कामगार पूर्णतया असंगठित क्षेत्र में हैं।

असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 1 अप्रैल, 2008 से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरू की गयी थी। कामगार और उसके परिवार (पांच की इकाई) को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। इसमें एक परिवार के लिए फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 30,000 रुपये प्रति वर्ष के स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य बीमा कवर का प्रावधान है। 20-07-2009 तक इस योजना के अंतर्गत 53,21,246 परिवार कवर किए गए हैं।

ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु एवं अपंगता कवर प्रदान करने के उद्देश्य से, 2 अक्तूबर, 2007 को "आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.)" प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, परिवार के प्रमुख अथवा परिवार में कमाने वाले एक सदस्य का बीमा किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति 200 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम का 50% वहन करती है और शेष प्रीमियम का 50% राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना के अंतर्गत लाभों में स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000 रुपये और दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 75,000 रुपये की राशि शामिल है। दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता के मामले में, बीमा कवर की राशि 37,500 रुपये है। आम

आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों के आई.टी.आई. पाठ्यक्रमों सहित कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत अधिकतम 4 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रति बच्चा 300 रुपये प्रति तिमाही की दर से छात्रवृत्ति के पात्र हैं। 31-03-2009 तक इसकी कवरेज में 29,10,400 व्यक्ति हैं।

65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे के सभी नागरिकों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना) को 19-11-2007 से विस्तारित किया गया है। 31-03-2009 तक 1,53,46,199 व्यक्ति कवर कर लिए गए हैं।

असंगठित कामगारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की एक सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

संगठित तथा असंगठित कामगारों की राज्य-वार अनुमानित संख्या

(करोड़ में अनुमानित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.20	3.84	4.04
2.	असम	0.11	1.00	1.11
3.	बिहार	0.05	2.76	2.81
4.	गुजरात	0.16	2.35	2.51
5.	हरियाणा	0.05	0.87	0.92
6.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.30	0.33
7.	जम्मू-कश्मीर	0.02	0.43	0.45
8.	कर्नाटक	0.19	2.54	2.73
9.	केरल	0.11	1.37	1.48
10.	मध्य प्रदेश	0.10	2.72	2.82
11.	महाराष्ट्र	0.34	4.47	4.81
12.	उड़ीसा	0.08	1.71	1.79
13.	पंजाब	0.08	1.03	1.11
14.	राजस्थान	0.12	2.57	2.69
15.	तमिलनाडु	0.23	2.90	3.13
16.	उत्तर प्रदेश	0.21	6.42	6.63

1	2	3	4	5
17.	पश्चिम बंगाल	0.20	3.15	3.35
18.	झारखण्ड	0.10	0.11	0.21
19.	छत्तीसगढ़	0.03	1.05	1.08
20.	उत्तराखण्ड	0.03	0.38	0.41
22.	अन्य राज्य	0.16	1.33	1.49
	कुल	2.60	43.30	45.90

विवरण-II

असंगठित कामगारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सूची

क्र.सं.	सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2.	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
3.	जननी सुरक्षा योजना
4.	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजनाएं
5.	हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना
6.	मास्टरक्राफ्ट व्यक्तियों को पेंशन
7.	मछुआरों के कल्याण एवं प्रशिक्षण तथा विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना
8.	जनश्री बीमा योजना
9.	आम आदमी बीमा योजना
10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
11.	बीड़ी कामगार कल्याण निधि
12.	लौह-अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान कल्याण निधि
13.	सिनेमा कामगार कल्याण निधि

[हिन्दी]

सशस्त्र सेनाओं में कार्मिकों की कमी

***329. श्री जय प्रकाश अग्रवालः**
श्री सी. शिवासामीः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय सशस्त्र सेनाओं में सेना-वार कार्मिकों की कितनी कमी है;

(ख) यह कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सेनाओं में भर्ती हुए युवाओं की सेना-वार संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेना में कितने कार्मिकों ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति की मांग की है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) समय पूर्व सेवानिवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) काफी समय से सशस्त्र बलों में अफसरों की कमी चल रही है। सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

सेना	नौसेना	वायुसेना
11387	1512	1400

सशस्त्र सेनाओं में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की कोई बड़ी कमी नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सेनाओं में भर्ती हुए कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है:-

सेना		नौसेना		वायुसेना	
अफसर	अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक	अफसर	अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक	अफसर	अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक
5033	96453	1209	6792	1451	21311

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सेना में 3764 अफसरों और 27477 अफसर रैंक से नीचे रैंक के कार्मिकों, नौसेना में 842 अफसरों और 126 अफसर रैंक से नीचे रैंक के कार्मिकों तथा वायुसेना में 893 अफसरों और 3961 अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों ने कार्यमुक्ति/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति मांगी है। पैनल में शामिल नहीं किए जाने, अधिक्रमण, स्थायी रूप से निम्न चिकित्सा श्रेणी में होने तथा अनुकंपा के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर विचार किया जाता है।

सैन्य कार्मिकों को सेवा में बने रहने हेतु प्रेरित करने और मेधावी युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिए आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अल्प सेवा कमीशन वाले अफसरों सहित सभी अफसर अब 2, 6 और 13 वर्ष की संगणनीय सेवा के बाद क्रमशः कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल का मूल रैंक धारण करने के लिए पात्र हैं। अल्प सेवा कमीशन अफसरों का कार्यकाल 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है। अजय विक्रम सिंह समिति की रिपोर्ट (चरण-1) के कार्यान्वयन के संदर्भ में लेफ्टिनेंट कर्नल के कुल मिलाकर 750 पदों का दर्जा बढ़ाकर कर्नल रैंक का किया गया है। इसके अलावा, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और अन्य दो सेनाओं में उनके समतुल्य रैंकों में 1896 अतिरिक्त पदों का दर्जा अजय विक्रम सिंह समिति की रिपोर्ट (चरण-II) के कार्यान्वयन स्वरूप बढ़ा दिया गया है। सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के वेतन ढांचे में वास्तविक सुधारों के साथ छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से भी सेनाओं को और आकर्षक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

इसके अलावा, सशस्त्र सेनाओं में चुनौतीपूर्ण और संतोषप्रद आजीविका अपनाने के फायदों के संबंध में युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सतत छवि सुधारने और प्रचार करने के अभियान चलाए हैं। जागरूकता अभियान, कैरियर मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देना, स्कूल, कालेजों में प्रेरणादायक व्याख्यान देना भी इस दिशा में किए गए कुछ अन्य उपाय हैं।

[अनुवाद]

बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा

***330. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसमें उन सभी व्यक्तियों को भी शामिल करने का है जिन्हें एक विशिष्ट अवधि के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जा सका; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) श्रमजीवी निर्धनों और बेरोजगारों की सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन करती है जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :-

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना।

3. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना।

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।

5. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित जनश्री बीमा योजना।

6. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा कार्यान्वित आम आदमी बीमा योजना।

7. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

8. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना - यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के दायरे में लाये गये ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है जो छंटनी या कारखाने की बंदी आदि या रोजगारेतर चोट से कम से कम 40% तक स्थायी अशक्तता के कारण बेरोजगार हो गए हैं। यह योजना 1-4-2005 को शुरू की गई थी और समय-समय पर इसका पुनरीक्षण तथा संशोधन किया गया है ताकि इसमें और अधिक लोगों को शामिल किया जा सके तथा अतिरिक्त लाभ दिए जा सकें। प्रारम्भ में, बेरोजगारी भत्ता छह माह की अवधि के लिए दिया जाता था। हाल ही में इसे बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता अन्तिम आहरित वेतन के 50% की दर से दिया जाता है। बीमित व्यक्ति और उन पर परिवार के आश्रित सदस्य भी बेरोजगारी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए चिकित्सा सुविधाओं के पात्र हैं। पुनर्नियोजनीयता सुनिश्चित करने हेतु, अब प्रशिक्षण को भी योजना में शामिल किया गया है। अगर बीमित व्यक्ति पुनर्नियोजित हो जाता है या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है अथवा 60 वर्ष का हो जाता है, जो भी पहले हो, तो उसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लाभ मिलने बंद हो जाते हैं।

देश में बेरोजगार व्यक्तियों को राहत देने के लिए कतिपय राज्य सरकारें भी योजनाएं तैयार करती हैं।

राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना

***331. श्री टी.आर. बालू:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना का कार्य निष्पादन क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेश में उच्च शिक्षा हेतु सामाजिक रूप से पात्र अन्य वर्गों के छात्रों को इस योजना में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) से (ग) अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना चयनित अभ्यर्थियों को विदेश में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों के विशेष क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन और इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में पी.एच.डी. करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना के तहत प्रतिवर्ष 30 पुरस्कार उपलब्ध हैं जिनका वितरण इस प्रकार है:

(i)	अनुसूचित जातियां	-	27
(ii)	अनधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश जनजातियां	-	2
(iii)	भूमिहीन कृषि मजदूर और पारम्परिक शिल्पकार	-	1
	कुल		**30**

योजना के प्रावधान के अनुसार, अनंतिम पुरस्कार पत्र की वैधता, चयन की सूचना की तारीख से ***तीन वर्ष*** के लिए है। निर्दिष्ट समय-अवधि की समाप्ति पर, पुरस्कार स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

योजना को पिछली बार 9-7-2007 में संशोधित किया गया था। मुख्य संशोधन इस प्रकार थे:

– पुरस्कारों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 की गई।

- पीएच.डी./मास्टर डिग्री को करने हेतु अनुभव की अनिवार्य अपेक्षा को चयन वर्ष 2007-08 से हटा दिया गया।
- नियोजित अभ्यर्थी या उसके माता-पिता/अभिभावक की कुल मासिक आय की अधिकतम सीमा को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया।
- महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% स्थान निर्दिष्ट किए गए।
- वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाई गई।
- पीएच.डी. हेतु वित्तीय सहायता की अवधि तीन से चार वर्ष और मास्टर डिग्री हेतु दो से बढ़ाकर तीन वर्ष की गई।

संशोधित दिशा-निर्देश 2007-08 से प्रवृत्त हुए हैं और पहले से ही विदेश में अध्ययन कर रहे सभी छात्रों पर भी लागू हैं।

योजना का कार्य-निष्पादन

(राशि लाख रुपए)

चयन वर्ष	बजट आबंटन	किया गया वास्तविक व्यय	उपलब्ध पुरस्कारों की संख्या	चयनित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या	विदेश में अध्ययन कर रहे पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या
2004-05	100.00	90.00*	20	20	13
2005-06	100.00	160.60*	20	20	11
2006-07	140.00	105.08*	20	15	3
2007-08	400.00	275.64*	30	28	-
2008-09	500.00	499.95*	30	चयन प्रक्रिया प्रगति पर है।	-
2009-10	500.00	2.16* (22-07-2009 की स्थिति के अनुसार)	30	आवेदन-पत्र अमंत्रित किए जा रहे हैं।	-

*विदेश में पहले से ही अध्ययन कर रहे छात्रों पर हुआ व्यय।

इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर को बढ़ावा

***332. श्री सी. राजेन्द्रन:** क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी से भारत में कम्प्यूटरों की घरेलू खपत प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारत में कम्प्यूटरों की खपत पर प्रतिकूल प्रबाव डाला है। सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ (मैट) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2008-09 के लिए वैयक्तिक कम्प्यूटर

(पी.सी.) की कुल बिक्री 67.9 लाख यूनिट थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% कम है। नोटबुक कम्प्यूटरों तथा डेस्कटॉप कम्प्यूटरों की घरेलू खपत में क्रमशः 17% और 4% कमी आई है।

(ग) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश

- इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

2. सीमा शुल्क

- 217 सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आई.टी.ए.-1) वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 1-3-2005 से समाप्त कर दिया गया है।

- आई.टी.ए.-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

- इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जो अथवा प्रकाशित तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है।

- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है।

- एल.सी.डी. टी.वी. के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एल.सी.डी. पैनलों पर सीमा-शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

- सेट टॉप बॉक्स के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेट टॉप बॉक्स पर सीमा-शुल्क 0% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।

- मोबाइल फोन और सहायक उपकरणों के विनिर्माण के लिए पुर्जों पर 4% विशेष प्रतिशुल्क से पूरी छूट एक वर्ष अर्थात् दिनांक 06-07-2010 तक के लिए फिर शुरू की गई है।

3. उत्पाद शुल्क

- उत्पाद शुल्क की मध्यम दर (सेनवैट) घटाकर 8% कर दी गई है।

- माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सी.डी. रॉम ड्राइवों डी.वी.डी. ड्राइवों/डी.वी. राइटरों, फ्लैश मेमोरी तथा कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

- सेल्यूलर फ़ोन सहित मोबाइल हैण्डसेट के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक सामग्री को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

4. विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्त)

- सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2007 की गजट अधिसूचना के जरिए भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना और अन्य सूक्ष्म एवं नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) की घोषणा की गई है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ई.पी.सी.जी.)

- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ई.पी.सी.जी.) में 3% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है।

- सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आई.टी.ए.-I) वस्तुओं की आपूर्ति डी.टी.ए. को करके ई.पी.सी.जी. योजना के अन्तर्गत निर्यात की बाध्यता को भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते आय निशुल्क विदेशी मुद्रा में हो।

6. सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आई.टी.ए-I) वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डी.टी.ए.) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति

- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.पी.)/निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ई.ओ.यू.) द्वारा

सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आई.टी.ए. I) वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डी.टी.ए.) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एन.एफ.ई.) के प्रयोजन से गिना जाएगा।

7. विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.)

- निर्यात के प्रयोजन से बाधा मुक्त विनिर्माण तथा व्यापार की सुविधा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) की स्थापना की जा रही है।
- एस.ई.जेड. से देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डी.टी.ए.) को बिक्री को वास्तविक निर्यात माना जाता है। इसके फलस्वरूप, देशीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रति अदायगी/डी.ई.पी.बी. के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट प्राप्त है।
- एस.ई.जेड. इकाइयों को निर्यात से लाभ पर 5 वर्षों के लिए 100% आयकर से छूट, अगले 5 वर्षों के लिए 50% और उसके पश्चात 5 वर्षों के लिए प्लाऊबैक लाभ का 50% प्राप्त होता है।

8. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आई.टी.आई.आर.)

- सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए नीतिगत संकल्प दिनांक 29-05-2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। ये क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा तथा इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों; सार्वजनिक उपयोगिताओं, आवासीय क्षेत्रों, सामाजिक मूलसंरचना तथा प्रशासनिक सेवाओं का संयोजन होंगे। ऐसे क्षेत्र नये एकीकृत टाउनशिपों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों आदि को शामिल कर सकते हैं।

9. पुरानी पूंजीगत वस्तुएं

- पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

10. अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना

इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, कम्प्यूटर तथा दूरसंचार उपस्कर के व्यवसाय से जुड़ी कम्पनी के मामले में अपनी ही संगठन में अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय के 150% तक भारित कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (2एबी) के उपबंध (1) के अंतर्गत उपलब्ध है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं:

- **इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार के संरक्षण को सहयोग देना:** इस योजना के अंतर्गत लघु एवं मझौले उद्योगों तथा नई प्रौद्योगिकी इकाइयों को उनकी अपनी खोजों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार आवेदन-पत्र दर्ज करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार दर्ज करने पर हुए वास्तविक व्यय के 50% की जाएगी, जो प्रति आवेदन-पत्र 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
- **गुणक अनुदान योजना:** इस योजना का उद्देश्य नवीन एवं व्यावसायिक रूप से उपयुक्त उत्पादों/पैकेजों के विकास के लिए उद्योग को प्रमुख शैक्षणिक एवं सरकारी अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार शैक्षणिक/अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में उद्योग/उद्योग संकाय/संघ द्वारा निवेश की गई राशि के अधिकतम दो गुणा तक अनुदान देगी।
- **प्रौद्योगिकी निर्माण की योजना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, आई.सी.टी. और प्रबंध के क्षेत्र में उद्यमकर्त्ता विकास (टाइड):** इस योजना का उद्देश्य उच्च अधिगम के संस्थानों (आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.आई.टी. तथा एन.आई.टी.) की उनके प्रौद्योगिकी निर्माण केन्द्रों को सुदृढ़ करने में सहायता देना है ताकि युवा उद्यमी उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए नई प्रौद्योगिकीय इकाइयां शुरू कर सकें।

महिला शिक्षा को बढ़ावा

***333. श्री नरहरि महतोः**

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं/बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गयी है; और

(घ) इन योजनाओं के अब तक क्या परिणाम मिले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रावधान है कि "शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन के एजेंट के रूप में उपयोग किया जाएगा। महिलाओं की निरक्षरता तथा प्रारंभिक शिक्षा में उनकी पहुंच तथा अवधारण में सन्निहित बाधाओं को दूर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जिसके लिए विशेष सहायता सेवाएं तथा प्रभावी मॉनीटरिंग का प्रावधान होगा। विभिन्न स्तरों पर वोकेशनल, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर भी विशेष बल दिया जाएगा।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित नीतिगत संरचना के अनुपालन में महिलाओं/बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय स्कूल, माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन, महिला समाख्या कार्यक्रम, पॉलीटेक्नीकों में महिला/बालिका छात्रावासों का निर्माण, प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के छात्रों हेतु बालिका छात्रावास निर्माण एवं संचालन की योजना शामिल हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी महिलाओं के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है, जैसे - इकलौती बालिका के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्तियां, महिला छात्रावासों का निर्माण, स्त्री-पुरुष अध्ययन तथा महिला सशक्तीकरण एवं समाज में उनकी भूमिका संबंधी नीतियों के लिए विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र, विश्वविद्यालय कर्मचारी/संकाय एवं विवाहित छात्रों के बच्चों के लिए दैनिक देखभाल केंद्र, महिलाओं के लिए छात्रा सदन, शौचालयों जैसी अनन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन की योजनाएं, उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों के लिए क्षमता-निर्माण तथा महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान अध्येतावृत्तियां। तकनीकी संस्थाओं के लिए 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त दाखिला क्षमता संस्वीकृत करते हुए उन्हें बालिकाओं की शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भी एक योजना है जिसके लिए शर्त यह है कि वे तकनीकी संस्थाएं 2:3:1 के अनुपात में बालिकाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के छात्रों में से कम से कम 10 प्रतिशत छात्रों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करें। अनन्य रूप से महिलाओं के लिए नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मानदंडों में छूट की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्त्री-पुरुष अंतर को कम करने और समानता को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ नए स्कूल, स्त्री-पुरुष तथा विकास अध्ययन स्कूल स्थापित करके विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षुओं तक पहुंचने के प्रयास कर रहा है। केन्द्रीय विद्यालयों में, छात्राओं से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है। केन्द्रीय विद्यालयों में एकल बालिका के 1-1-2006 से सभी शुल्कों से छूट दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्राओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया है।

(ग) हालांकि मंत्रालय की अधिकतर सामान्य प्रकृति की स्कीमों का लक्ष्य बालिकाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाना है, तथापि कुछ स्कीमों का केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से बालिका/महिला शिक्षा है। यद्यपि बहुत सी योजनाओं में व्यय का राज्यवार आबंटन अथवा ब्यौरा प्रदर्शित करना संभव नहीं है तथापि महिलाओं/बालिकाओं हेतु कुछ स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दी गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

(घ) उपरोक्त स्कीमों के सकारात्मक प्रभाव के

परिणामस्वरूप बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, बीच में पढ़ाई छोड़ कर जाने वाली बालिकाओं की संख्या में कमी हुई है, बालिकाओं/महिलाओं के अध्ययन उपलब्धि स्तर में सुधार हुआ है तथा स्त्री-पुरुष अंतर में कमी आई है।

विवरण-I

प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12895.01	9582.69	8520.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	90.18	51.43	12.72
3.	असम	123.66	122.09	61.29
4.	बिहार	7393.03	4806.03	3827.90
5.	छत्तीसगढ़	1740.96	1313.36	720.63
6.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
7.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	918.57	726.46	3131.98
9.	हरियाणा	485.20	484.61	433.55
10.	हिमाचल प्रदेश	73.66	71.10	74.91
11.	जम्मू-कश्मीर	46.42	997.59	359.36
12.	झारखंड	6088.85	4143.93	3933.98
13.	कर्णाटक	1159.83	553.09	773.50
14.	मध्य प्रदेश	13221.89	12067.03	13634.46
15.	महाराष्ट्र	1334.35	607.21	616.03
16.	मणिपुर	24.65	21.36	12.82
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	41.97	7.20	7.44
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	6175.88	4378.60	2825.93
21.	पंजाब	5.11	4.80	5.10
22.	राजस्थान	1806.28	12375.60	3933.72
23.	तमिलनाडु	2272.32	1279.99	1185.03
24.	त्रिपुरा	32.07	3.64	3.67
25.	उत्तर प्रदेश	23852.30	15354.00	14463.94
26.	उत्तराखण्ड	350.83	344.14	255.51
27.	पश्चिम बंगाल	2416.99	1547.57	1408.54
	कुल	82550.01	70843.52	60202.78

विवरण-II

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2535.00	11308.83	20380.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.13	383.03	2081.32
3.	असम	0.00	344.78	1228.73
4.	बिहार	2330.44	12974.40	22434.27
5.	छत्तीसगढ़	473.44	2034.78	2841.03
6.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	76.27
7.	दिल्ली	0.00	0.00	48.73
8.	गुजरात	127.50	1780.67	3131.98
9.	हरियाणा	36.56	480.67	380.84
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	127.99	158.60

1	2	3	4	5
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	1527.73	5644.53
12.	झारखंड	390.00	7511.85	7205.35
13.	कर्णाटक	0.00	958.31	1218.86
14.	मध्य प्रदेश	975.00	4199.16	8669.78
15.	महाराष्ट्र	109.69	1543.05	2609.72
16.	मणिपुर	33.98	37.43	34.32
17.	मेघालय	5.94	13.13	77.48
18.	मिजोरम	0.00	19.05	25.47
19.	नागालैंड	0.00	0.00	97.45
20.	उड़ीसा	0.00	3628.37	5140.89
21.	पंजाब	0.00	15.04	70.03
22.	राजस्थान	1689.38	4078.75	6297.81
23.	तमिलनाडु	706.30	1074.33	1292.72
24.	त्रिपुरा	0.00	35.83	91.35
25.	उत्तर प्रदेश	1608.75	13482.19	29090.13
26.	उत्तराखंड	180.00	582.93	975.08
27.	पश्चिमी बंगाल	357.94	1039.18	1377.07
	कुल	11633.05	69181.47	122679.90

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान महिला समाख्या के कार्यान्वयन के लिए राज्य महिला समाख्या सोसायटियों को जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	महिला समाख्या राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	312.00	500.00	484.89

1	2	3	4	5
2.	असम	353.00	350.00	341.74
3.	बिहार	300.00	500.00	346.70
4.	छत्तीसगढ़	0.00	15.00	22.00
5.	गुजरात	100.00	230.00	175.19
6.	झारखंड	100.00	105.00	425.05
7.	कर्णाटक	400.00	550.00	576.70
8.	केरल	210.00	50.00	153.23
9.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	15.00
10.	उत्तर प्रदेश	600.00	735.00	855.00
11.	उत्तराखंड	200.00	335.00	370.00
	कुल	2575.00	3370.00	3765.50

विवरण-IV

वर्ष 2008-09 के दौरान माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन की केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत संस्वीकृत वास्तविक राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	जारी निधियां
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	7,37.30
2.	गोवा	17.82
3.	दमन और दीव	3.63
4.	बिहार	7,83.15
5.	सिक्किम	16.56
6.	केरल	6,54.87
7.	हिमाचल प्रदेश	65.28
8.	दिल्ली	2,27.03
9.	पुडुचेरी	45.78
10.	दादर और नगर हवेली	24.54
11.	चंडीगढ़	10.17
12.	तमिलनाडु	36,38.76
13.	कर्नाटक	24,35.70
14.	राजस्थान	4,82.22
15.	मिजोरम	80.73
16.	पंजाब	9,05.73
17.	नागालैंड	4.83
	कुल	101,34.48

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए स्मार्ट कार्ड

***334. श्री आनंदराव अडसुल:**

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत स्मार्ट कार्ड जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परिवारों के चयन हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(घ) इस योजना के आरम्भ होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों/श्रमिकों को राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने स्मार्ट कार्ड जारी किये गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) जी हां। असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को नकद भुगतान किए बिना स्मार्ट कार्ड आधारित 30,000 रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' आरंभ की गयी थी। यह योजना 01-04-2008 से प्रभावी हो गयी थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पांच सदस्यों के परिवार को स्मार्ट कार्ड आधारित नकद भुगतान किए बिना स्वास्थ्य बीमा कवर।

(ii) पूर्व मौजूद सभी लोगों को शामिल किया जाना।

(iii) प्रसूति लाभ सहित अधिकांश बीमारियों के उपचार के लिए अस्पताल में होने वाला व्यय।

(iv) 1000 रुपये प्रतिवर्ष की कुल सीमा सहित 100 रुपये प्रति विजिट आने-जानेका व्यय।

(ग) ऐसे परिवारों के चयन हेतु अपनाया गया मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (बी.पी.एल.) में शामिल होना है।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को योजना के आरंभ से जारी किए गए स्मार्ट कार्डों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी किए गए स्मार्ट कार्ड	
		2008-2009	2009-2010 (30-06-2009 तक)
1	2	3	4
1.	बिहार	5,57,002	76,368
2.	छत्तीसगढ़	0	5,701
3.	दिल्ली	41,990	0
4.	गोवा	1,679	0
5.	गुजरात	6,70,517	8,681
6.	हरियाणा	4,01,587	2,23,859
7.	हिमाचल प्रदेश	78,370	1,872
8.	झारखंड	1,01,219	1,36,685

1	2	3	4
9.	केरल	7,03,570	2,73,542
10.	महाराष्ट्र	1,35,804	1,41,768
11.	नागालैंड	7,645	0
12.	पंजाब	76,528	17,826
13.	राजस्थान	1,20,123	0
14.	तमिलनाडु	57,925	12,766
15.	उत्तर प्रदेश	8,34,871	0
16.	उत्तराखंड	50,071	3,869
17.	पश्चिम बंगाल	1,19,327	21,106
18.	चंडीगढ़	3,627	68
	कुल	39,61,855	9,24,111

[हिन्दी]

छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले

***335. श्री लालजी टंडन:**

श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त करने अथवा फेल होने के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार/सी.बी.एस.ई. द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने अथवा इन परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त करने के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या करने से संबंधित छिटपुट घटनाओं के बारे में मीडिया में रिपोर्टें छपी हैं। हालांकि, यह कहना कठिन है कि इस प्रकार की आत्महत्या की घटनाएं केवल परीक्षा संबंधी तनाव के कारण हुई हैं क्योंकि विभिन्न समाजार्थिक कारणों से भी बच्चों में तनाव एवं चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

सरकार छात्रों में परीक्षा के भय को कम करने के प्रयोजनार्थ उपाय करने की आवश्यकता को समझती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने, ज्ञान के बोध और अनुप्रयोग पर बल देने, सतत और व्यापक मूल्यांकन करने पर विशेष ध्यान देने, बच्चों में विषय को रटने की प्रवृत्ति के बजाय उनकी क्षमता की जांच करने पर ध्यान देने, परीक्षा को अत्यधिक लचीली बनाने, विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श देने का प्रावधान करने और इन सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन को छात्र केन्द्रित बनाने जैसे उपाय करने की सिफारिशें की गई हैं।

परीक्षा के कारण विद्यार्थियों में तनाव कम करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

- आंतरिक स्कूल आधारित मूल्यांकन को उचित महत्व प्रदान करके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना।

- विद्यार्थियों की रटंत विद्या से इतर उनके अभिकल्पनात्मक ज्ञान एवं समझबूझ की जांच करने के प्रयोजनार्थ परीक्षा प्रणाली को पुनः तैयार किया गया है।
- कक्षा X तथा XII की परीक्षाओं में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना ताकि विद्यार्थीगण प्रश्नपत्रों को भलीभांति पढ़ सकें।
- सैम्पल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराना।
- प्रश्नपत्रों को इस प्रकार तैयार करना ताकि ढाई घंटे में इसका उत्तर दिया जा सके, हालांकि परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की है।
- विषयवस्तु आधारित परीक्षा के स्थान पर प्रश्न हल तथा सक्षमता आधारित परीक्षा को अपनाना।
- प्रैक्टिकलों को अधिक महत्व देना।
- अभिकल्पनामूलक समझबूझ में सुधार करने हेतु स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं शुरू करना।
- विद्यार्थियों तथा माता-पिता दोनों को टेलीफोन तथा आन लाइन के माध्यम से परामर्श सुविधा उपलब्ध करना।
- मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद विद्यार्थियों को कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति देना। कक्षा X में दो विषयों में तथा कक्षा-XII में एक विषय में पांच अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- परीक्षा हैल्प लाइन की स्थापना।

मॉडल स्कूल

***336. श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छह हजार नई क्वालिटी के मॉडल स्कूल खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) पिछले राज्यों के पिछड़े ब्लाकों में ऐसे विद्यालय खोलने में कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसे विद्यालय सहशिक्षा वाले होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) सरकार ने उत्कृष्टता संबंधी बेंचमार्क के रूप में प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल की दर से ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 2500 स्कूलों की स्थापना करने हेतु इस कार्यक्रम का प्रथम चरण नवम्बर, 2008 में प्रारंभ किया गया था। राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले इन स्कूलों हेतु केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के मध्य लागत साझेदारी 75:25 आधार पर होगी। इन स्कूलों की परिकल्पना सहशिक्षा आधारित है जिनमें VI से XII तक की कक्षाएं होंगी। आज की तारीख तक 15 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस योजना हेतु वर्ष 2009-10 के दौरान 350 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण टेलीफोनी

***337. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी आपरेटर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन अवसंरचना/नेटवर्क की स्थापना सहित अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के मामलों के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) संबंधी वर्तमान नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों पर कोई रॉल आउट दायित्व नहीं है। तथापि, निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों ने ग्रामीण टेलीफोनी के विकास में महत्वपूर्ण

योगदान दिया है तथा इन्होंने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एन.टी.पी.-99) में 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले 4% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में, मई 2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीघनत्व में 16% से अधिक की वृद्धि करने में सहायता प्रदान की है। कुल 135 मिलियन ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में से 78% कनेक्शन निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड

***338. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन (यू.एस.ओ.) फंड की कुल कायिक निधि कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार हेतु दूरसंचार विभाग को यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड की पूरी राशि जारी नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए उक्त फंड का दूरसंचार क्षेत्र में अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) निधि की कुल उपलब्ध राशि 11,243.88 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में दिए ब्यौरे के अनुसार यू.एस.ओ. निधि की आवश्यकता पूर्ण रूप से पूरी हो गई है।

(घ) और (ङ)

- जिन ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कोई मौजूदा मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है वहां मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए यू.एस.ओ. निधि के माध्यम से 7440 टावर स्थापित करने के लिए एक स्कीम प्रारंभ की गई थी। 30-6-2009 की स्थिति के अनुसार 5979 टावर स्थापित कर दिए गए हैं और शेष बचे टावरों को सितंबर, 2009 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है।
- जनवरी, 2009 में ग्रामीण वायर लाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्कीम शुरू की गई है। इससे लगभग 28000 सार्वजनिक अभिगम ब्रॉडबैंड कियोस्क और लगभग 9 लाख व्यक्तिगत और संस्थागत ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
- यू.एस.ओ. निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रदान करने और अप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की स्कीमों को भी शुरू किया जा रहा है।

विवरण

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) निधि की स्थिति

सार्वभौमिक सेवा शुल्क की वसूली और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संवितरण

यू.एस.ओ. निधि की स्थापना 01-04-2002 को की गई थी

(रुपये करोड़)

वर्ष	सार्वभौमिक सेवा शुल्क (यू.एस.एल.) के रूप में वसूल की गई निधि	आबंटित और संवितरित निधि	वर्ष के अंत में अंतिम शेष
1	2	3	4
2002-03	1653.61	300.00	1353.61

1	2	3	4
2003-04	2143.22	200.00	3296.83
2004-05	3457.73	1314.59	5439.97
2005-06	3533.29	1766.85	7206.41
2006-07	4211.13	1500.00	9917.54
2007-08	5405.46	1290.00	14033.00
2008-09	5759.52	1600.00	18192.52
कुल	26163.96	7971.44	

कुल 26,163.96 करोड़ रुपए की वसूली में से 7971.44 करोड़ रुपए यू.एस.ओ. निधि के कार्यकलापों के लिए संवितरित किए गए हैं और 6948.64 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति बी.एस.एन.एल. को उसके द्वारा दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों के भुगतान के प्रति की गई है। इस प्रकार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.) की 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कुल राशि 11,243.88 करोड़ रुपए की है।

विद्यालयों में दाखिला

***339. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में बच्चों के दाखिले की दर में सुधार लाने हेतु कोई अतिरिक्त व्यापक योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किए गए आवंटन सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का प्रावधान करता है। प्रारंभिक स्तर पर वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक राज्यवार बच्चों के नामांकन में वृद्धि तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2001-02 से 2008-09 तक की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए केन्द्रीय आवंटन का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

माध्यमिक स्तर (कक्षा IX और X) पर शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए मार्च 2009 में "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना की शुरुआत की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 20.120 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्ष 2009-10 में इस योजना के लिए 1353.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (कक्षा IX और XII) स्तर पर नामांकन में वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रारंभिक, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2001-02 से 2008-09 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नामांकन				सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2001-02 से 2008-09 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता (रु. लाख में)
		2001-02 प्रारंभिक स्तर (कक्षा I से VIII)	2006-07 प्रारंभिक स्तर (कक्षा I से VIII)	2001-02 माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा IX से XII)	2006-07 माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा IX से XII)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	11716192	11151902	2445067	3381462	231771.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	216412	287111	34534	47414	41690.93
3.	असम	5599258	4572519	922535	825733	183452.77
4.	बिहार	9722819	14277146	1132960	1113527	524086.265
5.	छत्तीसगढ़	4034226	4541401	569975	670092	210432.92
6.	गोवा	192719	184027	61592	62541	3156.22
7.	गुजरात	8875412	9093564	1712132	1851700	119805.08
8.	हरियाणा	2958433	3441030	876928	968080	83488.53
9.	हिमाचल प्रदेश	1120481	1081841	341078	414477	44132.93
10.	जम्मू-कश्मीर	1535407	1613864	344445	363433	96387.27
11.	झारखंड	3630632	5206503	325618	412831	261833.34
12.	कर्णाटक	9272741	8721648	1871153	2419763	222475.61

1	2	3	4	5	6	7
13.	केरल	4289578	4119092	1458292	1618685	48735.47
14.	मध्य प्रदेश	10952447	16318474	1516413	2528649	454146.979
15.	महाराष्ट्र	17253281	17974341	4249542	4777663	287344.72
16.	मणिपुर	425276	516600	84226	103036	7224.71
17.	मेघालय	423242	743437	56571	88558	30340.53
18.	मिजोरम	184119	205309	36137	39650	21143.91
19.	नागालैंड	278137	316986	39260	54635	152404.05
20.	उड़ीसा	6274000	6339418	1177000	1370919	229389.29
21.	पंजाब	3066089	2996700	856493	868885	71975.615
22.	राजस्थान	11238959	12891431	1434286	2036743	395249.577
23.	सिक्किम	101625	116118	12823	18496	5371.37
24.	तमिलनाडु	9197793	9807895	2484686	3152698	224709.41
25.	त्रिपुरा	626098	697525	104142	127914	32152.9089
26.	उत्तर प्रदेश	18049991	33264598	3318222	6222172	956808.92
27.	उत्तराखंड	1537238	1772876	380446	513585	67499.425
28.	पश्चिम बंगाल	13361989	12706818	1964505	2500416	326936.63
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	61714	60989	16732	20029	2119.48
30.	चंडीगढ़	95048	78238	39756	29080	3077.96

31.	दादरा और नगर हवेली	38448	51179	5069	7323	1182.5
32.	दमन और दीव	23654	25146	5747	6832	123.91
33.	दिल्ली	2177462	2539514	575368	756454	10651.69
34.	लक्षद्वीप	12770	11602	3140	4537	217.79
35.	पुडुचेरी	167605	178426	50342	64596	2276.48
	भारत	158711295	187885268	30507215	39442608	5226633.12

बड़े पत्तनों का विकास

***340. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़े पत्तनों के विकास कार्य में तेजी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर पत्तन-वार कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अन्तर्गत तथा निजी कम्पनियों द्वारा विकसित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) जी, हां। देश में महापत्तनों का शीघ्र विकास करने के लिएपोत परिवहन मंत्रालय ने पत्तन क्षेत्र के विकास के लिए विशिष्टि कार्यक्रम/स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु एक राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम (एन.एम.डी.पी.) को अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियाकलापों के संपूर्ण दायरे अर्थात् बर्थों का निर्माण/उन्नयन, मार्गों को गहरा करना, रेल/सड़क संपर्क परियोजनाएं, उपस्कर उन्नयन/आधुनिकीकरण स्कीमें और बैक-अप सुविधाओं के लिए अन्य संबंधित स्कीमों को शामिल करते हुए 2011-12 तक की अवधि के आरंभ किए जाने के लिए महापत्तनों में 276 परियोजनाओं को चुन लिया गया है। राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं पर पत्तन-वार संभावित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) महापत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत प्रचालनाधीन और निजी पार्टियों द्वारा जिन्हें विकसित किया गया, उन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चुनी गई 276 परियोजनाओं पर पत्तन-वार संभावित व्यय

क्र.सं.	पत्तन	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	कोलकाता	25	5302.20
2.	हल्दिया	15	1192.25
3.	पारादीप	28	2402.83
4.	विशाखापट्टणम	38	2621.00
5.	इन्नौर	14	6466.00
6.	चेन्नई	14	2247.14
7.	तूतीकोरिन	24	4571.25
8.	कोचीन	14	7920.00
9.	नव मंगलौर	20	7148.00
10.	मुरगांव	12	808.00

1	2	3	4
11.	मुम्बई	14	2766.06
12.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	32	7278.00
13.	कांडला	26	5081.00
	योग	276	55803.73

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/अभिकरण	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	बहु प्रयोजन बर्थ सं. 4 ए	कोलकाता पत्तन न्यास	126
2.	बहु प्रयोजन बर्थ सं. 12 का आबंटन	कोलकाता पत्तन न्यास	25.8
3.	आई.एफ.एफ.सी.ओ. को कैप्टिव कोयला बर्ध	पारादीप पत्तन न्यास	26.17
4.	कंटेनर टर्मिनल की स्थाना और विशाखापट्टणम पत्तन न्यास के बाह्य हार्बर में बहु प्रयोजन बर्थ पर कंटेनर संभलाई उपस्कर की आपूर्ति, स्थापना और प्रचालन सहित बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो आधार पर उसका प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंध करना।	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	94.5
5.	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास में बी.ओ.टी. आधार पर आंतरिक हार्बर के उत्तरी शाखा में बहु प्रयोजन बर्थों ई.क्यू.-8, ई.क्यू.-9 का निर्माण और उपस्कर प्रचालन के लिए लाइसेंस देना, प्रबंध और अनुरक्षण करना।	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	317
6.	चेन्नई में कंटेनर टर्मिनल स्टेज-I, 600 मीटर बर्थ	चेन्नई पत्तन न्यास	469.9
7.	चेन्नई में कंटेनर टर्मिनल स्टेज-II, 285 मीटर बर्थ	चेन्नई पत्तन न्यास	0
8.	कंटेनर टर्मिनल बर्थ सं. 7	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	100
9.	बी.पी.सी.एल. कोच्ची रिफाइनरी (पहले के.आर.एल.) के लिए क्रूड ऑयल हैंडलिंग सुविधा	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	720
10.	दो बर्थ कंटेनर टर्मिनल का निर्माण (एन.एस.आई.सी.टी.)	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	975
11.	तरल कार्गो टर्मिनल का निर्माण	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	200

1	2	3	4
12.	कंटेनर टर्मिनल में बल्क टर्मिनल का पुनर्विकास	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	900
13.	पांचवीं ऑयल जेट्टी (इफको)	कांडला पत्तन न्यास	21.5
14.	वाडीनार में ऑयल जेट्टी संबंधी सुविधाएं (इस्सार)	कांडला पत्तन न्यास	750
15.	कंटेनर टर्मिनल का विकास और प्रचालन	कांडला पत्तन न्यास	223
16.	मै. आई.ओ.सी.एल. को की गई ऑयल जेट्टी अवार्ड	कांडला पत्तन न्यास	20.7
17.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन का विकास	कांडला पत्तन न्यास	41.07

धनराशियों में संशोधन

3027. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने समूची ग्यारहवीं योजना अवधि हेतु योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन में संशोधन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में योजना आयोग की प्रतिक्रिया क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय की ग्यारहवीं योजना हेतु आबंटन में कोई परिवर्तन नहीं है जबकि वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक योजना आबंटन को 2400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

[हिन्दी]

शहीदों के परिवारों की स्थिति

3028. श्री हर्ष वर्धन:

श्री अशोक अर्गल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य कार्रवाईयों के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों के परिवारों की स्थिति की सावधिक जांच करने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से मारे गए सैनिकों की संख्या कितनी है;

(घ) मध्य प्रदेश सहित उनके परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि/मुआवजा दिया गया; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार कितने परिवारों को उक्त सहायता नहीं मिली है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (i) गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी के दौरान मारे गए (युद्ध हताहत) मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के सैनिकों की संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	अफसर	जे.सी.ओ.	ओ.आर.	कुल
2006	17	17	193	227
2007	16	27	175	218
2008	16	15	146	177

वर्ष	अफसर	जे.सी.ओ.	ओ.आर.	कुल
2009 (20 जुलाई 2009 तक)	5	3	60	68
जोड़	54	62	574	690

(ii) राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) निम्नलिखित परिस्थितियों के दौरान मरने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों के निकटतम संबंधी को केन्द्र सरकार से निम्नलिखित दरों पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है:-

(i) ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं की वजह से होने वाली मृत्यु-10 लाख रुपए।

(ii) आतंकवादियों की हिंसक कार्रवाई की वजह से ड्यूटी के दौरान होने वाली मृत्यु-10 लाख रुपए।

(iii) युद्ध अथवा सीमा पर झड़पों के दौरान शत्रु की कार्रवाई अथवा उग्रवादियों, आतंकवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई में होने वाली मृत्यु-15 लाख रुपए।

(iv) अंतरराष्ट्रीय युद्ध अथवा विशेष रूप से अधिसूचित युद्ध जैसी कार्रवाई में शत्रु की कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु-20 लाख रुपए।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है।

(ङ) सेना मुख्यालय के पास कोई दावा बकाया नहीं है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा

3029. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा के लिए विशेष सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में बीमांककों, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा पणधारियों (स्टेक होल्डर) को शामिल करते हुए जून, 2009 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास सुविधाएं

3030. श्री अशोक अर्गल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने केन्द्रीय विद्यालयों में अब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्थान-वार तथा राज्य-वार छात्रावास सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): 9 (नौ) केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन विद्यालयों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जिनमें छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं

क्र.सं.	छात्रावास सुविधाओं वाले केन्द्रीय विद्यालयों के नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय विद्यालय, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद (बालक)	गाजियाबाद-201002	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
2.	केन्द्रीय विद्यालय, लैंसडाउन (बालक)	जिला-पौडी (गढ़वाल)-246155	उत्तराखंड
3.	केन्द्रीय विद्यालय, जवाहरनगर (बालक)	सीतामढ़ी	बिहार
4.	केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, दिल्ली छावनी (बालक)	सदर बाजार रोड, दिल्ली छावनी-110010	दिल्ली
	केन्द्रीय विद्यालय, नं. 1, दिल्ली छावनी (बालिका)	सदर बाजार रोड, दिल्ली छावनी-110010	दिल्ली
5.	केन्द्रीय विद्यालय, झज्जर (बालक)	जिला-झज्जर-124104	हरियाणा
6.	केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, ग्वालियर (बालक)	शक्ति नगर, ग्वालियर-474002	मध्य प्रदेश
7.	केन्द्रीय विद्यालय, पचमढ़ी (बालक)	पचमढ़ी-461881	मध्य प्रदेश
8.	केन्द्रीय विद्यालय, ए.एस.सी. केन्द्र, बंगलौर (बालिका)	बंगलौर	कर्नाटक
9.	केन्द्रीय विद्यालय, वी.एस.एन., नागपुर (बालक)	नागपुर-440007	महाराष्ट्र
	केन्द्रीय विद्यालय, वी.एस.एन., नागपुर (बालिका)	नागपुर-440007	महाराष्ट्र

बी.एस.एन.एल. टावर का काम नहीं करना

3031. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार सहित देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) टावरों के काम नहीं करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या कर्नाटक सहित देश में गत एक वर्ष से बी.एस.एन.एल. के कई टावर अधिष्ठापित किए जाने के बाद भी बेकार पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन टावरों को शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इन्हें कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) टावरों में दिन प्रतिदिन आने वाली खराबियों, जिन्हें तत्काल ठीक कर दिया जाता है, को छोड़कर टावरों के खराब रहने संबंधी कोई भी पुरानी शिकायत लम्बित नहीं है।

(घ) से (च) मोबाइल टावर की संस्थापना और उसे चालू करना एक सतत प्रक्रिया है। मोबाइल टावरों को इन्हें चालू करने के उपस्करों को लाने के पहले ही संस्थापित कर दिया जाता है। अतः टावरों को संस्थापित करने और उन्हें चालू करने के बीच कुछ विलम्ब हो सकता है।

[अनुवाद]

शिक्षा हेतु आबंटन में वृद्धि

3032. श्री कोंडिकुन्नील सुरेश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार की इस क्षेत्र में व्यय के आवंटन में वृद्धि करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आबंटन में प्राथमिक, प्रौढ़ तथा उच्चतर शिक्षा पर व्यय शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस धनराशि में वृद्धि से देश में किस हद तक शिक्षा में सुधार लाने में सहायता मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) से (ङ) सरकार ने शिक्षा सेक्टर को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 2,69,873 करोड़ रु. (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग हेतु 1,84,930 करोड़ रु. तथा उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु 84,943 करोड़ रु.) का आबंटन किया है। यह Xवीं पंचवर्षीय योजना में 7.7% की तुलना में XIवीं पंचवर्षीय योजना के कुल आबंटन का 19.4% है। परिव्यय में वृद्धि का उद्देश्य नई संस्थाएं स्थापित करना, मौजूदा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भिक, माध्यमिक, प्रौढ़ तथा उच्चतर शिक्षा हेतु आबंटित राशि इस प्रकार है :-

(करोड़ रु.)

सेक्टर	XIवीं योजना हेतु आबंटन
प्रारम्भिक शिक्षा	125380
माध्यमिक शिक्षा	53550
प्रौढ़ शिक्षा	6000
उच्चतर शिक्षा (तकनीकी तथा अन्य सहित)	84943
कुल	269873

सामाजिक सुरक्षा कर

3033. डॉ. के.एस. राव: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में मंत्रियों के समूह की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु राजस्व सृजित करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक पृथक सामाजिक सुरक्षा कर लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सरकार द्वारा असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करने वाले केन्द्रीय विधान की जांच हेतु गठित किए गए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग की सिफारिशों पर भी चर्चा की थी। मंत्रियों के समूह और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 बनाया गया है।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर अलग से सामाजिक सुरक्षा कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कौशल विकास केन्द्र

3034. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्रों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में 50,000 कौशल विकास केन्द्र (एस.डी.सी.) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। योजना आयोग ने प्रति ब्लॉक एक कौशल विकास केन्द्र की दर पर 5000 कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु निजी भागीदारों को शामिल करते हुए तथा व्यवहार्यता अंतराल निधिकरण के लिए केन्द्र सरकार की भागीदारी को प्रतिबंधित कर श्रम और रोजगार मंत्रालय

के अंतर्गत एक नई केन्द्र प्रवर्तित योजना आरंभ करने को 'सिद्धांत रूप' से अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) परियोजना विकास कार्यकलाप आरंभ करने हेतु कार्य-संचालन सलाहकारों को पारिश्रमिक पर कार्य पर रखने के प्रयास आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ आरंभ किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में 5.95 करोड़ रु. की धनराशि का एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है। कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का कार्य जनवरी, 2010 से आरंभ होने की संभावना है।

[हिन्दी]

सामान का बहिष्कार

3035. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों/विदेशी फर्म द्वारा सामान के विनिर्माण में बाल श्रमिकों के शामिल होने के बहाने हाल ही में भारतीय सामान के बहिष्कार की कोई घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां। अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र फुटकर शृंखला, जी.ए.पी. ने भारतीय इकाइयों द्वारा बाल श्रम का उपयोग किए जाने के बहाने भारतीय वस्त्रों और परिधानों के आयात पर रोक लगायी थी।

(ग) सरकार ने कालीनों, परिधानों, कीमती पत्थर और जवाहरात, खेलों के सामान की निर्यात संवर्धन परिषदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की थी जिसमें सकारात्मक कदम उठाने जैसे बाह्य सामाजिक लेखा परीक्षाएं, स्थानीय प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग, बाल श्रमोन्मुख जिलों में ठोस कार्रवाई, आपूर्ति कड़ी की जांच से संबंधित निर्णय लिए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यातक, आपूर्तिकर्ता और उप-ठेकेदार बाल श्रम कानूनों का अनुपालन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महिला विश्वविद्यालय की स्थापना

3036. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में एक महिला विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या स्थिति है;

(ग) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन महाविद्यालयों में रैगिंग रोकने में हमें किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खनन महाविद्यालय

3037. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के खनन महावविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा सहित देश में कुछ खनन महाविद्यालयों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) सरकार ने देश में खनन कॉलेज स्थापित करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। तथापि, खनन इंजीनियरी कई इंजीनियरिंग संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में से एक है, जिसके मानदंड अनुमोदन प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी के लिए आयात नीति

3038. श्री सर्वे सत्य नारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्ची शक्कर की वर्तमान आयात नीति के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस उद्योग की ओर से आयात नीति की व्यवहार्यता के संबंध में रिपोर्ट/जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) निर्यात एवं आयात मदों के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के एक्जिम कोड सं. 1701 के अंतर्गत वर्गीकृत अपरिष्कृत चीनी मुक्त रूप से आयात योग्य है। तथापि, चीनीके आयात से संबंधित सभी संविदाओं का पंजीयन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास किया जाना अपेक्षित है। चीनी की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के चीनी मौसम के दौरान चीनी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम

चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) चीनी मिलों द्वारा अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत अपरिष्कृत चीनी का शून्य शुल्क पर आयात दिनांक 30-09-2009 तक करने की अनुमति प्रदान की गई है (दिनांक 17-02-2009 और 02-03-2009 को अधिसूचित);

(ii) चीनी मिलों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत अपरिष्कृत चीनी का शून्य शुल्क पर आयात दिनांक 01-08-2009 तक करने की अनुमति प्रदान की गई है (दिनांक 17-04-2009 को अधिसूचित);

(iii) सभी आयातित अपरिष्कृत चीनी से उत्पादित चीनी तथा आयातित सफेद/परिष्कृत चीनी के संबंध में लेवी की बाध्यता हटा दी गई है;

(iv) आयातित अपरिष्कृत चीनी से निर्मित प्रसंस्कृत चीनी, जिसकी बिक्री प्रसंस्करण के तीन माह के भीतर की जा सकती है; के त्वरित निर्गम की अनुमति प्रदान की गई है;

(v) एस.टी.सी./एम.एम.टी.सी./पी.ई.सी. तथा नेफेड द्वारा ओ.जी.एल. के अंतर्गत एक मिलियन टन तक सफेद/परिष्कृत चीनी के शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दिनांक 01-08-2009 तक प्रदान की गई है।

(vi) आयातित सफेद/परिष्कृत चीनी को घरेलू चीनी पर लागू विनियमित निर्गम तंत्र से मुक्त रखा गया है।

अवसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

3039. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने हाल में उद्योगों में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस उद्देश्य हेतु कितनी सहायता जारी की गई है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में करीम नगर तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में समतुल्य अनुदानों के साथ शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 23-02-2009 को औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) के संशोधित स्वरूप का अनुमोदन किया, जिसका लक्ष्य सरकारी-निजी भागीदारी के जरिये अवसंरचना के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। राज्य सरकारों

से इस योजना के संशोधित मानदंडों के अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है तथा हाल ही में कुछ राज्य सरकारों के साथ प्रारंभिक बैठक की गई। आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई डी.पी.आर. प्राप्त नहीं हुई है तथा संशोधित आई.आई.यू.एस. के तहत अभी तक किसी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3040. श्री पी. बलराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की धनराशि में भारी कमी आ सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) मौजूदा नीति खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति नहीं देती है। उक्त नीति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार में केवल 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देती है:-

(i) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल एकल ब्रांड के होने चाहिए।

(ii) उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उसी ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए।

(iii) एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार में केवल वे ही उत्पाद सम्मिलित होंगे जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्रांडेड किया गया है।

'असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार का प्रभाव विषय' पर भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार खुदरा कारोबार वर्ष 2006-07 में 322 बिलियन अमेरिकी डालर से प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत की दर से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 590 बिलियन अमेरिकी डालर तक हो जाने का अनुमान है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय भवनों का निर्माण

3041. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 14579 स्कूल भवनों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत स्कूल भवन (2009-10)

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत स्कूल भवन 2009-10
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	37
2.	अरुणाचल प्रदेश	190
3.	असम	1521
4.	छत्तीसगढ़	405
5.	हिमाचल प्रदेश	40
6.	जम्मू-कश्मीर	472

1	2	3
7.	झारखंड	1360
8.	कर्णाटक	317
9.	मध्य प्रदेश	684
10.	महाराष्ट्र	1755
11.	मेघालय	208
12.	मिजोरम	17
13.	उड़ीसा	2486
14.	पंजाब	659
15.	सिक्किम	4
16.	तमिलनाडु	836
17.	त्रिपुरा	240
18.	उत्तर प्रदेश	2025
19.	उत्तराखंड	182
20.	पश्चिम बंगाल	1136
21.	दादरा और नगर हवेली	3
22.	पुडुचेरी	2
	कुल	14579

जनजातीय विश्वविद्यालय

3042. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित देश के प्रत्येक राज्य में जनजातीय छात्रों के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना कब तक होने और इनके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) भारत में जनजातीय जनसंख्या के लिये उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुसाध्य बनाने तथा उनका संवर्धन करने के लिये मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से एक शिक्षण एवं संबंधन विश्वविद्यालय की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक समझे जाने वाले देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए गुजरात सहित देश के प्रत्येक राज्य में अलग से जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महात्मा गांधी शान्ति शिक्षा और सतत विकास संस्थान

3043. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) श्रेणी-I संस्थान के रूप में महात्मा गांधी शान्ति शिक्षा और सतत् विकास संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए यूनेस्को के एक दल ने हाल ही में देश की यात्रा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। शांति शिक्षा में शिक्षण अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु नई दिल्ली में संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। संस्थान के कार्यकलापों का मुख्य फोकस शिक्षा, सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने तथा मानवाधिकारों के सम्मान के माध्यम से शांति की संस्कृति को पोषित करने पर होगा। प्रस्ताव पर यूनेस्को के साथ-विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा यह अभी शुरुआती चरण में है।

कम आयु में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को रोजगार

3044. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रम कानूनों में संशोधन कर ने के लिए हाल ही में प्रस्तावित विधान में कम आयु वाले अठारह वर्ष से कम आयु में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शामिल करने का है ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके/उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 में प्रावधान है कि छह से चौदह आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अपने आसपास के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा

3045. श्री सज्जन वर्मा:

श्री हरिन पाठक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार के सहयोग से विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारों के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसे पूरा करने संबंधी समय-सीमा दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह गलियारा मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में किन-किन स्थानों से होकर गुजरेगा; और

(च) मध्य प्रदेश सहित राज्यों में स्थानों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में किस प्रकार के उद्योग लगाने की सिफारिश की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (च) दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) रेलवे मंत्रालय के वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर (डी.एफ.सी.) के साथ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। फेस-1 में संलग्न विवरण में यथा सूचीबद्ध 12 निवेश क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को विकास के लिए वर्गीकृत कर लिया गया है जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र के सभी 6 डी.एम.आई.सी. राज्यों को शामिल किया गया है।

परियोजना के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी, डी.एम.आई.सी. विकास निगम (डी.एम.आई.सी.डी.सी.) ने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक नोड के लिए सापेक्ष तथा विकास योजना तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। फलस्वरूप निगम ने समग्र डी.एम.आई.सी. क्षेत्र की मास्टर प्लानिंग के लिए मै. स्कॉट विल्सन को परामर्श सेवा प्रदान की है। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में वैयक्तिक निवेश नोडल की मास्टर प्लानिंग के लिए परामर्श सेवाएं क्रमशः मै. हालक्रो कंसल्टिंग इंडिया प्रा. लि., मै. ली एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा. लि. तथा मै. जुरोंग कंसल्टेंट्स इंडिया प्रा. लि. को भी प्रदान की गई हैं। इन रिपोर्टों का अगस्त, 2009 तथा मार्च, 2010 के बीच आने का अनुमान है।

विवरण

राज्य का नाम	डी.एम.आई.सी. के फेस-1 में विकास के लिए वर्गीकृत नोड्स
1	2
उत्तर प्रदेश	दादरी-नोयडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र
	मेरठ-मुज्जफरनगर औद्योगिक एरिया
हरियाणा	मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र
	फरीदाबाद-पलवल औद्योगिक एरिया
मध्य प्रदेश	पीतमपुरा-धार-मऊ निवेश क्षेत्र
	नीमच-नया गांव औद्योगिक एरिया

1	2
राजस्थान	कुशखडा-भिवाडी-नीमराणा निवेश क्षेत्र
	जयपुर-दौसा औद्योगिक एरिया
गुजरात	अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र
	वडोदरा-अंकलेश्वर औद्योगिक एरिया
महाराष्ट्र	इगतपुरी-नासिक निवेश क्षेत्र
	डिगी स्थित ग्रीनफील्ड पोर्ट के साथ औद्योगिक एरिया

फातमी समिति

3046. श्री जगदानन्द सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फातमी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में अल्पसंख्यकों हेतु सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास योजनाओं पर कुल कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है; और

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) फातमी समिति द्वारा की गई सिफारिशें केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक के शैक्षिक विकास योजनाओं से संबंधित हैं। इस प्रकार की योजनाओं हेतु बजटीय आबंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) यद्यपि, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कोई विशिष्ट समय-अनुसूची तैयार नहीं की गई है, अपितु उनके शैक्षिक विकास हेतु योजनायें जारी हैं।

विवरण

(क) 11वीं योजना के दौरान 325 करोड़ रु. के आबंटन के साथ "मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना" नामक एक संशोधित योजना प्रारम्भ की गई है। पूर्व संशोधित योजना के तहत 10वीं योजना के दौरान 4168 मदरसों में 7829 शिक्षकों को मानदेय प्रदान करने हेतु 15 राज्यों को 65.27 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 5297 मदरसों में 10214 शिक्षकों को मानदेय प्रदान करने हेतु 15 राज्यों को 99.06 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है।

(ख) 11वीं योजना में 125.00 करोड़ रु. की लागत से अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित व निजी रूप से प्रबंधित प्रारम्भिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गई है। अब तक इस योजना के तहत 25.00 लाख रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) ने वर्ष 2008-09 के दौरान अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी कार्यशालायें संचालित की हैं जिसके लिए 9.50 लाख रु. का कुल बजट प्रावधान था।

(घ) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के लिए 11वीं योजना के तहत आबंटन 125.00 करोड़ रु. का है जिसमें लखनऊ में मदरसों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्चतर अध्ययन हेतु एक अरबी-फारसी केन्द्र, जिसका कार्य संचालन प्रारम्भ हो चुका है, की स्थापना हेतु 14 करोड़ रु. शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को 26.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की है जिसमें से 16.00 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है जिसकी सहायता से निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की गई है:-

(i) हैदराबाद में पॉलिटेक्निक संस्थान जिसमें 5 ट्रेड मौजूद हैं।

(ii) 3 ट्रेड के साथ दरभंगा तथा बंगलौर में पॉलिटेक्निक संस्थान।

(iii) नूहं, हरियाणा में मॉडल स्कूल।

(iv) कॉलेज ऑफ एजूकेशन, औरंगाबाद।

(ङ) वर्ष 2009-10 हेतु बजट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुर्शिदाबाद तथा मल्लापुरम स्थित परिसरों में से प्रत्येक के लिए 25.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(च) (i) अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग तथा अल्पसंख्यक महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए 11वीं योजना अवधि में बजट आबंटन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी की गई राशि
1.	महिला छात्रावास का निर्माण	2104.00
2.	अ.ज./अ.ज.ज./अल्प./अ.पि.व. हेतु उपचारी कोचिंग कक्षाएं	98.30
3.	अ.ज./अ.ज.ज./अल्प./अ.पि.व. हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षायें	54.08
4.	अ.ज./अ.ज.ज./अल्प./अ.पि.व. के विद्यार्थियों हेतु एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी. परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु कोचिंग कक्षायें	34.18

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक अपवर्जन तथा समावेश नीति अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने हेतु दिशा-निर्देश अनुमोदित किए हैं और 35 विश्वविद्यालयों (अर्थात वर्ष 2006-07 के दौरान 13 विश्वविद्यालय तथा वर्ष 2007-08 के दौरान 22 विश्वविद्यालय) में ये केन्द्र संस्वीकृत किए हैं और इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अब तक 14.00 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

(छ) अल्पसंख्यकों की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2007-08 के दौरान 53 अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में 431.53 लाख रु. की राशि जारी की गई।

(ज) (i) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2006-07 (10वीं योजना) के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल जिलों के संबंध में बजट आबंटन 4752.51 करोड़ रु. था जबकि 11वीं योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान यह आबंटन 16228.44 करोड़ रु. था।

(ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत प्रारम्भिक शिक्षा की सुलभता से संबंधित 7 सूचकों में दिनांक 31-3-2009 तक हुई प्रगति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	सूचक	राष्ट्रीय लक्ष्य	मुस्लिम बहुल जिलों के संबंध में लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	निर्मित किए जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या	22922	4404	3266	74%
2.	निर्मित किए जाने वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	20243	4145	2662	64%
3.	निर्मित किए जाने वाले अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की संख्या	115758	21102	15563	74%
4.	खोले जाने वाले नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	9838	1423	1386	97%

1	2	3	4	5	6
5.	खोले जाने वाले नए उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	19910	4301	3176	74%
6.	शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या	107444	21945	15759	72%
7.	संस्वीकृत किए जाने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	479	168	133	79.16%

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में निःशक्त छात्रों के लिए केन्द्र

3047. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निःशक्त छात्रों के लिए विशेष विभाग या केन्द्रों की स्थापना करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता देने तथा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में निःशक्तता संबंधी अध्ययन हेतु राजीव गांधी चेयर (पीठ) भी शुरू करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आदर्श पाठ्यक्रम विकास समिति की स्थापना के प्रथम चरण की शुरुआत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठो गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा प्रत्येक राज्य में कम से कम एक राज्य विश्वविद्यालय को विकलांगता अध्ययन विभाग की स्थापना करने हेतु सहायता प्रदान करने की सलाह दी है, जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सभी मुद्दों विशेषकर मानव अधिकार, पुनर्वास, शिक्षा इत्यादि से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को विकलांगता अध्ययन विभाग की स्थापना करने हेतु विचार करने के लिये लिखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी विकलांगता अध्ययन पीठ की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वीं योजना की कार्य योजना के एक भाग के रूप में पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

आमों का निर्यात

3048. श्री एल. राजगोपाल:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आम उत्पादन संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आमों की गुणवत्ता में गिरावट के कारण अन्य देशों को आमों के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) निर्यात संवर्धन बोर्ड के माध्यम से आमों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(च) फलों और अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) के पास कितने संगठन पंजीकृत हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2007-08 के दौरान देश में आमों के राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	उत्पादन	राज्य	उत्पादन
आन्ध्र प्रदेश	38.65 लाख मी. टन	तमिलनाडु	7.54 लाख मी. टन
उत्तर प्रदेश	32.57 लाख मी. टन	महाराष्ट्र	7.11 लाख मी. टन
कर्णाटक	13.38 लाख मी. टन	पश्चिम बंगाल	6.23 लाख मी. टन
गुजरात	9.30 लाख मी. टन	केरला	4.45 लाख मी. टन
बिहार	8.75 लाख मी. टन	अन्य	9.99 लाख मी. टन
	कुल	137.9 लाख मी. टन	

स्रोतः राष्ट्रीय बागवानी डाटाबेस

(ख) से (घ) निर्यात के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मौसम की अनिश्चितता के कारण गुणवत्ता खराब रहने के परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 में आम के निर्यातों में गिरावट आई थी लेकिन वर्ष 2008-09 में निर्यातों में पुनः बढ़ोतरी हुई है जिसमें मात्रा के रूप में वर्ष 2007-08 की तुलना में 43.76% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ङ) सरकार आवश्यक तकनीकी जानकारी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तथा निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.) जैसी निर्यात संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वयन कर रही है। एपीडा द्वारा अवसंरचना विकास स्कीम, गुणवत्ता विकास स्कीम, बाजार विकास स्कीम तथा अनुसंधान एवं विकास स्कीम जैसी अपनी स्कीमों के जरिए फल एवं सब्जियों तथा प्रसंस्कृत खाद्य मदों आदि के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(च) एपीडा द्वारा बागवानी पैक हाउसों को मान्यता प्रदान करने संबंधी स्कीम के अंतर्गत आम के पैक हाउसों को पंजीकृत किया जाता है। एपीडा के पास आम हेतु निम्नलिखित 18 पैक हाउस पंजीकृत हैं:

महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रत्नागिरी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जालान, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, वाशी, महाराष्ट्र
गुजरात एग्रो पैक हाउस प्रा. लि., वेरावल	माग्रीट एक्सपोर्ट्स लि., चेन्नई
सांची एक्सपोर्ट (इंडिया) धरमपुर	निक्को नामधारी फूड्स प्रा. लि., नासिक
देसाई फ्रूट एंड वैज प्रा. लि., नवसारी, देसाई	विजय लक्ष्मी एग्रो सर्विस सेंटर, विजयवाड़ा,
कृषि उत्पादन मंडी समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	होता एग्रो टैक प्रा. लि., हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
के.बी. एक्सपोर्ट्स, अहमदनगर, महाराष्ट्र	कृषि उत्पादन मंडी समिति, शामली, सहारनपुर
पश्चिम बंगाल खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी विकास निगम लि. मालदा	आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि., नुजविड
आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि., तिरूपति	गाला फूड्स लि., तिरूपति

बी.एड. और शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन

3049. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री पी. लिंगम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षण का स्तर बहुत ही घटिया है इसलिए देश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए बी.एड. और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या बी.एड. महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम को उन्नत बनाए जाने और इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संशोधित पाठ्यक्रमों की तर्ज पर तैयार किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) देश में शिक्षक शिक्षा कार्यप्रणाली में सुधार करने का सरकार का प्रयास निरंतर जारी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद गुणवत्तापरक शिक्षक शिक्षा के लिए विनियम तथा मानक और प्रतिमानक तैयार करती है और समय-समय पर उनकी समीक्षा करती है। शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एन.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 13 और 17 के अंतर्गत निरीक्षण किए जाते हैं। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को आवश्यकता आधारित मान्यता प्रदान करने के लिए एन.सी.टी.ई. स्कूल स्तर पर 2007-08 से 2016-2017 तक शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के मांग और पूर्ति के अनुमान का अध्ययन कर रहा है। केन्द्र सरकार विभिन्न संस्थाओं, जैसे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक शिक्षा कालेज और शिक्षा में उच्च अध्ययन के संस्थान आदि के माध्यम से स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। ऐसे प्रशिक्षणों की गुणवत्ता की लगातार मानीटरिंग की जाती है और उसे पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और स्कूल शिक्षकों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाता है, ताकि उनके शिक्षा-शास्त्रीय कौशल और संदर्भगत ज्ञान में वृद्धि हो सके।

(ग) और (घ) बी.एड. के पाठ्यक्रम और सभी अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोन्नत करने के लिए शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के अनुसार एक संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को एन.सी.टी.ई. द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

उद्योगों में विदेशी निवेश

3050. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत में जापान और अन्य देशों के साथ संयुक्त उद्यमों में कुछ उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक संयुक्त उद्यम में जापान द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जापान कुछ और संयुक्त उद्यमों में भी निवेश करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारतीय कंपनियों में अप्रैल, 2006 से अप्रैल, 2009 तक किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में दिए गए। (एफ.डी.आई.) अंतर्वाह के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) अप्रैल, 2006 से अप्रैल, 2009 तक एफ.डी.आई. अंतर्वाह के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जापान द्वारा किए गए एफ.डी.आई. अंतर्वाह के कंपनी-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 2008 हेतु जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जे.बी.आई.सी.) की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, जापानी विनिर्माण कंपनियों द्वारा मध्य अवधि में विदेशों में कारोबार चलाने के लिए भारत दूसरा सबसे आशाजनक देश है। भारत एवं चीन के बीच का अंतर क्रमिक रूप से घटता जा रहा है।

विवरण-I

अप्रैल, 2006 से अप्रैल, 2009 तक देशवार एफ.डी.आई. अंतर्वाह संबंधी विवरण

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	देश का नाम	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाहों की राशि		अंतर्वाहों सहित प्रतिशत
		(रुपये में)	(अमेरिकी डालर में)	
1	2	3	4	5
1.	मॉरीशस	1,314,589.92	30,149.40	45.37
2.	सिंगापुर	313,227.68	7,227.56	10.81
3.	यू.के.	170,162.80	3,937.34	5.87
4.	यू.एस.ए.	165,833.52	3,815.51	5.72
5.	न दर्शाए गए देश	164,919.89	3,911.28	5.69
6.	एन.आर.आई.	150,314.36	3,503.74	5.19
7.	साइपर्स	107,237.64	2,397.91	3.70
8.	नीदरलैण्ड	97,204.96	2,244.95	3.35
9.	जापान	64,234.20	1,467.73	2.22
10.	जर्मनी	54,563.40	1,281.18	1.88
11.	यू.ए.ई.	34,863.22	802.76	1.20
12.	फ्रांस	32,156.72	730.50	1.11
13.	केमन द्वीप समूह	22,403.68	555.53	0.77
14.	स्वीटजरलैण्ड	21,182.53	486.64	0.73
15.	इटली	20,274.25	482.58	0.70
16.	बरमुडा	19,991.14	446.78	0.69
17.	स्पेन	17,857.19	418.48	0.62
18.	रूस	16,125.12	333.53	0.56

1	2	3	4	5
19.	ब्रिटिस विर्जिनिया	14,518.71	342.36	0.50
20.	होंगकोंग	13,084.96	303.34	0.45
21.	कोरिया (दक्षिण)	12,306.43	287.13	0.42
22.	बेलजियम	8,996.71	200.44	0.31
23.	कनाडा	8,913.76	204.59	0.31
24.	स्वीडन	7,995.38	188.79	0.28
25.	आस्ट्रेलिया	7,186.12	163.13	0.25
26.	मलेसिया	6,163.87	134.02	0.21
27.	फिनलैण्ड	4,229.05	88.38	0.15
28.	लक्जमबर्ग	3,760.85	85.87	0.13
29.	आयरलैण्ड	2,617.90	62.70	0.09
30.	दक्षिण अफ्रीका	2,082.33	46.12	0.07
31.	ओमान	1,641.15	40.43	0.06
32.	आस्ट्रिया	1,629.50	37.35	0.06
33.	डेनमार्क	1,160.74	27.20	0.04
34.	ताइवान	1,050.07	23.66	0.04
35.	वेस्ट इंडिज	890.26	21.04	0.03
36.	नार्वे	850.96	20.17	0.03
37.	कजाकिस्तान	810.05	17.39	0.03
38.	थाइलैण्ड	797.25	18.84	0.03
39.	इजराइल	728.54	17.84	0.03
40.	चेक गणराज्य	696.05	16.24	0.02
41.	नेवीस	618.12	13.95	0.02
42.	न्यूजीलैण्ड	581.88	14.06	0.02
43.	बेलारूसीया	467.77	11.51	0.02
44.	पनामा	462.64	11.05	0.02

1	2	3	4	5
45.	श्रीलंका	458.18	10.53	0.02
46.	बहरीन	419.47	10.16	0.01
47.	इंडोनेसिया	408.22	9.75	0.01
48.	चीन	399.00	8.48	0.01
49.	म्यंमार	355.15	8.91	0.01
50.	जिबराल्टर	343.18	8.25	0.01
51.	पुर्तगाल	322.59	7.95	0.01
52.	साऊदी अरबिया	317.54	7.82	0.01
53.	सेन्ट विन्सेट	286.34	6.67	0.01
54.	माल्टा	277.20	6.30	0.01
55.	फिजी द्वीपसमूह	222.98	5.07	0.01
56.	बहमास	207.25	4.97	0.01
57.	चीले	205.87	4.70	0.01
58.	कोरिया (उत्तरी)	183.86	3.87	0.01
59.	चेनल द्वीपसमूह	141.38	3.26	0.00
60.	कुवैत	140.50	3.07	0.00
61.	विरजिन द्वीपसमूह	139.96	3.00	0.00
62.	निगेरिया	137.34	2.89	0.00
63.	घाना	135.61	3.08	0.00
64.	केन्या	113.53	2.66	0.00
65.	इस्ले ऑफ मैन	112.69	2.73	0.00
66.	स्लोवाकिया	110.50	2.58	0.00
67.	आइस लैण्ड	100.86	2.05	0.00
68.	उरगुवे	94.83	2.13	0.00
69.	यमन	74.50	1.81	0.00
70.	ब्रिटिश द्वीपसमूह	67.35	1.60	0.00

1	2	3	4	5
71.	ब्राजील	65.57	1.61	0.00
72.	लिचटेन्सटेन	55.96	1.30	0.00
73.	जोर्डन	47.86	0.98	0.00
74.	सिचेलैस	43.58	1.08	0.00
75.	वानुआटु	40.75	0.87	0.00
76.	स्कोटलैण्ड	31.20	0.69	0.00
77.	लाइबेरिया	30.78	0.77	0.00
78.	तुर्की	30.75	0.72	0.00
79.	कोलम्बिया	30.19	0.69	0.00
80.	तनजानिया	17.28	0.43	0.00
81.	ग्रीस	12.73	0.30	0.00
82.	लेबनान	11.01	0.24	0.00
83.	इस्टोनिया	10.66	0.25	0.00
84.	जैमका	10.00	0.22	0.00
85.	फिलीपिंस	9.55	0.22	0.00
86.	क्रोसिया	8.75	0.22	0.00
87.	नेपाल	4.90	0.12	0.00
88.	कोंगो (डी.आर.)	4.40	0.11	0.00
89.	मालदीव	4.21	0.10	0.00
90.	पश्चिमी अफ्रीका	3.86	0.10	0.00
91.	लीबिया	2.55	0.06	0.00
92.	लाटविया	2.50	0.06	0.00
93.	एफ.आई.आई.	2.46	0.06	0.00
94.	पोलैण्ड	2.24	0.05	0.00
95.	सूडान	2.16	0.04	0.00
96.	जाम्बिया	2.00	0.04	0.00

1	2	3	4	5
97.	यूगांडा	1.63	0.04	0.00
98.	हंगरी	1.10	0.03	0.00
99.	कतर	0.94	0.02	0.00
100.	मैक्सिको	0.90	0.02	0.00
101.	वियतनाम	0.89	0.02	0.00
102.	निकोसिया	0.30	0.01	0.00
103.	इरान	0.18	0.00	0.00
104.	यूक्रेन	0.10	0.00	0.00
105.	क्रजिस्तान	0.10	0.00	0.00
106.	अफगानिस्तान	0.09	0.00	0.00
107.	पूर्वी अफ्रीका	0.06	0.00	0.00
108.	मोरक्को	0.05	0.00	0.00
109.	रोमानिया	0.05	0.00	0.00
110.	डी.जी.आई.बी.ओ.यू.टी.आई.	0.04	0.00	0.00
	कुल योग	2,897,653.49	66,736.76	

विवरण-II

अप्रैल, 2006 से अप्रैल, 2009 तक क्षेत्रवार एफ.डी.आई. अंतर्वाह का विवरण
(आर.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	आर.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों की राशि	
			(रुपये में)	(अमेरिकी डालर में)
1	2	3	4	5
1.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादर तथा नागर हवेली, दमन और दीव	1,223,874.70	27,925.27

1	2	3	4	5
2.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ भाग	353,747.01	8,244.95
3.	अहमदाबाद	गुजरात	216,454.72	4,994.39
4.	बंगलौर	कर्नाटक	188,391.34	4,356.35
5.	चैन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	160,969.51	3,630.42
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	120,541.70	2,822.76
7.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार, आइसलैंड	41,483.89	1,000.32
8.	जयपुर	राजस्थान	20,540.07	434.46
9.	पणजी	गोआ	6,633.60	149.54
10.	कोची	केरल, लक्ष्यदीप	6,119.36	141.95
11.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	4,933.80	111.36
12.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	2,733.13	63.98
13.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	1,874.66	44.26
14.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	1,220.40	26.77
15.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	716.32	16.36
16.	पटना	बिहार, झारखंड	6.00	0.13
17.	वे क्षेत्र जिन्हें दर्शाया नहीं गया है।		547,413.26	12,773.47
		कुल योग	2,897,653.49	66,736.76

टिप्पणी:-

1. केवल "इक्विटी पूंजी व संघटक" शामिल हैं।
2. उपर्युक्त राज्यवार अन्तर्वाहों को आर.बी.आई. मुंबई द्वारा प्रस्तुत किए गए आर.बी.आई. के क्षेत्रवार अन्तर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

विवरण-III

अप्रैल, 2006 से अप्रैल, 2009 तक कंपनीवार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह संबंधी विवरण

देश जापान

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	एफ.डी.आई. की राशि (मिलियन में)	
		(रुपये करोड़ में)	(अमेरिकी डालर में)
1	2	3	4
1.	जाड्राइव सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	1.36	0.03
2.	जाड्राइव सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.13	0.00
3.	जाड्राइव सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.14	0.00
4.	जाड्राइव सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.14	0.00
5.	जाड्राइव सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	1.35	0.03
6.	इन्टरटच (आई) प्रा. लि.	0.10	0.00
7.	इन्टरटच (आई) प्रा. लि.	0.00	0.00
8.	नकागवा स्पेशल स्टील (आई) प्रा. लि.	0.40	0.01
9.	आई.एल. एंड एफ.एस. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर	22.50	0.55
10.	मेलोग स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा. लि.	102.92	2.55
11.	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि.	0.15	0.00
12.	सुजूकी पावर ट्रेन इंडिया लि.	1,421.00	36.03
13.	एसाईफार्मा टेक्नालोजी एण्ड मैन्युफैक्चरिंग	3.92	0.10
14.	एसाईफार्मा टेक्नालोजी एण्ड मैन्युफैक्चरिंग	0.04	0.00
15.	एसाईफार्मा टेक्नालोजी एण्ड मैन्युफैक्चरिंग	0.00	0.00
16.	एसाईफार्मा टेक्नालोजी एण्ड मैन्युफैक्चरिंग	100.00	2.53
17.	यामाहा मोटर इंडिया प्रा. लि.	3,000.00	75.93
18.	ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लि.	540.03	13.67
19.	एन.एन.आर. ग्लोबल लोजस्टिक इंडिया प्रा. लि.	21.52	0.54
20.	मंकी लायन रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग डेव. प्रा. लि.	0.06	0.00
21.	टाटा याजाकी आटोकंप प्रा. लि.	125.00	3.07

1	2	3	4
22.	सोना कायो स्टेरिंग सिस्टम लि.	37.47	0.92
23.	रेडबैक नेटवर्क्स इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00
24.	टरबोलाइनेक्स इंडिया प्रा. लि.	14.86	0.36
25.	टरबोलाइनेक्स इंडिया प्रा. लि.	12.24	0.30
26.	टोयोटा टसूशो इंडिया प्रा. लि.	220.37	5.45
27.	वेरटैक्स सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.16	0.00
28.	ओबारा इंडिया प्रा. लि.	4.00	0.10
29.	फरुसिम्हा आई.टी.सी. इन्सपैक्शन सेन्टर प्रा. लि.	9.12	0.23
30.	निचीया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	170.00	4.31
31.	हानकूक लेटक्स प्रा. लि.	49.61	1.26
32.	एन.एन.आर. ग्लोबल लोजस्टिक इंडिया प्रा. लि.	6.44	0.16
33.	एसाईफार्मा टेक्नालोजी	164.00	4.16
34.	हानकूक लेटक्स प्रा. लि.	41.18	1.04
35.	चेसिस हील एण्ड लाइफस्टाइल प्रा. लि.	0.15	0.00
36.	याकल्ट डानोम इंडिया प्रा. लि.	675.00	17.14
37.	बेलसोनिका आटो कंपोनेंट्स	84.00	2.13
38.	यामाहा मोटर इंडिया सेल्स प्रा. लि.	1,500.00	38.10
39.	ग्लोबल आटो पार्ट्स एलाइन्स इंडिया प्रा. लि.	4.95	0.13
40.	ग्लोबल आटो पार्ट्स एलाइन्स इंडिया प्रा. लि.	4.95	0.13
41.	ग्लोबल आटो पार्ट्स एलाइन्स इंडिया प्रा. लि.	263.00	6.68
42.	ग्लोबल आटो पार्ट्स एलाइन्स इंडिया प्रा. लि.	263.00	6.68
43.	निजी इन बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि.	0.01	0.00
44.	फरुसिम्हा आई.टी.सी. इन्सपैक्शन सेन्टर प्रा. लि.	1.30	0.03
45.	सिस्टम कन्सल्टेन्ट इन्फार्मेशन (आई) प्रा. लि.	34.37	0.87
46.	सिस्टम कन्सल्टेन्ट इन्फार्मेशन (आई) प्रा. लि.	66.65	1.68
47.	ऐआई पेपर (आई) प्रा. लि.	0.40	0.01

1	2	3	4
48.	यूनिवर्सल सोमोप जनरल इन्सोरेन्स कं. लि.	1,248.00	31.41
49.	इंडिया जिलेटिन एण्ड केमिकल्स लि.	22.54	0.57
50.	वाटानाबे वेब पब्लिशिंग प्रा. लि.	0.00	0.00
51.	मत्सुसिता वाशिंग मशीन इंडिया प्रा. लि.	504.91	12.71
52.	टेइजिन इंडिया प्रा. लि.	5.70	0.14
53.	टास एक्सप्रेस (आई) प्रा. लि.	1.50	0.04
54.	अहरेस्टी इंडिया प्रा. लि.	210.00	5.25
55.	अहरेस्टी इंडिया प्रा. लि.	119.90	3.00
56.	अहरेस्टी इंडिया प्रा. लि.	140.00	3.50
57.	अहरेस्टी इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00
58.	जापान टेलीकाम इंडिया प्रा. लि.	0.09	0.00
59.	निची इन बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि.	0.03	0.00
60.	मैसर्स पापाइरस इंडिया सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	4.00	0.09
61.	मायटास इन्फ्रा. लि.	17.97	0.43
62.	मायाटास इन्फ्रा. लि.	21.42	0.51
63.	टोयो इंक (आई) प्रा. लि.	164.20	3.90
64.	टेइजिन इंडिया प्रा. लि.	3.80	0.09
65.	ओमरान आटोमोटिव कंपोनेंट्स (आई) प्रा. लि.	149.90	3.56
66.	नोमुरा इंडिया एडवाइजरी प्रा. लि.	60.90	1.45
67.	काली मेडिया प्रा. लि.	7.54	0.18
68.	निची इन सॉफ्टवेयर सोल्युसन्स प्रा. लि.	3.54	0.09
69.	एनेस्ट आईवाटा मदरसन प्रा. लि.	5.10	0.13
70.	सोना कायो स्टेरिंग सिस्टम लि.	62.26	1.56
71.	अहरेस्टी इंडिया प्रा. लि.	0.10	0.00
72.	निची इन सॉफ्टवेयर सोल्युसन्स प्रा. लि.	5.50	0.13
73.	जापान सी.बी.एम. कार्पोरेशन (इंडिया) प्रा. लि.	30.27	0.71

1	2	3	4
74.	मुगेन होस्पीटेलिटी प्रा. लि.	4.50	0.11
75.	मुगेन होस्पीटेलिटी प्रा. लि.	2.20	0.05
76.	वेरटैक्स सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.22	0.01
77.	वेरटैक्स सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.27	0.01
78.	सेन्यो (आई) प्रा. लि.	900.00	21.02
79.	दाईवा सक्युरिटिज् एस.एम.बी.सी. इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00
80.	आई-पोक इंडिया प्रा. लि.	0.02	0.00
81.	टाटसुनो (आई) प्रा. लि.	56.20	1.31
82.	कलारिको एफ.पी.सी. (इंडिया) प्रा. लि.	0.20	0.00
83.	मैसर्स एसाईफार्मा टेक्नालोजी एण्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि.	300.00	6.99
84.	अरकरे पीरामल मेडिकल प्रा. लि.	30.60	0.71
85.	मारुबेनी मोटर्स इंडिया प्रा. लि.	2.90	0.07
86.	निकोन इंडिया प्रा. लि.	80.00	1.86
87.	नोमुरा इंडिया एडवाइजरी प्रा. लि.	725.94	16.91
88.	यामाहा म्यूजिक इंडिया प्रा. लि.	198.00	4.61
89.	नरेन्द्रा प्लास्टिक प्रा. लि.	299.99	6.99
90.	एडेका इंडिया प्रा. लि.	13.50	0.30
91.	ओबारा इंडिया प्रा. लि.	4.00	0.10
92.	एम.के.जे. ज्वैलरी प्रा. लि.	7.94	0.20
93.	एक्जेमप्लर निहोन स्पाइन्डल मैन्यु. कं. प्रा. लि.	5.00	0.13
94.	डेन्ट्सु मारकोम प्रा. लि.	5.21	0.13
95.	शिन निप्पोन बायोमेडिकल लबोरेट्री इंडिया	6.00	0.14
96.	मित्सुबिसी कार्पो. इंडिया प्रा. लि.	151.50	3.71
97.	एन्कर इलेक्ट्रीकल्स	4,256.70	104.28
98.	योकाहामा इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00
99.	योकाहामा इंडिया प्रा. लि.	19.20	0.47

1	2	3	4
100.	एन.जी.के. स्पार्क प्लैग इंडिया प्रा. लि.	200.00	4.90
101.	क्लारिको एफ.पी.सी. (इंडिया) प्रा. लि.	0.20	0.00
102.	मेलोग स्पेशिलिटी केमिकल्स प्रा. लि.	34.00	0.79
103.	सुपर टी.यू.जी. ऑफशोर सर्विसेज प्रा. लि.	94.77	2.21
104.	मित्सुबिशी यू.एफ.जे. सिक्युरिटीज इंडिया प्रा. लि.	78.80	1.84
105.	स्टार यूनियन डाई-इची लाइफ इन्सोरेन्श कं. लि.	0.00	0.00
106.	स्टार यूनियन डाई-इची लाइफ इन्सोरेन्श कं. लि.	13.00	0.30
107.	निकोन इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00
108.	माइडो इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	0.13	0.00
109.	मैसर्स विनसिनफोटेक प्रा. लि.	5.90	0.13
110.	मैसर्स विनसिनफोटेक प्रा. लि.	5.68	0.12
111.	एन.एस.के.-ए.बी.सी. बियरिंग लि.	374.50	8.22
112.	यामोटो स्केल इंडिया प्रा. लि.	9.98	0.22
113.	यामोटो स्केल इंडिया प्रा. लि.	0.53	0.01
114.	अजीनोमोटो इंडिया प्रा. लि.	6.00	0.13
115.	आई.एल. एंड एफ.एस. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर	356.98	8.85
116.	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि.	0.07	0.00
117.	पेनासोनिक इंडिया प्रा. लि.	400.00	8.69
118.	हिताची मेट्ल्स (आई) प्रा. लि.	9.00	0.20
119.	तोशिबा मशीन (आई) प्रा. लि.	15.12	0.33
120.	अनन्त राज इंडस्ट्रीज लि.	420.00	9.25
121.	एरिनो डेन्सो इलैक्ट्रीकल्स प्रा. लि.	2.12	0.05
122.	एम.के.जे. ज्वैलरी प्रा. लि.	8.82	0.19
123.	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि.	0.68	0.01
124.	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि.	0.32	0.01
125.	शिन थर्मो डायनेमिक इंजीनियरिंग प्रा. लि.	1.16	0.03

1	2	3	4
126.	टोकियाई इम्पीरियल रबड़ इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	43.32	0.95
127.	एनेस्ट आईवाटा मदरसन प्रा. लि.	10.20	0.22
128.	एन.टी.एन. मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्रा. लि.	149.90	3.30
129.	सिमप्लैक्स सोल्युशन्स प्रा. लि.	2.46	0.05
130.	वर्धमान स्पाइनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि.	2.30	0.05
131.	वर्धमान स्पाइनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि.	4.60	0.10
132.	मैसर्स साउण्डमैटर ऑडियो मल्टीमिडिया डेस. लि.	0.00	0.00
133.	पराज इंडस्ट्रीज लि.	97.54	2.15
134.	एन.वाई.के. मास्टर आटो लोजिस्टिक लि.	44.40	0.98
135.	एन.जी.के. प्लग (आई) प्रा. लि.	40.00	0.88
136.	एन.जी.के. प्लग (आई) प्रा. लि.	0.00	0.00
137.	लीकलेस गास्केट (आई) प्रा. लि.	0.45	0.01
138.	मदरसन सुमी इन्फो-टेक डिजाइन लि.	40.00	0.88
139.	सिमप्लैक्स सोल्युशन प्रा. लि.	0.39	0.01
140.	सुमिटोमो केमिकल इंडिया प्रा. लि.	210.00	4.62
141.	पासको जिओमैटिक इंडिया लि.	5.94	0.13
142.	ओबारा इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00
143.	ओबारा इंडिया प्रा. लि.	0.50	0.01
144.	ए.जी.ई. सोल्युशन प्रा. लि.	0.35	0.01
145.	निचीयास इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	44.55	1.00
146.	निचीयास इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	0.45	0.01
147.	सुमिटोमो केमिकल इंडिया प्रा. लि.	278.82	6.29
148.	सातेक (आई) इंजीनियरिंग प्रा. लि.	1.00	0.02
149.	निप्पोन लीकलेस टालब्रास प्रा. लि.	72.00	1.62
150.	सातेक (आई) इंजीनियरिंग प्रा. लि.	0.00	0.00
151.	सातेक (आई) इंजीनियरिंग प्रा. लि.	0.00	0.00

1	2	3	4
152.	एनेस्ट आइवाटा मदरसन प्रा. लि.	10.20	0.23
153.	बिस्टेक्स एम.एम. (आई) प्रा. लि.	7.00	0.16
154.	बिस्टेक्स एम.एम. (आई) प्रा. लि.	1.00	0.02
155.	एच.आई.सी. इंडिया सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.40	0.01
156.	एच.आई.सी. इंडिया सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.24	0.01
157.	एच.आई.सी. इंडिया सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	0.16	0.00
158.	रिसो (आई) प्रा. लि.	62.90	1.42
159.	बिस्टेक्स एम.एम. (आई) प्रा. लि.	1.00	0.02
160.	होरिबा (आई) प्रा. लि.	18.72	0.42
161.	मिसोनो रेस्टोरेन्ट प्रा. लि.	0.46	0.01
162.	आयलको सर्विसेज इंडिया लि.	0.06	0.00
163.	टाटा आटोकैम्प जीवाई बैटरीज प्रा. लि.	40.00	0.99
164.	टाटा आटोकैम्प जीवाई बैटरीज प्रा. लि.	70.00	1.73
165.	मेहता ट्यूब्स लि.	41.67	1.03
166.	शिनेत्सु पोलीमर (आई) प्रा. लि.	0.85	0.02
167.	शिनेत्सु पोलीमर (आई) प्रा. लि.	0.15	0.00
168.	सोना फुजी किको आटोमोटिव लि.	20.00	0.50
169.	इंडिया यामाहा मोटर्स प्रा. लि.	1,499.90	37.17
170.	कोसो फ्लूड कन्ट्रोल्स प्रा. लि.	53.67	1.25
171.	इमासेन मैन्युफक्चरिंग इंडिया प्रा. लि.	100.00	2.34
172.	इमासेन मैन्युफक्चरिंग इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00
173.	आलोक ट्रीवेट्रोन मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रा. लि.	120.00	2.80
174.	यामाहा मोटर इंडिया सेल्स प्रा. लि.	1,900.00	44.35
175.	मारूवा इलैक्ट्रोनिक्स	0.10	0.00
176.	टाकसागो इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लि.	3.29	0.08
177.	सैन्यो बी.पी.एल. प्रा. लि.	1,100.00	25.68

1	2	3	4
178.	आई.वी.आर. प्राइम अरबन डिवलेपर्स लि.	7.89	0.19
179.	जे.टी.ई.के.टी. सोना आटोमोटिव इंडिया लि.	51.00	1.27
180.	सेनको किसेन सिहार्स (आई) प्रा. लि.	2.55	0.06
181.	टाटा मेटालिक्स कूबाटा पाइप्स लि.	73.50	1.82
182.	पापीरूस (आई) सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	16.00	0.40
183.	सोना ओकेगावा प्रीक. फोर्जिन लि.	77.98	1.93
184.	आदेका इंडिया प्रा. लि.	1.50	0.03
185.	सुपर टग आफशोर सर्विसेज प्रा. लि.	0.10	0.00
186.	एनेस्ट आइवाटा मदरसन प्रा. लि.	5.10	0.10
187.	ताईयो ल्यूसिड प्रा. लि.	12.00	0.25
188.	ताईयो ल्यूसिड प्रा. लि.	6.00	0.12
189.	मित्सुबिसी एच.आई. (आई) प्रीसिजन टूल्स लि.	440.00	9.04
190.	यामाटो लोजस्टिक (आई) प्रा. लि.	0.00	0.00
191.	यामाटो लोजस्टिक (आई) प्रा. लि.	17.50	0.36
192.	अस्का रियल्टी प्रा. लि.	1.30	0.03
193.	टोकाई रबड़ आटो-पार्ट्स (आई) प्रा. लि.	100.40	2.05
194.	अस्का रियल्टी प्रा. लि.	1.40	0.03
195.	आईटोचु (आई) प्रा. लि.	445.25	10.56
196.	एम.एम.सी. हार्ड मेटल इंडिया प्रा. लि.	40.00	0.89
197.	आर्यभट्ट कन्सल्टिंग प्रा. लि.	0.20	0.00
198.	नागासे (आई) प्रा. लि.	99.00	2.25
199.	शोई फिनिशिंग प्रा. लि.	0.23	0.01
200.	एम.ओ.एल. इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी (आई) प्रा. लि.	10.90	0.26
201.	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि.	0.06	0.00
202.	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि.	0.18	0.00
203.	ओटसुका केमिकल्स (आई) प्रा. लि.	18.00	0.39

1	2	3	4
204.	मारूबेनी आईटोचू स्टील इंडिया प्रा. लि.	0.22	0.00
205.	निपसिया पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	88.46	1.90
206.	सिस्टम कन्सल्टेन्ट इन्फार्मेशन (आई) प्रा. लि.	40.17	0.86
207.	निची इन सॉफ्टवेयर सोल्युसन्स प्रा. लि.	1.50	0.04
208.	ज्योति लि.	116.58	2.86
209.	सेइको वाच इंडिया प्रा. लि.	44.99	1.10
210.	इंडियन स्टील कार्पोरेशन लि.	13.16	0.32
211.	तानला सोल्यूशन्स लि.	22.01	0.54
212.	जापान सी.बी.एम. कार्पोरेशन (इंडिया) प्रा. लि.	19.63	0.43
213.	निची इन बायो साइंसेज प्रा. लि.	2.15	0.05
214.	निची इन बायो साइंसेज प्रा. लि.	2.90	0.06
215.	पृथ्वी इंफोर्मेशन सोल्युशन लि.	0.01	0.00
216.	पृथ्वी इंफोर्मेशन सोल्युशन लि.	0.01	0.00
217.	राजमीन फोटो गैलरी प्रा. लि.	0.03	0.00
218.	निची मदरसन टूल टेक्नालॉजी लि.	6.50	0.16
219.	टोयो इंक इंडिया प्रा. लि.	242.90	5.96
220.	कोबाल्को कन्सट्रक्शन इक्यूपमैन्ट इंडिया प्रा. लि.	90.00	2.21
221.	कोबाल्को कन्सट्रक्शन इक्यूपमैन्ट इंडिया प्रा. लि.	30.00	0.74
222.	इंडो जापान पेन मैन्यू. कं. प्रा. लि.	8.29	0.19
223.	ओरिक्स आटो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स सर्विसेज लि.	170.00	3.86
224.	टोकाई इम्पीरियल रबड़ इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	44.28	1.01
225.	निप्पोन पेन्ट्स (आई) प्रा. लि.	94.00	2.14
226.	बिस्टेक्स एम.एम. (आई) प्रा. लि.	273.00	6.20
227.	बिस्टेक्स एम.एम. (आई) प्रा. लि.	39.00	0.89
228.	बिस्टेक्स एम.एम. (आई) प्रा. लि.	39.00	0.89
229.	बी कोर साफ्टवेयर (आई) प्रा. लि.	1.42	0.03

1	2	3	4
230.	तानला सोल्युशन्स लि.	0.01	0.00
231.	तानला सोल्युशन्स लि.	0.01	0.00
232.	तानला सोल्युशन्स लि.	0.01	0.00
233.	तानला सोल्युशन्स लि.	0.01	0.00
234.	निक्को नामधारी फूड्स प्रा. लि.	15.00	0.37
235.	सिसमैक्स ट्रानसासिया बायोमेडिकल्स प्रा. लि.	69.53	1.72
236.	टाटा मेटालिक्स कूबाटा पाइप्स लि.	184.60	4.31
237.	यामागाटा प्रिन्ट सोल्युशन्स (चेन्नई) प्रा. लि.	4.00	0.09
238.	यामागाटा प्रिन्ट सोल्युशन्स (चेन्नई) प्रा. लि.	0.99	0.02
239.	योकामाहा (आई) प्रा. लि.	225.00	5.25
240.	बेलासोनिका आटो कंपोनेन्ट्स (आई) प्रा. लि.	161.00	3.76
241.	याचिओ (आई) मन्युफैक्चरिंग प्रा. लि.	20.00	0.39
242.	सुमिटोमो (शी) कन्सट्रक्शन मशीनरी प्रा. लि.	1.75	0.03
243.	डी.एम.सी. आटोमोटिव प्रा. लि.	12.70	0.26
244.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंशोरेन्स कं. लि.	1,248.00	25.56
245.	फुकुई एसेन्ट ट्रेडिंग (आई) प्रा. लि.	0.10	0.00
246.	फुकुई एसेन्ट ट्रेडिंग (आई) प्रा. लि.	0.82	0.02
247.	स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंशोरेन्स कं. लि.	13.00	0.27
248.	वानेस टेक. प्रा. लि.	3.36	0.07
249.	सी.बी.सी. कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.	70.00	1.43
250.	मित्सुई केमिकल इंडिया प्रा. लि.	132.56	2.71
251.	मित्सुई केमिकल इंडिया प्रा. लि.	300.00	6.14
252.	ईसिडा इंडिया प्रा. लि.	19.90	0.41
253.	एस.एन.के. इंडिया प्रा. लि.	8.91	0.18
254.	एस.एन.के. इंडिया प्रा. लि.	0.99	0.02
255.	स्टार यूनियन डाई-इची लाइफ इन्शोरेन्स कं. लि.	260.00	5.08

1	2	3	4
256.	स्टार यूनियन डाई-इची लाइफ इन्शोरेन्स कं. लि.	52.00	1.02
257.	महेन्द्रा रेनाल्ट निसान आटोमोटिव प्रा. लि.	15.00	0.29
258.	हायाकावा आई.एन.टी.एल. इंडिया प्रा. लि.	0.70	0.01
259.	माइटेक्स पॉलीमर्स (आई) प्रा. लि.	149.99	2.93
260.	माइटेक्स पॉलीमर्स (आई) प्रा. लि.	0.02	0.00
261.	याचिओ (आई) मैन्युफक्चरिंग प्रा. लि.	0.30	0.01
262.	सुमिटोमो (शी) कन्सट्रक्शन मशीनरी प्रा. लि.	33.25	0.65
263.	याचिओ (आई) मैन्युफक्चरिंग प्रा. लि.	99.70	1.95
264.	आई.टी.ओ. प्रिसिजन टेकनोलॉजीज् प्रा. लि.	4.00	0.08
265.	आईटोचु इंडिया प्रा. लि.	795.68	15.89
266.	ओम मारूबेनी लोजिस्टिक्स प्रा. लि.	5.50	0.11
267.	दैकिन एयरकंडिशनिंग इंडिया (प्रा.) लि.	1,320.00	26.37
268.	अशोक लिलेंड निसान व्हीकल्स प्रा. लि.	0.25	0.00
269.	अशोक लिलेंड निसान व्हीकल्स प्रा. लि.	24.50	0.49
270.	कुरारे इंडिया प्रा. लि.	30.00	0.60
271.	मित्सुई किन्जोकु कंपोनेन्ट्स इंडिया प्रा. लि.	200.00	4.00
272.	हाइलेक्स इंडिया प्रा. लि.	83.02	1.66
273.	जे.एम.एफ. सिन्थेटिक्स इंडिया प्रा. लि.	2.16	0.04
274.	डेन्यो इंडिया प्रा. लि.	9.08	0.18
275.	जे.एम.एफ. सिन्थेटिक्स इंडिया प्रा. लि.	2.16	0.04
276.	सिस्टम कन्सल्टेन्ट इन्फार्मेशन (आई) प्रा. लि.	36.95	0.82
277.	डैफुकु इंडिया प्रा. लि.	19.80	0.44
278.	डैफुकु इंडिया प्रा. लि.	0.20	0.00
279.	इंडियन स्टील कार्पोरेशन लि.	7.79	0.17
280.	जे.ए.आर.टी.बी.बी. ह्युमैन रिसोर्सेज एण्ड सॉफ्टवेयर (प्रा.) लि.	0.00	0.00
281.	जे.ए.आर.टी.बी.बी. ह्युमैन रिसोर्सेज एण्ड सॉफ्टवेयर (प्रा.) लि.	0.15	0.00

1	2	3	4
282.	पापीरूस इंडिया सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	10.00	0.22
283.	अस्ती इलैक्ट्रोनिक्स इंडिया प्रा. लि.	15.00	0.33
284.	अस्ती इलैक्ट्रोनिक्स इंडिया प्रा. लि.	7.00	0.16
285.	पारकर इंजीनियरिंग (आई) प्रा. लि.	6.00	0.13
286.	ऑप्टिस इंन्फोर्मेशन सर्विसेज इंडिया (प्रा.) लि.	8.39	0.18
287.	कासेई सिगुल टेक. इंडिया प्रा. लि.	7.20	0.16
288.	कासेई सिगुल टेक. इंडिया प्रा. लि.	4.80	0.11
289.	सिम्पलैक्स सोल्युशन्स प्रा. लि.	0.76	0.02
290.	मुसासी आटो पार्ट्स (आई) प्रा. लि.	400.00	8.60
291.	यूनिटैक्स इंटरनेशनल प्रा. लि.	4.50	0.10
292.	यूनिटैक्स इंटरनेशनल प्रा. लि.	4.50	0.10
293.	एक्सल पेपर कोर एण्ड ट्यूब प्रा. लि.	2.07	0.05
294.	शिनसेई कार्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि.	24.90	0.56
295.	शिनसेई कार्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि.	21.60	0.48
296.	फुमिटेक मिनेरल्स प्रा. लि.	11.10	0.25
297.	एनस्ट आइवाटा मदरसन प्रा. लि.	5.10	0.11
298.	याकुल्ट डानोमी (आई) प्रा. लि.	5.00	0.11
299.	पाटनी कंप्यूटर्स सिस्टम्स लि.	0.02	0.00
300.	इडेमित्सु लूबे इंडिया प्रा. लि.	19.80	0.45
301.	यामाज्की माजक इंडिया प्रा. लि.	1.50	0.03
302.	टाटा याजाकी आटोकम्प प्रा. लि.	36.00	0.73
303.	डायासेल्विरल टेक्नोलॉजिज (आई) प्रा. लि.	4.00	0.08
304.	याचिओ (आई) मैन्युफक्चरिंग प्रा. लि.	40.00	0.82
305.	स्पेन निहोन कोहडेन डायग्नोजटिक्स प्रा. लि.	6.60	0.14
306.	हीरो मोटर्स सेल्स इंडिया प्रा. लि.	130.00	2.64
307.	हीरो मोटर्स सेल्स इंडिया प्रा. लि.	47.00	0.95

1	2	3	4
308.	ब्रोदर आई.एन.टी.एल. इंडिया प्रा. लि.	80.50	1.63
309.	पिनोलैक्स जे. पावर सिस्टम्स प्रा. लि.	204.00	4.14
310.	पोलिमाटेक इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	15.30	0.31
311.	आई.एम.ए.सी.बी.सी. डायमण्ड एक्सपोर्ट प्रा. लि.	1.00	0.02
312.	यूनाईटेड ओसियन शिप मैनेजमैन्ट प्रा. लि.	8.58	0.17
313.	ओप्टो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	30.00	0.61
314.	ओप्टो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	40.00	0.81
315.	ई.के.के. इजेल प्रोडक्ट्स इंडियन प्रा. लि.	0.00	0.00
316.	मिहाशी डेकोर प्रा. लि.	0.01	0.00
317.	निप्पोन एक्सप्रेस (इंडिया) प्रा. लि.	300.00	5.86
318.	टाटा टेलीसर्विसेज	5,677.47	110.83
319.	एन.वाई.के. मास्टर आटो लोजिस्टिक लि.	6.66	0.13
320.	जी ट्रेडिंग प्रा. लि.	0.09	0.00
321.	रिसो इंडिया प्रा. लि.	0.10	0.00
322.	एन.वाई.के. लोजिस्टिक (इंडिया) लि.	10.00	0.23
323.	ग्लोबल आटो पार्ट्स एलाइन्स इंडिया प्रा. लि.	0.05	0.00
324.	होरिबा इंडिया प्रा. लि.	0.10	0.00
325.	इगाले पूनावाला	44.15	1.00
326.	निपा केमिकल लि.	111.38	2.51
327.	माइडो इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1.75	0.04
328.	टाटा टेलीसर्विसेज	1,022.63	20.43
329.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.48	0.07
330.	टाटा टेलीसर्विसेज	4,651.36	92.91
331.	एन.वाई.के. मास्टर आटो लोजिस्टिक लि.	6.66	0.13
332.	कैपिटल कार प्रा. लि.	37.20	0.80
333.	एवरग्रीन आटोकोम (आई) प्रा. लि.	0.10	0.00

1	2	3	4
334.	ईटोचु इंडिया प्रा. लि.	0.50	0.01
335.	एम.ओ.एल. इंन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी (आई) प्रा. लि.	10.00	0.22
336.	ओवरसीज कूरियर सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि.	83.60	2.12
337.	यूनीप्रैस आटोपार्ट्स इंडिया प्रा. लि.	0.01	0.00
338.	सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया प्रा. लि.	1.84	0.04
339.	इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लाइजिंग एण्ड फाइनेन्सियल एस. लि.	737.31	15.15
340.	टोकाई रबड़ आटो पार्ट्स इंडिया	0.00	0.00
341.	एन्कोर इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	14,408.34	341.85
342.	निसन ब्रेक इंडिया प्रा. लि.	0.05	0.00
343.	मीहाशी डेकोर प्रा. लि.	0.10	0.00
344.	एस.एन.के. इंडिया प्रा. लि.	0.01	0.00
345.	मुन्जाल किरियू इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	271.16	5.95
346.	यामाटो लोजस्टिक (आई) प्रा. लि.	0.10	0.00
347.	इंडियन स्टील कार्पोरेशन	54.54	1.27
348.	मारूबेनी मोटर्स इंडिया लि.	0.10	0.00
349.	ट्रबोलाइनेक्स (आई) प्रा. लि.	0.10	0.00
350.	एज्यूकेशनल इनिसिएटिव प्रा. लि.	6.11	0.15
351.	ए.टी.आर. ग्लास प्रोसिज सिस्टम्स	1.17	0.03
352.	विसमा इंजीनियरिंग जापान इंडो प्रा. लि.	0.05	0.00
353.	वेरटैक्स साफ्टवेयर	155.06	3.94
354.	राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेस सेन्टर	0.05	0.00
	कुल योग	64,234.20	1,467.73

[अनुवाद]

बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं हेतु राष्ट्रीय बोर्ड

3051. श्री तथागत सत्पथी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं हेतु देश में 33 राज्य बोर्डों के स्थान पर एक राष्ट्रीय/व्यापक बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एक बोर्ड के गठन से होने वाले लाभों के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नई व्यवस्था के कब तक लागू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनुमोदन

3052. श्री जगदम्बिका पाल:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अनुमोदन देने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए यू.जी.सी. द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए और इनमें से कितने अनुरोध अस्वीकृत/नामंजूर किए गए तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) व्यावसायिक शिक्षा के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में आजीविका संबंधी पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु सहायता प्रदान करता है जिसके लिए पात्रता मानदंड यह है कि लाभग्राही विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए सक्षम घोषित किया गया हो।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र तथा समेकित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

माध्यमिक शिक्षा में विधि विषय

3053. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में विधि विषय को शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर "विधि" को एक अलग विषय के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा माध्यमिक स्तर हेतु तैयार किए गए पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों तथा विशेष रूप से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र अर्थात लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता आदि में विधि के विभिन्न तत्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कक्षा XI के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, अधिकारों तथा नागरिकता जैसे विषयों को शामिल किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर "मानव विकास तथा जेंडर अध्ययन" नामक वैकल्पिक विषय शुरू किया है।

चाय बोर्ड के कार्यालय

3054. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में चाय बोर्ड के नए कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) कॉफी बोर्ड के कार्यालय आवश्यकतानुसार खोले जाते हैं। हाल ही में कॉफी बोर्ड ने असम में डिब्रूगढ़ तथा उत्तर बंगाल में जलपाइगुड़ी में नए कार्यालय खोले हैं।

फलों और सब्जियों का निर्यात

3055. श्रीमती मेनका गांधी:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किए गए फलों और सब्जियों की मात्रा और मूल्य का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन देशों को फलों और सब्जियों का निर्यात किया गया और इन्हें कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या फलों और सब्जियों के निर्यात का प्रतिशत इसके उत्पादन की तुलना में संतोषजनक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार के निर्यात पर आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जी.एम.) फसलों के आयात के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (अप्रैल, 08-जून, 09) के दौरान एपीडा द्वारा सूचित फलों एवं सब्जियों के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा: मी. टन में, मूल्य: लाख रु. में)

उत्पाद	2006-07		2007-08		2008-09 (अप्रैल 08-जनवरी 09)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुल सब्जियां	1655198	159645	1358841	152527	1676598	186582
कुल फल	347660	87188	365732	91186	349547	79599
कुल फल एवं सब्जियां	2002858	246833	1724573	243733	2026145	266181

स्रोत: एपीडा-डी.जी.सी.आई.एस.

निर्यात के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) विभिन्न देशों को फलों एवं सब्जियों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(मात्राः मी. टन में, मूल्यः लाख रु. में)

देश	2006-07		2007-08		2008-09 (अप्रैल 08-जनवरी 09)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बांग्लादेश	555,601.06	46,931.15	502,231.24	56,079.05	689,192.66	70,977.03
यू.ए.ई.	379,171.72	48,881.66	283,024.64	43,067.26	300,321.40	47,590.95
मलेशिया	326,428.31	28,308.24	203,733.68	21,055.25	240,996.98	26,741.18
पाकिस्तान	122,755.71	11,795.63	114,030.16	13,119.27	167,529.78	14,907.70
श्रीलंका	165,254.26	14,947.15	141,940.45	11,712.61	147,755.88	15,644.94
नेपाल	125,694.60	7,126.55	153,633.62	9,205.31	143,348.95	8,248.47
अन्य	327,952.00	88,842.18	325,979.81	89,472.83	337,000.37	82,069.82
कुल	2,002,857.66	246,832.56	1,724,573.60	243,711.58	2,026,146.02	266,180.09

स्रोतः ए.पी.डी.ई.ए.-डी.जी.सी.आई.एस.

(ग) और (घ) वर्ष 2007-08 के दौरान भारत में सब्जियों के 126 मिलियन मी. टन के उत्पादन की तुलना में केवल 1.72 मिलियन मी. टन का निर्यात हुआ है जो कि कुल उत्पादन का 1.36% है। इसी प्रकार, फलों के 65.3 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 2 मिलियन टन के निर्यात से 3.96% हिस्सा प्रदर्शित होता है। उत्पादन की तुलना में निर्यातों का कम हिस्सा कई कारणों से रहा है जिनमें उच्च घरेलू खपत, खण्डित खाद्य आपूर्ति शृंखला, लघु जोत क्षेत्र, उपयुक्त अवसंरचना का अभाव, संभार तंत्र की उच्च लागत, वैश्विक मानकों को पूरा करने में कठिनाइयां, उच्च अंतर्राष्ट्रीय परिवहन लागत आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं।

बीड़ी कामगारों हेतु कल्याण योजनाएं

3056. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बीड़ी कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अन्य कल्याण गतिविधियों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत आबंटित जारी और उपयोग में लाई गयी निधियों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं का मूल्यांकन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) बीड़ी श्रमिकों हेतु कार्यान्वित कल्याण योजनाएं सभी राज्यों पर समान रूप से अनुप्रयोज्य हैं। योजनाओं के नामों और ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। (i) वर्ष 2008 में "श्रीराम सैन्टर, नई दिल्ली" द्वारा शिक्षा शीर्ष के तहत छात्रवृत्ति योजना का अध्ययन किया गया था। मुख्य अनुशंसाएं छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्रता हेतु अर्हता अंकों के पुनरीक्षण से संबंधित हैं। सिफारिसों को बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि

संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया है। (ii) मंत्रालय द्वारा आवास योजना के लिए गठित मूल्यांकन समिति ने नवम्बर, 2006 के दौरान अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसकी मुख्य सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तदनुसार, मौजूदा "संशोधन एकीकृत आवास योजना, 2007" तैयार की गई थी।

विवरण-I

विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत बीड़ी श्रमिकों को उपलब्ध वित्तीय सहायता/लाभों का ब्यौरा

क्र. सं.	योजनाओं और उपलब्ध लाभों का ब्यौरा
1	2
I.	कैंसर उपचार योजना मान्यता प्राप्त कैंसर अस्पताल में श्रमिक या उसके आश्रित द्वारा कैंसर के उपचार के लिए दवाओं और आहार पर किए गए ऐसे वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाण-पत्रित हो।
II.	हृदय रोगों से पीड़ित श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति योजना निम्नांकित लाभों की प्रतिपूर्ति की जाएगी:- 1. अस्पताल प्रभार आहार प्रभार सहित 2. बाजार/अस्पताल से खरीदे जाने वाले हृदय वाल्वों आदि का प्रभार 3. आपरेशन से पहले और बाद की जांचों पर व्यय वित्तीय सहायता वास्तविक व्यय या 1.30 लाख रुपये तक, जो भी कम हो, सीमित है।
III.	गुर्दा प्रत्यारोपण और संबद्ध उपचार के लिए श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय प्रतिपूर्ति की योजना वास्तविक लागत या 2 लाख रुपये, जो भी कम हो, उपचार प्रभारों के रूप में वित्तीय सहायता के तौर पर दी जाएगी।
IV.	हर्नियां, अल्सर, अपेन्डिकटॉमी, प्रीनेट और स्त्री जनित रोगों जैसी छोटी बीमारियों के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति। वास्तविक व्यय या 30,000 रुपये, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति अस्पताल प्रभारों (आहार आदि सहित) तथा आपरेशन के पहले और बाद की जांच के लिए की जाएगी।
V.	महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति हित लाभ योजना केवल प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रति प्रसव 1000 रुपये का एकमुश्त अनुदान
VI.	श्रमिकों/उनके जीवन साथी के बंध्याकरण हेतु आर्थिक प्रतिपूर्ति के भुगतान की योजना अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए आर्थिक प्रोत्साहन के अलावा, प्रति व्यक्ति 500 रुपये की दर से आर्थिक प्रोत्साहन
VII.	तपेदिक पीड़ित श्रमिक की घरेलू उपचार योजना 1. दवाओं की लागत के तौर पर प्रति श्रमिक 50 रुपये प्रतिमाह तक के उपचार प्रभारों की प्रतिपूर्ति 2. श्रमिक का कोई आश्रित न होने या एक आश्रित होने की स्थिति में 750 रुपये प्रतिमाह की दर से और एकाधिक आश्रित होने की स्थिति में 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से नौ महीनों तक की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता
VIII.	चश्मों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता फ्रेम और लैंस की लागत के तौर पर 300 रुपये या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता
IX.	बीड़ी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना (बीमा) 1. स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये 2. दुर्घटनाजनित मृत्यु के मामले में 25,000 रुपये

1	2
X.	बीड़ी/सिने/खान श्रमिक की विधवा/के विधुर को बेटियों के विवाह व्यय की पूर्ति के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना। बीड़ी/सिने/खान श्रमिक की विधवा/के विधुर को पहली दो बेटियों के विवाह व्यय की पूर्ति के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना।
XI.	बीड़ी श्रमिकों की अंत्येष्टि के लिए 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना मृतक श्रमिक के परिवार के सदस्य को वित्तीय सहायता को तौर पर 1500 रुपये की राशि दी जाती है।
XII.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता अनुदान

	लड़कियां	लड़के
I. कक्षा I से IV (ड्रेस, स्लेट/पुस्तकों के लिए अनुदान)	250	250
2. कक्षा V से VIII	940	500
3. कक्षा IX	1140	700
4. कक्षा X	1840	1400
5. कक्षा XI से XII पू.यू.सी. I तथा पी.यू.सी. II	2440	2000
6. गैर-पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रम, गैर पेशेवर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 2/3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी.सी.ए., बी.बी.ए. तथा पी.जी.डी.सी.ए.	3000	3000
7. पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रम [बी.ई./बी.टेक/एम.बी.बी.एस./ बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एस.सी. (कृषि) तथा एम.सी.ए./एम.बी.ए.]	8000	8000

XIII. टीवी सैटों की आपूर्ति

बीड़ी श्रमिक सहकारिता समिति के सामुदायिक केन्द्र में रंगीन टी.वी. सैट के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तथा श्याम-श्वेत टी.वी. के लिए 4000 रुपये की राशि

XIV. खेलकूद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन

1. राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय उत्सवों जैसे सामाजिक क्रियाकलाप के लिए-3 उत्सवों के आयोजन हेतु प्रति क्रियाकलाप 2500 रुपये जिसकी अधिकतम सीमा तक वित्त वर्ष में 7500 रुपये होगी।

2. नृत्य, नाटक, संगीत, वाक्पटुता प्रतियोगिता-7 उत्सवों के लिए प्रति क्रियाकलाप 2000 रुपये जिसकी वित्त वर्ष में अधिकतम सीमा 14,000 रुपये होगी।

3. वार्षिक खेलकूद टूर्नामेंट का आयोजन-वर्ष में प्रति टूर्नामेंट 40,000 रुपये

XV. बीड़ी श्रमिकों के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2007

मकान निर्माण हेतु प्रति श्रमिक प्रति मकान 40,000 रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी दी जाती है।

प्रशिक्षण

बीड़ी श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार के वैकल्पिक स्रोत मिल सकें।

विवरण-II

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के तहत बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय

2006-2007

(हजार रुपये)

क्षेत्र	शामिल राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	500000	500000
अजमेर	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	16286	18512	11650	17630	487	415	1997	6173
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	26103	29859	14600	14600	0	0	103	1092
बंगलौर	केरल और कर्णाटक	52188	52442	85800	85800	10	0	0	10856
भुवनेश्वर	उड़ीसा	23810	25434	18300	7383	513	339	10000	10000
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु	69121	56103	140800	140288	70	0	20000	3972
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	48511	47934	29750	29748	50	0	14000	8999
कर्मा	बिहार और झारखंड	36481	33218	13020	12997	345	184	3000	0
कोलकाता	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर	44198	40909	43055	55636	150	147	5000	4957
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	20552	22999	43025	56023	25	24	30000	21145
कुल		337250	327410	400000	420105	1650	1109	584100	567194

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के तहत बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय
2007-2008

(हजार रुपये)

क्षेत्र	शामिल राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	800000	775623
अजमेर	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	21845	17595	26790	27977	645	536	100	0
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	32925	32747	36125	33610	0	0	624	505
बंगलौर	केरल और कर्णाटक	76908	66138	200000	219432	20	0	15600	16000
भुवनेश्वर	उड़ीसा	24510	23477	32649	35437	600	314	3000	32050
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु	70656	62167	250500	260158	60	0	10000	7189
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	48751	44243	44050	48017	0	0	5000	7991
कर्मा	बिहार और झारखंड	36168	33119	16720	19217	245	188	2000	540
कोलकाता	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर	79939	43348	113450	124143	250	199	20000	24491
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	25252	24155	65025	65900	25	45	20000	20384
कुल		416954	346989	785309	833891	1845	1282	876324	884773

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के तहत बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय

2008-2009

(हजार रुपये)

क्षेत्र	शामिल राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	731500	487259
अजमेर	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	21080	24361	26300	27179	610	778	0	0
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	43155	31484	60150	17844	0	0	576	278
बंगलौर	केरल और कर्णाटक	79833	91571	355500	307608	20	0	2321	2500
भुवनेश्वर	उड़ीसा	30960	36424	26630	39431	600	504	6840	13987
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु	73555	86719	270500	300467	20	0	2853	1810
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	56200	66247	68400	26604	0	0	2945	3044
कर्मा	बिहार और झारखंड	39654	44496	19250	17394	311	297	915	110
कोलकाता	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर	82985	77134	174230	223203	270	194	7315	7992
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	26615	32099	65025	64055	55	52	4869	0
कुल		454037	490535	1065985	1023785	1886	1825	760134	516980

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के तहत बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय

2009-2010

(हजार रुपये)

क्षेत्र	शामिल राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	609784	3600
अजमेर	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	28214	5073	29450	205	1073	144	0	0
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	66555	6938	38150	0	0	0	233	14
बंगलौर	केरल और कर्णाटक	116816	29066	245500	93046	20	0	0	0
भुवनेश्वर	उड़ीसा	44110	6452	43120	0	350	37	0	0
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु	108920	21365	238990	57509	20	0	0	0
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	66600	16292	42400	0	50	0	0	0
कर्मा	बिहार और झारखंड	56625	10058	24050	0	335	74	0	0
कोलकाता	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर	150092	10648	217945	0	280	41	0	0
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	35761	7209	75525	0	70	0	0	0
कुल		673693	113101	955130	150760	2198	296	610017	3614

*2009 जून तक

श्रमिकों हेतु बीमा योजना

3057. श्री संजय तकाम: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को बीमा मुहैया कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्रों में श्रमिकों को क्या बीमा पॉलिसी प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कारखानों/प्रतिष्ठानों की बंदी, छंटनी अथवा रोजगार से इतर लगी चोट के कारण अस्थाई अपंगता के चलते अपने रोजगार से हाथ धो बैठने वाले योजना के अंतर्गत कवर किए गए तथा असंगठित क्षेत्र से संबंधित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 01-04-2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत, कारखानों/प्रतिष्ठानों की बंदी, छंटनी अथवा रोजगार से इतर लगी चोट के कारण अस्थाई अशक्तता के चलते अपने रोजगार से हाथ धो बैठने वाले कर्मचारी, पांच अथवा अधिक वर्षों तक बीमित रहने के पश्चात्, अपनी सम्पूर्ण सेवा के दौरान एक वर्ष तक की अपनी मजदूरी के 50% के बराबर नगद राशि का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, वह अवधि जिसके लिए कोई व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का पात्र है, वह और उसके परिवार के सदस्य भी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, पैनल क्लिनिकों और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों से चिकित्सा देख-रेख के लिए पात्र हैं। योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने, कौशलों का उन्नयन करके उपयुक्त पुनर्नियोजन प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से जो बीमित व्यक्ति श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उन्हें संस्थान द्वारा वसूल किए गए शुल्क तथा उनकी यात्रा संबंधी व्यय की भी अदायगी की जाती है। 31-5-2009 तक, योजना के अंतर्गत 2336 मामलों में बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3.41 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की गयी है।

बुनकरों, कारीगरों के लिए बीमा योजनाओं, बीड़ी, सिनेमा तथा गैर-कोयला खान कामगारों के लिए समूह बीमा, 'गरीबी रेखा से नीचे' और गरीबी रेखा से कुछ ही ऊपर के लिए जनश्री बीमा योजना के अतिरिक्त, सरकार ने असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 30000 रुपये प्रतिवर्ष के स्मार्ट कार्ड आधारित नगद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारम्भ की है। यह योजना 01-04-2008 से लागू हो गयी है।

18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु एवं अपंगता कवर प्रदान करने के लिए सरकार ने 'आम आदमी बीमा योजना' प्रारम्भ की है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफ.टी.ए.) के लिए बातचीत

3058. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफ.टी.ए.) के लिए बातचीत करने के संबंध में कृषक संगठनों और लघु उद्योग संघों के साथ परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके साथ बैठक की गई है और इस संबंध में क्या फीडबैक प्राप्त हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) यूरोपीय संघ (ई.यू.) के साथ मुक्त व्यापार करार (एफ.टी.ए.) हेतु भारत की वार्ताओं पर सार्वजनिक परामर्श किए गए हैं। ये परामर्श खुले सत्र में किए गए हैं और अन्य के साथ-साथ कृषक संगठनों और लघु उद्योग एसोसिएशनों ने इसमें भाग लिया है। कई संगठनों से लिखित प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुई है। इन परामर्शों का उद्देश्य भारत के लिए संवेदनशील प्रकृति के उत्पादों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना था। उत्पादों की आरंभिक संवेदनशील सूची जिन पर हम ई.यू. के साथ प्रस्तावित एफ.टी.ए. में टैरिफ कम करने हेतु प्रस्ताव नहीं करेंगे, तैयार करने के लिए प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया है। इस आरंभिक संवेदनशील सूची पर यूरोपीय संघ के साथ अभी वार्ता चल रही है। जिन स्थानों पर परामर्श आयोजित किए गए हैं, उन स्थानों की सूची और इन परामर्शों में भाग लेने वाले या लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने वाले कुछ संगठनों की सूची संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

उन स्थानों की सूची जहां यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार करार हेतु भारत की वार्ताओं के संबंध में परामर्श आयोजित किए गए थे

क्र.सं.	तारीख	स्थान	शामिल राज्य
1.	24 अगस्त, 2007	पटना	पूर्वी क्षेत्र
2.	27 अगस्त, 2007	मुंबई	पश्चिमी क्षेत्र
3.	29 अगस्त, 2007	चेन्नई	दक्षिणी क्षेत्र
4.	31 अगस्त, 2007	भोपाल	मध्य क्षेत्र
5.	5 सितम्बर, 2007	दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र
6.	7 सितम्बर, 2007	गुवाहाटी	पूर्वोत्तर क्षेत्र
7.	29 सितम्बर, 2007	नई दिल्ली	

विवरण-II

उन संगठनों की सूची जिन्होंने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार करार हेतु भारत की वार्ताओं के संबंध में आयोजित परामर्शों में भाग लिया था

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	मत्स्य थोजिलाली लायक्या वेदी (टी.यू.सी.आई.), एर्णाकुलम, केरल
2.	भारतीय मात्स्यिकी उद्योग एसोसिएशन, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश
3.	त्रिची टैनर्स एसोसिएशन, त्रिची
4.	भारतीय झींगा कृषक परिसंघ, # 56, एन.जी. रोड, शास्त्री नगर, चेन्नई-600041
5.	तमिलनाडु लघु एवं अति लघु उद्योग एसोसिएशन (टी.ए.एन.एस.टी.आई.ए.) संख्या 10, जी.एस.टी. रोड, गुइंडी, चेन्नई
6.	पी.डी.सी.ए. के.आई.पी.एस., कॉलेज कोर्ट रोड, पालक्कड-678001
7.	केरल उपभोक्ता सेवा सोसायटी, नंदनम राणादीप रोड, कोच्चि-682024
8.	द साउथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन, कोयम्बतूर, तमिलनाडु
9.	द मिल ओनर्स एसोसिएशन, दादर (प.), मुम्बई
10.	गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लि., आनन्द, गुजरात
11.	इंडियन वुलेन मिल्स एसोसिएशन, चर्च गेट चैम्बर्स, मुम्बई
12.	गुजरात राज्य लघु उद्योग परिसंघ, आश्रम रोड, अहमदाबाद
13.	द ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मुंबई
14.	भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यातक एसोसिएशन (आई.ओ.पी.ई.ए.), मुंबई
15.	एसोसिएशन ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ पेट्रोलियम स्पेशियलिटीज, मुंबई
16.	भारतीय मशीन उपकरण विनिर्माता एसोसिएशन (आई.एम.टी.एम.ए.), गुड़गांव
17.	भारतीय अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम परिसंघ (एफ.आई.एस.एम.ई.), नई दिल्ली

क्र.सं.	संगठन का नाम
18.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विनिर्माता एसोसिएशन, नई दिल्ली
19.	भारतीय प्लास्टिसाइजर्स विनिर्माता एसोसिएशन, नई दिल्ली
20.	भारतीय वस्त्र उद्योग महासंघ, नई दिल्ली
21.	भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन (एस.ई.ए.आई.), चेन्नई
22.	गुजरात राज्य प्लास्टिक विनिर्माता एसोसिएशन, मुंबई
23.	ऑटोमोटिव टायर विनिर्माता एसोसिएशन, नई दिल्ली
24.	इलेक्ट्रॉनिक संघटक उद्योग एसोसिएशन, नई दिल्ली
25.	अखिल भारत इस्पात रीरॉलर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
26.	भारतीय मैन-मेड फाइबर उद्योग एसोसिएशन, मुंबई
27.	भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन, नई दिल्ली
28.	अखिल भारतीय शीशा विनिर्माता परिसंघ, नई दिल्ली
29.	लेदर क्लॉथ एवं प्लास्टिक विनिर्माता एसोसिएशन, नई दिल्ली
30.	अखिल भारत कालीन विनिर्माता एसोसिएशन, भदोही, उत्तर प्रदेश
31.	मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री परिसंघ, भोपाल
32.	भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी, नई दिल्ली
33.	भारतीय वनस्पति उत्पादक एसोसिएशन, नई दिल्ली
34.	लघु एवं मध्यम उद्योग परिसंघ, कोलकाता
35.	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक एवं उपकरण एसोसिएशन, नई दिल्ली
36.	केरल उपभोक्ता सेवा सोसायटी, कोच्चि
37.	अखिल भारत डिस्टिलर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
38.	नाबा समाज (एन.जी.ओ.), असम
39.	असम कृषि सेवा एसोसिएशन
40.	शिव सागर जिला कुक्कुट कृषक एसोसिएशन (एस.डी.पी.एफ.ए.), असम
41.	ढलीगांव शूकर फार्म सहकारी सोसायटी एवं संबद्ध उद्योग लि., असम
42.	भारतीय सुगंध युक्त पौधा उपजकर्ता एसोसिएशन, सिक्किम
43.	सीबा (एन.जी.ओ.), असम
44.	ओजु कल्याणकारी एसोसिएशन, अरुणाचल प्रदेश
45.	गुवाहाटी गोपालक संस्था, असम
46.	ऑल मिजोरम फार्मर्स यूनियन, मिजोरम
47.	मानव शक्ति जागरण (एन.जी.ओ.), असम
48.	अखिल मणिपुर कुक्कुट कृषक एवं व्यापारी एसोसिएशन, मणिपुर
49.	पूर्वोत्तर कुक्कुट एवं अण्डा परिसंघ (एन.ई.पी.ई.एफ.), असम
50.	रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पश्चिमी बंगाल
51.	एम्ब्रॉयडरी एंड गार्मेन्ट हाइटेक मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन, कोलकाता
52.	ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भागलपुर, बिहार
53.	बिहार गार्मेन्ट मैन्यूफैक्चरर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन
54.	बिहार उद्योग एसोसिएशन
55.	बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स
56.	उद्यमिता विकास संस्थान
57.	कुटीर एवं लघु उद्योग एसोसिएशनों का परिसंघ (एफ.ए.सी.एस.आई.), पश्चिमी बंगाल
58.	इंडियन एग्रो एंड रिसाइकिल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन
59.	प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

क्र.सं.	संगठन का नाम
60.	फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाइवुड एंड पैनल इंडस्ट्री
61.	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता एसोसिएशन (सी.ई.ए.एम.ए.)
62.	अखिल भारत खाद्य प्रसंस्कर्ता एसोसिएशन
63.	परिधान निर्यातक एसोसिएशन
64.	भारतीय ऑटोमोटिव संघटक विनिर्माता एसोसिएशन
65.	पूर्वी उत्तर प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलाहाबाद
66.	अखिल भारत शीशा विनिर्माता परिसंघ
67.	पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
68.	पंजाब मार्कफेड
69.	अखिल भारत वातानुकूलन एवं प्रशीतन एसोसिएशन
70.	एसेन्शियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
71.	कृत्रिम फाइबर उद्योग एसोसिएशन
72.	चर्म निर्यात परिषद
73.	भारतीय इस्पात रीरॉलिंग मिल्स एसोसिएशन (एस.आर.एम.ए.)
74.	महेशतला परिधान एवं वस्त्र पार्क कल्याण एसोसिएशन
75.	भारतीय चर्म उत्पाद एसोसिएशन
76.	दार्जिलिंग चाय एसोसिएशन
77.	बंगाल होजियरी विनिर्माता एसोसिएशन
78.	भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स
79.	वस्त्र एसोसिएशन (भारत)
80.	गुजरात राज्य प्लास्टिक विनिर्माता एसोसिएशन
81.	कैमेक्सिल
82.	गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लि. (अमूल)
83.	गुजरात रंगाई सामग्री विनिर्माता एसोसिएशन
84.	एसोसिएशन ऑफ कैमिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स
85.	गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

[हिन्दी]

मेडिकल तथा इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए मौट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

3059. श्री गणेश सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मेडिकल और इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मुहैया कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी निधियां मांगी गयी हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत सरकार द्वारा वर्षवार कितनी निधियां मुहैया करायी गयी हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) अनूसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत निधियों की मांग राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को एकमुश्त धनराशि आधार पर प्राप्त होते हैं और निधियां श्रेणीवार निर्मुक्त नहीं की जाती हैं। विगत तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई निधियों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम

(राशि : करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	मध्य प्रदेश सरकार की मांग	निर्मुक्त निधियां
2006-07	21.42	28.27
2007-08	47.97	6.95
2008-09	17.00	16.99

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम

(राशि : करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	मध्य प्रदेश सरकार की मांग	निर्मुक्त निधियां
2006-07	4.50	*
2007-08	5.50	3.94
2008-09	25.00	14.26

*मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत राज्य सरकार के लिए पूर्व में निर्मुक्त अनुदानों के खातों के निपटान न करने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की थीं।

[अनुवाद]

पेशे से संबंधित बीमारियां

3060. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औद्योगिक श्रमिकों में पेशे से संबंधित बीमारियों तथा मृत्यु दर प्रतिवर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक श्रमिकों में कार्यस्थल पर पेशे से संबंधित सुरक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) देश में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल पेशे से संबंधित बीमारियों तथा औद्योगिक कामगारों की मृत्यु-दर से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पेशे से संबंधित बीमारियां तथा मृत्यु-दर नहीं बढ़ रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेशे से संबंधित बीमारियों तथा घातक चोटों से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम में पहले से ही समुचित प्रावधान किए गए हैं जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत नियुक्त कारखाना निरीक्षकों के माध्यम से करती है और इनके किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन दायर किए जाते हैं। राज्य सरकारें विभिन्न शैक्षणिक तथा संवर्धनात्मक गतिविधियों जैसे कर्मचारियों का प्रशिक्षण, सुरक्षा सप्ताह का आयोजन इत्यादि का आयोजन भी करती हैं। इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय भी महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा तथा श्रम संस्थानों के माध्यम से सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लक्षित लाभान्वितों जैसे सुरक्षा अधिकारियों, कारखाना निरीक्षकों, कामगारों, सर्वेक्षकों तथा कार्यपालकों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। सुरक्षा लेखा परीक्षा परामर्शी अध्ययन, तकनीकी सलाह आदि जैसी सहयोगी सेवाएं भी कारखानों को मुहैया करायी जाती हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-2005 के दौरान कारखानों में होने वाली औद्योगिक मृत्यु की घटनाओं की दर

क्र. सं.	वर्ष	मृत्यु की कुल संख्या	प्रति हजार कामगारों में होने वाली मृत्यु की घटनाओं की दर
1	2	3	4
1.	2001	627	0.19
2.	2002	540	0.16
3.	2003	525	0.11
4.	2004(अ)	562	0.08
5.	2005(अ)	501	0.11

व्यवसायजनिक बीमारी

क्र. सं.	वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	2004	20
2.	2005	17
3.	2006	48
4.	2007	08

(अ)-अनंतिम

स्रोत: श्रम ब्यूरो

विवरण-II

कारखानों में रिपोर्ट की गई व्यवसायजनित बीमारियों के राज्यवार मामले

राज्य/संघ क्षेत्र	2006	2007	2008
व्यवसाय जनित बीमारियां			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	ला.न.
आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	ला.न.
असम	शून्य	शून्य	ला.न.
बिहार	शून्य	शून्य	ला.न.
चंडीगढ़	शून्य	शून्य	ला.न.
छत्तीसगढ़	ला.न.	ला.न.	ला.न.
दमन और द्वीव तथा दादरा एवं नागर हवेली	शून्य	ला.न.	ला.न.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	ला.न	ला.न.	ला.न.
गोवा	शून्य	ला.न.	ला.न.
गुजरात	22	5	ला.न.
हरियाणा	शून्य	शून्य	ला.न.
हिमाचल प्रदेश	ला.न.	ला.न.	ला.न.
जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	ला.न.
झारखण्ड	शून्य	शून्य	ला.न.
कर्णाटक	शून्य	शून्य	ला.न.
केरल	2	शून्य	ला.न.
मध्य प्रदेश	3	शून्य	ला.न.
महाराष्ट्र	शून्य	3	ला.न.

राज्य/संघ क्षेत्र	2006	2007	2008
मणिपुर	ला.न.	ला.न.	ला.न.
मेघालय	शून्य	शून्य	ला.न.
नागालैंड	शून्य	शून्य	ला.न.
उड़ीसा	21	शून्य	ला.न.
पुडुचेरी	शून्य	शून्य	ला.न.
पंजाब	शून्य	शून्य	ला.न.
राजस्थान	शून्य	शून्य	ला.न.
तमिलनाडु	ला.न.	शून्य	ला.न.
त्रिपुरा	शून्य	शून्य	ला.न.
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	ला.न.
उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	ला.न.
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	ला.न.

नोट: अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम तथा सिक्किम में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

ला.न.-लागू नहीं।

स्रोत: राज्य/संघ क्षेत्र के कारखानों के मुख्य निरीक्षक

विवरण-III

कारखानों में घातक चोट

राज्य/संघ क्षेत्र	2006 घातक चोट	2007 घातक चोट	2008 घातक चोट
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	176	157	163
असम	5	11	3
बिहार	6	11	6
चंडीगढ़	0	0	2
छत्तीसगढ़	94	92	103
दमन और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली	8	10	12
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	14	17	5

राज्य/संघ क्षेत्र	2006 घातक चोट	2007 घातक चोट	2008 घातक चोट
गोवा	8	10	7
गुजरात	184	222	195
हरियाणा	71	101	74
हिमाचल प्रदेश	1	10	6
जम्मू-कश्मीर	0	1	4
झारखण्ड	27	21	22
कर्णाटक	64	107	91
केरल	13	22	15
मध्य प्रदेश	35	52	40
महाराष्ट्र	175	197	218
मणिपुर	ला.न.	ला.न.	ला.न.
मेघालय	1	2	0
नागालैण्ड	0	0	0
उड़ीसा	74	81	81
पुडुचेरी	12	8	1
पंजाब	48	35	45
राजस्थान	61	60	45
तमिलनाडु	48	60	67
त्रिपुरा	0	1	0
उत्तर प्रदेश	118	78	81
उत्तराखण्ड	31	19	15
पश्चिमी बंगाल	75	68	86
कुल	1349	1453	1387

नोट: अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम तथा सिक्किम में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

ला.न.-लागू नहीं।

स्रोत: राज्य/संघ क्षेत्र के कारखानों के मुख्य निरीक्षक

[हिन्दी]

भारत सिंगापुर व्यापार समझौता

3061. डॉ. मुरली मनोहर जोशी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सिंगापुर और भारत के बीच हुए आयात/निर्यात की कुल मात्रा और मूल्य क्या है;

(ख) क्या अगस्त, 2005 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सी.ई.सी.ए.) में संशोधन करने हेतु दिसम्बर, 2007 को भारत और सिंगापुर के बीच किसी नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त नयाचार में हुए समझौते के अनुसार किस-किस मद पर आयात शुल्क नहीं लगाया गया है/हटाया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सिंगापुर के साथ भारत के व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मि. अम. डा. में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2005-06	5425.29	3353.77	8779.06
2006-07	6064.19	5485.26	11549.45
2007-08	7367.54	8117.64	11485.18
2008-09 (अप्रैल से फरवरी)	7273.43	6628.92	13902.35

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) प्रोटोकॉल और उन मदों के नामों का ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है जिन पर इस प्रोटोकॉल के अनुसार आयात शुल्क को चरणबद्ध तरीके से वापस लिया जाना है: http://commerce.nic.in/trade/international_ta_framework_ceca.asp

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए भवन

3062. श्री रामकिशुन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को स्थायी विद्यालय भवन मुहैया कराए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में 2573 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संस्वीकृति प्रदान की है जिसमें से 2511 संचालनरत हैं। 678 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थायी स्कूल भवन उपलब्ध करवाए गए हैं और 1254 भवनों में निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। शेष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भूमि विवादों तथा न्यायालय मामलों के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सिविल कार्य की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सिविल कार्यों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	आज तक लक्ष्य (इकाई) संचयी	पूर्ण (इकाइयों) संचयी	प्रक्रियाधीन (इकाइयां) संचयी	कार्य आरंभ नहीं हुआ	कुल (पूर्ण + प्रक्रियाधीन)	(पूर्ण + प्रक्रियाधीन) का %
1.	आन्ध्र प्रदेश	395	51	48	296	99	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	25	11	0	36	100
3.	असम	26	1	25	0	26	100
4.	बिहार	391	52	302	37	354	91
5.	छत्तीसगढ़	93	37	56	0	93	100
6.	दादर और नगर हवेली	1	0	0	1	0	0
7.	दिल्ली	1	0	0	1	0	0
8.	गुजरात	63	28	18	17	46	73
9.	हरियाणा	9	2	7	0	9	100
10.	हिमाचल प्रदेश	10	4	6	0	10	100
11.	जम्मू और कश्मीर	79	5	55	19	60	76
12.	झारखंड	198	35	48	115	83	42
13.	कर्नाटक	64	37	23	4	60	94
14.	मध्य प्रदेश	200	77	82	41	159	80
15.	महाराष्ट्र	36	0	7	29	7	19
16.	मणिपुर	1	1	0	0	1	100
17.	मेघालय	2	1	0	1	1	50

18.	मिजोरम	1	1	0	0	1	100
19.	नागालैंड	2	0	0	2	0	0
20.	उड़ीसा	157	40	74	43	114	73
21.	पंजाब	3	2	1	0	3	100
22.	राजस्थान	200	151	35	14	186	93
23.	तमिलनाडु	54	26	26	2	52	96
24.	त्रिपुरा	7	7	0	0	7	100
25.	उत्तर प्रदेश	454	42	396	16	438	96
26.	उत्तराखंड	26	3	23	0	26	100
27.	पश्चिम बंगाल	64	50	11	3	61	95
	कुल	2573	678	1254	641	1932	75

[अनुवाद]

कॉफी को बढ़ावा देना

3063. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परंपरागत रूप से कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों से इतर देश के विभिन्न भागों में कॉफी की फसल उगाने और इसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा देश में पारम्परिक कॉफी उत्पादक क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इतर क्षेत्रों में कॉफी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत अपारम्परिक क्षेत्रों में कॉफी के विस्तार और समेकन के लिए 18950 हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 10,174.87 हैक्टेयर को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

3064. श्री राकेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एम.एन.पी.) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का यह सुविधा मुहैया कराने के लिए उपभोक्ता तथा दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनियों से किसी प्रकार का शुल्क वसूलने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एम.एन.पी.) सेवा के लिए लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी को संबंधित एम.एन.पी. सेवा प्रदाताओं द्वारा जोन-1 के दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात सेवा क्षेत्रों में और जोन-2 के कोलकाता, तमिलनाडु (चैन्नै सहित), आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस मिलने के छह माह के भीतर तथा शेष सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस मिलने के एक वर्ष के भीतर क्रियान्वित किया जाना है।

(ग) और (घ) एक सेवा प्रदाता को छोड़कर दूसरे सेवा प्रदाता की सेवा लेने पर उसी मोबाइल नंबर के संवहन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता द्वारा ट्राई अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी प्रशुल्क आदेशों के अनुसार एक निर्धारित संवहन शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

एम.एन.पी. सेवा के लिए लाइसेंसधारक कंपनियों द्वारा अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सरकार को वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

भारतीय उत्पादों पर चीन का प्रतिबंध

3065. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के डेयरी उत्पादों पर भारत द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की प्रतिक्रियास्वरूप चीन भी भारत के सीफूड और तिल के तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) चीन द्वारा भारत को निर्यातित चॉकलेट तथा चॉकलेट उत्पादों सहित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों पर लगे प्रतिबंध को दिनांक 24 दिसंबर, 2009 तक और छह माह के लिए बढ़ाए जाने की प्रतिक्रियास्वरूप चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता

पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं संगरोध संबंधी सामान्य प्रशासन ने सूचित किया था कि उन्हें समुद्री खाद्य उत्पादों, तिल के तेल आदि सहित भारत से आयातित खाद्य उत्पादों के संबंध में खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था लेकिन उन्होंने उन उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। चीन ने आगे कहा कि यदि भारत अपने इस निर्णय पर बना रहता है तो चीन भारत से आयातित उत्पादों संबंधी सुरक्षा एवं गुणवत्ता के मुद्दों पर कार्रवाई करेगा। सरकार ने बीजिंग में हमारे दूतावास के माध्यम से चीन को यह सूचित किया है कि हमने उनकी चिंताओं पर विचार किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रतिबंध को और छह महीने तक के लिए बढ़ाए जाने का निर्णय भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारियों और डेयरी उद्योग के विशेषज्ञों के साथ विधिवत परामर्श करने के बाद ही लिया है। भारत सरकार ऐसे व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बीजिंग में हमारे दूतावास के माध्यम से चीन की सरकार के साथ संपर्क में है।

पत्तनों को परस्पर जोड़ना

3066. श्री हरिन पाठक: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी बड़े और छोटे पत्तनों को परस्पर जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन पत्तनों की पहचान की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्षा खरीद नीति की समीक्षा

3067. श्री मनीष तिवारी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा खरीद नीति की वार्षिक समीक्षा का नीति प्रणाली की स्थिरता तथा रक्षा तैयारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या रक्षा खरीद नीति, 2008 के क्षतिपूर्ति खंड को रक्षा खरीद नीति, 2006 की तुलना में काफी कमजोर कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) प्रत्येक दो वर्ष में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) की आवधिक पुनरीक्षा करने का प्रावधान है। अब यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा अधिप्राप्ति में अधिक पारदर्शिता लाने और स्वदेशी उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बदलते हुए समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया की पुनरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाए।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 की प्रतितुलन नीति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 की प्रतितुलन नीति के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव और जानकारी के आधार पर संशोधित की गई है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 की प्रतितुलन नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) प्रतितुलन क्रैडिट बैंकिंग की संकल्पना शुरू की गई है ताकि विदेशी विक्रेताओं को भावी बाध्यताओं की प्रत्याशा में प्रतितुलन कार्यक्रम तैयार करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इससे विदेशी उद्योग और उनके भारतीय प्रतितुलन हिस्सेदार प्रतितुलनों का निर्वाह करने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्थाएं करने में सक्षम होंगे और इस प्रकार भारतीय उद्योग की प्रतितुलन खपाने की क्षमता में वृद्धि होगी।

(ii) अब निजी उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस की केवल तभी आवश्यकता है जब औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी रक्षा उद्योग संबंधी दिशा-निर्देशों/लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत ऐसा निर्धारित किया गया हो।

(iii) रक्षा उत्पादों की सूची बढ़ा दी गई है ताकि विदेशी विक्रेताओं को उनकी प्रतितुलन बाध्यताओं को कार्यान्वित करने में सुविधा हो।

प्रमुख पत्तनों के चैनलों को गहरा करना

3068. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन सहित प्रमुख पत्तनों के चैनलों को गहरा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पत्तनवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पारादीप पत्तन और जवाहरलाल नेहरू पत्तन सहित जलमार्गों/घाटों को गहरा किए जाने से संबंधित 25 परियोजनाएं, वर्ष, 2011-12 तक कार्यान्वित किए जाने के लिए चुन ली गई हैं।

(ग) वर्ष 2009-10 के लिए कोचीन पत्तन और तूतीकोरिन पत्तन को ड्रैजिंग के लिए सकल बजट सहायता आबंटित कर दी गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) कोचीन पत्तन न्यास : 99.97 करोड़ रुपए

(ii) तूतीकोरिन पत्तन न्यास : 5.00 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

जवानों के लिए वेतन और सुविधाएं

3069. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र सेना के जवानों को दिया जा रहा वेतन और सुविधाएं इस समय काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम वेतन और सुविधाओं से जवानों का मनोबल गिर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वेतन, भत्तों और सुविधाओं में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सशस्त्र बलों के वेतनों तथा सुविधाओं का निर्धारण सीमावर्ती क्षेत्र में उनकी तैनाती के दौरान होने वाली कठिनाइयों सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जवानों का मनोबल ऊंचा है। रक्षा कार्मिकों के वेतन, तथा भत्ते कुछ संशोधनों के साथ छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हाल ही में बढ़ाए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

3070. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कितने रोजगार सृजित किए गए;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित कराने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ (नासकॉम) के अनुसार, विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी-बी.पी.ओ. क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	संख्या
2006	1,293,000
2007	1,621,000
2008	2,010,000
2009	2,236,614

उपर्युक्त आंकड़ों में हार्डवेयर क्षेत्र में नियोजित कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी हां। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.) ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् (एन.एम.सी.सी.) के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ (एम.ए.आई.टी.) के माध्यम से "आई.टी. हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग में जनशक्ति कौशलों की मैपिंग" नामक एक अध्ययन आरंभ किया था।

अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार वर्ष 2007 में उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित मानव संसाधन मोटे तौर पर 770,000 है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2007 में 0.77

मिलियन के मुकाबले वर्ष 2015 तक उद्योग में लगभग 2.25 मिलियन व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नियोजित होंगे। वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता लगभग 1.5 मिलियन व्यक्ति होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषद

3071. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात संवर्धन परिषर्द के मुख्य लक्ष्य और कार्यकलाप क्या हैं; और

(ख) यह परिषद इन लक्ष्यों को किस हद तक पूरा कर पाई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) निर्यात संवर्धन परिषदों का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातों का संवर्धन एवं विकास करना है। प्रत्येक परिषद उत्पादों के एक विशेष समूह, परियोजनाओं तथा सेवाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी होती है।

(ख) इन वर्षों के दौरान निर्यात संवर्धन परिषदों ने कुल मिलाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

3072. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.बी.वी.) खोलने हेतु वर्तमान मानदंड क्या है;

(ख) क्या देश में बाल विद्यालयों की तुलना में बालिका विद्यालयों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बाल और बालिका विद्यालयों के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) झारखंड सहित देश में बालिका शिक्षा के उन्नयन और विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक चालू/लंबित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक कार्यक्रम पर सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे ब्लॉकों में की जाती है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 30% से कम है और अल्पसंख्यक बहुल ऐसे शहरों/नगरों में जहां महिला साक्षरता दर 53.67% के राष्ट्रीय औसत से कम है।

(ख) और (ग) सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों और बालिकाओं के लिए स्कूल उपलब्ध करवाता है। 2008-09 में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए व्यय 19043.09 करोड़ रुपए था।

(घ) और (ङ) झारखंड सहित देश में बालिका शिक्षा के उन्नयन और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा दो विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 2008-09 के दौरान सरकार द्वारा एन.पी.ई.जी.ई.एल. पर 420.06 करोड़ रु. और के.जी.बी.वी. योजना पर 669.92 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था जिसमें झारखंड राज्य में एन.पी.ई.जी.ई.एल. पर 28.19 करोड़ रुपए और के.जी.बी.वी. पर 46.86 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश

3073. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश लाभ प्रदान कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक कायिक निधि सृजित करने और मातृत्व

की गरिमा के संरक्षण के लिए गर्भावस्था के दौरान महिला कामगारों के लिए निर्धारित धनराशि की अदायगी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों के लिए लागू हैं। तथापि, असंगठित क्षेत्र की अधिकांश महिला कामगार स्व-नियोजित हैं और अन्य मामलों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित नहीं है। इसलिए ये कामगार सामान्य तौर पर प्रसूति लाभों से वंचित हैं।

(ग) और (घ) गर्भावस्था के दौरान महिला कामगारों को एक निर्धारित राशि के भुगतान हेतु कायिक निधि सृजित करने का प्रस्ताव नहीं है, तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में सामान्य प्रसव के लिए 2,500 रुपये और शल्य क्रिया द्वारा प्रसव के लिए 4,500 रुपये का पैकेज दिया जाता है।

[हिन्दी]

कृत्रिम अंग/उपकरण आपूर्ति योजना के लिए आबंटन

3074. श्री चंदूलाल साहू: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण आपूर्ति योजना हेतु छत्तीसगढ़ को कितना आबंटन किया गया है;

(ख) उक्त आबंटन के लिए छत्तीसगढ़ से कितनी धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा कितने एन.जी.ओ. को यह धनराशि स्वीकृत की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) कृत्रिम अंग/उपकरण आपूर्ति योजना नाम से कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप) के अन्तर्गत 187.88 लाख रुपए के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा तीन गैर-सरकारी संगठनों को 22.25 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए थे।

[अनुवाद]

दलितों को नि:शुल्क शिक्षा

3075. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दलितों और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) और अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के लिए पीएच.डी. तक नि:शुल्क शिक्षा पर आने वाले वित्तीय खर्च का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए उपचारी शिक्षा प्रदान करने हेतु अग्रणी सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के एक मुख्य उपबंध के तहत प्रस्तावित प्रति जिला वार्षिक वृद्धि कितनी है; और

(घ) अग्रणी सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के पश्चात् स्कूल छोड़ने की दर किस हद तक कम हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत उपचारी शिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर 2008-09 में 71.52 करोड़ रु. के अनुमानित खर्च की तुलना में 2009-10 में 77.80 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। जिलों को निधियां वार्षिक कार्य योजना तथा बजट के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी आई है जैसा कि नीचे दिया गया है:-

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	प्राथमिक (कक्षा I से V)	प्रारम्भिक (कक्षा I से VIII)	प्राथमिक (कक्षा I से V)	प्रारम्भिक (कक्षा I से VIII)
2001-02	45.2	60.7	52.3	69.5
2006-07	35.96	53.05	33.15	62.54

शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ता कदाचार

3076. **श्री मधु गौड यास्खी:**

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मोटे वेतन वाली नौकरी दिलाने के वायदे करने जैसे शैक्षणिक कदाचार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का कदाचार के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में छात्रों और दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हितों की संरक्षा और अन्य मामलों से संबंधित कतिपय अनुचित प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक कानूनी प्रस्ताव तैयार किया है।

[हिन्दी]

कर्षण कंपनियों को सहायता

3077. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समुद्र से गाद निकालने के काम में लगी भारतीय और विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों को सहायता मुहैया करायी है ताकि वे विदेशी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मुहैया कराई गयी निधियों का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) देश में समुद्र में ड्रैजिंग कार्य में शामिल भारतीय और विदेशी कम्पनियों के नाम निम्नानुसार हैं:-

1. ड्रैजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम।
2. जैसू शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कांडला।
3. मेरकॉटर लाईंस लिमिटेड, मुम्बई।
4. धरती ड्रैजिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड, हैदराबाद।
5. मेका ड्रैजिंग कारपोरेशन, मुम्बई।
6. सिकल लाजिस्टिक्स लिमिटेड, मुम्बई।
7. इनफ्रा ड्रैज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई।
8. वेन ऑरड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई।
9. वेन ऑरड ड्रैजिंग एण्ड मैरिन कानट्रेक्टर्स बीवी, नीदरलैण्ड्स।
10. बॉसकालिस ड्रैजिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई।

11. रॉयल बॉसकालिस वेस्टमिनिस्टर एन.वी., नीदरलैण्ड्स।

12. जेन डी नुल ड्रैजिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

13. जेन डी नुल एन.वी., बेलजियम।

14. ड्रैजिंग इन्टरनेशनल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

15. ड्रैजिंग इन्टरनेशनल एन.वी., बेलजियम।

16. इन्टरनेशनल सीपोर्ट ड्रैजिंग लिमिटेड, चैन्नई।

17. हुन्डई इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, सॉउथ कोरिया।

18. चेलाराम शिपिंग (हांगकांग) लिमिटेड, हागकांग।

19. इनैकेरा (आई) ड्रैजिंग प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं।

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं का सत्यापन

3078. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं की पहचान के संबंध में कड़े अनुपालन हेतु निजी दूरसंचार आपरेटरों को नए दिशानिर्देश/अनुदेश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन करने वाली प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों की संख्या कितनी है;

(घ) ऐसी कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार के पास यह जांच करने के लिए कोई तंत्र है कि सेवा प्रदाता कंपनियां अनुदेशों का कड़ाई से पालन कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) सरकार ने सेवा प्रदाताओं को जारी लाइसेंस में इस संबंध में प्रावधान किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लेख है कि "लाइसेंसधारक, उपभोक्ता बनाने से पहले प्रत्येक ग्राहक की समुचित जांच सुनिश्चित करेगा; इस संबंध में, लाइसेंसप्रदाता द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा"। सरकार ने इस प्रावधान सहित उपभोक्ताओं की जांच के बारे में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि 31 मार्च, 2007 के बाद यदि कोई टेलीफोन समुचित जांच के बिना कार्य करता पाया गया तो लाइसेंसधारक पर प्रति टेलीफोन उपभोक्ता नम्बर सत्यापन के उल्लंघन के रूप में 1000 रु. का न्यूनतम दंड लगाया जाएगा। 1-4-2009 से सत्यापन रहित प्रति उपभोक्ता 50,000 रुपये का ग्रेडिड दंड निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के अलावा निजी टेलीकॉम कंपनी समूह रिलायंस, वोडाफोन, टाटा, आइडिया, एयरटेल, एयरसैल, सिस्टेमा श्याम टेली-सर्विसेज लिमिटेड, एच.एफ.सी.एल., स्पाइस एवं बी.पी.एल., उपभोक्ता सत्यापन संबंधी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करती पाई गई हैं। ऐसी कंपनियों के विरुद्ध प्रत्येक सत्यापन रहित उपभोक्ता के आधार पर निर्धारित दंड लगाया गया है। मार्च, 2009 तक 427679 ऐसे मामलों में 4276.79 लाख रु. का दंड लगाया गया।

(ङ) और (च) सरकार ने दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाइयों में टेलीकॉम प्रवर्तन, संसाधन एवं निगरानी (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठ स्थापित किये हैं। टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठ, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी उपभोक्ताओं के सत्यापन संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा नामांकित किए गए उपभोक्ताओं के ग्राहक पंजीकरण प्रपत्रों की नमूना आधार पर मासिक जांच करता है।

सिरेमिक और ग्लास उत्पादों का संवर्धन

3079. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में अद्‌भुत सिरेमिक तथा ग्लास उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के सिरेमिक तथा ग्लास उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शन की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उत्पादों के संवर्धन के लिए सहायता देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) राजस्थान में 6-7 इकाइयां ऐसी हैं, जिनके पास सिरेमिक टेबलवेयर, पोर्कलेन इनसुलेटर आदि के लिए उत्पादन सुविधाएं हैं। राजस्थान में अद्भुत सिरेमिक एवं ग्लास उत्पाद के लिए कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बालिकाओं के छात्रावासों का निर्माण

3080. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहित देश में बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को महाविद्यालयों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) बालिकाओं के छात्रावासों के निर्माण हेतु कितने महाविद्यालयों हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है;

(ग) स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक सहायता की स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दसवीं योजना के दौरान बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए 2106 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 1599 पात्र प्रस्तावों को पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है। ग्यारहवीं योजना के दौरान अब तक बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु 633 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 537 प्रस्तावों को संस्वीकृत किया गया। शेष प्रस्तावों की जांच चल रही है तथा उन्हें पात्रता के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पद

3081. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन व्यक्तियों का कोटा भर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, समूह क, ख, ग और घ पदों के सीधी भर्ती के मामले में तथा समूह घ और समूह ग पदों की पदोन्नति के मामले में, जहां सीधी भर्ती का घटक, यदि कोई हो, 75 प्रतिशत से अधिक न हो, में 3 प्रतिशत पद विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित किये जाएंगे जिनमें से प्रत्येक विकलांगता के लिये चिन्हित किये गये पदों में से 1 प्रतिशत पद निम्न से ग्रसित व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे - (i) अंधता या कम दृष्टि, (ii) बहरापन और (iii) चलने-फिरने में बाधा या सेरिब्रल पॉल्सी। ये अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित सभी केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों के लिये लागू हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 8,234 शिक्षण पदों में से 40 शिक्षण पद तथा कुल 23,714 शिक्षणेत्तर पदों में से 149 शिक्षणेत्तर पद विकलांग व्यक्तियों से भरे गये हैं। जबकि विकलांग व्यक्तियों से भरे गये शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पद अपेक्षित कोटे से कम हैं, तो सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को इन रिक्त पदों को भरने के लिये समय-समय पर याद दिलाती रहती है।

व्यापार बोर्ड

3082. श्री मदनलाल शर्मा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापार बोर्ड के सदस्य तथा अधिदेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या व्यापार बोर्ड ने अपना उद्देश्य पूरा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात बढ़ाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की समीक्षा करने में बोर्ड का क्या योगदान है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) व्यापार बोर्ड (बी.ओ.टी.) के अध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। सरकार द्वारा अधिकतम 25 व्यक्तियों को नामित किया जाता है जिनमें से कम से कम 10 व्यक्तिय व्यापार नीति के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय वाणिज्य परिसंघों के अध्यक्ष या महासचिव जिन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाता है, उसके पदेन सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मंत्रालयों/विभागों के सचिव तथा अन्य अधिकारी व्यापार बोर्ड के सरकारी सदस्य होते हैं। व्यापार बोर्ड का मुख्य कार्य विदेश व्यापार से संबंधित संगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। विदेश व्यापार से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देने में व्यापार बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेश व्यापार नीति तैयार करते समय व्यापार बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा महिलाओं हेतु स्वर्णिम योजना

3083. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु नई स्वर्णिम योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही पिछड़े वर्ग की महिलाएं लिये गए ऋण का निर्धारित दर से ब्याज चुकाने में असमर्थ हैं जिससे वे इस योजना का लाभ उठाने से वंचित हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना के इस पहलू की कभी जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे इस नयी योजना का लाभ उठा सकें; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नव स्वर्णिम योजना का कार्यान्वयन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से किया है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) 50,000 रुपए की अधिकतम ऋण राशि

(ii) परियोजना लागत में लाभार्थी को किसी धनराशि का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) ऋण की अदायगी की अधिकतम अवधि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की अन्य योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित समय से दो वर्ष अधिक है।

(ग) से (च) नई स्वर्णिम योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों से वसूले जाने वाले ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की सामान्य ऋण योजना के अंतर्गत वसूले जा रही ब्याज दर से 2% कम है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष

3084. श्री एंटो एंटोनी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागान फसलों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष अव्यपगतनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) बागान फसलों, अर्थात चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू के लिए कीमत स्थिरीकरण निधि (पी.एस.एफ.) की स्थापना वर्ष 2003 में 10 वर्षों की अवधि अर्थात 31-03-2013 तक के लिए की गयी है।

(ग) जो किसान पी.एस.एफ. स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत हैं उनकी संख्या से संबंधित राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	31-3-2009 की स्थिति के अनुसार कुल नामांकन
आन्ध्र प्रदेश	5455
हिमाचल प्रदेश	46
कर्णाटक	2942
केरल	19242
उड़ीसा	79
पश्चिमी बंगाल	132
तमिलनाडु	13487
पूर्वोत्तर राज्य	4791
कुल	46174

यूरोपीय कस्टम द्वारा दवा की खेप जब्त करना

3085. **श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत यूरोपीय कस्टम द्वारा दवा की खेप को जब्त करने के मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निस्तारण निकाय के समक्ष उठाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये जा रहे अन्य सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) भारत ने इस मुद्दे पर यूरोपीय आयोग के साथ औपचारिक विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है। यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के विवाद निपटान निकाय में औपचारिक विवाद से पूर्व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है।

भारत ने यह मामला दिनांक 3 फरवरी, 2009 को आयोजित डब्ल्यू.टी.ओ. की महापरिषद की बैठक में तथा दिनांक 3 मार्च, 2009 और 8 जून, 2009 को आयोजित डब्ल्यू.टी.ओ. की ट्रिप्स परिषद की बैठकों में भी उठाया था। भारत ने ई.सी. से अपने विनियम 1383/2003 तथा ई.सी. विनियम पर आधारित राष्ट्रीय प्राधिकरणों की कार्यवाहियों की तत्काल समीक्षा का आग्रह किया। भारत इस बात पर बल देता रहा है कि ई.सी. विनियम तथा कार्यवाहियां ट्रिप्स करार की मूल भावना, डब्ल्यू.टी.ओ. प्रणाली पर आधारित नियमों और लोक स्वास्थ्य से संबंधित दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र के अनुरूप होनी चाहिए। भारत, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठकों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अत्यधिक प्रवर्तन तथा जेनेरिक औषधियों संबंधी पहुंच एवं व्यापार दोनों पर उसके प्रतिकूल प्रभाव का अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाता रहा है। दवाओं को जब्त किए जाने का मामला भी द्विपक्षीय रूप से नीदरलैंड तथा यूरोपीय आयोग के समक्ष रखा गया है।

जे.आर.सी.वाई. के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

3086. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**

श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

श्री नरहरि महतो:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (जे.आर.सी.वाई.) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की राज्य-वार-संख्या कितनी है;

(ख) स्वीकृति प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत/संवितरित की गयी है; और

(घ) इस योजना का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या के ब्यौरे, अनुमोदित प्रस्ताव और प्रत्येक मामले में संवितरित वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन और केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के समावेशन और उनके बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर (ड्रॉप आउट रेट) घटाने के उद्देश्य से योजना कार्यान्वित की जाती है। योजना के अंतर्गत लड़कियों के छात्रावासों के लिए राज्य/संघ शासित प्रशासन और केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को 100% सहायता, लड़कियों के छात्रावास के लिए गैर-सरकारी संगठनों और समविश्वविद्यालयों को 90% सहायता दी जाती है। लड़कों के छात्रावास के लिए राज्य सरकारों को 50% सहायता और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को 90% सहायता दी जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत अनुसूचित जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुमोदित प्रस्ताव और संवितरित राशि का ब्यौरा

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	अनुमोदित राशि	निर्गत राशि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	7	4	1696	1696
असम	5	4	360	358
बिहार	4	2	675	675
छत्तीसगढ़	7	6	1507	1507
दिल्ली	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	9	8	576	576
हरियाणा	5	5	645	457
हिमाचल प्रदेश	2	2	220	69
जम्मू-कश्मीर	3	2	161	161
झारखंड	7	7	708	665

1	2	3	4	5
कर्णाटक	8	8	1575	1575
केरल	2	1	110	110
मध्य प्रदेश	7	7	1963	1963
महाराष्ट्र	2	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	57	57
उड़ीसा	7	7	5049	4552
पंजाब	3	2	133	133
राजस्थान	3	6	5338	5338
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	6	6	1497	1446
त्रिपुरा	1	1	28	28
उत्तर प्रदेश	4	4	1897	1897
उत्तराखंड	2	2	143	143
पश्चिम बंगाल	2	2	765	765
चंडीगढ़	0	0	0	0
पुडुचेरी	2	0	0	0
कुल	102	86	21482	20550

स्पेक्ट्रम शुल्क से राजस्व

3087. **श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्पेक्ट्रम शुल्क के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्पेक्ट्रम शुल्क बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका टैरिफ पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार किस प्रकार टैरिफ में वृद्धि रोकने तथा स्पेक्ट्रम शुल्क के माध्यम से और अधिक राजस्व अर्जित करने की योजना बना रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्पेक्ट्रम शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व की राशि निम्नवत् है:

(राशि करोड़ रु.)

2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 की पहली तिमाही
2090.38	3056.58	3455.27	916.65 (लगभग)

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के स्पेक्ट्रम शुल्क को समायोजित सकल राजस्व (ए.जी.आर.) की प्रतिशतता के रूप में प्रभारित किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रशुल्क का विनियमन करता है।

[हिन्दी]

दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार कंपनियां

3088. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश सहित देश के पर्वतीय तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाली निजी दूरसंचार कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा रही कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके संचालन वाले क्षेत्र कौन से हैं तथा उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) देश के पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली निजी दूरसंचार कंपनियों जिनके प्रचालन क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, की संख्या और ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। दूरसंचार विभाग पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, 31-5-2009 की स्थिति के अनुसार, देश के कंपनी-वार, क्षेत्र-वार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस की मौजूदा नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों (पी.बी.एस.ओ.) के लिए कोई रॉल आऊट दायित्व नहीं है।

विवरण-I

हिमाचल प्रदेश सहित देश के पहाड़ी एवं सुदूर क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाली निजी दूरसंचार कंपनियों की संख्या एवं नाम को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	लाइसेंसधारक की संख्या	लाइसेंसधारक का नाम	सेवा क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	असम	12	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड,	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र

1	2	3	4	5
			डिशनेट बेतार लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड, डाटाकाम सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, लूप टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, एस.टेल. लिमिटेड, सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लिमिटेड	
2.	हिमाचल प्रदेश	13	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, डिशनेट बेतार लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड, डाटाकाम सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, लूप टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, एस.टेल. लिमिटेड, सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (नार्थ) प्रा. लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
3.	पश्चिमी बंगाल	12	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, डिशनेट बेतार लिमिटेड,	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा कोलकाता महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर होने वाले

1	2	3	4	5
			भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड, डाटाकाम सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, लूप टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लिमिटेड	क्षेत्रों को छोड़कर पश्चिमी बंगाल एवं सक्किम राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।
4.	जम्मू और कश्मीर	12	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, डिशनेट बेतार लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड, डाटाकाम सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, लूप टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, एस.टेल. लिमिटेड, सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (नार्थ) प्रा. लिमिटेड	लद्दाख स्वायत्त परिषद सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला संपर्ण क्षेत्र।
5.	पूर्वोत्तर	12	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, डिशनेट वायरलेस लिमिटेड, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड, डाटाकाम सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, लूप टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड,	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।

1	2	3	4	5
			एस.टेल. लिमिटेड, सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लिमिटेड	
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	12	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, डिशनेट वायरलेस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक लिमिटेड, डाटाकाम सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, एटिसालाट डी.बी. टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, लूप टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लिमिटेड	पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र जिनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर इसके सीमावर्ती जिले शाहजहांपुर, फर्रूखाबाद, कानपुर और जालौन शामिल हैं।
7.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, डिशनेट वायरलेस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार साऊथ लिमिटेड, डाटाकाम सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, एटिसालाट डी.बी. टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, लूप टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लिमिटेड	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर इसके सीमावर्ती जिले पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी और इटावा शामिल हैं। इनमें गाजियाबाद और नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। तथापि, इनमें दिनांक 25 अगस्त, 2000 के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की सं. 29) के अनुसरण में नव सृजित राज्य उत्तरांचल भी शामिल होगा।

विवरण-II

31-5-2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी-वार, क्षेत्र-वार टेलीफोनों (लैंडलाइन+डब्ल्यू.एल.एल.+जी.एस.एम.) का ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल/राज्य	निजी प्रचालकों के टेलीफोन									सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टेलीफोन		टेलीफोनों का कुल जोड़
		भारती एयरटेल लिमिटेड	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड	एचएफ सीएल इंफोटेल लिमिटेड	बीपीएल मोबाइल	एयरसेल	रिलायंस टेलीकॉम+ कम्युनि-केशन्स लिमिटेड	वोडाफोन एस्सार	आइडिया मोबाइल कम्यूनि-केशन्स	बीएसएनएल (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	एमटीएनएल (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	
1.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104671	0	104671
2.	आन्ध्र प्रदेश	9927848	3438320	0	0	0	157237	5859919	4257943	5292520	5740935	0	34674722
3.	असम	1684159	59305	0	0	0	1880377	1420453	231625	0	1348051	0	6623970
4.	बिहार	8159469	1879233	0	0	0	1502738	5972648	1251331	1201417	3214337	0	23181173
5.	छत्तीसगढ़	60891	0	0	0	0	0	0	0	0	1156839	0	1217730
6.	गुजरात	4291538	1511166	0	0	0	0	4342059	8415802	4082321	4549858	0	27192744
7.	हरियाणा	1301694	1398576	0	0	0	0	1908619	2310951	1597891	2699757	0	11217488
8.	हिमाचल प्रदेश	991275	140844	0	0	0	149604	1060158	63517	150247	1330062	0	3885707
9.	जम्मू-कश्मीर	1785817	63419	0	0	0	930250	153430	85664	0	1176218	0	4194798
10.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1281088	0	1281088
11.	कर्नाटक	10750844	1513184	0	0	0	145026	4360975	3946252	1715291	5038235	0	27469807
12.	केरल	2553344	797306	28683	0	0	133195	2782534	3370227	4607373	6609768	0	20882430

13. मध्य प्रदेश	5241506	1373855	0.	0	0	0	6560355	534564	5400258	3283539	0	22394077
14. महाराष्ट्र (-) मुंबई	6090751	4998537	0	0	0	0	5095816	5141142	7800638	7023882	0	36150766
15. पूर्वोत्तर	1005121	27092	0	0	0	1143859	467380	245980	0	1166155	0	4055587
16. उड़ीसा	3253456	709215	0	0	0	990903	2205071	572757	100237	2355484	0	10187123
17. पंजाब	3947601	1460967	0	544449	0	0	1873783	2303023	2519732	4281790	0	16931345
18. राजस्थान	7605945	2652908	912276	0	0	0	3465304	5401156	1288417	4628484	0	25954490
19. तमिलनाडु (-) चेन्नई	6708162	726242	68913	0	0	8654732	4196193	5550119	6066	5731713	0	31642140
20. उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1130780	0	1130780
21. उत्तर प्रदेश (पूर्व)	6490002	1595128	0	0	0	77173	5585811	7176532	2251382	7651863	0	30827891
22. उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2507971	2290916	0	0	0	78358	4168366	4674719	4282063	2910173	0	20912566
23. पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	3886556	1021556	0	0	0	1295658	3282339	5249681	0	3000076	0	17735866
24. कोलकाता	2590625	1581170	0	0	0	552914	2989158	2970734	0	2993016	0	13677617
25. चेन्नै	2546579	469259	41304	0	0	2613806	1495143	1606108	0	2167789	0	10939988
26. दिल्ली	5861910	4863873	0	0	0	239254	4426917	4203442	2326058	0	3618123	25539577
27. मुंबई	3097445	2853263	0	0	2256862	140627	4673773	4517438	856365	0	4509251	22905024
जोड़	102340509	37425334	1051176	544449	2256862	20685711	78346204	74080707	45478276	82574563	8127374	452911165

केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का दाखिला

3089. श्री अशोक अर्गल:

श्री मिथिलेश कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष श्रेणी के बच्चों सहित श्रेणी-वार तथा राज्य-वार कितने बच्चों को दाखिला दिया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान संसद सदस्यों तथा मंत्रियों की सिफारिश पर केन्द्रीय विद्यालयों में कितने बच्चों को दाखिला दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान संसद सदस्यों तथा मंत्रियों से प्राप्त 2813 सिफारिशों को दाखिले हेतु विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों को अग्रेषित किया गया।

विवरण

संसद सदस्यों और मंत्रियों से प्राप्त सिफारिशों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	अ.जा.	अ.ज.जा.	शारीरिक रूप से विकलांग	अन्य पिछड़ा वर्ग	विशेष श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान व निकोबार (संघ शासित क्षेत्र)	34	15	1	8	00
2.	अरुणाचल प्रदेश	753	1384	6	24	00
3.	आन्ध्र प्रदेश	1364	382	0	00	69
4.	असम	2780	2111	15	78	4
5.	बिहार	515	79	00	318	00
6.	चंडीगढ़	116	12	00	3	00
7.	छत्तीसगढ़	1046	652	00	495	207
8.	दिल्ली	1639	449	25	214	2512
9.	गोवा	49	9	00	23	19
10.	हिमाचल प्रदेश	1287	984,	5	148	00
11.	हरियाणा	2279	170	23	365	35
12.	जम्मू और कश्मीर	2438	886	00	134	21
13.	झारखंड	413	327	00	00	00
14.	कर्नाटक	882	271	00	152	106

1	2	3	4	5	6	7
15.	केरल	864	154	00	770	45
16.	लक्षद्वीप	2	19	00	1	00
17.	मध्य प्रदेश	1854	807	00	761	191
18.	महाराष्ट्र	1040	211	12	198	300
19.	मणिपुर	48	143	00	00	6
20.	मेघालय	527	741	4	4	0
21.	मिजोरम	7	125	00	00	3
22.	नागालैंड	26	29	00	00	2
23.	उड़ीसा	358	340	00	00	00
24.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	72	3	00	107	3
25.	पंजाब	6745	364	19	468	1
26.	राजस्थान	5304	3207	00	2469	69
27.	सिक्किम	33	20	1	18	00
28.	सिलवासा (दादरा व नगर हवेली) (संघ शासित क्षेत्र)	14	25	00	00	00
29.	तमिलनाडु	1029	83	00	9	00
30.	त्रिपुरा	62	44	00	00	2
31.	उत्तराखंड	590	107	00	00	00
32.	उत्तर प्रदेश	2612	210	1	774	457
33.	पश्चिम बंगाल	1167	290	9	130	00
34.	दीव (संघ शासित क्षेत्र)	2	4	00	00	00
35.	गुजरात	569	191	00	35	00
	कुल	38520	14848	121	7706	4052

[अनुवाद]

समेकित अन्तर्देशीय जल परिवहन और तटीय पोत परिवहन

3090. श्री रामसिंह राठवा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से देश में नदी-समुद्र पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए समेकित अन्तर्देशीय जल परिवहन और तटीय पोत परिवहन के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं को निजी-सरकारी भागीदारी आधार पर निष्पादित किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की नदियों के तटों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ई-शासन के लिए इंटर-कनेक्टिविटी शुल्क

3091. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्णाटक सहित कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से ई-शासन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए ई-सेवा तथा अन्य सरकारी परियोजनाओं हेतु ई-शासन आवेदनों के लिए इंटर-कनेक्टिविटी शुल्क को माफ करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

इग्नू द्वारा शुल्क में कमी

3092. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए शुल्क को घटाकर आधा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीब छात्रों के लिए शुल्क में कमी करने हेतु देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को कोई निदेश जारी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर कृषि विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को फीस में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करता है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अभ्यर्थी बशर्ते कि वे निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें; और

(ii) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी विद्यार्थी बशर्ते कि वे आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना

3093. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी राज्य में केन्द्रीय विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या गुजरात राज्य में केन्द्रीय विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इन विद्यालयों में कितने छात्र हैं;

(ङ) क्या इन विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की काफी कमी है;

(च) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) गुजरात में चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की छात्राओं के आरक्षण की क्या स्थिति है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना राज्य सरकार, केन्द्रीय मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि जैसे प्रायोजक से मुफ्त जमीन तथा अस्थायी आवास, विशेष वर्गों के छात्रों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता संबंधी व्यवहार्थ प्रस्ताव के प्राप्त होने पर निर्भर करती है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना, संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार से किसी ऐसे व्यवहार्य प्रस्ताव के प्राप्त होने पर निर्भर करती है जिसमें नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थायी भवन का निर्माण होने तक अस्थायी भवन के प्रावधान की पेशकश की गई हो।

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) गुजरात राज्य में केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं तथा बालिकाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संबंधित जिलों में इन वर्गों के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है परंतु यह राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में एक तिहाई सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होती हैं।

बी.एस.एन.एल. में विनिवेश

3094. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के विकास एवं विस्तार के प्रयोजनों के लिए इसका विनिवेश किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी बी.एस.एन.एल. के पास कितनी राशि उपलब्ध है तथा इसके विकास एवं विस्तार योजना के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) बोर्ड ने 25 जुलाई, 2008 को आयोजित अपनी 113वीं बोर्ड की बैठक में, सूचीबद्ध किए जाने के सभी पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के बाद और नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के कंपनी के दावे को सशक्त बनाने के आशय से निर्णय लिया है कि कंपनी को सूचीबद्ध करवाया जाना चाहिए।

सरकार निम्नलिखित कारणों से बी.एस.एन.एल. में अपनी इक्विटी शेयर धारिता के हिस्से की आम जनता को बिक्री की पेशकश पर विचार कर रही है:

- बी.एस.एन.एल. को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने में आसानी होगी।
- बी.एस.एन.एल. के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- यदि आवश्यकता हो, नई इक्विटी पूंजी के सृजन के लिए पूंजी बाजार में पहुंच की सुविधा हो जाएगी।

(ग) और (घ) 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार, बी.एस.एन.एल. के पास उपलब्ध कुल राशि (नकद एवं बैंक शेष) 35337 करोड़ रु. है तथा वर्ष 2009-10 के दौरान विकास एवं विस्तार योजना के लिए अपेक्षित धनराशि 14015 करोड़ रु. है। अत: बी.एस.एन.एल. इस समय आंतरिक संसाधनों से फंड संबंधी अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है।

लड़कियों तथा महिलाओं के लिए ड्रेस कोड

3095. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूलों तथा कालेजों में लड़कियों

तथा महिलाओं के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काजू बोर्ड

3096. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना केरल में काजू बोर्ड की स्थापना करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित काजू बोर्ड की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार द्वारा केरल में काजू बोर्ड की स्थापना करने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

विद्यालयों में यौन शिक्षा

3097. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में यौन शिक्षा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने के पश्चात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में लागू करने हेतु "किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम" प्रारंभ किया है।

इस कार्यक्रम में प्रयुक्त सामग्री की उपयुक्तता के संबंध में कुछ आलोचनाओं के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित सामग्री की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों को भी स्थानीय परिवेश तथा सामाजिक-सांस्कृतिक नैतिकता के अनुरूप इन सामग्रियों को अनुकूलित करने के प्रयोजनार्थ इनकी समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) जो किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम हेतु नोडल संगठन है, से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात तथा राजस्थान राज्य सरकारें किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं कर रही हैं, जबकि केरल, कर्णाटक तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारें इस कार्यक्रम की विषय-वस्तु की समीक्षा किए जाने के पक्ष में हैं।

चाय का उत्पादन

3098. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में चाय के उत्पादन से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्वभर में चाय की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में चाय के उत्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में हुए चाय के उत्पादन से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	चाय का उत्पादन (मिलियन किग्रा.)
2006	981.80
2007	986.43
2008*	980.82
2009* (जनवरी से मई)	215.85

(*अनुमानित तथा संशोधन के अध्यधीन)

(ख) विश्व भर में चाय की कोई कमी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत में चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में चाय के पुराने एवं अलाभकारी खण्डों का पुनर्रोपण तथा पुनरूद्धार, लघु उपजकर्ताओं द्वारा नवरोपण, सिंचाई तथा जल निकासी सुविधाओं का सृजन, लघु उपजकर्ताओं को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना, प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, कामगारों, प्रबंधकों तथा लघु उपजकर्ताओं को प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास सहायता शामिल हैं। वर्ष 2008 में चाय का उत्पादन वर्ष 2002 में हुए 838.47 मिलियन किग्रा. की तुलना में बढ़कर 980.82 मिलियन किग्रा. (अनुमानित एवं संशोधन के अध्यधीन) रहा था।

सक्सेस योजना

3099. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सहित देश में 'सक्सेस' योजना अभी भी कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आवंटित/जारी की गई तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मार्च, 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। प्रस्ताव स्तर पर इस स्कीम को सक्सेस (माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा गुणवत्ता सुधार स्कीम) नाम दिया गया था।

(ख) और (ग) इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान बजट आबंटन इस प्रकार है:-

2006-07	शून्य
2007-08	1305 करोड़ रु.
2008-09	2185 करोड़ रु.
2009-10	1353.98 करोड़ रु.

स्कीम के अंतर्गत अभी तक कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

विश्वविद्यालयों को निधि

3100. श्री पी. बलराम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के वैज्ञानिक प्रयोगों तथा अवसंरचना प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य-वार कितनी राशि आबंटित/जारी की गई;

(ख) क्या विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा इस राशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन सभी पात्र विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं को विकास अनुदान प्रदान करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों के संबंध में ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान आबंटित, जारी किया गया योजनागत सामान्य विकास अनुदान तथा वास्तविक व्यय (राज्य-वार) दर्शाने वाला विवरण संलग्न

है। इसमें से 143.56 करोड़ रुपए की राशि विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में बेसिक विज्ञान अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोफेसर एम.एम. शर्मा कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई। लाभग्राही विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदान राशि का उपयोग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। तथापि, पहले से प्रदत्त अनुदान राशि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही आगे अनुदान राशि जारी की जाती है।

विवरण

एस.यू. ब्यूरो

11वीं योजनावधि के दौरान जारी किया गया अनुदान तथा किए गए व्यय की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	11वीं योजना का आबंटन	जारी किया गया अनुदान	किया गया व्यय/ उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5
1.	**आन्ध्र प्रदेश**			
1.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम	1428.75	457.20	114.30
2.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	962.50	308.00	77.00
3.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुननगर	926.25	296.40	37.18
4.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1396.68	446.94	112.94
5.	पी.एस. तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद	609.38	195.00	24.77
6.	एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति	1137.33	363.95	45.49
7.	एस.पी.एम. विश्वविद्यालय, तिरूपति	843.75	270.00	54.30
8.	एस.के.डी. विश्वविद्यालय, अनंतपुर	875.00	280.00	35.00
9.	जे.एन.टी.यू., हैदराबाद	429.00	128.70	85.80
10.	एन.ए.एल.एस.ए.आर. विश्वविद्यालय, हैदराबाद	400.00	160.00	20.42
11.	द्रवड़ियन विश्वविद्यालय, कुप्पम	500.00	105.60	21.60
	कुल	**9079.64**	**3011.79**	**628.80**
2.	**गोवा**			
12.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	1012.50	324.00	41.81
	कुल	**1012.50**	**324.00**	**41.81**

1	2	3	4	5
3.	**गुजरात**			
13.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	843.75	270.00	29.14
14.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	1072.50	343.20	39.18
15.	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा	1880.13	601.64	150.40
16.	नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटण	513.75	164.40	20.95
17.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	828.75	265.20	43.50
18.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	975.00	312.00	43.92
19.	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	1072.50	343.20	30.63
	कुल	**7186.38**	**2299.64**	**357.72**
4.	**कर्णाटक**			
20.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	1436.00	459.52	114.88
21.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	776.25	248.40	62.10
22.	कर्णाटक विश्वविद्यालय, धारवाड	1012.50	324.00	81.00
23.	क्वेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघाट	703.13	225.00	56.24
24.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हाम्पी	500.00	104.00	26.00
25.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर गंगोत्री	762.50	244.00	61.00
26.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	962.50	304.80	-
27.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर	*210.00	84.00	21.00
28.	कर्णाटक स्टेट वूमेन यूनिवर्सिटी, बीजापुर	500.00	100.00	25.00
	कुल	**6642.18**	**2093.72**	**447.22**
5.	**केरल**			
29.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	926.50	296.40	70.10
30.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि	1445.00	462.40	115.60
31.	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनंतपुरम	1000.88	320.28	120.09

1	2	3	4	5
32.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	868.25	277.84	69.46
33.	कन्नूर विश्वविद्यालय, मंगत्तूप्रम्बा	1153.00	368.96	92.24
34.	श्रीशंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी	500.00	64.00	8.00
	कुल	**5893.63**	**1789.88**	**475.49**
6.	**मध्य प्रदेश**			
35.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा	795.00	254.40	41.49
36.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	976.25	312.40	-
37.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	795.00	254.40	-
38.	डॉ.एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	**882.60	353.04	-
39.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	787.50	252.00	31.38
40.	एम.जी. ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	525.00	168.00	36.37
41.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	1023.75	327.60	59.93
42.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	1025.00	328.00	288.08
43.	नेशनल लॉ इंस्टी. विश्वविद्यालय, भोपाल	*430.00	172.00	-
44.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, भोपाल	*100.00	100.00	-
	कुल	**5927.50**	**2521.84**	**457.25**
7.	**महाराष्ट्र**			
45.	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	784.38	251.00	62.74
46.	डॉ. बी.ए. मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	875.00	280.00	-
47.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	1708.75	546.80	48.40
48.	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	1149.75	367.92	40.33
49.	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	647.50	207.20	50.31
50.	पुणे विश्वविद्यालय, पूना	1031.25	330.00	76.58
51.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	898.13	287.40	71.84

1	2	3	4	5
52.	एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, मुंबई	1357.35	434.35	-
53.	एस.आर.टी. मराठवाडा विश्वविद्यालय, नान्देड	562.50	180.00	45.00
54.	डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, रायगढ़	500.00	200.00	-
	कुल	**9514.61**	**3084.67**	**395.20**
8.	**तमिनलाडु**			
55	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	1902.50	608.80	71.28
56.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	795.00	254.40	55.79
			+125.00	**+125.00**
			379.40	**180.79**
57.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	1331.83	426.18	53.27
58.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	828.75	265.20	66.30
59.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	825.00	264.00	66.00
60.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	975.00	312.00	39.00
61.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	1125.00	360.00	-
62.	एम.एस. विश्वविद्यालय, तिरूनेलवल्ली	700.00	224.00	112.00
63.	मदर टेरेसा वूमेन यूनिवर्सिटी, कोडईकनाल	609.38	195.00	48.74
64.	तमिलन विश्वविद्यालय, तंजावुर	562.50	180.00	50.06
65.	पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम	500.00	64.00	790
	कुल	**10154.96**	**3278.58**	**695.34**
9.	**असम**			
66.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	1012.50	324.00	-
67.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	1012.50	324.00	40.50
	कुल	**2025.00**	**648.00**	**40.50**
10.	**बिहार**			
68.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	756.25	242.00	30.24

1	2	3	4	5
69.	बी.बी.ए. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	732.68	234.45	-
70.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	820.00	262.40	32.80
71.	के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	509.88	163.16	20.29
72.	मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया	772.63	247.24	29.93
73.	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	795.00	254.40	31.80
74.	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	590.00	188.80	34.05
75.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	500.00	56.00	7.00
76.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	500.00	110.40	13.80
	कुल	**5976.44**	**1758.85**	**199.91**
11.	**दिल्ली**			
77.	गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	562.50	180.00	45.00
	कुल	**562.50**	**180.00**	**45.00**
12.	**हरियाणा**			
78.	एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक	1072.50	343.20	17.49
79.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	950.00	304.00	38.00
80.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	512.50	164.00	-
81.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	500.00	200.00	-
82.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	*100.00	100.00	-
83.	दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल	*100.00	100.00	-
	कुल	**10305.00**	**1211.20**	**55.49**
13.	**हिमाचल प्रदेश**			
84.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1012.50	324.00	34.05
	कुल	**1012.50**	**324.00**	**34.05**

1	2	3	4	5
14.	**जम्मू व कश्मीर**			
85.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल	1012.50	324.00	81.00
86.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तवी	1000.00	320.00	119.69
	कुल	**2012.50**	**644.00**	**200.69**
15.	**झारखंड**			
87.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	780.00	249.60	-
88.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	660.63	211.40	62.40
89.	सिडो कान्हू मुरमू विश्वविद्यालय, कुमका	500.00	200.00	-
	कुल	**1940.63**	**661.00**	**62.40**
16.	**उड़ीसा**			
90.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	920.00	294.40	-
91.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, भंजा, बिहार	975.00	312.00	38.13
92.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार	1136.75	363.76	15.08
93.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	587.50	188.00	11.08
94.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	500.00	76.00	13.40
95.	उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाडा	500.00	200.00	-
96.	रावेनश विश्वविद्यालय, कटक	500.00	200.00	-
	कुल	**5119.25**	**1634.16**	**77.69**
17.	**पंजाब**			
97.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ	1224.25	391.76	42.27
98.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	926.25	296.40	35.92
99.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	1072.50	343.20	85.78
	कुल	**3223.00**	**1031.36**	**163.97**
18.	**राजस्थान**			
100.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1050.00	336.00	-
101.	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	1049.50	335.84	18.02

1	2	3	4	5
102.	एम.एल. सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	642.50	205.60	26.37
103.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	700.00	224.00	5.23
	कुल	**3442.00**	**1101.44**	**49.62**
19.	**उत्तर प्रदेश**			
104.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	562.50	180.00	22.50
105.	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	895.00	286.40	
106.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	*600.00	240.00	-
107.	डॉ. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	586.88	187.80	-
108.	डी.डी.यू.गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ	674.15	215.73	-
109.	रखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1077.50	344.80	51.22
110.	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	532.50	170.40	12.40
111.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	562.50	180.00	22.50
112.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	701.25	224.40	25.34
113.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	500.00	160.00	19.87
114.	चौ. साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	503.75	161.20	57.83
115.	जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांगों से संबंधित विश्वविद्यालय, चित्रकूटनम	*454.80	45.48	22.74
	कुल	**7196.03**	**2396.21**	**234.40**
20.	**उत्तरांचल**			
116.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	**650.00	260.00	65.00
117.	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	926.25	296.40	38.35
	कुल	**1576.25**	**556.40**	**103.35**
21.	**पश्चिम बंगाल**			
118.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	1442.50	461.60	52.70
119.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	1856.88	594.20	148.54

1	2	3	4	5
120.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	867.50	277.60	69.40
121.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	790.00	252.80	31.60
122.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	930.00	297.60	111.60
123.	रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	1012.50	324.00	86.72
124.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, पश्चिम मिदनापुर	742.50	237.60	59.40
125.	बंगाल इंजीनियरी विश्वविद्यालय, हावड़ा, शिबपुर	937.50	300.00	37.50
126.	पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोलकाता	500.00	200.00	-
	कुल	**9079.38**	**2945.40**	**597.46**
22.	**छत्तीसगढ़**			
127.	गुरू घासीनाथ विश्वविद्यालय, बिलासपुर	**600.00	240.00	30.00
128.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	562.50	180.00	22.50
129.1	पं. रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	795.00	254.40	31.80
130.1	एच.एन. विधि विश्वविद्यालय, रायपुर	**140.00	56.00	49.00
	कुल	**1357.50**	**730.40**	**133.30**

*अनंतिम आबंटन, अंतिम आबंटन अभी नहीं किया गया है।

**इन विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्तरोन्नत किया गया है।

11वीं योजना के दौरान सम-विश्वविद्यालयों से प्राप्त उपयोगिता प्रमांणपत्र और जारी किए गए अनुदान (2007-2008 से 2008-2009)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय/संस्था	बजट आबंटन	जारी किया गया अनुदान 2007-09	उपयोग किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	श्री सत्य सांई उच्च अध्ययन संस्थान प्रशान्ति निलायम	962.00	169.74	23.40

1	2	3	4	5
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	966.50	122.28	11.55
3.	*केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	-	57.73	-
	दिल्ली			
4.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	1768.10	361.17	-
5.	श्री एल.बी.एस. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली	1162.50	104.09	34.97
6.	भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली**	***300.00	300.00	-
	गुजरात			
7.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	924.00	174.99	-
	झारखण्ड			
8.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	***963.94	179.99	48.00
	महाराष्ट्र			
9.	दक्षिण पी.जी. कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	482.00	346.61	-
10.	गोखले राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थान, पुणे	-	-	-
11.	रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, नथलाल पारेख मार्ग, मातुन्गा, मुम्बई	***100.00	100.00	-
12.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	1698.50	308.75	-
13.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	851.50	181.96	100.00
	पंजाब			
14.	थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	***1041.80	274.13	110.30
	राजस्थान			
15.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	1316.50	170.58	50.40
16.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	***1097.40	192.79	-

1	2	3	4	5
17.	जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनून	669.00	135.49	24.92
18.	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	-	-	-
	तमिलनाडु			
19.	अनाशी लिंगम ग्रह विज्ञान एवं उच्चतर शिक्षा महिला संस्थान, कोयम्बटूर	1167.80	220.74	49.42
20.	चेन्नई मेथमेटिक्ल इंस्टीटयू, एच.एल.एस. आई.पी.सी.ओ.टी. आई.टी. पार्क पादूर पोस्ट सिरूसेरी (तमिलनाडु)	***450.00	450.00	-
21.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	1438.70	215.04	60.69
22.	श्री चन्द्रशेखेरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय कांचीपुरम	***878.10	120.61	25.50
	उत्तर प्रदेश			
23.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ, वाराणसी	567.50	84.07	10.50
24.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	739.00	204.71	59.47
	उत्तरांचल			
25.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	***112.78	112.78	16.73
	पश्चिम बंगाल			
26.	आर.के.एम. विवेकानन्द शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, वेल्लूर मठ हावड़ा**	***672.26	672.26	252.27
	कुल	**20329.88**	**5256.12**	**878.12**

*वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया।

**भवन के लिए स्पेशल अनुदान के रूप में संस्वीकृत।

***तदर्थ आबंटन

11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी सामान्य विकास अनुदान (योजनागत अनुदान)

(लाख रु.)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	11वीं योजना का आबंटन	जारी किया गया अनुदान 2007-2009	किया गया व्यय
1	2	3	4	5
मेनलैंड विश्वविद्यालय				
	उत्तर प्रदेश			
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	15337.13	4015.34	1688.30
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	23199.45	7711.90	3182.40
3.	बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	14591.00	1334.78	378.93
4.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	10444.75	2720.09	892.01
	दिल्ली			
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय	17000.00	5747.60	1907.69
	यू.सी.एम.एस.	2061.22	525.34	57.29
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया	18500.00	4333.90	7432.49*
7.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	14781.25	4453.85	3179.21
	महाराष्ट्र			
8.	एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय	6405.00	1539.28	1423.19
	आन्ध्र प्रदेश			
9.	एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	12055.00	3329.20	3409.74*
10.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	13437.50	5410.25	5505.68
11.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	15000.00	3752.80	2879.56*
	पुडुचेरी			
12.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	12350.00	3218.81	3218.83

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल			
13.	विश्व भारती विश्वविद्यालय	15257.00	3335.78	2890.24
उप योग (क) मेनलैंड सी.यू.		**########**	**51428.92**	**38045.56**
एन.ई.आर. का				
	असम			
14.	असम विश्वविद्यालय	7000.00	1750.00	1731.90
15.	तेजपुर विश्वविद्यालय	9225.00	6091.10	5802.37
	सिक्किम			
16.	सिक्किम विश्वविद्यालय	10000.00	3208.00	1294.07*
	नागालैण्ड			
17.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	8250.00	700.00	435.92
	मेघालय			
18.	पूर्वोत्तर हिल्स विश्वविद्यालय	12380.00	3715.85	2114.78*
	मिजोरम			
19.	मिजोरम विश्वविद्यालय	17032.50	5207.13	5191.02
	मणिपुर			
20.	मणिपुर विश्वविद्यालय	8797.20	3315.32	3280.64
	त्रिपुरा			
21.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	10000.00	2333.80	171768.00
	अरुणाचल प्रदेश			
22.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	5114.75	600.00	187.50
	उपयोग (ख) एन.ई.आर. का सी.यू.	**87799.45**	**26921.20**	**191806.20**
	कुल योग (क+ख)	########	78380.12	229851.76

तोपखाना का आधुनिकीकरण

3101. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री अधीर चौधरी:
श्री रुद्रमाधव राय:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार थलसेना की तोपखाना विंग का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक योजनाओं सहित, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तोपखाना डिवीजन में किस प्रकार के तथा कितनी बंदूक तथा अन्य हथियार शामिल किए जाने का प्रस्ताव है तथा किन-किन देशों से निविदाएं मंगाई गई हैं;

(घ) क्या उन्नयन के भाग के रूप में देश में विकसित तोपखाना युद्ध तथा नियंत्रण प्रणाली को भी शामिल किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) तोपखाना का आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनेक शस्त्रों और उपस्करों को सेनाओं में पहले ही शामिल किया गया है जबकि अन्य शस्त्रों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया चल रही है। ये अधिप्राप्तियां रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2008 के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं। सेनाओं को धनराशियां उपलब्ध करा दी जाती हैं जो उन्हें सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन से अपनी आवश्यकता के अनुरूप ऐसी मदों की अधिप्राप्ति पर खर्च करती हैं।

[हिन्दी]

फसलों का पेटेंट

3102. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार कितनी फसलों को पेटेंट/पंजीकृत कराया गया है; और

(ख) गन्ना, हल्दी तथा अदरक का पेटेंट कब तक कराए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3(ज) के अनुसार, पादप और जंतु संपूर्ण रूप में या उनके कोई भी हिस्से पेटेंटनीय नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राचीन भाषा के रूप में तमिल का विकास

3103. श्री टी.आर. बालू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक प्राचीन भाषा के रूप में तमिल भाषा के विकास हेतु तमिलनाडु सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ तमिलनाडु सरकार को कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए कितना व्यय किया गया; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में भाषा-वार गैर-प्राचीन भाषाओं के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) चेन्नई में केन्द्रीय श्रेण्य तमिल भाषा संस्थान की स्थापना, श्रेण्य तमिल भाषा उत्कृष्टता केन्द्र के अस्थाई स्टॉफ को मैसूर से केन्द्रीय श्रेण्य तमिल भाषा संस्थान, चेन्नई में स्थानांतरित करने तथा श्रेण्य तमिल भाषा हेतु राष्ट्रपति पुरस्कारों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनके संबंध में सभी प्रस्तावों पर उचित कार्रवाई की जा चुकी है।

(ख) सभी राशियां केन्द्रीय श्रेण्य तमिल भाषा संस्थान को जारी की गई थीं न कि तमिलनाडु सरकार को क्योंकि संस्थान इस मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान 19 अनुसूचित भाषाओं (हिन्दी, तमिल, संस्कृत को छोड़कर) के विकास पर किए गए खर्च का वर्ष-वार तथा भाषा-वार विवरण

(आंकड़े लाख रु.)

क्र. सं.	भाषा	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1.	उर्दू	1080.90	1213.47	1713.78	1804.41	1830.53	7643.09
2.	कश्मीरी	16.22	11.36	13.69	13.29	16.11	70.67
3.	पंजाबी	16.01	11.36	13.71	13.30	16.12	70.50
4.	डोगरी	0	0	13.70	13.29	16.12	43.11
5.	असमी	23.65	22.82	6.65	7.74	7.47	68.33
6.	बंगाली	23.65	15.40	13.42	15.68	19.05	87.20
7.	मैथिली	0	0	13.43	15.68	19.05	48.16
8.	उड़िया	23.65	15.40	13.43	15.68	19.05	87.21
9.	संथाली	0	0	13.43	15.68	19.05	48.16
10.	बोडो	0	0	11.83	15.32	16.00	43.15
11.	मणिपुरी	14.22	15.60	8.13	10.46	11.76	60.17
12.	नेपाली	14.94	11.14	10.35	16.00	14.94	67.37
13.	गुजराती	14.40	8.42	6.46	9.10	12.00	50.38
14.	कोंकणी	0	0	7.06	9.45	12.19	28.70
15.	मराठी	14.57	8.40	6.52	9.23	12.28	51.00
16.	सिंधी	14.46	8.51	6.52	9.19	12.37	51.05
17.	कन्नड़	2.31	28.51	12.26	20.47	27.42	90.97
18.	मलयालम	1.29	19.87	15.33	13.65	16.65	66.79
19.	तेलुगू	1.51	12.96	16.86	16.20	30.36	77.89
	कुल	1261.78	1403.22	1916.56	2043.82	2128.52	8753.90

[हिन्दी]

लंबित औद्योगिक परियोजनाएं

3104. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जिनकी औद्योगिक परियोजनाएं स्वीकृति हेतु आज की तारीख तक सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजनाएं कब से लंबित हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं की राज्यवार अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) उक्त परियोजनाओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) राज्य सरकारों की कोई भी औद्योगिक परियोजनाएं इस मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित नहीं हैं। लेकिन, लाइसेंस योग्य पांच उद्योगों के संबंध में, उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए जाते हैं। लाइसेंस मुक्त किए जा चुके क्षेत्र में, उद्यमियों को इस विभाग के औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस.आई.ए.) में औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर करना होता है। औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों का निपटान करना एक निरंतर प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क के निर्यात हेतु लक्ष्य

3105. श्री सुरेश कलमाड़ी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में लौह अयस्क के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार ने विशेष रूप से चीन तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को लौह अयस्क के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक उपलब्धि की तुलना में एम.एम.टी.सी. लि. द्वारा दीर्घावधिक करारों के अंतर्गत जापानी इस्पात मिलों, पॉस्को, दक्षिण कोरिया एवं चीन के क्रेताओं को आपूर्त लौह अयस्क के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा मिलियन टन)

क्रेता का नाम	एल.टी.ए. मात्रा 2006-2010	2006-07		2007-08		2008-09	
		एम.ओ.ए. मात्रा	उपलब्धि	एम.ओ.ए. मात्रा	उपलब्धि	एम.ओ.ए. मात्रा	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
जापानी इस्पात मिलें	3.47-6.75	3.47	2.54*	3.47	2.80	3.47	1.94
पॉस्को, दक्षिण कोरिया	0.80-1.60	1.00	0.65	0.80	0.53	0.80	0.33

1	2	3	4	5	6	7	8
चीन की मिलें	2.50-3.10	2.30	1.22	2.30	1.61	2.42	1.82
कुल	6.77-11.45	6.77	4.41	6.57	4.94	6.69	4.09

टिप्पणी: वार्षिक करार ज्ञापन (एम.ओ.ए.) की तुलना में निष्पादन के प्रयोजनार्थ अगले वर्ष के लिए प्रकीर्ण खेपों सहित वास्तविक निष्पादन।
*निष्पादन का आधार 10 महीने है क्योंकि वार्षिक एम.ओ.ए. पर मई, 2006 के अंत में हस्ताक्षर किए गए थे।

खुले बाजार में राशन की बिक्री

3106. श्री निशिकांत दुबे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सैन्य कार्मिकों हेतु राशन की वस्तुओं के खुले बाजार में बिक्री के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ऐसे कितने मामले सामने आए;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक मामले की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इनका क्या परिणाम निकला तथा इनमें संलिप्त लोगों/एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) वर्ष 2006 से 2009 की अवधि के दौरान चुमथांग में स्थित कतिपय सिविलियन दुकानों में सेना हेतु विशेष राशन की जुलाई, 2007 में यूनिट के एक कार्मिक द्वारा चोरी से बेचे जाने के एक मामले की सूचना थी। इस मामले की जांच सेना की जांच अदालत द्वारा की गई थी जिसमें तीन अफसरों तथा बारह अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को इस घटना में दोषी पाया गया था। इन दोषियों के विरुद्ध अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठो गए हैं:

(i) ऐसी घटनाओं की जांच की जाती है तथा दोषियों को कड़ी सजा दी जाती है।

(ii) ऐसे मामलों का पता लगाने और सूचना देने के लिए यूनिट/विरचना कमांडरों तथा आसूचना यूनिटों के द्वारा जांच/मानीटर की जाती है।

(iii) भंडारों/अधिशेष सामग्री की चोरी का पता लगाने के लिए नियमित रूप से आवधिक/औचक स्टॉक जांच बोर्डों का गठन किया जा रहा है।

(iv) भंडार होल्डरों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है तथा उन्हें समय-समय पर बदल दिया जाता है।

(v) चोरी से माल गायब होने को रोकने के लिए राशन को सुरक्षित स्थानों/भंडार गृहों में रखा जाता है।

[हिन्दी]

नए/अतिरिक्त पत्तनों का निर्माण

3107. श्री जगदीश शर्मा:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नए/अतिरिक्त पत्तनों के निर्माण हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक नए/अतिरिक्त पत्तनों की अनुमानित कार्गो लोडिंग क्षमता कितनी है;

(घ) इन पत्तनों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इन पर कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) देश में नए/अतिरिक्त पत्तनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ङ) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, महापत्तनों से भिन्न पत्तनों को विकसित करना और उनको स्थापित किया जाना राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सफाई कर्मचारियों के उत्थान हेतु योजनाएं

3108. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाएं कब से चलाई जा रही हैं तथा उन पर वार्षिक रूप से खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में निगम द्वारा आवंटित तथा जारी धनराशि और राज्य की चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सफाई कर्मचारियों के उत्थान में ये योजनाएं कितनी सफल रही हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	से योजना प्रचलन में	ब्याज की दर		2008-09 के दौरान संवितरित राशि (करोड़ रुपए)
			रा.स.क. वि. एवं वि. निगम से एस.सी.ए. को	एस.सी.ए. से लाभार्थी को	
1.	सामान्य आवधिक ऋण	जनवरी, 1997	3%	6%	40.35
2.	माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस	जनवरी, 1997	2%	5%	10.24
3.	महिला समृद्धि योजना	अक्तूबर, 2003	1%	4%	18.37
4.	महिला अधिकारिता योजना	जुलाई, 2008	2%	5%	3.90
5.	शिक्षा ऋण	अक्तूबर, 2003	3%	6%	0.17
6.	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	अक्तूबर, 2002	लागू नहीं क्योंकि पाठ्यक्रम फीस एवं वजीफा के लिए 100% अनुदान दिया गया		1.32

(ग) स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा जारी निधियों और उनकी उपयोगिता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों में मूल्यांकन अध्ययन करवाया। मूल्यांकन अध्ययन की निष्पत्तियों में सुझाव दिया गया है कि यह योजना युवाओं को आकर्षित करती है और पारम्परिक अस्वच्छ व्यवसायों को छोड़ने तथा वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाने में उनकी सहायता करती है। लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई है और परिसम्पत्ति का सृजन हुआ है।

विवरण

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्यवार संवितरित निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		संवितरित निधि	उपयोग की कई निधि	संवितरित निधि	उपयोग की कई निधि	संवितरित निधि	उपयोग की कई निधि	संवितरित निधि	उपयोग की कई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1081.76	803.65	1167.91	1871.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	37.92	284.05	0.00	356.25	25.09	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	6.75	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00
5.	छत्तीसगढ़	255.70	20.82	54.00	15.97	408.02	34.08	54.00	29.61
6.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	दिल्ली	0.00	16.60	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	गुजरात	1400.16	513.73	1264.84	116.74	1290.61	760.64	0.00	0.00
10.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	24.96	13.95	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	216.90	4.50	12.95	0.00	65.61	196.32	0.00	13.39
13.	जम्मू-कश्मीर	0.00	98.44	66.23	97.64	81.00	31.18	60.75	1.57
14.	झारखंड	62.50	25.33	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	कर्नाटक	792.70	432.34	0.00	263.61	1612.52	180.00	0.00	206.44
16.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मध्य प्रदेश	1062.20	639.50	2373.79	1736.68	2494.95	831.70	713.70	1350.30
18.	महाराष्ट्र	322.95	331.84	632.68	232.44	552.46	385.11	129.06	179.45
19.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	उड़ीसा	165.40	5.65	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	पुडुचेरी	3.66	0.00	75.31	12.24	6.06	54.44	0.00	0.00
25.	पंजाब	25.21	32.51	24.16	4.01	125.01	53.80	0.00	71.40
26.	राजस्थान	161.15	176.25	143.61	114.73	241.28	108.98	23.40	0.00
27.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	त्रिपुरा	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	उत्तर प्रदेश	410.10	763.42	0.00	317.91	0.00	454.23	0.00	0.00
31.	उत्तराखंड	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
32.	पश्चिमी बंगाल	12.20	0.00	0.00	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
	कुल	5979.32	4022.88	6099.52	4788.23	7285.96	3146.03	1001.57	1852.51

[अनुवाद]

निजी तथा पब्लिक स्कूलों में बी.पी.एल. छात्रों को प्रवेश

3109. **श्री सी. राजेन्द्रन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पब्लिक तथा निजी स्कूलों को कोई निदेश/आदेश जारी किया गया है कि वे अपने स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के कम से कम 20 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दें तथा उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन छात्रों का शैक्षणिक खर्च वहन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पब्लिक तथा निजी स्कूल निदेशों का कितना पालन कर रहे हैं; और

(च) इस संबंध में चूककर्ता स्कूलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान निहित है कि कोई भी गैर सहायता प्राप्त स्कूल जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अपने आस-पास के कमजोर वर्गों तथा वंचित समूह के बच्चों को कक्षा-I में उस कक्षा की कुल क्षमता के कम-से-कम 25% तक दाखिला देगी और उन्हें निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करेगी। पुनः इस विधेयक में कतिपय शर्तों के अध्यधीन यह भी प्रावधान है कि ऐसे स्कूलों को राज्य द्वारा किए जा रहे प्रति बच्चा व्यय की सीमा तक किए गए खर्च अथवा बच्चों से ली जाने वाली वास्तविक राशि दोनों में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उपर्युक्त निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 संसद के विचाराधीन है और ऐसे स्कूलों में आस-पास के गरीब बच्चों के दाखिले में 25% का प्रावधान इसके अधिनियमन के बाद ही प्रभावी होगा।

डाक बीमा योजना

3110. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग के माध्यम से लड़कियों के लिए एक बीमा योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ओ.बी.सी. छात्रों को मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति

3111. **श्री नरहरि महतो:**
श्री प्रशान्त कुमार मजुमदार:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रों को मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुदान मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले एक वर्ष तथा चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल को केन्द्र सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को 7.40 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

गेहूं और चावल का निर्यात

3112. श्री आनंदराव अडसूल:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए गेहूं की कुल मात्रा एवं मूल्य का देशवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय पर कुछ वर्गों ने आपत्ति की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न भंडार के प्रबंधन हेतु रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) कृषि उत्पादों के निर्यात के मुद्दे पर किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम, यदि कोई हो, उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (अप्रैल 08-जनवरी 09) के दौरान प्रमुख देशों को किए गए गेहूं के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(मात्रा मी. टन में, मूल्य लाख रु. में)

देश	2006-07		2007-08		2008-09 (अप्रैल 08-जनवरी 09)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
नेपाल	15206.08	1386.21	153.79	14.01	83.8	8.76
संयुक्त अरब अमीरात	19777.6	1217.29	22	3.17	48	5.01
यू.एस.ए.	90.72	7.27	40	3.6	18.99	1.46
बांग्लादेश	5621.15	441.26	0	0	264	32.86
फ्रांस	0	0	0.2	0.04	200	15.86
अन्य	5937.66	483.06	21.27	3.14	11.4	1.25
कुल	46633.21	3535.09	237.26	23.96	626.19	65.2

स्रोतः ए.पी.ई.डी.ए. - डी.जी.सी.आई.एस.

(ख) और (ग) जी, हां। वर्तमान में गेहूं के निर्यात की अनुमति नहीं है। तथापि दिनांक 3 जुलाई, 2009 की अधिसूचना सं. 116 (आर.ई.-2008)/2004-2009 के तहत दिनांक 31 मार्च, 2010 तक 6.5 लाख मी. टन गेहूं उत्पाद के निर्यात की अनुमति दी गई है। उचित कीमतों पर गेहूं तथा गेहूं उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित

करने के लिए इन उत्पादों के निर्यातों को विनियमित किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) से (ज) जी, हां। सरकार ने खाद्यान्न भण्डारों के प्रापण, प्रबंधन, खाद्यान्नों की केन्द्रीय निर्गम कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित कानून में संशोधन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्रि-समूह गठित किया है। सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति तैयार करते समय कृषकों सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारियों को ध्यान में रखती है।

[हिन्दी]

सेना का आधुनिकीकरण

3113. श्री लालजी टंडन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेना के पैदल सेना स्कंध का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आधुनिकीकरण योजनाएं क्या हैं; और

(ग) इसके कार्यान्वयन की कार्य योजना क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) इंफेन्ट्री बटालियनों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया चल रही है। अनेक आधुनिक शस्त्रों तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति कर ली गई है तथा इससे संबंधित कार्य-योजना में अल्पावधिक, मध्यावधिक तता दीर्घावधिक उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न शस्त्रों तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति करना निहित है।

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.सी. यूनिट

3114. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स (एन.सी.सी.) की इकाईयां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण एक पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसको अपनाना विद्यालयों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

भारत में निर्मित लेबल के अंतर्गत चीनी वस्त्र

3115. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे मामलों का पता लगाया गया है, जहां चीन के वस्त्र "भारत में निर्मित" जाली लेबल के अंतर्गत अफ्रीकी देशों में निर्यात किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। परंतु "भारत में निर्मित" लेबल के अंतर्गत नाइजीरिया को निर्यात किए जा रहे चीन के वस्त्रों के बारे में कुछ प्रेस रिपोर्ट जारी हुई थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को शामिल किया जाना

3116. श्री सी. शिवासामी:

श्री जगदम्बिका पाल:

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से

नविथान, वन्नान और नामोशूद्र सहित और अधिक जातियों को अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की सूची में शामिल करने की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शामिल किए जाने के लिए अनुशंसित जातियों का राज्यवार और समुदायवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) जी हां, वर्ष 2008-09 में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों की सूचियों में पांच समुदायों को शामिल करने के लिए सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। इन सिफारिशों पर अनुमोदित क्रिया-विधियों के अनुसार कार्रवाई कर दी गई है। नवीथान, वन्नान और नामोशूद्र समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूचियों में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव 2008-09 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वर्ष 2002 में, उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों की सूची में नामोशूद्र समुदाय को शामिल करने की सिफारिश की थी। इस मामले पर अनुमोदित क्रिया-विधियों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

वर्ष 2008-09 में, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, तमिलनाडु और कर्णाटक की राज्य सरकारों से अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में आठ जातियों को शामिल करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। इन अनुरोधों को समुचित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

तथापि, वर्ष 2008-09 के दौरान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में नवीथान, वन्नान और नामोशूद्र जातियों को शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव/सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित जातियों के राज्यवार और समुदायवार ब्यौरे:

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रदेश	समुदाय का नाम
1.	छत्तीसगढ़	1. महरा, महारा
		2. चिक, गंडा, चिक, चीक
2.	मध्य प्रदेश	3. सखवार
3.	उड़ीसा	4. चिक, चिक बडैक
		5. तियार, तिओर

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में नए प्रवेश के रूप में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित जातियों के राज्यवार और समुदायवार ब्यौरे:

क्र. सं.	राज्य/संघ प्रदेश	समुदाय का नाम
1.	जम्मू और कश्मीर	1. गिलकार्स (मैसंस)
		2. लभानास
2.	सिक्किम	3. बहुन
		4. चेत्री
		5. नेवार
		6. सन्यासिन्स
3.	तमिलनाडु	*7. रेड्डी गंजम
4.	कर्णाटक	8. अन्य मुस्लिम

*एन.सी.बी.सी. द्वारा रद्द।

सीमेंट का निर्यात

3117. श्री तथागत सत्पथी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय सीमेंट उद्योगों ने सरकार से सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) भारत के

किसी भी हिस्से से सीमेंट के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए कुछ सीमेंट कंपनियों का प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार से मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

3118. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री कमल किशोर "कमांडो":
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य:
श्री सज्जन वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम सहित देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता पाने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का योजनावार, धनराशिवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार धनराशि के दुरुपयोग आदि जैसी अनियमितताओं में लिप्त पाए गए गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है:-

(i) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु योजना;

(ii) अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता;

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता;

(iv) वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम;

(v) मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग) दुरुपयोग निवारण;

(vi) समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए अनुदान सहायता कार्यक्रम योजना;

(vii) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना;

(viii) सहायक यंत्र और उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप)

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों सहित गैर-सरकारी संगठनों के योजनावार, राज्यवार ब्यौरे और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस दौरान निम्नलिखित 4 गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान का दुरुपयोग करते पाया गया:

क्र.सं.	राज्य	गैर-सरकारी संगठन
1.	गुजरात	आयुश फाउंडेशन, अहमदाबाद
2.	मध्य प्रदेश	ग्राम चेतना सेवा समिति, ग्वालियर
3.	उत्तर प्रदेश	किसान महिला ग्रामोद्योग संस्थान, आजमगढ़
4.	महाराष्ट्र	ओम हरि बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, भण्डारा

(ग) उपर्युक्त संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है, उन्हें अनुदान देना बंद कर दिया गया है और संबंधित राज्य सरकारों से अनुदान सहायता के दुरुपयोग की सीमा तक वसूली करने संबंधी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	7	29.83	5	27.871	2	33.577	0	0
असम	6	8.505	5	31.68	2	19.8	1	6.4
बिहार	0	0	2	7.555	1	5.025	0	0
छत्तीसगढ़	2	4.504	4	10.51	2	5.82	0	0
दिल्ली	2	15.115	4	34.937	3	29.00	0	0
गुजरात	0	0	3	6.5	1	2.03	1	0.65
हरियाणा	1	2.53	4	22.268	3	29.58	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	2.53	1	7.76	1	7.76	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	3.71	1	2.51	0	0	0	0
झारखण्ड	0	0	4	13.103	3	10.573	0	0
कर्णाटक	2	7.626	3	5.916	2	3.53	0	0
केरल	0	0	1	4.725	1	3.59	0	0
मध्य प्रदेश	3	5.646	9	22.253	4	30.896	0	0
महाराष्ट्र	8	31.485	9	13.56	5	63.282	0	0

मणिपुर	10	24.105	10	20.914	3	6.777	0	0
मेघालय	0	0	1	2.53	0	0	0	0
उड़ीसा	2	3.915	3	13.007	2	6.562	0	0
पंजाब	0	0	1	2.04	3	23.98	0	0
राजस्थान	11	39.872	10	32.158	7	24.477	0	0
तमिलनाडु	1	15.038	2	15.858	2	35.635	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	11	43.565	8	17.97	0	0
उत्तराखंड	0	0	1	2.53	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	1	17.678	2	13.76	1	31.44	0	0
कुल	58	212.089	96	357.51	56	391.304	2	7.05

अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान की योजना

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		गैर-सरकारी संगठन की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठन की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठन की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठन की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	35	337.6	35	298.6	32	261.8	0	0
2.	असम	10	56.3	9	67.8	8	51.1	0	0
3.	बिहार	8	40.9	9	92.4	10	88.4	0	0
4.	दिल्ली	30	393.8	25	335.0	22	212.3	0	0
5.	गुजरात	28	97.3	14	52.0	11	25.3	0	0
6.	हरियाणा	4	20.9	6	18.3	2	5.8	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	1	2.4	1	7.2	1	6.2	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	2	8.5	1	13.4	0	0.0	0	0
9.	कर्णाटक	31	326.3	29	312.7	20	208.2	1	6.95
10.	केरल	0	0.0	2	17.3	1	1.3	0	0
11.	मध्य प्रदेश	17	83.0	26	120.5	16	131.1	0	
12.	महाराष्ट्र	38	415.8	47	429.2	31	224.7	0	0
13.	मणिपुर	14	52.9	9	57.5	5	18.1	0	0

14.	उड़ीसा	32	425.8	31	281.5	28	288.7	0	0
15.	राजस्थान	37	134.5	51	556.9	40	236.0	0	0
16.	तमिलनाडु	0	0.0	2	1.2	1	9.8	0	0
17.	त्रिपुरा	1	5.1	0	0.0	1	2.5	0	0
18.	उत्तर प्रदेश	32	308.6	38	322.1	26	235.9	0	0
19.	उत्तराखंड	3	25.2	3	10.8	3	29.8	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	13	166.6	11	101.6	8	113.6	0	0
	कुल	336	2901.5	349	3095.9	266	2150.6	1	6.95

वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक जारी की गई राज्य वार अनुदान सहायता

योजना का नामः अन्य पिछला वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0.00	0	0	0	0.00
2.	असम	3	5.01	4	10.03	6	14.12
3.	बिहार	0	0.00	0	0	2	1.86
4.	छत्तीसगढ	0	0.00	0	0	1	1.87
5.	गुजरात	0	0.00	0	0.00	3	5.49
6.	हरियाणा	4	9.91	3	9.97	3	10.19
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	1	1.88
8.	झारखण्ड	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	कर्णाटक	1	1.65	4	6.58	0	0.00
10.	मध्य प्रदेश	7	10.10	2	6.01	5	13.45
11.	महाराष्ट्र	6	17.46	18	49.73	22	56.42
12.	मणिपुर	7	18.52	17	57.49	21	55.20
13.	उड़ीसा	3	4.73	5	11.95	4	11.09

14.	पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15.	राजस्थान	2	4.16	9	22.46	10	29.27
16.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17.	तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18.	उत्तराखण्ड	1	1.29	0	0.00	1	5.51
19.	उत्तर प्रदेश	26	47.96	17	40.17	17	41.63
20.	पश्चिमी बंगाल	4	9.06	1	2.31	1	3.50
21.	दिल्ली	19	61.36	5	17.14	8	31.13
22.	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	83	191.21	85	233.84	105	282.61

योजना का नाम: वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

(राशि लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	85	273.23	107	458.51	82	412.97	0	0
2.	असम	14	40.17	21	79.22	15	87.29	0	0
3.	बिहार	0	0	1	2.76	1	2.76	0	0
4.	छत्तीसगढ़	0	0	1	1.18	1	5.97	0	0
5.	दिल्ली	2	29.56	3	14.99	1	20.98	0	0
6.	गुजरात	1	1.38	0	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	9	26.50	12	35.38	10	29.10	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1.80	1	3.42	1	0.60	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	2	3.72	1	0.58	0	0	0	0
10.	कर्णाटक	40	135.94	33	190.73	33	196.47	0	0
11.	केरल	2	5.00	1	2.22	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	1	2.76	2	8.02	2	9.00	0	0

13.	महाराष्ट्र	12	30.47	14	31.99	10	49.92	0	0
14.	मणिपुर	25	75.99	26	98.99	21	120.16	0	0
15.	मिजोरम	0	0	2	0.98	2	3.88	0	0
16.	नागालैण्ड	0	0	1	1.38	0	0	0	0
17.	उड़ीसा	54	236.63	48	243.29	36	293.92	0	0
18.	पुडुचेरी	2	5.64	1	3.68	0	0	0	0
19.	पंजाब	8	16.94	7	13.66	4	10.00	0	0
20.	राजस्थान	3	7.38	5	13.15	3	7.48	0	0
21.	तमिलनाडु	38	122.69	52	205.67	39	209.62	0	0
22.	त्रिपुरा	3	11.35	3	20.71	1	4.30	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	33	96.41	17	53.52	7	40.31	0	0
24.	उत्तराखण्ड	3	5.97	2	3.63	1	5.54	0	0
25.	पश्चिमी बंगाल	35	124.22	30	124.43	34	261.85	0	0
	कुल	373	1253.75	391	1612.72	304	1772.10	0	0

वर्ष 2006-07, 2007-08 से 2008-09 के दौरान मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग निवारण के लिए योजना के अंतर्गत निर्मुक्त की गई राज्यवार वास्तविक राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	56.40	13	118.53	10	86.75
2.	बिहार	8	52.70	6	45.90	10	105
3.	छत्तीसगढ़	2	6.80	3	9.59	2	20.41
4.	गोवा	1	2.92	1	1.50	0	0
5.	गुजरात	4	35.17	2	37.35	1	18.83
6.	हरियाणा	7	57.11	9	138.31	4	27.03
7.	हिमाचल प्रदेश	1	9.24	3	20.04	2	11.51
8.	जम्मू और कश्मीर	1	7.16	1	7.17	2	14.24
9.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0
10.	कर्णाटक	16	151.82	19	198.77	18	170.2
11.	केरल	19	123.20	16	114.81	19	156.83
12.	मध्य प्रदेश	15	72.13	17	110.99	9	66.7
13.	महाराष्ट्र	39	292.74	42	366.85	38	261.61
14.	उड़ीसा	18	139.65	19	188.66	21	178.9
15.	पंजाब	9	65.46	6	126.77	5	71.6
16.	राजस्थान	5	49.87	13	91.64	6	60.1
17.	तमिलनाडु	21	111.01	21	209.17	12	69.35
18.	उत्तर प्रदेश	39	342.32	20	95.77	29	327.2
19.	उत्तराखण्ड	4	25.98	1	3.75	3	44.42
20.	पश्चिमी बंगाल	12	84.18	15	153.09	11	86.33

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	चंडीगढ़	1	2.09	1	2.10	1	0
22.	दिल्ली	6	41.39	6	118.27	7	10.4
23.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
25.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
26.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
27.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
28.	अरुणाचल प्रदेश	1	4.56	1	2.62	1	6.86
29.	असम	5	21.95	7	79.61	4	26.3
30.	मणिपुर	18	151.54	18	187.56	19	157.66
31.	मेघालय	1	5.17	2	17.89	2	18.75
32.	मिजोरम	9	87.52	9	87.40	9	51.65
33.	नागालैण्ड	4	30.84	5	59.94	5	35.7
34.	त्रिपुरा	2	6.84	2	6.38	0	0
35.	सिक्किम	1	2.88	1	9.68	1	6.54
	कुल योग	277	2040.66	279	2610.10	251	2090.87

वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक कोई भी अनुदान नहीं दिया गया है।

समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए अनुदान सहायता कार्यक्रम की योजना

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		गैर-सरकारी संगठन की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठन की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठन की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठन की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	12.13	0	0	0	0	0	0
2.	बिहार	1	1.12	0	0	0	0	0	0
3.	गुजरात	1	2.48	0	0	0	0	0	0
4.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	300.00	1	300.00	0.00	0
5.	कर्णाटक	2	9.13	0	0	0	0	0	0
6.	केरल	1	2.84	0	0	0	0	0	0
7.	महाराष्ट्र	5	11.88	2	2.16	0	0	0	0
8.	मणिपुर	3	11.1	1	11.22	0	0	0	0
9.	मिजोरम	1	2.84	0	0	0	0	0	0
10.	उड़ीसा	3	5.24	0	0	0	0	0	0
11.	पंजाब	1	0.14	0	0	0	0	0	0
12.	तमिलनाडु	1	2.84	1	2.16	0	0	0	0
13.	उत्तर प्रदेश	1	3.99	0	0.00	0	0	0	0
14.	पश्चिमी बंगाल	5	24.81	1	3.11	0	0	0	0
15.	दिल्ली	3	24.44	1	1.54	1	10.54	0	0
	कुल योग	29	114.98	7	320.19	2	310.54	0	0

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना

क्र. सं.	राज्य	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2.91	0	0.00	0	0.00	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	112	1400.58	123	1807.74	107	1317.78	7	54.44
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	5.47	1	10.67	1	7.37	0	0
4.	असम	17	91.79	14	84.72	14	121.92	0	0
5.	बिहार	25	194.43	18	112.62	13	87.75	0	0
6.	चंडीगढ़	1	3.53	1	5.11	0	0.00	0	0
7.	छत्तीसगढ़	7	52.01	8	39.23	9	76.69	0	0
8.	दादरा और नागर हवेली	1	2.42	0	0.00	0	0.00	0	0
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
10.	दिल्ली	24	241.07	22	314.12	22	193.55	1	13.18
11.	गोवा	1	3.38	2	14.87	2	13.09	0	0
12.	गुजरात	17	93.49	17	81.17	14	82.20	1	3.75
13.	हरियाणा	17	79.49	21	186.31	15	127.92	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	5	38.30	2	11.49	4	40.83	1	3.2
15.	जम्मू और कश्मीर	3	13.62	2	7.91	4	27.93	0	0
16.	झारखण्ड	2	4.98	4	16.68	1	10.06	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	कर्नाटक	71	480.49	83	1135.92	60	814.66	3	10.63
18.	केरल	56	363.69	37	237.19	44	378.40	4	30.19
19.	मध्य प्रदेश	27	120.17	26	134.63	19	170.35	2	7.3
20.	महाराष्ट्र	19	143.85	23	188.41	18	254.23	1	1.2
21.	मणिपुर	15	144.87	15	125.70	15	196.76	0	0
22.	मेघालय	4	31.77	7	85.16	4	75.65	1	2.84
23.	मिजोरम	3	21.78	2	12.50	2	19.60	0	0
24.	नागालैण्ड	0	0.00	1	1.43	0	0.00	0	0
25.	उड़ीसा	31	253.79	43	418.51	34	367.34	3	18.48
26.	पुडुचेरी	1	5.22	1	12.56	1	15.63	0	0
27.	पंजाब	13	71.55	12	105.67	11	94.00	1	11.92
28.	राजस्थान	25	126.11	24	182.70	17	93.14	3	5.94
29.	तमिलनाडु	57	417.68	56	481.75	55	474.37	0	0
30.	त्रिपुरा	2	12.24	2	11.86	2	10.81	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	81	600.52	66	704.54	58	700.21	4	25.04
32.	उत्तराखंड	8	55.44	6	43.98	7	63.02	1	21.75
33.	पश्चिमी बंगाल	40	383.68	48	449.94	39	641.12	1	1.86
	कुल	686	5460.32	687	7025.09	592	6476.37	34	211.72

गैर-सरकारी संगठनों की संख्या और सहायक यंत्र की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त राशि

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10
		परियोजनाओं की संख्या	व्यय (लाख रुपए में)	परियोजनाओं की संख्या	व्यय (लाख रुपए में)	परियोजनाओं की संख्या	व्यय (लाख रुपए में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	138.44	10	120.62	7	108.75	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	4.05	0	0	
3.	असम	1	10.00	2	35.17	4	469.27	
4.	बिहार	5	107	6	130.26	3	58.88	
5.	छत्तीसगढ़	0	0	2	11.53	3	20.25	
6.	दिल्ली	8	127.35	8	167.10	4	30.25	
7.	दमन और दीव	1	8.00	0	0.00	0	0	
8.	गुजरात	2	12.50	3	73.29	5	44.62	
9.	हरियाणा	2	14.50	5	23.49	6	42.87	
10.	हिमाचल प्रदेश	1	10.00	1	12.99	3	17.25	
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	4	38.75	
12.	कर्णाटक	1	5	2	25.36	2	48.5	
13.	केरल	0	0	3	218.50	0	0	
14.	मध्य प्रदेश	1	15	2	8.57	7	93.95	
15.	महाराष्ट्र	6	47	7	50.67	8	122.38	राशि अब तक जारी नहीं की गई।
16.	उड़ीसा	3	32.49	1	1.89	5	83.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	पंजाब	1	3.50	5	71.25	6	45.19	
18.	राजस्थान	2	830	4	15.27	6	131.74	
19.	तमिलनाडु	8	74.04	2	694.3	12	172.72	
20.	उत्तर प्रदेश	21	195.00	21	63.29	19	319.76	
21.	उत्तराखंड	1	5.00	7	246.61	6	21.25	
22.	पश्चिमी बंगाल	4	24.7	2	7.01	5	30.59	
23.	गोवा	0	0	0	0	1	3	
24.	झारखण्ड	0	0	0	0	2	24.25	
25.	पुडुचेरी	0	0	0	0	1	3	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	1	3	
27.	मणिपुर	0	0	0	0	2	18.14	
28.	मिजोरम	0	0	0	0	1	8	
29.	सिक्किम	0	0	0	0	1	15	
30.	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	33	
	कुल	78	1659.52	98	1981.22	125	2005.56	

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु रोजगार

3119. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में व्याप्त बेरोजगारी में वृद्धि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वर्गों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर, अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.), अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) तथा अन्यों जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों में बेरोजगारी दरों के ब्यौरे निम्नुसार हैं:

सामाजिक समूह	बेरोजगारी दर (%)			
	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
अनुसूचित जाति	1.7	1.4	5.5	4.6
अनुसूचित जनजाति	1.1	0.4	2.9	3.4
अन्य पिछड़े वर्ग	1.5	1.9	3.3	6.7
अन्य	2.0	2.9	3.7	8.5
सभी	1.6	1.8	3.8	6.9

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामान्य विकास प्रक्रिया तथा विभिन्न विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से 58 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना है। बेरोजगारी की समस्या, जिसका देश सामना कर रहा है, से निपटने के लिए भारत सरकार विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। 11वीं योजना के प्रबोधनीय लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में न्यूनतम 33% महिलाएं और बालिकाएं हों। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत जनसंख्या के लिए लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली (बी.पी.एल.) शहरी गरीब जनसंख्या है और इसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 30% से कम नहीं होगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शहर/कस्बे की जनसंख्या में उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्यों को बैंक ऋण तथा राजसहायता के सम्मिश्रण से आय का सृजन करने वाली परिसम्पतियों का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50%, महिलाओं के लिए 40% और विकलांगों के लिए 3% लाभ आरक्षित

करके गरीब तबकों के लिए भी विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी सामान्य विकास प्रक्रिया से तथा विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित अतिरिक्त रोजगार में भागीदारी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रमुख क्षेत्रों की कम विकास दर

3120. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र के अलावा सभी प्रमुख अवसंरचना उद्योगों/क्षेत्रों ने पूर्व वर्ष की तुलना में गत वित्तीय वर्ष के दौरान कम वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन प्रमुख क्षेत्रों की क्या विकास दर रहने का अनुमान है; और

(घ) ऐसे क्षेत्रों में विकास संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों, नामतः कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कोयला, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात के उत्पादन की वृद्धि नीचे दी गई है:

छह प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि

(वृद्धि प्रतिशत में)

क्षेत्र	2007-08	2008-09
कच्चा तेल	0.4	-1.8
पेट्रोलियम रिफाइनरी	6.5	3.0
कोयला	6.3	7.8
विद्युत	6.3	2.7
सीमेंट	8.1	7.5
इस्पात	6.2	0.4
कुल	5.9	2.7

वर्ष 2008-09 में प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि में कमी का कारण आर्थिक गतिविधि में कमी को माना जा सकता है, जिसके कारण विनिर्माण और भवन-निर्माण क्षेत्रों की वृद्धि दर में कमी आई। विद्युत क्षेत्र की वृद्धि में क्षमता संबंधी बाधाओं एवं कच्चे माल की आपूर्ति संबंधी कठिनाइयों के कारण व्यवधान पड़ा।

(घ) इन क्षेत्रों में वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं - घरेलू तेल और गैस की उपलब्धता बढ़ाने हेतु नई खोज लाइसेंस नीति की शुरूआत, कोयले का घरेलू उत्पादन अधिकतम करने के लिए किए गए उपाय, नए कोयला ब्लाकों का आवंटन, ज्यादा तेजी के साथ निवेश संबंधी निर्णय और आयात, घरेलू सीमेंट उद्योग को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमेंट पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सी.पी.डी.) को पुनः लागू करना, सभी इस्पात की मदों से निर्यात शुल्क हटाना, इस्पात की मदों पर डी.ई.पी.बी. को बहाल करना, लौह और गैर-मिश्र धातु मदों पर फिर से 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना, सेनवेट को घटाकर 10 प्रतिशत करना तथा आयातों की सीमित श्रेणी में हौट रौल्ड क्वायल को शामिल करना।

केन्द्रीय विद्यालयों में इंटीग्रिटी क्लब

3121. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में "इंटिग्रिटी क्लब" नामक एक अनिवार्य पाठ्यक्रमेत्तर कार्यकलाप शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष कुल कितने छात्रों को शिक्षित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विद्यालयों में नैतिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किसी संगठन से सहायता मांगी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त सुझाव के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में "इंटिग्रिटी क्लब" शुरू किया है।

(ग) क्लब की सदस्यता पूर्णतया स्वैच्छिक है तथा सदस्य बनने वाले कुल छात्रों की संभावित संख्या का कोई अनुमान नहीं है।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन का इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रारंभिक स्तर पर बच्चों का नामांकन

3122. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने के पश्चात् प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के नामांकन के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार करने में कितनी सहायक हुई है; और

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् विद्यालय छोड़कर चले जाने की दर में कितने प्रतिशत कमी आई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) नामांकन एवं पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर सहित शैक्षिक पैरामीटरों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के जरिये व्यापक व्यवस्था की है। सर्व शिक्षा अभियान की जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के तहत स्कूल स्तर से संकलित आंकड़ों को संकुल स्तर पर पूर्णतः सत्यापित किया जाता है। ब्लॉक स्तरों तथा जिला स्तरों पर प्रतिदर्श आधार पर यादृच्छिक सत्यापन भी किया जाता है। आंकड़ों की कोटि तथा रिपोर्टिंग से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संतुष्ट हो जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार एवं विश्लेषण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। डी.आई.एस.ई. सॉफ्टवेयर भी आंकड़ों में आंतरिक असंगतियों की जांच करता है और जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सत्यापन हेतु रिपोर्ट तैयार करता है। इस मंत्रालय का सांख्यिकी प्रभाग भी चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी नाम से वार्षिक प्रकाशन जारी करता है जिसमें बच्चों के नामांकन तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर सहित महत्वपूर्ण शैक्षिक संकेतकों पर सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं।

(ग) स्कूलों में छात्रों का नामांकन, अवधारण आदि भारत सरकार की मध्याह्न भोजन योजना सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास, जनांकिकीय परिवर्तन, प्रारंभिक शिक्षा में निजी क्षेत्र के विस्तार आदि क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। अतः नामांकन में वृद्धि अथवा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी आने का श्रेय केवल मध्याह्न भोजन योजना को ही नहीं दिया जा सकता। तथापि, प्रो. अमर्त्य सेन के प्रतीची ट्रस्ट तथा राजस्थान विश्वविद्यालय एवं यूनीसेफ द्वारा संचालित अध्ययनों सहित स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा करवाए गए विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों से पता चलता है कि मध्याह्न भोजन योजना ने (i) नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि करते हुए (ii) पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी करते हुए (iii) विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षण-कक्ष में लगने वाली भूख, कुपोषण को दूर करते हुए प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सत्ताईस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को अनुमोदित किया है।

(घ) 1995-96 में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत से लेकर अब तक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में

छोड़ने की दर में निरंतर कमी आई है। चुनिंदा शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्कूलों (कक्षा I-V) में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 1995-96 में 42.07 प्रतिशत थी जो घट कर वर्ष 2006-07 में 25.43 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार, 1995-96 से 2006-07 तक पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में 16.64 प्रतिशत की कमी आई है।

[हिन्दी]

दूरस्थ शिक्षा

3123. श्री राकेश सिंह:

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों के कार्यकरण का आकलन करने के लिए किसी निकाय की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) और दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी.ई.सी.) की इसमें कोई भूमिका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने दूरस्थ शिक्षा के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ज्ञान आधारित मानव संसाधनों के विकास में दूरस्थ शिक्षा का क्या योगदान है; और

(छ) केन्द्र सरकार ने दूरस्थ शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) और (ख) यद्यपि दूरस्थ शिक्षा परिषद ने देश में ओ.डी.एल. संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की योजना को शुरू किया है, परंतु इसने दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से अलग से किसी निकाय की स्थापना नहीं की है।

(ग) और (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दूरस्थ शिक्षा परिषद दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में समन्वय के लिए उत्तरदायी है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन में कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) केन्द्रीय सरकार ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन नामक एक नई स्कीम को शुरू किया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलना

3124. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.बी.वी.) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार सहित देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) से (ग) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के मानदंडों के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में 2573 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए गए हैं जिसमें बिहार में 391 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल हैं। वर्षवार संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2004-05 से 2008-09 तक वर्षवार संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या				कुल संस्वीकृत के.जी.बी.वी.
		2004-05	2005-06	2006-07	2008-09	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	94	40	208	53	395
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	5	6	11	36
3.	असम	0	15	0	11	26
4.	बिहार	62	66	222	41	391
5.	छत्तीसगढ़	51	0	33	9	93
6.	दादर और नगर हवेली	0	1	0	0	1
7.	दिल्ली	0	0	0	1	1
8.	गुजरात	30	14	8	11	63
9.	हरियाणा	1	5	3	0	9
10.	हिमाचल प्रदेश	9	0	1	0	10
11.	जम्मू और कश्मीर	14	0	37	28	79
12.	झारखंड	74	81	32	11	198
13.	कर्नाटक	58	3	0	3	64
14.	मध्य प्रदेश	70	35	80	15	200
15.	महाराष्ट्र	27	0	9	0	36
16.	मणिपुर	0	1	0	0	1
17.	मेघालय	1	0	0	1	2
18.	मिजोरम	0	1	0	0	1
19.	नागालैंड	0	0	0	2	2
20.	उड़ीसा	49	65	0	43	157
21.	पंजाब	2	0	0	1	3

1	2	3	4	5	6	7
22.	राजस्थान	56	0	130	14	200
23.	तमिलनाडु	37	0	16	1	54
24.	त्रिपुरा	2	5	0	0	7
25.	उत्तर प्रदेश	32	93	198	131	454
26.	उत्तराखंड	13	0	12	1	26
27.	पश्चिम बंगाल	54	0	5	5	64
	कुल	750	430	1000	393	2573

*वर्ष 2007-08 के दौरान कोई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत नहीं किया गया था।

चीन निर्मित सस्ती वस्तुओं का आयात

3125. श्री प्रहलाद जोशीः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन निर्मित सस्ती वस्तुओं के आयात से प्रभावित होने वाले उद्योगों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उद्योगों को कोई विशेष पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) अन्य देशों से वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा अपनाए जाने वाले अवैध व्यापार व्यवहारों से निपटने के लिए घरेलू उद्योग के पास व्यापार रक्षोपाय उपलब्ध हैं। यदि देश में सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर एक वस्तु का आयात किया जाता है, तथा इससे घरेलू उद्योग डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने के लिए वाणिज्य विभाग में एंटी डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी.जी.ए.डी.) को आवेदन दे सकता है। भारत में किसी वस्तु के आयात में बढ़ोत्तरी से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान/बाजार-बाधा होने या गंभीर नुकसान की आशंका/बाजार-बाधा की आशंका होने की स्थिति में, इसी प्रकार, रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु घरेलू उद्योग वित्त मंत्रालय के तहत रक्षोपाय महानिदेशालय को आवेदन दिया जा सकता है। वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 (15-7-2009 तक) के दौरान, 22 मामलों (12 मामलों में अंतिम शुल्क तथा 10 मामलों में अनंतिम शुल्क) में डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया गया तथा 4 मामलों में (2 मामलों में अंतिम शुल्क तथा 2 मामलों में अनंतिम शुल्क) में रक्षोपाय शुल्क लगाया गया।

विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के तहत, केंद्र सरकार को वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अंतर्निहित अधिकार है। डंपिंग-रोधी समझौता (अर्थात् गेट, 1995 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता), राजसहायता तथा काउंटरवेलिंग उपायों पर समझौता तथा रक्षोपाय पर समझौते के अनुरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1995 में वर्तमान में, आयात से घरेलू उत्पादकों को होने वाले नुकसान से, उन्हें राहत प्रदान करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों का उद्देश्य डंप किये गए आयात आर्थिक-सहायता प्राप्त आयात या बढ़े हुए आयात के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करना है।

पीड़ित पक्षों, नामतः सोडा एश, एल्यूमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद तथा फोइल्स एवं क्रैक शैफ्ट क्षेत्रों से प्राप्त आवेदन के आधार पर, रक्षोपाय महानिदेशक ने चीन निर्मित वस्तुओं के आयात के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए रक्षोपाय जांच की है।

सरकार ने चीन से सोडा एश के आयात पर 20 प्रतिशत की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया है। चीन से आयातित एल्यूमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों के मूल्य पर 21 प्रतिशत की दर से तथा एल्यूमिनियम फोइल के आयात मूल्य पर 35 प्रतिशत की दर से अनंतिम मूल्यानुसार

रक्षोपाय शुल्क लगाया। चीन से आयातिक एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों पर 23 मार्च, 2009 से प्रथम वर्ष के लिए 14 प्रतिशत की दर से एवं दूसरे वर्ष में 12 प्रतिशत की दर से एक निश्चित रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है। इसके अलावा 23 मार्च, 2009 से चीन से एल्यूमीनियम फोईल के आयात पर प्रथम वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की दर से एवं दूसरे वर्ष के लिए 25 प्रतिशत की दर से निश्चित रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।

गरीबों को निःशुल्क शिक्षा

3126. श्री सज्जन वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी तथा निजी इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में अध्ययन कर रहे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के छात्रों को शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त छात्रों को पूरी तरह से शुल्क मुक्त करने के लिए कोई उपाय किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के लिए भी निदेश जारी किए हैं ताकि गरीब परिवारों के सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थाओं में महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से विकलांग प्रतिभावान छात्रों के लिए ट्यूशन छूट योजना आरंभ की है। यह योजना ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित सभी संस्थाओं के छात्रों पर लागू होती है। ये संस्थाएं विद्यार्थियों की संस्वीकृत संख्या में से 10% छात्रों को ट्यूशन फीस से छूट प्रदान करेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों को छूट प्रदान करना प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

अंतर्राज्यीय जल परिवहन कंपनियों को सहायता

3127. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतर्राज्यीय जल परिवहन में कार्यरत निजी और सरकारी कम्पनियों को सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कम्पनी-वार कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) उनके द्वारा मांगी गई धनराशि की तुलना में कम धनराशि का भुगतान किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कम्पनियों के चयन के लिए सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाया गया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं। अंतर्राज्यीय जल परिवहन में कार्यरत किसी कम्पनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संग्रह की जाने वाली डाक टिकटों की बिक्री

3128. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित देशभर के डाकघरों के माध्यम से संग्रह की जाने वाली डाक टिकटों की बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) गुजरात सहित देश के चुने हुए डाकघरों से संग्रह की जाने वाली डाक-टिकटों की बिक्री की जाती है।

(ख) स्मारक/विशेष डाक-टिकटें, जिन्हें संग्रह की जाने वाली डाक-टिकटें (फिलैटलिक स्टैम्प्स) भी कहा जाता है, की बिक्री केवल 68 फिलैटलिक ब्यूरो और देश भर के डाकघरों में मौजूद 834 फिलैटलिक काउंटरों के माध्यम से की जाती है। गुजरात में, अहमदाबाद, वड़ोदरा और

राजकोट स्थित 3 फिलैटलिक ब्यूरो एवं 62 फिलैटलिक काउंटरों से संग्रह की जाने वाली डाक-टिकटों की बिक्री की जाती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात के लिए लक्ष्य

3129. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए निर्यात लक्ष्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किस हद तक वृद्धि की गयी है और किस हद तक लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन निर्यातकों को क्षेत्र विशिष्ट पैकेज प्रदान करने का है जो रुपये के मूल्य में वृद्धि से प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) दिनांक 11-04-2008 को विदेश व्यापार नीति 2008-09 के वार्षिक पूरक अंक की घोषणा के दौरान सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए 200 बिलियन अम. डॉ. के पण्य वस्तु निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे बाद में संशोधित कर 175 बिलियन अम. डॉ. कर दिया गया था। वर्ष के दौरान 168.7 बिलियन अम. डॉ. के कुल निर्यात हुए थे।

(ग) दिनांक 26-02-2009 को व्यापार सुविधाकारी उपायों की घोषणा करते समय सरकार ने वर्ष 2009-10 के लिए 200 बिलियन अम. डॉ. का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया था। लगातार जारी वैश्विक वित्तीय संकट और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक मंदी के कारण 200 बिलियन अम. डॉ. का निर्यात लक्ष्य प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। सरकार तथा आर.बी.आई. द्वारा देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार ने निर्यातों में गिरावट को रोकने के लिए विशेष रूप से निर्यातक क्षेत्र के लिए वर्ष 2009-10 में प्रोत्साहन पैकेजों में उपायों की भी घोषणा की है। ये उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) पिछले कुछ महीनों के दौरान अम. डॉ. की तुलना में रुपये में कोई मजबूती नहीं आई है; अत: प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी से उत्पन्न चिंताओं के समाधान के लिए सरकार/आर.बी.आई. द्वारा उठाए गए कदम

(क) सरकार द्वारा किए गए उपाय:

(1) निर्यात हेतु निम्नलिखित श्रम गहन क्षेत्रों हेतु दिनांक 30-9-2009 तक 2% की ब्याज छूट सुविधा प्रदान की गई है:-

वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, चर्म, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा एस.एम.ई.;

(2) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) में हस्तशिल्प मदों आदि को (दिसम्बर, 2008 में) 350 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;

(3) दिनांक 01-04-2009 से 30-09-2009 तक किए जाने वाले निर्यातों के लिए बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम का विस्तार कर उसमें साइकिल के पुर्जों; मोटर कार तथा मोटर साइकिलों, परिधानों एवं वस्त्र सहायक सामग्री, ऑटो के पुर्जों आदि को शामिल किया गया;

(4) माने गए निर्यातों पर सी.एस.टी./अंतिम उत्पाद शुल्क/शुल्क प्रतिअदायगी के दावों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए।

(5) निर्यातक अनुकूल एवं लोकप्रिय शुल्क शून्यीकरण स्कीम अर्थात शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम को 31 दिसम्बर, 2009 तक जारी रखना;

(6) जिन मदों पर नवम्बर, 2008 में डी.ई.पी.बी. दरें कम की गयी थीं, उन समस्त मदों पर

भूतलक्षी प्रभाव से डी.ई.पी.बी. दरों को बहाल करना;

(7) दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से कुछेक मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की उच्चतर दरें बहाल करना;

(8) बैंक प्रापण प्रमाण-पत्र (बी.आर.सी.) की शुरुआती अपेक्षा के बिना डी.ई.पी.बी. तथा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीमों की अनुमति;

(9) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत संरचना शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात दायित्व की अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया;

(10) ई.सी.जी.सी. को 350 करोड़ रु. तक समर्थन गारंटी उपलब्ध कराई गई ताकि वह दुर्गम बाजारों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियां प्रदान कर सके। ई.सी.जी.सी. अब अपने दायरे में विस्तार करने में सक्षम है;

(11) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) के अंतर्गत वस्त्र इकाइयों के पिछले दावों का निपटान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को 1400 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;

(12) लौह अयस्क फाइंस पर निर्यात शुल्क समाप्त किया गया और लम्प्स के लिए इसे घटाकर 5% किया गया;

(13) निर्यातों पर सेवाकर वापसी से संबंधित कुछेक लम्बित मुद्दों का निपटान किया गया। तथापि कई मुद्दों का समाधान किया जाना अभी बाकी है।

(14) निर्यातकों के लिए विलंब में कमी करने हेतु अनेक प्रक्रियागत मुद्दों के फास्ट ट्रैक समाधान हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें राजस्व एवं वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं। तदनुसार कई मुद्दों का समाधान किया गया;

(15) पेट्रोलियम उत्पाद एवं अन्य उत्पादों जिनके संबंध में वर्तमान दर 4% से कम थी, को छोड़कर सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में 4% की समान दर से कमी की गयी। इसके अतिरिक्त चर्म आदि जैसे कुछेक उत्पादों हेतु उत्पाद शुल्क में और 2% की कमी की गई;

(16) अतिलघु एवं लघु उद्यमों के लिए ऋणों पर ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर 50% के गारंटी कवर के साथ दोगुना कर 1 करोड़ रु. किया गया। ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा प्रदत्त गारंटी कवर को 5 लाख रु. तक की ऋण सुविधा हेतु बढ़ाकर 85% किया गया। ऐसे सम्पार्श्विक मुक्त ऋणों हेतु अवरुद्ध अवधि में कमी की गयी;

(17) विशेष रूप से चीन से पाटित/सस्ते आयातों से घरेलू विनिर्माण उद्योग की रक्षा करने के लिए एच.आर. कॉयल, कार्बन ब्लैक, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न (पी.एफ.वाई.) तथा रेडियल टायरों (बस एवं ट्रक) पर आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(18) विद्युत क्षेत्र हेतु नैफ्था पर आयात शुल्क समाप्त किया गया;

(19) टी.एस.टी. छड़ों पर संरचनाओं तथा सीमेंट पर सी.वी.डी. समाप्त किया गया;

(20) जस्ता एवं फेरो-एलॉय पर मूल सीमाशुल्क से छूट समाप्त की गयी;

(21) नियमित निगरानी तंत्र :

(क) सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि अपेक्षानुसार आगे और सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जा सकें। इस संबंध में सरकार निम्नलिखित दो उच्चस्तरीय समितियां गठित की हैं जो नियमित आधार पर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रही हैं :-

(i) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ दल जिसमें वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उपाध्यक्ष (योजना आयोग), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शामिल हैं;

(ii) वर्तमान वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट के संबंध में व्यापार एवं उद्योग जगत तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करने तथा शीर्षस्थ

दल के लिए कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु नियमित रूप से बैठक करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की समिति जिसमें वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव, सचिव (डी.आई.पी.पी.), सचिव (योजना आयोग) शामिल हैं।

(ख) एम.एस.एम.ई. के ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु राज्यस्तरीय बैंककार समिति की मासिक बैठक की बैठकों की प्रगति पर एम.एस.एम.ई. विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की जाएगी।

(ख) आर.बी.आई. द्वारा किए गए उपाय :

(क) निम्नलिखित के द्वारा नकद प्रवाह में वृद्धि करने के लिए बैंकों की नकदी में वृद्धि :

(i) सी.आर.आर. एस.एल.आर., रेपो दर तथा प्रति रेपो दर में कमी (अक्तू. 08 से सी.आर.आर. को 9% से घटाकर 5%, एस.एल.आर. को 25% से घटाकर 24%, रेपो दर को 7.5% से घटाकर 4.75% और प्रति रेपो दर को 6% से घटाकर 3.25% किया गया)।

(ii) रुपए या डॉलर में लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात ऋण प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि हेतु एक्जिम बैंक को पुनर्वित्त सुविधा।

(iii) निर्यातों, अति लघु एवं लघु उद्यमों, म्युचुअल फंड तथा एन.बी.एफ.सी. को वित्त प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बैंकों हेतु एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्थापित की गई है। उपबंधात्मक अपेक्षाओं में कमी की गई है। वाणिज्यिक बैंकों हेतु निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा को बढ़ा कर बकाया रुपया निर्यात ऋण का 50% किया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा (फॉरिक्स) की नकदी में वृद्धि

(i) घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा (अम.डा.) की बिक्री जारी रखने के संबंध में आर.बी.आई. का आश्वासन।

(ii) निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में लाभकारी ऋण प्रदान करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अधिकतम दर सीमा को बढ़ाकर एल.आई.बी. ओ.आर. + 350 आधार बिंदु किया गया है बशर्ते बैंक अपनी ओर से किए गए व्ययों की वसूली को छोड़कर अन्य प्रभारों अर्थात् सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि का उद्ग्रहण नहीं करेंगे।

(ग) ऋण संबंधी शर्तों को सरल बनाना:

(i) लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण की अवधि को बढ़ाकर प्रत्येक के लिए 90 दिन करना;

(ii) गैर-दर्जाधारक निर्यातकों हेतु निर्यात आय की समयावधि को दर्जाधारकों के समतुल्य बनाते हुए बढ़ाकर 12 माह करना। यह सुविधा जो पहले 03-06-2009 तक के लिए उपलब्ध थी, इसमें और एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया है।

(iii) आर.बी.आई. द्वारा घोषित उपायों के उपरांत पी.एस.यू. बैंकों द्वारा निर्यात इकाइयों हेतु गारंटियों पर मार्जिन मनी में कमी की गई।

(ग) हाल ही में बजट 2009-10 में घोषित उपाय:

(1) एम.डी.ए. स्कीम-आवंटन बढ़ाकर 124 करोड़ रुपए (147% की वृद्धि) किया गया;

(2) 7 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों हेतु लदान-पूर्व ऋण पर 2% की ब्याज छूट की अवधि को 30-09-2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 तक किया गया;

(3) बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों हेतु 95% तक संवर्धित ई.सी.जी.सी. कवर प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2008 में शुरूकी गई समायोजन सहायता स्कीम को मार्च, 2010 तक जारी रखा गया;

(4) पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वृहद हथकरघा समूहों, राजस्थान में पावरलूम समूहों तथा श्रीनगर एवं मिर्जापुर में कालीन हेतु नव वृहत समूहों को अनुमोदित किया गया;

(5) वेतनेतर लाभ कर (एफ.बी.टी.) समाप्त किया गया;

(6) एस.टी.पी.आई. तथा ई.ओ.यू. स्कीमों के लिए "सनसेट" संबंधी खण्डों से संबंधित क्रमशः धारा 10क और 10ख को वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू रखा गया। "इकाई की तुलना में निर्धारिती" के कराधान लाभ से संबंधित धारा 10क क में विसंगति को समाप्त किया गया;

(7) निम्नलिखित रोजगारोन्मुख क्षेत्रों के लिए मौजूदा शुल्क मुक्त आयात हकदारी के भीतर अतिरिक्त मदों की अनुमति दी गई :-

(i) खेल सामग्री क्षेत्र हेतु 5 अतिरिक्त मदें;

(ii) चर्म परिधान तथा फुटवियर एवं वस्त्र मदों के लिए अतिरिक्त मदें;

(8) अपरिष्कृत/अनगढ़ कोरल पर 5% मूल सीमा शुल्क समाप्त किया गया;

(9) सेवा कर - निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :-

(i) निर्यातों से जुड़ी सेवाओं पर सेवा कर से छूट;

(क) किसी सी.एफ.एस. या आई.सी.डी. से पत्तन या हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के परिवहन से संबंधित सेवा पर और निकासी के स्थान से सीधे किसी आई.सी.डी., सी.एफ.एस., पत्तन या हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के परिवहन से संबंधित सेवाओं पर;

(ख) विदेशी एजेंट कमीशन सेवा द्वारा प्रदत्त सेवाएं;

(ii) निर्यातों में एफ.ओ.बी. मूल्य के 0.25% से अनधिक के वापसी के दावे के मामले में स्व-प्रमाणन; तथा अन्य मामलों में सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणन पर वापसी की अनुमति देकर सेवाकर की वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है;

(iii) वापसी का दावा प्रस्तुत करने के लिए समयावधि बढ़ाकर निर्यात की तारीख से 1 वर्ष (छमाही की तुलना में) कर दी गई है।

पाम आयल का आयात

3130. श्री दुष्यंत सिंहः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार और वर्ष-वार पाम ऑयल का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) विभिन्न देशों से आयातित पाम ऑयल पर लगाए गए सीमा शुल्क का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाम ऑयल के आयात का देश में उत्पादित अन्य खाद्य तेलों के उत्पादन और उपभोग पर क्या प्रभाव, यदि कोई हो, पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं अप्रैल, 2008 से फरवरी, 2009 के दौरान आयातित पाम ऑयल (अपरिष्कृत एवं परिष्कृत) का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) परिष्कृत, विरंजित तथा गंधमुक्त (आर.बी.डी.) पामोलीन एवं परिष्कृत पाम ऑयल पर लागू आयात शुल्क 7.5% है। अपरिष्कृत पाम ऑयल का आयात शून्य प्रतिशत शुल्क पर अनुमत्य है। शुल्क के इन स्तरों पर पाम ऑयल के आयात की अनुमति घरेलू मांग की तुलना में घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान भारत में पाम ऑयल का देशवार आयात

आई.टी.सी. एच.एस. कोड	मद विवरण	देश का नाम	इकाई	मात्रा	मूल्य (भा.रु.)
1	2	3	4	5	6
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	मोरक्को	किग्रा.	1250000	26149500
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	कम्बोडिया	किग्रा.	2437000	49350830
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	चीन गण.	किग्रा.	1000000	20919600
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	इंडोनेशिया	किग्रा.	2039575986	40989618101
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	मलेशिया	किग्रा.	447554962	9024861466
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	श्रीलंका डी.एस.आर.	किग्रा.	5956000	121675837
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	थांईलैण्ड	किग्रा.	43855000	890936548
15119010	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	भूटान	किग्रा.	14951807	512405134
15119010	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	मलेशिया	किग्रा.	348200	8364510
15119010	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	सिंगापुर	किग्रा.	16000	422608
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	बांग्लादेश जन. गण.	किग्रा.	759000	16869077
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	इंडोनेशिया	किग्रा.	65828000	1433136438
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	मलेशिया	किग्रा.	2153990	49532499
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	सिंगापुर	किग्रा.	2340	107222
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	स. अरब अमीरात	किग्रा.	7500	179103
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	बांग्लादेश जन.गण.	किग्रा.	1145301	24363956

15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	भूटान	किग्रा.	19613909	705515769
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	इंडोनेशिया	किग्रा.	91912000	1847903470
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	मलेशिया	किग्रा.	27342740	555717778
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	संगापुर	किग्रा.	1140	59219
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	श्रीलंका डी.एस.आर.	किग्रा.	659000	12957617
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	स. अरब अमीरात	किग्रा.	10400	320971
	कुल योग			2766382275	56291367253

वर्ष 2007-08 के दौरान भारत में पाम ऑयल का देशवार आयात

15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	अविनिर्दिष्ट	किग्रा.	2554000	46730565
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	अर्जेंटीना	किग्रा.	500000	11759500
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	कम्बोडिया	किग्रा.	1055192	19072441
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	इंडोनेशिया	किग्रा.	2900979380	53858153667
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	मलेशिया	किग्रा.	311797269	6071163408
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	सिंगापुर	किग्रा.	8738000	202579705
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	श्रीलंका डी.एस.आर.	किग्रा.	8560019	167645720
15111000	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	थाईलैंड	किग्रा.	41478060	824175097
15111000	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	जर्मनी	किग्रा.	1000000	17812950
15119010	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	बांग्लादेश पी.आर.	किग्रा.	398250	12941581
15119010	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	भूटान	किग्रा.	12199311	517478290
15119010	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	मलेशिया	किग्रा.	1476519	33159622
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	बांग्लादेश पी.आर.	किग्रा.	456000	9908886

1	2	3	4	5	6
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	इंडोनेशिया	किग्रा.	133823760	2675060875
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	मलेशिया	किग्रा.	26188299	516319498
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	अविनिर्दिष्ट	किग्रा.	1536	85945
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	यू.एस.ए.	किग्रा.	3023	117988
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	ब्राजील	किग्रा.	200	3794
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	बांग्लादेश पी.आर.	किग्रा.	1299236	29279692
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	भूटान	किग्रा.	24773758	1069368787
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	इंडोनेशिया	किग्रा.	29343020	823056261
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	मलेशिया	किग्रा.	8259000	214493093
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	संयुक्त अरब अमीरात	किग्रा.	8000	169484
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	फ्रांस	किग्रा.	8330	165219
	कुल योग			3514900162	67120702048

अप्रैल, 08-फरवरी, 09 के दौरान भारत में पाम ऑयल का देशवार आयात

15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	अविनिर्दिष्ट	किग्रा.	1978000	44440258
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	कम्बोडिया	किग्रा.	5139000	98639865
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	इंडोनेशिया	किग्रा.	3306575989	67948938097
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	मलेशिया	किग्रा.	632120871	13823293902
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	सिंगापुर	किग्रा.	2829000	120596984
15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	श्रीलंका डी.एस.आर.	किग्रा.	5353419	107014337

15111000	अपरिष्कृत पाम ऑयल एवं इसके निस्सारण	थाईलैंड	किग्रा.	78295000	1512469261
15119010	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	इंडोनेशिया	किग्रा.	4936000	130688128
15119010	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	मलेशिया	किग्रा.	6153711	255105441
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	बांग्लादेश पी.आर.	किग्रा.	587572	11918538
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	इंडोनेशिया	किग्रा.	819359891	1878751694
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	मलेशिया	किग्रा.	298097269	6741363771
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	सिंगापुर	किग्रा.	1229000	25473462
15119020	परिष्कृत, विरंजित गंधमुक्त पामोलीन	संयुक्त अरब अमीरात	किग्रा.	35000	932036
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	भूटान	किग्रा.	1934938	92967674
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	इंडोनेशिया	किग्रा.	6764520	257967716
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	कोरिया ' गण.राज.	किग्रा.	1340	67410
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	मलेशिया	किग्रा.	534658 ,	17862309
15119090	अन्य परिष्कृत पाम ऑयल	इटली	किग्रा.	100	5879
	कुल योग			5171925278	109918496762

निधियां वापस लौटाना

3131. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रक्षा खरीद हेतु आवंटित काफी धनराशि वापस लौटा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान, पूंजी शीर्ष जिससे पूंजीगत अधिप्राप्ति का अधिकांश वित्त पोषण किया जाता है, के तहत किए गए आबंटन से संशोधित अनुमान स्तर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा 2063.84 करोड़ रुपये कम करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, वित्त मंत्रालय ने आबंटन 7007 करोड़ रुपये कम कर दिया।

(ख) संशोधित अनुमान स्तर पर रक्षा अधिप्राप्ति आबंटन में कमी किए जाने का मुख्य कारण कुछ योजनाओं का सफल न होना तथा पूर्व-संविदागत योजनाओं/परियोजनाओं के सुपुर्दगी कार्यक्रम में विलंब होना है।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान एक समान व्यय पैटर्न की योजना बनाने तथा उसमें तेजी लाने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को संशोधित किया गया है तथा उसे अद्यतन बनाया गया है ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटन के समान उपयोग को सुनिश्चित तथा इष्टतम बनाया जा सके।

चाय बागानों में जैव कृषि

3132. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक चाय बागान धीरे-धीरे अजैविक कृषि छोड़कर जैव कृषि अपना रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अजैविक कृषि छोड़कर जैव कृषि अपनाने के परिणामस्वरूप क्या चाय उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चाय बागानों में जैव कृषि को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) कुछेक चाय बागानों ने जैविक खेती शुरू कर दी है जिससे परम्परागत चाय की तुलना में अधिक कीमत प्राप्त हो रही है। ब्यौरा निम्नानुसार है :-

राज्य का नाम	जैविक बागानों की संख्या
असम	18
पश्चिम बंगाल	30
उत्तरांचल	2
कुल उत्तर भारत	**50**
तमिलनाडु	8
केरल	5
कर्णाटक	1
कुल दक्षिण भारत	**14**
अखिल भारतीय	64

(ग) और (घ) परिवर्तन चरण के दौरान शुरू में उत्पादन में गिरावट आती है तथा कुछ वर्षों के बाद यह अपने मूल स्तर पर आ जाता है।

(ङ) सरकार चाय बोर्ड के जरिए जैविक प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए जैविक चाय के निर्यातकों की सहायता करती है ताकि वे नए क्रेताओं का पता लगा सकें। जैविक चाय उपजकर्ताओं को उत्पाद के प्रमाणन के लिए प्रति प्रमाण-पत्र लागत के 50% की सहायता दी जाती है। सरकार ने, सामान्य वस्तु निधि से वित्तीय सहायता के साथ एक परियोजना का अनुमोदन किया है जिसका उद्देश्य जैविक चाय उत्पादन की प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रणालियों का विकास करना है।

ई.पी.एफ. इंडिया स्कीम को नए रूप में पेश करना

3133. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2005 से कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कर्मचारियों और लेखाओं की संख्या कितनी है तथा उपर्युक्त अवधि से प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि में राज्य-वार कितनी धनराशि रही है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने ई.पी.एफ. के सभी अंशदाताओं को आन-लाइन पहुंच मुहैया कराने हेतु 'रि-इन्वेन्टिंग ई.पी.एफ. इंडिया' योजना के अंतर्गत सभी कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) कार्यालयों को आपस में जोड़ने और अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने हेतु एक व्यापक परियोजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थिति क्या है और इसकी स्थापना के समय से अब तक वर्ष-वार कितनी निधियां आवंटित/खर्च की गयी हैं;

(घ) क्या परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा नहीं किया जा सका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है और इसमें विलम्ब की वजह से लागत में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निधियों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2001 में रि-इन्वेंटिंग ई.पी.एफ. इंडिया नामक एक परियोजना की शुरुआत अपने पणधारियों के सेवार्थ शुरू की थी जिसमें लेखा परीक्षा पद्धति, व्यवसाय प्रक्रिया आदि को नए तरीके से शुरू किया गया है। इस प्रकार दावों के निपटान में लगने वाले समय को काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी तथा अनुपालन में सुधार होगा एवं 'किसी भी समय किसी भी जगह' आधार पर सेवा प्रदान की जा सकेगी।

मैसर्स सिमेन्स इन्फार्मेशन सिस्टम्स लि. (एस.आई.एस.एल.), जिसे इस कार्य को संपन्न करने के लिए परामर्शी नियुक्त किया गया था, ने 'बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग', 'सिस्टम डिजायन डाक्यूमेंट', 'सॉफ्टवेयर रिक्वाएरमेंट स्पेसिफिकेशन्स' आदि संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी प्रदान कर दिया गया था। विस्तृत प्रयोक्ता जांच तथा क्षेत्र जांच के संबंध में इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कई एक खामियां पाई गई थीं। कमियों को दूर करने के उद्देश्य से परामर्शी ने संविदा में बदलाव के लिए कहा तथा विलम्ब अधिभार के रूप में 51.50 करोड़ रुपये की मांग की।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि ने इस मामले पर विचार किया। इस परियोजना पर उप-समिति के निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय बोर्ड ने दिनांक 24 जनवरी, 2008 की अपनी बैठक में कानूनी कार्रवाईयों सहित एस.आई.एस.एल. के साथ संविदा को रद्द करने का अनुमोदन किया। बोर्ड ने 17-04-2008 को नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एन.आई.सी.) के साथ सहभागिता वाली एक संशोधित क्रियान्वयन योजना का भी अनुमोदन किया।

विलम्ब के कारणों में मुख्यत: परामर्शी द्वारा सुपुर्दगीय के देर से प्रस्तुत किया जाना रहे। मैसर्स सिमेन्स इन्फार्मेशन सिस्टम्स लि. इस परियोजना के लिए परामर्शी नियुक्त किए गए थे जिसके लिए 6,67,47,000 रुपये की राशि दी गई थी। इसके अतिरिक्त, कोई अन्य लागत अनुमान नहीं लगाया गया था। तथापि, 'रि-इन्वेंटिंग ई.पी.एफ. इंडिया' परियोजना तथा एन.आई.सी. के साथ नई परियोजना पर 31-03-2009 तक व्यय की गई कुल राशि लगभग 57.50 करोड़ रुपये है। इस परियोजना पर होने वाले व्यय को सामान्य राजस्व व्यय के बजट शीर्ष से पूरा किया जाएगा और इसके लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है। इस प्रकार इसमें किसी तरह का अधिव्यय नहीं किया गया है।

विवरण-I

31 मार्च, 2005 से कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत क्षेत्रवार सदस्यता

क्षेत्र	31-03-2005			31-03-2006			31-03-2007			31-03-2008		
	छूट प्राप्त	गैर-छूट प्राप्त	कुल	छूट प्राप्त	गैर-छूट प्राप्त	कुल	छूट प्राप्त	गैर-छूट प्राप्त	कुल	छूट प्राप्त	गैर-छूट प्राप्त	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	245499	2886380	3131879	253557	2942467	3196024	248377	2961396	3209773	258721	2800076	3058797
बिहार	59990	170716	230706	61420	176027	237447	61723	178639	240362	33704	273146	306850
छत्तीसगढ	57000	253156	310156	57000	266079	323079	57000	285634	342634	69493	302650	372143
दिल्ली	357157	1857728	2214885	351046	1817553	2168599	345082	1791414	2145496	367637	1805131	2172768
गोवा	7865	274276	282141	13289	330622	343911	14443	401549	415992	14443	475210	489653
गुजरात	213825	3519513	3733338	231984	3479905	3711889	230360	3460487	3690847	196358	2410038	2606396
हिमाचल प्रदेश	5146	203739	208939	9007	222850	231857	9007	238193	247200	10550	231446	241996
हरियाणा	61997	1513523	1575520	48691	2465832	2514523	59790	2668223	2728013	75308	2559349	2634657
झारखण्ड	236915	535367	772282	233864	527816	761680	231883	520282	752165	222959	613480	836439
कर्णाटक	350509	3296857	3647366	366326	3739793	4106119	399599	4094108	4493707	399599	4094108	4493707
केरल	26441	1182305	1208746	38489	1252684	1291173	38338	1286768	1325106	52638	1431784	1484422
महाराष्ट्र	692126	7148120	7840246	765637	7235202	8000839	792786	7226883	8019669	792786	7226883	8019669
मध्य प्रदेश	42489	1400422	1442911	42528	1393544	1436072	37697	1461712	1499409	36595	1503666	1540261
पूर्वोत्तर	30634	176925	207559	30203	191823	222026	30203	208977	239180	23804	242766	266570

उड़ीसा	84140	656950	741090	59838	668224	728062	60105	676591	736696	70713	581655	652368
पंजाब	30942	2565605	2596547	31701	2360680	2392381	37151	2642034	2679185	36958	2788464	2825422
राजस्थान	101511	1269010	1370521	105690	1336859	1442549	107455	1466404	1573859	107455	1466404	1573859
तमिलनाडु	255723	4867834	5123557	243520	5237181	5480701	250603	5554498	5805101	256622	6721240	6977862
उत्तराखण्ड	71101	118697	189798	69941	121499	191440	67801	124986	192787	65381	109750	175131
उत्तर प्रदेश	177659	1374193	1551852	163565	1370511	1534076	167428	1404185	1571613	167524	1365761	1533285
पश्चिमी बंगाल	787911	1941224	2729135	787219	1851343	2638562	745659	1750057	2495716	501474	2155549	2657023
कुल	3896580	37212594	41109174	3964515	38988494	42953009	4001490	40403020	44404510	3760722	41158556	44919278

विवरण-II

कर्मचारी भविष्य निधि के पास निधियों की मात्रा

(करोड़ रुपये)

वर्ष	छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	कुल
31-03-2005	49961.51	149053.88	199015.39
31-03-2006	57528.09	170435.33	227963.42
31-03-2007	66102.42	190977.12	257079.54
31-03-2008	73627.13	221883.34	295510.47

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास निधियों के ब्यौरे राज्य-वार/क्षेत्र-वार नहीं रखे जाते लेकिन निवेश और निधि प्रबंधन के प्रयोजन से संगठन के मुख्यालय में केन्द्रीय रूप से रखे जाते हैं।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सर्वेक्षण

3134. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने पूरे देश में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) ने कक्षा-III, कक्षा-V, कक्षा VII/VIII के स्तर पर अध्ययन उपलब्धि सर्वेक्षण के दो दौर आयोजित किए हैं। उपलब्धि सर्वेक्षण के प्रथम एवं द्वितीय दौर में प्रगति का तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराए गए अध्ययन उपलब्धि सर्वेक्षण में प्रगति का विवरण

	कक्षा III		कक्षा V		कक्षा VII/VIII	
राउंड्स	1	2	1	2	1	2
वर्ष	2003-04	2007-08	2001-02	2005-06	2003-04	2007-08
शामिल राज्यों की संख्या	29	32	30	33	30	32
उन स्कूलों की संख्या जिनका दौरा किया गया	5293	7341	4787	6828	4378	5246
छात्रों की संख्या	92407	86112	88271	84322	105531	101365
औसत उपलब्धि-भाषाएं	63.12	67.84	58.87	60.3	54.24 (कक्षा VII के लिए) 53.86 (कक्षा VIII के लिए)	56.87 (कक्षा VII के लिए) 56.57 (कक्षा VIII के लिए)
औसत उपलब्धि-गणित	58.25	61.89	46.51	48.46	30.50 (कक्षा VII के लिए) 39.17 (कक्षा VIII के लिए)	39.87 (कक्षा VII के लिए) 42.71 (कक्षा VIII के लिए)
औसत उपलब्धि-ई.वी.एस.	-	-	50.3	52.19	-	-
औसत उपलब्धि-सामाजिक विज्ञान	-	-	-	-	34.07 (कक्षा VII के लिए) 46.19 (कक्षा VIII के लिए)	44.15 (कक्षा VII के लिए) 48.03 (कक्षा VIII के लिए)
औसत उपलब्धि-विज्ञान	-	-	-	-	37.78 (कक्षा VII के लिए) 41.30 (कक्षा VIII के लिए)	42.35 (कक्षा VII के लिए) 42.73 (कक्षा VIII के लिए)

वल्लारपदम में कण्टेनर टर्मिनल का निर्माण

3135. **श्री कोडिकुन्नील सुरेशः** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वल्लारपदम इंटरनेशनल कण्टेनर ट्रांसशिपमेण्ट टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या वल्लारपदम टर्मिनल को रेल और सड़क से जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) वल्लारपदम अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल का निर्माण कार्य चल रहा है और यह 30 नवम्बर, 2009 को पूरा हो जाना नियत है। इस टर्मिनल के दिसम्बर, 2009 में कार्य करना आरंभ करना तय है।

(ग) और (घ) जी, हां। वल्लारपदम में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल का रेल से संपर्क कायम किया जाना मै. रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल का सड़क से संपर्क कायम किया जाना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन

3136. **श्री अर्जुन चरण सेठी:**
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल की आर्थिक मंदी की वजह से असंगठित क्षेत्र में हुई नौकरियों की हानि के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार के नए/वैकल्पिक अवसर सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) बेरोजगारी की गंभीर समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया था जिसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों के मजदूरीयुक्त रोजगार की गारंटी दी जाती है जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहें। इस अधिनियम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अगर नरेगा के तहत कार्य के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों को कार्य की अनुरोधित तारीख से 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता, तो उसे राज्य सरकार अधिनियम में निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा, सरकार कई रोजगार सर्जक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जैसे - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगस्त, 2008 से 2012-2013 तक कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है जिसमें मार्जिन राशि के रूप में 4,735 करोड़ रुपये और पिछड़े-अगड़े लिंकेज के रूप में 250 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय है ताकि 37.37 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किये जा सकें।

मिर्च का निर्यात

3137. **श्री सर्वे सत्यनारायणः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश-वार और वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की मिर्च का निर्यात किया गया;

(ख) पूरे विश्व में मिर्च निर्यात के संबंध में भारत की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिर्च के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा निर्यातक है। मिर्च के निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) XIवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा मसालों के निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फसलोत्तर सुधार तथा मसालों के निर्यात विकास एवं संवर्धन स्कीमों के जरिए मिर्च सहित मसालों के निर्यात संवर्धन हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा गुण्टूर, जो मिर्च का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, में एक मसाला पार्क तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यू.ई.एल.) को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सुविधाओं से मिर्च कृषक अपने उत्पाद हेतु प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन में सुधार कर सकेंगे और अपने उत्पादों की बेहतर कीमतें प्राप्त कर सकेंगे और निर्यात में वृद्धि कर सकेंगे।

मसाला बोर्ड ने सूडान रंजक I-IV के लिए अनिवार्य रूप से नमूना लेने एवं उसकी जांच की शुरुआत की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मिर्च एवं मिर्च उत्पाद अधिक स्वीकार्य बन सकें। भारत से मिर्च का निर्यात वर्ष 2005-06 में 403.01 करोड़ रुपये मूल्य के 113174 मी. टन से बढ़ कर वर्ष 2008-09 में 1080.95 करोड़ रुपए मूल्य के 188000 मी. टन का हो गया है।

विवरण

भारत से मिर्च का प्रमुख देश-वार निर्यात

(मात्रा मी. टन, मूल्य लाख रुपए)

देश	2006-07		2007-08		2008-09	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
मलेशिया	43625.4	25133.2	51782.4	30520.7	40615.4	26072.1
श्रीलंका	21822.4	11228.6	29504.8	13501.1	37791.7	19628.0
यू.एस.ए.	13058.2	8328.2	19712.6	12956.9	15793.1	12881.6
पाकिस्तान	254.6	55.0	11349.8	4532.0	22375.8	10192.0
यू.ए.ई.	12622.6	3685.4	15813.2	5889.1	18812.9	7006.5
थाइलैंड	626.9	387.1	2913.9	1544.3	9189.9	5434.6
इंडोनेशिया	6488.5	3151.1	9305.3	4146.8	10530.5	5148.8
यू.के.	2279.4	1522.2	2872.3	2010.4	3045.1	2646.6
इजिप्ट (ए.आर.ई.)	503.3	306.2	1066.5	780.5	2823.0	1830.7
दक्षिण अफ्रीका	1738.4	925.5	2349.5	1303.4	2815.0	1726.4
सऊदी अरब	806.1	538.2	1514.4	885.9	1921.3	1306.9
सिंगापुर	1285.6	788.5	1966.3	1221.1	1857.4	1277.8
नेपाल	3264.1	1358.1	4306.0	1580.4	3224.6	1228.4
बांग्लादेश	28424.6	15507.7	34678.9	16120.3	1922.5	1023.3

1	2	3	4	5	6	7
इटली	652.0	436.7	741.8	531.7	1002.3	991.1
मैक्सिको	1894.7	1426.6	2557.2	3723.6	1363.4	899.4
कनाडा	634.7	450.9	891.9	634.6	830.0	695.4
ऑस्ट्रेलिया	697.8	557.8	747.3	631.8	708.4	677.9
रूस	870.7	386.8	741.3	405.1	1265.7	592.8
फ्रांस	278.6	257.4	366.5	324.1	457.5	561.8
ईरान			51.9	11.5	1267.2	487.0
कुवैत	563.6	300.8	1031.4	490.7	693.4	441.6
कतर	324.7	147.0	580.2	229.9	876.4	420.5
अन्य	6305.4	3977.3	12154.8	7774.0	6817.5	4923.8
कुल मदें	149022.2	80856.0	209000.1	109750.0	188000.1	108094.9

चालू वर्ष (अप्रैल-मई, 2009) के दौरान देश-वार निर्यात

(मात्रा मी. टन, मूल्य लाख रुपए)

देश	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)
1	2	3
मलेशिया	5647	3680.17
श्रीलंका	5196	2531.60
यू.एस.ए.	2140	1937.11
यू.ए.ई.	3389	1425.66
थाइलैंड	1327	792.65
यू.के.	662	725.31
इंडोनेशिया	1316	678.25
इजिप्त (ए.आर.ई.)	890	579.34
बांग्लादेश	1005	530.68
नेपाल	943	402.89
दक्षिण अफ्रीका	336	243.37
ऑस्ट्रेलिया	164	173.94
सऊदी अरब	192	167.80
सिंगापुर	213	150.64
अमन	125	98.78
फ्रांस	72	97.07
कनाडा	122	96.01
इटली	97	95.30
कतर	115	68.39
जर्मनी	49	57.62
बहराइन	84	54.66
स्पेन	42	50.97

1	2	3
कुवैत	43	49.36
फिलिपिंस	63	47.41
नीदरलैंड	45	45.64
रूस	90	45.19
ब्राजील	69	45.14
मालद्वीव	52	40.43
अन्य	1512	1059.87
कुल	26000	15971.25

विद्यालयों के लिए भवन क्षमता

3138. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजनावधि के अंत तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों के लिए क्षमता निर्माण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजनावधि के अंत तक प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2,84,774 शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य है। XIवीं योजना के दौरान 90,000 नए स्कूल खोलने का लक्ष्य है। Xवीं योजना की तुलना में 119.14 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना करते हुए 8,87,000 अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

अध्यापक शिक्षा की केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों, अध्यापक शिक्षा कॉलेजों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं को क्षमता निर्माण तथा उनके कार्यकलापों के संवर्धित कवरेज के लिए संसाधन सहायता प्रदान करना सरकार का सतत प्रयास रहा है।

मार्च, 2009 में शुरू की गई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की केंद्र-प्रायोजित योजना माध्यमिक शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुंच तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिप्रेत है। यह योजना प्रत्येक बस्ती से एक तर्कसंगत दूरी के भीतर एक माध्यमिक स्कूल प्रदान करते हुए, सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाते हुए, माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए और स्त्री-पुरुष संबंधी, सामाजिक-आर्थिक एवं विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि की परिकल्पना करती है।

सीमेंट की कीमतों में वृद्धि

3139. श्री निशिकांत दुबे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में देश में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार सीमेंट की कीमतों को रोकने में किस हद तक सफल हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) सीमेंट का अखिल भारतीय औसत खुदरा विक्रय मूल्य जून, 2008 से जून, 2009 तक मांग में नियमित वृद्धि होने के कारण 7.23 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि दर्शाते हुए कुल मिलाकर स्थिर रहा है। वास्तव में सीमेंट के मूल्यों की देश में मानसून पूर्व निर्माण कार्यकलापों के बढ़ने के कारण वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। निर्माण कार्यकलापों में मंदी होने तथा नई क्षमताओं की वृद्धि के कारण मानसून अवधि के दौरान इन कीमतों के और स्थिर होने की संभावना है।

भारत के व्यापार सहयोगी

3140. श्री एंटो एंटोनी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के दस सबसे बड़े व्यापार सहयोगियों, व्यापार की मात्रा, निर्यात/आयात की प्रमुख वस्तुओं और रुपये में शुद्ध व्यापार संतुलन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत के दस सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों और विगत तीन वर्षों के दौरान उनसे किए गए व्यापार की मात्रा एवं निवल व्यापार संतुलन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निर्यात/आयात की प्रमुख मदों का ब्यौरा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://www.commerce.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) भारत ने विश्व के अन्य भागों के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक पहलें की हैं, जिनका उद्देश्य बाजार पहुंच पहलों, संयुक्त व्यापार समितियों जैसे संस्थागत तंत्रों की स्थापना, मेलों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन और सतत आधार पर व्यापार का संवर्धन करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके व्यापार का बढ़ाना।

चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मालभाड़े की उच्च लागत तथा अन्य ऊपरी लागतों को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से दिनांक 01-04-2006 से "फोकस बाजार स्कीम" नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। इसके अंतर्गत निर्यातकों को उनके उत्पादों के निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2.5% की दर से मुक्त रूप से अन्तरणीय शुल्क ऋण स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। इस पहल का उद्देश्य अभिज्ञात किए गए फोकस बाजारों को निर्यात के लिए भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। शुरुआत के तौर पर लैटिन अमरीका के 8 देशों, अफ्रीका के 49 देशों, स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (सी.आई.एस.) के 10 देशों, मध्य अमरीका के 5 देशों और पूर्वी यूरोप के 1 देश को फोकस बाजारों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान दस सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार

देश	व्यापार की मात्रा (करोड़ रुपए में)	व्यापार संतुलन
यू.एस.ए.	138474	32263
चीन पी.आर.पी.	116538	-41479
स. अरब अमीरात	93620	15270
सऊदी अरब	72273	-48850
सिंगापुर	52302	2622
जर्मनी	52154	-16140
यू.के.	44311	6532
बेल्जियम	34463	-3020
जापान	33748	-7841
कोरिया आर.पी.	33126	-10368

वर्ष 2007-08 के दौरान दस सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार

देश	व्यापार 2007-08 (करोड़ रुपए में)	व्यापार संतुलन
1	2	3
यू.एस.ए.	168013	-1237
चीन पी.आर.पी.	152713	-65519
सं. अरब अमीरात	117148	8682
सऊदी अरब	93033	-63188
सिंगापुर	62344	-3020
जर्मनी	60335	-19137
यू.के.	46909	7026

1	2	3
जापान	40973	-9942
हांगकांग	36252	14518
कोरिया आर.पी.	35789	-12826

वर्ष 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान
दस सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार

देश	व्यापार 2008-09 (करोड़ रुपए में)	व्यापार संतुलन
चीन पी.आर.पी.	1,63,202	-92,676
यू.एस.ए.	1,55,353	12,254
स. अरब अमीरात	1,52,668	-1,934
सऊदी अरब	1,05,602	-64,303
जर्मनी	67,602	-19,497
सिंगापुर	63,280	2,934
यू.के.	50,144	524
हांगकांग	50,129	1,772
बेल्जियम	41,552	-5,294
नीदरलैंड	33,099	19,049

आंकड़ा स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (डी.जी.सी.आई. एंड एस.)

नौवहन वित्त निगम की स्थापना

3141. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवहन क्षेत्र के लिए सुगम निधि प्रवाह हेतु किसी वित्त निगम या पुनर्वित्त पोषक निगम के अन्तर्गत किसी समर्पित निकाय का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारतीय अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड (आई.आई.एस.सी.एल.) को नौवहन उद्योग से संबंधित नयी कोर सेक्टर परियोजनाओं के विकास हेतु निम्न लागत निधियां प्रदान करने का निदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर आई.आई.एफ.सी.एल. की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) नौवहन क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) हालांकि, उदारीकरण के इस दौर में, सरकार, पोतों की खरीद के लिए आसान शर्तो पर ऋण मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, पोत परिवहन मंत्रालय के अनुरोध और वित्त-मंत्रालय के आदेश पर, भारतीय बैंक संघ ने पोतों की खरीद के लिए उधार देने की सुविधाएं दिए जाने के नौवहन उद्योग के अनुरोध की जांच-पड़ताल करने हेतु एक कार्य दल गठित किया था। भारतीय बैंक संघ ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और नौवहन कंपनियों को संबंधित बैंकों से यह मामला उठाना चाहिए।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। चूंकि भारतीय नौवहन उद्योग पोतों की खरीद के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था करने में कठिनाईयों का सामना कर रहा है अतः पोत परिवहन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा पोत-खरीद के संबंध में वित्त पोषण की व्यवस्था करने की संभावना का पता लगाने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात

3142. **श्री जगदीश शर्मा:**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री अर्जुन चरण सेठी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) से किए गए निर्यात

के मूल्य का ब्यौरा क्या है तथा गत वर्ष हुई वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों से हुए निर्यात में वृद्धि देश के कुल निर्यात में हुई वृद्धि से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि के साथ पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एस.ई.जेडों से हुए निर्यातों का मूल्य निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	एस.ई.जेडों से हुए वास्तविक निर्यातों का मूल्य (करोड़ रु.)	वृद्धि दर (पिछले वर्ष की तुलना में)
2005-06	22,840	25%
2006-07	34,615	52%
2007-08	66,638	93%
2008-09	99,689	50%

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09 के दौरान भारत से हुए कुल निर्यातों में पिछले वर्ष में हुई 29.1% की वृद्धि की तुलना में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष की दूसरी छमाही से भारत के निर्यातों पर वैश्विक मंदी का प्रतिकूल प्रभाव रहा था।

सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन

3143. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु सरकार को कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई तथा उन निकायों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की हाल ही में समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) वर्ष 2009-10 के दौरान विश्व बैंक, यूरोपीय कमीशन तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए विदेशी सहायता की कोई प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) सर्व शिक्षा अभियान की मानीटरिंग के लिए एक सशक्त तंत्र मौजूद है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा बैठकें, वार्षिक प्रारम्भिक स्कूल आंकड़े प्रस्तुत करना, 42 स्वतंत्र मानीटरिंग संस्थाओं द्वारा फील्ड मानीटरिंग तथा छह मासिक स्वतंत्र समीक्षा मिशन शामिल हैं। राज्य कार्यान्वयन समितियों (एस.आई.एस.) के लिए लेखा परीक्षा प्रबंधों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा, स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा तथा स्वतंत्र व्यवसायिक निकायों द्वारा समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं शामिल हैं। 9वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने जनवरी, 2009 में सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा की और यह पाया कि यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल रहा है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन

3144. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) द्वारा दिल्ली में आयोजित प्रत्येक व्यापार मेले पर कितना व्यय हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयोजित प्रत्येक मेले से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आई.टी.पी.ओ. द्वारा आयोजित मेलों पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन व्यापार मेलों से आई.टी.पी.ओ. द्वारा सृजित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2006-07, 2007-08 के लिए लेखा परीक्षित आंकड़ों और वर्ष 2008-09 के लिए अनन्तिम आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आई.टी.पी.ओ. द्वारा दिनांक 01-04-2009 से 21-07-2009 तक दिल्ली में कोई मेला आयोजित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2006-07, 2007-08 के लिए लेखा परीक्षित आंकड़ों और वर्ष 2008-09 के लिए अनन्तिम आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आई.टी.पी.ओ. द्वारा दिल्ली में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों से संबंधित आय तथा व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	आय	व्यय	अधिशेष+/घाटा(-)
1	2	3	4	5
2006-07				
1.	दिल्ली पुस्तक मेला 9/06	131.83	85.71	46.12
2.	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय चर्म मेला 7/06	141.71	19.93	121.78
3.	रोजगार एवं शिक्षा मेला 5/06	23.86	7.45	16.41
4.	स्टेशनरी मेला 9/06	30.55	19.19	11.36
5.	सजावट मेला 9/06	29.03	14.73	14.30
6.	राष्ट्रीय फर्नीचर मेला 9/06	23.98	20.77	3.21
7.	टेक्स-स्टाइल इंडिया 2/07	251.09	79.36	171.73
8.	आई.टी. इण्डिया मेला 1/07	26.62	28.21	-1.59
9.	रोजगार एवं शिक्षा मेला 10/06	15.26	3.36	11.90
10.	कृषि प्रदर्शनी एवं बागवानी मेला 2/07	35.04	23.55	11.49
11.	आहार अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेला 3/07	348.58	53.33	295.25
12.	नक्षत्र 3/07	16.44	10.78	5.66
13.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 11/06	3073.72	634.68	3439.04
	कुल	**4147.71**	**1001.05**	**3146.66**
2007-08				
1.	दिल्ली पुस्तक मेला 9/07	124.52	82.25	42.27

1	2	3	4	5
2.	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय चर्म मेला 5/07	111.61	13.62	97.99
3.	इण्डिया ज्वैलरी एण्ड वॉच शो 10/07	45.80	59.56	-13.76
4.	रोजगार एवं शिक्षा मेला 5/07	33.43	10.23	23.20
5.	आहार अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेला 3/08	468.40	137.40	331.00
6.	स्टेशनरी मेला 9/07	28.65	18.65	10.00
7.	सजावट मेला 9/07	27.23	15.98	11.25
8.	अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षा, डी.एम. उपकरण प्रदर्शनी 2/08	60.31	47.26	13.05
9.	टेक्स-स्टाइल इण्डिया 3/08	186.26	90.80	95.46
10.	आरोग्य 10/07	81.96	37.88	44.08
11.	नक्षत्र 2/08	21.50	16.65	4.85
12.	रोजगार एवं शिक्षा मेला 10/2007	28.53	5.88	22.65
13.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 11/07	3250.53	686.57	2563.96
	कुल	**4468.73**	**1222.73**	**3246.00**
2008-09 (अनन्तिम)				
1.	दिल्ली पुस्तक मेला 8/08	165.41	66.82	98.59
2.	प्रिंट पैक इण्डिया 01/09	662.13	63.32	598.81
3.	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय चर्म मेला 10/08	101.33	40.34	60.99
4.	खेल सामान एवं शरीर सौष्ठव उपकरण प्रदर्शनी 10/08	23.60	22.51	1.09
5.	एन्वायरोटेक 12/08	16.14	17.49	-1.35
6.	आहार अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेला 3/09	607.86	138.96	468.90
7.	स्टेशनरी मेला 9/08	38.75	22.31	16.44
8.	इंटरनेशनल एक्जीबिशन सिक्योरिटी एक्स्पो 2/09	85.40	48.85	36.55
9.	टेक्स स्टाइल इण्डिया 3/09	145.41	72.40	73.01
10.	आरोग्य 10/08	82.06	38.79	43.27
11.	नक्षत्र 3/09	18.61	13.53	5.08

1	2	3	4	5
12.	एनर्जी टेक 12/08	17.63	23.41	-5.78
13.	आम महोत्सव	20.11	9.73	10.38
14.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 11/08	3792.40	707.13	3085.27
	कुल	5776.84	1285.59	4491.25

पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.टी.पी.ओ. द्वारा विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों से संबंधित आय एवं व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है

(लाख रुपए में)

	आय	व्यय	अधिशेष+/घाटा(-)
2006-07	1668.73	1496.96	171.77
2007-08	1257.18	1054.77	202.41
2008-09 (अनंतिम आंकड़े)	2042.75	1946.55	96.20

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

3145. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.ओ.एल.) की हाल में जारी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक मंदी से बालिका श्रमिकों सहित बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) "बालिकाओं को मौका दो: बाल श्रम की समस्या का हल ही भविष्य की चाबी है" शीर्षक वाली अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि वैश्विक संकट एवं बढ़ती गरीबी का बालिका श्रमिकों सहित बाल श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम एवं जागरूकता सृजन और अभिसरण नीतियों जैसे अन्य सकारात्मक उपायों के माध्यम से बाल श्रम की समस्या का पहले से ही समाधान कर रही है।

आई.आई.टी. के पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा

3146. श्री एल. रोजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) से कतिपय चयनित पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) का कोटा हटाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह मांग केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) यह सुझाव दिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण को लागू करने के प्रयोजनार्थ किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कुल सीटों

की संख्या में 54% तक की वृद्धि करते समय किसी विषय विशेष में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने का आग्रह न किया जाए, अपितु विषयों की लोकप्रियता, मांग तथा इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। इस मुद्दे पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पोत पुनर्चक्रण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3147. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री के. सुधाकरण:
श्री जी.एस. बासवराज:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में हुई पोत पुनर्चक्रण संबंधी इन्टरनेशनल मेरीटाइम आर्गनाइजेशन कनवेंशन को अभिपुष्ट/मंजूर करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के 'पोत भंजन' उद्योग ने इस कनवेंशन के कतिपय उन विवादास्पद खंडों का विरोध किया है, जिससे उद्योग बंद हो सकते हैं तथा केन्द्र सरकार से उक्त खंडों पर पुनः वार्ता करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रारूप को भारत के पोत भंजन उद्योग द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर किए बिना ही स्वीकार कर लिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश के पोत भंजन उद्योग की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पोतों के सुरक्षित एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ पुनर्चक्रण पर हांगकांग अंतर राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसके अनुसमर्थन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पोत भंजन उद्योग को भारतीय पोत पुनर्चक्रण उद्योग पर इस समझौते के प्रभाव के संबंध में कुछ संदेह थे। भारत ने अंतर राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समुद्री पर्यावरण सुरक्षा समिति की विभिन्न बैठकों और मुंबई तथा अलग में आयोजित की गई आई.एम.ओ. की दो राष्ट्रीय कार्यशालाओं के दौरान संगत विषयों को उठाया था। पोत पुनर्चक्रण उद्योग के बारे में 23 अप्रैल, 2009 को हुई एक बैठक में विचार विमर्श किया गया था और उस बैठक के दौरान बने मतैक्य के आधार पर सरकार का दृष्टिकोण तय किया गया था।

(घ) और (ङ) समुद्री पर्यावरण सुरक्षा समिति में उद्योग द्वारा उठाए गए आधारभूत संदेहों पर विचार विमर्श किया गया, उनका समाधान किया गया और उनका अनुपालन किया गया। सम्मेलन के दौरान जिन महत्वपूर्ण विषयों पर बहस की गई और उन पर निर्णय लिया गया उनमें शामिल थे पोत पुनर्चक्रण योजना, सेफ फॉर एन्ट्री और सेफ फॉर हॉट वर्क जैसे प्रमाणपत्रों के साथ पुनर्चक्रण के लिए टैंकर प्राप्त करना, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि में इस्तेमाल में लाई जा रही पोत पुनर्चक्रण की बीचिंग पद्धति आदि। भारत ने इस समझौते के दायरे में युद्धपोतों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया था। तथापि, उस पर इस तथाकथित कारण से सहमति नहीं बन सकी कि आई.एम.ओ. के किसी भी समझौते में युद्धपोतों का प्रवाधान नहीं है और उसे राष्ट्रीय कानून में यथा आवश्यकता शामिल किया जा सकता है।

(च) इस समय भारत में पोत भंजन कार्य माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 657 में दिनांक 6 सितंबर, 2007 के आदेश के द्वारा दिए गए उनके फैसले द्वारा विनियमित होता है। इस्पात मंत्रालय द्वारा पोत पुनर्चक्रण संहिता का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित शामिल किए गए हैं:-

i. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2007 के आदेश में शामिल निदेश,

ii. तकनीकी विशेषज्ञ समिति (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित) की सिफारिशें; और

iii. विभिन्न हिस्सेदारों की अपेक्षाएं, जिनमें संबंधित मंत्रालय/विभाग, पत्तन प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुनर्चक्रण उद्योग शामिल हैं।

ट्राई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन

3148. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता को कायम रखने के लिए दूरसंचार प्रचालकों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियां इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं और ग्राहकों को भ्रमित कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभी तक कितने मामले ट्राई की जानकारी में लाए गए हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) कम्पनियों द्वारा दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था तथा उनके विपणन में पारदर्शिता भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए एक उच्च प्राथमिकता का मुद्दा रहा है। प्राधिकरण द्वारा इसके गठन के समय से ही ग्राहकों के संरक्षणार्थ सेवाओं की पेशकश में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें समय-समय पर विनियम, निर्देश, आदेश तथा परामर्श जारी करना शामिल है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) प्राधिकरण द्वारा अधिदेशित विनियमों, निर्देशों, आदेशों के अनुपालन को सावधानीपूर्वक मॉनीटर किया जाता है। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश के उपबन्धों के अनुसार प्रचालकों द्वारा कार्यान्वित सभी प्रशुल्क योजनाओं की सूचना ट्राई को इनके शुरू किए जाने से 7 दिनों के भीतर दी जाती है। ये प्रशुल्क योजनाएं/पैकेज जांच के अध्यधीन होती हैं। जिन प्रशुल्क योजनाओं/पैकेजों को संभावित रूप से भ्रामक तथा/अथवा पारदर्शिता रहित पाया जाता है उनमें हस्तक्षेप किया जाता है और सेवा प्रदाताओं से उसे मौजूदा विनियामक अधिदेशों के अनुरूप पुनः तैयार करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जब कभी भी ट्राई के समक्ष शिकायतों, मीडिया रिपोर्टों आदि के माध्यम से पारदर्शिता सम्बन्धी विहित दिशानिर्देशों से अलग हटने की घटनाएं सामने लाई जाती हैं तो इस मामले को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित सेवा प्रदाता के साथ उठाया जाता है। सेवा प्रदाताओं ने प्राधिकरण के इन हस्तक्षेपों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है और आवश्यक सुधार किए हैं।

[हिन्दी]

रक्षा भूमि का उपयोग

3149. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न छावनियों और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में अप्रयुक्त पड़ी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अतिरिक्त भूमि को वापस लौटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि खरीद पर विवेकपूर्ण तरीके से गौर करने हेतु कोई बोर्ड या समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा भूमि मुख्यतः विभिन्न रक्षा जरूरतों के लिए है। रक्षा भूमि की जरूरत उत्तरोत्तर बढ़ रही है इसलिए किसी भी समय इसकी सीमा नहीं बांधी जा सकती। सेनाओं की वर्तमान और भावी दोनों जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय में खाली पड़ी भूमि सहित किसी भी रक्षा भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) रक्षा उद्देश्यों के लिए जब कभी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ती है तब निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिग्रहण पर विचार करने के लिए अफसर बोर्ड बिठाया जाता है।

एन.एस.सी.एफ.डी.सी. द्वारा प्राप्त परियोजनाएं

3150. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.सी.एफ.डी.सी.) को गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से कतिपय परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त में से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित/निर्माणाधीन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उनके अनुमोदन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) राज्यों से, संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के द्वारा प्राप्त एवं अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुमोदित नहीं हुई परियोजनाओं को संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को वापिस किया जाता है।

(घ) और (ङ) 31-3-2009 से पहले ही अवधि से संबंधित कोई भी प्रस्ताव आज की तारीख तक अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

विवरण

प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	आन्ध्र प्रदेश	52	46	14	14	0	0
02.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
03.	असम	6	6	3	3	3	3
04.	बिहार	0	0	16	16	2	2
05.	छत्तीसगढ़	11	7	6	3	6	3
06.	चंडीगढ़	1	1	1	1	5	2
07.	दिल्ली	3	3	2	2	2	2
08.	दादरा एवं नागर हवेली और दमन तथा दीव	0	0	0	0	0	0
09.	गोवा	1	1	3	2	0	0
10.	गुजरात	4	3	5	4	5	5
11.	हिमाचल प्रदेश	15	11	8	3	5	4
12.	हरियाणा	14	12	12	11	2	2
13.	जम्मू और कश्मीर	3	3	4	4	5	5
14.	झारखंड	6	6	12	12	7	7
15.	केरल	5	5	5	5	4	4
16.	कर्नाटक	34	33	49	12	12	10

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	महाराष्ट्र	107	82	51	23	29	27
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	15	12	22	21	11	9
21.	उड़ीसा	1	0	9	9	2	2
22.	पुडुचेरी	27	24	11	11	2	2
23.	पंजाब	10	9	8	7	8	8
24.	राजस्थान	15	11	21	14	17	16
25.	सिक्किम	7	7	6	3	2	2
26.	तमिलनाडु	43	43	25	14	0	0
27.	त्रिपुरा	24	22	6	6	9	9
28.	उत्तर प्रदेश	24	24	22	22	2	2
29.	उत्तरांचल	0	1	0	0	12	7
30.	पश्चिम बंगाल	24	21	21	21	12	12
	कुल	452	393	342	243	164	145

नोट: (i) विवरण में नागालैंड, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप नहीं हैं जहां 2001 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

(ii) परियोजना प्रस्तावों को वापिस करने के कारण (क) सैद्धांतिक आवंटन के आधिक्य में प्राप्त हुए प्रस्ताव (ख) ऋण नीति के अनुसार न होना और (ग) कई अनुस्मारकों के जारी करने के बाद भी स्पष्टीकरण प्राप्त न होना है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं

3151. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें घर पर विकलांगता संबंधी प्रमाणपत्र पहुंचाने हेतु क्या प्रबंध किए है;

(ग) सरकार द्वारा उन्हें सहायक सामग्री, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार प्रदान करने हेतु क्या योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(घ) इससे राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर कैंप आयोजित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जनगणना 2001 के अनुसार, देश में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या 1.96 करोड़ है। राज्य-वार आंकड़ा विवरण-I पर है। इसके अतिरिक्त, 0.23 करोड़ मानसिक विकलांग व्यक्ति हैं।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के सेक्शन 2(पी) और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 के नियम 3 से 6 के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। विकलांग व्यक्ति को जांच एवं विकलांगता-प्रमाण-पत्र के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होता है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और अन्य समर्थन सेवाओं हेतु निम्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) सहायक साधनों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप स्कीम);

(ii) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना;

(iii) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना; और

(iv) निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन।

(घ) वर्ष 2009-10 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के तहत अभी तक सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की सूची विवरण-II पर है।

(ङ) और (च) एडिप योजना के तहत जिला और ब्लॉक स्तरों पर कैम्प आयोजित किए जाते हैं।

विवरण-I

जनगणना, 2001 के अनुसार देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1.	जम्मू-कश्मीर	277,791
2.	हिमाचल प्रदेश	138,635
3.	पंजाब	360,715
4.	चंडीगढ़	13,739
5.	उत्तराखंड	174,881
6.	हरियाणा	405,445
7.	दिल्ली	209,843
8.	राजस्थान	1,302,921
9.	उत्तर प्रदेश	3,166,905
10.	बिहार	1,722,292
11.	सिक्किम	19,568
12.	अरुणाचल प्रदेश	32,054
13.	नागालैंड	23,869
14.	मणिपुर	23,653
15.	मिजोरम	13,160
16.	त्रिपुरा	52,279
17.	मेघालय	25,607
18.	असम	482,825
19.	पश्चिम बंगाल	1,576,332
20.	झारखंड	392,455
21.	उड़ीसा	917,743
22.	छत्तीसगढ़	376,273
23.	गुजरात	942,244
24.	दमन और दीव	2,897
25.	दादरा और नागर हवेली	3,773
26.	महाराष्ट्र	1,356,308
27.	मध्य प्रदेश	1,293,271

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
28.	आन्ध्र प्रदेश	1,209,782
29.	कर्नाटक	848,012
30.	गोवा	12,171
31.	लक्षद्वीप	1,462
32.	केरल	719,108
33.	तमिलनाडु	1,514,976
34.	पुडुचेरी	23,571
35.	अंडमान और निकोबार	6,388
	कुल	19,642,948

विवरण-II

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के तहत 2009-10 के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा (23-7-2009 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	लाभान्वित व्यक्तियों की सं.
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	569
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार	0
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	0
8.	दादरा और नागर हवेली	0
9.	दमन और दीव	0
10.	दिल्ली	167
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	56
13.	हरियाणा	0
14.	हिमाचल प्रदेश	45
15.	जम्मू-कश्मीर	0
16.	झारखंड	0
17.	कर्नाटक	0
18.	केरल	850
19.	मध्य प्रदेश	90
20.	महाराष्ट्र	0
21.	मणिपुर	0
22.	मेघालय	29
23.	मिजोरम	0
24.	नागालैंड	0
25.	उड़ीसा	224
26.	पांडिचेरी	0
27.	पंजाब	189
28.	राजस्थान	318
29.	तमिलनाडु	0
30.	त्रिपुरा	0
31.	उत्तर प्रदेश	367
32.	उत्तरांचल	255
33.	पश्चिम बंगाल	33
	कुल	3192

[अनुवाद]

आर्थिक मंदी से प्रभावित प्रमुख पत्तन

3152. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन सहित कुछ प्रमुख पत्तन आर्थिक मंदी से प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस स्थिति से उबरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान रही 11.97% की तुलना में, वर्ष, 2008-09 के दौरान, महापत्तनों द्वारा संभाले गए यातायात की वृद्धि दर घट कर 2.13% हो गई है। उसी तरह, पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2007-08 के दौरान रही 14.56% तुलना में, वर्ष 2008-09 के दौरान, विशाखापत्तनम में यातायात की वृद्धि दर (-) 1.07% थी। महापत्तनों के साथ-साथ विशाखापत्तनम पत्तन में यातायात में हुई इस कमी के कारणों में से एक कारण आर्थिक मंदी है। लौह अयस्क यातायात, जिसका मुख्य रूप से निर्यात होता है, उसमें वर्ष 2007-08 में रही 14.2% की तुलना में, वर्ष 2008-09 में केवल 2.3% वृद्धि हुई है। तरल बल्क श्रेणी में, कच्चे तेल और पैट्रोलियम में कार्गो-वृद्धि, पिछले साल की उसी अवधि में रही 10% की तुलना में, वर्ष 2008-09 के दौरान साधारणत: 3.3% थी। कन्टेनर यातायात, जो मुख्यत: उत्पादनों और संघटकों में व्यापार को प्रतिबिम्बित करता है, उसमें वर्ष, 2007-08 में काफी अधिक हुई 25.6% वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2008-09 में 0.9% की मामूली वृद्धि हुई है। कुछ उत्पादों में, आर्थिक मंदी का प्रमुख प्रभाव देखा गया था।

सरकार ने इस स्थिति में समग्र रूप से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) आर्थिक मंदी और महापत्तनों के कारोबार पर इसके प्रभाव के संबंध में, कुछ नीतियों पर फिर से विचार किए जाने का निर्णय लिया गया था, जो प्रत्यक्ष रूप से महापत्तनों के काम-काज से संबंध रखती है। तद्नुसार इस समूचे मामले को देखने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(ii) अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार अर्थात् जलमार्गों को गहरा किया जाना, कार्गो संभालने की सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना, घाटों का निर्माण, सड़क और रेल से सम्पर्क में बेहतरी लाना इत्यादि।

(iii) पत्तनों ने व्यापार को कम लागत की सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करने के लिए घाट आरक्षण योजना का कार्यान्वयन, मात्रा छूट योजना और सोपाधिकता में बेहतरी लाने जैसी नई पहलें आरम्भ की हैं।

वायुयान का निर्माण

3153. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) को विमान निर्माता एयरबस इन्डस्ट्री से सिंगल आईल प्रकार के विमानों के 2000 दरवाजों की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एयरबस इन्डस्ट्री को दरवाजों की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इससे हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में एयरबस इंडस्ट्री अथवा किसी अन्य फर्म के सहयोग से नागरिक वायुयान के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां। परियोजना के समग्र कार्यकाल (एल.ओ.पी.) के लिए ए-318/319/320/321 रूपान्तरों के फॉरवर्ड पी.ए.एक्स. दरवाजों के लिए एयरबस के साथ एक अनुवर्ती संविदा की गई है।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1460 पोत सैटों (शिपसैट्स) के संचयी आदेश के लिए मौजूदा संविदा के

तहत एयरबस को दरवाजों की आपूर्ति कर रहा है जिसके जनवरी 2010 तक पूरा हो जाने की संभावना है। तत्पश्चात अनुवर्ती संविदा निष्पादित की जाएगी।

(ग) लाभ का मूल्यांकन, श्रम, सामग्री आदि के रूप में मौजूदा लागत पर आधारित अनुवर्ती संविदा के तहत आपूर्तियां शुरू होने के बाद किया जाएगा।

(घ) देश में एयरबस इण्डस्ट्रीज अथवा अन्य फर्मों के सहयोग से सिविल विमानों का विनिर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव/विचार-विमर्श नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेन्टर की स्थापना

3154. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में डाक की छंटनी के लिए ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेन्टर की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, हां। वर्तमान योजना अवधि के दौरान सरकार का बारह ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स (ए.एम.पी.सी.) स्थापित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटरों (ए.एम.पी.सी.) का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है;

क्र. सं.	राज्य	स्थान (शहर) का नाम
1	2	3
1.	गुजरात	अहमदाबाद
2.	कर्णाटक	बेंगलूर
3.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
4.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
5.	राजस्थान	जयपुर
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
7.	पंजाब	लुधियाना
8.	केरल	कोच्चि
9.	बिहार	पटना
10.	महाराष्ट्र	वाशी
11.	दिल्ली	दिल्ली
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

(ग) दिल्ली और कोलकाता में ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर (ए.एम.पी.सी.) इसी वार्षिक योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है। शेष दस सेंटर ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाएंगे, बशर्ते कि अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) लागू नहीं।

पोत परिवहन परियोजनाएं

3155. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सहित देश में पोत परिवहन के उद्देश्य हेतु तटीय क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं की राज्य-वार **स्थिति** क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम **के अंतर्गत** नौवहन क्षेत्र के लिए कुल 111 परियोजना**ओं की पहचान** की गई है

जिनका परिव्यय 44,535 करोड़ रु. है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में शामिल हैं टनभार अधिग्रहण, समुद्री प्रशिक्षण, तटीय नौवहन, नौचालन के लिए सहायक साधन, पोत निर्माण और अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना का निर्माण। ये परियोजनाएं चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन परियोजनाओं के लिए धन परियोजनावार तय किया गया है न कि राज्यवार।

चालक दलों का बहिर्गमन

3156. श्री निशिकांत दुबे: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में प्रशिक्षित भारतीय चालक दल विदेशी मर्चेंट नेवी में शामिल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रशिक्षित चालक दलों को विदेशी मर्चेंट नेवी में शामिल होने से रोकने के लिए इंडियन मर्चेंट नेवी की सेवा शर्तों में सुधार हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय नाविकों की संख्या लगभग 1,00,000 है जिनमें से लगभग 30,000 भारतीय पोतों पर कार्य कर रहे हैं। लगभग 8,000 से 10,000 नए नाविक इस व्यवसाय में हर वर्ष आते हैं, जिनमें से दो तिहाई विदेशी ध्वज वाले पोतों पर कार्य करने का चुनाव करते हैं।

(ग) और (घ) भारत विश्व समुद्री उद्योग को नाविकों की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है। बारतीय नाविक कई कारणों से विदेशी वाणिज्यिक पोतों पर कार्य करने का चुनाव करते हैं, जैसे कि:

(i) बेहतर वेतन;

(ii) अपेक्षाकृत छोटी अवधि का करार;

(iii) समुद्र पूर्व प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किए जाने के पश्चात् विदेशी कंपनी से संबंध बना रहना और उसी कंपनी द्वारा पोत पर शुरुआती प्रशिक्षण आदि।

(iv) बेहतर कराधान पद्धति।

भारतीय पोतों पर कार्य अवधि और भारतीय पोतों पर कार्य कर रहे भारतीय नाविकों के वेतन आदि सहित सेवाओं की अन्य शर्तें पोत स्वामियों और नाविक यूनियनों के बीच बातचीत द्वारा तय की जाती हैं जिसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता।

[हिन्दी]

व्यावसायिक अध्ययन हेतु सहायता

3157. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ सरकार ने राज्यों को कोई सहायता मुहैया करायी है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में मुहैया करायी गयी निधियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 150 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है ताकि छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके।

(ग) से (च) 01-4-2007 से झारखंड, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम तथा उड़ीसा राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सिक्किम तथा पुडुचेरी राज्य सरकारों को वर्ष 2006-07 में क्रमशः 250.00 लाख रु. तथा 15.53 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। इस योजना के तहत दिनांक 1-4-2007 से किसी भी राज्य को कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है।

[अनुवाद]

पेशेवरों की कमी

3158. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री हंसराज गं. अहीरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पेशेवरों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों में रिक्त पद

3159. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों और औषधालयों में महिला डॉक्टरों, नर्सों, अर्ध-चिकित्सा और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों सहित विशेषज्ञ डाक्टरों के राज्य-वार कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) उक्त रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों और औषधालयों (राज्य-वार) में महिला डॉक्टरों, अर्ध-चिकित्सा स्टाफ जिसमें नर्सें और अन्य श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं, सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) रिक्त पदों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार को करनी होती है क्योंकि राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को राज्यों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इन रिक्त पदों को समयबद्ध ढंग से भरे जाने के मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ उठाया है तथा तद्नुसार, अस्पतालों और औषधालयों के अभिविन्यास व वास्तविक आवश्यकता के अनुसार स्टाफ के पुनर्नियोजन की कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रशासनिक व्यय, जिसमें 01-04-2009 से कतिपय शर्तों को पूरा करने के वास्तविक आधार पर कर्मचारियों का वेतन शामिल है, की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकारें सभी रिक्त पदों को भरने और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों के मानकों के अनुसार स्टाफ भी प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगी। यदि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों में मानकों के अनुसार स्टाफ उपलब्ध कराया जाता है तो राज्य सरकारों को प्रति बीमित परिवार इकाई 15 रुपये प्रति वर्ष की दर से दूसरा प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों और औषधालयों का संबंध है, विशेषज्ञ डॉक्टरों और अर्ध-चिकित्सा स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

विवरण

31-03-2009 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की राज्य-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	महिला डॉक्टरों सहित विशेषज्ञ डॉक्टर	नर्सिंग स्टाफ सहित अर्ध चिकित्सा स्टाफ	अन्य
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	65	108

1	2	3	4	5
2.	असम	6	8	24
3.	बिहार	9	75	77
4.	चण्डीगढ़ प्रशा.	6	10	8
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	28	31
6.	दिल्ली (सभी मॉडल अस्पताल सहित)	336	2276	1169
7.	गोवा	शून्य	5	7
8.	गुजरात	19	354	245
9.	हरियाणा	20	70	76
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	12	6
11.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	11	11
12.	झारखण्ड	7	190	221
13.	कर्नाटक	101	229	171
14.	केरल	20	52	191
15.	मध्य प्रदेश	12	168	114
16.	महाराष्ट्र	37	376	423
17.	मेघालय	शून्य	5	4
18.	उड़ीसा	19	55	79
19.	पुडुचेरी	1	30	5
20.	पंजाब	5	73	179
21.	राजस्थान	11	32	51
22.	तमिलनाडु	13	490	712
23.	उत्तर प्रदेश	77	225	96
24.	उत्तराखण्ड	शून्य	9	5
25.	पश्चिम बंगाल	72	380	903

[अनुवाद]

अ.जा. के छात्रों को प्रशिक्षण देने हेतु वित्तीय योजना

3160. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु वित्तीय योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में किसी राज्य में इस प्रकार की कोई योजना चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्यों में इस योजना के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं विकास निगम गरीबी रेखा से दुगुना नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लाभार्थ अपनी विभिन्न राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के द्वारा विविध कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित करता है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के मामले में, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था संगठित क्षेत्र में प्रदान की जाती है। कार्यक्रम विभिन्न राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

समान मजदूरी

3161. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की दैनिक मजदूरी में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो मजदूरी में कितना अंतर है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महिलाओं को भी पुरुषों के समान दैनिक मजदूरी मिले यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2004-05 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को दी जाने वाली मजदूरी में औसत अंतर 59.40 रुपये का है। मजदूरी में यह अंतर मौजूदा सामाजिक प्रतिमान तथा प्रथाओं सहित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कुल कार्य-उत्पादन का पर्याप्त आकलन किए जाने के कारण है।

(ग) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुषों एवं महिलाओं को बिना किसी भेद-भाव के समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्यों के लिए समान पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था है।

इस अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अधिकार में आने वाले क्षेत्रों में किया जाता है। केन्द्र सरकार के अधीन क्षेत्रों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन मुख्य श्रमायुक्त (के.) कार्यालय द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नियमित अनुवीक्षण करती है तथा इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

चावल का निर्यात

3162. **श्रीमती मेनका गांधी:**
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात की गयी बासमती चावलों की मात्रा और कीमत संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य से पांच लाख मीट्रिक टन चावल को निर्यात हेतु संग्रहीत करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (अप्रैल, 08-जनवरी, 09) के दौरान बासमती चावल के निर्यात की मात्रा और मूल्य दोनों रूपों में ब्यौरा निम्नानुसार है:-

उत्पाद	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (अप्रैल, 08-जनवरी, 09)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	1166563	304309	1045715	279281	1183356	434485	1068436	669508

स्रोतः ए.पी.ई.डी.ए.-डी.जी.सी.आई.एस.

(ख) और (ग) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 10 लाख टन चावल का निर्यात करने की अनुमति देने पर विचार करने का अनुरोध किया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि फिलहाल गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध जारी रहना चाहिए।

बाल श्रम कानूनों में संशोधन

3163. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने बाल श्रम कानूनों से संबंधित कानूनों में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा किए जाने वाले संशोधनों को दर्शाते हुए तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) बाल श्रम (उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 काफी पहले वर्ष 1986 से ही प्रभावी हो गया था। राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन/परिवर्तन के सुझाव प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने विभिन्न सुझावों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

तम्बाकू का उत्पादन और उपभोग

3164. श्री अशोक कुमार रावतः
श्री पी. बलरामः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष देश में तम्बाकू के उत्पादन और उपभोग संबंधी मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए तम्बाकू की मात्रा और मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तम्बाकू उगाने वाले कृषकों को प्रोत्साहन देने, तम्बाकू उत्पादन में सुधार करने तथा इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्र एवं इसके उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

राज्य	क्षेत्र (000 हैक्टे.)		उत्पादन (000 टन)	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	127.00	120.00	182.00	175.00

1	2	3	4	5
असम	1.00	1.00	0.30	0.30
बिहार	14.10	13.50	16.10	15.50
गुजरात	71.30	46.00	113.90	79.00
कर्नाटक	103.00	113.00	46.00	46.00
मध्य प्रदेश	0.20	0.20	0.10	0.10
महाराष्ट्र	6.00	6.00	7.00	7.00
मेघालय	0.71	0.70	0.47	0.46
मिजोरम	0.50	0.10	0.40	0.00
उड़ीसा	4.10	3.80	3.00	2.80
राजस्थान	0.40	0.51	0.60	0.60
तमिलनाडु	5.00	5.90	7.70	9.10
त्रिपुरा	0.20	0.20	0.10	0.10
उत्तर प्रदेश	23.00	25.50	125.00	140.80
पश्चिम बंगाल	12.00	11.70	16.60	16.50
कुल	368.51	348.11	519.27	493.26

तम्बाकू की खपत संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान तम्बाकू के निर्यात की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	अविनिर्मित तम्बाकू (मात्राः टन में मूल्यः करोड़ रुपए में)	
	मात्रा	मूल्य
2006-07	152618	1241.05
2007-08	174690	1478.51
2008-09	196628	2708.05
2009-10 (अप्रैल-मई, 09)	36101	592.73

(घ) निर्यातों में वृद्धि करने के लिए तम्बाकू बोर्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है, विभिन्न देशों में व्यापारियों और निर्यातकों के शिष्टमंडलों को भेजने की व्यवस्था करता है और महत्वपूर्ण बाजारों से व्यापार शिष्टमण्डलों को आमंत्रित करता है। सरकार भारतीय तम्बाकू का संवर्धन करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार माध्यमों में एक व्यापक विज्ञापन अभियान शुरू कर रही है। तम्बाकू की कीमतें अब तक के उच्च स्तरों पर हैं जिससे फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ.सी.वी.) तम्बाकू के उपजकर्ता लाभान्वित हो रहे हैं। तम्बाकू बोर्ड निविष्टि ऋण गठबंधन व्यवस्था के अंतर्गत तम्बाकू उपजकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बीजों, उर्वरकों की आपूर्ति के लिए उपाय करता है और एफ.सी.वी. तम्बाकू उपजकर्ताओं के कल्याणार्थ आपदा राहत उपाय भी करता है।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार योजना

3165. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(ग) इस प्रकार की योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की पुनरावृत्ति करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी क्षेत्रों हेतु 1 दिसम्बर, 1997 से अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक रोजगारोन्मुखी केन्द्र प्रवर्तित योजना को कार्यान्वित करता रहा है। कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान देने हेतु फरवरी, 2009 में योजना का व्यापक रूप से नवीकरण किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति

3166. श्री निशिकांत दुबे:
श्री भक्त चरण दास:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा.)/अन्य पिछड़ा वर्गों (अ.पि.व.) के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवंटित तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान में छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान की जा रही धनराशि को उक्त श्रेणियों के छात्रों के लिए पर्याप्त पाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कतिपय राज्यों को छात्रवृत्ति की धनराशि जारी नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु स्थापित मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां संवितरित करने के लिए आवंटित और निर्गत राशि के योजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इन योजनाओं के अंतर्गत आय सीमा और छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाने तथा लागू अन्य मानदण्डों को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

(घ) और (ङ) उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना-वार ब्यौरे जिन्हें 2008-09 के दौरान निधियां निर्गत नहीं की गईं तथा उसके कारण संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की गहन निगरानी की जाती है और स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और निर्गत निधियों का ब्यौरा

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मौट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	निर्गत निधियां
1	2	3
2006-07	450.00	526.03

1	2	3
2007-08	625.00	875.08
2008-09	750.00	645.49
2009-10	750.00	223.51*

*22-07-2009 की स्थिति के अनुसार

अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मौट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	निर्गत निधियां
1	2	3
2006-07	34.99	53.30
2007-08	100.00	125.17

1	2	3
2008-09	134.00	179.79
2009-10	135.00	28.07*

*22-07-2009 की स्थिति के अनुसार

अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	निर्गत निधियां
2006-07	25.00	25.27
2007-08	25.00	24.99
2008-09	30.00	32.17
2009-10	30.00	5.64*

*22-07-2009 की स्थिति के अनुसार

विवरण-II

वे राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र जिन्हें 2008-09 के दौरान निधियां निर्गत की गईं और निधियां निर्गत न किए जाने के कारणों का योजनावार ब्यौरा

I. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्गत न किए जाने का कारण
1.	असम	लेखा परीक्षित लेखों और उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त न होने के कारण निधियां निर्गत नहीं की गईं।
2.	गोवा	राज्य सरकार के पास 4.88 लाख रुपए का अव्ययित शेष उपलब्ध था।
3.	हिमाचल प्रदेश	कोई केन्द्रीय सहायता देय नहीं थी क्योंकि प्रस्तावित व्यय प्रतिबद्ध देयता के भीतर था।
4.	झारखंड	पूर्ववर्ती लेखों के असमाशोधन के कारण।
5.	मेघालय	योजना के अधीन राज्य सरकार ने निधियां निर्गत करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा।
6.	दमन और दीव	-तदैव-
7.	दादरा और नागर हवेली	-तदैव-

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्गत न किए जाने का कारण
8.	दिल्ली	योजना के अधीन राज्य सरकार ने निधियां निर्गत करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा।
9.	पुडुचेरी	-तदैव-
II. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना		
1.	राजस्थान	राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाणपत्र न मिलने के कारण निधियां जारी नहीं की गईं।
2.	जम्मू और कश्मीर	-तदैव-
3.	मध्य प्रदेश	पूर्ववर्ती लेखों के असमाशोधन के कारण।
4.	उड़ीसा	योजना के अधीन राज्य सरकार ने निधियां निर्गत करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा।
5.	केरल	-तदैव-
6.	हरियाणा	-तदैव-
7.	छत्तीसगढ़	-तदैव-
8.	उत्तराखंड	-तदैव-
9.	दिल्ली	-तदैव-
10.	पुडुचेरी	-तदैव-
11.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	-तदैव-
12.	दादरा और नागर हवेली	-तदैव-
13.	चंडीगढ़	2008-09 के दौरान इन दो राज्य क्षेत्रों के लिए बजट शीर्ष के अभाव में निधियां निर्गत नहीं की जा सकीं (तथापि 2009-10 के दौरान बजट शीर्ष तैयार कर लिए गए हैं)
14.	दमन और दीव	
III. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:		
1.	छत्तीसगढ़	योजना के अधीन राज्य सरकार ने निधियां निर्गत करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा।
2.	असम	-तदैव-
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-तदैव-

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्गत न किए जाने का कारण
4.	दादरा और नागर हवेली	योजना के अधीन राज्य सरकार ने निधियां निर्गत करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा।
5.	दिल्ली	-तदैव-

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

3167. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान देश में खोले गए औद्योगिक विकास केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में खोले जाने की संभावना वाले ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय एकीकृत अवसंरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना को प्रशासित करता है। वित्तीय वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 के दौरान स्वीकृत किये गये एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों के बारे में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा 2009-10 के दौरान अब तक किसी भी एकीकृत अवसंरचना केन्द्र को स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ख) इस अवधि के दौरान जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) आई.आई.डी. योजना मांग आधारित है और आई.आई.डी. केन्द्रों की स्थापना करने के लिए पहल राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है।

विवरण-1

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में अनुमोदित किए गए आई.आई.डी. केन्द्रों का राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण

राज्य	2006-07	2008-09
असम	–	कोकराझार
	–	तिनसुकिया
अरुणाचल प्रदेश	–	पश्चिमी सियांग
छत्तीसगढ़	सरगुजा	बिलासपुर
गुजरात	सुरेन्द्रनगर (उन्नयन)	–
महाराष्ट्र	–	अहमदनगर
	–	बुलधाना
	–	बीड

राज्य	2006-07	2008-09
	–	औरंगाबाद
	–	नागपुर
मेघालय		ईस्ट कासी हिल्स (उन्नयन)
		ईस्ट गारो हिल्स (उन्नयन)
मिजोरम	चम्फाई	–
उड़ीसा	बालसोर	–
तमिलनाडु	विरूधनगर (उन्नयन)	नीलगिरी (उन्नयन)
	कोयम्बटूर	वेल्लोर (उन्नयन)
	मदुराई	
पश्चिम बंगाल	टांगरा	–
	मुर्शीदाबाद	–
	24-परगना (दक्षिण)	–

विवरण-II

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में अनुमोदित किए गए आई.आई.डी. केन्द्रों का राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण

राज्य	आई.आई.डी. सेन्टर का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
महाराष्ट्र	बीड	–	–	72.90	–
मिजोरम	चम्पाई	167.35			
पश्चिम बंगाल	टांगरा	30.00	–	–	–

ई.एस.आई. योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारी

3168. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.) के तहत राज्य-वार कितने कर्मचारियों को कवर किया गया है; और

(ख) इस समय कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान के रूप में जमा की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर कर्मचारियों की संख्या एवं अंशदान आय की राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

राज्य-वार कवरेज एवं अंशदान आय

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कवर किए गए कर्मचारी (31-3-2008 के अनुसार)	2008-09 के लिए कुल अंशदान आय (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	779739	25522.42
2.	असम	55289	998.94
3.	बिहार	52196	1261.67
4.	चंडीगढ़ संघ क्षेत्र	56366	(पंजाब में शामिल)
5.	छत्तीसगढ़	60236	2021.59
6.	दिल्ली	830872	30832.17
7.	गोवा	106708	3146.67
8.	गुजरात	620039	15635.97
9.	हरियाणा	541593	26182.82
10.	हिमाचल प्रदेश	133291	3068.44
11.	जम्मू और कश्मीर	43925	924.15
12.	झारखण्ड	142362	2951.69
13.	कर्नाटक	1391299	40294.38
14.	केरल	467694	9159.96
15.	मध्य प्रदेश	272149	8129.9
16.	महाराष्ट्र	1539654	69876.57
17.	उड़ीसा	143696	3567.94
18.	पुडुचेरी	84578	2258.08
19.	पंजाब	554094	14429.17
20.	राजस्थान	438593	10816.27
21.	तमिलनाडु	1400115	49745.18

1	2	3	4
22.	उत्तर प्रदेश	669215	18747.7
23.	उत्तराखण्ड	112410	3434.61
24.	पश्चिम बंगाल	684753	24593.01
	कुल	1,11,80,866	367599.3

[अनुवाद]

ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों के उन्नयन/ आधुनिकीकरण के लिए निधियां

3169. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किराये के स्थान पर चल रहे कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए स्थायी आवास मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ई.एस.आई. अस्पतालों तथा औषधालयों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ई.एस.आई. अस्पतालों तथा औषधालयों से राज्य-वार कितने कामगारों/कर्मचारियों/ परिवारों को लाभ पहुंचा है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सभी कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पताल, महाराष्ट्र को छोड़कर जहां चार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल महाराष्ट्र सरकार के भवनों मेंचल रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपने भवनों में चल रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों एवं भवनों के निर्माण हेतु भूमि के प्रावधान के आधार पर स्थायी भवन की व्यवस्था हेतु कार्रवाई करता है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं औषधालयों के स्तरोन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु आवंटित, निर्गत और प्रयुक्त की गईं निधियां

क्र. सं.	अस्पताल/औषधालय	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
			मंजूर की गई	निर्गत एवं प्रयुक्त	मंजूर की गई	निर्गत एवं प्रयुक्त	मंजूर की गई	निर्गत एवं प्रयुक्त	मंजूर की गई	निर्गत एवं प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	क.रा.बी. अस्पताल बद्दी	हिमाचल प्रदेश	-		-	-	38.82	12,46,13,801	-	-
2.	क.रा.बी. अस्पताल कमारहाटी	पश्चिमी बंगाल					21,74,000	21,74,000		
3.	क.रा.बी. अस्पताल बेलुर	पश्चिमी बंगाल			55,80,638	55,80,638				
4.	क.रा.बी. अस्पताल सिरामपुर	पश्चिमी बंगाल			46,27,971	46,27,971				
5.	क.रा.बी. अस्पताल उलबेरिया	पश्चिमी बंगाल			9,45,429	9,45,429				
6.	क.रा.बी. अस्पताल बाल्टीकुरी	पश्चिमी बंगाल			1,00,30,623	1,00,30,623				
7.	क.रा.बी. अस्पताल कल्याणी	पश्चिमी बंगाल			41,48,770	41,48,770				
8.	क.रा.बी. अस्पताल मनिकताला	पश्चिमी बंगाल	48,02,554	48,02,554	37,18,822	37,18,822	46,38,581	46,38,581		
9.	क.रा.बी. अस्पताल बज-बज	पश्चिमी बंगाल			68,94,112	68,94,112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	क.रा.बी. अस्पताल बंडेल	पश्चिमी बंगाल			1,10,09,966	1,10,09,966				
11.	क.रा.बी. अस्पताल गोराहाटी	पश्चिमी बंगाल					1,87,41,549	1,87,41,549		
12.	क.रा.बी. अस्पताल जोका	पश्चिमी बंगाल			23,39,594	23,39,594				
13.	क.रा.बी. अस्पताल दुर्गापुर	पश्चिमी बंगाल			3,00,000	3,00,000				
14.	क.रा.बी. अस्पताल बागमारी	पश्चिमी बंगाल	8,66,543	8,66,543						
15.	क.रा.बी. अस्पताल नंदा नगर, इंदौर	मध्य प्रदेश			4,01,05,066	4,01,05,066				
16.	क.रा.बी. अस्पताल नंदा नगर, इंदौर	मध्य प्रदेश	49,347	49,347	66,22,232	66,22,232				
17.	क.रा.बी. अस्पताल ग्वालियर	मध्य प्रदेश	24,29,630	24,29,630			28,75,863	28,75,863		
18.	क.रा.बी. अस्पताल भोपाल	मध्य प्रदेश	60,03,017	60,03,017						
19.	क.रा.बी. औषधालय, नंदा नगर, इंदौर	मध्य प्रदेश	11,05,778	11,05,778						
20.	क.रा.बी. औषधालय, सिलिगुड़ी	मध्य प्रदेश					28,14,075	28,14,075		
21.	क.रा.बी. औषधालय-सह-निदान केन्द्र, करनाल	हरियाणा	-	-	-	-	4,13,10,000			

22.	क.रा.बी. औषधालय, औद्योगिक विकास कॉलोनी, हिसार	हरियाणा	-	-	-		10,10,830	10,।0,830		
23.	5 चिकित्सकों वाला क.रा.बी. औषधालय-सह-निदान केन्द्र, हिसार	हरियाणा	-	-	-		4,74,27,000	310,20,586		
24.	क.रा.बी. औषधालय-सह-निदान केन्द्र मुरथल	हरियाणा					3,53,48,174			
25.	क.रा.बी. अस्पताल, गुडगांव	हरियाणा		-	22,42,22 536		15,76,88,759	12,42,86,794		11,82,19,091
26.	क.रा.बी. अस्पताल, तिरूनेलवेली	तमिलनाडु							50,92,74,660	41,58,885
27.	क.रा.बी. औषधालय, एवं शाखा कार्यालय, आम्बुर	तमिलनाडु					42,96,500	42,96,500		
28.	क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर	दिल्ली	16,49,806	21,53,506	1,06,76,252	76,17,157	31,87,56,729	20,78,85,877	9,76,16,447	8,23,92.506
29.	क.रा.बी. अस्पताल, रोहिणी	दिल्ली	12,29,908	12,29,908	21,60,53,000	69,80,000	-	-	3,38,14,352	93,94,500
30.	क.रा.बी. अस्पताल, ओखला	दिल्ली	-	-	27,89,000	27,89,000	54,86,250	54,86,250	166,16,63,460	16,63,460
31.	क.रा.बी. अस्पताल, झिलमिल	दिल्ली	5,75,057	5,75,057	58,08,186	29,04,093	-	-	-	-
32.	क.रा.बी. औषधालय, अर्जुन नगर	दिल्ली							9,81,29,917	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	क.रा.बी. औषधालय, नरेला	दिल्ली							18,24,62,041	-
34.	क.रा.बी. औषधालय, पप्पनकला	दिल्ली	1,16,22,479	-						
35.	क.रा.बी. औषधालय, मोदी मिल	दिल्ली					5,77,27,000	2,26,99,790	2,53,60,329	3,05,75,220
36.	क.रा.बी. अस्पताल, चौद्वार	उड़ीसा			53,87,536	53,87,536			66,03,02,363	52,35,028
37.	क.रा.बी. अस्पताल, भुवनेश्वर	उड़ीसा							70,07,71,878	34,34,557
38.	क.रा.बी. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सनथ नगर	आन्ध्र प्रदेश			129,84,39,529		-	19,15,90,249	-	21,52,83,446
39.	क.रा.बी. अस्पताल, भिवाड़ी	राजस्थान	-		19,37,80,141	-	-	8,72,52,989	-	2,94,06,231
40.	क.रा.बी. मॉडल अस्पताल, जयपुर	राजस्थान	-	1,67,390	-		1,42,96,26,743			
41.	क.रा.बी. अस्पताल, अंधेरी, मुम्बई	महाराष्ट्र	-	-	-	1,07,72,349	-	3,42,41,141	-	-
42.	क.रा.बी. अस्पताल, कांदीवली	मुम्बई	-		-	74,51,002	1,45,64,07,743	40,14,160		-
43.	क.रा.बी. अस्पताल, कोल्हापुर	मुम्बई	-	9,13,047	-	2,37,600				-
44.	क.रा.बी. अस्पताल, बिबवेवाड़ी	पुणे	-	3,96,000	-	3,96,000				-

45.	क.रा.बी. एम.जी.एम., अस्पताल	महाराष्ट्र	-	-		1,39,03,690		306,59,642		-
46.	क.रा.बी. अस्पताल, मुलुंड	महाराष्ट्र	-		-			3,15,731		-
47.	क.रा.बी. औषधालय एवं शाखा कार्यालय, चिंचवाड़	पुणे	-		-			11,64,685		
48.	शाखा कार्यालय व औषधालय, वलुज	महाराष्ट्र	-		-	50,872				
49.	क.रा.बी. अस्पताल, राजाजी नगर, बैंगलोर	कर्णाटक	-		48,53,604	48,53,604	39,14,12,321	39,14,12,321		14,23,29,588
50.	क.रा.बी. अस्पताल, दंदेली	कर्णाटक			30,00,000	30,00,000				
51.	क.रा.बी. अस्पताल, मंगलौर	कर्णाटक	-		40,00,000	40,00,000			37,03,219	37,03,219
52.	क.रा.बी. अस्पताल, मैसूर	कर्णाटक		8,33,142						
53.	क.रा.बी. अस्पताल, इंदिरा नगर	कर्णाटक		3,24,000	-	70,00,000		83,81,861		31,59,438
54.	क.रा.बी. अस्पताल, पीन्या	कर्णाटक	-	-	-		73,17,87,990	2,41,54,085		7,64,805
55.	क.रा.बी. औषधालय, जयरंजन कॉलोनी	कर्णाटक				2,08,251				
56.	क.रा.बी. औषधालय, वसावनगुड़ी	कर्णाटक	-	-	-	57,667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	क.रा.बी. औषधालय, क्वीन्स रोड, बंगलौर	कर्णाटक		4,77,452						
58.	क.रा.बी. औषधालय, औडुगोडी	कर्णाटक	-	1,69,780	-					
59.	क.रा.बी. औषधालय, मागड़ी रोड	कर्णाटक	-		-	90,002				
60.	क.रा.बी. औषधालय, हासन	कर्णाटक				11,88,947				
61.	क.रा.बी. चेस्ट रोग केन्द्र, नरोदा	गुजरात						1,34,832		
62.	क.रा.बी. अस्पताल, बापूनगर	गुजरात		6,31,800		25,89,952	51,31,72,207	4,39,41,825		14,25,13,156
63.	क.रा.बी. अस्पताल, कालोल	गुजरात		3,00,000		54,811				
64.	डी-34 औधालय खोखरमणि नगर, अहमदाबाद	गुजरात						30,23,518		5,06,480
65.	क.रा.बी. अस्पताल एवं ट्रोमा सेंटर एवं क.रा.बी. निगम अस्पताल, सरोजिनी नगर, लखनऊ का नवीकरण	उत्तर प्रदेश			20,48,621	20,48,621	11,99,739	11,99,739	91,46,25,524	49,29,396
66.	क.रा.बी. अस्पताल, पांडुनगर, कानपुर का नवीकरण	उत्तर प्रदेश						27,02,439	27,02,439	

67.	क.रा.बी. अस्पताल, आदित्यपुर के स्तरोन्नयन के संबंध में विस्तृत अनुमान	झारखण्ड						15,48,594	15,48,594	9.24 Crore
68.	क.रा.बी. अस्पताल, सैक्टर 24, नोएडा का विस्तार	उत्तर प्रदेश			52,10,330	52,10,330	66,66,00,000	26,94,155	500,34,061	780,33,794
69.	क.रा.बी. अस्पताल, मुल्कुन्दुकवा	केरल			26,69,600	26,69,600				
70.	क.रा.बी. अस्पताल, आस्रमम	केरल	55,33,016	55,33,016	1,16,32,693	1,16,32,016	10,80,240	10,80,240	18,41,736	18,41,736
71.	क.रा.बी. सुपर, स्पेशलिटी अस्पताल, आस्रमम	केरल	11,10,92,767	4,00,00,000		1,50,00,000				
72.	क.रा.बी. अस्पताल, अलेप्पी	केरल			16,20,650	16,20,650				
73.	क.रा.बी. अस्पताल, ओलरीकाड़ा	केरल			28,10,670	28,10,670				
74.	क.रा.बी. अस्पताल, पेडीपल्ली	केरल			5,66,685	5,66,685				
75.	क.रा.बी. अस्पताल, परोड़काड़ा	केरल			51,03,382	51,03,382				
76.	क.रा.बी. अस्पताल, एर्नाकुलम	केरल			15,29,573	15,29,573				
77.	क.रा.बी. अस्पताल, एझुकोण	केरल			55,60,620	55,60,620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	क.रा.बी. अस्पताल, फेरोका	केरल			43,55,360	43,55,360				
79.	क.रा.बी. औषधालय, मायलम	केरल					2,52,71,000			
80.	क.रा.बी. औषधालय, कोल्लम	केरल					3,37,14,600			
81.	क.रा.बी. अस्पताल, मडगांव	गोवा			71,30,679	71,30,679	47,58,91,226	5,18,59,836	9,35,964	9,35,964

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं औषधालयों द्वारा प्रदत्त चिकित्सा सेवाओं से लाभान्वित श्रमिकों/कामगारों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		बीमित व्यक्ति	परिवार	बीमित व्यक्ति	परिवार	बीमित व्यक्ति	परिवार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1931255	2299290	1720339	2024335	2030811	3738007
2.	असम	33836	28884	35622	32550	-	-
3.	बिहार	59091	55228	51153	63403	54518	65589
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	84360	74568	93798	67974	96450	76962
5.	छत्तीसगढ़	138354	172875	145428	176469	123456	147753
6.	दिल्ली	1907233	2746858	1877749	2813666	1958114	2875035
7.	गुजरात	1288410	1870454	1322899	1805675	1224987	1670175
8.	गोवा	117330	125729	-	-	147974	155459
9.	हरियाणा	742298	1073123	843320	1136842	930082	1228088
10.	हिमाचल प्रदेश	64104	-	2059	1311	1940	1404
11.	जम्मू और कश्मीर	44990	25768	47299	25169	36048	33533
12.	झारखण्ड	93987	101750	104777	204566	106886	119376
13.	कर्णाटक	1021413	1157439	1034086	1192626	1090668	1192594
14.	केरल	1825526	1381086	1960078	1608567	2118343	1289875
15.	मध्य प्रदेश	648265	4610934	520863	824239	660123	360947
16.	महाराष्ट्र	679693	769263	727856	828186	708214	755574
17.	मेघालय	1382	1178	1179	842	1419	962
18.	उड़ीसा	378879	438789	366832	446735	358427	429408
19.	पुडुचेरी	150654	138700	167573	142358	156964	129384
20.	पंजाब	677323	697982	641101	655854	512870	583432

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	राजस्थान	944471	1250516	977255	1335496	1015504	1390756
22.	तमिलनाडु	3063888	2142997	3258596	4575668	3295499	4315708
23.	उत्तर प्रदेश	625664	820115	650515	816069	280462	364269
24.	उत्तराखण्ड	32062	41542	39687	42307	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	934273	1198223	1032679	691735	-	-

विश्वविद्यालयों का उन्नयन

3170. श्री एल. राजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यमान विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तन/उन्नयन के संबंध में कितने प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) समय-समय पर राज्य सरकारों सहित विभिन्न वर्गों से कुछ राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-2007 से 30-6-2009 की अवधि के दौरान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा); डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश); गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (छत्तीसगढ़); जम्मू विश्वविद्यालय (जम्मू व कश्मीर) और कुमाऊं विश्वविद्यालय (उत्तराखंड) के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से पांच ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

11वीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रत्येक ऐसे राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया था जहां कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तदनुसार, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तराखंड) तथा डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) नामक तीन राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत हाल ही में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है। गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में कम-से-कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।

[हिन्दी]

पेशेवर संस्थानों के लिए निधियां

3171. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक पेशेवर संस्थानों की स्थापना के लिए राज्य-वार व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने संस्थान चल रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय वित्तपोषित व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना के लिए खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रु. करोड़ों में)

राज्य	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान			भारतीय प्रबन्धन संस्थान			भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान			योजना एवं वास्तुकला विद्यालय		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
मध्य प्रदेश			0.00				0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00
गुजरात			10.00									
उड़ीसा			11.50									
पश्चिम बंगाल							8.25	24.00	77.00			
मेघालय					3.50	14.99						
बिहार			7.50									
पंजाब			7.50				0.00	10.50	32.75			
राजस्थान			6.50									
हिमाचल प्रदेश			0.00									
आन्ध्र प्रदेश			17.00							0.00	0.00	3.00
केरल							0.00	0.00	8.50			
महाराष्ट्र							8.00	25.50	48.75			

(ख) कार्य कर रहे संस्थानों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:-

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर (गुजरात), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर (पंजाब), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर (उड़ीसा), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) ने 2008-09 के शैक्षिक सत्र से कार्य शुरू कर दिया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी (हिमाचल प्रदेश), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (बिहार), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर (मध्य प्रदेश) ने 2009-10 से कार्य शुरू कर दिया है।

(ii) भारतीय प्रबन्धन संस्थान - राजीव गांधी भारतीय प्रबन्धन संस्थान, शिलांग 2007-08 के दौरान शिलांग (मेघालय) में स्थापित किया गया है और इसने 2008-09 के अपने पहले शैक्षिक सत्र से कार्य शुरू कर दिया है।

(iii) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान - भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे और कोलकता ने 2006 में अपने शैक्षिक सत्र और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली ने 2007 में अपना शैक्षिक सत्र शुरू किया। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल और तिरूवनंतपुरम ने अगस्त, 2008 से अपना सत्र शुरू किया।

(iv) योजना एवं वास्तुकला विद्यालय - योजना एवं वास्तुकला विद्यालय भोपाल (मध्य प्रदेश) और योजना एवं वास्तुकला विद्यालय विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) ने 2008-09 में शैक्षिक सत्र से कार्य शुरू किया।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रस्ताव

3172. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न फर्मों में 23 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है तथा इस प्रकार के 13 प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) समय-समय पर एफ.आई.पी.बी. की सिफारिशों पर सरकार एफ.डी.आई. प्रस्तावों को अनुमोदित करती है। दिनांक 22-05-2009 को संपन्न हुई अपनी बैठक में एफ.आई.पी.बी. द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 23 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है तथा 13 प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया है। प्रस्तावों का ब्यौरा आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध है।

कामगारों/श्रमिकों का कल्याण तथा उत्थान

3173. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों/श्रमिकों के कल्याण तथा उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं/स्कीमों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार की योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इससे कितने कामगारों/श्रमिकों को राज्य-वार तथा वर्ष-वार लाभ पहुंचा है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत आवंटित, जारी तथा व्यय की गई निधियों का राज्य-वार, वर्ष-वार तथा स्कीम/योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत कामगारों/श्रमिकों की राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार संख्या क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत योजनाएं

बीड़ी/सिने/खान कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

स्वास्थ्य

सम्पूर्ण देश में स्थित सात अस्पतालों और 204 औषधालयों के माध्यम से बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधा प्रदान की जाती है। पश्चिम बंगाल के झालदा में एक और अस्पताल निर्माणाधीन है।

पूरे देश में सिने कामगारों के लिए, मैडिकल इलाज हेतु तीन औषधालय हैं,

आई.ओ.एम.सी. कामगारों और उनके परिवारों को ईलाज मुहैया कराने हेतु, 3 अस्पताल और 16 औषधालय हैं,

एल.एस.डी.एम. कामगारों और उनके परिवारों के लिए, 32 औषधालय हैं,

और अभ्रक कामगारों के लिए एक अस्पताल और आठ औषधालय हैं।

खान कामगारों के लिए विविधीकृत चिकित्सा सहायता

प्रयोजन	सहायता का स्वरूप
नेत्र संबंधी समस्याएं	चश्मों की खरीद के लिए 300 रुपये की वित्तीय सहायता
तपेदिक	आई.ओ.एम.सी. कामगारों के लिए तपेदिक अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण तथा घर पर रहकर इलाज कराने की सुविधा। कामगारों को 750 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमाह का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।
हृदय रोग	कामगारों को 1,30,000 रुपये के व्यय की प्रतिपूर्ति।
गुर्दा प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000 रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
कैंसर	कामगारों अथवा उनके आश्रितों द्वारा इलाज, औषधियों तथा खुराक प्रभारों पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति
हार्निया, अपेन्डेक्टोमी अलसर, प्रसूति रोगों तथा प्रोस्टेट रोगों जैसी लघु शल्य प्रक्रिया	कामगारों और उनके आश्रितों के लिए 30,000 रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति
मानसिक रोग	कामगारों को मानसिक बीमारी के इलाज, खुराक, रेलवे भाड़ा और निर्वाह भत्ता हेतु वित्तीय सहायता
कुष्ठ रोग	खान कामगारों के लिए अंतरंग इलाज के लिए 30 रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन और बहिरंग इलाज के लिए 6 रुपये प्रतिदिन की वित्तीय सहायता। कामगारों को आश्रितों के साथ 300 रुपये प्रतिमाह का और आश्रितों के बिना 200 रुपये प्रतिमाह का निर्वाह भत्ता
प्रसूति लाभ	महिला कामगारों के लिए प्रति प्रसव (प्रथम दो प्रसवों के लिए) 1000 रुपये का अनुदान
परिवार कल्याण	नसबन्दी करा रहे कामगारों के लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक प्रोत्साहन
विधवा/विधुर की बेटी का विवाह	विधवा/विधुर कामगारों की दो बेटियों के विवाह हेतु प्रत्येक के लिए 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
अंत्येष्टि व्यय	मृतक कामगार के अंत्येष्टि व्यय हेतु 1500 रुपये

उपर्युक्त के अलावा खान कामगारों के लिए विशेष रूप से निम्नलिलिखित कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं:-

(i) खानों में कार्य कर रहे खान कामगारों के लिए कृत्रिम अंग की योजना;

(ii) खान कामगारों के लिए घातक और गंभीर दुर्घटना लाभ की योजना;

(iii) उन खान प्रबंधनों के लिए सहायता अनुदान के भुगतान की योजना जो खान कामगारों और उनके परिवारों के लिए अस्पताल का रखरखाव कर रहे हैं;

(iv) स्वास्थ्य कैंपों के आयोजन हेतु योजना;

(v) एम्बुलैंस की खरीद के लिए लागत के 75% अथवा 3.00 लाख रुपये जो भी कम हो, सहायता अनुदान;

(vi) कामगारों को लाने ले जाने के लिए बस की खरीद हेतु लागत का 75% अथवा 5.00 लाख रुपये जो भी कम हो; और छोटी बस के मामले में लागत का 75% अथवा 3.00 लाख रुपये जो भी कम हो, सहायता अनुदान।

शिक्षा

(i) कक्षा 1 से व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे कामगारों के बच्चों को 250 रुपये से 8000 रुपये के बीच छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ii) खान कामगारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को लाने ले जाने के लिए खान प्रबंधन को लागत के 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता जो सामान्य बस के लिए अधिकतम 5.00 लाख रुपये और मिनी बस के लिए 3.00 लाख रुपये के अध्यधीन है।

(iii) पुस्तकालय में पुस्तकों की खरीद के लिए खान प्रबंधकों को 5000 रुपये प्रदान किया जाता है।

मनोरंजन

खान कामगारों और उनके परिवारों के लिए क्रीडा/खेल सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को आयोजित करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

(i) खेल साजो सामान की खरीद हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10,000 रुपये की सहायता के अध्यधीन वास्तविक लागत का 75% का प्रावधान।

(ii) विभाग द्वारा खेल/क्रीडा/टूर्नामेंट के आयोजन के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 40,000 रुपये प्रति टूर्नामेंट के अध्यधीन लागत का 75% का प्रावधान।

(iii) एक वित्तीय वर्ष में तीन राष्ट्रीय त्यौहारों को मनाने हेतु, प्रति समारोह 2500 रुपये जो अधिकतम 7500 रुपये होगा, का प्रावधान।

(iv) एक वित्तीय वर्ष में सात सामाजिक समारोहों को मनाने हेतु, प्रति समारोह 2000 रुपये जो अधिकतम 14,000 रुपये होगा, का प्रावधान।

(v) कामगारों की कालोनी में स्थापित किए जाने हेतु खान प्रबंधकों को रंगीन टेलीविजन की खरीद के लिए 10,000 रुपये और श्वेत-श्याम टेलीविजन की खरीद हेतु 4000 रुपये का प्रावधान।

(vi) खान प्रबंधन के लिए डिश एंटीना के लिए अधिकतम 30,000 रुपये का प्रावधान।

संशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आर.आई.एच.एस.)

1-4-2007 से प्रभावी संशोधित एकीकृत आवासीय योजना, 2007 के अंतर्गत, दो समान किस्तों में 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कामगारों का अंशदान 5000 रुपये है जिसे श्रम कल्याण महानिदेशक के कार्यालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात जमा किया जाता है।

व्यक्तिशः आवासीय योजना के अतिरिक्त, खान प्रबंधन द्वारा खान कामगारों को मामूली ब्याज पर आवास उपलब्ध कराने के लिए टाइप-I मकानों के लिए 40,000 रुपये और टाइप-II मकानों के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

जल आपूर्ति

खान प्रबंधनों को पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था

करने के लिए किए गए वास्तविक व्यय की 75% राशि प्रदान की जाती है।

(II) असंगठित क्षेत्र के लिए अन्य योजनाएं

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना: असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 30,000 रुपये प्रतिवर्ष का स्मार्ट कार्ड आधारित नगद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(i) पांच सदस्य वाले गरीबी रेखा से नीचे के रहने वाले परिवार को 30,000 रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित नगद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर।

(ii) पहले से विद्यमान सभी बीमारियों को कवर किया जाना है।

(iii) प्रसूति लाभ सहित अधिकांश बीमारियों का अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय, देख-रेख।

(iv) 1000 रुपये प्रतिवर्ष की समग्र सीमा के साथ 100 रुपये प्रति विजिट का आवागमन व्यय।

(ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना

(ग) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

(ङ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(च) आम आदमी बीमा योजना

(छ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(ज) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-जो प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करती है।

असंगठित कामगारों, बेघर और भूमिहीन कामगारों सहित, के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन का प्रावधान है जो असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने की सिफारिश करेंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) के अंतर्गत योजनाएं:

(क) चिकित्सा लाभ

(ख) रुग्णता लाभ

(ग) प्रसूति लाभ

(घ) अस्थाई अपंगता लाभ

(ङ) स्थाई अपंगता लाभ

(च) बेरोजगारी भत्ता

(III) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत योजनाएं

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना

(ख) कर्मचारी पेंशन योजना

(ग) कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना

(IV) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

केन्द्रीय बोर्ड क्षेत्रीय तथा इकाई स्तर की कक्षाओं के आयोजन द्वारा संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों के लिए श्रमिक शिक्षा योजना प्रशासित करता है। भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों के लिए पूर्व-नियोजन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शिक्षा अधिकारियों/ क्षेत्रीय निदेशकों/जोनल निदेशकों के लिए पुनश्चर्या/अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा संगठनों/ श्रमिक संघों के परिसंघों के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

विवरण-II

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

निधिः बीड़ी कामगार कल्याण निधि

वर्ष 2006-07

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अजमेर		इलाहाबाद		बंगलुरू		भुवनेश्वर		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	**समूह बीमा योजना**										
	जी.आई.एस. में शामिल कामगार	40000		341878				157808		90000	
	एल.आई.सी. को भेजे गए मामले	26	275	429		19	190	240	2460	87	210
	निपटाए गए मामले और किया गया भुगतान	44	440	222	2220	28	280			66	
	अस्वीकृत मामले					1	10				
	एल.आई.सी. के पास बचे मामले	94	1045	207		8	80	240			
	एल.आई.सी. को प्रीमियम का भुगतान	40000	1095		4111						593
ख.	**स्वास्थ्य**										
	जारी किए गए पहचान-पत्र	80805		24833						490188	
	औषधालय/अस्पतालों में रोजगारों का उपचार	363408		323227		627629		368431		1090342	
	टी.बी. अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग			153		197					

टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	1		1		2	8	3	21	24	102
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	81	122	90	135	5	8	2	3		
कैंसर का उपचार	1	2	2	92	25	299	7	54	2	117
मानसिक रोगों का उपचार										
चश्मों की खरीद	102	15	511	77	87	15	5	1	5	1
कुष्ठ रोग का उपचार										
प्रसूति लाभ	420	420	348	348	1028	1028	336	336	228	239
परिवार कल्याण आपरेशन	7	2	2		11	4			4	1
ह्रदय रोग का उपचार	6	25			32	2535	3	44	3	233
गुर्दा रोग का उपचार	1				2	17				
कृत्रिम अंगों का प्रावधान										
दवाइयों की खरीद		2265				1297		4444		6118
रोगी वाहन का प्रापण	4	885								
मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता										
छोटे रोगों का उपचार					21	47				
विधवा/विधवा की बेटी के विवाह का खर्च	22	110	77	385	5	25				
स्त्री रोगों का उपचार	2	10								
एप्पेंडक्टमी	1	1								
ग. शिक्षा										
छात्रवृत्ति दिया जाना	15966	16000	10549	12500	76290	80000	5400	5000	148554	137540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	6400	1600	8000	2000	23200	5800	9165	2291		
घ.	**मनोरंजन**										
	सामाजिक खेल कार्यकलाप	4	40								
	आने-जाने हेतु बस										
	टी.बी. सेट										
	फिल्मों का प्रदर्शन	13	3								
	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरा										
	डिश/टी.वी. एन्टीना की आपूर्ति										
	बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना										
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना										
	अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार							1528	325		
ङ.	**आवास**										
	I. **एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)**										
	क. वी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	96	3159								
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या	84	3219								
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान					42	168			156	2184
	आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान	55	927	45	360	44	461			12	192

आवासों की संख्या और तीसरी किस्त के रूप में भुगतान			127	635	492	10227			1	10
ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)										
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या										
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान									170	2380
आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान									82	1296
आवासों की संख्या और तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान					354	7487			23	230
ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)										
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	173	5951								
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या	173	5951								
आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी	173	5114								
II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.-2005)										
क. **बी.वाई.ओ.एच.एस.**										
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान										
	आवासों की संख्या और दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान										
	ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या										
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान										
	आवासों की संख्या और दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान										
	III. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007										
	क. बी.आई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या										
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान										
	आवासों की संख्या और दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान										

ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)

मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या

मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या

आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान

आवासों की संख्या और दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान

ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)

मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या

मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या

आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान

आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान

निधि: बीड़ी कामगार कल्याण निधि वर्ष 2006-07

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	जबलपुर		कर्मा		कोलकाता		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
क.	**समूह बीमा योजना**										
	जी.आई.एस. में शामिल कामगार	382764		13038		375333		15000		1258013	0
	एल.आई.सी. को भेजे गए मामले	633				526				159528	675
	निपटाए गए मामले और किया गया भुगतान	573	6165			289	2855			1462	14420
	अस्वीकृत मामले									1	10
	एल.आई.सी. के पास बचे मामले					237		6	60	792	1185
	एल.आई.सी. को प्रीमियम का भुगतान		5500			375333	3364	15000	748	430333	15411
ख.	**स्वास्थ्य**										
	जारी किए गए पहचान-पत्र			13038		1092227		231688		1851975	0
	औषधालय/अस्पतालों में रोजगारों का उपचार	249480		456427		519284		346448		4344676	0
	टी.बी. अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग			17	36	155				384	72
	टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	168	708			580	2678	7	27	361	3544
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	31	47			60	90	49	74	838	3067

कैंसर का उपचार	10	235			20	260	15	125	642	3602
मानसिक रोगों का उपचार	1		3						1	3
चश्मों की खरीद	822	124	20	3	61	9	117	18	1730	263
कुष्ठ रोग का उपचार	1	2			3	6			4	8
प्रसूति लाभ	409	429	81	81	3289	3287	671	671	6810	6839
परिवार कल्याण आपरेशन	13	3			30	6	108	22	175	38
हृदय रोग का उपचार	61	226			8	184	8	458	121	3705
गुर्दा रोग का उपचार	7	117					2	10	12	144
कृत्रिम अंगों का प्रावधान									0	0
दवाइयों की खरीद				4564		4000		2750	0	25438
रोगी वाहन का प्रापण									4	885
मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता									0	0
छोटे रोगों का उपचार	3	6					8	23	32	76
विधवा/विधवा की बेटी के विवाह का खर्च	70	350			6	30	21	105	201	1005
स्त्री रोगों का उपचार	3	20			6	20			11	50
एप्पेंडक्टमी	1	2			9	19			11	22
ग. शिक्षा										
छात्रवृत्ति दिया जाना	28652	22764	10221	9982	51359	52500	32794	38517	379785	374173
पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	8800	2200	12000	3000	12290	3073	17000	3500	96855	23464
घ. मनोरंजन										
सामाजिक खेल कार्यकलाप							1	10	5	50

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	आने-जाने हेतु बस									0	0
	टी.बी. सेट									0	0
	फिल्मों का प्रदर्शन									13	3
	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरा									0	0
	डिश/टी.वी. एन्टीना की आपूर्ति									0	0
	बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना									0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना									0	0
	अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार					424	146			1952	471
ङ.	**आवास**										
	I. **एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)**										
	क. वी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									96	3159
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या									84	3219
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	578	4651			311	2997			1087	10000
	आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान	409	3421			92	964			657	6325
	आवासों की संख्या और तीसरी किस्त के रूप में भुगतान	179	927			178	1033			977	12832
	ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0

मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या			0	0
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	3	21	173	2401
आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान	279	1142	361	2438
आवासों की संख्या और तीसरी तथा अंतिमकिस्त के रूप में भुगतान	10480	191982	10857	199699
ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)				
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या			173	5951
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या			173	5951
आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी			173	5114
II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.-2005)				
क. **बी.वाई.ओ.एच.एस.**				
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या			0	0
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या			0	0
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान			0	0
आवासों की संख्या और दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान			0	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	आवासों की संख्या और दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	III. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007										
	क. बी.आई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	आवासों की संख्या और दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या									0	0

आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	0	0
आवासों की संख्या और दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान	0	0
ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या	0	0
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	0	0
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान	0	0

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

निधि: एल.एस.डी.एम. कामगार कल्याण निधि

वर्ष 2006-07

(अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपये में है)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अजमेर		इलाहाबाद		बंगलौर		बी.बी.एस.आर.		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	**स्वास्थ्य**										
	कार्ड जारी किए गए									244	
	खान प्रबंधन को सहायता अनुदान	14		2		4					
	जी.आई.ए. भुगतान प्राप्त औषधालयों की संख्या		2714		609		719	3	187	16	1466
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या	14		2		4					
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु के मामले										
	औषधालय/अस्पताल में रोगियों का उपचार किया गया			1	180			16433		4508	
	टीबी अस्पताल में भरे हुए बिस्तरों की औसत सं.	287657		5938		11463					
	टी.बी. रोगियों का घर पर रहते हुए उपचार	10									
	कैंसर का उपचार										
	मानसिक रोगियों का उपचार	1		1	13						

चश्मे की खरीद										
कुष्ठ रोग का उपचार										
प्रसूति हितलाभ										
परिवार कल्याण आपरेशन										
ह्रदय रोग का उपचार										
गुर्दा रोग का उपचार					1	128				
कृत्रिम अंग का प्रावधान										
औषधि की खरीद								99		
एम्बुलेंस वैन की खरीद		2437				114				
विधवा/विद्युर की पुत्रियों को विवाह खर्च	5	885								
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता			1	14						
B. **शिक्षा**										
छात्रवृति अनुदान	4577	4792	733	918	715	1164	1466	1774	321	323
पुस्तक/यूनिफार्म की आपूर्ति	4406	1102	272	68	175	44	683	171		
पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद										
स्कूल बस के लिए अनुदान	2								1	500
C. **मनोरंजन**										
सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप	8	55	5	14	3	38			14	32
परिवहन हेतु बस	3				1	500			8	60
टी.वी. सेट										
फिल्म दिखाया जाना	67	15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भ्रमण-सह अध्ययन दौरा										
	डिश/टी.वी. एंटीना की आपूर्ति										
	बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना										
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना										
	अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार										
	खेल कूद की सामग्री की खरीद										
D.	**जल आपूर्ति**										
	कुंआ खोदना										
	लघु खानों को सहायता	1									
	बड़े खानों को सहायता	1								1	732
E.	**आवास**										
	I. **एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)**										
	क. **बी.वाई.ओ.एच.एस.**										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										

आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)

मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या

आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ

आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (डब्ल्यू.यू.एस.)

मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या

आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ

आवासों की संख्या जिनके लिए सम्पूर्ण राशि जारी की गई

II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2005

क. बी.वाई.ओ.एच.एस.

मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	ख. **सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)**										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	III. **संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007**										
	क. **वी.वाई.ओ.एच.एस.**										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										

आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

ख. **सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)**

मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या

आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ

आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

ग. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)-2007**

मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या

आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ

आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि

टाईप-I योजना

मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या

आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	टाईप-II योजना										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	8	400								
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	8	400								
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	8	400							44	660
	आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										1045

निधिः एल.एस.डी.एम. कामगार कल्याण निधि

वर्ष 2006-07

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	जबलपुर		केरल		कोलकाता		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	**स्वास्थ्य**										
	कार्ड जारी किए गए									244	0
	खान प्रबंधन को सहायता अनुदान	16	2140			4	80	4		44	2220
	जी.आई.ए. भुगतान प्राप्त औषधालयों की संख्या								971	19	6666
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या							4		24	0
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु के मामले									0	0
	औषधालय/अस्पताल में रोगियों का उपचार किया गया									20942	180
	टीबी अस्पताल में भरे हुए बिस्तरों की औसत सं.	42935		15964				5859		379816	0
	टी.बी. रोगियों का घर पर रहते हुए उपचार									10	0
	कैंसर का उपचार									0	0
	मानसिक रोगियों का उपचार	1	66							3	79
	चश्मे की खरीद									0	0
	कुष्ठ रोग का उपचार									0	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	प्रसूति हितलाभ									0	0
	परिवार कल्याण आपरेशन									0	0
	हृदय रोग का उपचार	1								1	0
	गुर्दा रोग का उपचार									1	128
	कृत्रिम अंग का प्रावधान									0	0
	औषधि की खरीद									0	99
	एम्बुलेंस वैन की खरीद				160				13	0	2724
	विधवा/विद्युर की पुत्रियों को विवाह खर्च	1	207							6	1092
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता									1	14
B.	**शिक्षा**										
	छात्रवृति अनुदान	6121	1800			321	500	372	482	10126	11753
	पुस्तक/यूनिफार्म की आपूर्ति	1166	292					127	32	6829	1709
	पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद	1	5					1	5	2	10
	स्कूल बस के लिए अनुदान									3	500
C.	**मनोरंजन**										
	सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप	12	88					13	13	55	240
	परिवहन हेतु बस									12	560
	टी.वी. सेट									0	0
	फिल्म दिखाया जाना									67	15
	भ्रमण-सह अध्ययन दौरा									0	0

	डिश/टी.वी. एंटीना की आपूर्ति					0	0
	बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना					0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना					0	0
	अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार					0	0
	खेल कूद की सामग्री की खरीद	6	51	2	13	8	64
D.	**जल आपूर्ति**						
	कुंआ खोदना	1	2265			1	2265
	लघु खानों को सहायता					1	0
	बड़े खानों को सहायता					2	732
E.	**आवास**						
	I. **एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)**						
	क. **बी.वाई.ओ.एच.एस.**						
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ					0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि					0	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)									0	
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (डब्ल्यू.यू.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए सम्पूर्ण राशि जारी की गई									0	0
	II. **संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2005**										
	क. **बी.वाई.ओ.एच.एस.**										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0

आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
ख. **सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)**		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	0	0
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
III. **संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007**		
क. **वी.वाई.ओ.एच.एस.**		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	0	0
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
ख. **सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)**		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	ग. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)-2007**										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्यां जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	टाईप-I योजना										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिएं अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0

आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
टाईप-II योजना		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	8	400
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	8	400
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	52	1060
आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	1045

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

2006-07

निधि: आई.ओ.एम.सी. श्रमिक कल्याण निधि

माह: मार्च, 2007 तक

(वित्तीय आंकड़े हजार रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	बंगलौर		बी.बी.एस.आर.		हैदराबाद		जबलपुर	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**स्वास्थ्य**								
	खान प्रबंधन को अनुदान सहायता	3		10				4	1929
	अनुदान सहायता प्राप्त औषधालयों की संख्या		765		1221				
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या								
	जानलेवा दुर्घटना तथा मृत्यु के मामले			8	84				
	औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	40834	408	165108				33420	
	तपेदिक अस्पताल में औसत बिस्तर धारिता								
	तपेदिक रोगियों का घरेलू उपचार								
	कैंसर उपचार	7	206						
	मनोरोग उपचार								
	चश्मों की खरीद								
	कुष्ठ उपचार								
	प्रसूति हित लाभ								

परिवार कल्याण आपरेशन							1	
हृदय रोग उपचार	17	796						
गुर्दा रोग उपचार								
कृत्रिम अंगों का प्रावधान								
दवा की खरीद				1352				
एम्बुलेंस गाड़ी की खरीद								
विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह व्यय	1	5	2	10				
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता								
ख. **शिक्षा**								
छात्रवृत्ति प्रदान करना	3298	3945	5378	5668	192	95	3332	3043
पुस्तक/यूनिफार्म की आपूर्ति	1674	419	3200	800			1624	406
पुस्तकालयों को अनुदान							5	10
ग. **मनोरंजन**								
सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप					3	7		
परिवहन हेतु बस								
टी.वी. सैट								
फिल्मों का प्रदर्शन								
भ्रमण-सह अध्ययन दौरे								
डिस/टी.वी. ऐंटीना की आपूर्ति								
बहु-प्रयोजनीय संस्थान की स्थापना								
कल्याण केन्द्रों की स्थापना								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	होली डे होम जाने वाले श्रमिक			691	186				
	खेल-कूद सामग्री की खरीद							5	50
घ.	**जलापूर्ति**								
	कुंओं की खुदाई								
	छोटे खानों को सहायता								
	बड़े खानों को सहायता			191	51				
ङ.	**आवास**								
	I. **एकीकृत आवास योजना**								
	क. **बी.वाई.ओ.एच.एस.**								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	2	21	23	161				
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	6	88	62	496				
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	6	60	91	451				
	ख. **समूह आवास योजना**								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								

आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि

आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि.

ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना

मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या

संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या

आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गयी

II. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2005

क. बी.वाई.ओ.एच.एस.

मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या

संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या

आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि

आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि

ख. समूह आवास योजना

मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या

संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या

आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि

आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2007								
	क. बी.वी.ई.ओ.एच.एस.								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								
	ख. समूह आवास योजना								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								
	ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना-2007								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि.								

टाइप-I स्कीम		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या		
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या		
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि		
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि		
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि		
टाइप-II स्कीम		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	30	
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	24	360
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	4	60
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	16	380
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि		

2006-07

निधि: आई.ओ.एम.सी. श्रमिक कल्याण निधि

माह: मार्च, 2007 तक

(वित्तीय आंकड़े हजार रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	कर्मा		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	11	12	13	14	15	16
क.	**स्वास्थ्य**						
	खान प्रबंधन को अनुदान सहायता	3	737	15		35	773
	अनुदान सहायता प्राप्त औषधालयों की संख्या				1741	0	3727
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या			15		15	0
	जानलेवा दुर्घटना तथा मृत्यु के मामले			2	13	10	97
	औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	15680		77		255119	408
	तपेदिक अस्पताल में औसत बिस्तर धारिता					0	0
	तपेदिक रोगियों का घरेलू उपचार					0	0
	कैंसर उपचार					7	206
	मनोरोग उपचार					0	0
	चश्मों की खरीद					0	0
	कुष्ठ उपचार					0	0
	प्रसूति हित लाभ					0	0
	परिवार कल्याण आपरेशन					1	0

हृदय रोग उपचार					17	796
गुर्दा रोग उपचार					0	0
कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
दवा की खरीद				1	0	1353
एम्बुलेंस गाड़ी की खरीद					0	0
विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह व्यय			1	5	4	20
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता			3	5	3	5
ख. **शिक्षा**						
छात्रवृत्तिप्रदान करना	1372	910	2584	2990	16156	16651
छात्रवृत्ति/यूनिफार्म की आपूर्ति			1289	322	7787	1947
पुस्तकालयों को अनुदान					5	10
ग. **मनोरंजन**						
सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप					3	7
परिवहन हेतु बस					0	0
टी.वी. सैट					0	0
फिल्मों का प्रदर्शन					0	0
भ्रमण-सह अध्ययन दौरे					0	0
डिस/टी.वी. ऐंटीना की आपूर्ति					0	0
बहु-प्रयोजनीय संस्थान की स्थापना					0	0
कल्याण केन्द्रों की स्थापना					0	0
होली डे होम जाने वाले श्रमिक					691	186

1	2	11	12	13	14	15	16
	खेल-कूद सामग्री की खरीद			1	56		
घ.	**जलापूर्ति**						
	कुंओं की खुदाई					0	0
	छोटे खानों को सहायता					0	0
	बड़े खानों को सहायता					191	51
ङ.	**आवास**						
	I. **एकीकृत आवास योजना**						
	क. **बी.वाई.ओ.एच.एस.**						
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					25	182
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि					68	584
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					97	511
	ख. **समूह आवास योजना**						
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					0	0

आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या		
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गयी		
II. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2005	0	0
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
ख. समूह आवास योजना		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0

1	2	11	12	13	14	15	16
	III. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2007						
	क. बी.वी.ई.ओ.एच.एस.						
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	ख. समूह आवास योजना						
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना-2007						
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0

टाइप-I स्कीम		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
टाइप-II स्कीम		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	30	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	24	360
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	4	60
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	16	380
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2006-2007

निधिः अभ्रक खान

वर्षः 2006-2007

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	अजमेर		हैदराबाद		कर्मा		योग	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**स्वास्थ्य**								
	खान प्रबंधन को सहायता अनुदान							0	0
	जी.आई.ए. भुगतान किए गए औषधालयों की संख्या							0	0
	निरीक्षण किए गए औषधालयों की संख्या							0	0
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु मामले							0	0
	औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगी	13226		0		32336		45562	0
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग							0	0
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार							0	0
	कैंसर का उपचार							0	0
	मानसिक रोगों का उपचार							0	0
	चश्मों की खरीद							0	0
	कुष्ठ रोग का उपचार							0	0

	प्रसूति प्रसुविधा					0	0
	परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं					0	0
	हृदय रोग का उपचार						
	किडनी रोग का उपचार					0	0
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान						
	दवाई की खरीद		261	0	601		
	एम्बुलेंस वैन की प्राप्ति					0	0
	विधवा/विधुर की पुत्री को विवाह खर्च					0	0
	अंत्येष्टि खर्च					0	0
ख.	**शिक्षा**						
	छात्रवृत्ति अनुदान	6	5			6	5
	पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति					0	0
	पुस्तकालयों हेतु अनुदान					0	0
ग.	**मनोरंजन**						
	सामाजिक खेलकूद क्रियाकलाप					0	0
	परिवहन हेतु बस					0	0
	टी.वी. सैट					0	0
	फिल्मों की प्रदर्शनी	2				2	0
	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे					0	0
	डिश/टी.वी. एंटीना की आपूर्ति					0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बहुउद्देशीय उपकरणों की स्थापना							0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना							0	0
	होलिडे होम्स की यात्रा करने वाले कामगार							0	0
घ.	**जल आपूर्ति**								
	कुएं खोदना							0	0
	छोटी खानों को सहायता							0	0
	बड़ी खानों को सहायता							0	0

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2006-2007

निधि: सिने निधि — माह: मार्च, 2007 तक

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	अजमेर		बैंगलोर		भुवनेश्वर		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जारी किये गये पहचान पत्रों की संख्या	1460		83		328		13258	
क.	**सामूहिक बीमा योजना**								
	जी.आई.एस. के अंतर्गत कवर कामगार	1279				289		8500	
	एल.आई.सी. को भेजे गये मामले			5	50			2	
	निपटाये गये मामले एवं अदा की गई राशि			4	40			1	
	रद्द किये गये मामले								
	एल.आई.सी. के पास शेष मामले			7	70			1	
	एल.आई.सी. को भुगतान किया गया प्रीमियम								
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु मामले								
	औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगी			3538	35			63016	
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग								
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार								
	कैंसर का उपचार			1	62				
	मानसिक रोगों का उपचार								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	चश्मों की खरीद								
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान								
	प्रसूति प्रसुविधा योजना								
	परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं								
	हृदय रोग का उपचार			13	506				
	किडनी रोग का उपचार								
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान							1	162
	दवाई की खरीद		18				76		468
	एम्बूलेंस वैन की प्राप्ति								
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता			1	2				
ख.	**शिक्षा**								
	छात्रवृत्ति अनुदान	25	30	703	1151	104	129	4193	862
	पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति			57	15	36	9		
	पुस्तकालयों हेतु अनुदान								

2006-2007

निधि: सिने निधि

माह: मार्च, 2007 तक

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	कोलकाता		नागपुर		योग	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	11	12	13	14	15	16
	जारी किये गये पहचान पत्रों की संख्या	1993		14179		31301	0
क.	**सामूहिक बीमा योजना**					0	0
	जी.आई.एस. के अंतर्गत कवर कामगार	1100	1			11168	1
	एल.आई.सी. को भेजे गये मामले					7	50
	निपटाये गये मामले एवं अदा की गई राशि					5	40
	रद्द किये गये मामले					0	0
	एल.आई.सी. के पास शेष मामले					8	70
	एल.आई.सी. को भुगतान किया गया प्रीमियम					0	0
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु मामले					0	0
	औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगी	17947	134	10168		94669	169
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग					0	0
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार					0	0
	कैंसर का उपचार	1	12	3	165	5	239
	मानसिक रोगों का उपचार					0	0

1	2	11	12	13	14	15	16
	चश्मों की खरीद	2				2	0
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
	प्रसूति प्रसुविधा योजना	1	1			1	1
	परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं					0	0
	हृदय रोग का उपचार			2	237	15	743
	किडनी रोग का उपचार					0	0
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान					1	162
	दवाई की खरीद				115	0	677
	एम्बूलेंस वैन की प्राप्ति					0	0
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	2	3	2	3	5	8
ख.	**शिक्षा**						
	छात्रवृत्ति अनुदान	178	308	493	631	5696	3111
	पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति			78	20	171	44
	पुस्तकालयों हेतु अनुदान					0	0

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

निधि: बीड़ी कामगार कल्याण निधि | माह: मार्च, 2008 तक | 2007-2008

(अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपये में है)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अजमेर		इलाहाबाद		बेंगलुरू		भुवनेश्वर		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	**समूह बीमा योजना**										
	जी.आई.एस. में शामिल कामगार	40000		363139				152810		90000	
	एल.आई.सी. को भेजे गए मामले	78	1072	628		5	50	524		84	665
	निपटाए गए मामले और किया गया भुगतान	112	1120	466	4660	5	50	125			
	अस्वीकृत मामले										
	एल.आई.सी. के पास बचे मामले	94	1045	162		8	80	399			
	एल.आई.सी. को प्रीमियम का भुगतान	40000	820		5689						
ख.	**स्वास्थ्य**										
	जारी किए गए पहचान-पत्र	82548		11148		5		195540		514537	
	औषधालय/अस्पतालों में रोजगारों का उपचार	398082		326480		617817	12396	354756		4843981	7325
	टी.बी. अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग			137		484					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	1				7	20	5	21		
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	229	344	187	281	38	57	34	51		
	कैंसर का उपचार	5	75	2	2	65	1012	1	13	2	144
	मानसिक रोगों का उपचार										
	चश्मों की खरीद	795	165	1387	399	79	14	2		7	1
	कुष्ठ रोग का उपचार										
	प्रसुति लाभ	299	299	301	301	3275	3275	351	351	371	380
	परिवार कल्याण आपरेशन	10	2	1		15	5	2	1	7	1
	हृदय रोग का उपचार	1	6			53	4874	2	11	11	875
	गुर्दा रोग का उपचार	1				23	614				
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान										
	दवाइयों की खरीद		3546		4685				3957		
	रोगी वाहन का प्रापण										
	मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता										
	छोटे रोगों का उपचार					13	36	3	11		
	विधवा/विधवा की बेटी के विवाह का खर्च	34	170	165	825	7	35	4	20		
	स्त्री रोगों का उपचार			1	3						
	एप्पेंडक्टमी										
ग.	**शिक्षा**										
	छात्रवृत्ति दिया जाना	24023	25000	26168	32500	180895	205626	31610	30000	138596	189965

पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	10840	2710	4000	1000	41873	13906	21492	5373		
घ. मनोरंजन										
सामाजिक खेल कार्यकलाप	4	55								
आने-जाने हेतु बस										
टी.वी. सेट										
फिल्मों का प्रदर्शन	6	1								
भ्रमण-सह-अध्ययन दौरा										
डिश/टी.वी. एन्टीना की आपूर्ति										
बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना										
कल्याण केन्द्रों की स्थापना										
अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार							1217	314		
ग. आवास										
I. एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)										
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.										
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	213	8520								
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या	175	3500								
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	9	180	9	63	1	7	171	1197	31	462
आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान			27	216	9	113	707	5656	225	3192
आवासों की संख्या और तीसरी किस्त के रूप में भुगतान			42	210	23	153	2908	12119	402	3121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या										
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान					5	59				
	आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान					147	1196				
	आवासों की संख्या और तीसरी किस्त के रूप में भुगतान					1310	6942				
	ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	173	1705								
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या	173	1705								
	आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गयी	173	1705								
	II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2005										
	क. वी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या										

आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान								
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान								
ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)								
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या								
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या								
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान								
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान								
III. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007								
क. वी.वाई.ओ.एच.एस.								
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	414		1422					
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या	408		1422		1580	31020	16600	315676
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	405	8100	1386	27720	1552	31040		
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान								
ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)								
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या			96							
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान										
	आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान										
	ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या										
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान										
	आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान										

निधिः बीड़ी कामगार कल्याण निधि

माहः मार्च, 2008 तक 2007-2008

(अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपये में है)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	जबलपुर		कर्मा		कोलकाता		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
क.	**समूह बीमा योजना**										
	जी.आई.एस. में शामिल कामगार	20513		9566		375333				1051361	0
	एल.आई.सी. को भेजे गए मामले	945				1663	1933			3927	3720
	निपटाए गए मामले और किया गया भुगतान	178	2245							886	8075
	अस्वीकृत मामले									0	0
	एल.आई.सी. के पास बचे मामले									663	1125
	एल.आई.सी. को प्रीमियम का भुगतान									40000	6509
ख.	**स्वास्थ्य**									0	0
	जारी किए गए पहचान-पत्र			9566		1096171		243818		2153333	0
	औषधालय/अस्पतालों में रोजगारों का उपचार	305583		303288	3452	419936		203063	2789	7772986	25962
	टी.बी. अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग			11729		534				12884	0
	टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	160	678	16	40	493	2340	6	28	688	3127

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	350	525			363	545	141	212	1342	2015
	कैंसर का उपचार	36	685			21	175	12	194	144	2300
	मानसिक रोगों का उपचार			21	22					21	22
	चश्मों की खरीद	2506	530			72	19	235	62	5083	1190
	कुष्ठ रोग का उपचार									0	0
	प्रसुति लाभ	361	379			4093	4080	429	429	9480	9494
	परिवार कल्याण आपरेशन	15	3					63	13	113	25
	ह्रदय रोग का उपचार	106	467			4	176	1	52	178	6461
	गुर्दा रोग का उपचार	7	98							31	712
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान									0	0
	दवाइयों की खरीद						5396			0	17584
	रोगी वाहन का प्रापण									0	0
	मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता									0	0
	छोटे रोगों का उपचार							9	48	25	95
	विधवा/विधवा की बेटी के विवाह का खर्च	119	595			20	100	63	315	412	2060
	स्त्री रोगों का उपचार	4	29			13	58			18	90
	एप्पेंडक्टमी					5	5			5	5
ग.	**शिक्षा**									0	0
	छात्रवृत्ति दिया जाना	42440	44870	9431	13498	117683	120000	57812	61293	628658	722752

	पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	11279	2820	92744	3186	16066	4017	18267	4567	216561	37579
घ.	**मनोरंजन**									0	0
	सामाजिक खेल कार्यकलाप							1	10	5	65
	आने-जाने हेतु बस									0	0
	टी.वी. सेट									0	0
	फिल्मों का प्रदर्शन									6	1
	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरा									0	0
	डिश/टी.वी. एन्टीना की आपूर्ति									0	0
	बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना									0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना									0	0
	अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार					508	167			1725	481
ग.	**आवास**									0	0
	I. एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)									0	0
	क. वी.वाई.ओ.एच.एस.									0	0
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या					3015	60300	347	13880	3575	82700
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या					3015	60300	85	1700	3275	65500
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	382	3189			585	1011			1188	6109
	आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान	401	3490			419	6056			1788	18723
	आवासों की संख्या और तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान	233	1312			624	5530			4232	22445

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)									0	0
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या								4312	0	4312
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान									5	59
	आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान									147	1196
	आवासों की संख्या और तीसरी किस्त के रूप में भुगतान									1310	6942
	ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)									0	0
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									173	1705
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या									173	1705
	आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गयी									173	1705
	II. संशोधित एकीकृत आवास योजना									0	0
	(आर.आई.एच.एस.)-2005										
	क. वी.वाई.ओ.एच.एस.									0	0
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या									0	0

आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान			0	0
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान			0	0
ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)			0	0
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या			0	0
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या			0	0
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान			0	0
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान			0	0
III. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007			0	0
क. वी.वाई.ओ.एच.एस.			0	0
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या			1836	0
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या			20010	346696
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	884	17680	4227	84540
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान			0	0
ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)			0	0
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या			0	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या									96	0
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)									0	0
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	2820	13200							2820	13200
	आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान									0	0

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2007-2008

निधिः एल.एस.डी.एम. कामगार कल्याण निधि — माहः मार्च, 2008 तक — (अनंतिम)

(वित्त हजार रुपये)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अजमेर		इलाहाबाद		बंगलौर		बी.बी.एस.आर.		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	**स्वास्थ्य**										
	कार्ड जारी किए गए									224	
	खान प्रबंधन को सहायता अनुदान										
	जी.आई.ए. भुगतान प्राप्त औषधालयों की संख्या	14	3631	2	704	4	7723	4	300	22	2340
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या			2		4					
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु के मामले			2	13			1	30		
	औषधालय/अस्पताल में रोगियों का उपचार किया गया	316982		7791		9465	95	18534		8011	
	टी.बी.अस्पताल में भरे हुए बिस्तरों की औसत सं.	1									
	टी.बी. रोगियों का घर पर रहते हुए उपचार										
	कैंसर का उपचार					1	60				
	मानसिक रोगियों का उपचार	1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	चश्मे की खरीद	286	86								
	कुष्ठ रोग का उपचार										
	प्रसूति हितलाभ							1	1		
	परिवार कल्याण आपरेशन	1									
	हृदय रोग का उपचार	1	4								
	गुर्दा रोग का उपचार	1	24								
	कृत्रिम अंग का प्रावधान										
	औषधि की खरीद		2800		87				80		
	एम्बुलेंस वैन की खरीद	1									
	विधवा/विधुर की पुत्रियों को विवाह खर्च										
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	2	3			6	9				
ख.	**शिक्षा**										
	छात्रावृत्ति अनुदान	4217	4700	699680	700	709	1107	1285	1468	490	670
	पुस्तक/यूनिफार्म की आपूर्ति	4568	1142	177	44	157	39	587	147		
	पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद										
	स्कूल बस के लिए अनुदान	2	1000								
ग.	**मनोरंजन**										
	सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप	3	85	6	17	2	45			14	55
	परिवहन हेतु बस	2	1000							1	300
	टी.वी. सेट										

फिल्म दिखाया जाना	24	5
भ्रमण-सह अध्ययन दौरा		
डिश/टी.वी. ऐंटीना की आपूर्ति		
बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना		
कल्याण केन्द्रों की स्थापना		
अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार		
खेल कूद की सामग्री की खरीद		
घ. **जल आपूर्ति**		
कुंआ खोदना		
लघु खानों को सहायता	1	
बड़े खानों को सहायता	1	
ङ. **आवास**		
I. **एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)**		
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	198	7920
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	100	2000
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या जिसके लिए सम्पूर्ण राशि जारी की गई										
	II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2005										
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										

आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ		
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या		
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ		
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
III. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007		
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	2	
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	2	
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	2	40
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ख. सामूहिक आवास योजना (बी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	ग. आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के लिए योजना (डब्ल्यू.एस.)-2007										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	टाईप-I योजना										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									36	540
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									36	

आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	36	
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
टाईप-II योजना		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या		
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ		
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	5	200
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2007-2008

निधिः एम.एस.डी.एम. कामगार कल्याण निधि

माहः मार्च, 2008 तक (अनंतिम)

(वित्त हजार रुपये)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	जबलपुर		केरल		कोलकाता		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
क.	**स्वास्थ्य**										
	कार्ड जारी किए गए									244	0
	खान प्रबंधन को सहायता अनुदान									0	0
	जी.आई.ए. भुगतान प्राप्त औषधालयों की संख्या	16	2169					4	948	66	17815
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या									6	0
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु के मामले									3	43
	औषधालय/अस्पताल में रोगियों का उपचार किया गया	36383	13	5342	1917			3287	10	405795	2035
	टी.बी.अस्पताल में भरे हुए बिस्तरों की औसत सं.									1	0
	टी.बी. रोगियों का घर पर रहते हुए उपचार									0	0
	कैंसर का उपचार									1	60
	मानसिक रोगियों का उपचार									1	0

चश्मे की खरीद									286	86
कुष्ठ रोग का उपचार									0	0
प्रसूति हितलाभ									1	1
परिवार कल्याण आपरेशन									1	0
ह्रदर्य रोग का उपचार							2	250	3	254
गुर्दा रोग का उपचार									1	24
कृत्रिम अंग का प्रावधान									0	0
औषधि की खरीद									0	2967
एम्बुलेंस वैन की खरीद									1	0
विधवा/विधुर की पुत्रियों को विवाह खर्च									0	0
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता									8	12
ख. **शिक्षा**										
छात्रवृत्ति अनुदान	838	933	256	292	501	701	476	572	708452	11143
पुस्तक/यूनिफार्म की आपूर्ति	518	130	89	22			17	4	6113	1528
पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद							1	1	1	1
स्कूल बस के लिए अनुदान	3	900							5	1900
ग. **मनोरंजन**										
सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप	13	196					3	5	41	403
परिवहन हेतु बस									3	300
टी.वी. सेट	1	10			1	9			2	19
फिल्म दिखाया जाना									24	5

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	भ्रमण-सह अध्ययन दौरा									0	0
	डिश/टी.वी. ऐंटीना की आपूर्ति									0	0
	बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना									0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना									0	0
	अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार									0	0
	खेल कूद की सामग्री की खरीद	7	117					1	5	8	122
घ.	**जल आपूर्ति**										
	कुंआ खोदना									0	0
	लघु खानों को सहायता									1	0
	बड़े खानों को सहायता									1	0
ङ.	**आवास**										
	I. एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)										
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									198	7920
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									100	2000
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0

आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	0	0
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	0	0
आवासों की संख्या जिसके लिए सम्पूर्ण राशि जारी की गई	0	0
II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2005		
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजें गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम क़िस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	III. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007										
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									2	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									2	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									2	40

आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
ख. सामूहिक आवास योजना (बी.एच.एस.)		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	0	0
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
ग. आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के लिए योजना (डब्ल्यू.एस.)-2007		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	0	0
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
टाईप-I योजना		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या	36	540
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ	36	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									36	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	टाईप-II योजना										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									5	200
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2007-2008

निधि: आई.ओ.एम.सी. श्रमिक कल्याण निधि माह: मार्च, 2008 तक

(वित्तीय आंकड़े हजार रुपये)

क्र.स.	योजनाओं के नाम	बंगलौर		बी.बी.एस.आर.		हैदराबाद		जबलपुर	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**स्वास्थ्य**								
	खान प्रबंधन को अनुदान सहायता								
	अनुदान सहायता प्राप्त औषधालयों की संख्या	2	6780	15	1500			4	2405
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या	2		15					
	जानलेवा दुर्घटना तथा मृत्यु के मामले			4	73				
	औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	35017	350	167122	1671			37229	
	तपेदिक अस्पताल में औसत बिस्तर धारिता								
	तपेदिक रोगियों का घरेलू उपचार								
	कैंसर उपचार	5	75	1	128				
	मनोरोग उपचार								
	चश्मों की खरीद								
	कुष्ठ उपचार								
	प्रसूति हित लाभ								
	परिवार कल्याण आपरेशन							1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हृदय रोग उपचार	10	591						
	गुर्दा रोग उपचार	1	200						
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान								
	दवा की खरीद				1900				
	एम्बुलेंस.गाड़ी की खरीद								
	विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह व्यय								
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता							1	2
ख.	**शिक्षा**								
	छात्रवृत्ति प्रदान करना	3092	3781	5792	6000	111	67	1425	1789
	पुस्तक/यूनीफार्म की आपूर्ति	1526	382	3200	800			702	176
	पुस्तकालयों को अनुदान								
ग.	**मनोरंजन**								
	सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप	2	20					9	163
	परिवहन हेतु बस								
	टी.बी. सैट			1	10				
	फिल्मों का प्रदर्शन								
	भ्रमण-सह अध्ययन दौरे								
	डिस/टी.वी. ऐंटीना की आपूर्ति								
	बहु-प्रयोजनीय संस्थान की स्थापना								
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना								

होली डे होम जाने वाले श्रमिक	1252	135			
खेल-कूद सामग्री की खरीद				2	36
घ. **जलापूर्ति**					
कुंओं की खुदाई					
छोटे खानों को सहायता					
बड़े खानों को सहायता		1	500		
I. **एकीकृत आवास योजना**					
क. वी.वाई.ओ.एच.एस.					
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि					
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					
ख. समूह आवास योजना					
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								
	ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गयी								
	II. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2005								
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								
	ख. समूह आवास योजना								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								

III. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2007				
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.				
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या			29	161
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या			29	161
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि			2	14
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि			2	32
ख. समूह आवास योजना				
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या				
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या				
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि				
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि				
ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना-2007				
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या				
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या				
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि				
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि				
टाइप-I स्कीम				
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	20	800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या		20	800					
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि		20	240					
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि		20	240					
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								
	टाइप-II स्कीम								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								

2007-2008

निधि: आई.ओ.एम.सी. श्रमिक कल्याण निधि

माह: मार्च, 2008 तक

(वित्तीय आंकड़े हजार रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	कर्मा		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	11	12	13	14	15	16
क.	**स्वास्थ्य**						
	खान प्रबंधन को अनुदान सहायता					0	0
	अनुदान सहायता प्राप्त औषधालयों की संख्या					21	10685
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या					17	0
	जानलेवा दुर्घटना तथा मृत्यु के मामले			3	28	7	101
	औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	16535				255903	2021
	तपेदिक अस्पताल में औसत बिस्तर धारिता					0	0
	तपेदिक रोगियों का घरेलू उपचार					0	0
	कैंसर उपचार					6	203
	मनोरोग उपचार					0	0
	चश्मों की खरीद					0	0
	कुष्ठ उपचार					0	0
	प्रसूति हित लाभ					0	0
	परिवार कल्याण आपरेशन					1	0

1	2	11	12	13	14	15	16
	हृदय रोग उपचार					10	591
	गुर्दा रोग उपचार					1	200
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
	दवा की ख़रीद					0	1900
	एम्बुलेंस गाड़ी की खरीद					0	0
	विधवा/विधुर की पुत्री का विघाह व्यय			3	15	3	15
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता					1	2
ख.	**शिक्षा**						
	छात्रवृत्ति प्रदान करना	623	588	2808	3383	13851	15608
	पुस्तक/यूनीफार्म की आपूर्ति	275	69	1254	314	6957	1741
	पुस्तकालयों को अनुदान					0	0
ग.	**मनोरंजन**						
	सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप					11	183
	परिवहन हेतु बस					0	0
	टी.बी. सैट					1	10
	फिल्मों का प्रदर्शन					0	0
	भ्रमण-सह अध्ययन दौरे					0	0
	डिस/टी.वी. ऐंटीना की आपूर्ति					0	0
	बहु-प्रयोजनीय संस्थान की स्थापना					0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना					0	0

होली डे होम जाने वाले श्रमिक	1252	135
खेल-कूद सामग्री की खरीद	2	36
घ. **जलापूर्ति**		
कुंओं की खुदाई	0	0
छोटे खानों को सहायता	0	0
बड़े खानों को सहायता	500	1
I. **एकीकृत आवास योजना**		
क. वी.वाई.ओ.एच.एस.		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
ख. समूह आवास योजना		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	0	0

1	2	11	12	13	14	15	16
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना						
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गयी					0	0
	II. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2005					0	0
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.					0	0
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	ख. समूह आवास योजना					0	0
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0

III. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2007	0	0
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	29	161
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	29	161
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	2	14
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	2	32
ख. समूह आवास योजना	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना-2007	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
टाइप-I स्कीम	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	20	800

1	2	11	12	13	14	15	16
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					20	800
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					20	240
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि					20	240
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	टाइप-II स्कीम					0	0
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2007-2008

निधिः अभ्रक खान

माहः मार्च, 2008 तक

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	अजमेर		हैदराबाद		कर्मा		योग	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**स्वास्थ्य**								
	खान प्रबंधन को अनुदान सहायता							0	0
	जी.आई.ए. भुगतान किए गए औषधालयों की संख्या							0	0
	निरीक्षण किए गए औषधालयों की संख्या							0	0
	घातक दुर्घटना तथा मृत्यु मामले							0	0
	औषधालय/अस्पतालों में उपचारित रोगी	9435				29429	5134	38864	5134
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग							0	0
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार							0	0
	कैंसर का उपचार							0	0
	मानसिक रोगों का उपचार							0	0
	चश्मों की खरीद							0	0
	कुष्ठ रोग का उपचार							0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्रसूति प्रसुविधा							0	0
	परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं							0	0
	हृदय रोग का उपचार							0	0
	किडनी रोग का उपचार							0	0
	कॉत्रिम अंगों का प्रावधान							0	0
	दवाई की खरीद		266					0	266
	एम्बुलेंस वैन की प्राप्ति							0	0
	विधवा/विधुर की पुत्री को विवाह खर्च							0	0
	अंत्येष्टि खर्च							0	0
ख.	**शिक्षा**								
	छात्रवृत्ति अनुदान	4	3	82	59	18	22	104	84
	पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति					3	1	3	1
	पुस्तकालयों हेतु अनुदान							0	0
ग.	**मनोरंजन**							0	0
	सामाजिक खेलकूद क्रियाकलाप							0	0
	परिवहन हेतु बस							0	0
	टी.वी. सैट							0	0
	फिल्मों की प्रदर्शनी							0	0
	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे							0	0
	डिश/टी.वी. एंटीना की आपूर्ति							0	0

बहुउद्देशीय उपकरणों की स्थापना	0	0
कल्याण केन्द्रों की स्थापना	0	0
होलिडे होम्स की यात्रा करने वाले कामगार	0	0
घ. **जल आपूर्ति**		
कुएं खोदना	0	0
छोटी खानों को सहायता	0	0
बड़ी खानों को सहायता	0	

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2007-2008

निधि: सिने निधि — माह: मार्च, 2008 तक

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	अजमेर		बैंगलोर		भुवनेश्वर		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जारी किये गये पहचान पत्रों की संख्या	1469		55		348		13483	
क.	**सामूहिक बीमा योजना**								
	जी.आई.एस. के अंतर्गत कवर कामगार	1279				289		8500	
	एल.आई.सी. को भेजे गये मामले							10	100
	निपटाये गये मामले एवं अदा की गई राशि								
	रद्द किये गये मामले								
	एल.आई.सी. के पास शेष मामले			9	90				
	एल.आई.सी. को भुगतान किया गया प्रीमियम								
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु मामले								
	औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगी			4268	43			53868	374
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग								
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार								
	कैंसर का उपचार			1	22				
	मानसिक रोगों का उपचार								

चश्मों की खरीद							3	
कृत्रिम अंगों का प्रावधान								
प्रसूति प्रसुविधा योजना			1	1			4	4
परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं								
हृदय रोग का उपचार			13	1040				
किडनी रोग का उपचार			2	241			2	180
छोटी बीमारियां								
कृत्रिम अंगों का प्रावधान								
दवाई कीखरीद		40						
एम्बुलेंस वैन की प्राप्ति								
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता			2	3				
ख. **शिक्षा**								
छात्रवृत्ति अनुदान	26	28	709	1922	94	118	550	844
पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति			91	23	18	5		
पुस्तकालयों हेतु अनुदान								

2007-08

निधिः सिने निधि

माहः मार्च, 2008 तक

(अनंतिम)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	कोलकाता		नागपुर		योग	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	11	12	13	14	15	16
	जारी किये गये पहचान पत्रों की संख्या	2018		15195		32567	0
क.	**सामूहिक बीमा योजना**					0	0
	जी.आई.एस. के अंतर्गत कवर कामगार	1100				11168	0
	एल.आई.सी. को भेजे गये मामले					10	100
	निपाये गये मामले एवं अदा की गई राशि					0	0
	रद्द किये गये मामले					0	0
	एल.आई.सी. के पास शेष मामले					9	0
	एल.आई.सी. को भुगतानकिया गया प्रीमियम					0	0
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु मामले					0	0
	औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगी	16377	138	11525	134	86038	689
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग					0	0
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार					0	0
	कैंसर का उपचार			1	27	2	49
	मानसिक रोगों का उपचार					0	0

चश्मों की खरीद	1		1	2	5	2
कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
प्रसूति प्रसुविधा योजना					5	5
परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं					0	0
हृदय रोग का उपचार			5	406	18	1446
किडनी रोग का उपचार					4	421
छोटी बीमारियां			1	3	1	3
कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
दवाई की खरीद					0	40
एम्बुलेंस वैन की प्राप्ति					0	0
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता			2	3	4	6
ख. **शिक्षा**						
छात्रवृत्ति अनुदान	196	358	319	541	1894	3811
पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति			35	9	144	37
पुस्तकालयों हेतु अनुदान					0	0

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

2008-2009

निधिः बीड़ी कामगार कल्याण निधि

माहः मार्च, 2009 तक (अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपये में है)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अजमेर		इलाहाबाद		बंगलुरू		भुवनेश्वर		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	**समूह बीमा योजना**										
	जी.आई.एस. में शामिल कामगार	40000	820	374515				115540		90000	
	एल.आई.सी. को भेजे गए मामले	114	1195	151				487		151	1510
	निपटाए गए मामले और किया गया भुगतान	90	920	162	1620			177	1830		
	अस्वीकृत मामले										
	एल.आई.सी. के पास बचे मामले	105	1050	145		10	100	310			
	एल.आई.सी. को प्रीमियम का भुगतान								314		
ख.	**स्वास्थ्य**										
	जारी किए गए पहचान-पत्र	85592		16541				20763		540271	
	औषधालय/अस्पतालों में रोजगारों का उपचार	430183		225774		554474	5544	368858		1024066	8686
	टी.बी. अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग			262		300					

टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	10	27	11	61			12	55	29	122
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	191	287	295	443	20	28	94	141	1	2
कैंसर का उपचार	4	28	1	41	68	1396	4	85	2	60
मानसिक रोगों का उपचार									1	7
चश्मों की खरीद	648	169	1784	533	128	33	2	1	12	2
कुष्ठ रोग का उपचार	1	5								
प्रसूति लाभ	375	375	349	349	1197	1197	432	432	238	250
परिवार कल्याण आपरेशन	32	16			31	15	31	16	4	1
हृदय रोग का उपचार	6	287			54	5235	2	11	6	186
गुर्दा रोग का उपचार	3	115	1	5	14	500				
कृत्रिम अंगों का प्रावधान							10	59		
दवाइयों की खरीद		2500		4950				4784		
रोगी वाहन का प्रापण										
मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता										
छोटे रोगों का उपचार			2	5	17	34	8	51		
विधवा/विधुर की बेटी के विवाह का खर्च	44	220	209	1045	6	27	7	35	1	5
स्त्री रोगों का उपचार										
एप्पेंडक्टमी										
ग. **शिक्षा**										
छात्रवृत्ति दिया जाना	22425	23653	19091	24515	243065	287004	35792	35000	127741	129116
पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	10882	2721	4800	1200	82374	20604	16445	4111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
घ.	**मनोरंजन**	334	787								
	सामाजिक खेल कार्यकलाप	2	80								
	आने-जाने हेतु बस										
	टी.वी. सेट										
	फिल्मों का प्रदर्शन	2									
	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरा										
	डिश/टी.वी. एन्टीना की आपूर्ति										
	बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना										
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना										
	अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार							3631	504		
ङ.	**आवास**										
	I. एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)										
	क. वी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या	420	15808								
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	420	13708								
	आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान	311	6220	3	21			70	490	25	350
	आवासों की संख्या और तीसरी किस्त के रूप में भुगतान	156	3120	7	56			444	3552	103	1648

ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)	11	55	403	2411	1989	9945	79	790
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या								
मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या								
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान								
आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान								
आवासों की संख्या और तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान								
ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)								
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या								
मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या								
आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गई								
II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एल.एस.)-2005								
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.								
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या								
मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या			608		1748	3496		
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	535	10700	608		1748	3496	271	1084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान			535	10700	680	13600	1748	3496	556	6784
	ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)					224	4480	406	8120		
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या										
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान										
	आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान										
	III. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007										
	क. वी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या										
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान										
	आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान										

2008-2009

निधिः बीड़ी कामगार कल्याण निधि

माहः मार्च, 2009 तक (अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपये में है)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	जबलपुर		कर्मा		कोलकाता		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
क.	**समूह बीमा योजना**										
	जी.आई.एस. में शामिल कामगार			15655		429444	2730	15000		1080154	3550
	एल.आई.सी. को भेजे गए मामले	532						62	665	1497	3370
	निपटाए गए मामले और किया गया भुगतान	340	3705	32	320	359	2561	8	80	1168	11036
	अस्वीकृत मामले									0	0
	एल.आई.सी. के पास बचे मामले									570	1150
	एल.आई.सी. को प्रीमियम का भुगतान		5046					15000	600	15000	5960
ख.	**स्वास्थ्य**										
	जारी किए गए पहचान-पत्र			15655		1314104		252107		2435333	0
	औषधालय/अस्पतालों में रोजगारों का उपचार	141641		336039	45167	478043	5254	322716	3032	3881814	37683
	टी.बी. अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग			14116		48				14726	0
	टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	280	1180	42	132	410	1435	5	20	799	3032

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	829	1244	7	11	355	533	67	101	1859	2790
	कैंसर का उपचार	65	1341			46	201	7	340	197	3492
	मानसिक रोगों का उपचार									1	7
	चश्मों की खरीद	435	122	53	16	152	44	107	30	3321	950
	कुष्ठ रोग का उपचार					1	1			2	6
	प्रसूति लाभ	499	524	45	45	2025	2025	785	785	5945	5982
	परिवार कल्याण आपरेशन	24	12			30	6	61	42	213	108
	हृदय रोग का उपचार	128	702			8	349	8	440	212	7210
	गुर्दा रोग का उपचार	8	63					2	20	28	703
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान									10	59
	दवाइयों की खरीद						2969			0	15203
	रोगी वाहन का प्रापण									0	0
	मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता									0	0
	छोटे रोगों का उपचार					9	32	7	47	43	169
	विधवा/विधुर की बेटी के विवाह का खर्च	256	1280			34	170	62	310	619	3092
	स्त्री रोगों का उपचार	5	45							5	45
	एप्पेंडक्टमी									0	0
ग.	**शिक्षा**									0	0
	छात्रवृत्ति दिया जाना	40115	43828	12375	15200	208286	218000	49365	58701	758255	35017
	पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	11177	2794	12960	3240	19207	4802	20458	5115	178303	44587

घ. **मनोरंजन**									334	787
सामाजिक खेल कार्यकलाप									0	0
आने-जाने हेतु बस	3	61					1	40	6	181
टी.वी. सेट									0	0
फिल्मों का प्रदर्शन					1	10			1	10
भ्रमण-सह-अध्ययन दौरा									2	0
डिश/टी.वी. एन्टीना की आपूर्ति									0	0
बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना					1	10			1	10
कल्याण केन्द्रों की स्थापना									0	0
अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार									0	0
ङ. **आवास**					702	250			4333	754
I. **एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)**									0	0
क. **बी.वाई.ओ.एच.एस.**									0	0
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या			2654	53080					2654	53080
मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या							283	10500	703	26308
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान					407	7992	415	8300	1242	30000
आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान	1962	39084					59	1180	2430	47345
आवासों की संख्या और तीसरी किस्त के रूप में भुगतान	311	2819					166	3320	1187	14515

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)	29	141	19	110					2530	13452
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	आवासों की संख्या और दूसरी किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	आवासों की संख्या और तीसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में भुगतान									0	0
	ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना (ई.डब्ल्यू.एस.)									0	0
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवास की संख्या									0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गई										
	Ii. **संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एल.एस.)-2005**									0	0
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.									0	0
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या									0	0
	मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या									2356	3496

आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान	5197	103940	8359	19220
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान			3519	34580
ख. समूह आवास योजना (जी.एच.एस.)			630	12600
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या			0	0
मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या			0	0
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान			0	0
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान			0	0
III. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2007			0	0
क. वी.वाई.ओ.एच.एस.				
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या			0	0
मंजूरी प्राप्त आवासों की संख्या			0	0
आवासों की संख्या और पहली किस्त के रूप में भुगतान			0	0
आवासों की संख्या और दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान			0	0

*फरवरी 2009 तक

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

निधिः एल.एस.डी.एम. कामगार कल्याण निधि — वर्षः मार्च, 2009 — (अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपये में है)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अजमेर		इलाहाबाद		बंगलौर		बी.बी.एस.आर.		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	**स्वास्थ्य**										
	कार्ड जारी किए गए										
	खान प्रबंधन को सहायता अनुदान									20	2412
	जी.आई.ए. भुगतान प्राप्त औषधालयों की संख्या	8	1557	1	297						
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या	15		2		4					
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु के मामले										
	औषधालय/अस्पताल में रोगियों का उपचार किया गया	330794		6123		9701	97	16814		231	
	टी.बी. अस्पताल में भरे हुए बिस्तरों की औसत सं.										
	टी.बी.रोगियों का घर पर रहते हुए उपचार	1	5								
	कैंसर का उपचार	3	80			1	60				
	मानसिक रोगियों का उपचार										
	चश्मे की खरीद	311	82								

	कृष्ठ रोग का उपचार										
	प्रसूति हितलाभ	15	15					2	2		
	परिवार कल्याण आपरेशन										
	हृदय रोग का उपचार										
	गुर्दा रोग का उपचार										
	कृत्रिम अंग का प्रावधान							1	6		
	औषधि की खरीद		2367		73				167		
	एम्बुलेंस वैन की खरीद	1	300								
	विधवा/विधुर की पुत्रियों को विवाह खर्च										
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	3	5			6	9				
ख.	**शिक्षा**	3	9								
	छात्रवृत्ति अनुदान										
	पुस्तक/यूनिफार्म की आपूर्ति	4599	5212	508	700	726	1373	1400	1705	172	424
	पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद	4461	1115	135	34	132	33	596	149		
	स्कूल बस के लिए अनुदान										
ग.	**मनोरंजन**	1									
	सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप										
	परिवहन हेतु बस	9	143	3	12					12	76
	टी.वी. सेट	3	500								
	फिल्म दिखाया जाना										
	भ्रमण-सह अध्ययन दौरा	31	7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	डिश/टी.वी. ऐंटीना की आपूर्ति										
	बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना										
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना										
	अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार										
	खेलकूद की सामग्री की खरीद							40	17		
घ.	**जल आपूर्ति**										
	कुंआ खोदना										
	लघु खानों को सहायता		—								
	बड़े खानों को सहायता										
ङ.	**आवास**	2								2	3533
	I. एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)										
	क. वी.वाई.ओ.एच.एस.										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ	278	11120								
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	178	3560								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	278	3560								

आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या		
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ		
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि		
ग. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (इ.डब्ल्यू.एस.)	1	680
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या		
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ		
आवासों की संख्या जिसके लिए सम्पूर्ण राशि जारी की गई		
II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2005		
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.		
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आवासों घी संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि								11	220	
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि			2	40						
	ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ										
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										
	आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि										

निधिः एल.एस.डी.एम. कामगार कल्याण निधि वर्षः मार्च, 2009 (अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपये में है)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	जबलपुर		केरल		कोलकाता		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
क.	**स्वास्थ्य**										
	कार्ड जारी किए गए									0	0
	खान प्रबंधन को सहायता अनुदान			3	253			4	924	27	3589
	जी.आई.ए. भुगतान प्राप्त औषधालयों की संख्या					5	300			14	2154
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या					5				26	0
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु के मामले									0	0
	औषधालय/अस्पताल में रोगियों का उपचार किया गया	56093		7012	2417			2775	10	429543	2524
	टी.बी. अस्पताल में भरे हुए बिस्तरों की औसत सं.									0	0
	टी.बी. रोगियों का घर पर रहते हुए उपचार	2	8							3	13
	कैंसर का उपचार									4	140
	मानसिक रोगियों का उपचार									0	0
	चश्मे की खरीद									311	82
	कृष्ठ रोग का उपचार									0	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	प्रसूति हितलाभ									17	17
	परिवार कल्याण आपरेशन	1	1							1	1
	हृदय रोग का उपचार									0	0
	गुर्दा रोग का उपचार									0	0
	कृत्रिम अंग का प्रावधान									1	6
	औषधि की खरीद									0	2607
	एम्बुलेंस वैन की खरीद									1	300
	विधवा/विधुर की पुत्रियों को विवाह खर्च									0	0
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता									9	14
ख.	**शिक्षा**									3	9
	छात्रवृत्ति अनुदान										
	पुस्तक/यूनिफार्म की आपूर्ति	128	126			527	828	428	653	8488	11021
	पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद	486	122	125	31			118	30	6053	1514
	स्कूल बस के लिए अनुदान							1	4	1	4
ग.	**मनोरंजन**									1	0
	सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप										
	परिवहन हेतु बस							1	5	25	236
	टी.वी. सेट									3	500
	फिल्म दिखाया जाना					1	9			1	9
	भ्रमण-सह अध्ययन दौरा									31	7

डिश/टी.वी. ऐंटीना की आपूर्ति			0	0
बहुउद्देश्यीय संस्थान की स्थापना			0	0
कल्याम केन्द्रों की स्थापना			0	0
अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार			0	0
खेलकूद की सामग्री की खरीद			40	17
घ. **जल आपूर्ति**	1	7	1	7
कुंआ खोदना				
लघु खानों को सहायता			0	0
बड़े खानों को सहायता			0	0
ङ. **आवास**			4	3533
I. **एकीकृत आवास योजना (आई.एच.एस.)**				
क. वी.वाई.ओ.एच.एस.				
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या				
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ			278	11120
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि			178	3560
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि			278	3560
आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि			0	0

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)										
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	आवासों की संख्या तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि									0	0
	ग. आर्थिक्र रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना (इ.डब्ल्यू.एस.)									**1**	**680**
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										
	आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ									0	0
	आवासों की संख्या जिसके लिए सम्पूर्ण राशि जारी की गई									0	0
	II. संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर.आई.एच.एस.)-2005									0	0
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.									0	0
	मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या										

आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ	0	0
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	11	220
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	2	40
ख. सामूहिक आवास योजना (जी.एच.एस.)	0	0
मुख्यालय को भेजे गए आवास प्रस्तावों की संख्या		
आवासों की संख्या जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ	0	0
आवासों की संख्या तथा प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि	0	0

*फरवरी, 2009 तक

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

2008-2009

निधिः आई.ओ.एम.सी. कल्याण निधि

माहः मार्च, 2009 तक (अनंतिम)

(वित्तीय आंकड़े हजार रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	बंगलौर		बी.बी.एस.आर.		हैदराबाद		जबलपुर	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**स्वास्थ्य**								
	खान प्रबंधन को अनुदान सहायता								
	अनुदान सहायता प्राप्त औषधालयों की संख्या			17	1601				
	निरीक्षित औषधालयों की संख्या								
	जानलेवा दुर्घटना तथा मृत्यु के मामले			3	35				
	औषधालय/अस्पताल में उपचारित रेगी	25809	258	137257	2200	0		28904	
	तपेदिक अस्पताल में औसत बिस्तर धारिता								
	तपेदिक रोगियों का घरेलू उपचार								
	कैंसर उपचार	1	42						
	मनोरोग उपचार								
	चश्मों की खरीद								
	कृष्ठ उपचार								
	प्रसूति हित लाभ			1	1				
	परिवार कल्याण आपरेशन							2	1

हृदय रोग उपचार	7	631						
गुर्दा रोग उपचार								
कृत्रिम अंगों का प्रावधान								
दवा की खरीद			784					
एम्बुलेंस गाड़ी की खरीद								
विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह व्यय							1	5
अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता							4	6
ख. शिक्षा								
छात्रवृत्ति प्रदान करना	1170	1408	6045	6600			2473	2833
पुस्तक/यूनीफार्म की आपूर्ति	669	167	3800	950			1115	279
पुस्तकालयों को अनुदान								
ग. मनोरंजन								
सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप			3	54	3	6	12	174
परिवहन हेतु बस								
टी.वी. सैट								
फिल्मों का प्रदर्शन			4	39				
भ्रमण-सह अध्ययन दौरे								
डिस/टी.वी. एंटीना की आपूर्ति								
बहु-प्रयोजनीय संस्थान की स्थापना								
कल्याण केन्द्रों की स्थापना								
होली डे होम जाने वाले श्रमिक			206	64				
खेल-कूद सामग्री की खरीद							6	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
घ.	**जलापूर्ति**								
	कुओं की खुदाई								
	छोटे खानों को सहायता			2	760				
	बड़े खानों को सहायता								
ङ.	**आवास**								
	I. एकीकृत आवास योजना								
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								
	ख. समूह आवास योजना								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि								

आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि		
ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या		
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या		
आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गयी		
II. **संशोधित एकीकृत आवास योजना-2005**		
क. बी.वाई.ओ.एच.एस.		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	137	
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	106	2110
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	106	2110
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि		
ख. समूह आवास योजना		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या		
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या		
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि		
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि		
ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना-2007		
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								
	टाइप-I स्कीम								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								
	टाइप-II स्कीम								
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या								
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या								
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि								
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि								

2008-2009

निधिः आई.ओ.एम.सी. कल्याण निधि

माहः मार्च, 2009 तक (अनंतिम)

(वित्तीय आंकड़े हजार रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	कर्मा		नागपुर		कुल	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	11	12	13	14	15	16
क.	**स्वास्थ्य**						
	खान प्रबंधन को अनुदान सहायता			12	1500	12	1500
	अनुदान सहायता प्राप्त औषधालयों की संख्या	5	877			22	2478
	जानलेवा दुर्घटना तथा मृत्यु के मामले			12		12	0
	जानलेवा दुर्घटना तथा मृत्यु के मामले			2	21	5	56
	औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	12133				204103	2458
	तपेदिक अस्पताल में औसत बिस्तर धारिता					0	0
	तपेदिक रोगियों का घरेलू उपचार					0	0
	कैंसर उपचार					1	42
	मनोरोग उपचार					0	0
	चश्मों की खरीद					0	0
	कुष्ठ उपचार					0	0
	प्रसूति हित लाभ					1	1
	परिवार कल्याण आपरेशन					2	1
	हृदय रोग उपचार					7	631

1	2	11	12	13	14	15	16
	गुर्दा रोग उपचार					0	0
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
	दवा की खरीद					0	784
	एम्बुलेंस गाड़ी की खरीद					0	0
	विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह व्यय					1	5
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता					4	6
ख.	**शिक्षा**						
	छात्रवृत्ति प्रदान करना	1422	1817	3326	4229	14436	16887
	पुस्तक/यूनीफार्म की आपूर्ति	490	123	1456	364	7530	1883
	पुस्तकालयों को अनुदान			1	4	1	4
ग.	**मनोरंजन**						
	सामाजिक खेल-कूद क्रियाकलाप					18	234
	परिवहन हेतु बस			1	5	1	5
	टी.वी. सैट					0	0
	फिल्मों का प्रदर्शन					4	39
	भ्रमण-सह अध्ययन दौरे					0	0
	डिस/टी.वी. एंटीना की आपूर्ति					0	0
	बहु-प्रयोजनीय संस्थान की स्थापना					0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना					0	0
	होली डे होम जाने वाले श्रमिक					206	64

	खेल-कूद सामग्री की खरीद	1	10	7	65
घ.	**जलापूर्ति**				
	कुओं की खुदाई			0	0
	छोटे खानों को सहायता			2	760
	बड़े खानों को सहायता			0	0
ङ.	**आवास**				
	I. **एकीकृत आवास योजना**				
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.				
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या			0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या			0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि			0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि			0	0
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि			0	0
	ख. समूह आवास योजना				
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या			0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या			0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि			0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि			0	0

1	2	11	12	13	14	15	16
	आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना						
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या जिनके लिए पूरी राशि जारी की गयी					0	0
	II. संशोधित एकीकृत आवास योजना-2005					0	0
	क. बी.वाई.ओ.एच.एस.					0	0
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					137	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					106	2110
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					106	2110
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	ख. समूह आवास योजना					0	0
	मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या					0	0
	संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या					0	0
	आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि					0	0
	आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि					0	0

ग. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग योजना-2007	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
टाइप-I स्कीम	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
टाइप-II स्कीम	0	0
मुख्यालय को प्रेषित आवास प्रस्तावों की संख्या	0	0
संस्वीकृति प्राप्त आवासों की संख्या	0	0
आवासों की संख्या तथा पहली किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	0	0
आवासों की संख्या तथा तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में जारी राशि	0	0

*फरवरी 2009 तक

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2008-2009

निधि: अभ्रक खान

माह: मार्च, 2009 तक

(अनंतिम)

(वित्त, हजार रुपये)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	अजमेर		हैदराबाद		कर्मा		योग	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**स्वास्थ्य**								
	खान प्रबंधन को सहायता अनुदान							0	0
	जी.आई.ए. भुगतान किए गए औषधालयों की संख्या							0	0
	निरीक्षण किए गए औषधालयों की संख्या							0	0
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु मामले							0	0
	औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगी	6562		0	0	30839	6720	37401	6720
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग							0	0
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार							0	0
	कैंसर का उपचार							0	0
	मानसिक रोगों का उपचार							0	0
	चश्मों की खरीद							0	0
	कुष्ठ रोग का उपचार							0	0

प्रसूति प्रसुविधा					0	0
परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं					0	0
हृदय रोग का उपचार					0	0
किडनी रोग का उपचार					0	0
कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
दवाई की खरीद		253			0	253
एम्बुलेंस वैन की प्राप्ति					0	0
विधवा/विधुर की पुत्री को विवाह खर्च					0	0
अंत्येष्टि खर्च					0	0
ख. **शिक्षा**						
छात्रवृत्ति अनुदान	5	3	17	29	22	32
पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति			5	1	5	1
पुस्तकालयों हेतु अनुदान					0	0
ग. **मनोरंजन**					0	0
सामाजिक खेलकूद क्रियाकलाप					0	0
परिवहन हेतु बस					0	0
टी.वी. सैट					0	0
फिल्मों की प्रदर्शनी					0	0
भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे					0	0
डिश/टी.वी. एंटीना की आपूर्ति					0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बहुउद्देशीय उपकरणों की स्थापना							0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना							0	0
	होलिडे होम्स की यात्रा करने वाले कामगार							0	0
घ.	**जल आपूर्ति**								
	कुएं खोदना							0	0
	छोटी खानों को सहायता							0	0
	बड़ी खानों को सहायता								

विस्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

2008-2009

निधिः सिने निधि

माहः मार्च, 2009 तक

(अनंतिम)

(वित्त, हजार रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	अजमेर		बैंगलोर		भुवनेश्वर		हैदराबाद	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जारी किये गये पहचान पत्रों की संख्या	1474		114		365		13749	
क.	**सामूहिक बीमा योजना**								
	जी.आई.एस. के अंतर्गत कामगार					289			
	एल.आई.सी. को भेजे गये मामले								
	निपटाये गये मामले एवं अदा की गई राशि								
	रद्द किये गये मामले								
	एल.आई.सी. के पास शेष मामले			12	120				
	एल.आई.सी. को भुगतान किया गया प्रीमियम								
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु मामले								
	औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगी			5117	51	331		40033	302
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग								
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कैंसर का उपचार			1	61			2	89
	मानसिक रोगों का उपचार								
	चश्मों की खरीद							3	1
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान								
	प्रसूति प्रसुविधा योजना							1	1
	परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं								
	ह्रदय रोग का उपचार			13	287	1	12	4	440
	किडनी रोग का उपचार			5	95	1	6	1	162
	छोटी बीमारियां								
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान								
	दवाई की खरीद		38				100		
	एम्बुलेंस वैन की प्राप्ति								
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता			4	7				
ख.	**शिक्षा**								
	छात्रवृत्ति अनुदान	30	37	760	1261	36	54	239	410
	पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति	8	2	103	26	18	5		
	पुस्तकालयों हेतु अनुदान								

2008-2009

निधि: सिने निधि

माह: मार्च, 2009 तक

(अनंतिम)

(वित्त, हजार रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	कोलकाता		नागपुर		योग	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	11	12	13	14	15	16
	जारी किये गये पहचान पत्रों की संख्या	2126		15418		33246	0
क.	**सामूहिक बीमा योजना**					0	0
	जी.आई.एस. के अंतर्गत कामगार	1100				1389	0
	एल.आई.सी. को भेजे गये मामले			9	90	9	90
	निपटाये गये मामले एवं अदा की गई राशि					0	0
	रद्द किये गये मामले					0	0
	एल.आई.सी. के पास शेष मामले			9	90	21	210
	एल.आई.सी. को भुगतान किया गया प्रीमियम					0	0
	घातक दुर्घटना एवं मृत्यु मामले					0	0
	औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगी	16876	142	6332	124	68689	619
	टी.बी. अस्पताल में औसत बिस्तर उपयोग					0	0
	टी.बी. रोगियों का निवास पर उपचार					0	0
	कैंसर का उपचार	2	12	3	102	8	264

1	2	11	12	13	14	15	16
	मानसिक रोगों का उपचार					0	0
	चश्मों की खरीद	5	2			8	3
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
	प्रसूति प्रसुविधा योजना	2	2			3	3
	परिवार कल्याण शल्यक्रियाएं					0	0
	हृदय रोग का उपचार	2	7	1	77	21	823
	किडनी रोग का उपचार			1	27	1	290
	छोटी बीमारियां			2	60	2	60
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान					0	0
	दवाई की खरीद		142			0	280
	एम्बुलेंस वैन की प्राप्ति					0	0
	अंत्येष्टि हेतु वित्तीय सहायता	2	3	1	2	7	12
ख.	**शिक्षा**						
	छात्रवृत्ति अनुदान	233	450	579	928	1877	3140
	पुस्तक/वेश-भूषा की आपूर्ति			88	22	217	55
	पुस्तकालयों हेतु अनुदान					0	0

*फरवरी, 2009 तक

विवरण-III

श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय

(हजार रुपये में)

निधि	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	06-09 तक व्यय
बीड़ी	1365000	1351120	2366100	2232305	2353900	2281466	2325800	282917
चूना पत्थर डोलोमाइट	99400	77561	114200	82032	140700	101012	165700	17549
लौ.अ.मै.अ.	133500	86355	129000	85047	129500	109366	161400	17073
अभ्रक	14000	11616	15100	12156	16700	18648	25600	4351
सिनेमा	10300	8913	13500	9679	14500	12467	20300	2105
कुल	1622200	1535565	2637900	2421219	2655300	2522959	2698800	323995

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	योजना		गैर-योजना	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2006-07	9.14	9.28	21.21	20.52
2007-08	9.30	9.12	24.21	24.22
2008-09	9.50	9.71	27.00	27.05

विवरण-IV

चूना पत्थर डोलोमाइट/लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोम/अभ्रक खानों और खान क्षेत्रों में लगे कामगारों की संख्या के बारे में आंकड़े

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य का नाम	चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में लगे कामगारों की संख्या	लौह अयस्क खानों, मैग्नीज अयस्क खानों तथा क्रोम अयस्क खानों में लगे कामगारों की संख्या	अभ्रक खानों में लगे कामगारों की संख्या	खान कामगारों की कुल संख्या	सिनेमा क्षेत्र में लगे कामगारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नागपुर	महाराष्ट्र	1083	4267	0	5350	22500
		गोवा	0	3000	0	3000	0
2.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	9000	800	0	9800	0
		छत्तीसगढ	1060	10050	0	11110	0
3.	कोलकाता	असम	562	0	0	562	0
		मेघालय	293	0	0	293	0
		नागालैण्ड	378	0	0	378	0
		पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	2064
4.	अजमेर	गुजरात	30000	0	0	30000	2000
		राजस्थान	70586	0	87	70673	0
5.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	4500	40000	0	44500	328
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	2500	1100	300	3900	15500

		तमिलनाडु	1600	0	0	1600	13106
7.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	74	0	0	0	0
		उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0
		मध्य प्रदेश	1249	0	0	0	0
		जम्मू और कश्मीर	61	0	0	0	0
8.	बंगलौर	कर्णाटक	1918	8111	0	10029	2445
		केरल	210	0	0	210	1030
9.	कर्मा	बिहार	123	0	95	218	0
		झारखण्ड	965	6027	47	7039	0
	कुल		126162	73355	529	198662	58973

अनुमानित बीड़ी कामगारों की संख्या

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य	कामगारों की संख्या
1	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	473599
		तमिलनाडु	625000
2.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1414130
		असम	7725
		त्रिपुरा	9946
3.	नागपुर	महाराष्ट्र	256000
4.	अजमेर	राजस्थान	38600
		गुजरात	50000
5.	कर्मा	झारखण्ड	152000
		बिहार	295000
6.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	450000
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1085797
		छत्तीसगढ़	22529
8.	बंगलौर	कर्नाटक	261650
		केरल	96329
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	300000
		कुल	5538305

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

3174. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) उनके कल्याण तथा पुनर्वास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम पेंशन लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या के संबंध में आंकड़े विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के

लिए पुनर्वास महानिदेशालय और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण और स्व-रोजगार योजनाएं मुहैया कराई गई हैं जिनके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 15 वर्ष से कम की सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम पेंशन संबंधी लाभ दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार राज्यवार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	भूतपूर्व सैनिक			
		सेना	वायुसेना	नौसेना	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	58703	10522	4479	73704
2.	अरुणाचल प्रदेश	284	0	0	284
3.	असम	30219	2184	872	33275
4.	बिहार	64972	3075	1458	69505
5.	छत्तीसगढ़	4209	272	156	4637
6.	गोवा	1118	204	646	1968
7.	गुजरात	16615	3818	607	21040
8.	हरियाणा	215075	10432	8781	234288
9.	हिमाचल प्रदेश	95905	1989	3163	101057
10.	जम्मू और कश्मीर	65254	601	458	66313
11.	झारखंड	17064	1084	843	18991
12.	कर्नाटक	53834	9167	2094	65095
13.	केरल	123380	20185	11048	154613
14.	मध्य प्रदेश	35630	1548	1057	38235
15.	महाराष्ट्र	132381	11239	13362	156982
16.	मणिपुर	6225	74	33	6332
17.	मेघालय	2072	78	54	2204
18.	मिजोरम	4642	20	20	4682
19.	नागालैंड	2560	8	17	2585

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	23629	4435	2085	30149
21.	पंजाब	266238	9837	5103	281178
22.	राजस्थान	136664	6453	3554	146671
23.	सिक्किम	1094	1	8	1103
24.	तमिलनाडु	105429	10886	3248	119563
25.	त्रिपुरा	2107	101	51	2259
26.	उत्तराखंड	222314	19143	10533	251990
27.	उत्तर प्रदेश	111922	2028	2088	116038
28.	पश्चिम बंगाल	47657	9588	3512	60757
29.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र	435	103	140	678
30.	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	6047	2399	340	8786
31.	दिल्ली	28294	6214	2709	37217
32.	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	1272	327	89	1688
	जोड़	1883244	148015	82608	2113867

टिप्पण: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर राज्यों के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

प्रशिक्षण

भूतपूर्व सैनिको को सिविलियन जीवन के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। पुनर्वास महानिदेशालय को भूतपूर्व-सैनिकों और सेवानिवृत्त होने वाले सेना कार्मिकों दोनों को द्वितीय जीविका हेतु तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को भारतीय प्रबन्धन संस्थान और देश-भर के विभिन्न अन्य संस्थानों में पुनर्वास प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. भूतपूर्व अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्व-रोजगार योजनाएं चलाई जाती हैं:

(i) सुरक्षा एजेन्सियां;

(ii) अधिशेष सेना वाहनों का आबंटन;

(iii) कोयला परिवहन योजना;

(iv) कोयला टिप्पर योजना;

(v) तेल उत्पादन एजेन्सियों का आबंटन;

(vi) बी.पी.सी.एल. घर आउटलेटों का आबंटन;

(vii) मदर डेयरी दुग्ध और फल तथा सब्जियों की दुकानें;

(viii) एन.सी.आर. में भूतपूर्व सैनिक अफसरों द्वारा सी.एन.जी. स्टेशन का प्रबन्धन;

(ix) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत टोल प्लाजा का प्रबन्धन;

(x) किडजी फ्रेन्चाइजी।

3. निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:

(i) गम्भीर बीमारियों का उपचार;

(ii) अधरांगघात से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों के लिए संशोधित स्कूटरों की आपूर्ति;

(iii) भूतपूर्व सैनिक/तकनीशियनों के लिए टूल किटें;

(iv) जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को घरों की मरम्मत, पुत्रियों की शादी, बच्चों की शिक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता;

(v) प्रधान मंत्री मैरिट छात्रवृत्ति योजना;

(vi) अधरांगघात पुनर्वास केन्द्रों, चेशायर गृह और सेन्ट डस्टन देखभाल संगठन और युद्ध स्मारक हॉस्टलों के अनुरक्षण के लिए निधियां।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्नलिखित लाभ भी उपलब्ध हैं:-

(i) युद्ध विधवाओं/युद्ध निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट;

(ii) रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए चिकित्सा/दन्त चिकित्सा स्नातक सीटों का आबंटन;

(iii) भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों और व्यावसायिक कालेजों में आरक्षण;

(iv) आवास स्थलों/फ्लेटों के आबंटन में आरक्षण;

(v) वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए नकद प्रोत्साहन;

(vi) युद्ध विधवाओं को अनुग्रह अनुदान;

(vii) कानूनी सहायता और न्यायालय शुल्क में छूट;

(viii) वीरता पुरस्कार विजेताओं, स्थाई रूप से निःशक्त अफसरों और युद्ध विधवाओं को रेल और हवाई किराए में रियायत;

(ix) केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक और अर्ध-सैन्य बलों में समूह 'ग' और 'घ' पदों में 10 से 24.5% आरक्षण।

उपर्युक्त लाभों के साथ ही उन भूतपूर्व पेंशनभोगी सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना से 100% स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराई जाती है जो इस योजना के सदस्य हैं।

नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी

3175. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान नियंत्रण रेखा (भारत-पाकिस्तान सीमा) पर युद्ध विराम के उल्लंघन में कितनी बार गोलाबारी हुई;

(ख) उक्त घटनाओं के दौरान राज्य-वार कितने जानमाल का नुकसान हुआ;

(ग) प्रत्येक प्रभावित परिवारों को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया;

(घ) गोलाबारी के दौरान घुसपैठ की कितनी कोशिशें हुईं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जम्मू-कश्मीर में 2006 से नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की घटनाओं समेत युद्ध-विराम उल्लंघन के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	युद्ध-विराम उल्लंघनों की संख्या
(i)	2006	03
(ii)	2007	21
(iii)	2008	77
(iv)	2009	09 (आज तक)
	जोड़	110*

*इसमें नियंत्रण रेखा के पार से गोलाबारी की 47 घटनाएं शामिल हैं।

(ख) इस गोलाबारी में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। तथापि, हमारी अपनी सैन्य टुकड़ियों में नौ घातक तथा 25 अघातक घटनाएं हुई हैं।

(ग) दिवंगत कार्मिक के निकटतम संबंधी को निम्नलिखित पेंशन हकदारी प्रदान की जाती है:-

(i) **उदारीकृत परिवार पेंशन:** दिवंगत कार्मिक द्वारा आहरित अंतिम संगणित परिलब्धियों के बराबर।

(ii) **मृत्यु उपदान:** अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। अन्य ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	सेवावधि	मृत्यु उपदान की राशि
(i)	1 वर्ष से कम	मासिक वेतन का दोगुना
(ii)	1 से 5 वर्ष	मासिक वेतन का 6 गुना
(iii)	5 से 20 वर्ष	मासिक वेतन का 12 गुना
(iv)	20 वर्ष से अधिक	प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए एक माह का वेतन

(iii) **अनुग्रह राशि:** 01-01-2006 से, सशस्त्र बलों के कार्मिकों के हताहत होने पर जो नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी के दौरान दिवंगत हो जाते हैं, के निकटतम संबंधी को 15 लाख रुपए की अनुग्रह प्रतिपूर्ति राशि स्वीकार्य है।

(घ) गोलाबारी के दौरान किसी घुसपैठ के प्रयास की पुष्टि होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) नियंत्रण रेखा पर तैनात अपने सैन्य बलों द्वारा समुचित उपाय किए गए हैं ताकि उसका उल्लंघन न किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। नियंत्रण रेखा के उल्लंघन में वृद्धि रोकने के लिए पर्याप्त रोकथाम करते हुए उल्लंघन के किसी प्रयास के विरुद्ध कड़ी प्रतिकारात्मक कार्रवाई की जाती है।

नए डाक सर्किल और डिवीजन

3176. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए डाक सर्किलों तथा डाक डिवीजनों की राज्य-वार किन स्थानों पर स्थापना की गई;

(ख) क्या सरकार का देश में डाक तथा दूरसंचार सर्किलों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित प्रत्येक राज्य के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, और चालू वित्तीय वर्ष में देश में कोई भी नए डाक सर्किल या डाक डिवीजन स्थापित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग)

(1) डाक विभाग

जी, हां। डाक विभाग ने डाकघरों के बाहरी और अंदरूनी डिजाइन को आधुनिक बनाकर, उनकी अवसंरचना का उन्नयन करके, तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं एवं प्रक्रियाओं सहित प्रमुख प्रचालनों को संवर्धित करके, डाकघरों को एक नया रूप देने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट ऐरो' लांच किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रोजेक्ट ऐरो को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया है। वार्षिक योजना 2008-2009 के दौरान चरण-I के अंतर्गत 12 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से देशभर के 50 डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया था। दूसरे चरण में 74 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से राजस्थान सहित देशभर के 450 डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया। वार्षिक योजना 2009-2010 के दौरान प्रोजेक्ट ऐरो को राजस्थान सहित देशभर के 500 और डाकघरों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय 65 करोड़ रु. है। तीनों चरणों के अंतर्गत कवर किए गए डाकघरों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इस परियोजना के लिए चालू वर्ष का वित्तीय परिव्यय 65 करोड़ रु. है। राज्यवार आंकड़े विवरण-II में दिए गए हैं।

(2) दूरसंचार विभाग

(i) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

(ख) एवं (ग) चालू पंचवर्षीय योजना (2007-12) में लैंडलाइन डब्ल्यू.एल.एल., जी.एस.एम., ऑप्टिकल फाइबर बिछाने तथा टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्षवार निर्धारित लक्ष्य विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 2009-10 के दौरान दिल्ली एवं मुम्बई के लिए वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ii) भारत संचार निगम लिमिटेड

(ख) एवं (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन एवं ब्रॉडबैंड ग्राहकों के बढ़ने की परिकल्पना की है। इसका ब्यौरा विवरण-V और VI पर दिया गया है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, दूरसंचार सर्किलों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए 14015 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान सर्किल सहित राज्यवार ब्यौरा विवरण-VII में दिया गया है।

विवरण-I

प्रोजेक्ट एरो के तहत आधुनिकीकृत किए गए डाकघरों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	आधुनिकीकृत किए गए डाकघरों की संख्या		
		चरण-I (2008-09)	चरण-II (2008-09)	चरण-III (2009-10)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	44	19
2.	असम	0	0	23
3.	बिहार	0	15	23
4.	छत्तीसगढ़	0	0	18
5.	दिल्ली	0	0	36
6.	गुजरात	0	10	21
7.	हरियाणा	0	0	20
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	14
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	11
10.	झारखंड	4	27	10
11.	कर्नाटक	0	0	30
12.	केरल	0	0	25
13.	मध्य प्रदेश	6	77	30

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	5	48	34
15.	पूर्वोत्तर	2	11	13
16.	उड़ीसा	5	35	21
17.	पंजाब	0	0	25
18.	राजस्थान	5	48	37
19.	तमिलनाडु	9	67	27
20.	उत्तराखंड	4	23	07
21.	उत्तर प्रदेश	5	45	28
22.	पश्चिम बंगाल	0	0	28
	कुल	50	450	500

विवरण-II

चालू वर्ष (2009-10) में प्रोजेक्ट ऐरो चरण-III के वित्तीय परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या	निर्धारित फंड (हजार रुपए में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	19	29000
2.	असम	23	35000
3.	बिहार	23	27000
4.	छत्तीसगढ़	18	20500
5.	दिल्ली	36	44000
6.	गुजरात	21	27500
7.	हरियाणा	20	29500
8.	हिमाचल प्रदेश	14	22000
9.	जम्मू और कश्मीर	11	15500
10.	झारखंड	10	9500

1	2	3	4
11.	कर्नाटक	30	45000
12.	केरल	25	40000
13.	मध्य प्रदेश	30	34000
14.	महाराष्ट्र	34	37000
15.	पूर्वोत्तर	13	16500
16.	उड़ीसा	21	27500
17.	पंजाब	25	32500
18.	राजस्थान	37	31500
19.	तमिलनाडु	27	41000
20.	उत्तराखंड	07	4500
21.	उत्तर प्रदेश	28	39000
22.	पश्चिमी बंगाल	28	42000
	कुल	500	650000

विवरण-III

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

चालू पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान लैंडलाइन, डब्ल्यू.एल.एल., जी.एस.एम., ऑप्टिकल फाइबर बिछाने एवं टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

मद	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल
	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई	
लैंडलाइन*	0	0	0	0	250000	250000	0	0	250000	250000	1000000
डब्ल्यू.एल.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	400000
जी.एस.एम.	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
ओप्टिकल फाइबर केबल फाइबर किमी. में	30000	30000	40000	40000	60000	60000	80000	80000	100000	100000	620000
टेलीफोन कनेक्शन**	350000	350000	475000	475000	500000	500000	-	-	-	-	-

* लैंड लाइन के लक्ष्यों में मांग के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

** टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लक्ष्यों को वार्षिक योजना से लिया गया है।

विवरण-IV

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मद	बजट अनुमान (09-10)		
		दिल्ली	मुंबई	कुल
1.	मौजूदा एवं नए इलाकों में स्विचिंग (टी.ए.एक्स./टैंडेम/एन.जी.एन. सहित) एवं अभिगम लाइनें (सी.डी.एम.ए./डब्ल्यू.एल.एल. हैंडसेट, जी.एस.एम. सहित)	677.71	677.71	1355.42
2.	आई.टी. संबंधित सेवाएं	34.8	34.8	69.60
3.	राष्ट्रीय एवं विदेशी अधिग्रहण क्षेत्रों में नई सेवाओं का विस्तार	150	150	300
	कुल	862.51	862.51	1725.02

विवरण-V

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए टेलीफोन एवं ब्रॉड बैंड ग्राहकों की वृद्धि

भारत संचार निगम लिमिटेड

(संख्या मिलियन में)

वर्ष	वायर लाइन	डब्ल्यू.एल.एल.	सी.एम.टी.एस.	कुल लाइनें	ब्रॉड बैंड
2007-08	0.50	1.00	8.50	10.00	1.0
2008-09	0.40	2.00	20.00	22.40	3.0
2009-10	0.30	2.00	22.00	24.30	2.5
2010-11	0.20	3.00	25.00	28.20	2.0
2011-12	0.10	3.00	27.00	30.10	1.0
कुल	1.50	11.00	102.50	115.00	10.00

विवरण-VI

सर्किलवार लक्ष्य

क्र. सं.	सर्किलों/मैट्रो शहरों का नाम	2007-08			2008-09			2009-10	
		फिक्स्ड फोन (वायर-लाइन+ डब्ल्यू. एल.एल.)	मोबाइल फोन	ब्रोडबैंड कनैक्शन	फिक्स्ड फोन (वायर-लाइन+ डब्ल्यू. एल.एल.)	मोबाइल फोन	ब्रोडबैंड कनैक्शन	मोबाइल फोन	ब्रोडबैंड कनैक्शन
1.	अंडमान एवं निकोबार	3,486	12381	476	5,900	29,000	1,000	33,000	1,000
2.	आन्ध्र प्रदेश	93,305	565714	80,286	-57,700	1,067,000	174,000	1,455,000	205,000
3.	असम	34,467	231429	17,905	7,700	145,000	21,000	234,000	21,000
4.	बिहार	65,619	257143	30,095	30,400	433,000	21,000	1,056,000	63,000
5.	छत्तीसगढ़	34,933	257143	16,095	23,200	263,000	18,000	327,000	11,000
6.	गुजरात	87,914	411429	75,333	-42,600	800,000	120,000	1,134,000	173,000
7.	हरियाणा	34,724	360000	23,048	-6,900	283,000	41,000	564,000	44,000
8.	हिमाचल प्रदेश	30,381	180000	6,952	18,900	97,000	17,000	153,000	22,000
9.	जम्मू और कश्मीर	29,781	205714	12,381	10,300	88,000	13,000	192,000	18,000
10.	झारखंड	24,238	205714	22,571	47,700	233,000	25,000	405,000	35,000
11.	कर्नाटक	89,514	513333	121,714	1,800	833,000	165,000	1,170,000	141,000
12.	केरल	179,190	436190	52,381	48,700	550,000	113,000	582,000	127,000
13.	मध्य प्रदेश	109,429	411429	49,238	47,400	488,000	50,000	690,000	104,000

14.	महाराष्ट्र	135,448	719048	89,048	-107,500	1,166,000	127,000	1,644,000	240,000
15.	पूर्वोत्तर-II	16,019	77143	7,143	25,200	43,000	5,000	84,000	14,000
16.	पूर्वोत्तर-I	14,952	77143	6,476	24,500	53,000	3,000	102,000	7,000
17.	उड़ीसा	46,219	205714	24,476	39,100	252,000	23,000	438,000	34,000
18.	पंजाब	38,505	565714	41,905	-35,900	500,000	68,000	651,000	159,000
19.	राजस्थान	72,333	616190	45,714	16,400	800,000	78,000	1,422,000	134,000
20.	तमिलनाडु	133,638	488571	48,857	-29,500	1,067,000	100,000	1,452,000	226,000
21.	उत्तराखंड	21,829	102857	11,619	29,000	200,000	17,000	285,000	23,000
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	84,324	513333	48,286	18,200	833,000	81,000	1,719,000	106,000
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	43,390	308571	31,333	9,900	467,000	42,000	630.000	49,000
24.	पश्चिम बंगाल	79,124	308571	16,762	58,100	548,000	26,000	816,000	85,000
25.	कोलकाता टीडी	36,857	205714	82,476	10,100	412,000	71,000	528,000	212,000
26.	चेन्नै टीडी	32,762	192381	85,048	7,600	350,000	80,000	234,000	246,000
	कुल	1,572,381	8,428,571	1,047,619	200,000	12,000,000	1,500,000	18,000,000	2,500,000

विवरण-VII

वर्ष 2009-10 के दौरान दूरसंचार सर्किलों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्धारित निधि
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	18.04
2.	आन्ध्र प्रदेश	1080.17
3.	असम	197.79
4.	बिहार	361.39
5.	छत्तीसगढ़	247.17
6.	गुजरात	515.16
7.	हरियाणा	207.36
8.	हिमाचल प्रदेश	127.56
9.	जम्मू और कश्मीर	145.10
10.	झारखंड	231.55
11.	कर्नाटक	1234.59
12.	केरल	703.77
13.	मध्य प्रदेश	486.43
14.	महाराष्ट्र	797.07
15.	पूर्वोत्तर राज्य	203.72
16.	उड़ीसा	336.57
17.	पंजाब	678.17
18.	राजस्थान	478.00
19.	तमिलनाडु	1039.42
20.	उत्तर प्रदेश	910.66
21.	उत्तरांचल	139.73
22.	पश्चिमी बंगाल	720.75
23.	अन्य #	3154.83
	कुल	14015.00

अन्य में प्रोजेक्ट सर्किल, मेंटेनेंस क्षेत्र, प्रशिक्षण केंद्र, दूरसंचार स्टोर एवं फैक्ट्रियां आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा का समेकन

3177. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) का विचार वर्तमान सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से उच्च शिक्षा संस्थानों का समेकन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में ऐसी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार संवितरित वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्य-स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण

3178. श्री आनंदराव अडसुलः

श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कार्य-स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य वर्ष (2008-09) के दौरान कामगारों हेतु वर्धित सुरक्षापायों के लिए लिये गए निर्णयों का क्रियान्वयन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन निर्णयों को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) राष्ट्रीय नीति में संकल्पित विभिन्न क्रियाकलापों को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं तथा सेमिनारों की योजना बनाई जाती है।

(ग) और (घ) 28 अप्रैल, 2008 को आयोजित उद्घाटन सेमिनार में तेईस संकल्प अंगीकार किए गए थे। इन संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। इस दिशा में एक प्रमुख उपलब्धि सरकार द्वारा 20-02-2009 को कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा थी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री कपिल सिब्बल।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदया, मैं वर्ष 2009-2010 के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 512/15/09]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 513/15/09]

(2) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आई.एम.यू./ई.सी./ई.एक्स.ई.पी./2009, जो 12 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (i) शैक्षणिक मामलों को प्रशासित करने वाले अध्यादेश (ii) प्रशासनिक मामलों को प्रशासित करने वाले अध्यादेश के बारे में भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय का पहला अध्यादेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 514/15/09]

(3) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 515/15/09]

(5) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 516/15/09]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 517/15/09]

(2) सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2007 को घोषित राष्ट्रीय अभिकल्पना नीति के अनुसरण में जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 593 (अ), जो 2 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अध्यक्ष, सदस्यों, नामनिर्दिष्ट सदस्यों तथा सदस्य-सचिव वाली एक भारतीय अभिकल्पना परिषद का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 518/15/09]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 519/15/09]

(3) (एक) यू.टी. चंडीगढ (सर्व शिक्षा अभियान), चंडीगढ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) यू.टी. चंडीगढ (सर्व शिक्षा अभियान), चंडीगढ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 520/15/09]

(5) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अंतर्गत वास्तुविद परिषद (संशोधन) नियम, 2009 जो 1 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 521/15/09]

(6) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 522/15/09]

(8) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 523/15/09]

(10) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 524/15/09]

(12) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 525/15/09]

(14) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 526/15/09]

(16) (एक) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 527/15/09]

(18) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 528/15/09]

(20) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 529/15/09]

(22) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, लोंगोवाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, लोंगोवाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 530/15/09]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): महोदया, मैं सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) सशस्त्र बल अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2009 जो 18 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 07(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सशस्त्र बल अधिकरण (पद्धति) नियम, 2009 जो 14 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 6(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 531/15/09]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 532/15/09]

(2) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 533/15/09]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटर पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2000-2010 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 534/15/09]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2009 जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 535/15/09]

(3) सा.का.नि. 451(अ) जो 29 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) में शुद्धि की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 536/15/09]

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

'रक्षा और संबद्ध सेवाओं में विवादित आवास परियोजना की स्थिति' तथा 'सशस्त्र बलों में तनाव प्रबंधन' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 30वें और 31वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदया, मैं आपकी अनुमति से, लोक सभा मे माननीय अध्यक्ष के 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II में समाविष्ट निर्देशों के अनुपालन में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के क्रमशः 30वें और 31वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का 30वां प्रतिवेदन 'रक्षा और अनुषंगी सेवाओं में परिवार आवास की स्थिति' और 31वां प्रतिवेदन 'सशस्त्र सेनाओं में नाव प्रबंधन' से सम्बद्ध है। ये दोनों प्रतिवेदन लोक सभा में 21-10-2008 को प्रस्तुत किए गए थे।

30वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 20 जनवरी, 2009 को भेजे गए थे। 31वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 4 मार्च, 2009 को भेजे गए थे।

समिति द्वारा 30वें और 31वें प्रतिवेदनों में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई है जोकि सभा-पटल पर रख दिया गया है। अनुबंधों की सारी विषय-वस्तु पढ़कर मैं सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.03 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): महोदया, अपने साथी श्री एम. वीरप्पा मोइली की ओर से मैं, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से सभाओं की संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें कुल पन्द्रह सदस्य होंगे जिनमें से दस इस सभा से और पांच राज्य सभा से होंगे जिनका निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्य अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करेंगे:-

कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" के (उनसे भिन्न जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा की

---

*सभापटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 537/15/09

[श्री बी.के. हान्डिक]

गई थी जिसे संसद (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 में निर्देशित किया गया था) और ऐसी सभी 'समितियों' के, जिनका इसके बाद गठन किया जाएगा और जिनकी सदस्यता किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित कर सकती है, गठन और स्वरूप की जांच करना;

(दो) संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई "समितियों" के संबंध में यह सफारिश करना कि किन पदों को निरर्हताकारी होना चाहिए और किन पदों को निरर्हताकारी नहीं होना चाहिए;

(तीन) समय-समय पर संसद (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की जांच करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की, चाहे वह परिवर्धन द्वारा, लोप द्वारा या अन्यथा हो, सिफारिश करना।

कि संयुक्त समिति उपर्युक्त सभी या किन्हीं बातों के बारे में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर रिपोर्ट देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद-धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेद और रूपांतरणों के साथ, जैसे अध्यक्ष नियत करे, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सभा को उन सदस्यों के नाम प्रेषित करे जिन्हें राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किया जाये।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से सभाओं की संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें कुल पन्द्रह सदस्य होंगे जिनमें से दस इस सभा से और पांच राज्य सभा से होंगे जिनका निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्य अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करेंगे:-

कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" के (उनसे भिन्न जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसे संसद (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 में निर्देशित किया गया था) और ऐसी सभी 'समितियों' के, जिनका इसके बाद गठन किया जाएगा और जिनकी सदस्यता किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित कर सकती है, गठन और स्वरूप की जांच करना;

(दो) संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई "समितियों" के संबंध में यह सफारिश करना कि किन पदों को निर्रहताकारी होना चाहिए और किन पदों को निरर्हताकारी नहीं होना चाहिए;

(तीन) समय-समय पर संसद (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की जांच करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की, चाहे वह परिवर्धन द्वारा, लोप द्वारा या अन्यथा हो, सिफारिश करना।

कि संयुक्त समिति उपर्युक्त सभी या किन्हीं बातों के बारे में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर रिपोर्ट देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद-धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेद और रूपांतरणों के साथ, जैसे अध्यक्ष नियत करे, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो

और इस सभा को उन सदस्यों के नाम प्रेषित करे जिन्हें राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद्

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद की जनरल काउंसिल

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 15(3) के साथ पठित नियम 4(दो) से (चार) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद की जनरल काउंसिल के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 15(3) के साथ पठित नियम 4(दो) से (चार) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद की जनरल काउंसिल के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब 'शून्य काल' के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले लिए जाएंगे। अब श्री बसु देव आचार्य बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैंने शुक्रवार को आपको कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है। यह देश का एक गम्भीर मामला है जो दूसरे सदन में उठ चुका है। सरकार ने राईस एक्सपोर्ट के मामले में 12 नोटिफिकेशन्स जारी किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अंदर इस समय सूखा और भूख व्याप्त है। लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। सरकार ने 2-3 एक्सोपोर्टर्स का पक्ष लेने के लिये उन्हें राईस एक्सपोर्ट अलाऊ करने का काम किया है। मैंने इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपका इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, इतना महत्वपूर्ण सवाल है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मेरे पास नोटिस आ गया है, इसलिये मैं उन्हें सूचित कर रही हूं कि उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य, (बांकुरा): आप कॉलिंग अटैंशन एडमिट कर लीजिये। सब लोगों ने दिया है और हमने भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, हम आपको सूचित कर देंगे, आप चिन्ता मत करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया: आपका नोटिस आ चुका है।

[अनुवाद]

अब, श्री बसुदेव आचार्य। आपने दो मामलों पर नोटिस दिया है। आप अभी एक ही मामला उठाइए। आप दोनों में से कोई भी एक मामला उठा सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं एक मामला उठाऊंगा।

महोदया, जनवरी, 2004 में पुराना विमान-वाहक गोर्शकोव खरीदने के लिए रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह पुराना विमान-वाहक है और इसमें मूल्य निर्धारण समझौता लंबा खिंच गया। यह दो वर्ष तक चला। इस पुराने विमान-वाहक की आरंभिक कीमत 875 मिलियन अमरीकी डालर थी। महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह कीमत 20 गुना बढ़ चुकी है। इसकी कीमत 875 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1.2 बिलियन डॉलर हो गई है।

वह भी यह व्यय पुराने विमान वाइक के लिए जो आधी मियाद पहले ही खत्म हो चुका है। भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने पुराने विमान वाहकों को इतनी ऊंची कीमत पर खरीदने के सरकार के निर्णय पर गंभीर प्रश्न उठाया है। एक पुराने विमान वाहक को इतनी ऊंची कीमत पर खरीदने की सहमति के पीछे क्या सोच थी?

महोदया, मैं मांग करता हूं कि सरकार इस सभा में स्पष्टीकरण दे और माननीय रक्षा मंत्री यह स्पष्टीकरण देते हुए वक्तव्य दें कि पुराने विमान वाहक के खरीदने के पीछे क्या सोच थी और 875 मिलियन अमरीकी डालर की मूल कीमत को 20 गुना बढ़ाकर क्यों 1.2 बिलियन अमरीकी डालर करने दिया गया। मेरी मांग यह है कि माननीय रक्षा मंत्री पुराने विमान वाहक को खरीदने के संबंध में सरकार की स्थिति को स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री सैयद शाहनवाज हुसैन।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें बोलने दीजिए। वे खड़े हो गये हैं, पहले उन्हें बोलने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मुलायम सिंह जी को बोल लेने दीजिए।...(*व्यवधान*) ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री हैं, इन्हें बोलने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदया, मुझे बोलने की अनुमति है या नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: आप अपने आप को बसुदेव आचार्य जी से सम्बद्ध करना चाह रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदया, केवल दो मिनट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमने इन्हें बुला दिया है, ये समाप्त कर लेंगे तब हमारे पूर्व रक्षा मंत्री बोलेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदया, बिहार के बारे में यहां पहले भी इस विषय को उठाया गया है। पिछली यू.पी.ए. सरकार ने बिहार में वित्त विकास की रणनीति बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन के जरिये एक टॉस्क फोर्स बनायी थी। हमने पिछली बार माननीय शरद जी के नेतृत्व में बिहार के साथ हो रहे अन्याय के बारे में यहां मुद्दा उठाया था। उसके बाद हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की जगह यह सरकार हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। जो टॉस्क फोर्स बिहार के लिए बनी थी, उसे पिछली 20 जुलाई को इस सरकार ने भंग कर दिया है।

महोदया, आप जानती हैं कि बिहार के लोगों से इस सरकार की नाराजगी हो सकती है क्योंकि, पहले आप उस सरकार में बिहार की प्रतिनिधि थीं, यह भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसमें कोई भी बिहारी कैबिनेट में नहीं बैठता है, इस पंचायत में बिहार के लोगों की एंट्री नहीं है। आज इसी वजह से बिहार के हित की अनदेखी हो रही है। हम लोगों ने मांग की थी कि कोसी नदी पर इतनी बड़ी विनाशकारी बाढ़ आयी, आज बिहार में सूखा है, हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। उस वक्त हमें उम्मीद थी कि यह सरकार हमारी बातों पर ध्यान देगी और बिहार के साथ न्याय करेगी। यह ऐसी सरकार है जो बाढ़ में दिये गये पैसे को वापस मांगती है। मैं जानता हूं कि बिहार में आपको सफलता नहीं मिली, पूरे देश में आप सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन बिहार में आपको सिर्फ दो सांसद मिले हैं। पूरे बिहार के एक-एक नागरिक से आपकी नाराजगी का कारण क्या है? जो विशेष टॉस्क फोर्स आपने बनायी थी, जिसमें बिहार सरकार पूरी तरह मदद कर रही थी, उस टॉस्क फोर्स को भंग करके बिहार के लोगों के साथ इस सरकार ने बहुत अन्याय किया है। यह सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

महोदया, आप बिहार की कैबिनेट में प्रतिनिधि थीं और आज आप चेयर पर हैं, इस नाते मैं आपके जरिये इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार के साथ अन्याय करना बंद करे। जो टॉस्क फोर्स आपने बनायी थी, उसने बिहार के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की मदद की सिफारिश की थी। मुझे लगता है कि शायद सरकार नाराज हो गई होगी कि जो टास्क फोर्स बनाई, उसने 30 हजार करोड़ रुपये देने की सिफारिश क्यों की। उनको शाबाशी देने की जगह इस टास्क फोर्स को भंग कर दिया है। मैं आपके जरिये सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तुरंत उस टास्क फोर्स को बहाल किया जाए और बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है तथा अन्यायकारी जुल्म और ज्यादती की नयी मिसाल ये कायम कर रहे हैं, उस मिसाल को बंद किया जाए। बिहार के लोग काम करेंगे, तब आपका भविष्य होगा। अगर इस तरह से कम सीटें मिलीं, इस कारण से आप पूरे बिहारियों से नाराज हो गए हैं, तो इस नाराजगी को खत्म करना चाहिए और बिहार के साथ न्याय करना चाहिए।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं इनकी बात के साथ अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदया, मैं भी इस मुद्दे के साथ अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय बसुदेव आचार्य जी ने जो सवाल उठाया, वह महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है। एक बात यह है कि सैकेंड हैंड और रद्दी जहाज खरीदे गए। दूसरा, वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह जहाज 20 साल की मियाद वाले थे जबकि इससे कम कीमत का और ज्यादा मियाद वाले जहाज वे बना सकते हैं जो 40-50 साल तक चल सकते थे। क्या वजह है कि रद्दी जहाज ज्यादा कीमत पर खरीदे गए और हमारे देश के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम इससे सस्ता जहाज बना सकते हैं जिसकी मियाद भी कम से कम 40 साल होगी, जबकि इसकी मियाद मुश्किल से 20 साल की है। क्या वजह है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इस मामले का रक्षा मंत्रालय से संबंध है, देश की सुरक्षा से संबंध है और हमारी सेना को भी खतरा उठाना पड़ सकता है। आपको बताना चाहिए कि क्या कारण है? पूरा देश इस बात को जानता है। देश को यह बताना चाहिए कि यदि आधी कीमत का जहाज बनता है और उसकी मियाद ज्यादा है और वह बेहतर काम करता है तो वजह क्या है दूसरा जहाज लेने की? माननीय नेता सदन को इस पर जवाब देना चाहिए, यह देश की सुरक्षा का सवाल है।...*(व्यवधान)* रक्षा मंत्री नहीं हैं तो नेता सदन जवाब दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, मैं इस गरिमामयी सभा का ध्यान इस आशंका की ओर दिलाना चाहता हूं जो केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 'आसियान' समझौते के अनुमोदन के कारण लोगों के मन में व्याप्त है! केरल का कृषि और मत्स्य क्षेत्र समझौते के संबंध में भारत सरकार के स्पष्टीकरण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है जो रबड़, चाय, नारियल, मसाले और 'मैरिन सेक्टर' के किसानों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

केरल को विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही, इस समझौते से केरल के किसानों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि

[श्री के.सी. वेणुगोपाल]

वह भारत में विशेषकर केरल में किसानों की रक्षा के लिए शीघ्र स्पष्टीकरण दे।

अध्यक्ष महोदया: श्री पी. करूणकरन, श्री जोस के. मणि और श्री एम.बी. राजेश को इस विषय से संबंध होने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर): महोदया, मैं भी इस विषय पर संबद्ध होना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप भी स्वयं को इससे संबद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया पर्ची भेजें और स्वयं को इससे संबद्ध कर लें।

[हिन्दी

श्री अशोक अर्गल (भिंड): माननीय अध्यक्ष महोदया, घरेलू गैस की कई जगह जो किल्लत है, उससे आम उपभोक्ता तक डीलरों द्वारा गैस को घर पर नहीं पहुंचाया जाता। जो एरिया मैनेजर बड़े-बड़े शहरों में बैठते हैं, वे कभी उन इलाकों में नहीं जाते हैं, कभी उपभोक्ताओं से नहीं मिलते हैं कि क्या समस्या है गैस की। माननीय अध्यक्ष महोदया, कई जगह कोर्ट के आदेश से गैस की एजेन्सियां बंद हुई हैं लेकिन उनको दोबारा चालू नहीं किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र भिंड में, दतिया में एक एक एजेंसी बंद है। एक एजेन्सी मुरैना में बंद है लेकिन उनके विकल्प के तौर पर कोई नई एजेन्सी नहीं खोली गई है।

अध्यक्ष महोदया: यह आप कौन सा मैटर उठा रहे हैं? जिस पर आपने नोटिस दिया है वह नहीं उठा रहे हैं।

श्री अशोक अर्गल: नोटिस क्या है?

अध्यक्ष महोदया: आप कुछ और मैटर उठा रहे हैं। आपका नोटिस सी.जी.एच.एस. से संबंधित है।

[अनुवाद]

यह पूर्व संसद सदस्यों को सी.जी.एच.एस. कार्ड जारी करने हेतु लिए जाने वाले शुल्क को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किए जाने से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल: सॉरी अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदया: अब आप इसे बाद में उठाइएगा।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए अनुज्ञा दी है। इस सदन में कई बार चिंता व्यक्त की जा चुकी है कि इस बार जून और जुलाई में जो सामान्य मानसून आना चाहिए था, वह नहीं आया है। 1 जून से 30 जुलाई तक 307 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, उसके सापेक्ष केवल 128.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके कारण पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति व्याप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने स्वयं इस बात को माना है कि 71 में से 60 जनपद ऐसे हैं, जो कि सूखे की चपेट में हैं और जहां 40 प्रतिशत भी बारिश नहीं हुई है। इस बार मानसून नहीं आने से खरीफ की फसल बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। 53 लाख हेक्टेयर में हल नहीं चले हैं, जहां धान की बुआई होनी थी, वह अभी तक नहीं हुई है। भारत के कृषि मंत्री जी ने शुक्रवार को सदन में कहा कि सूखे के संबंध में केन्द्र सरकार ने एक आपात योजना लागू की है। उस आपात योजना के तहत हम राज्यों को सूखे से संबंधित सहायता करना चाहते हैं, लेकिन देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसने सूखे के संबंध में कोई जानकारी भी नहीं दी है, यहां तक कि कोई मेमोरेण्डम भी नहीं दिया है, चार्टर आफ डिमाण्ड भी नहीं दिया है। जब शुक्रवार को सदन में बयान आया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मुझे बोलने के लिए कम से कम तीन मिनट का समय तो दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनिवार को आनन-फानन में...*(व्यवधान)* महोदया, मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब एसोसिएट कर लीजिए। इस पर चर्चा होने वाली है, उस समय आप इस पर बोलिएगा। आप अभी इससे संबद्ध कर लीजिए। शून्य काल के बचे हुए विषय शाम को लिए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदया, मैं अपने को उक्त विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं अपने को उक्त विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): महोदया, मैं अपने को उक्त विषय से संबद्ध करता हूं।]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम 377 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा मान लिया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब हम वित्त विधेयक (संख्यांक 2), 2009 पर आगे विचार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: वित्त विधेयक पर बोलने वाले अगले वक्ता श्री संजय निरूपम हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। हमने संजय निरूपम को बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: केवल श्री संजय निरूपम की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। शाम को शून्य काल में अपनी बात उठाइएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए, फाइनेन्स बिल पर चर्चा होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.23 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम 377 के अंतर्गत आज के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ मान लिया जाए।

(एक) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): दिल्ली में सोने की चैन छीनने की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली में द्वारका, लारेंस रोड और मयूर बिहार से बहुत सी घटनाओं की सूचना मिली है। परेशानी और कानूनी जटिलताओं के डर से बहुत से मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जा रही। हिन्दुस्तान टाइम्स और अन्य समाचार पत्रों में दिल्ली के अनेक भागों में होने वाली ऐसी ही घटनाएं छपी हैं। इसी तरह, विभिन्न मंदिरों के श्रद्धालु चैन छीनने वालों का निशाला बनते हैं जो उनके सोने के आभूषण लूट लेते हैं। इसी प्रकार कार में यात्रा करने वाली महिलाओं को लाल बत्ती पर यातायात पुलिस के सामने निशाना बनाया जा रहा है। बस स्टैण्ड पर प्रतीक्षा कर रही महिलाओं की सोने की चैन दिन दहाड़े छीनी जा रही है।

दूसरी घटना स्कूल के छात्रों के बारे में है जिन्हें सादे वर्दी पहने कथित पुलिस वालों द्वारा धमकी दी जा रही है, यदि एक छात्र और छात्रा एक साथ कार में देखे जाते हैं या शाम को ट्यूशन केन्द्र से वापस आ रहे

*सभापटल पर रखे माने गये।

[श्री पी.टी. थॉमस]

हैं, तो उन्हें धमकी दी जाती है कि वे अश्लील गतिविधियों में लिप्त थे और पुलिस थाने में उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा अन्यथा वे उनके पास उपलब्ध सारी नकदी और सोना उन्हें दे दें। स्कूल के बच्चे आसान लक्ष्य होने के कारण उनका आसानी से शिकार हो जाते हैं। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

अतः मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे देश की राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

(दो) तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय खोलने जाने की आवश्यकता

श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी): पूरे देश में नवोदय विद्यालय खोलने के कार्यक्रम का पूरे भारत में सभी वर्ग के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है और यह अच्छे प्रयोजन के लिए बनाई गई परियोजना है।

लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि तमिलनाडु राज्य के किसी भी भाग में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया है। सरकार वर्तमान परिदृश्य के मुख्य कारण पर गंभीरता से विचार करे और राज्य सरकार के परामर्श से तत्काल कदम उठाए तथा इस बहु सराहनीय परियोजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे ताकि तमिलनाडु के लोग शिक्षा के लिए इसका लाभ ले सकें।

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव पर विचार करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(तीन) उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से सिद्धार्थनगर जिले में, किसानों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मानसून समय से न आने के कारण उत्तर प्रदेश में किसानों की खरीफ की फसल पर भारी प्रभाव पड़ा है। धान की फसल 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे विद्युत आपूर्ति के सरकारी मानक के विपरीत अघोषित विद्युत कटौती ने किसानों की बची आशाओं पर और पानी फेर दिया है। किसानों की हितैषी केन्द्र सरकार ने उनके समक्ष उत्पन्न संकट के लिए आपात योजना तैयार कर समाधान का प्रयास किया, किंतु उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत अनापूर्ति का संकट बना हुआ है। किसानों के इस संकट हेतु राज्य से कोई समाधान योजना भी नहीं चल रही है। सिद्धार्थ नगर जिले के बांसी कस्बे में 20 जून, 2008 को विद्युत उपभोक्ताओं ने सरकारी मानक के अनुरूप बिजली आपूर्ति की मांग की है। अतः मैं केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों के लिए तैयार की गई आपात योजना को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने की मांग करता हूं।

(चार) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिलबिला रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरि रेल पुल बनाए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): इलाहाबाद से फैजाबाद, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में चिलबिला क्रासिंग क्षेत्र पड़ता है, जिस पर एक ऊपरी पुल बनाने का कार्य स्वीकृत हो चुका है। इस ऊपरी पुल बनाने की मांग जनता कई सालों से कर रही है। यह ऊपरी पुल बनाने के लिए मैंने छः साल पूर्व सदन में मामला उठाया था। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस ऊपरी पुल के पास जो अप्रोच रोड है, वह स्वीकृत नहीं हुई है। जब तक अप्रोच रोड नहीं बनेगी तब तक ऊपरी पुल भी नहीं बन पायेगा। शहर का यातायात बहुत ज्यादा होने से शहर में जाम रहता है, जिसके कारण लोगों का समय बर्बाद होता है एवं लोगों को असुविधा होती है। जिस सड़क पर ऊपरी पुल बनना प्रस्तावित है, यह सड़क कई जिलों को पार कर अन्य राज्यों में पहुंचती है, जिसके कारण कई राज्यों एवं जिलों का यातायात इसी सड़क से होकर निकलता है। ऊपरी पुल नहीं बनने से यहां पर कई सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जनहित में उपरोक्त चिलबिला क्रासिंग के स्वीकृत ऊपरी पुल निर्माण को शुरू करवाने हेतु अप्रोच मार्ग की स्वीकृति भी शीघ्र दी जाये, जिससे स्वीकृत चिलबिला क्रासिंग पर ऊपरी पुल शीघ्र बन सके।

(पांच) गुजरात के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में उन किसानों, जिनकी फसल भारी वर्षा के कारण

नष्ट हुई है, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया (राजकोट): हाल ही में गुजरात के दो जिलों पोरबंदर तथा जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन करने वाले किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसानों के खेतों में जलभराव के कारण सौ प्रतिशत फसल का नुकसान होने का अनुमान है तथा साथ ही घरों में पानी भरने तथा जानवरों के डूब जाने के कारण कई मौतें हो चुकी हैं, जिससे जिले के किसान का खेती का भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन राज्य प्रशासन द्वारा अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे किसानों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है।

केन्द्र द्वारा ऐसे जिलों के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय टीम का गठन करके नुकसान का आकलन किया जाये तथा किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति से निपटने हेतु विशेष पैकेज की सहायता ग्रामीण किसानों तक पहुंचाने के लिए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

(छह) बहरेपन से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नागरकुरनूल): बधिरता एक बीमारी है जो विभिन्न कारणों जैसे जन्म से पूर्व, जन्मजात, अंगों के विकार और चोट के कारण होती है। बचपन से बधिरता के कारण बच्चे गूंगे भी हो जाते हैं और वे गूंगे-बहरे कहे जाते हैं।

अब चिकित्सा क्षेत्र इतना विकसित हो चुका है कि कई कारणों से हुई बधिरता को शल्य क्रिया के द्वारा ठीक किया जा सकता है, बधिरता से पीड़ित लोगों का श्रवण उपकरण, उनकी बधिरता की गंभीरता को ध्यान में रखकर किए जा सकते हैं।

वर्ष 2004-05 में लगभग 40 से 50 संसद सदस्यों ने बधिरता नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने का अभ्यावेदन दिया था। लंबी चर्चाओं और विचार-विमर्श के बाद योजना आयोग ने बधिरता नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण और पुनर्वास कार्यक्रम के नाम से राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया और पहले चरण में 60 जिलों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया और बाद में इसे देश के 110 जिलों तक विस्तारित किया गया। अब यह कार्यक्रम उस उत्साह से नहीं चलाया जा रहा है जिस उत्साह से यह पहले शुरू किया गया था और अब यह धीमी गति से चल रहा है। अब, अध्यक्ष महोदया मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह "बधिरता नियंत्रण और पुनर्वास कार्यक्रम" को राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाए और बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करें ताकि बधिर और मूक-बधिर बच्चे अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वावलंबी बनें न कि वे माता-पिता और पूरे समाज पर निर्भर हों और उनकी दया पर रहें।

(सात) पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी से होने वाले मृदा अपरदन को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी से लगातार मृदा अपरदन हो रहा है। भागीरथी नदी के किनारे सैकड़ों गांवों के अलावा अनेक कस्बे और शहर बसे हुए हैं। यहां तक कि महान धार्मिक सुधारक श्री चैतन्य ने पवित्र स्थल नवद्वीप से प्रेम का पाठ पढ़ाना शुरू किया था, वह स्थान भी नदी के अपरदन के कारण खतरे में है।

अपरदन के कारण एक के बाद एक गांव विलुप्त हो रहे हैं। भागीरथी के किनारे रहने वाले लोग यह नहीं जानते कि उनके घर, जमीन कब विलुप्त हो जाएंगे, चूंकि वे नदी की दया पर निर्भर हैं।

अतः मैं इस सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार के परामर्श से पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी से होने वाले मृदा-अपरदन के खतरे को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय करें।

(आठ) झारखण्ड के गुमला शहर के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाईपास सड़क बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा के अंतर्गत गुमला जिले के शहर के बीच में कई राज्यों से भारी यातायात आता जाता है एवं बड़े भारी वाहन शहर के बीचोंबीच निकलते हैं। इन वाहनों से

[श्री सुदर्शन भगत]

दुर्घटनाओं के कारण जिला प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के बीच से भारी यातायात को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण यह बड़े वाहन शहर के बाहर 12 घंटे तक खड़े रहते हैं जिसके कारण समय की बर्बादी होती है। गुमला शहर के लिए एक बाईपास का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। इसका शिलान्यास भी हो चुका है, परन्तु आज तक यह बाईपास नहीं बना है, जिसके कारण गुमला शहर का यातायात प्रायः जाम रहता है और कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। उक्त बाईपास को तत्काल बनवाया जाये।

(नौ) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और सोनौली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29(ई) पर नया सेतु बनाए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): गोरखपुर-सोनौली राजमार्ग भारत को नेपाल से जोड़ने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिपथ का एक भाग है, जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बनी को उनकी निर्वाणस्थली कुशीनगर और सारनाथ से जोड़ता है। इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29(ई) करने का निर्णय लिया। इस राजमार्ग के कि.मी. 86 पर गोरखपुर महानगर को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने के लिए सन 1964 में एक सेतु बना था, जिसे महेसरा सेतु के नाम से जाना जाता है। 2 अक्तूबर, 2006 को यह सेतु पहली बार क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मार्ग पर 2 माह तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस सेतु की मरम्मत आदि का कार्य सम्पन्न किया लेकिन 29 अप्रैल, 2007 को यह सेतु पुनः क्षतिग्रस्त हो गया तथा तीन माह तक इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। जुलाई, 2007 के अंत में मरम्मत के बाद यह सेतु खोला गया तो 14 अगस्त, 2007 को यह सेतु पुनः क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आवागमन पुनः बाधित हो गया तथा पांच माह तक इस मार्ग पर आवागमन बाधित होने के बाद दिसम्बर, 2007 में इस सेतु को यातायात के लिए मरम्मत करके चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का यह मार्ग गोरखपुर को अन्य जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रवास्ती के साथ जोड़ता है। साथ ही नेपाल जाने का महत्वपूर्ण मार्ग भी है। इस मार्ग पर 20 टन से अधिक क्षमता का भार यह सेतु नहीं उठा सकता। नए सेतु के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंत्रालय को प्रेषित की है। इस मार्ग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए नया सेतु बनना आवश्यक है।

कृपया इस मार्ग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए महेसरा सेतु के बगल में एक नए सेतु का निर्माण सुनिश्चित कराया जाये।

(दस) पोंग बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): पोंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में भूमि आवंटन हेतु वर्ष 1972 में नियम बनाकर भूमि का आवंटन किया गया था। पोंग बांध विस्थापितों द्वारा उन आवंटित जमीनों को आवंटन तिथि के 20 वर्ष पूर्ण होने से पहले राजस्थान प्रदेश के निवासियों को अवैधानिक रूप से विक्रय कर दिया गया। इन अवैधानिक हस्तान्तरणों को विनियमित किये जाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1992 में नियम 6ए बनाया गया। इस नियम के तहत लगभग 2000 मुरब्बों का विनियमितीकरण कर लगभग 3 लाख रुपये प्रति मुरब्बा 6(ए) के तहत आवंटियों से वसूल किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 में नियम 6(ए) को गैर कानूनी मानते हुए खारिज कर दिया तथा इन विनियमितिकरण प्रकरणों के पुनरावलोकन हेतु विशिष्ट न्यायालय स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये। इसमें हाई पावर कमेटी नामिनेट की गई, जिसके अध्यक्ष जल संसाधन सचिव भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के राजस्व सचिव सदस्य मनोनीत किये गये। विशिष्ट न्यायालय द्वारा श्रीगंगानगर में कुल 1926 प्रकरणों की जांच की गई। न्यायिक निर्णयों की पालना में 468 प्रकरणों में कब्जा पुनः मूल पोंग बांध विस्थापित आवंटी को दिलाया जाना एवं राजस्थान प्रदेश के निवासी को बेदखल किया जाना था। कब्जा प्राप्त करने हेतु उपस्थित 436 पोंग बांध विस्थापितों को पुनः कब्जा दिलवाया जा चुका है। न्यायिक निर्णयों की पालना में 1188 प्रकरणों में भूमि पुनः राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित की जा चुकी है। 270 प्रकरण संबंधित श्रीमान उप-जिला कलेक्टरों के पास विचाराधीन है। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक सभी पत्र पोंग बांध विस्थापितों के भूमि आवंटन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्ष 1981 में दोनों राज्य सरकारों के मध्य हुए समझौते के अनुसार

1559 प्रकरणों में अतिरिक्त भूमि आवंटन राजस्थान सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र द्वितीय चरण में कर दिया गया है। लगभग 3000 प्रकरणों में भूमि आवंटन के आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने से राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें नियमानुसार निरस्त कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार इन प्रकरणों में राजस्थान सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उदार रवैया अपनाते हुए भूमि आवंटन की अपेक्षा कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा 2006 में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर जुलाई 2006 में शिमला में उप समिति की बैठक हुई। अगस्त 2006 में उपरोक्त मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक दिल्ली में बुलाई गई। जुलाई 2008 में शिमला में भी बैठक कर यह समझौता किया गया कि 2946 मुरब्बा भूमि पोंग बांध विस्थापितों को इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में आवंटन किया जाएगा एवं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मुताबिक 118+270 प्रकरणों पर हिमाचल सरकार एवं पोंग बांध विस्थापित समिति अपना अधिकार छोड़ देंगे। सितम्बर 2008 में हाई पावर कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें हिमाचल के राजस्व सचिव द्वारा 1188 प्रकरणों पर अपना राईट छोड़कर द्वितीय चरण में भूमि लेना स्वीकार किया। अतः केन्द्र सरकार इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर बहुत वर्षों से लम्बित प्रकरण पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को निवारण कराएं।

(ग्यारह) जल में फ्लोराईड की अधिक मात्रा के कारण विभिन्न शारीरिक विकृतियों से ग्रस्त लोगों की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता

डा. भोला सिंह (नवादा): बिहार के नवादा जिले के रगौली प्रखंड अन्तर्गत कचहरिया डीट गांव में पांच सौ परिवारों का जीवन पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण घोर चिंता का विषय बना हुआ है। इससे सभी लोग विकलांग हो गये हैं। दलित, महादलित, अति पिछड़े परिवारों के होने के कारण कोई गम्भीरता किसी भी स्तर से नहीं दिखायी पड़ती है। 2003 में केन्द्रीय सरकार की ओर से विशेषज्ञों की एक टीम स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजी भी गई और उसका प्रतिवेदन भी सरकार को प्राप्त हुआ, पर उसी अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। पांच सौ परिवारों का यह विकलांग गांव आज भी देश के भाग्यविधाताओं की बाट जोट रहा है।

मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब इस गांव की आने वाली राष्ट्रीय पीढ़ी को विकलांग होने से बचाने का कार्य करने की कृपा करें।

(बारह) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निजीकरण का निर्णय वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के विनिवेशीकरण के निर्णय से इस उद्योग के कर्मचारी उत्तेजित हैं तथा सरकार के इस कदम का उन्होंने विरोध किया है। स्कूटर्स इंडिया ने लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादन किया है जिसका नतीजा यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 1996-97, 2005-2006 तक कंपनी ने करोड़ों रुपये लाभ कमाया जिसमें से करीब 56 करोड़ रुपये बैंक में फिक्स डिपाजिट कराया गया है। फिर भी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को निजी क्षेत्र की कंपनी महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा को सौंपना चाहते हैं जोकि अत्यंत ही दुःख की बात है एवं कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है।

इसलिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रबंधन व्यवस्था का पुनर्गठन हो तथा उस व्यवस्था को सरकार के द्वारा जरूरी कार्यशील पूंजी तकनीकी आदि की सहायता प्रदान की जाये।

कर्मचारियों की जीविकोपार्जन एवं गुजारे के लिए कम से कम पूर्ण वेतन अवश्य सुनिश्चित किया जाये जिससे औद्योगिक शांति बनी रहे।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंडी श्याम नगर लेवल क्रॉसिंग पर सड़क ऊपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्ध नगर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर में दनकौर रेलवे स्टेशन के नजदीक मंडी श्याम नगर रेलवे क्रॉसिंग पर तत्काल पुल बनाए जाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

सिकन्दराबाद से दनकौर मात्र 6 कि.मी. दूर है। सिकन्दराबाद बहुत पुराना शहर है और यह बुलन्दशहर का एकमात्र यू.पी.एस.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र है, जहां अनेक बड़े और मध्यम तथा लघु उद्योग स्थित हैं।

[श्री सुरेन्द्र सिंह नागर]

यह रेलवे क्रॉसिंग बुलन्दशहर और गौतमबुद्ध नगर शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर है और यह सिकन्दराबाद, झज्जर, दनकौर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ट्रैफिक जाम होता है। यहां एक सड़क ऊपरिपुल का निर्माण आवश्यक है और यह मांग बहुत समय से लंबित है।

मैं रेल मंत्रालय से वाहनों की भीड़-भाड़ कम करने के लिए मंडी श्याम नगर क्रॉसिंग पर रेल ऊपरिपुल का निर्माण करने का अनुरोध करता हूं ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र अर्थात् गौतमबुद्ध नगर और बुलन्दशहर दो जिलों में ट्रैफिक को सुचारू किया जा सके।

(चौदह) बिहार के मुजफ्फरपुर को देश के अन्य भागों के साथ हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर बिहार प्रांत के अग्रणी जिलों में है। राजधानी पटना से लगभग 100 किलो मीटर की दूरी पर बसा यह शहर बिहार प्रांत की व्यावसायिक राजधानी है। यहां के लोग व्यवसाय आदि के क्रम में दिल्ली, मुम्बई, पटना जैसे बड़े शहरों में आते जाते रहते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश यहां के लोग हवाई यात्रा की सेवा से वंचित हैं। यहां के व्यवसायी एवं अन्य संभ्रान्त लोगों को हवाई यात्रा हेतु करीब चार घंटों की सड़क यात्रा के बाद पटना से उड़ने वाली सेवाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध में विमानपत्तन के नवीनीकरण का प्रस्ताव भी केन्द्र में लंबित है।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि मुजफ्फरपुर शहर को अन्य शहरों से हवाई सेवा से जोड़ने हेतु अविलंब आवश्यक कदम उठाये जायें।

(पन्द्रह) तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धन लोगों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना पर सेवा कर में छूट दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): तमिलनाडु सरकार ने समाज के निर्धनतम वर्गों, जो चिकित्सा व्यय वहन नहीं कर सकते, के लिए एक अग्रणी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में एक करोड़ लोगों की पहचान इसके लाभार्थियों के रूप में की गई है। तमिलनाडु सरकार अपनी ओर से जरूरतमंद गरीब लोगों को कवर करने वाली इस योजना हेतु वार्षिक प्रीमियम के लिए 517 करोड़ रु. व्यय करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को बीमा पहचान पत्र जारी करते हुए इंगित किया कि गरीबों के लिए इस सेवा को शुरू करने हेतु इसकी प्रीमियम राशि पर लगने वाले 48 करोड़ रु. के सेवा कर से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार से अपील की कि उनकी सरकार द्वारा शुरू किए गए इस समाज कल्याण कार्यक्रम पर सेवा कर में छूट दी जानी चाहिए ताकि तमिलनाडु सरकार इस शेष राशि का उपयोग अन्य गरीब उन्मूलन कार्यक्रमों पर कर सके। अतः मैं जनहित में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा की गई उस अपील को दोहराता हूं। मुझे आशा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय इस अनुरोध पर अवश्य ही सकारात्मक रूप से विचार करेगा।

(सोलह) तमिलनाडु के तिरप्पुर में सिलाई-बुनाई उद्योग के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ और अन्य मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): वैश्विक आर्थिक मंदी ने तिरप्पुर के बुनाई उद्योग में कार्यरत लगभग तीन लाख कामगारों के जीवन को प्रभावित किया है। इनमें से अधिकत्तर तमिलनाडु के अन्य जिलों के विस्थापित कामगार हैं। श्रमिक और बुनाई उद्योग, दोनों सरकार द्वारा कतिपय उपाय किए जाने के माध्यम से सुरक्षा चाहते हैं जिसमें कामगारों को वित्तीय सहायता देना शामिल है। औद्योगिक शहर तिरप्पुर में मौजूद अत्यधिक विस्थापित कामगारों की सहायतार्थ बहुमंजिली आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना चाहिए और इन कामगारों के लिए इन आवास इकाईयों को एस.पी.ओ.एस. अर्थात् इस योजना द्वारा रहने, भुगतान करने तथा स्वामित्त्व हासिल करने हेतु दीर्घावधिक ऋण दिए जाने चाहिए। इस कामगार वर्ग को स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं देने के लिए ई.एस.आई. अस्पताल की स्थापना में तेजी लाई जानी चाहिए। कामगार महिला और अविवाहित पुरुषों के लिए हॉस्टल भी बनाए जाने चाहिएं। बुनाई इकाइयों के कामगारों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक और उच्च विद्यालयों की स्थापना भी की जानी चाहिए। इनमें से छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर दीर्घावधिक ऋण दिये जाने चाहिएं।

रंगाई सामग्री द्वारा प्रदूषित नोटयल नदी की सफाई की जानी चाहिए और इस पानी का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाना चाहिए। तिरप्पुर की सिलाई-बुनाई इकाइयों में कार्यरत सभी कामगारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम और सरकार के श्रम कल्याण विभाग के अन्य कानूनों तथा नियमों के अंतर्गत कवर किया गया है और उन्हें प्रतिदिन न्यूनतम 175 रु. सहित अन्य भत्तों का भुगतान किया जाता है। मैं केन्द्र सरकार से कुछ वर्गों द्वारा इस भुगतान में कमी करने और इन श्रमिकों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाकर इन कामकारों को प्रतिदिन मात्र 80 रु. देने के प्रयासों संबंधी मामले में हस्तक्षेप करने और इस पर रोक लगाने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) उड़ीसा के गंजाम जिले के भंजन नगर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल): उड़ीसा के गंजाम जिले में भंजन नगर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग बहुत पुरानी है। कलेक्टर, गंजाम ने सभी आवश्यक दस्तावेज, इत्यादि सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं और यह मामला केन्द्र सरकार के पास लंबित है।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट करता हूं ताकि सरकारी कर्मचारी और अन्य नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।

(अठारह) महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): लोनार झील विश्व की तीन प्राकृतिक खारे पानी की झीलों में से एक है जिसका व्यास 1800 मीटर है। यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार गांव के पास स्थित है। इस झील का पानी खारा होने के कारण इसमें जल जनित बीमारियों संबंधी बैक्टीरिया पाए गए थे जो यह दर्शाता है कि इस झील का पानी पीने योग्य नहीं है परंतु धारा का जल सामान्य है इसलिए इसका औषधीय महत्व है। इसका महत्व इस तथ्य से ही पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में यहां एक नमक का कारखाना था। इसके आस-पास काफी जीवजन्तु होने के कारण इसका प्राकृतिक सौन्दर्य स्वच्छ और दर्शनीय है।

पूर्वोत्तर किनारे को छोड़कर यह झील वृत्ताकार है जहां धारा के कारण गाद से दलदल हो गया है। गह्वर (क्रेटर) की गहराई 150 मीटर है और क्रेटर की दीवारों से चारों तरफ से घिरे होने के कारण इसमें पानी बाहर निकालने का एक भी मार्ग नहीं है जिससे इसका जल हजारों वर्ष से एक ही स्थान पर रुका हुआ है। इस झील का अधिकांश भाग उथला है जहां मानसून के समय लगभग दो मीटर तक पानी इकट्ठा हो जाता है। तथापि, वर्ष 1991 से यह झील पूर्णतः सूख गई थी। इसके खारे पानी के औषधीय महत्व को देखते हुए राज्य सरकार को इस झील में जल एकत्र करने के लिए खुदाई करानी चाहिए।

लोनल झील के ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और औषधीय महत्व को देखते हुए मेरा यह मानना है कि इस झील के साथ-साथ अन्य मन्दिरों का पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जाए जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित अन्य सभी सहायता सुविधाएं प्रदान करे।

(उन्नीस) आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश राठौड़ (आदिलाबाद): महाराष्ट्र सरकार गोदावरी नदी के आसपास 14 बैराज बना रही है। अकेली बबली परियोजना से श्रीराम सागर परियोजना 65 टी.एम.सी. पानी से वंचित हो जाएगी। आन्ध्र प्रदेश राज्य को इससे होने वाले नुकसान का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि सभी 14 परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति दी जाती है तो आन्ध्र प्रदेश राज्य के इस क्षेत्र तिलंगाना का एक बहा भाग रेगिस्तान में बदल जाएगा जिससे यहां गरीबी व्याप्त हो जाएगी।

(बीस) देश में चीनी की जमाखोरी रोके जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): मेरा निर्वाचन क्षेत्र कोल्हापुर पश्चिमी महाराष्ट्र के चीनी उत्पादक क्षेत्र में स्थित है और इस जिले में विभिन्न क्षमता की 15 से अधिक चीनी मिलें हैं। इन कारखानों में उत्पादित अधिकांश चीनी या तो निविदा पर खुले बाजार में बेच दी जाती है अथवा मुख्य निदेशक, चीनी (सार्वजनिक वितरण विभाग) नई दिल्ली के सीधे आदेश पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लेवी चीनी के रूप में बेची जाती है।

[श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक]

इस जिले में स्थित चीनी के विभिन्न गोदामों पर स्थानीय नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अनेक छापे मारे गए हैं। हाल ही में, 62 करोड़ रु. से अधिक मूल्य की 5 लाख चीनी की बोरियों से अधिक जब्त की गई हैं।

कानूनी तौर पर किसी भी व्यापारी को 2000 क्विंटल से अधिक चीनी रखने की अनुमति नहीं है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत इस भण्डार को 30 दिनों में बेचना होता है जिसके नाम यह गैर-कानूनी हो जाता है। संबंधित अधिकारियों द्वारा विभिन्न व्यापारियों का ब्यौरा मांगा गया है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं कृषि, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि वह जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें और संबंधित व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करने हेतु अनुदेश जारी करें और आम जनता के हित में इस प्रवृत्ति को समाप्त करने हेतु कानून के अंतर्गत अधिकतम सजा देने हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप फाइनेंस बिल पर चर्चा होने दीजिए। अब जीरो ऑवर शाम को भी होगा, उस समय आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शाम को जीरो ऑवर होगा, उस समय आप बोलिए। ये सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

आप बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाइए। जीरो ऑवर शाम को भी होगा, उस समय आप बोलिए। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने जीरो ऑवर में बोलना है।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: श्री संजय निरूपम जी जो बोल रहे हैं, केवल वही रिकार्ड में जाएगा। अब आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। श्री संजय निरूपम जी का ही रिकार्ड में जा रहा है, आप शाम को बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, शाम को बोलिए, अब फाइनेंस बिल पर चर्चा शुरू हो रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए। फाइनेंस बिल पर चर्चा होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। संजय निरूपम जी, आप बोलिए।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बहुत से नोटिसेस हैं, जो शाम को आ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बहुत से माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं और वे शाम को बोल रहे हैं। वे धैर्यपूर्वक शाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आप अभी फाइनेंस बिल पर चर्चा होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाइए। हमने अभी कहा है कि सूखे पर जब चर्चा होगी, तब आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने नहीं दिया गया।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आपका नाम एसोसिएट कर लिया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदया, इस मुद्दे पर सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने इस संबंध में नोटिस दिया है। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदया: आपको इस मामले से सम्बद्ध किया गया है।

श्री पी. करूणाकरन: व्यापार संबंधी प्रस्तावित समझौता एक गंभीर मुद्दा है। केरल में लाखों किसान मर रहे हैं। जब संसद का सत्र चल रहा था तब सरकार ने यह निर्णय लिया। संसद के सत्र के समय सरकार को ऐसा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस मुद्दे पर एक वक्तव्य दे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बैठ जाइए। जब सूखे पर चर्चा होगी, उसमें आप भाग ले लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बैठ जाइए। इस समय फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी अत्यंत आवश्यक है, आप कृपया इस पर चर्चा होने दीजिए। संजय निरूपम जी, आप बोलिए।

अपराह्न 12.29 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 - *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा वित्त विधेयक पर आगे चर्चा करेगी। श्री संजय निरूपम जी अपना भाषण जारी रखिए।

श्री संजय निरूपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने की अनुमति दी। पिछले शुक्रवार से हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने के दरम्यान देश में जो वित्तीय प्रबंधन की स्थिति है, उस पर चर्चा करते हैं। आर्थिक गतिविधियों पर एक अच्छी चर्चा होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, शुक्रवार को बड़ी अच्छी चर्चा हुई और उसमें बड़े अच्छे विषय निकल कर आए। मैं सबसे पहले हमारे यहां जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उससे जुड़े दो विषयों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मुझे मालूम है एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ ग्लोबल रिसैशन है। इन दोनों के बीच हिन्दुस्तान एक फास्टैस्ट इमर्जिंग इकनौमी की तरह काम कर रहा है। पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया है। पिछले चार-पांच वर्षों में हमने बड़े अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस भी दी है। उस परफॉर्मेंस के बाद जो यह नया संकट आया है, उससे हम अच्छे ढंग से निपट रहे हैं. इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार का जो बजट है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, वे नहीं हो पाईं, क्योंकि वातावरण इतना अच्छा नहीं था और संकटपूर्ण स्थिति के दौर से हम गुजर रहे थे।

महोदया, मैं दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से संबंध में कहना चाहता हूं कि लगभग छः साल पहले एन.डी.ए. की सरकार ने अपने देश में कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कराई। यह छः साल पुराना सैक्टर है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि छः साल के अंदर कमोडिटी एक्सचेंजेज का व्यापार लगभग 52 ट्रिलियन रूपीज के आसपास हो गया है। इन कमोडिटी एक्सचेंजेज पर भी एक नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि किस प्रकार की कमोडिटीज की ट्रेडिंग होनी चाहिए या नहीं, पहले इस पर विचार होना चाहिए। कमोडिटीज ट्रेडिंग पर पहले की तरह, मार्केट में ट्रांजैक्शन टैक्स के आधार पर टैक्स लगाने का एक प्रपोजल आया था। मुझे समझ नहीं आता कि उस प्रपोजल को किस आधार पर रिजैक्ट किया गया और उस टैक्स को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस टैक्स को लागू करे।

महोदया, कमोडिटीज एक्सचेंजेज का जो कामकाज है, यह बहुत वोलेटाइल है और शायद स्टॉक मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है। मुम्बई की एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। उसके तीन महीने के व्यापार के आंकड़े मैं

[श्री संजय निरूपम]

बताना चाहता हूं। मार्च, 2009 में एम.सी.एक्स. के व्यापार का वॉल्यूम 5.28 लाख करोड़ रुपए का था। अप्रैल, 2009 से घटकर 4.03 लाख करोड़ हो गया और मई, 2009 में घटकर 2.71 लाख करोड़ रुपए रह गया। इसके माध्यम से मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि एक महीने के अंदर इस मार्केट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ। ऐसे में इस पर निश्चित रूप से नियंत्रण होना चाहिए और जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था, उसे पुनः लगाया जाना चाहिए।

महोदया, नियंत्रण के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि अपने यह स्टॉक मार्केट को रैगुलेट करने के लिए जिस प्रकार से सेबी है, बिलकुल उसी तरह से कमोडिटीज एक्सचेंज को रैगुलेट करने के लिए भी उन्हें सेबी के अधीन लाया जाना चाहिए। आज जो फॉरवर्डिंग मार्केटिंग कमीशन है, वह बहुत सक्षम तरीके से कमोडिटीज एक्सचेंजेज को रैगुलेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस काम को आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से निकाल कर, फायनेंस मिनिस्ट्री के अन्तर्गत लाया जाए, क्योंकि इन कमोडिटीज एक्सचेंजेज में हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, उनकी ट्रेडिंग हो रही है। मैं बताना चाहता हूं दो साल के बैन के बाद, गेहूं की ट्रेडिंग 3 जुलाई, 2009 से शुरू कर दी गई है। कमोडिटीज एक्सचेंजेज में सरसों के तेल, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और मसूर दाल की ट्रेडिंग होती है। ये सब आम आदमी के उपयोग की चीज़ें हैं। अगर सट्टेबाज और ट्रेडर्स हमारे रोज की खाने-पीने की चीजों की ट्रेडिंग शुरू कर दें और उन पर कमाई करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह महंगाई का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर पुनर्विचार करे और उसे लागू करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है और ऐसा नहीं है कि इसे फलने-फूलने देने के लिए कोई प्रोटैक्शन देने की जरूरत है। मेरी मांग है कि इसे जल्दी से जल्दी सेबी के अधीन लाने का प्रयास किया जाए।

महोदया, दूसरी बात, जो मैं टैक्स स्ट्रक्चर के संदर्भ में कहना चाहता हूं, वह है वर्ष 2006 में हमारे पूर्व वित्त मंत्री महोदय ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स पर, इन्कम टैक्स लगाया। उन्हें टैक्स लिमिट में लिया। मैं समझता हूं कि अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स का हमारे देश में एक बहुत बड़ा सैक्टर बन गया है। लगभग 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ के आसपास इसके मैम्बर हैं। पूरे हिन्दुस्तान में 1800 या 1850 के लगभग बैंक्स हैं। को-आपरेटिव मूवमेंट, सामाजिक आन्दोलन का एक हिस्सा रहा है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये सारे बैंक्स काम करते हैं। इससे पहले यह क्षेत्र कभी टैक्स लिमिट के अंदर नहीं था। जैसे रूरल को-आपरेटिव बैंक्स हैं या रूरल सैक्टर है या एग्रीकल्चर सैक्टर है, उसे हमने कभी भी इन्कम टैक्स लिमिट में नहीं लिया। इसी प्रकार से अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स को भी पहले कभी टैक्स लिमिट में नहीं लिया था, लेकिन पिछली बार श्री पी. चिदम्बरम साहब ने इसे टैक्स रेट में लिया। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इसे पहले की तरह से टैक्स रेट से निकाला जाए, क्योंकि यह व्यवस्था केवल हमारे यहां ही नहीं है बल्कि दुनिया के 18 देशों में ऐसी ही व्यवस्था है। उसमें अमरीका भी है। वहां भी जो अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स हैं, को-आपरेटिव सोसायटीज अथवा क्रेडिट सोसायटीज़ होती हैं, उनकी इन्कम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो मेरा निवेदन होगा कि इससे कितना रेवेन्यू आ रहा है, यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि क जो सैक्टर है, वह बहुत ही कमजोर वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो बैंकों तक भी नहीं पहुंचता, बैंकों से लोन नहीं ले पाता, उस वर्ग को कैटर करने के लिए, उस वर्ग की मदद करने के लिए, उस वर्ग की सेवा करने के लिए यह पूरा सैक्टर, अर्बन बैंक का सैक्टर प्रमोट किया गया था। मेरा निवेदन होगा कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाये, ताकि अर्बन कोआपरेटिव बैंक, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बढ़िया हमारा अर्बन कोआपरेटिव बैंक का सैक्टर है तो वह फिर से अच्छे ढंग से चले।

मैं देखता हूं कि प्रणव बाबू ने जो बजट पेश किया, वह मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करता है और मैं इसका अभिनन्दन करता हूं। गांवों का विकास होना चाहिए, गांवों में रहने वाले हमारे जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनका विकास होना चाहिए। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि थोड़ा सा शहरों की तरफ भी ध्यान दिया जाये। हमारे यहां जो बड़े-बड़े शहर हैं, उन शहरों में साक्षात गांव पलने लगे हैं। जो लोग झोंपड़पट्टियों में जी

रहे हैं, वे गांवों की स्थिति से कोई बेहतर नहीं हैं। उनका लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन शैली लगभग वैसी है। मैं यह देख रहा हूं कि इस समय लगभग 40 प्रतिशत की दर से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। महाराष्ट्र इस समय एक ऐसा प्रदेश है, जहां लगभग 42.4 परसेंट अर्बन एरिया है, अर्बन हैबीटेट्स हैं। तमिलनाडु हालांकि हमसे थोड़ा सा ज्यादा है, तमिलनाडु इस समय' 43.9 परसेंट से एक नम्बर पर है। गुजरात भी लगभग 37.4 परसेंट के आसपास है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बन या शहरी गरीब लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक अंदाज है कि आने वाले 2030 के आसपास लगभग 575 मिलियन यानि पूरी आबादी का 41 प्रतिशत लोग शहरों में रहेंगे और ऐसे में शहरों को राज्य सरकारों के भरोसे या फिर वहां की म्युनिसिपैलिटीज या कारपोरेशंस के भरोसे छोड़ दिया गया तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं होगा। आने वाले दिनों में धीरे-धीरे शहरों की ओर ध्यान दिया जाये। शहरों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ योजनाएं हैं, जैसे जवाहर लाल नेहरू रिन्युअल मिशन वगैरह जो हैं, वे जरूर हैं, लेकिन अभी उस पर उतना फोकस नहीं जा रहा है और मैं यह देख रहा हूं कि पूरी जी.डी.पी. में जो शहरों का योगदान है, लगभग 55 प्रतिशत हमारी शहरी आबादी का योगदान जी.डी.पी. में है।

मैं राष्ट्रपति महोदया का बड़ा स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने संयुक्त अधिवेशन के राष्ट्रपती अभिभाषण जो सरकार का संकल्प सुनाया, उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्ष में इस देश को झोंपड़पट्टियों से मुक्त किया जायेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूं, वह शहर सबसे ज्यादा झोंपड़पट्टियों की जिंदगी से परेशान है और वहां पर हमारे बहुत सारे भाई-बहन झोंपड़पट्टियों में बहुत नरक की जिंदगी जीते हैं। अभी एक सर्वे आया, जिस सर्वे के तहत बताया गया कि लगभग 6 करोड़ के आसपास पूरे हिन्दुस्तान में लोग झोंपड़पट्टियों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहने वाला हमारा एक वर्ग है। उसकी जो गरीबी है, वह ग्रामीण गरीबी से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि इस सरकार ने जो घोषणा की है, राजीव आवास योजना की, उस योजना का स्वागत करते हुए जरा उस बारे में विस्तार से समझा जाये कि कैसे योजना बमानी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डेढ़ लाख रुपया हम झोंपड़े वाले को घर बनाने के लिए देंगे। उसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए 25 प्रतिशत के आसपास सैण्ट्रल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन मुम्बई की एक समस्या बड़ी अजीबोगरीब है। मुम्बई में जो झोंपड़पट्टियां हैं, उनमें सन् 2000 तक की जो झोंपड़पट्टियां हैं, उनको राज्य सरकार वैध मानती है, लीगलाइज मानती है। अब सन् 2000 से लेकर 2009 के बीच में जो लाखों की संख्या में झोंपड़पट्टियां बन गई हैं। जब राजीव आवास योजना के तहत इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर घर बनाने की बात आएगी तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर करने वाली बात आएगी और मुझे लगता है कि अभी तक राज्य सरकार ने 2000 के बाद जो झोंपड़े हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर करने के सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि पांच वर्ष में झोंपड़पट्टियों से पूरे देश को मुक्त करने का जो एक प्लान है या झोंपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को बेहतर घर देने की जो योजना है, कहीं उस योजना में आने वाले दिनों में तकलीफ न हो जाये। शहरों में हमारे कारपोरेशन जो देख-रेख कर रहे हैं, वे कोई बड़े अच्छे ढंगे से नहीं कर पा रहे हैं, सच यह है। जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, विदर्भ में, मराठवाड़ा में हमने जाकर म्युनिसिपैलिटीज का काम देखा, हमारे साथी जो यहां बैठे हैं, जो नवी मुम्बई कारपोरेशन के मेयर रह चुके हैं, उनका पूरा रेवेन्यू एक बड़ा लिमिटेड रेवेन्यू है और उसके बाद माफ करिये, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, इन कारपोरेशंस में, म्युनिसिपैलिटीज में इतना करप्शन है कि अगर मुम्बई कारपोरेशन 16 हजार करोड़ के आसपास जमा करता है तो मुझे लगता है कि 4-5 हजार करोड़ के आसपास लोगों के हित के लिए है, बाकी सब करप्शन में चला जा रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार आने वाले दिनों में, हालांकि यह साल संकट का साल है और यह संकट बहुत जल्दी गुजर जाएगा। आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार हमारे शहरों के विकास के सन्दर्भ में अपनी योजनाएं बनाये, विस्तृत योजना बनाये, कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाये, स्कीम बनाये और राज्य सरकारों पर और महानगरपालिकाओं के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ा जाये।

मैं देख रहा हूं कि शहरों में घर की समस्या बहुत विकट है। पानी की समस्या मुंबई जैसे शहर में बहुत ज्यादा है, वहां सप्लाई और डीमांड में 550 एम.एल.डी. पानी का गैप है। हम उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे

[श्री संजय निरूपम]

हैं। हालांकि अलग-अलग तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुंबई में पानी का प्रश्न सबसे बड़ा है और बिजली का भी उतना ही बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि बिजली के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी बिजली सप्लाई और उसकी बढ़ती हुई कीमतों के मामले में केंद्र सरकार का दखल होना चाहिए। केंद्र सरकार का इसमें रोल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार का आज कोई रोल नहीं रह गया है। मैं चाहूंगा कि शहरी जिंदगी जीने वाला और नरक की जिंदगी जीने वाला जो शहरी वर्ग है, उसकी तरफ आने वाले दिनों में ध्यान देने की जरूरत है। आज बहुत तेजी से माइग्रेशन हो रहा है। हालांकि मुंबई के हमारे कुछ साथी हैं, जो बार-बार मुंबई के माइग्रेशन के ऊपर ऐतराज करते हैं। सच यह है कि पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि गांव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और गांव में रोजी-रोटी के साधन नहीं मिल रहे हैं। मुंबई का जन-जीवन माइग्रेशन के बाद बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मैं सरकार से चाहूंगा कि इस दिशा में ध्यान दे और शहरी गरीबों को अच्छा जीवन देने के लिए नयी योजनाएं बनाए।

महोदया, मैं सरकार का ध्यान होम लोन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। प्रणव बाबू, जब प्री-बजट मीटिंग थी, तब मैंने होम लोन के ऊपर यह विषय रखा था। पूरे देश में लगभग 25-30 लाख लोगों ने होम लोन ले रखा है। बैंक वाले जो होम लोन देते हैं, उसमें वे बड़ी होशियारी करते हैं। मैं कह सकता हूं कि वे थोड़ी सी चीटिंग करते हैं। अगर यह शब्द अनपार्लियामेंट्री है, तो मैं इसे वापस ले लूंगा। बैंक वालों की चीटिंग का तरीका क्या चल रहा है कि ये एक फिक्स रेट बोलते हैं और दूसरा फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। फ्लोटिंग रेट ऐसा है जो कभी भी बढ़ सकता है, जबकि फिक्स रेट ऐसा है जिस रेट पर इंट्रेस्ट रेट फिक्स होता है। मैं चाहता हूं कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का जो विवाद है, उसे समाप्त करके, होम लोन सिर्फ फिक्स रेट पर देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति अगर घर खरीदता है और 15 साल के लिए उसको ई.एम.आई. देनी है, तो घर खरीदते समय वह तय करता है कि आने वाले 15 वर्षों तक मेरा ई.एम.आई. यह रहेगा। फ्लोटिंग रेट पिछले चार पांच वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले होम लोन 6 पर्सेंट के रेट पर मिलता था और पिछले दिनों यह बढ़ते-बढ़ते 13-14 प्रतिशत तक इसका इंट्रेस्ट रेट चला गया। कहीं न कहीं सरकार को इस दिशा में दखलंदाजी करनी पड़ेगी और आर.बी.आई. के जरिए इस तरह का इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि जो भी बैंक होम लोन दे रहे हैं, वे फिक्स रेट पर ही दें। फ्लोटिंग रेट का पूरा कांसेप्ट चेंज करना चाहिए, अगर हो सके तो इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार है, विशेषकर मुंबई में 25-30 लाख में से लगभग 5 लाख लोग यहीं रहते हैं, जिन्होंने होम लोन ले रखा है। होम लोन के इंट्रेस्ट की दरें जब बढ़ रही थीं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों ने एप्रोच किया कि आप इसका कुछ इंतजाम करिए। जिन लोगों से बैंकों ने एग्रीमेंट साइन कराये थे, उस एग्रीमेंट में नीचे लिखा रहता है कि तीन साल बाद फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप 15 साल के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? वे उसमें साइन कर देते हैं और साइन करने के बाद जब विरोध करते हैं, तो उनको एग्रीमेंट दिखा दिया जाता है। इससे लोग बहुत परेशान हो गए हैं।

महोदया, अमेरिका में सब-प्राइम क्राइसिस हुआ। हमारे देश का सौभाग्य है कि सब-प्राइम क्राइसिस में हम लोग नहीं फंसे। हमारी बैंकिंग व्यवस्था इतनी मजबूत और दुरुस्त थी कि हम बच गए। हमारे यहां मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने जो घर लिए थे, उनको अपने घरों की चाभियां बैंकों के दरवाजे पर फेंकने की नौबत नहीं आयी, जैसा कि अमेरिका में हुआ या जैसा आज दुबई में हो रहा है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर का जो पूरा आयोजन है, वह इतना मजबूत है, जिसकी वजह से हम लोग बचे हैं। ऐसे में होम लोन की तरफ सरकार का ध्यान अगर होता, तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन प्रणव बाबू के बजट में कहीं होम लोन का जिक्र नहीं है। होम लोन के संदर्भ में बजट आने से पहले भी हम लोगों ने एप्रोच किया था, अलग-अलग ने एप्रोच किया था। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आर.बी.आई. के माध्यम से इस देश के शहरों और महानगरों में रहने वाले लगभग 25-30 लाख लोगों को राहत देने के लिए होम लोन के इंट्रेस्ट रेट को कम किया जाए और फ्लोटिंग रेट को हमेशा के लिए खत्म किया जाए।

महोदया, मैं वित्त विधेयक के ऊपर इस चर्चा में

भाग लेते हुए और पिछले पांच वर्षों में इस देश में सरकार ने जो काम किया है, सरकार के उस काम-काज के ऊपर संतोष व्यक्त करते हुए, आने वाले दिनों में हालांकि संकट का दौर है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चार-पांच वर्षों में शहरों और गांवों में रहने वाला जो मध्यम वर्गीय और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको राहत देने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी योजनाएं बनेंगी और उन योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में विकास की एक नयी परिभाषा लिखी जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग जी.डी.पी. ग्रोथ में 9 प्रतिशत के आस-पास जाने की स्थिति में आ गए थे, बिल्कुल वही सक्सेज स्टोरी फिर से दोहरायी जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): आदरणीय महोदया, वित्त विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है और कई प्रकार के करों की चर्चा की है। लेकिन मैं कुछ कहने से पहले दो बात कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है, जिसके आलोक में वित्त विधेयक आया है, यह कोई क्रान्तिकारी बजट नहीं है। यह सुधारात्मक बजट है, राहत का बजट है। जब तक यह राहत का बजट चलता रहेगा, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था के चलते इस देश में जो दो कोढ़ हैं, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, उनका निराकरण नहीं हो सकता है। वे दो कोढ़ - गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन हैं। इन दोनों चीजों पर जिस क्रान्तिकारी तरीके से प्रहार होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, बजट बनाने वाले लोग उसे भूल चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में गरीबी मिटाने के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए, बैंकों में जो जमा राशि है, उसका इस तरह प्रयोग किया जाए कि क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, उसके लिए, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था, उस दिशा में इस बजट में न कभी पहले ध्यान दिया गया और न आज ध्यान दिया गया। नतीजा है कि बीमारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और क्षेत्रीय संतुलन भी बढ़ रहा है।

प्रधान मंत्री जी की देखरेख में माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया है। वे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं और बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने इस बजट में एक संकल्प व्यक्त किया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात को वर्तमान स्तरों से घटाकर वर्ष 2014 तक आधे से कम किया जाएगा। आधे से कम कैसे किया जाएगा? ऐसा कहा गया है कि दस वर्षों में प्रति वर्ष एक प्रतिशत के हिसाब से गरीबी घटी है जबकि गरीबी उससे ज्यादा बढ़ी है। इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से पहले सदन में ले किया गया है, उसमें जो फिगर है, उसके अनुसार 1973-74 में 54.9 प्रतिशत गरीबी थी जो 1993-94 में घटकर 36 प्रतिशत हो गई। इसका मतलब 1974 से 1994 तक 14 प्रतिशत गरीबी घटी। अभी जो फिगर है, उसमें वर्तमान मूल्य स्तर पर 1993-94 को आधार बनाया गया है। उसमें दिया गया है कि 1993-94 में जहां गरीबी रेखा से नीचे 26.1 प्रतिशत लोग थे, वहीं 2004-05 में 21.8 प्रतिशत थे। यदि गरीबी एक प्रतिशत की दर से घटेगी और देश में 24 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो और 24 वर्ष लगेंगे। तब तक जनसंख्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो इसमें और वृद्धि होगी। बजट में जो संकल्प व्यक्त किया गया है कि पांच वर्षों में आधे से अधिक घटा देंगे, उसके लिए आर्थिक ढांचे या आर्थिक नियोजन में क्या क्रान्तिकारी उपाय होगा, यह नहीं बताया गया है, नहीं दर्शाया गया है, लेकिन कहा गया है कि गरीबी मिटा देंगे। इसमें जो एक और मैथोडोलॉजी ऐडॉप्ट की गई है, मैंने जो कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन है, उसमें जो गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य है, उसे बहुत घाटा होता है। एक लकड़ावाला कमेटी थी। उस कमेटी ने जो अनुशंसा की है, उसके अनुसार राज्यों को कहा गया है कि यह पैरामीटर है, मानदंड है। इस मानदंड के आधार पर आप सर्वेक्षण कराइये और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान कीजिए। इसे राज्यों ने किया। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया और नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन द्वारा कंडक्ट किये गये सैम्पल के आधार पर कहा कि आज देश में 21.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य और केन्द्र सरकार के आंकड़ों में अन्तर आ गया, जो बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार के माननीय मुख्य मंत्री ने कई बार भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि हमने जो सर्वेक्षण कराया है और लकड़वाला कमेटी के आधार पर आपने जो पैरामीटर तय किया है, उसके आधार पर हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1 करोड़ 22 लाख लोग अभी तक सर्वेक्षित हैं। लेकिन आपने नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के आंकड़ों के हिसाब से उसे 62 लाख पर फिक्स कर दिया है। जबकि हमारे यहां काफी पिटिशन्स अभी भी पड़े हैं कि हम गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जो पैरामीटर है,

[श्री मंगनी लाल मंडल]

मानदंड है और आपने जो तरीका अपनाया है, उसके हिसाब से बिहार में ही करीब डेढ़ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह जो विरोधाभास है, आपस में अंतर्विरोध है, इस बजट के माध्यम से इसका समाधान नहीं किया गया है और संकल्प व्यक्त किया गया है कि आगामी पांच वर्षों में आधे से अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर ला देंगे, मतलब यह है कि 21 परसेंट में से 12 परसेंट लोगों को हम पांच वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर ला देंगे। अब 12 परसेंट लोग पांच वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, तो पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं, राज्य और केन्द्र का एक मत से समाधान होना चाहिए. अगर एक मत से समाधान नहीं होगा, तो आप क्षेत्रीय असंतुलन को नहीं मिटा सकते, गरीबी को कभी नहीं मिटा सकते।

दूसरी बात यह है कि डिवोलूशन ऑफ फंड्स यानी फंड्स के बंटवारे में बिहार के साथ बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बार वित्त विधेयक के माध्यम से जो कन्सेशन दिया गया है, उससे गरीब राज्यों, पिछड़े राज्यों को भी घाटा हुआ है। मार्च में जो इंटरिम बजट आया था, उसमें बिहार का हिस्सा था जो बारहवां वित्त आयोग है, डिवोलूशन ऑफ फंड्स है, केन्द्रीय करों में सभी राज्यों को वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो हिस्सा दिया जाता है, उसमें बिहार का 18,909.48 करोड़ रुपया होता है। लेकिन अभी जुलाई में जो बजट पेश किया गया है, वह घटकर 18,153.98 करोड़ रुपये हो गया है, मतलब सीधे-सीधे 755 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। लेकिन वर्ष 2008-09 का जो बजट पेश किया गया था, उसके आधार पर जो रियायत दी गयी है, उसमें बिहार को करीब 4641 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। आपने कई चीजों की रियायतें दी हैं। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, सैंट्रल एक्साइज, कस्टम और इनकम टैक्स में रियायत देने के लिए आपको अधिकार है। यह सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है, लेकिन जब आप कहते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन मिटे और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आधे लोगों को हम पांच वर्षों में यानी वर्ष 2014 तक आगे ले आयेंगे, तो हमें यह देखना होगा कि डिवोलूशन ऑफ फंड्स के तहत वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की है, उसके आधार पर राज्य तो प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

महोदया, बजट में एक बात कही गयी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान है। हमने समाजवाद का क, ख, ग डा. राम मनोहर लोहिया के बाद यदि किसी से जाना, तो वह पंडित जवाहर लाल नेहरू से जाना। पंडित जी इस देश में कोआपरेटिव कामनवेल्थ और सोशलेस्टिक पैटर्न सोसायटी से समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी, जिनसे हमें डा. राम मनोहर लोहिया ने सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, दर्शन के माध्यम से परिचय कराया, वर्ष 2009-10 के बजट की जो मुख्य विशेषता है, उसमें उन्हें कोट किया गया है।

> "लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है। इसमें सभी की समान भलाई अंतर्निहित है।"

ऐसा कहा गया है बजट पुरःस्थापित करने के समय, बजट के डाक्युमेंट में। इसके लिए महात्मा गांधी को उद्धरित किया गया है। आपका जी.डी.पी. बढ़ा है, जिसके बारे में आपने इकोनॉमिक सर्वेक्षण में जिक्र किया है। आपने जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, उसमें दो अवधियों का जिक्र किया गया है। जिक्र किया गया है कि वर्ष 1998-99 से लेकर वर्ष 2003-04 में आर्थिक प्रगति बहुत धीमी रही और विकास दर का जो लक्ष्य था, वह बहुत कम प्राप्त किया जा सका।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मेरे पास वक्तागण की बहुत लम्बी सूची है। इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो भोजनावकाश स्थगित कर दिया जाए। इस बिल पर रिप्लाई माननीय मंत्री महोदय आज पांच बजे देंगे।

श्री मंगनी लाल मंडल: उसमें दो सरकारों की अवधि के बारे में कहा गया है कि विकास दर में कितना अन्तर है। इकोनॉमिक सर्वे के पहले पेज पर यह उद्धरित किया गया है कि एन.डी.ए. की सरकार में विकास दर कम रही और यू.पी.ए. की सरकार के समय में विकास दर ज्यादा रही। यह बात ठीक है, हम इसे मान लेते हैं, नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं कि विकास दर की गति तेज होने से देश में परिसम्पत्ति को जो सृजन हुआ, देश में जो दौलत बढ़ी है, उस दौलत के आधार पर गरीबों की गरीबी रेखा का जो एक प्रतिशत का हिसाब एन.डी.ए.

गवर्नमेंट के समय में था, वही एक प्रतिशत हिसाब आज भी है, इसमें कहां अन्तर हुआ है। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

अपराह्न 12.57 बजे

[डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए*]

दूसरी बात मैं पर कैपिटा इनकम के बारे में कहना चाहूंगा। बिहार आज सबसे निचले पायदान पर है। मैंने क्षेत्रीय असंतुलन और गरीबी रेखा की बात कही है। गरीबी रेखा के मामले में आज देश का औसत 21 है तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 47 प्रतिशत हैं। इस खाई को सरकार कैसे पाटेगी? श्री हुकुमदेव नारायण जी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने डा. लोहिया को उद्धरित किया था और उन्होंने कहा था कि आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाए, खर्च पर टैक्स लगाया जाए। हम लोगों को यही प्रशिक्षण मिला है। मैं समझता हूं कि यह सबसे सुगम और व्यवहारिक रास्ता है, क्योंकि जब देश में दौलत पैदा होती है तो देश के जो बड़े घराने हैं, वे 8,000 करोड़ रुपए के महल बनाते हैं, पत्नी को हवाई जहाज गिफ्ट में दिया जाता है। इस दौलत का निवेश कहीं प्रोडक्शन पर नहीं किया जाता है। यह फिजूलखर्ची है और दूसरी तरफ लोग गरीबी में रह रहे हैं। पर कैपिटा इनकम के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में वर्ष 2007-08 तक के फीगर्स दिए गए हैं, वर्ष 2008-09 के फीगर्स नहीं आए हैं। इसमें कहा गया है कि पर कैपिटा इनकम का राष्ट्रीय औसत 33,238 रुपए है। कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जैसे आन्ध्र प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 34,238 रुपए, गोवा 96,076 रुपए, हरियाणा 58,531 रुपए, हिमाचल प्रदेश 40,134 रुपए, कर्नाटक 35,553 रुपये, केरल 41,814 रुपए, तमिलनाडु 38,573 रुपए, चंडीगढ़ 1,10,676 रुपए और दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 75,000 रुपए है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 16,000 रुपए, राजस्थान 20,000 रुपए, उड़ीसा 20,850 रुपए और असम की पर कैपिटा इनकम 21,464 रुपए है।

अपराह्न 1.00 बजे

इस देश में बिहार इस मामले में लोअस्ट है, वहां पर सालाना प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 10,570 रुपए है। यह राज्यों के बीच में असमानता है, क्षेत्रीय असंतुलन है, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में असंतुलन है। इसलिए यह जो गरीबी की खाई है, क्षेत्रीय असंतुलन की खाई है, इन दोनों खाइयों को जब तक पाटा नहीं जाएगा, महात्मा गांधी के संकल्प के आधार पर, महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के आधार पर, जिसे आपने अपने बजट डाक्यूमेंट में मुख्य विशेषताओं के साथ मुख्य पृष्ठ पर उद्धृत किया है, उसके अनुसार समाज का निर्माण नहीं हो सकता है।

महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कई बार प्रधान मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने प्रधान मंत्री जी को कहा कि बिहार प्रदेश के बंटवारे के बाद बिहार में जो कल-कारखाने थे, वे झारखंड राज्य में चले गए। बिहार का पर केपिटा इनकम झारखंड से भी कम है और इस मामले में हम देश के सबसे निचले स्तर पर हैं। हमारे यहां कोई कल-कारखाना नहीं है। जो बाहर से पूंजी निवेश करने के लिए यहां आएंगे, उनके लिए हमने एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण किया है, तो उस पर हमें रियायत मिलनी चाहिए। आपने कुछ राज्यों को स्पेशल केटेगरी स्टेट बनाने की घोषणा की है। उसके लिए आपने उन्हें टैक्स में छूट दी है। वह रियायत बिहार प्रदेश को भी दी जानी चाहिए। लेकिन बिहार को अभी तक आप न तो स्पेशल केटेगरी स्टेट का दर्जा दे रहे हैं और न ही कोई टैक्स में छूट दे रहे हैं। इसलिए बाहर से लोग आकर हमारे यहां पूंजी निवेश करें, उसके लिए आप कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा कि हमारे प्रदेश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कोसी में बाढ़ आई थी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उस आधार पर पुनर्निर्माण होना चाहिए। इन बातों पर मशविरा करने के लिए उन्होंने प्रधान मंत्री जी से मिलने का समय मांगा था। लेकिन उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। फिर कैसे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा; कैसे गरीब राज्य का उद्धार होगा, कैसे गरीबी मिटेगी और वर्ष 2014 तक आप कैसे आधी गरीबी को देश से मिटा देंगे, यह समझ में नहीं आता। क्या सिर्फ भाषण से गरीबी मिटा देंगे, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक ऐसा राजनीतिक बजट रहेगा, तब तक देश का भला नहीं होगा, कोई समतामूलक समाज नहीं बन सकता है। राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर राहत का काम चलता रहेगा, जब तक पोलिटिकल विजन नहीं बनाया जाएगा, एक आदर्श दृष्टिकोण जब तक क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने और गरीबी मिटाने के लिए नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा।

[श्री मंगनी लाल मंडल]

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम 1000 गांवों को आदर्श गांव के रूप में घोषित करेंगे और उसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैंकों की शाखाएं हर जगह खुलें, इसके लिए कमेटी बनाने की बात भी कही गई है। वर्ष 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके पश्चात् कई कमेटीज बनीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी नरसिम्हन कमेटी रही। उस कमेटी ने दो-तीन बातें रिकमंड की थीं। उनमें से एक तो यह थी कि 15,000 की जनसंख्या के आधार पर उस इलाके में कम से कम एक कमर्शियल बैंक की शाखा खुले। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को जो पहल करनी चाहिए थी और सरकार को जो प्रयास करना चाहिए था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी बिहार में 15,000 की जनसंख्या तो क्या 25,000 या 50,000 की जनसंख्या पर एक ब्रांच है। जब तक सरकार द्वारा लागू योजनाएं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं होता है, तब तक बिहार का और देश का विकास नहीं हो सकता। बिहार में 3,000, 4,000, 4,500 करोड़ रुपया इंक्रीमेंटल डिपाजिट पर-ईयर आता है, जो किसी भी गरीब राज्य से ज्यादा है। लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के खजाने से जो खर्चा हो रहा है, बजट के माध्यम से, यह अच्छी बात है, यह पोलिटिकल माइलेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नरसिम्हन कमेटी ने रिकमंड किया है कि सभी बैंकों को मॉडल विलेज डवलप करने के लिए एक टार्गेट दिया जाना चाहिए। यहां आपने अनुसूचित जाति को आधार बनाया है, यह बहुत अच्छा काम किया है, हम इसके लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस दृष्टि से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उससे लगता है कि अब बैंकों को कोरपोरेट लोगों की सेवा करने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट लोन देने के लिए, क्रॉप लोन देने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हीं बैंकों के लिए नरसिम्हन कमेटी ने अनुशंसा की है कि प्रत्येक ब्रांच को कम से कम, प्रतिवर्ष पांच मॉडल विलेजेज को अडाप्ट करना चाहिए, जिससे बेकारी मिटे और गांव की संरचना मजबूत हो, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को मजबूत किया जाए, लेकिन बैंकों को छोड़ा गया है। मैं चार्ज लगाता हूं कि बैंकों में गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा जमा है लेकिन ये बैंक्स मध्यम वर्ग, किसान और गरीबों की सेवा न कर इस देश के कोरपोरेट सेक्टर के लोगों की सेवा करते हैं, जो अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा करता है, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अभी तक नरसिम्हन कमेटी के अलावा जितनी कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों के आधार पर बैंकों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में सुखाड़ है और सुखाड़ पर चर्चा होने वाली है। सुखाड़ पर चर्चा होगी तो हमारी पार्टी के लोग भी विस्तार से अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो आइला बंगाल में आया था, उसके लिए आपने सहायता दी, हमें प्रसन्नता है। आपने तमिलनाडु में सुनामी से निपटने के लिए पैसा दिया, हमें प्रसन्नता है, दूसरे राज्यों को आप नेचुरल कैलेमिटी के तहत पैसा देते हैं, उससे भी हमें प्रसन्नता है। लेकिन बिहार के पुनर्निर्माण के लिए जब कहा गया कि 14,000 करोड़ रुपया चाहिए, 1000 करोड़ रुपये का आपने ऐलान किया था और आपने जो बिहार का हिस्सा नहीं दिया, उसके लिए हमें दुःख है। बिहार के साथ ठगमारी हो रही है और बिहार के साथ आप राजनैतिक दृष्टिकोण से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से सीट्स नहीं मिली हैं। यह लोकतंत्र और देश के लिए शुभ-संकेत नहीं है। क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। देश का आर्थिक विकास हो, तरक्की हो, सकल उत्पाद में सबको हक मिले, गरीबी मिटे, क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, हम यही चाहते हैं। बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है और वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं होना चाहिए। अगर विचार होता है तो इसका परित्याग करके बिहार के साथ सरकार न्याय करे, यही मांग मैं करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत हुए वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

माननीय वित्ती मंत्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक और बजट देश के लोगों की अपेक्षाओं को पूर्णतः प्रतिबिम्बित करता है। जैसा कि देशभर में पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। जनता द्वारा यू.पी.ए. को दिया गया अधिदेश सततता, स्थिरता और समृद्धि के लिए है।

सभा के समक्ष प्रस्तुत यह बजट और वित्त विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि लोगों की आकांक्षाओं का समर्थन किया जाए और इसे लागू किया जाए। इस बजट का मुख्य उद्देश्य समय और समान विकास है। इस देश में आज माननीय वित्त मंत्री ऐसा बजट प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं जो विकास के हित में हो और गरीबी-हितैषी कार्यक्रमों की सामाजिक आवश्यकता को पूरा करे।

मुझे याद है कि 17 वर्ष पहले वर्ष 1991 में मैं उस समय इस सभा का सदस्य था जब वर्तमान प्रधानमंत्री ने कर्ज में डूबे इस देश के समक्ष वित्त मंत्री के रूप में इस सभा में बजट प्रस्तुत किया था। विश्व में कोई भी देश भारत को ऋण नहीं दे रहा था और हम लिए गए उधार की किस्तें तो दूर उसका ब्याज देने की अपनी बाध्यताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे।

आज हम कहां पर हैं। मुझे याद है कि इसकी आलोचना की गई थी। वर्ष 1991 के बाद से सभा में विपक्ष और वामपंथी दलों के सदस्यों ने सरकार और यू.पी.ए. की निन्दा की और कहा कि यह सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हित में आत्मसमर्पण कर रही है और यह सरकार पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है और यह गरीब लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। परन्तु आज उदारीकरण के पश्चात्, जिसकी वामपंथी दलों ने अपनी विचारधारा के कारण और दक्षिणपंथी दलों ने अपनी अवसरवादिता के कारण निंदा की थी, यह देश आत्मनिर्भर हैं और राष्ट्रों के समुदाय में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज भारत एक अत्यंत मजबूत देश है जो एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। दस या पन्द्रह वर्ष बाद हमें आशा है कि हम ऐसा भारत देखेंगे जिसमें कोई बेरोजगारी नहीं होगी, ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके पास रहने के लिए घर न हो। उस तरह का विकास हो रहा है।

इस वित्त विधेयक का सीमित लक्ष्य है बजट में प्रस्तावों को संवैधानिक वैधता, समर्थन प्रदान करना है। अतः, मैं विधेयक में उल्लेख किए जा रहे कराधान प्रस्तावों का पुनः उल्लेख करना चाहता हूं। गत कुछ वर्षों के दौरान, हम इस देश में कार्यान्वित किए जा रहे कर सुधारों का बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं। वर्ष-दर-वर्ष नए कर सुधार लागू किए जा रहे हैं। वर्तमान में, संप्रग सरकार केलकर समिति के प्रतिवेदन को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। केलकर समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति थी जिसने कर सुधारों के संबंध में प्रस्ताव दिए और गत कुछ वर्षों के दौरान हमारे प्रयासों से प्रणाली में व्यापक सुधार हुए हैं। हमारा दृष्टिकोण सदैव कराधान प्रणाली में आई त्रुटियों को दूर करने और कर के दायरे का विस्तार करने का रहा है। अतः, इस वित्त विधेयक में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि भारत के कर, सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही है। यदि हम आंकड़ों का उल्लेख करें, तो भारत के कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्तमान में 11.5 प्रतिशत है। वर्ष 2003-04 में यह 9.2 प्रतिशत था। यह स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि हमारा कर-अनुपालन, और कर संग्रहण संतोषजनक स्तर तक बढ़ा है। वर्तमान में कर के दायरे का विस्तार करना हमारा उद्देश्य है और इसके माध्यम से हम करों की दरों में कमी ला सकते हैं। इस सरकार का दृष्टिकोण, एक उचित स्तर तक कर की दरों में कमी लाकर और कर के दायरे का विस्तार करके अधिक धनराशि एकत्र करना है। हम अधिक धनराशि एकत्र कर रहे हैं। हमारी कर-आय में वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा संग्रहित की जाने वाली कर-आय, राजस्व का व्यय निर्धन लोगों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु किया जा रहा है। दलों, विशेष रूप से वामपंथी दलों ने यह आलोचना की कि यह देश, निर्धन लोगों की आवास, बेरोजगारी और बहुत सी अन्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज सरकार लोगों के कल्याण हेतु भारी मात्रा में धनराशि व्यय करने की स्थिति में है। सरकार इस देश के निर्धन लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ला रही है। पूरा विश्व वैश्वीकरण, उदारीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। आज भारत एक द्वीप के समान है। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्वीकरण के दवाब में नहीं हैं। सरकार, अपने लोगों की सुरक्षा करने में समर्थ है। सरकार लोगों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और कल्याणकारी उपायों हेतु भारी मात्रा में धनराशि व्यय करने की स्थिति में है। हम ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि हम अपने पिछले लगातार बजटों के माध्यम से एक आर्थिक नीति का पालन कर रहे हैं; अधिक धनराशि एकत्र कर रहे हैं; अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाया जा रहा है, और हम अधिक राजस्व अर्जित कर रहे हैं। आज हमें किसी भी देश से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। एक समय था जब, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक भारत को ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे। परन्तु, आज वे

[श्री पी.सी. चाको]

भारत को ऋण देना चाहते हैं, जबकि भारत को आज किसी ऋण की आवश्यकता नहीं है। हम यहां इतना अधिक राजस्व अर्जित कर रहे हैं। देश में निर्धन कल्याणकारी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

आप 'नरेगा' कार्यक्रम से अच्छी तरह परिचित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 144 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विश्व में इस कार्यक्रम के समान कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है। चीन सहित विश्व का कोई भी देश ऐसा कार्यक्रम लागू नहीं कर सका, जिसका इतना व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हो।

मैं ऐसे राज्य से आता हूं जहां बहुत बाग-बगीचे हैं। सभापति महोदय, आपके राज्य से बड़ी संख्या में आकर लोग इन बागानों में कार्य करते थे। आज वहां कोई श्रमिक मौजूद नहीं है। इसका कारण यह है कि 'नरेगा' लागू होने के कारण वे सभी अपने राज्य में वापस चले गए हैं, इसके अतिरिक्त, आपके राज्य में सस्ता चावल मिलता है, सस्ते कलर टेलीविजन मिलते हैं। अतः, लोगों को बहुत कम मजदूरी पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम जहां भी जाते हैं, वहां हो रहे बदलाव को देख सकते हैं। इसलिए, श्रमिक अपने मूल निवास स्थानों को लौटने लगे हैं।

महोदय, 'नरेगा' कार्यक्रम समुचित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। 'नरेगा' हेतु निर्धारित की गई भारी धनराशि इस सरकार के संकल्प और इच्छाशक्ति को दर्शाती है कि हम निर्धन लोगों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को किस प्रकार लागू कर रहे हैं।

महोदय, मैं फिर से कर सुधार प्रस्तावों पर आता हूं। केलकर समिति ने इस सरकार के समक्ष कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। अब, आयकर अधिनियम में परिवर्तन किया जाएगा और हम अगले 45 दिनों में एक नई आय कर संहिता पर चर्चा करेंगे। माननीय मंत्री जी ने सभा को इस बारे में आश्वस्त किया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश में आज प्रभावी आयकर अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल की देन है। ब्रिटिश शासन के दौरान, वर्ष 1920 या 1922 में इस अधिनियम को लागू किया गया था। हमारा मौजूदा आयकर अधिनियम बहुत व्यापक है और इसके साथ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड; उनके परिपत्र और आदेश हैं। आयकर अधिनियम में लगभग 625 धाराएं हैं। इसलिए एक आम आदमी यह नहीं समझ पाता है कि इस अधिनियम में क्या कहा गया है। आज, एक आयकर संहिता पर चर्चा की जाएगी। अगले 45 दिनों में, सरकार एक नई आयकर अधिनियम संहिता परिचालित करके इस नई आयकर अधिनियम संहिता पर जनता की राय जानेगी। यह सभा एक नई आयकर संहिता लागू करेगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा बोझिल प्रक्रिया, जिसे एक आम आदमी समझने में असमर्थ है, उसे पूरी तरह से बदलकर एक नई आयकर संहिता लागू की जाएगी।

एक अन्य कर वस्तु और सेवा कर है। मैं, सभा में मौजूद वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री को भी बधाई देता हूं, जो यहां बैठकर सुन रहे हैं। केवल एक कारण से इस बजट और वित्त विधेयक की प्रशंसा की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह पूरी सभा इस वित्त विधेयक को पारित करने के संवैधानिक दायित्व को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी?

उस दिन, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री जसवंत सिंह ने भी इस वित्त विधेयक का समर्थन किया। मेरा मानना है कि श्री जसवंत सिंह जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ और वरिष्ठ नेता भी यही सोचते हैं कि केवल कांग्रेस सरकार और सप्रंग सरकार ही अच्छा शासन चला सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी खुले मन से इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं।

वर्तमान में इस सरकार का आशय सुधार प्रक्रिया लागू करने का है। वस्तु और सेवा कर की बात करते हैं। देश में मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प कर, वाहन कर वस्तु और सेवा कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर; विलासिता कर, क्रय कर तथा अन्य प्रकार के उपकर और अधिभार जैसे विभिन्न कर मौजूद हैं। कुल मिलाकर एक दर्जन के लगभग कर मौजूद हैं। अतः, एक आम आदमी इन सभी करों को लेकर बहुत दुविधा में रहता है। इन सभी करों का स्थान वस्तु और सेवा कर ले लेगा। राज्यों का अपना स्वयं का वस्तु और सेवा कर का ढांचा होगा और इसी प्रकार केन्द्र का वस्तु और सेवा कर का अपना एक अलग ढांचा होगा। केन्द्र सरकार के लिए भी, अब हमारे पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क; केन्द्रीय बिक्री कर; अतिरिक्त उत्पाद शुल्क; सेवा कर; अतिरिक्त सीमा शुल्क; और अन्य सभी उपकर और अधिभार हैं। ये कर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य सरकारें अन्य एक दर्जन

कर लगा रही हैं। अतः, वे केन्द्र और राज्यों के लिए अलग-अलग वस्तु एवं सेवा कर शुरू करने जा रहे हैं। इस सुधार से आज के परिदृश्य में बड़ा बदलाव होगा।

महोदय, आम आदमी आयकर विवरण भी नहीं भर सकते। यद्यपि हम इसे 'सरल' कहते हैं, लेकिन महोदय, यह वास्तव में सरल नहीं है। एक व्यक्ति को अनेक फार्म भरने पड़ते हैं और अनेक विवरण देने होते हैं।

महोदय, इस बार प्रत्यक्ष करों में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। आयकर की सीमा 10,000 रुपये बढ़ाई गई है। आज 1,60,000 तक की आय पुरुषों के लिए कर मुक्त है; महिलाओं के लिए यह 1,90,000 रु. तक कर मुक्त है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,40,000 रु. तक कर मुक्त है। एक दिन श्री जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि पुरुषों और महिलाओं के लिए आयकर छूट में 10,000 की वृद्धि और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15,000 रु. की वृद्धि की गई है और यह एक बोतल व्हिस्की खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं, उनमें से कुछ के लिए उनका ब्रांड बहुत महंगा है। भारतीयों के लिए, 10,000 रु. और 15,000 रु. की राशि बहुत बड़ी है। इस सभा में, मुझे स्मरण है कि हम मांग कर रहे थे कि आयकर छूट की सीमा 1,00,000 रु. तक बढ़ाई जाए, अब यह छूट सीमा पुरुषों के लिए 1,60,000 रु.; महिलाओं के लिए 1,90,000 रु. और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,40,000 रु. है। क्या यह छोटी राशि है?

महोदय, यहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों के सम्बन्ध में मेरी एक चिंता है, जो कई वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं उन्हें आयकर में 5 लाख रु. तक छूट दी गई थी। मैं केबिनेट मंत्री और अन्य मंत्रियों से इसके बारे में चर्चा करने का निवेदन करता हूं। इन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। उन्हें अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर छोटी-मोटी राशि मिलती है, और यह पूरी राशि आयकर से मुक्त की जानी चाहिए। यह सरकार जन कार्यक्रमों के प्रति उदार रवैया अपना रही है। मुझे लगता है कि संभवतया यह बात उनके ध्यान में नहीं आई होगी।

इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं यह महसूस करता हूं कि जो योजनाएं हमने क्रियान्वित की हैं, उनकी आलोचना नहीं हुई है। लेकिन आलोचना मुख्यतः सेंसेक्स में गिरावट की हो रही है। बजट के दिन, जब श्री प्रणब मुखर्जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे, एक घण्टे के अंदर, बॉम्बे शेयर बाजार में सेंसेक्स 869 पाइन्ट और निफ्टी 259 पाइन्ट नीचे गिरा। यह आलोचना की गई थी कि यह बजट विकास विरोधी है।

महोदय, यदि शेयर बाजार में गिरावट हो रही है तो कौन परेशान है? हम पहले विकास चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि शेयर बाजार भी ऊंचे स्तर पर बना रहे। लेकिन मुझे श्री पी. चिदम्बरम, जिन्होंने 2005-06 का बजट प्रस्तुत किया था, का एक उद्धरण याद है। उन्होंने कहा था; "हम बॉम्बे शेयर बाजार के बारे में बहुत अधिक परेशान नहीं हैं; हम सरोजिनी नगर मार्केट या खान मार्केट या बंगाली मार्केट के बारे में परेशान नहीं हैं।" हम यहां हैं। हमारी सरकार गरीबोन्मुखी है। अतः यह वित्त विधेयक लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। हम बॉम्बे शेयर बाजार के बारे में नहीं अपितु स्थानीय बाजार में मूल्य वृद्धि के बारे में अधिक चिंतित हैं।

महोदय, बॉम्बे शेयर बाजार में लोगों का विचार था कि यह सरकार सभी सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचने जा रही है। आप कारण जानते हैं। हमारे वाम मोर्चे के मित्र कह रहे हैं "अब हम सरकार में नहीं हैं; अतः कांग्रेस और संप्रग सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेच देगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने वाम मोर्चे के समर्थन के कारण ऐसा नहीं किया? हम जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हितों की रक्षा कैसे करनी है। माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने उल्लेख नहीं किया है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेच रहे हैं। अतः बॉम्बे शेयर बाजार में निरशा थी। लेकिन किसी की उच्च्य-अपेक्षाओं के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है; उसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी।" यदि बॉम्बे शेयर बाजार में भारी गिरावट थी तो यह अधिक अपेक्षाओं के कारण थी। वे चाहते थे कि सार्वजनिक उपक्रमों के सभी शेयर बेच दिए जाएं।

महोदय, यह सरकार जानती है कि पैतृक सम्पत्ति कम बेचनी है। यह लोगों का धन है। विनिवेश के बारे में सरकार निर्णय करेगी कि यह कब और कैसे होना चाहिए। मैं बहुत निकट, केरल हाउस में ठहरा हुआ हूं। केरल हाउस से संसद आते समय, मैं अशोक रोड जंक्शन से जनपथ जंक्शन तक देखता हूं और मैंने पाया कि जब भाजपा के नेतृत्व में सरकार सत्ता में थी तो सड़क का बांया हिस्सा पूरी तरह बेच दिया गया। यह वैसा विनिवेश

[श्री पी.सी. चाको]

नहीं है जैसा कांग्रेस चाहती है। कनिष्क होटल, अशोक यात्री निवास के निकट की समस्त महत्वपूर्ण सम्पत्ति भाजपा सरकार द्वारा बेच दी गई थी। आप 'इण्डिया शाइनिंग' के दिनों की भाजपा सरकार को तो जानते ही हैं! उन्होंने मामूली कीमतों पर सम्पत्ति बेचने का निर्णय किया था। कांग्रेस इस तरह का विनिवेश नहीं करना चाहती। इस बजट में विनिवेश घोषणा नहीं की गई। इससे कुछ लोगों में निराशा थी और इसीलिए शेयर बाजार में गिरावट आई थी।

अतः सरकार जो अपना रवैया अपना रही है, वह इस वित्त विधेयक में एकदम स्पष्ट है। कर ढांचे में किए गए संशोधन स्वागत योग्य हैं।

इसमें कुछ बातें हैं जहां मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए बजट घाटे को ही लें। जब बजट घाटा बढ़ता है, तो सामान्यतः कोई भी सरकार कर बढ़ाएगी। लेकिन इस बजट और वित्त विधेयक की खास बात यह है कि किसी बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बजट घाटा बढ़ रहा है। जब घाटा बढ़ रहा है, कर नहीं बढ़े हैं। लोग हैरान हैं कि यह कैसे हो रहा है। आज राजकोषीय घाटा 6.2 प्रतिशत है। विपक्ष द्वारा शोर किया जा रहा है कि क्या यह औचित्यपूर्ण है। लेकिन हां, विकास की दृष्टि से यह उचित है।

महोदय, भारत एक उभरता हुआ देश है। यदि राजकोषीय घाटा 6.2 प्रतिशत है, तो हम इसकी पूर्ति विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में की जा रही प्रगति से कर लेंगे। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था इस राजकोषीय घाटे की पूर्ति कर सकती है। अतः, हम 6.2 प्रतिशत राजकोषीय घाटा वहन कर सकते हैं। हमने इसके लिए रोडमैप बनाया है। अगले वर्ष, यह पांच प्रतिशत होगा। उससे अगले वर्ष यह चार प्रतिशत होगा। हम इसमें कमी लायेंगे। इसलिए, राजकोषीय घाटे का विरोध उचित नहीं है।

महोदय, 'मैट' 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। यह पुनः दर्शाता है कि यह सरकार गरीबों की पक्षधर सरकार है। कारपोरेट क्षेत्र कुछ नाराज हो सकता है। पहले यह 10 प्रतिशत था और अब यह बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया है। मैट में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहां भी कारपोरेट क्षेत्र के अधिवक्ता हैं। कुछ लोग उनके लिए तर्क भी कर रहे हैं। जहां तक व्यापार कारोबार कर का संबंध है, 40 लाख रुपये तक की धनराशि कर के दायरे में लाई गई है। इसका अभिप्राय है कि इसका आधार व्यापक किया गया है। कानूनी परामर्शदाता फर्म भी हैं।

महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण सभा में एक अन्य महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं। यह शिक्षा ऋण के संबंध में है। आम आदमी शिक्षा ऋण लेता है। यह मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए है। पहले यह केवल तकनीकी शिक्षा के लिए दिया जाता था। अब, इस संबंध में एक घोषणा की गई है। सब को इसका स्वागत करना चाहिए। बच्चे किसी भी पाठ्यक्रम का अध्ययन करें; आप बच्चों को किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए भेजें, उनको शिक्षा ऋण के लिए इस पर उपलब्ध कर कटौती का लाभ मिलेगा। यह सभी के लिए है। यह सभी पर लागू होता है। यह बहुत सुखद संकेत है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक-दो छोटी-छोटी बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समुद्रतटीय माल पर सेवा कर लगाया गया है। महोदय, आप चेन्नई से हैं। मैं तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य से हूं। यदि समुद्रतटीय माल पर सेवा कर लगाया जाता है, तो इससे आम आदमी कैसे प्रभावित होगा? सड़कों पर यात्रा करना कठिन हो गया है। सड़कों पर यातायात में भारी वृद्धि हुई है, किन्तु सड़कें उस अनुपात में नहीं बढ़ी हैं। इसलिए, माल यातायात जलमार्गों से होना चाहिए, लेकिन तटीय माल ढुलाई सेवाओं को सेवा कर के अधीन लाना चाहिए। मेरी अपनी आशंकाएं हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत उपभोग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आम आदमी के कल्याण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। अब, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत, सी.एफ.एच. बल्ब दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास नवीनतम प्रौद्योगिकी है। हमारे पास 'लेड' (एल.ई.डी.) हैं, अर्थात 'लाइट एमिटिंग डायोड्स'। इसमें बिजली की बहुत कम खपत होती है। इस देश में बिजली नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी.सी. चाको: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

इस देश में, बिजली की भारी कमी है। पम्प सेट

काम नहीं करते हैं। आठ से दस घण्टे तक की बिजली की कटौती होती है। इस स्थिति में, इस 'लेड' (एल.ई.डी.) प्रकाश व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के किसी भी प्रस्ताव का स्वागत होना चाहिए। मामूली लाभ कर, करों पर अतिरिक्त शुल्क और ऐसी अन्य वस्तुओं को समाप्त कर देने से निर्धन लोगों के हाथ में अधिक धन आएगा। यह एक स्वागत योग्य बजट है। सरकार के प्रस्तावों को लागू करने के लिए वित्त विधेयक को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इससे सरकार के दृढ़ निश्चय का पता चलता है। यह इस सरकार के लक्ष्य को दर्शाता है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।

अतः, मैं पूर्णतया इस विधेयक का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यह सभा सर्वसम्मति से इस वित्त विधेयक को पारित करे और अनुमोदित करे, और यह इस देश की समृद्धि के लिए होगा, जो इस देश को सुन्दर भविष्य की ओर ले जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार ने इसमें कृषि के लिए जो व्यवस्था की है, वह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए नाकाफी है। इसमें कृषि के लिए और अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर सरकार सिर्फ सस्ते कर्ज की बदौलत चार फीसदी विकास की दर हासिल करना चाहती है तो यह मुश्किल होगा। इसके लिए सरकार को अन्य व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें सरकार ने बीज, पानी, कीटनाशक, पौष्टिक खाद एवं सिंचाई जैसी बुनियादी जरूरतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। एक तरफ सरकार ने यूरिया से सब्सिडी हटा दी है तो दूसरी ओर नाइट्रोजन पर बढ़ा दी है। यह एक तरह से एक तरफ का कान छोड़कर दूसरा कान पकड़ने जैसी बात है। खेती के सहयोगी कामकाज जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी आदि पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि गांवों में लोग पशुपालन पर भी किसी हद तक निर्भर रहते हैं। यदि आप लोगों को पशुपालन की तरफ प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर गांव कमजोर होंगे। आज पशुओं को जो आहार दिया जा रहा है, वह इतना महंगा हो गया है कि अब लोग पशुपालन करने से कतराने लगे हैं। आज गांवों में दूध 12, 13 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और वही दूध शहरों में आकर 25, 26 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इस तरह से गांव में तो उचित मूल्य मिल ही नहीं रहा है, जबकि हम गांव और गरीब के बारे में हमेशा बहस करते हैं। इस तरह से गांवों की अनदेखी हो रही है। पशुओं को जो आहार दिया जा रहा है, उस आहार पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी होनी चाहिए, जिससे कि लोग पशुपालन की तरफ अपने को अग्रसारित कर सकें।

महोदय, दलहन, तिलहन, गन्ने जैसी नकदी फसलों की पैदावार साल दर साल घटती जा रही है। विदेशों से आयातित दाल व तेल से हम अपना काम चला रहे हैं। तिलहन की पैदावार में 5.5 फीसदी, दलहन की पैदावार में चार फीसदी और गन्ने की पैदावार में 15 फीसदी की गिरावट आई है। यह चिन्ता का विषय है। सिंचाई के लिये जो धन का आवंटन किया गया है, वह बहुत ही कम है। जब गांव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहेगी तो लोग खेती कैसे करेंगे? सूखा पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गांवों में किसान जो मिनी ट्यूबवैल लगाते हैं, उसकी लागत का 75 प्रतिशत सरकार वहन करे जिससे गरीब किसान अपने खेत की सिंचाई मिनी ट्यूबवैल से कर सकें, अपने बिजनैस पाइंट ऑफ व्यु से साग-सब्जी पैदा कर सके ताकि उसका आर्थिक विकास हो।

सभापति महोदय, आज से 40 साल पहले स्व. इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन उसमें आज तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस देश में गरीब और बढ़ गये हैं। गरीबी मिटने के बजाय गांवों में गरीबी और बढ़ गई है। इस वर्ष फरवरी में सरकार ने संसद में लेखा अनुदानों की मांगें पेश करते हुए कहा था कि वर्ष 2014-15 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की वर्तमान दर को आधे से कम पर ले आया जायेगा लेकिन इस योजना के लिये कोई ठोस उपाय नहीं बताये गये हैं कि किस तरह सरकार वर्ष 2014 तक गरीबी पर नियंत्रण कर पायेगी। इस बात का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान सर्व शिक्षा अभियान की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर वास्तव में

[श्री तूफानी सरोज]

चिन्ता माध्यमिक शिक्षा की है। आज भी माध्यमिक स्तर पर लगभग 72 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं जबकि दो लाख नये शिक्षकों की आवश्यकता है। इसी तरह दुगने माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया है जिसके लिये ब्लाक स्तर पर देश में 6000 आदर्श विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इस मद के लिये बजट में केवल 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हमें नहीं लगता कि इतनी कम धनराशि से सरकार की मंशा पूरे देश में 6000 आदर्श विद्यालय खोलने से पूरी हो पायेगी।

सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं जहां से 80 सांसद आते हैं। सरकार ने देश में 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है जिसके लिये 827 करोड़ रुपये रखे गये हैं लेकिन सूची में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 13980 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधायें कैसे सुधरेंगी? इसका कोई जिक्र नहीं है। आज भी गांव में डाक्टर नहीं रहना चाहता है, सब लोग शहरों में जाना चाहते हैं। जितनी भी चिकित्सा संबंधी व्यवस्थायें हैं, वे सब शहरों में ही हैं। गांवों में जो कुछ भी व्यवस्थायें हैं, वे लगभग मृतप्राय: ही पड़ी हुई हैं। उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लोगों को मजबूरी में शहरों की ओर जाना पड़ता है। चूंकि गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये कोई डाक्टर गांव में न रहकर शहर में रहना चाहता है। जब तक गांवों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक कोई डाक्टर गांव में रात को भी नहीं रुकेगा। वह दिन की ड्यूटी पूरी करके शहर की तरफ भागता है। जब रात में किसानों को समस्या होती है तो वह परेशान हो जाता है। इस समय देश में 31 हजार स्वास्थ्य उप-केन्द्र, 5000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2500 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है।

मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एड्स जैसी बीमारी के एच.आई.वी. टेस्ट के लिए इस बार सरकार ने 24 करोड़ 35 लाख रुपए की कमी की है, जबकि ऐसी जानलेवा बीमारी के लिए और ज्यादा बजट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इस बजट में कमी की गयी है। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी जैसी चिकित्सा की पद्धतियों के विकास की घोर उपेक्षा की गयी है। पिछले साल इसके लिए 17 करोड़ 19 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन इस बार मात्र 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। आज होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा लोगों को विश्वास होने लगा है। आज एलोपैथिक दवाओं में तमाम तरह की डुप्लीकेसी चल रही है, तमाम तरह की नकली दवाएं बन रही हैं इसलिए लोगों का विश्वास इनके ऊपर से उठता जा रहा है और लोग अब होम्योपैथ, आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब लोगों का विश्वास होम्योपैथ और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है इसलिए इनके बजट में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

महोदय, जिला मुख्यालय के जो बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहां मानसिक रोगियों को देखने के लिए किसी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। शायद ही किसी जिला मुख्यालय पर कोई मनोचिकित्सक बैठता हो। इस रोग की चिकित्सा के लिए रोगों को शहरों में जाना पड़ता है।

महोदय, अपने बजट में रेल और पानी के जहाजों से माल ढुलाई पर सेवा कर लगाने की बात की है। इससे महंगाई को ही बढ़ावा मिलेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी ने रेल और पानी के जहाजों से माल ढुलाई पर सेवा कर लगाने की जो बात की है, उस पर सोचना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं सांसद निधि के बारे में कहना चाहूंगा। आज सांसद निधि सबके लिए समस्या है, आज 300 से ज्यादा सिटिंग सांसद चुनाव हार गये हैं। पिछली बार मैं एम.पी.लैड कमेटी में था और हमने कमेटी के माध्यम से पूरे देश का दौरा किया था। हमने देखा था कि सांसद निधि के माध्यम से 80 परसेंट काम हुआ था, सांसद निधि से 80 परसेंट काम किये गये थे। यह हम लोगों ने सब जगह जाकर देखा था और हमने इनकी फोटोग्राफी की थी।

महोदय, केंद्र सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट को जो 25 हजार करोड़, 30 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ रुपया देती है, उसका कितना परसेंट पैसा सही ढंग से कार्यान्वित होता है, उसका कितना इंप्लीमेंटेशन होता है? जब आप उसे देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका 30 या 40 परसेंट भी सही ढंग से खर्च नहीं होता है। सांसदों को जो

निधि मिलती है, सांसद ईमानदारी से उसका 80 परसेंट अपने क्षेत्र में खर्च करता है, वह इसलिए करता है, उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि उसे फिर से चुनाव जीतकर आना होता है। उसकी मंशा है कि यदि क्षेत्र में हमारी निधि से काम होगा तो फिर दुबारा से जनता चुनकर हमें संसद भेजेगी। यह सांसद निधि से जो दो करोड़ रुपया मिलता है पांच विधानसभा क्षेत्र के लिए, कहीं-कहीं आठ-आठ विधानसभाएं हैं, 25 लाख, 30 लाख रुपया जो साल में मिल रहा है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

महोदय, हमारे यहां ठाकुर बाबा की कथा होती है तो उसमें प्रसाद के रूप में पंजीरी दी जाती है। अगर हम दो करोड़ रुपए की पंजीरी बनाकर दरवाजे-दरवाजे देना चाहें तो हम उससे दरवाजे-दरवाजे प्रसाद भी नहीं पहुंचा सकते हैं। यह हालात हैं और ये जो इतने बड़े पैमाने पर सांसद चुनाव हारे हैं, इसका मुख्य कारण सांसद निधि है। आज जनता जानती है कि सांसद को भी विकास के लिए कुछ पैसा मिलता है, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर आशा रखते हैं।

महोदय, उन्हें इससे मतलब नहीं रहता है कि हमें मात्र दो करोड़ रुपया मिलता है और हमारे पास आठ या नौ विधानसभाएं हैं, उन्हें अपनी जरूरत से मतलब होता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि या तो सांसद निधि को 10 करोड़ कर दिया जाए या फिर सांसद निधि को बंद कर दिया जाए। आप उसी पैसे को राज्य सरकार को दे दीजिए, देखिए राज्य सरकार क्या विकास करती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट को विकास के लिए पैसा दिया जाता है, उस पैसे में से कटौती करके 10 करोड़ रुपया प्रति सांसद को दीजिए। आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सांसद अपने क्षेत्र का विकास करेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उससे आम आदमी की समस्याएं हल होती नहीं दिखती हैं। देश की मुख्य समस्याएं तीन 'पी' हैं, एक पावर्टी है, दूसरी पॉपुलेशन और तीसरी पोल्यूशन है। ये तीनों एक-दूसरे के साथ जुड़ी हैं, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में हमें जो स्टेप लेना चाहिए, वह नहीं ले रहे हैं। अगर देश को तरक्की करनी है तो तीन मुख्य समस्याओं - पावर्टी, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन से छुटकारा पाना होगा। मेरे तीन सुझाव इस संबंध में हैं। बी.पी.एल. की जो वर्तमान सूची अस्तित्व में है, वह अन्यायकारी और गलत है। ए.सी. चैम्बर में बैठकर अफसर लोग गरीबों के लिए रेखा बनाते हैं। जिसकी झोपड़ी में एक बल्ब जल गया या सैकेंड हैंड पंखा चल गया, या उसके पास थोड़ी सी जमीन है तो उसे गरीबी की रेखा से हटाया जाता है। यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक और नाइंसाफी है। मेरा सुझाव है कि फिर से सर्वे किया जाए और जो वास्तविक गरीब हैं, जिनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनको न्याय दिया जाए।

मेरा दूसरा सुझाव आवास के संबंध में है। इस देश में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां कोई पक्के मकान नहीं हैं, सब मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, लेकिन बी.पी.एल. की सूची में अन्याय होने के कारण उसको पक्के घर की सुविधा नहीं मिलती। मेरा अनुरोध है कि जिसके पास कच्चा मकान है, उसका नाम बी.पी.एल. सूची में हो या न हो, उसको पक्के मकान की सुविधा मिलनी चाहिए।

किसानों को आपने जो ऋणमुक्ति दी, उसका हम स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। मेरा तीसरा सुझाव है कि जो मेहनतकश किसान हैं जिन्होंने प्रामाणिकता से अपना ऋण अदा किया है, उनको भी सूखे की परिस्थिति में लाभ मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि उसको ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए।

महोदय, सदन में एक सम्माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार की बात छेड़ी थी कि देश में भ्रष्टाचार को हमें मिटाना है। हम सब तो नए आए हैं। यहां 282 नए संसद सदस्य एक अच्छे विचार और भावना के साथ आए हैं। जब हम गांवों में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री दिल्ली है, दिल्ली से उसकी शुरुआत होती है। मेरा अनुरोध है कि हम चैरिटी बिगेन्स एट होम के बजाय चैरिटी बिगेन्स एट पार्लियामैंट की शुरुआत करें। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे फाइनैंस बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति जी, आप जानते हैं कि पूरा विश्व मंदी के दौर

[श्री पन्ना लाल पुनिया]

से गुजर रहा है। इन परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक विकासपरक बजट पेश किया है जिसमें सामान्य खर्चों के लिए, ब्याज भुगतान के लिए, सबसिडी के भुगतान के लिए, छठे वेतन आयोग की रिकमंडेशंस को लागू करने के लिए, रक्षा के लिए जहां धनराशि बढ़ाकर प्रावधान किया गया है, वहीं विकास कार्यो के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र, किसान और मजदूर के लिए भी बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है।

सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में स्वयं यह घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार दस लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च का यह बजट है। इस 10,20,838 करोड़ रुपये के व्यय में नॉन प्लांड एक्सपैंडीचर, 6,95,689 करोड़ रुपये है, प्लांड एक्सपैंडीचर 3,35,149 करोड़ रुपये है। प्लांड एक्सपैंडीचर में सैन्ट्रल प्रोजैक्ट्स स्कीम्स के लिए 2,39,840 करोड़ रुपये तथा 85,309 करोड़ रुपये स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज के लिए सैन्ट्रल असिस्टैन्स के रूप में देने का प्रावधान है। इस पूरे खर्चे की पूर्ति के लिए 6,14,497 करोड़ रुपये की धनराशि रैवेन्यू रिसीट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगी तथा 4,06,341 करोड़ रुपये की आय हमें कैपिटल रिसीट के माध्यम से प्राप्त होगी। इस प्रकार रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को जोड़कर, 10,20,838 करोड़ रुपये के खर्च की पूर्ति हो जाती है। कैपिटल रिसीट में 400,996 करोड़ रुपये की प्राप्ति बाजार से कर्ज के माध्यम से दिखाई गई है। यही फिसिकल डैफिसिट है, जिसकी दूसरी तरफ बैठे हुए विद्वान साथियों ने काफी आपत्ति और आलोचना की थी। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जितनी हमारी आमदनी होती है, उसी के सापेक्ष खर्च का बजट बनाना किसी वित्त मंत्री के लिए सबसे आसान काम है। लेकिन यह तो एक हाऊसवाइफ का बजट होता है, किसी देश का बजट नहीं। एक गृहिणी अपनी आमदनी को देखती है और उसी हिसाब से अपने खर्चों को सीमित करती है। लेकिन देश का बजट इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है। एक गृहिणी देखती है कि उतना ही पैर पसारो जितनी चादर है। लेकिन देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, खर्चों को देखते हुए, आमदनी की व्यवस्था की जाती है। जितने पैर पसारे जाएं, उतनी ही चादर की व्यवस्था की जाती है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आवश्यकताओं और खर्चों का आकलन करते हुए रिसोर्सिज की व्यवस्था की है। यह काम उन्होंने बखूबी किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, दुनिया विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, यह सभी जानते हैं, हिन्दुस्तान पर भी इसका असर पड़ा है। तीन स्टिमुलस पैकेज 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये के देने के बाद, हम इस स्थिति में हैं कि 6.7 प्रतिशत विकास दर हासिल कर सके। वित्त मंत्री जी ने अपनी तीन मुख्य चुनौतियां बजट में रखी थीं, जिनमें से पहली है - यथाशीघ्र पुनः अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9 प्रतिशत लाना। यह वित्त मंत्री जी का प्रोएक्टिव रोल है। मार्किट फोर्सिज पर उन्होंने नहीं छोड़ा है। प्रोएक्टिव रोल लेकर एक लीडरशिप दिखाते हुए देश की इकोनमी को सुदृढ़ करने का, उसमें मजबूती लाने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लोगों की आय में वृद्धि करो ताकि खर्च बढ़े। लोगों की आय बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे मांग बढ़ेगी, इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इसे ही वित्त मंत्री जी ने मूल मंत्र माना है।

महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बेतहाशा खर्च का प्रावधान किया गया है। हाइवे में 23 प्रतिशत, रेलवे में 50 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग के ए.पी.आर.डी. प्रोग्राम में 160 प्रतिशत की वृद्धि, नरेगा में 144 प्रतिशत की वृद्धि, भारत निर्माण योजना में 45 की वृद्धि, पी.एम.जी.एस.वाई. में 59 प्रतिशत की वृद्धि, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 27 प्रतिशत की वृद्धि और इन्दिरा आवास योजना में 63 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैं समझता हूं कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, जो कि अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी।

महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लाना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि यह चाहें कि देश विकास करेगा, देश की तरक्की होगी और उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा वैसे के वैसे बने रहें, तो इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास तभी होगा, जब हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों का विकास हो। हमें मानक बना लेने चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी और रोजगार का मानक बना लेना चाहिए। इनके स्टैण्डर्ड्स और पैरामीटर्स बना लेने चाहिए और उसे देखते हुए ही केन्द्रीय सहायता और योजनाओं

में धनराशि दी जानी चाहिए। पर्यावरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। मैं समझता हूं कि बीस साल से पेड़ लगाने के लिए यहां से धनराशि दी जाती रही है। अगर बीस साल का टोटल देख लिया जाए कि कितने पेड़ लगे हैं, मैं समझता हूं कि आंकड़ों के हिसाब से इस पृथ्वी पर जगह नहीं बचेगी, सब जगह पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। बेतहाशा वनों का कटान हो रहा है। वनों का कटान रोकने के लिए केन्द्र सरकार का अधिनियम बना है, उसकी अवहेलना हो रही है। तब क्या होता है, जब राज्य सरकारें स्वयं एक पार्क में अपनी मूर्ति लगाने के लिए पेड़ों के ग्रीन बेल्ट को काटना शुरू कर देते हैं और केन्द्र सरकार के बनाए हुए कानून की अवहेलना करते हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यावरण में असंतुलन के कारण बीमारियां हो रही हैं, मौसम व वर्षा में अनिश्चितता बढ़ रही है। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक आवश्यक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो हजारों करोड़ रुपया केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों को भेजा जाता है, उसकी मोनिटरिंग की सही व्यवस्था होनी चाहिए। उस धनराशि का सही उपयोग नहीं होता। मुझे याद है कि यहां से कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय मंत्री जाते थे, केन्द्रीय विभाग के सचिव जाते थे। वे समीक्षा करते थे और देखते थे कि जिन योजनाओं पर खर्चा करना आवश्यक था, उन पर खर्चा हुआ या नहीं। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, जब आप केन्द्रीय संतुलन दूर करने की, स्थानीय संतुलन की बात करते हैं तो उसमें इसलिए भी आवश्यकता है कि हमारा एथनिक बैलेंस भी होना चाहिए। एस.सी., एस.टी. के लिए जितनी धनराशि है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से हमने यह व्यवस्था की कि अनुसूचित-जाति, जनजाति के लिए विशेष योजना बने, लेकिन उस पैसे का सामान्य योजनाओं के माध्यम से खर्च कर दिया जाता है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। दलितों के उत्थान के लिए भेजी गई धनराशि का सही प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, डिलीवरी सिस्टम बहुत जरूरी है, यह अत्यंत आवश्यक है। माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने सन् 2007 में एन.डी.सी. की मीटिंग में यह घोषणा की थी कि अगर हम एक रुपया गरीब के लिए भेजते हैं तो उस पर केन्द्र सरकार का खर्चा तीन रुपए साठ पैसे आता है। चार रुपए साठ पैसे और उस पर एक रुपए के लिए राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम एक रुपया दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन उसके 15 पैसे ही वहां पहुंचते हैं। राहुल जी ने जब बुंदेलखंड का दौरा किया, वे जगह-जगह गए और वहां की जमीनी हकीकत देखी, उन्होंने कहा कि ये तो दस पैसे से भी कम हैं। हम जो चार रुपए साठ पैसे भेजते हैं और वहां अगर दस पैसे पहुंचते हैं तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस पर विचार करना चाहिए। व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं नेशन की फिजिकल हैल्थ पर बात करना चाहूंगा, हमारी क्या फिजिकल हैल्थ है। हम देखते हैं कि हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडीचर 6,95,695 करोड़ है और रेवेन्यू रसीट सिर्फ छः लाख चौदह हजार करोड़ है। 10,20,838 करोड़ के खर्च में हमारा प्लान एक्सपेंडीचर सिर्फ तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ है। अगर इसको भी फंड करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि हमारी जो टैक्स के माध्यम से इनहाउस इनकम है, वह हमारी किसी भी योजना को फंड करने के लिए सक्षम नहीं है और हमें कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए कि हमारे देश की फिजिकल हैल्थ क्या है और इन आंकड़ों के सहारे, मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इसका जरूर उल्लेख करेंगे।

सभापति महोदय, मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है, जो समेकित विकास, गरीबों के विकास और किसानों के विकास के लिए समर्पित है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): धन्यवाद, सभापति महोदय।

मैं यहां कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि समय की कमी है और इसलिए समयाभाव के कारण मैं सरकार के विचारार्थ कुछ महत्वपूर्ण विषयों को ही लूंगा।

सर्वप्रथम, मैं यह कहूंगा कि इस बजट में अधिकांशतः शब्दाडम्बर है; इसमें सोच की कमी है; कल्पना और व्यवहार के बीच सहसंबंध का अभाव है।

महोदय, सर्वप्रथम मैं कर प्रस्तावों का संदर्भ दूंगा। बजट में जिस तरह कर प्रस्तावों का वर्णन किया गया है,

[श्री प्रबोध पाण्डा]

उससे सरकार की विफलता झलकती है। 6.8 प्रतिशत वित्तीय घाटे का अनुमान है। सरकार की प्रमुख विफलता यह है कि माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि गैर-कर योग्य साधनों से संसाधन सृजन नामतः 35,000 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए साधन '3 जी स्पेक्ट्रम' की बिक्री से और शेष बड़े ऋणों के माध्यम से जुटाए जाने हैं। बजट पर चर्चा के प्रथम चरण के दौरान, माननीय वित्त मंत्री ने कौटिल्य को उद्धृत किया, लेकिन मेरा विचार है, उन्हें चार्वाक से उद्धृत करना चाहिए था। जिन्होंने कहा था "ऋणम कृत्वा धृतम पिवेत्" लेकिन दुर्भाग्यवश, उन्होंने चार्वाक का उद्धरण नहीं दिया। 3जी स्पेक्ट्रम की बिक्री और भारी ऋण के माध्यम से संसाधनों का सृजन इस सरकार की विफलता है। वित्त मंत्री ने निवेश करने और निर्धनों और वंचितों को लाभ पहुंचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। वर्ष 2008-2009 के संशोधित आंकड़ों के संबंध में वर्ष 2009-2010 में कुल वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की केवल 2 प्रतिशत है। केन्द्रीय योजना आबंटन में सकल घरेलू उत्पाद का केवल एक प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार के प्रतिपादनों के साथ माननीय वित्त मंत्री का दावा है कि बजट का उद्देश्य विकास है। सरकार सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत की वृद्धि द्वारा विकास को प्रोत्साहन देना चाहती है। यह स्थिति है।

महोदय, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वह कितना है? ये आंकड़े 3,25,000 करोड़ रुपये बताये गए हैं। लेकिन इस धनराशि का निवेश बैंकों द्वारा किया जाएगा। इसका बजटीय आबंटन के माध्यम से निवेश नहीं किया जायेगा। यह बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2008-09 की धनराशि लगभग 2871 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष धनराशि में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा अवसंरचना क्षेत्र में निवेश से संबंधित है। अवसंरचना में 60 प्रतिशत निवेश सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। नरेगा के संबंध में कहा गया है कि इसके लिए बजट आवंटन में 144 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन पूरी धनराशि कितनी है? वर्ष 2008-09 के दौरान यह 36,750 करोड़ थी और अब यह बढ़कर 39,000 करोड़ रुपए हो गई है। अतः धनराशि में केवल 3250 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। बजट में प्रस्ताव यह है कि 60 रुपए के बदले 100 रुपए का भुगतान किया जाना है। अतः आबंटन अपर्याप्त है। यह प्रासंगिक मात्रा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में धनराशि का आवंटन 1930 करोड़ रुपए है।

वृद्धि केवल 1.2 प्रतिशत है।

अब मैं आई.सी.डी.एस. की बात करता हूं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सरकार आई.सी.डी.एस. (समेकित बाल विवाह योजना) को सभी जगह लागू करने पर विचार कर रही है। यह ठीक है। लेकिन इसके लिए आबंटन कितना है? केवल 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम शिक्षा के अधिकार के लिए कानून की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक कानून है। लेकिन इसके आवंटन की क्या स्थिति है? इसे 200 करोड़ रुपए से कम मिल रहा है।

अपराह्न 2.00 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अब मैं खाद्य सुरक्षा पर आता हूं। इसका उल्लेख माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहले ही हो चुका है कि प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को 3 रुपए प्रति किलो की दर से 25 किलो अनाज दिया जाएगा। जो पहले दिया जा चुका है, वह अभी भी मौजूद है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत, प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रत्येक माह 35 किलोग्राम अनाज पाने का हक है। अब इसे कम किया जा रहा है। 35 किलोग्राम के बदले अब 25 किलोग्राम देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। अतः यह 10 किलोग्राम कम है। इतना ही नहीं उन्हें पहले 2 रुपए प्रति किलोग्राम देना होता था, जबकि अब उन्हें 3 रुपए प्रति किलोग्राम देना पड़ेगा। अतः दस किलोग्राम अनाज और खरीदने के लिए उनके पास बाजार जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जहां तक खाद्य सुरक्षा की बात है, यह प्रावधान पर्याप्त नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अनाज में अंत्योदय योजना के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप दो रुपए प्रति किलो की दर से 25 किलो के स्थान पर 35 किलो अर्थात् 10 किलो की वृद्धि करें।

अब मैं कृषि क्षेत्र में ब्याज दर पर आता हूं। संप्रग सरकार ने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया है। ठोस प्रस्ताव

यह है कि कृषि के लिए ऋण चार प्रतिशत की साधारण ब्याज दर से अधिक नहीं होना चाहिए। आपने नियमित भुगतान के मामले में एक प्रतिशत ब्याज कम किया है। लेकिन यह चार प्रतिशत क्यों न हो? सरकार को स्वयं द्वारा गठित आयोग की सिफारिशों का सम्मान तो करना ही चाहिए। एक वैद्यनाथन समिति भी है। वैद्यनाथन समिति ने सहकारिता क्षेत्र के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इस पहलू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आयोग और समितियां गठित की जा रही हैं। सरकार आयोग पर आयोग गठित करने में विशेषज्ञ हो गई है। लेकिन ऐसे आयोगों की सिफारिशों का क्या हुआ? अभी तक इनमें से कितनों को सम्मान मिला है? अतः मैं पुरजोर मांग करता हूं कि संप्रग सरकार को स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सम्मान करना चाहिए।

जहां तक किसानों को उर्वरकों पर राज-सहायता उपलब्ध कराने का प्रश्न है सरकार इस बारे में विचार कर रही है। कुछ ठोस समाधान सामने नहीं आया है और न ही सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि किसानों को प्रत्यक्ष रूप से राजसहायता प्रदान करने के लिए प्रबंध किया जाएगा। वर्तमान में हम कृषि क्षेत्र में क्या देखते हैं? बजटीय आवंटन अधिकतर राजस्व क्षेत्र के लिए है, न कि पूंजी क्षेत्र के लिए। कृषि के लिए पूंजी निर्माण दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है क्योंकि बजटीय आवंटन मुख्यतः राजस्व क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। 99.5 प्रतिशत आवंटन राजस्व क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है और केवल 0.11 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए दिया जा रहा है।

सरकार कृषि के लिए छह प्रतिशत की दर से ऋण का प्रस्ताव कर रही है। लेकिन यह अल्प अवधि फसल तक सीमित है। मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे फसल ऋण तक सीमित न करे। कृपया यह सुविधा मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के लिए भी दे।

मुझे कहना बहुत है। लेकिन समय की कमी के कारण मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार कथनी को करनी में बदले। कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। कथनी और करनी के बीच बड़ा अंतर है। सरकार इसे दूर करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे फाइनैंस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

सर्वप्रथम मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने ओपनिंग भाषण में कहा था कि यह आम-आदमी का बजट है। उन्होंने पैराग्राफ छः में यह भी कहा था कि भारत के किसान और किसान से कनेक्टेड यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से कनेक्टेड जनता साठ प्रतिशत है। यह बात आपने अपने अभिवादन में शुरुआत में कही, लेकिन जब जी.डी.पी. और बजट का एलोकेशन आया तो एग्रीकल्चर सैक्टर में एक प्रतिशत का बजट आया और एक हजार करोड़ रुपए सिर्फ सिंचाई के लिए दिए। माननीया प्रेसीडेंट आफ इंडिया के भाषण में, उन्होंने खेती को तीन भागों में बांटा था और तीसरे भाग में बागवानी के लिए भी कहा था, लेकिन एक हजार करोड़ रुपए जो सिंचाई के लिए एलोकेट किए गए हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि इससे बागवानी की भी सिंचाई नहीं हो सकती है।

आप पिछले 61 साल के इतिहास को देख लीजिए। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। आप चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक कृषि और कृषि से कनेक्टेड लोगों की तरक्की नहीं होगी, तब तक भारत की तरक्की नहीं हो सकती, यह बात सिद्ध हो चुकी है। इस संबंध में मैं एक डाटा और बताना चाहता हूं। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं, उसका नाम उत्तर प्रदेश है। यह संसार में सातवां लार्जेस्ट पापुलेटेड स्टेट है। इसकी 18 करोड़ आबादी है और उनकी यह दुर्व्यवस्था है कि बीस दिन का मानसून डिले होने से पूरी वित्त व्यवस्था चरमरा रही है। मुझे इसका बहुत अफसोस है।

मोहदय, मैं मोटी-मोटी बातें कहकर, बाकी भाषण लिखकर दे दूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। बजट के भाषण या बिल में कहीं भी सरकार के एक्सपेंडीचर में कटौती नहीं हुयी है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, जैसे स्टील अथारिटी आफ इंडिया है, यहां 550 करोड़ रुपये से ज्यादा सिर्फ तनख्वाह के लिए खर्च होता है। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया तब बनी थी, जब भारत में

[श्री विजय बहादुर सिंह]

स्टील का प्रोडक्शन बहुत कम था। जो बाहर से स्टील आता था, उसे बांटने के लिए यह बनी थी। आज इतना ज्यादा स्टील है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के कम से कम 14 ऐसे डिपार्टमैंट हैं जिन्हें सिर्फ तनख्वाह बांटी जा रही है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने कहा कि 9 प्रतिशत ग्रोथ हो गई। आपने 4 प्रतिशत एग्रीकल्चर की बात कही। दो महीने पहले फाइनैंशियल टाइम्स में माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी की स्पीच का एक ऐक्सट्रैक्ट निकला था, जिसमें उन्होंने माना है कि पिछले पन्द्रह साल से कृषि में एक प्रतिशत की वृद्धि नहीं हुई। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो फिगर दी है, मैं उस फिगर को भी सही नहीं समझता कि भारत में सिर्फ 60 प्रतिशत एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। अगर देखा जाए तो 70-72 प्रतिशत जनता कृषि और कृषि से संबंधित है। आपने एक प्रतिशत बजट 70 प्रतिशत जनता को दिया और 99 प्रतिशत बजट 30 प्रतिशत जनता को दिया।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। इस बजट में कृषि में न उत्पादन बढ़ रहा है और न सिंचाई बढ़ रही है। हो सकता है कि बैंक के लोन माफी से कांग्रेस पार्टी का कुछ वोट बैंक बढ़ जाए, लेकिन उत्पादन एक किलो भी नहीं बढ़ रहा है। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बैंक से लोन दिलवा दीजिए। हमने कहा कि क्यों? वे कहते हैं इसलिए दिलवा दीजिए कि अब लोन वापिस नहीं देना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने लोन अदा कर दिए हैं, वे परेशान हैं कि हमने गलती कर दी। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अपना उत्तरदायित्व समझे। देश के भविष्य के साथ इस टाइप का गिमिक न खेले।

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूरे बजट में कृषि के बारे में, हमने इकोनॉमिक्स के फंडामैंटल में पढ़ा है कि लॉग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, शार्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। लॉग टर्म प्लानिंग है ही नहीं और अगर हम शार्ट टर्म प्लानिंग की बात बताएं, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, मैंने खुद दिखवाया है, इस समय बुंदेलखंड में वाटर लैवल 21 फीट और 26 फीट से नीचे चला गया है। 60 प्रतिशत हैंड पम्प गांव के लड़के-लड़कियां और औरतें चलाती हैं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ा जाए। आपकी तरफ से एक बात आई कि इसमें 25 साल, 30 साल लगेंगे। हम, आप कहते हैं कि उन नदियों को भूल जाइए। उत्तर प्रदेश, मैं खासकर बुंदेलखंड की तरफ से बात बताना चाहता हूं और जहां का सांसद हूं हमीरपुर, महोवा, खजुराहो का बार्डर, वहां कम से कम 7 ऐसी नदियां हैं जिनमें बरसात में हाहाकार मच जाता है। अगर छोटे-छोटे डैम भी बना दिए जाएं तो पूरे बुंदेलखंड की पानी की समस्या सौल्व हो सकती है। दूसरी तरफ एक सैकिंड नहीं लगा, 3,000 करोड़ रुपये कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए ऐलोकेट हो गए। कॉमनवैल्थ गेम्स से क्या होगा? 200, 300 खिलाड़ी आएंगे, 100 मैडल में से 80, 99 मैडल लेकर चले जाएंगे, दिल्ली में 2, 4 फाइव स्टार होटल बन जाएंगे और 4, 6 फ्लाई ओवर बन जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर 3,000 करोड़ रुपये बुंदेलखंड को दे दिए गए तो हर खेत में पानी पहुंच जाएगा, इसका इंतजाम हो सकता है। आप इसे समझिए कि हर खेत में पानी, जिसमें 7 करोड़ जनता बुंदेलखंड में रहती है। 7 करोड़ जनता बनाम् कॉमनवैल्थ गेम्स - मार्शल टीटो वगैरह जो प्लानिंग करते थे, यह उस टाइप की प्लानिंग दिखाई पड़ रही है। एक तरफ मैट्रो, सड़क बन रही है, सड़क चौड़ी हो रही है, फ्लाई ओवर बन रहे हैं और दूसरी तरफ पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। जब तक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप नहीं हो सकता, तब तक विकास की बात बिल्कुल नहीं हो सकती।

भारत सरकार 7 मेगा थर्मल पावर खोल रही है। उसमें उत्तर प्रदेश का कहीं नाम ही नहीं है, यहां तक कि बिहार का भी नाम नहीं है। इससे सिर्फ यही जाहिर होता है कि जो सरकारें यू.पी.ए. के साथ नहीं हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार रहता है। हम कहते हैं कि आप नेताओं को परेशान कीजिये, हमें परेशान कीजिये।...*(व्यवधान)*

डा. संजय जायसवाल (पश्चिमी चम्पारण): आप बजट के पक्ष में हैं या विरोध में हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह: अभी आप समझ नहीं पाये, कोई बात नहीं। आप थोडी देर में समझते हैं। आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अंत में आप समझ जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग शांत रहिये।

श्री विजय बहादुर सिंह: हां, हम आपके साथ हैं, आप घबराइये मत। कांग्रेस सरकार को तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि 61 साल में किसान की जो हड्डी निकल आयी है, उसके आप ऑथर हैं। आप क्या बोलेंगे?...*(व्यवधान)* आपने राज किया है।...*(व्यवधान)* चाहे माननीय जवाहर लाल नेहरू जी हों, चाहे उनकी बेटी हो, बेटा हो या बहू हो। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था...*(व्यवधान)* ठीक है, इस समय आपको नम्बर नहीं मिलेंगे।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे देख लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग शांत रहिये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप विषय पर बोलिये। आप उनसे बात न करके विषय पर बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह: हमें पहली बार लग रहा है कि यू.पी.ए. सरकार में अनुशासन की कमी है।...*(व्यवधान)* आप एक उदाहरण देख लें। पिछले दस सालों में 2.42 ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग शांत रहिये। आप उन्हें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह: आप सुन लीजिए और अपनी नॉलेज इम्प्रूव कीजिए। पिछले दस सालों में फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2.42 अरब रुपये बर्बाद अनाज पर खर्च किये। पिछले तीन साल से जो अनाज सड़ा हुआ था, उसे दफनाने में सात करोड़ रुपये खर्च किये। यह फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की आत्महत्या है। आप देख लें कि इस बार 1.10 लाख की चावल और पैडी सड़ गयी। यह फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कृषि मंत्रालय की एक आत्मकथा है। इसका भी एक कारण है। पहली बार भारत के कृषि मंत्री, कृषि में कम बी.सी.सी.आई. में ज्यादा ध्यान देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये भारत सरकार को एक दरख्वास्त देना चाहता हूं कि आप दो मंत्रालय खोल दीजिए। एक क्रिकेट मंत्रालय और दूसरा कृषि मंत्रालय और पवार साहब को कह दीजिए कि ऑप्शन इज हीज। इस तरह की उपेक्षा से भारत में, आप जो चाहे कहें, लेकिन तरक्की नहीं हो सकती। आज अगर देश में सूखा आ रहा है, तो भारत की जनता मारुति और मारुति के पार्ट्स नहीं खायेगी। आप देख लीजिए कि दाल के क्या दाम हैं? जब कृषि के उत्पादक को फायदा नहीं है, मैं खुद किसान था। मैंने खुद खेती छोड़कर हाई कोर्ट में वकालत की। किसान को अगर अपने उत्पादन का मूल्य सही नहीं मिलेगा, तो वह क्या करेगा? आज किसान को गेहूं का साढ़े दस सौ रुपये मिलता है जबकि एक हजार रुपया उसके उत्पादन का मूल्य है। इस तरह काम कैसे चलेगा? मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बजट आया है, वह इंडिया का नहीं है, आम आदमी का नहीं है। इस बजट को सपोर्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें एक छोटा सा संशोधन कर दिया जाये कि आम आदमी को हटाकर खास आदमी कर दिया जाये और भारत का नाम इंडिया कारपोरेट लिमिटेड कर दिया जाए।

माननीय वित्त मंत्री अभी सदन में नहीं हैं। यह उनकी गलती नहीं है। 25 साल पहले उन्होंने बजट पेश किया था, जो इन्होंने बताया था। लेकिन इनके जो बाबू हैं, जो नार्थ ब्लॉक में बैठते हैं, वे और उनके लड़के सेंसस में ध्यान देते हैं। वे अपना उत्थान और पतन कारपोरेट बजट के राइज एंड फॉल से देखते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में, वर्ल्ड में, मेरे पास इसका रिकार्ड है कि वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसी क्लाइमेटिक कंट्री है जिसमें अगर सौ करोड़ हैक्टेयर लैंड है, उसमें अगर तीन बार खेती की, तो बारह करोड़ हो जाती है। अगर आप एग्रीकल्चर सैक्टर को युद्धस्तरीय प्रॉयरिटी नहीं देंगे, तो भारत की स्वतंत्रता और इंडीपेंडेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं सदन से कहना चाहता हूं कि इनके माइंड सेट, इनकी थिंकिंग में बेसिक चेंज आनी चाहिए। थिंकिंग में अब जैसी चेंज आयी है, वह देखिये। आप कह रहे हैं कि किसान को सात परसेंट से छः परसेंट...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह: आप किसान को छः परसेंट इंटरस्ट दे रहे हैं। इंडस्ट्री में चार परसेंट है। इंडस्ट्रियल

[श्री विजय बहादुर सिंह]

रिहैबिलिटेशन एक्ट में ढाई परसेंट है। अब आप समझें कि मैं बजट का सपोर्ट कर रहा हूं या नहीं। अगर आप नहीं समझें, तो मुझसे बाद में पूछ लीजिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक भारत के बजट का मुख्य ध्यान कृषि, जिस पर देश के 72 प्रतिशत लोग जीवित हैं, पर नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। किसान का मतलब है अनन्दाता, लेकिन आज वही अन्नदाता भूखा है। उसके लिए कृषि की पॉलिसी को युद्धस्तर पर लागू करना चाहिए।

मैं इन्हीं बातों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जब इस देश में वैट लागू किया गया था तब एक आम सहमति केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बनी थी कि जब जिस स्टेट में वैट लागू होगा, सी.एस.टी. को कम करेंगे। वर्तमान में सी.एस.टी. दो प्रतिशत है। इस बजट में यह सी.एस.टी. घटकर जीरो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अभी भी यह दो प्रतिशत है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जब वैट लागू करते समय आपने राज्यों से इसके लिए समझौता किया था, एम.ओ.यू. साइन किया था, कि वैट लागू कीजिए, हम सी.एस.टी. जीरो कर देंगे, वह सी.एस.टी. जीरो नहीं हुई है। इसलिए सी.एस.टी. को जीरो किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस देश का एस.एस.आई. सेक्टर, जो लघु उद्योग हैं, हैण्डीक्राफ्ट्स से जुड़े हुए उद्योग हैं, वे इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसी जमाने में इन उद्योगों के लिए एक्साइज ड्यूटी से छूट की लिमिट तीन करोड़ रुपये थी, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर डेढ़ करोड़ रुपए कर दिया है। इस लिमिट को बढ़ना चाहिए। यह बहुत अफसोस का विषय है। यह सेक्टर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इसके सारे आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, केवल कुछ आइटम्स पर लगती है, केवल कुछ आइटम ऐसे हैं जो एक्साइजेबल हैं। इसमें सरकार पर ज्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है। मेरा आग्रह है कि एस.एस.आई. सेक्टर, जिसे वर्तमान में एम.एस.एम.ई. सेक्टर कहा जाता है, में जो आइटम बनते हैं, उनके लिए एनुअल टर्नओवर पर एक्साइज ड्यूटी की जो सीमा पहले तीन करोड़ रुपए थी, जिसे घटाकर डेढ़ करोड़ रुपए किया गया है, उसे वापस तीन करोड़ रुपए किया जाए। फिफ्थ-पे-कमीशन और सिक्स्थ-पे-कमीशन जो इस वित्त विधेयक से जुड़े हुए हैं, फिफ्थ-पे-कमीशन जब लागू हुआ तब कहा गया था कि हम डाउनसाइजिंग करेंगे। डाउनसाइजिंग न फिफ्थ-पे-कमीशन में हुई और न ही सिक्स्थ-पे-कमीशन में हुई। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि टैक्स स्ट्रक्चर पर ज्यादा भार न पड़े।

किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो रहा है, उसकी संख्या में कुछ बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन इसमें जो सरलीकरण होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। मैं किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण की बात कर रहा हूं। जब किसान क्रेडिट कार्ड एक बार जारी हो जाता है, उसके बाद जब किसान उसके नवीनीकरण के लिए बैंकों के पास जाता है, तो वह सारी फार्मेल्टीज फिर से उस किसान को करनी पड़ती हैं। सारे बैंकों से एन.ओ.सी. लाओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिखाकर लाओ, मेरी समझ में नहीं आता कि इन सारी फार्मेलिटीज की जरूरत क्यों पड़ती है। जिस खेती की जमीन पर एक बार किसान को क्रेडिट कार्ड जारी हो गया, उस समय ये सारी फार्मेलिटीज पूरी कर दी जाती हैं, फिर उसके नवीकरण के लिए क्यों दोबारा ऐसा किया जाता है। इसलिए भारत सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड का सरलीकरण करना चाहिए। अगर किसी किसान को एक बार किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो जाता है, तो उसके नवीकरण के समय ये सारी फार्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यह पूछ सकते हैं कि किसान ने कहीं अपनी जमीन गिरवी तो नहीं रखी या उस पर लोन तो नहीं लिया, जबकि वह भी उसके नोट में लिखा होता है। इस वजह से राजस्थान में और खासकर मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के किसानों को अपने किसान क्रेडिट कार्ड दोबारा नवीकरण कराने में चार-पांच महीने का समय लग जाता है। ऐसे हजारों किसान क्रेडिट कार्ड्स के नवीकरण के केसेज बीकानेर के बैंकों में पड़े हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि उनका जल्द से जल्द निस्तारा किया जाए।

मैं इनकम टैक्स के सरल फार्म के ऊपर भी वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नाम बड़ा सरल है और फार्म बड़ा कठिन है। इसे वाकई में सरल करना चाहिए, जिससे इनकम टैक्स देने वाले सरलीकरण की प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकें।

मैं जटरोफा की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज के युग में बायो-डीजल का काफी महत्व है। कुछ लोग बायो-डीजल यूज भी कर रहे हैं। जहां वेस्ट लैंड है, जैसे राजस्थान में काफी वेस्ट लैंड है, वहां जटरोफा उगाया जाता है। उसके बाद उसकी प्रयोगशालाओं में जांच होती है और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी इस पर शोध हो रहा है। रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम रेल की पड़ती जमीन का लैंड बैंक बनाएंगे। हमारे देश में कई जगह रेल लाइंस के साथ रेलवे की पड़ती जमीन पड़ी है, जो किसी काम नहीं आ रही है, केवल उसका अतिक्रमण ही होता है। वहां न तो कोई फाइव स्टार होटल बन सकता है और न कुछ और हो सकता है। यह जमीन पांच से बीच मीटर तक चौड़ी होती है। मेरा रेल मंत्री जी को सुझाव है कि वह इस पड़ती जमीन पर जटरोफा की खेती करें। रेलवे के जो गैंगमैन हैं, वे उसकी रखवाली कर सकते हैं। रेलवे के जगह-जगह पम्पिंग स्टेशंस लगे हुए हैं, उससे जटरोफा को पानी दिया जा सकता है। इससे रेलवे को बायो-डीजल मिलेगा, जो उसके काफी काम आएगा। ममता जी जो लैंड बैंक बनाना चाहती हैं, अगर वह उस जमीन पर जटरोफा की खेती कराएं तो वह जमीन उनके काम आ सकती है और बायो-डीजल के रूप में सस्ता ईंधन भी रेलवे को मिल सकता है। इससे रेलवे की आय भी होगी और डीजल की भी बचत होगी।

राजस्थान को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में एक हैंडलूम कलस्टर दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में काफी धनी है और यह प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है। राजस्थान में जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स का काम करने वाले लोग हैं, वे बरसों से मांग कर रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट का कलस्टर भी राजस्थान को मिले। इसलिए इस बजट में वित्त मंत्री जी उसे उपलब्ध कराने की घोषणा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

राजस्थान की एक बड़ी मांग बरसों से चली आ रही है। राजस्थान का हर मुख्य मंत्री यह चाहता है कि वहां जो रेगिस्तानी जिले हैं, करीब 11 जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि उनके लिए कोई अलग से टैक्स पैटर्न होना चाहिए, कोई अलग से पैकेज होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए और टैक्स में छूट होनी चाहिए। जैसे हिली एरियाज के लिए आपने टैक्स में छूट दी है, यह अच्छी बात है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हिली एरियाज में लोग जिस विषमता के साथ रहते हैं, उसी तरह डैजर्ट में भी रहते हैं। दूर-दूर तक आबादी नहीं होती। अगर वहां पूंजी निवेश करने वाले आएंगे तो उन्हें कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान के जो 11 रेगिस्तानी जिले हैं, वहां भी हिली एरियाज की तरह टैक्स में छूट होनी चाहिए, ताकि निवेशक आकर वहां निवेश कर सकें।

मैं एक अन्य मांग वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं। बजट में सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने की बात कही गई है, यह एक अच्छी बात है। आपने एक पवित्र उद्देश्य इस बजट में रखा है कि आगामी पांच वर्षों में 50 प्रतिशत महिलाओं की आबादी को इनसे जोड़ दिया जाएगा और बैंकों से लिंकेज करा देंगे। लेकिन इसे पूरा कैसे करेंगे। अभी तक 22 लाख लोग सेल्फ हैल्प ग्रुप्स के बैंकों से जुड़े हैं। इन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स में करीब 1 करोड़ 20 लाख में आधी आबादी तो महिलाओं की है। अगर आपको जोड़ना ही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो बैंकों पर कमान कसती है, लोन देते समय मानिटरिंग करती है, उसमें बैंकों के जो महिलाओं के रेपुटेड एन.जी.ओज हैं, उन्हें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी में मनोनीत सदस्य बनाया जाए। ताकि जो महिलाओं के सैल्फ-हैल्प ग्रुप बने हुए हैं, उनका ध्यान रख सकें। मैं आपके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इस बजट में असंगठित क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं। जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले, खेती में काम करने वाले, धान चुनने वाले लोग हैं, इनके लिए एक अध्यादेश पिछले साल आया है, लेकिन मुझे बजट में देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि "ग्रोथ पोल" स्कीम जो असंगठित क्षेत्र के लिए थी, उसका जिक्र इस पूरे बजट में कहीं नहीं है। ग्रोथ-पोल नामक स्कीम को भी आप रिवाइव करें, उसके लिए एक कमीशन बना हुआ है और उस कमीशन को भी आप मजबूत करें। उसमें सांसद लोग भी सदस्य बन सकते हैं और अगर आप ग्रोथ-पोल स्कीम में आप बजट उपलब्ध कराएंगे तो पूरे देश में हैंडीक्राफ्ट्स के क्लस्टर बने हुए हैं, उनकी बढ़ोत्तरी हो सकती है। यह काम भी आप कर सकते हैं।

अंत में मेरा कहना यह है कि जैसे ऋण माफी का मामला आया और छोटे-छोटे किसानों को भी ऋण माफी का लाभ मिला। हमारे राजस्थान में छोटे-छोटे हैंडलूम के जो कारीगर हैं, उन्हें आज से 30-40 साल पहले हजार

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

रुपये, दो हजार रुपये जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से, कुछ बैंकों के माध्यम से, कुछ कलैक्ट्रेट के माध्यम से दिए गये थे। उस लोन को चुकाने वाला कोई नहीं है और उन्हें दूसरा लोन मिल नहीं सकता है और वे बी.पी.एल. के लोग हैं लेकिन उन्हें कहा जाता है कि आपको 30 साल पहले हजार रुपये लोन दिया गया था वह चुकाओ। हमारे स्टेट में यह राशि कुल 20-30 करोड़ रुपये है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को भी आप माफ कराएं। अपना शेष भाषण मैं सभापटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

***लघु उद्यम एककों को उत्पाद शुल्क से छूट**

लघु उद्यम एककों को उत्पाद शुल्क से छूट तीनकरोड़ रुपए तक बढ़ाई जाए।

एन.एस.एस. और ई.एल.एस.एस. योजनाओं का पुनरुद्धार

एन.एस.एस. और ई.एल.एस.एस. के प्रावधानों का पुनरुद्धार किया जाए। इससे देश को कम दर पर भारी धनराशि उपलब्ध होगी और काले धन के कारोबार में कमी करने में मदद मिलेगी। यह सीमा धारा 80 ग के अन्तर्गत दी गई सीमा के अतिरिक्त है।

स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान

(क) ठेकेदारों से स्रोत पर कर कटौती की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 5,00,000 रुपए किया जाए।

(ख) स्रोत पर कर कटौती की सीमा निम्नवत बढ़ाई जाए

क्र. सं.	शीर्ष	वर्तमान सीमा	प्रस्तावित सीमा
1	2	3	4
1.	ब्याज	5,000	25,000
2.	दलाली/कमीशन	2,500	25,000
3.	किराया	1,20,000	3,00,000
4.	वृत्ति प्रभार	20,000	50,000

*...*भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

धारा 80 घघ ख के अंतर्गत कटौती:

निम्नलिखित बीमारियों पर हुए खर्च को भी शामिल किया जाए:

(क) मैलिग्नेंट कैंसर के अलावा कैंसर।

(ख) एंजीयोप्लास्टी/एंजीयोग्रॉफी/बाई-पास सर्जरी।

(ग) दुर्घटना के मामलों में इलाज के लिए किया गया व्यय।

(घ) मधुमेह (मधेमेह के लिए धारा में निर्धारित सीमा की तुलना में उच्चतम सीमा को कम किया जाए)

धारा 50 ग को हटाना

इस धारा में प्रावधान है कि संपत्ति की कीमत, जिसके लिए स्टाम्प शुल्क दिया जाता है, पर कर देय हो तथापि, पुष्टि कर स्टाम्प शुल्क की तुलना में बहुत कम होता है। यह बिलकुल हास्यास्पद प्रावधान है जिसके अंतर्गत उस आय पर कर लिया जाता है जो वास्तव में हुई ही नहीं है। यह कर प्रावधानों के उद्देश्यों के विरुद्ध है और इसे हटा देना चाहिए।

सर्वेक्षण के समय वही-खाते जब्त न किया जाना

सर्वेक्षण के समय बही-खातों को जब्त करने का प्रावधान वापस लिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसकी अधिकतम सीमा सात दिन निर्धारित की जाए और तत्पश्चात् उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद उन्हें वापस लेने की अनुमति दी जाए।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु सीमा में कमी

(क) वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्तमान आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष तक की जानी चाहिए।

(ख) नागरिक की स्थिति प्राप्त करने के बाद, करदाता

को सामाजिक और वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उन्हें 5 लाख रु. तक का स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। वित्तीय सहायता उनके द्वारा चुकाए गए कर के अनुपात में दी जानी चाहिए और जिन करदाताओं ने 5 लाख रु. का आयकर चुकाया है उन्हें स्वास्थ्य बीमा दिया जाना चाहिए।

सेवा कर

(क) वह न्यूनतम सीमा जिस पर सेवा कर न लिया जाए 20 लाख रु. होनी चाहिए। सेवा कर के दायरे में आने वाले और 20 लाख रु. तक की सकल प्राप्तियों वाले व्यक्तियों से ही सेवा कर लिया जाना चाहिए।

(ख) सेवा कर विवरण भरने की जिम्मेदारी केवल तब ही होनी चाहिए जब व्यक्ति की सेवा कर योग्य हो। कोई व्यक्ति केवल इसीलिए सेवा कर विवरण भरने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए कि वह सेवा कर के तहत पंजीकृत है परंतु उनकी सेवाएं कर सीमा से नीचे हैं।

छोटी बचतों पर ब्याज दर में वृद्धि

अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के अनुसार छोटी बचत योजनाओं पर वर्तमान ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 10% की जानी चाहिए।

आय कर विभाग के कार्य में पारदर्शिता

आय कर विभाग के कार्यकरण में पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे करदाताओं को विभिन्न धाराओं के तहत शास्तिक ब्याज, और मुकदमे आदि द्वारा दण्डित किया जा रहा है। उसी तरह इन गलत चीजों के लिए आयकर विभाग के कर्मचारियों को भी जिम्मेदर ठहराया जाना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि वे करदाता को अवांछित और आधारहीन अतिरिक्त आय दर्शा कर बिना किसी आधार के कर निर्धारण पुन: खोलना, धारा 137 के तहत अविवेकपूर्ण तरीके से नोटिस भेजने व अंतहीन सुनवाई और जांच कार्यवाही के दौरान पूछे जाने वाले आधारहीन प्रश्नों सहित किसी भी तरीके से करदाता को पीड़ित कर रहे हैं तो उन्हें भी दण्डित किया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध भी अभियोजन की कार्यवाही होनी चाहिए। इससे करदाता के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उनके व विभाग के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनेंगे जिससे आयकर प्रावधानों का बेहतर अनुपालन होगा।

एफ.बी.टी. को प्रतिबन्धित करना

एफ.बी.टी. को पूर्णत: समाप्त किया जाना चाहिए और यदि ऐसा संभव नहीं है तो इसे कम से कम साझेदारी फर्म के मामले में तो समाप्त कर ही देना चाहिए।*

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री, जो विगत छ: माह के दौरान उद्योगों के लिए अनेक वित्तीय पैकेजों की घोषणा कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को पुन: गति देने में सहायता मिली है द्वारा प्रस्तुत वित्त (संख्यांक 2) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश के कुछ क्षेत्रों में सुधार दिखाना शुरू भी हो गया है।

इस संबंध में सर्वसम्मति है कि भारत मंदी की स्थिति से पश्चिमी देशों से काफी पहले ही निकल जाएगा। बजट में घोषित किए गए कुछ उपाय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके द्वारा कोलकाता में कल की गई इस घोषणा, कि हमारी संप्रग सरकार 'नरेगा' जैसी योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है जिससे गरीब किसानों और मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़ाने में सहायता मिलेगी, के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। हमारी जनता ने संसद के इस सत्र में केवल ऐसे उपाय करने के लिए ही हमें यह भारी बहुमत दिया है।

इस बजट की एक प्रमुख विशेषता आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों, जो तकनीकी और प्रोफेशनल कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं, के लिए ब्याज पर पूर्ण राज-सहायता देना है। पूरे भारत में अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अध्ययन करने हेतु ऋण लेते हुए लाभान्वित हो रहे हैं। अत:, मैं माननीय वित्त मंत्री से ब्याज पर इस राज-सहायता की सुविधा को उन सभी विद्यार्थियों, जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिए हैं, के लिए बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

इस बजट की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं, 'फ्रिंज बेनीफिट टैक्स' वापस लेना, अधिभार हटाना, कुछ कानूनी व्यवसाय इसमें शामिल करना, कुछ चिकित्सीय व्यवसायों को सेवा कर के दायरे में लाना, वस्तु लेन-देन कर समाप्त करना

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

और निर्यातावकाश को 2010 से 2011 तक बढ़ाना। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि बच्चों के शैक्षणिक व्यय में अलग से कमी की जानी चाहिए क्योंकि शिक्षा पर होने वाला व्यय असामान्य ढंग से बढ़ रहा है। इसे धारा 80 ग के तहत कटौती से अलग किया जाना चाहिए।

'नरेगा' का कार्यान्वयन संप्रग सरकार द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस समय चौदहवीं लोक सभा के दौरान इस सम्मानित सभा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को स्वीकार करने के लिए सभा के समक्ष रखा, मैंने इसका समर्थन किया और इसके पक्ष में मतदान किया। इस योजना जिसके अंतर्गत 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारण्टी है, को 100 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री ने भी इस संबंध में घोषणा की है। इस योजना के कार्यान्वयन से हमने देखा कि आर्थिक मंदी के इस दौर में भी किसी प्रकार धन संबंधी अवरोध नहीं आया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह देखा जा सकता है कि गरीब लोग भी सम्मानपूर्वक ढंग से रह सकते हैं। यह ऐतिहासिक कदम है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु हुआ है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि इस योजना का व्यापक रूप से स्वागत हुआ क्योंकि इसने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों को बहुत राहत प्रदान की है। हमारे समक्ष यह प्रश्न खड़ा है कि क्या यह योजना उस मौसम में ही कार्यान्वित की जाएगी, जब कृषि गतिविधियां नही होंगी। यह प्रश्न उठता है क्योंकि जब योजना को पूरे वर्ष कार्यान्वित किया जाता है, कृषि मजदूर अन्य गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, तो कृषि गतिविधियां प्रभावित होती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस योजना का उद्देश्य कृषि मजदूरों को राहत प्रदान करता है और ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करना है, इसे कृषि उत्पादन के रास्ते में नहीं आना चाहिए यदि कृषि प्रभावित होती है, तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है। अतः, मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में समुचित अनुदेश जारी करें कि यह योजना गांवों में तब ही कार्यान्वित की जाए, जब फसल उत्पादन का कार्य न हो। सार्वजनिक स्थानों पर कुछ कार्य आरंभ करके इन रोजगार सृजन कार्य को लघु और सीमांत किसानों के क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ऐसी भूमियों की उत्पादकता भी बढ़ सके। आन्ध्र प्रदेश में यह प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। केन्द्र इसे देश भर में कार्यान्वित करने पर विचार कर रहा है।

महोदय, मैं वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अन्य कर निर्धारितियों के लिए कर स्लैब बढ़ाने के लिए भी माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन की बढ़ती लागतों पर विचार करने के बाद छूट की सीमा प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक बढ़ाये जाने का आग्रह भी करता हूं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दलहनों, वनस्पति तेल और चीनी के बढ़ते मूल्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह स्थिति आ पहुंची है कि इडली-बड़ा खाना भी आजकल विलासिता हो गई है। अरहर की दल 100 प्रति किलो के रिकार्ड मूल्य पर पहुंच गई है। वनस्पति तेल 100 रु. और 200 रु. के बीच बिक रहा है। तिल के तेल के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है, यह 200 रु. प्रति किलो बिक रहा है।

जब दलहनों, वनस्पति तेल और दूध जैसी अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है तब वित्त मंत्री कहते हैं, स्फीति दर कम हुई है, जिसका अर्थ है कि लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कमी।

अतः, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि समाज के सभी वर्गों से एक समिति का गठन किया जाए, जो तत्काल वस्तुओं के मूल्यों की जांच करे, जिसे स्फीति का सामना करने के दायरे में लाया जाए। सरकार को जमाखोरों और कालाबाजारियों पर छापा मारने के आदेश देकर मूल्यों में भारी कटौती कर तत्काल कदम उठाने चाहिए। सभी राज्य सरकारों को जमाखोरों और काला बाजारियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए कहा जाए अथवा सलाह दी जाए। ऐसे समय में अनिवार्य वस्तुओं के आयात पर भी विचार करना चाहिए।

*...*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, गैर-परम्परागत ऊर्जा का उत्पादन समय की आवश्यकता है। न्यूनतम दर पर समुचित राजसहायता और ऋण देकर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे पर्यावरण-अनुकूल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और काफी हद तक हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

*माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूर मिलना दिना-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। विभिन्न कारणों से श्रमिकों का मिलना कठिन हो जाता है। एक कारण वैश्विक मंदी हो सकता है और गरीब कृषि श्रमिक के लिए लाभकारी विभिन्न योजनाएं उन्हें कृषि गतिविधियों से दूर कर देती हैं। अब हम खेती के यंत्रीकरण के एक युग में पहुंच चुके हैं। अतः, मैं वित्त मंत्री से उन कृषकों को राहत प्रदान करने पर विचार करने का आग्रह करता हूं, जो बुवाई, रोपण और कटाई जैसी कृषि गतिविधियों के लिए कृषि उपस्कर और उपकरण का उपयोग करना चाहते हैं। इन मशीनों के उपयोग पर राजसहायता को खरीदने अथवा आयात करने पर बढ़ाया जा सकता है। बैंकिंग संस्थाओं को समुचित अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वे इन मशीनों के क्रय के लिए दिये गए ऋण पर ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम रखें।

यह अनुमान लगाया गया है कि उचित शीत भण्डारण सुविधाओं के अभाव में 60,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि खराब हो रही हैं।

पर्याप्त शीत भण्डारण गोदा बनाकर हमारी सरकार इस भारी हानि को रोक सकती है। यदि निजी पक्ष ऐसे गोदाम बनाने के लिए तैयार है तो उन्हें किसी सीमा के बिना 50 प्रतिशत से अधिक राजसहायता दी जाए; और उन्हें 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की अत्यधिक सस्ती दर पर ऋण दिये जायें।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र, गड्नचेतम में बड़ी सब्जी मंडी है, और नाथम आम विपणन का केन्द्र है। अतः, इन दोनों स्थानों पर शीत भण्डारण सुविधाएं किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदान की जानी चाहिये।

*...*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अंततः, हमें याद करना चाहिए कि हाल के संसदीय चुनावों में सभी प्रमुख दलों ने यह घोषणा की थी कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो वे विदेशी बैंकों में विशेष रूप से स्विस बैंकों में जमा काला धन वापस लायेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी सरकार विदेशी बैंकों में जमा भारतीय नागरिकों का सारा काला धन वापस लाने के लिए कदम उठाए और विदेशी बैंकों में जमा धन के धारकों पर सामान्य आय कर और धन कर लगाकर उन्हें एक निर्धारित अवधि के अन्दर धन को वापस भारत में लाने में समर्थ बनाने के लिए एक योजना की घोषणा करे। यदि ऐसे कदम उठाये गये, तो देश को निश्चित रूप से लाभ होगा। इससे कुछ सीमा तक देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का स्वागत और पूर्णतः समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय बजट के संबंध में बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपने बजट में कृषि, जो हमारे देश की रीढ़ है, देश की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उस कृषि में निचले स्तर के खेतिहर मजदूर हैं, जो गांव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनकी सीमांत कृषक के रूप में गणना होती है, उनकी तरफ ध्यान कम दिया है। कृषि में मूलभूत आवश्यकताएं खाद, बीज और सिंचाई हैं। खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, सब्सिडी के नाम पर, जहां किसी चीज पर सब्सिडी घटाई जाती है तो दूसरी चीज पर बढ़ा दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि समय पर चीज उपलब्ध नहीं होती है। बीज जब किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं होता है, उस समय यह भी समस्या के रूप में उपस्थित होता है। जब बुआई का समय आता है तब बीज अनुपलब्ध रहता है। उत्तम बीज की अनुपलब्धता से उपज प्रभावित होती है। पिछले दिनों, आज से वर्षों पहले गांव में अपनी उपज बढ़ाने के लिए देशी खाद का उपयोग किया करते थे। कम्पोस्ट खाद, हरी खाद और जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कृषि के साथ पशु पालन भी महत्वपूर्ण उद्योग है। पशु पालन के साथ लोग गांव में मदर डेयरी,

[श्री गोरखनाथ पाण्डेय]

मत्स्य पालन, बागवानी के माध्यम से विकास कर सकते हैं, धनोपार्जन कर सकते हैं। इस तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है।

महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिसके माध्यम से हम खेती को बढ़ा सकते हैं निचले स्तर के किसानों को सिंचाई के लिए जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिल पाई है। निजी साधनों के माध्यम से, छोटे ट्यूबवैल के माध्यम से, ब्याज मुक्त ऋण व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी नहीं मिल पाई है। नरेगा के नाम पर बहुत ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं लेकिन इस बजट में 16,000 करोड़ रुपए आबंटित थे इसे 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया। 29,100 करोड़ रुपए का आबंटन दिखाया गया है जिसमें मात्र 9,100 रुपए की वृद्धि हुई है। इसमें 144 प्रतिशत की वृद्धि कैसे हो सकती है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है?

सर्वशिक्षा अभियान, गांव की झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम गया है क्योंकि 72,000 शिक्षकों का पद खाली है, दो लाख नए शिक्षकों की जरूरत है, दो गुना माध्यमिक विद्यालयों की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवीय सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया और ब्लॉक स्तर पर 6,000 आदर्श विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई, इसके लिए मात्र 350 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बच्चियों की शिक्षा की तरफ ले जाना चाहता हूं। बच्चियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एक बालिका शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए व्यवस्था की है कि बालिका के पैदा होते ही बीस हजार रुपए उसके नाम पर बैंक में डाला जाएगा जो 18 साल बाद एक लाख रुपए हो जाएगा, उसकी पढ़ाई-लिखाई निःशुल्क होगी और उसकी शादी में वह पूंजी एक लाख रुपए के रूप में मिलेगी। वहां जो लड़की पैदा होती है, उसकी शिक्षा और शादी की व्यवस्था उस धन से हो जाती है लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। उन्होंने केवल लड़कियों के होस्टल के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो कम है। इतने बड़े देश में इतनी छोटी पूंजी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पिछले दिनों केंद्रीय विद्यालय की बात आई थी। आपने बजट में इस बात को रखा है और 827 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं सबसे अधिक हैं, इसे बाहर रखा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हर जनपद, जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए क्योंकि यह आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। हम जहां से चुनकर आए हैं वह ग्रामीण प्रांत और भदोही जिला है। यहां लोग गांवों में रहते हैं, यहां मूलभूत आवश्यकता शिक्षा है लेकिन आज भी यह पिछड़ी स्थिति में है। इन गांवों में रहने वाले गरीब, मजदूर, जो हर तरह से बेबस हैं, जो किसी तरह से अपनी रोजीरोटी चलाते हैं, वे स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में हर तरह से अभावग्रस्त हैं। जब वे स्वास्थ्य सुविधा के लिए गरीब लोग स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं तो डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। वहां डाक्टर होते हैं तो दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, दवाइयां मिलती भी तो नकली होती हैं। ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टरों की उपलब्धि होनी चाहिए। कुछ डाक्टर तो जनपदों में भी नहीं रहते, वे दिन में एक या दो घंटे अस्पताल में रहते हैं और उसके बाद वहां चले जाते हैं जिन बड़े शहरों में उनका निवास होता है। ऐसे अस्पताल जहां सामान्य रोगी पहुंचकर निदान प्राप्त कर सकते हैं, वहां या तो डाक्टर नहीं होते, डाक्टर होते हैं तो दवा नहीं होती, दवा उपलब्ध नहीं होती है। इसकी ठीक तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। एच.आई.वी., टी.बी., कुष्ठ जैसे रोगों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है लेकिन इनकी दवाइयां भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं, अगर मिलती भी हैं तो पैसे लेकर दी जाती हैं। उन गांवों में रहने वाले लोगों को बजट के माध्यम से सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि वे इन सुविधाओं से अछूते हैं, वंचित हैं। आज भी ऐसे गांव हैं जो वर्तमान सुविधाओं से दूर हैं। ऐसे भी अस्पताल हैं जो भाड़े की बिल्डिंग में चलते हैं, जहां सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे भी अस्पताल हैं जहां डाक्टर रहते ही नहीं हैं, इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं आपका ध्यान आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी संस्थाओं की ओर ले जाना चाहूंगा, इनका विकास होना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में जो अस्पताल चल रहे हैं, वे बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां डाक्टर नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। अगर वहां रोगी जाता भी है तो डाक्टर के अभाव में

अस्पताल बंद होने की वजह से वह लौट जाता है। इसी कारण पिछले बजट के 17.19 करोड़ रुपए की जगह इस बजट में मात्र 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात तो करते हैं लेकिन बजट में कटौती करके कैसे इसे संभव किया जा सकता है?

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि गांव की गरीबी, गांव की अशिक्षा, गांव की बेरोजगारी, गांव की समस्याएं तभी समाप्त होंगी, जब वहां की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा और कृषि जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो व्यवस्था हमारे देश की रीढ़ के समान है, यदि हम उसे ग्रामीण अंचलों तक सुधारने की बात नहीं कर पायेंगे, यदि वहां हम खाद, बीज, बिजली और पानी नहीं दे पायेंगे, उन्हें समय पर सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कर पायेंगे तो यह बजट अधूरा रह जायेगा और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह आम आदमी का बजट नहीं होगा, यह खास आदमी का बजट होगा। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि सांसद निधि के रूप में जो विकास के लिए हम लोगों को व्यवस्था दी गई है। हर प्रांत में एक करोड़ रुपये से अधिक विधायकों को यह निधि के रूप में मिलता है। कहीं पर यह दो करोड़, ढाई करोड़ और कहीं पांच करोड़ रुपया मिलता है। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो लोग छोटी-मोटी समस्याओं को हमारे सामने रखकर हमसे उम्मीद करते हैं कि सांसद जी आये हैं, वह इसे पूरा करेंगे। हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं। हम लोगों का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। मैं भदोही से आता हूं। वह ग्रामीण इलाका है। वहां कहीं खड़ंजा नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं खंबे नहीं हैं, कहीं स्कूल नहीं हैं, कहीं स्कूल के लिए बाउंड्री नहीं है। वहां ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी समस्याएं सामने आती हैं। पांच विधान सभा क्षेत्रों में यदि हम इस धन से कुछ काम कराना चाहें तो यह दाल में नमक के समान होगा। अब तो दाल का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि दाल भी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज दाल भी गरीब आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारा यह कहना है कि यदि हमारी इस निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दिया जाए तो हम लोगों के संसदीय क्षेत्र की छोटी-मोटी समस्याएं पूरी होंगी और निश्चित रूप से हम विकास की कड़ी में अपने आपको सहयोगी मान पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर आपने मुझे बोलने का निमंत्रण दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत ऋणी हूं। साठ वर्ष पहले हमने आजादी पाई थी। किसी भी देश के विकास के लिए साठ वर्ष का पीरियड एक उपलब्ध पीरियड होता है, ताकि वह देश प्रगति कर सके, विकासशील देश से विकसित देश बन सके। इसके लिए मैं समझता हूं कि साठ वर्ष का पीरियड पर्याप्त है। लेकिन इन साठ वर्षों में मेरे ख्याल से पचास वर्ष तक कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने इस देश पर राज किया है। कांग्रेस पार्टी को जो पचास वर्ष का पीरियड मिला है, उसमें उसे इस देश को विकासशील देश की जगह विकसित देश बनाना चाहिए था। इस पर मैं जवाबदारी से कहता हूं कि कांग्रेस पक्ष इसमें विफल रहा है। अभी पिछले दो वर्ष की जो यू.पी.ए. सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। इसने अभी तक दो बजट पेश किए हैं। यदि आप इन दोनों बजट को देखें तो दोनों दिशाहीन बजट हैं, उनमें कोई दिशा नहीं है, उसमें कोई विकास का कोई पथ नहीं है। यह भ्रामक बजट है। इस बजट को यदि आप देखें तो इसमें जो आवक है, जो इनकम है और जो इसका एक्सपैन्स है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें करोड़ों रुपये का फासला है। मुझे समझ नहीं आता कि इस फासले को यह सरकार कैसे पूरा करेगी, यही मेरा प्रश्न है? मेरे ख्याल से इस फासले को पूरा करने के लिए यदि सरकार कमिटेड है तो इसे पूरा करने के लिए सरकार को किसी फाइनैन्शियल इंस्टीट्यूट से पैसा बोरो करना पड़ेगा। अगर सरकार ही पैसा बोरो करेगी तो हमारा किसान कहां से पैसा बोरो करेगा? यदि सरकार ही पैसा बोरो करेगी तो हमारे इंडस्ट्रीज कहां से पैसा बोरो करेंगे? मेरे ख्याल से यह भ्रामक बजट है और इस बजट की वजह से फ्यूचर में देश का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं होगा। देश के आम आदमी की राय लेकर सरकार ने जो बजट पेश किया है, मेरे ख्याल से यह आम आदमी का नहीं है, यह खास आदमी का बजट है।

महोदय, यदि हम कृषि की बात करें तो किसान जो खेतों में पैदा करता है, उसे अपनी पैदावार की जो रिटर्न मिलनी चाहिए, वह रिटर्न उसे नहीं मिलती है।

[डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी]

किसान जब अपनी पैदावार को आगे बेचने के लिए जाता है तो उसका मुनाफा दूसरे लोग ले जाते हैं और किसान भूखा ही रहता है और आंसू बहाता रहता है। आज जो अनाज की बिक्री है, फ्रूट्स की बिक्री है, जो साग-भाजी की बिक्री है।

वह सरकार ने कॉरपोरेट सैक्टर को दिया है, रिलायंस के स्टोर में ले जाता है। जो फल बेचने वाला है, साग-सब्जी बेचने वाला है, हाथ मसल कर खड़ा रह जाता है क्योंकि सरकार ने उसे कॉरपोरेट सैक्टर को दे दिया है। मुझे पता नहीं चलता है कि यह आम आदमी का बजट कैसे हो सकता है? इसकी व्यवस्था के पांव में गड़बड़ है, कैंसर है। यह एक भ्रामक बजट है, दिशाहीन बजट है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि गुजरात सरकार की बात करें तो वहां सहकारी उद्योग बहुत अच्छा चलता है। पिछली यू.पी.ए. सरकार ने सहकारी बैंकों पर टैक्स डाल दिया था, जो यथावत् रखा गया है, उसे विदड्रा नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से सहकारी व्यवस्था कोलैप्स हो जायेगी। बजट में वह वापिस ले लेना चाहिये। गुजरात में डायमंड इंडस्ट्री है। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, पालनपुर और सौराष्ट्र क्षेत्र है। वहां के रत्नकार बहुत बेहाल दशा में जी रहे हैं। इस बजट में उनके कल्याण के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि जो रत्नकार इंडस्ट्री है, उसकी समस्या को दूर करने के लिये इस बजट में कुछ करना चाहिये। गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना है जिसे राष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना में गिना जाना चाहिये था। इस परियोजना में हजारों-हजार हैक्टेयर जमीन में सिंचाई का प्रावधान है। यह परियोजना इतनी बड़ी है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से मुझे आश्चर्य हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा सरदार सरोवर परियोजना को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिये ताकि यह परियोजना प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है कि दूसरी हरित क्रान्ति लायी है। गुजरात में बारिश बहुत कम होती है, इजराइल की भांति यहां जल स्रोत बहुत कम हैं। इन सब के बावजूद गुजरात सरकार ने कृषि क्षेत्र में काफी काम किया है। अमरीका की एक निष्पक्ष संस्था ने गुजरात सरकार को वर्ष 2002-08 तक सभी राज्यों में 9% ग्रोथ रेट से समग्र भारत में प्रथम राज्य घोषित किया है। अगर राज्य सरकार कोई अच्छा काम करती है तो केन्द्र सरकार को उससे फीडबैक लेना चाहिये। जैसे गुजरात में यह योजना चलती है, यह योजना पूरे देश में लागू करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे एक साथी ने एम.पी.लैड्स स्कीम के लिये 10 करोड़ रुपया किये जाने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यहां पर 545 एम.पीज हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन की प्राब्लम आती है। उनके लिये पर्सनल प्रोवीजन करना चाहिये जिसकी वजह से सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में आना-जाना पड़ता है, वह उसे प्रभावशाली ढंग से परफोर्म कर सकता है। उसे इस काम के लिये व्हीकल प्रोवाइड की जानी चाहिये। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। एस.सी.एस.टी. लोगों की आबादी 21 परसेंट है। उनकी आबादी के लिहाज से उन्हें नजर-अन्दाज किया गया है। उनके लिये किया गया प्रावधान पर्याप्त नहीं है। उसे बढ़ाया जाना चाहिये। जो मैंटली और फिजीकली अपंग हैं, उनके लिये बजट में प्रावधान किया जाना चाहिये। जो फिजीकली डिसेबल्ड लोग हैं, जो बच्चे सैरेब्रल पालसी के हैं, उनकी हालत ऐसी खराब होती है कि उन बच्चों के पीछे पूरा परिवार परेशान रहता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिये एक स्पेशल प्रोवीजन करना चाहिये ताकि हमारा उत्तरदायित्व हो कि इन अपंग लोगों के लिये कुछ कर सकें।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.00 बजे

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आज मैं यहां वित्त विधेयक पर बोल रहा हूं और उसका समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी

और सं.प्र.ग. सरकार को आम आदमी का बजट और वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 प्रस्तुत करने हेतु बधाई देता हूं।

महोदय, मैं लक्षद्वीप निर्वाचन क्षेत्र से हूं, जो अरब सागर में स्थित है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री पी.एम. सईद ने लगातार 10 वर्ष तक लोक सभा में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह मेरा प्रथम भाषण है।

वित्त विधेयक के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कुछ और नहीं केवल एक ऐसा विधान है, जिसके द्वारा भारत सरकार कराधान के माध्यम से अपने लिये राजस्व एकत्र करती है। हमारे यहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कर हैं। प्रत्यक्ष कर में आयकर और अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि शामिल हैं। मैं वित्त विधेयक के प्रस्तावों को उजागर करना चाहूंगा।

आयकर छूट में तीन श्रेणियां हैं नामतः व्यक्तिगत श्रेणी, महिला श्रेणी और वरिष्ठ नागरिक श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में आयकर छूट को 1,50,000 से बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि इसमें केवल 10,000 रु. की सीमांत वृद्धि की गई है। महिला वर्ग में भी 10,000 की वृद्धि की गई है अर्थात् हमें 1,80,000 से बढ़कर 1,90,000 रु. कर दिया गया है, जो व्यक्तिगत आयकरदाताओं और महिलाओं के लिए थोड़ी सी राहत है।

वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में, पहले वरिष्ठ नागरिकों को 2,25,000 रु. की छूट थी। इसमें 15,000 की वृद्धि करके देश में वरिष्ठ नागरिकों की छूट की सीमा को 2,40,000 रु. कर दिया गया है। यह इन तीनों ही श्रेणियों के आयकरदाताओं के लिए केवल थोड़ी सी राहत है।

अधिभार के संबंध में, पहले प्रत्येक व्यक्तिगत आयकरदाता पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाया जाता था परंतु इस वित्त विधेयक में इस 10 प्रतिशत अधिकार को हटा दिया गया है जो इन श्रेणियां में सभी आयकर दाताओं के लिए बड़ी राहत है।

धन कर के संबंध में, संविदा कर के भुगतान हेतु उच्चतम सीमा 15 लाख रु. थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रु. कर दिया गया है और अब केवल उसी को धन कर का भुगतान करना होगा, जिसके पास 30 लाख रु. या उससे अधिक की संविदा होगी।

उपहार कर के संबंध में धारा 56 में उस उपहार को परिभाषित किया गया है जो नकदी या किसी और प्रकार में दिया गया हो और 50,000 रु. तक की राशि से अधिक हो। यदि नकदी या किसी और रूप में दिए गए उपहार का मूल्य 50,000 रु. से अधिक हो तो उपहार प्राप्त करने वाले को भारत सरकार को कर का भुगतान करना होगा। यदि यह उपहार 50,000 रु. से कम होगा तो कर का भुगतान नहीं करना होगा। इस धारा का एक अपवाद है। अपवाद यह है कि यदि यह उपहार शादी के अवसर पर अथवा वसीयत या विरासत के आधार पर मिला हो, तो इस पर आयकर नहीं लगेगा।

धारा 80 के संबंध में छूट के प्रावधान और खण्ड हैं। धारा 80(ई) उच्चतम शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के बारे में है। पहले धारा 80 व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि जैसे पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज तक सीमित थी। अब धारा 80(ई) में समाज में कमजोर वर्गों और विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक बना दिया गया है। अब सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ब्याज मुक्त कर दिया गया है। समाज में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए इस वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 की यही विशेषता है।

धारा 80 (डी) चिकित्सा खर्चों और शारीरिक रूप से विकलांग आश्रितों से संबंधित है। पहले गंभीर अपंगता हेतु 75,000 रु. दिए जाते थे। अब इसकी उच्चतम सीमा 75,000 रु. से बढ़ाकर 1,00,000 रु. कर दी गई है। यह एक बड़ी राहत है। यह शारीरिक रूप से विकलांग आश्रितों के लिए अच्छा संकेत है। परंतु सामान्य रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु इसकी छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। यह अभी भी 50,000 रु. है।

यदि हम पेंशन योजना की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों और वृद्ध व्यक्तियों हेतु वित्त विधेयक में नई पेंशन योजना आरंभ की गई है। इसमें स्वरोजगार व्यक्तियों को पेंशन देने की बात कही गई है। पहले यह पेंशन केवल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में ही दी जाती थी और अब वृद्ध लोगों, वरिष्ठ नागरिकों को अधिक लाभ देने के लिए इस योजना को व्यापक बनाया गया है। इस प्रकार इस वित्त विधेयक में विद्यार्थियों, समाज के वृद्ध लोगों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और यहां तक कि व्यक्तिगत

[श्री हमदुल्लाह सईद]

कर दाताओं को ध्यान में रखा गया है। अतः अब नई पेंशन योजना से वृद्ध लोगों को भी लाभ होगा।

यदि हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें तो नरेगा में 144 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, केवल इस योजना हेतु रिकार्ड 39,000 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है। इससे देश के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। यदि आप आज देश की जनसंख्या की संरचना को देखें तो इसमें अधिकांश संख्या युवाओं की है। मेरे विचार में नरेगा का अधिकाधिक फायदा पहुंचेगा और इससे सर्वाधिक युवाओं को लाभ होगा। यदि हम वित्तीय लक्ष्यों को लें तो यह सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत है। मुर्शीदाबाद और मल्लावुरम जिलों में कैम्पस स्थापित करने हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हेतु 25 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। यह उन संस्थाओं के लिए बड़ी राहत है। यह धनराशि अल्पसंख्यकों को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना करने के लिए निर्धारित की गई है।

यदि हम कराधान प्रक्रिया को सरलीकृत करने की बात करें तो सरल-सरल फार्म शुरू किया गया है, जिससे कर की जटिल और पेचीदा प्रक्रिया से अनभिज्ञ आम आदमी को सहायता मिलेगी। कराधान प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु संप्रग सरकार और वित्त मंत्रालय ने सरल फार्म 2 आरंभ किया है।

12 से 18 महीनों में आरंभ किए जाने वाले विशिष्ट संख्या वाले पहचान पत्र के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि सुरक्षा हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सुरक्षा पहलू को देखते हुए, यह विशिष्ट संख्या वाला पहचान पत्र प्रारंभ किया गया है। मुझे आशा है और विश्वास है कि इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

एल.सी.डी. का सीमा शुल्क को दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। यह भी आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। इस विधेयक का मुख्य केन्द्र 'आम आदमी' है। अतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवर्ग्रों को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। जब आज हम देश में गरीबी की संरचना पर ध्यान देते हैं, तो पाते हैं कि 6.5 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे 2.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब अंत्योदय परिवार के अंतर्गत हैं। अब स्मार्ट कार्ड योजना गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लोगों और आम आदमी को लाभ देगी।

मैं आपका ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और इसमें कृषि राजस्व की प्रधानता है। कृषि क्षेत्र में, किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी की गई है, जिससे किसानों को थोड़ी-सी राहत मिली है। विश्व परिदृश्य, वैश्विक आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि इस बजट ने समाज के सभी तबकों को थोड़ी राहत दी है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं इतना अच्छा बजट देने के लिए वित्त विधेयक, वित्त मंत्री और संप्रग सरकार की सराहना करता हूं। मैं यह कहते हुए बात समाप्त करना चाहता हूं कि मैं लक्षद्वीप निर्वाचन क्षेत्र से हूं। यह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। मैं संप्रग सरकार और वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे लक्षद्वीप निर्वाचन क्षेत्र पर अतिरिक्त ध्यान दें, ताकि लोग आगे आएं और इस क्षेत्र में विकास भी करें।

[हिन्दी]

श्री राधे मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फाइनेन्स बिल पर चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, देश के अंदर जब तक केन्द्रीय संतुलन कायम नहीं होगा, देश के सभी प्रदेशों में कमोबेश एक तरह का विकास नहीं होगा, तब तक विकास का संतुलन बिगड़ेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले देश के अंदर चर्चा आयी थी, विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्रों की कि हिन्दी भाषी क्षेत्र, चाहे वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश हों, यहां के लोग अन्य जगहों पर जाकर कार्य करते हैं। अपने देश में विकास को लेकर यह विडंबना है कि एक प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और दूसरा प्रदेश बिलकुल नीचे जा रहा है। यदि इस मामले में ठीक से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में इससे ज्यादा दुखद स्थिति होगी।

महोदय, मैं कृषि क्षेत्र के उन हालातों का जिक्र

करना चाहता हूं, जो कि आपातकाल की तरह हैं। इस देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं और आज वह बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। कोई ऐसी योजना नहीं बनी है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सरकारी ट्यूबवैल हों। जो भी पम्पिंग सैट लगे हैं, वह बेकार हो चुके हैं, क्योंकि वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है और पम्पिंग सेट उस पानी को नहीं उठा पा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहरों की स्थिति खराब है। नहरों में आधे स्तर तक भी पानी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जलाशय में पानी नहीं है। इसके अलावा बिजली भी नहीं है।

महोदय, नरेगा की स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन इससे सिर्फ मजदूर ही पैदा नहीं करने चाहिए। सरकारी तौर पर मजदूर को सौ रुपये मिलते हैं। लेकिन जिन किसानों के पास दो-तीन बीघे के खेत हैं, उन्हें जब मजदूरी करवानी पड़ती है तो उसे एक मजदूर के सवा सौ से डेढ़ सौ रुपये देने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से किसान पिट रहा है। एक तरफ तो आपने कर दिया कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन जिस किसान को अपने पैसे से मजदूरी चुकानी है, उसका प्रबन्ध कहां से होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और देश के उन कोनों पर, जहां आज किसान सूखे से त्रस्त है, एक आपातकाल की तरह, एक ऐसी योजना तत्काल शुरू की जाए। किसान अन्नदाता है, जिसके सहारे पर व्यक्ति है। आज इस सदन में हर माननीय सदस्य इस बात से सहमत है कि जब तक किसान एक उद्योग की तरह विकास नहीं करेगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। वह देश की रीढ़ है। इसमें संसद में कहीं से कोई दुविधा का सवाल नहीं है। सवाल यह उठता है कि आज सूखे के मामले में सिर्फ पांच सौ रुपये बीघे और हजार रुपए बीघे को एक सूखा जिला घोषित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों के बारे में जानता हूं, जहां के लोग बैंक से लोन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि आज अगर उसने बैंक से लोन ले लिया तो कल उसकी जमीन गिरवी हो जाएगी, किसी अन्य का उसकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। इसलिए तमाम लोग बैंकों से लोन नहीं ले रहे हैं। अपनी वजह से वे पिस रहे हैं। मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। पूर्वांचल में बैंक का जो जमा है, वहां का किसान आज तक यह नहीं समझ पा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, चारों तरफ, वहां के पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। किसान आज भी उसे नहीं समझ पा रहा है। वह सूदखोरों से पैसा लेकर अपने काम को चला रहा है, लेकिन वह बैंक के पास नहीं जा रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। मैंने इसी सदन में सुना था कि जहां किसानों ने महाजनों से कर्ज लिए हैं, उन कर्जों को माफ करने के बारे में विचार हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने महाजन से कर्ज लिया था, बिहार या मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कर्ज लिया था, क्या उसके ऊपर भी विचार होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र का विकास और राज्य का संतुलन चाहते हैं तो वित्त मंत्रालय के माध्यम से, श्री जोशी जी ने इसी सदन में अधिकारियों की कार्य संस्कृति के बारे में कहा था, आप पैसा देते हैं तो हिसाब क्यों नहीं लेते? आप जो बजट देते हैं, आज दिल्ली में बैठे हुए किसी भी आई.ए.एस. अधिकारी के यहां चले जाइए, वह सीधे-सीधे कह देता है कि आपके प्रदेश के लिए इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसे कोई ले जाने वाला नहीं है। इस तरह एक ही देश के अंदर रह कर, जहां से पैसे जाते हैं, उस पैसे का हिसाब लेने का क्या कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि इस मद में पांच हजार, दस हजार करोड़ रुपए हैं और उसे प्रदेश सरकार नहीं ले जा रही है। हर काम अधिकारियों के माध्यम से होना है तो यह कार्य संस्कृति खराब कैसे है और अगर यह खराब है तो इसके ऊपर माननीय मंत्री जी क्या करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं इस बात के लिए माननीय राजीव गांधी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक समय उनके दिमाग में प्रधानों को जिम्मेदारी देने की बात आई, छोटे यूनिट का एक प्रधान गांव का था, उस प्रधान के माध्यम से गांव का विकास कराया जाए। उन्होंने प्रधानों को वित्तीय अधिकार दिया। यह सत्य है कि जो काम वर्षों से अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो पाया था, गांवों के प्रधानों ने अपने गांव में खड़ंजे लगवाए, नाली

[श्री राधे मोहन सिंह]

बनवाई। उसके माध्यम से तमाम ऐसे गांव थे, जिन गांवों में कभी किसी ने ईट एवं सड़क नहीं देखी थी, उन गांवों में ईट और सड़क दिखाई दी। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आज सांसद की स्थिति उस प्रधान जैसी भी नहीं है, इनके किसी प्रस्ताव पर विचार ही नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यह बजट बना था तो यह बजट का माध्यम ही अधिकारी है। वह जिला योजना, ब्लाक या जिला पंचायत की बैठक हो, हर बैठकों में अधिकारियों के ऐसे प्रस्ताव, जो किसी के सुने-सुनाए प्रस्ताव के माध्यम से आज स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लेती है। मैं कहता हूं कि आप सांसद निधि को बंद कर दें।

मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कार्य का सृजन करना हो, अगर अच्छा कार्य कराना हो तो जो राज्य सरकार का जी.ओ. हो, केन्द्र सरकार की जिस तरह से कार्य की पद्धति हो, उसमें हर सांसद को उतना अधिकार मिलना चाहिए कि हर वर्ष किसी एक अच्छे कार्य का सृजन करा ले। कम से कम उस क्षेत्र की जनता, जिस कांस्टीट्वेंसी से वह चुनकर आया हुआ है, उसे यह दिखा दे कि हमारा यह पुल बनवाया हुआ है, जो रेलवे लाइन के ऊपर है। उसके लिए 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50 परसेंट सैण्ट्रल गवर्नमेंट देगी, कम से कम इतना पैसा रहे।

खारा पानी पीने से रोकने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने समय में काम किया, जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं कहता हूं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, जिसने एक जातिविहीन समाज की कल्पना की, जिसने पहली बार इस भारतवर्ष के अन्दर बताया कि जाति अगर कोई होती है तो दो जातियां हैं, वह गरीब जाति है और अमीर जाति है। उन्होंने पहली बार गरीबी को अपने मन-मस्तिष्क में रखकर, चाहे बेरोजगारी भत्ता रहा हो, चाहे जिस तरह की योजना रही हो, वह काम गरीबी को देखकर उन्होंने किया था। आज खारा पानी पीने के लिए गांव के लोग बेबस हैं। आप उतने पैसे का प्रस्ताव सांसद को जरूर दे दें, जो खारा पानी पीने से बचाने के लिए सबसे पहले यह कहकर अपनें क्षेत्र से आया है कि हम आपको पेयजल की सुविधा देंगे, आपकी अच्छी चिकित्सा का प्रबन्ध करेंगे, अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, अच्छी सड़कें देंगे, कम से कम वह सांसद यह कह सके कि उन्होंने अपने क्षेत्र में पानी की टंकी बनाई है, ताकि वे दूषित और खारा पानी न पी पायें। वे कह सकें कि हम अस्पताल के लिए यह प्रस्ताव लाये हैं और अच्छा हस्पताल हमने बनाया है। वे यह कह सकें कि ये सड़कें, जहां आज से पहले सड़कें नहीं देखी हैं, उन क्षेत्रों को आप सड़कें दे दें।

इसके लिए मैं पूरे सदन से संरक्षण चाहता हूं। इस बारे में मैं कहता हूं कि इस सदन से 290 और 291 लोग हारकर गये हैं, सभी लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया होगा, मैं नहीं कहता हूं कि 10-05 परसेंट लोगों के हारने का क्या कारण था, लेकिन उसके मूल में यह भी एक कारण है। दुनिया में विदेशों में होता है कि वहां जो सांसद होते हैं, उनके जीतने का रेश्यो 70 परसेंट होता है, वे वापस लौटकर आते हैं, जबकि आज यहां पर 70 परसेंट सांसद हार जाते हैं और 30 परसेंट ही जीतकर लौटते हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एम.पी. लैड सांसदों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसे वापस लेकर सांसदों के प्रस्ताव पर अच्छे कार्य सृजन करने का अवसर दें, ताकि सांसद यह तय कर पायें कि अगर जनता ने उसे भेजा है तो उसके लिए वे कोई अच्छा कार्य करा लें।

मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी हमेशा नीतियों और कार्यक्रमों को गरीबों के हित में बनाती है। संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधान मंत्री के दिशानिर्देश में वित्त मंत्री सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए शानदार बजट प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने समग्र विकास पर बल देते हुए संतुलित बजट दिया है। वह महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, आजकल वैश्विक मंदी की चुनौती है। इसके बावजूद, वे लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में सफल हो पाए। बजट में वृद्धि दर में कमी और इसके सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव के बारे में विचार किया गया है। उन्होंने अवसंरचना विकास पर भी बल दिया है। वित्त मंत्री ने अवसंरचना विकास पर ज्यादा बल दिया है और सार्वजनिक और निजी भागीदारी के बारे में भी कहा है जो अवसंरचना के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

अवसंरचना क्षेत्र में व्यय का हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव होगा। माननीय वित्त मंत्री ने राजमार्गों, बिजली, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, त्वरित सिंचाई विकास, राष्ट्रीय गैस ग्रिड, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण, कम लागत आवास निर्माण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए अधिक परिव्यय का प्रस्ताव किया है। इसका भविष्य में गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

महत्वपूर्ण अग्रणी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है, के लिए परिव्यय में वृद्धि हुई है। पिछले वित्त वर्ष में संप्रग सरकार ने 4.47 करोड़ को रोजगार दिया है। वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सृजित 215.63 करोड़ श्रम दिवसों में से 29 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को दिया गया और कुल सृजित कार्य दिवसों में 48 प्रतिशत महिलाओं को दिया गया।

चुनाव प्रचार के दौरान, जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर था, तो मैंने सैकड़ों महिलाओं को गांवों में काम करते हुए देखा। जब मैं उनसे मिला तो वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रशंसा कर रही थीं। वे बता रहीं थीं कि वे बेरोजगार थीं और दिन में उन्हें एक बार भी खाना नहीं मिलता था, लेकिन अब वे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 80 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है। इस योजना की ग्रामीण क्षेत्रों में सबके द्वारा खूब सराहना की जाती है। अब इसे बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है।

हमने कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया है। कृषकों की स्थिति बहुत खराब है। श्री के.एस. राव भी इसके बारे में बता रहे थे। वे हर जगह कर्ज में हैं। उनकी स्थिति सुधारी जानी चाहिए। ब्याज दर कम की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किस्तों का नियमित भुगतान करता है, तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए। यह रियायत कृषकों को भी दी जा सकती है।

श्रीमती सोनिया गांधी के अनुसार इन योजनाओं को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनाओं के लिये परिव्यय में 144 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत निर्माण आदि जैसे अग्रणी कार्यक्रम हैं। सरकार की प्राथमिकता, चालू ग्रामीण विकास परियोजनाओं में और तेजी लाना है।

बजट पर हमने नेतृत्व की छाप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के लिये परिव्यय में 144 प्रतिशत वृद्धि के रूप में देखी जा सकती है। भारत निर्माण योजना में 45 प्रतिशत, इंदिरा आवास योजना में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ग्रामीण आवास निधि और राष्ट्रीय आवास बैंक के लिये 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माननीय वित्त मंत्री ने गरीबोन्मुखी कार्यक्रमों पर ब्याज बढ़ाने का विकल्प को चुना है, भले ही इससे राजस्व के घाटे में वृद्धि हो। सरकार ने श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित तमिलों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं, जोकि एक स्वागत योग्य कदम है। तमिलनाडु सरकार ने आवंटन को और अधिक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

छात्रों के लिए शिक्षा ऋण बहुत महत्वपूर्ण है। यह तीन या चार वर्ष पहले शुरू किया गया था। शहरी छात्रों को शिक्षा ऋण मिल जाता है। लेकिन ग्रामीण छात्रों को ऋण नहीं मिल पाता है। कभी-कभी बैंक प्रबंधक उनके लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। वे संपत्ति आदि की जमानत राशि मांगते हैं। वे ऋण प्राप्त नहीं कर सकते। अतः, ऐसे मामलों में छात्र अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। अतः इन सब परेशानियों से बचने के लिए कोई ऐसा निगरानी तन्त्र होना चाहिए जिससे कि ऋण हेतु आवेदन करने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ऋण मिल सके। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से वरिष्ठ नागरिकों हेतु 65 वर्ष की वर्तमान आयु को कम करके 60 वर्ष करने का अनुरोध करता हूं और इसे सरकार की राष्ट्रीय नीति के समान बनाया जा सके ताकि वे रेलवे से जुड़े लाभों और अन्य बचत योजनाओं के अंतर्गत सभी लाभ प्राप्त कर सकें।

महोदय, 10 लाख से अधिक व्यक्तिगत आय पर दस प्रतिशत अधिभार को समाप्त किया जाना एक स्वागत योग्य निर्णय है। धन कर के भुगतान हेतु न्यूनतम सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया

[श्री एम. कृष्णास्वामी]

गया है। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। 'फ्रिंज बेनिफिट टैक्स' को समाप्त किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है और माननीय वित्त मंत्री जी ने यह एक अच्छा सुधार किया है।

महोदय, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

महोदय, विधेयक के खंड 8 में निर्वाचन न्यासों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्वैच्छिक अंशदानों से संबंधित एक नई धारा 13-ख जोड़ने का प्रावधान है। यदि किसी राजनैतिक दल को कोई दान दिया जाता है तो निर्वाचन न्यासों द्वारा प्राप्त अंशदानों की तरह उसे भी कर से शत प्रतिशत छूट प्रदान की जा सकती है।

महोदय, रेल द्वारा ढुलाई की जाने वाली सभी वस्तुओं पर रेल माल भाड़े के अनुसार अधिभार लगाए जाने का एक प्रस्ताव है। यदि आवश्यक वस्तुओं पर आधिभार लगाया जाता है तो उससे मूल्यों में वृद्धि होगी और उससे निर्धन और आम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।

अब मैं आभूषणों का जिक्र करता हूं। यदि ब्रांडेड आभूषणों पर उत्पाद शुल्क कम किया जाता है और सोने के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि की जाती है तो इसकी लागत अंततः खरीददार, अर्थात् महिलाओं को वहन करनी होगी। यदि सोने के दामों में वृद्धि होती रहती है तो यह कहावत कि चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती सच साबित नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, सोने के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि करने से सोने की तस्करी में भी वृद्धि होगी। तब, सरकार को उसकी रोकथाम पर धनराशि खर्च करनी होगी। तस्करी आदि जैसी गतिविधियां होंगी। अतः, सरकार को सोने की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ जीवन रक्षक दवाइयों पर सीमा शुल्क में कमी करने हेतु धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वस्तुतः, लंबी बीमारी से जूझ रहे बोगियों के लिए यह दवाइयां एक जीवन-रेखा की तरह हैं और दुर्भाग्यवश, कुछ नकली दवाइयां, बाजार में असली दवाइयों की तरह बेची जाती हैं। अतः, जीवनरक्षक दवाइयों की खरीद करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री ने धन-कर पर छूट की सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, विधेयक के खंड 113 में भारतीय युनिट ट्रस्ट (ट्रांसफर ऑफ अंटरटेकिंग एंड रिपील) अधिनियम, 2002 की धारा 13 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। महोदय, सभा को यू.टी.आई. और उसकी यूनिटों में आए संकट और उसके पश्चात् इन यूनिटों के निवल मूल्यांकन मूल्य (एन.ए.टी.) में छोटे निवेशकों और पेंशनभोगियों को हुए भारी नुकसान की जानकारी है। सरकार उन यूनिटों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आई। यह घटना 'स्टॉक स्कैम' का स्मरण कराती है। मैं सरकार से सेबी जैसे विनियामक प्राधिकरण के साथ पूरी स्थिति की निगरानी करने का अनुरोध करता हूं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने किसानों के ऋण माफ करने भी बात की है। केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और राज्य वस्तु और सेवा कर हेतु अप्रैल 2010 से वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू करने का प्रस्ताव है। अप्रैल, 2010 से केन्द्रीय जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी. हेतु वस्तु और सेवा कर लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। मेरा यह सुझाव है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करने और सुगमतापूर्वक इस पद्धति को बदलने के लिए माननीय वित्त मंत्री राज्यों के सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाएं।

एक ऐसा प्रस्ताव है कि जन चर्चा और सुझावों हेतु 45 दिनों के अंदर एक नई प्रत्यक्ष कर संहिता प्रस्तुत की जाएगी। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष करों के प्रावधानों में, फेरबदल करने की बजाय एक दीर्घावधि वित्तीय नीति बनाए। मैं सरकार से सभी करों को और सरल बनाने का अनुरोध करता हूं।

शिक्षा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में बहुत से कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष नए कालेज खुल रहे हैं। नया कालेज एक शेड में आरंभ किया जाता है परन्तु, तीन-चार वर्षों के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके स्थान पर सौ-दो सौ या तीन सौ एकड़ में एक अन्य इमारत खड़ी हो जाती है। इसके लिए धनराशि कहां से

आ रही है? वे इतनी धनराशि कहां से प्राप्त करते हैं? वे भवनों का निर्माण कैसे करते हैं? आय कर विभाग कहां हैं? आयकर विभाग इन बातों की जांच क्यों नहीं करता? आप देख सकते हैं कि तीन से पांच वर्षों में सैंकड़ों करोड़ रुपये की लागत वाली एक भव्य इमारत खड़ी हो जाती है। वे एक शेड में कालेज आरंभ करते हैं।...(*व्यवधान*) अतः आयकर अपवंचकों पर रोक लगाने के लिए इन बातों पर विचार करना चाहिए।

महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह असाधारण रूप से एक अच्छा बजट है और मैं इस वित्त विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, इस वित्त विधेयक पर बोलने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित्त विधेयक, 2009-10 पर चर्चा में भाग लेते समय सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के 62 वर्षों के पश्चात् भी अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार भारत में 80 प्रतिशत लोग निर्धन हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के "ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2008" के अनुसार यह कहा गया है:

"भारत में, 20 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे पेट सोते हैं।"

यह शर्म की बात है कि "62 वर्षों के बाद भारत को "भूखों का जनतंत्र" कहा जाता है। एक अन्य रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में 23 करोड़ लोग कुपोषित हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानी मनिक्कम): पश्चिम बंगाल सहित।

श्री खगेन दास: केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, देश की 77 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन 20 रुपये से भी कम पर गुजारा करती है। वहीं दूसरी ओर, पहली संप्रग सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान डॉलर के हिसाब से भारत में अरबपतियों की संख्या वर्ष 2004 में 9 से बढ़कर 2008 में 53 हो गई। यह स्थिति है।

अगली बात यह है कि दस सबसे बड़े व्यावसायिक घरानों की संपत्ति 3,54,000 करोड़ रुपये से बढ़कर तीन गुणा अर्थात् 10,34,000 करोड़ रुपये हो गई। केन्द्र सरकार में ऊंचे स्तरों पर बैठे लोगों ने दो तरह के भारत का निर्माण किया है - एक, बहुसंख्यक लोगों वाला पीड़ित भारत और दूसरा कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए समृद्ध भारत।

इस वर्ष का बजट भी आम आदमी की कीमत पर खास आदमी की ओर झुका हुआ है। बुजुआई और साम्प्रदायिक हल आम आदमी के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण यहां प्रस्तुत है। कुछ आंकड़ों का उल्लेख करते हुए मैं इस विषय पर कुछ और समय लूंगा।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के "संघ के 2004 के लेखाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा" के अनुसार सामाजिक सेवा और ग्रामीण कल्याण के लिए वार्षिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 0.67 प्रतिशत और 0.32 प्रतिशत, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह क्रमशः 0.83 और 0.29 प्रतिशत थी, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह क्रमशः 1.02 और 0.51 प्रतिशत रहा है। 11वीं योजना (2007-08) के पहले वर्ष में यह 1.32 और 0.42 प्रतिशत था। क्या मैं संघ सरकार से पूछ सकता हूं कि वह बार-बार घाटे का बजट प्रस्तुत करने के बावजूद किसके हित में यह कर के रूप में लोगों द्वारा चुकाई गई गाढ़ी कमाई को खर्च कर रही है?

महोदय, बजट भाषण में पहले से लंबित कर राजस्व जिसका संबंध अपील/कानूनी विवाद से नहीं है, की वसूली पर वक्त नहीं दिया गया है।

लोग आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों की मार झेल रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में संघ सरकार की सबसे बड़ी असफलता बढ़ती कीमतों को रोकने और लोगों की रक्षा करने में असमर्थता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें 2004 से 2009 के दौरान तेजी से बढ़ी हैं जिसमें चावल की कीमत में 70 प्रतिशत, आटे की कीमत में 55, चीनी की कीमत में शत प्रतिशत से ज्यादा और खाद्य तेल की कीमत में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। स्वतंत्रता के बाद यह निश्चित रूप से अभूतपूर्व स्थिति है।

अब मैं बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सीमा

[श्री ख़गेन दास]

शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी कर पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य कम किए जाएं। संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं के वायदा बाजार पर रोक लगाए। इसके बाद आवश्यक वस्तुओं के जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनः शुरू करे और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद करे। चीनी, दालों और खाद्य तेल सहित 14 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज-सहायता प्राप्त दरों पर की जाए। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के खाद्यान्न आवंटन में की गई कटौती को वापस ले। सरकार भारतीय खाद्य निगम को सुदृढ़ करे और निजी कारपोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खाद्यान्न की खरीद पर रोक लगाए।

महोदय, मैं अंत्योदय परिवारों के लिए चावल और गेहूं पर एक रुपए की प्रस्तावित वृद्धि और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नाम पर गरीबी की रेखा से नीचे की (बी.पी.एल.) श्रेणी के परिवारों के लिए खाद्यान्न में 10 कि.ग्रा. की कटौती का पुरजोर विरोध करता हूं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि गरीब लोगों का एक बड़ा वर्ग बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल नहीं है। लगभग 52 प्रतिशत कृषि श्रमिक परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार बी.पी.एल. परिवारों की पहचान के दोषपूर्ण मानदण्ड को वापस ले।

अब मैं काले धन का पता लगाने के मुद्दे पर आता हूं। इस बजट भाषण में पिछले 60 वर्षों के दौरान विदेशों में जमा किए गए काले धन का पता लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, एक अनुमान के अनुसार यह 500 बिलियन डॉलर अर्थात् 25 लाख करोड़ रुपए और 1400 बिलियन डॉलर अर्थात् 75 लाख करोड़ रुपए के बीच है। सभा को सरकार द्वारा काले धन का पता लगाने के गंतव्य से अवगत कराया जाए।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने वेतनमानों के संशोधन के कारण राज्य सरकारों पर पड़े इस अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करने में उनके सामने आ रहे घोर वित्तीय संकट को नजरअंदाज किया है तथापि, सभी राज्यों को संयुक्त रूप से अपनी सरकारों के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के कारण हुए अतिरिक्त व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत वित्त-पोषण करने की मांग की है।

अनेक सदस्यों ने कृषि के बारे में कहा है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। वित्त मंत्री ने सामाजिक क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान करते समय कई चालें चली हैं ये चालें हैं - आम आदमी के लिए योजनाएं शुरू करना लेकिन अर्थव्यवस्था के उबरने के बाद इन योजनाओं को धन देना।

महोदय, समेकित बाल विकास योजना के मामले को लें। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इसे सार्वभौमिक किया जाएगा। लेकिन मातृत्व लाभ देने तथा बच्चों और महिलाओं का पोषण सुरक्षा देने के लिए बनी इस योजना के आवंटन में मात्र 150 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि भारत की आधी महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त हैं और तीन वर्ष से कम के 40 प्रतिशत बच्चे औसत से कम वजन वाले हैं।

वर्तमान में छह लाख आगनवाड़ी केन्द्र हैं जबकि देश के 14 करोड़ बच्चों की देखभाल के लिए 17 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने 2001 में इस परियोजना के विस्तार की मांग की थी। मैं इस संबंध में सरकार की ठोस योजना के बारे में जानना चाहता हूं।

जहां तक 'नरेगा' की बात है, पिछले वर्ष के बजटीय आवंटन की तुलना में प्रस्तावित बजट में इसके लिए आवंटन 144 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह सत्य है। लेकिन वास्तव में यह पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय से छह प्रतिशत ही ज्यादा है। यदि मजदूरी में वृद्धि को जोड़ा जाए तो आवंटन में वास्तविक वृद्धि लगभग शून्य है। यह ग्रामीण गरीबों के साथ बड़ा धोखा है।

जंहा तक ग्रामीण आवास की बात है, पिछले वर्ष की तुलना में इसके लिए आवंटन कम है। बजट में बताया गया है कि 44,000 ऐसे गांव हैं जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा है और उसमें से मात्र 1000 गांवों में समेकित विकास का प्रस्ताव है जो तीन प्रतिशत से भी कम है। इसमें विकासकारी गतिविधियों के लिए मात्र 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर इस तरह का छलावा हास्यास्पद है।

महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपको पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है। बजट भाषण में पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

विभाग के लिए आवंटन का कोई उल्लेख नहीं है। वस्तुतः 2009-10 के बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग हेतु आवंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि यह निर्विवादित तथ्य है, माननीय मंत्री जी यहां हैं और पूरी सभा इसका समर्थन करती है, कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहां विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने और देखभाल की आवश्यकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा है। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं इसके साथ-साथ अपने संसदीय क्षेत्र में अफीम उत्पादकों की समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी बात यहां रखना चाहती हूं। आप अच्छी तरह जनते हैं कि जहां एक ओर हमारा देश 21वीं सदी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं हमारे देश में 21 सदियां एक साथ रहती हैं।

महोदय, देश का एक वर्ग जहां शौकिया तौर पर पीजा, बर्गर खा सकता है, वहीं पर देश की आबादी का बड़ा प्रतिशत कोंदो-कुटकी खाकर अपना जीवन यापन करता है। हमारे देश के किसानों की समस्याओं को आपके सामने रखना और खास कर मेरे क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों की समस्या को आपके सामने रखना मैं मुनासिब समझती हूं और इसलिए आपका इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कर रही हूं। नार्कोटिक्स ड्रग्स और मनप्रभावी अधिनियम 1985 में लागू हुआ और हमारे देश में सरकार के नियंत्रण में अफीम की खेती होती है। किसानों को लाइसेंस देकर पट्टे दिए जाते हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत उसकी समीक्षा करने के लिए एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत कड़े कानून बनाए गए।

मैं आपके सामने अफीम उत्पादक किसानों की समस्या रखना चाहती हूं। हर साल अगस्त के महीने में अफीम को लेकर नीति निर्धारित होती है और आने वाले समय में उसके आधार पर किसानों को अपनी खेती करनी होती है। मैं आपसे केवल विनम्रता से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारी सरकार और सरकार में एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत नार्कोटिक्स विभाग के जो अधिकारी हैं, वे कानून के प्रावधान तय करते हैं। केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया और अफीम के नशे से जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसे देखते हुए बहुत मुनासिब भी था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जब भी अफीम नीति तय होती है, तब जो अफीम उत्पादक किसान हैं, जिनके सामने कई चुनौतियां और समस्याएं हैं, उन्हें भी बुलाकर उसके बारे में सलाह करनी जरूरी है, अन्यथा हम यहां बैठ कर कानून का निर्धारण करते हैं, कितने पट्टे दिए जाएंगे, कितना न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, गाढ़ता का निर्धारण कैसे होगा, कितना मूल्य तय किया जाएगा, इन सारी चीजों का निर्धारण यहां होता है, लेकिन नीति बनाते समय किसान की कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा अनुरोध है कि जब भी अफीम नीति के बारे में बात हो, तो वहां के जो काश्तकार हैं, जो अफीम की खेती करते हैं, उन्हें भी बुलाना चाहिए और उनके साथ बैठ कर और विधि विशेषज्ञों के साथ मिलकर नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।

मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि अफीम की खेती करने वाले जो किसान हैं, वे दस आरी के अफीम के पट्टों पर, जो कि आधा बीघा जमीन के बराबर होता है, उसमें अमूमन अफीम की खेती करते हैं। उनके सामने जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वे कई बार उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियां जैसे सफेद मस्सी, काली मस्सी से खतरा हमेशा बना रहता है। उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे में मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। किसानों को पिछली बार तीस आरी के पट्टे दिए गए थे और किसानों के लिए तीस आरी के पट्टे पर जो निर्धारित लक्ष्य तय कर दिया गया था, उसे पूरा कर पाना लगभग असंभव देखा गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जब नई नीति बने, तो किसानों को दस-दस आरी के नए पट्टे दिए जाएं, ताकि बहुत बड़े वर्ग के किसान को इसका लाभ मिल सके।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार फसलों को नुकसान होता है। केवल एक बार का एवरेज देख कर अधिकारी उसकी अपरूटिंग करने के लिए कहते हैं और दोबारा उन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं हो पाता है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम तीन बार का एवरेज लिया जाए, ताकि मौसम की मार के कारण किसान की फसल को नुकसान

[कुमारी मीनाक्षी नटराजन]

पहुंचा हो, तो कम से कम उसका खामियाजा किसान को न उठाना पड़े। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अफीम की खेती करने वाले किसानों के हित को देखते हुए एक 'अफीम अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र' की स्थापना की जाए, ताकि किसानों को बेहतर प्रशिक्षण मिले और प्राकृतिक आपदा से तथा अन्य बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकें। अफीम की जो शासकीय खरीदी मूल्य है, वह कई वर्षों से बढ़ी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि किसानों के व्यापक हित को देखते हुए, उसके समर्थन मूल्य को बढ़ाकर पांच हजार रुपए तक किया जाए और अफीम तौल केंद्र और पारदर्शितापूर्ण एवं जो अंतिम जांच होती है, उसका परिणाम उसी समय किसान को लिखित रूप में दिया जाए, तब जाकर किसान के साथ पूरा न्याय हो पाएगा।

महोदय, यह केवल मेरे अपने संसदीय क्षेत्र की नहीं, बल्कि उन 12 जिलों के लाखों किसानों की समस्या है, जो अफीम की वैध खेती, लाइसेंस लेकर पट्टे पर करते हैं। मैं उनकी समस्याओं से आपको अवगत कराते हुए उम्मीद करती हूं कि जब नई नीति बनाई जाए, तब उन किसानों के हितों का लाभ भी रखा जाए।

[अनुवाद]

श्री आधि शंकर (कल्लाकुरिची): महोदय, हमारी सरकार का कुल प्रस्तावित व्यय 9,57,231 करोड़ रुपये है। इस वर्ष का कुल व्यय लगभग 10,00,000 करोड़ रुपये है। इस राशि में से गैर-योजना व्यय लगभग 7,00,000 रुपये और योजना व्यय लगभग 3,00,000 करोड़ रुपये है।

महोदय, अपने देश के विकास के लिए हम 10,00,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर रहे हैं। यह कुल व्यय लोक सभा और राज्य सभा के 800 संसद सदस्यों द्वारा पारित किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक प्रतिशत विकास कार्यों का भी चयन संसद सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है। विकास कार्यों पर किये जा रहे 10,00,000 करोड़ रुपये में से एक प्रतिशत भी विकास कार्य संसद सदस्यों द्वारा निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं।

पांच वर्ष पूर्व, वाजपेयी जी के शासन काल में भी, सरकार का कुल व्यय केवल 4,00,000 करोड़ रुपये था, उस समय भी, संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु संसद सदस्य को एम.पी. लैड्स के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी। माननीय महोदया सोनिया गांधी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन काल में, हमें एम.पी. लैड्स कोष के माध्यम से वही 2 करोड़ रुपये ही प्रति वर्ष मिल रहे हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, एक विधायक को प्रति वर्ष दो करोड़ से अधिक या तीन करोड़ रुपये की राशि दी जाती है; और तमिलनाडु में, प्रत्येक विधायक को निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 1.7 करोड़ रुपये मिलते हैं। दिल्ली में भी, पार्षदों को संसदीय विकास कोष के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय में हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री पलानीमनिकम, जो तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु सरकार के कार्यक्रम से भली-भांति परिचित भी हैं, से और केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एम.पी. लैड्स कोष की धनराशि 2 करोड़ रुपये को बढ़ाकर...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनके प्रस्ताव पर विचार करें।

श्री आधि शंकर: महोदय, एम.पी. लैड्स के अंतर्गत आबंटित धनराशि, 10,00,000 करोड़ रुपये कुल व्यय का एक प्रतिशत होनी चाहिए। हमें उस कुल व्यय का कम-से-कम एक प्रतिशत मिलना चाहिए, जो कुल 800 संसद सदस्यों के लिए लगभग 10,00,000 करोड़ रुपये बनता है; और यह प्रति वर्ष प्रत्येक संसद सदस्य के लिए लगभग आठ करोड़ रुपये अथवा नौ करोड़ रुपये बनता है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): उपाध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार की ओर से मैं सुन रहा था कि देश में विकास हुआ है। उस तरफ के माननीय सदस्यों की मजबूरी है, उन्हें समर्थन करना पड़ता है, लेकिन अंतरआत्मा को पता है कि सच क्या है। अभी-अभी माननीय सदस्या बोल रही थीं कि कुछ लोग पीजा खा रहे हैं और 80 प्रतिशत लोग गरीबी के कारण भूखे रहने को मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 62 सालों में से 50 साल से ज्यादा कांग्रेस सरकार का शासन रहा है। दस परसेंट लोग अमीर बने, 80 परसेंट लोग गरीब से गरीब बने। आज अमीर लोगों के कुत्ते जो खाना खाते हैं, उस तरह का खाना गरीबों को नसीब नहीं होता है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार मेरी बात पर ध्यान दे। हमारे खाद्य मंत्री फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि देश में गरीब की चिंता पहली बार किसने की? मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गरीब की चिंता पहली बार की। वाजपेयी सरकार गरीब के लिए अंत्योदय स्कीम लेकर आई थी।...*(व्यवधान)* मेरे साथी, मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* मुझे भी टोकना आता है। यह मत सोचो मैं काला पांनी का आदमी हूं, मुझे नहीं आता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रेस करके बोलिए।

श्री विष्णु पद राय: इस पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान और गरीबी हटाओ जैसे कई नारे दिए। अभी एक नया नारा आ गया है - आम आदमी, कांग्रेस का हाथ। मैं पूछता हूं कि गरीब का हाथ कहां है? क्या नारा देने से गरीबी मिट गई? गरीबी मिटी है लेकिन कुछ ही लोगों की मिटी है। क्या सब टाटा, बिरला बन गए? जो गरीब परिवार से नेता लोग आए थे, वे आज नेतागिरी करके, एम.पी. बनकर, राजनीतिज्ञ बनकर करोड़पति बन रहे हैं। उनकी गरीबी हटी है। मैं कहता हूं कि सबसे पहली बार वाजपेयी सरकार ने ही पूअरेस्ट एमंग दि पूअर की चिंता की।...*(व्यवधान)* बंधु सुन लीजिए आपको जानकारी नहीं होगी। राशन कार्ड वाली अंत्योदय योजना वाजपेयी सरकार लाई।...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): नहीं, इंदिरा जी के समय में आई थी।...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय: राशन कार्ड अंत्योदय योजना में पहली बार वाजपेयी जी की सरकार में आया।...*(व्यवधान)* इनको बोलिए, हम इन्हें क्लास देंगे।...*(व्यवधान)* आपको सोनिया जी और मनमोहन जी से क्लास लेने की जरूरत है,...*(व्यवधान)* अंत्योदय में राशन कार्ड में वाजपेयी सरकार ने पूअरेस्ट एमंग द पुअर को 35 कि.ग्रा. अनाज जिसमें 3 रु. किलो चावल, 2 रु. कि. गेहूं दिया। 60 साल के बूढ़े माता-पिता जो गरीब हैं, उनको 10 कि.ग्रा. राशन फ्री दिया। बी.पी.एल. को 35 किलो अनाज देंगे, यह घोषणा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले की थी। लेकिन 25 कि.ग्रा. दिया। मैं कहता हूं कि 25 किलो चावल में एक बी.पी.एल. परिवार को रोज सौ ग्राम चावल मिलेगा। क्या सौ ग्राम चावल खाकर कोई स्वस्थ रह सकता है? वह स्लिम जरूर बन सकता है। ...*(व्यवधान)* ए.पी.एल. राशन कार्ड होल्डर को लेकर मुझे भी बहुत चिंता है। मैं अंडमान निकोबार से आता हूं, मेरे दोस्त अभी चले गए हैं, इस यू.पी.ए. सरकार ने सात किलो की जगह ए.पी.एल. कार्ड में पांच किलो कर दिया है। इस पांच किलो में सौ ग्राम दाना मुर्गी को भी नहीं मिलेगा, तो लोग क्या खाएंगे? इसलिए मैं मांग करता हूं कि ए.पी.एल. में चावल की मात्रा बढ़ाई जाए। बी.पी.एल. आइडेंटिफिकेशन में बड़ी नाइंसाफी हुई है। मुझे एक सी.पी.एम. के मित्र बोल रहे थे कि 80 प्रतिशत लोग रियल बी.पी.एल. हैं। लेकिन रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

अपराह्न 4.04 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी ट्राइबल्स 60 साल से बी.पी.एल. हैं। सैंचुरी बनाओ, बी.पी.एल. से ए.पी.एल. बनाओ या जिंदगी भर रखो। अंडमान निकोबार में 60 प्रतिशत ट्राइबल बी.पी.एल. है, अंडमान ने क्या गलती की है? अंडमान में आज बी.पी.एल. परिवार हैं लेकिन परसेंटेज क्या है, एक या दो परसेंट। यू.पी.ए. सरकार केवल बी.पी.एल. के नाम पर अनाज दे रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब के नाम पर 35 किलो अनाज दें, यह हमारी पहली विनती है।

अब सरकार को लैंड इरोजन की चिंता नहीं है। जो लोग उत्तराखंड, त्रिपुरा और नॉर्थ-ईस्ट से आते हैं, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से आते हैं, जहां हिली लैंड है, जहां तूफानी बारिश होती है, जहां जमीन कट रही है। लैंड इरोजन के लिए बंगाल के मंत्री जी बैठे हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी नदी के प्रवाह से खेत की जमीन हर साल कट रही है। द्वीपों में समुद्र को पानी से तथा नदी-नाले के पानी से हर साल किसान के खेत की जमीन काटी जा रही है। उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इस सरकार को ज्यूडिशयरी के बारे में क्या चिंता है? ज्यूडिशयरी भारत का सबसे बड़ा पिलर है। अपोलो में जाओ या राम मनोहर में जाओ, हम तो एम.पी. हैं, हमारे लिए दुनिया के बड़े अस्पतालों के दरवाजे खुले हैं। वहां स्पेशलिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट देखता है और एक दिन में 30-40 मरीज देखता है। अपोलो में स्पेशलिस्ट 30 या 40 को देखता है तो वहां बीमारी ठीक होती है

[श्री विष्णु पद राय]

लेकिन एम्स या किसी अस्पताल में हजारों की लाइन लगी होती है। क्या ऐसे इलाज होगा? इसीलिए मैं कहता हूं आज यही हालत ज्यूडिशयरी की है। ज्यूडिशयरी में कोई फैसला नहीं है, सालों साल केस चलता रहता है, जिसने रेप किया, चोरी की, डकैती की, वह बेल लेकर घूमता है क्योंकि जानता है कि पनिशमेंट होने वाला नहीं है। यहां जांच कम होती है, हियरिंग चलती रहती है और जजमेंट नहीं होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैसे मेडिकल में सुपर स्पेशिलस्ट चार घंटे ड्यूटी करता है इसी तरह से ज्यूडिशयरी भी एक दिन में 4-5 घंटे काम करे, उसे जांच के लिए 30 या 40 केस दो और छः महीने का टाइम दो इससे जजमेंट होगी। सरकार को चाहिए 15 से 20 गुना जजों की एपाइंटमेंट करे, कोर्ट खोले ताकि लोगों को न्याय मिले। इससे क्रिमिनल रेप, डकैती और चोरी करने से डरेगा। दिल्ली में सरकार बैठी है। दिल्ली में अंडमान की एक बेटी भवन में काम करती है, उसका नाम पप्पी है, मैंने पूछा - बेटी, गले में सोना क्यों नहीं पहना जबकि बंगाली लोग सोना जरूर पहनते हैं। वह बोली - कैसे पहनूं दिल्ली में बाहर सोना पहनकर निकलते हैं तो छीन लेते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार सोचे और ज्यूडिशयरी में 15-20 गुना जजों को नियुक्त करके देश को क्रिमिनल्स से मुक्त करे।

महोदय, अब मैं एन.आई.टी. की बात कहता हूं। यहां शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं, नारायण स्वामी जी नहीं हैं, शिक्षा मंत्री अंडमान के साथ बेइंसाफी करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्रो सुनो, हम सब लोग अभी अंडमान निकोबार छोड़ने वाले नहीं हैं। अर्जुन सिंह जी बड़े हैं या सिब्बल जी बड़े हैं, आप जवाब दीजिए? भारत में 20 एन.आई.टी. हैं। जुलाई, 2008 में एच.आर.डी. मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी ने पत्र लिखकर कहा कि अंडमान में एन.आई.टी. बनेगा। यह अनकवर्ड स्टेट है, पिछड़ा और बैकवर्ड स्टेट है। हमने मांग की और सिब्बल जी से मुलाकात भी की। हमने पत्र भी दिया। एक्नॉलजमेंट आया, जवाब तो आया नहीं। नारायण स्वामी जी और सिब्बल जी, * अंडमान एन.आई.टी. पुडुचेरी में लेकर जा रहे हैं। क्या आइडिया दिया जा रहा है कि अंडमान पोलिटेक्नीक में कॉलेज खोल दिया गया है। यह फिजिबिलटी नहीं है। मैं पूछता हूं पुडुचेरी में पंडित नेहरू जी ने 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज, जिपमार खोला था तब यह क्या था, यह गांव था। आई.आई.टी. खड़गपुर, बंगाल के एम.पी., अधीर बाबू यहां बैठे हैं, खड़गुपर 60 साल पहले यह रिमोट विलेज था, एक जेल थी। यहां आई.आई.टी. खोला गया। राजीव गांधी जी का नाम कांग्रेस पार्टी लेती है, सोनिया गांधी जी 1986 में अंडमान गई थीं और लक्षद्वीप अंडमान का आई.डी.ए. बनाया था, मिनि पार्लियामेंट, मिनि मिनिस्ट्री बनाई थी। अंडमान निकोबार एन.आई.टी. पुडुचेरी जाएगी, मैं इसका विरोध करता हूं और जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल करूंगा। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी किसकी लीगेसी, पब्लिक परंपरा अपनाएगी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या कपिल सिब्बल की लीगेसी बनेगी? कांग्रेस पार्टी इसका चिंतन करे। मैं अनुरोध करता हूं कि अगली दस इन.आई.टी. भारत में बननी हैं। अर्जुन सिंह जी ने अंडमान को एन.आई.टी. दी है, सिब्बल जी, आप उससे आगे हाथ न बढ़ाएं, अंडमान निकोबार को एन.आई.टी. दे दो।

महोदय, कोस्टल सिक्योरिटी की कोई चिंता सरकार को नहीं है। अंडमान की फाइल वित्त मंत्री जी के पास पड़ी है। पुलिस कांस्टेबल बॉर्डर पर खड़ा है। उसे पुलिस रैशन अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली की पुलिस को प्रति माह 950 रुपये रैशन अलाऊंस मिलता है। मेरा अनुरोध है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की पुलिस को भी 950 रुपये प्रति माह की दर पर रैशन अलाऊंस दिया जाए।

महोदय, समय कम है, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। आज दीपों में गांव-गांव में जाएं, हर जगह मलेरिया फैला हुआ है, टाइफाइड फैला हुआ है, डीसैन्टरी फैली हुई है। लेकिन हैल्थ की चिंता केन्द्र सरकार को बिल्कुल नहीं है। पीने के साफ पानी की अभाव है। मैं दीप में होकर आया हूं। वहां मलेरिया फैला हुआ है। इसका कारण यह है कि वहां सीधा बारिश का गंदा पानी लोग पीते हैं। वहां बारिश का पानी नाली में रुकता है, लोग वहां चैक डैम बनाकर उसी पानी को पाइप द्वारा बिना साफ किये हुए पीते हैं और बीमार पड़ते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वह लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराये। इसके लिए फिल्टर बैड, क्लीन वाटर टैंक आदि की व्यवस्था हो। लेकिन इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, पोर्ट ब्लेयर वहां की राजधानी है। लेकिन वहां राशन से पानी मिलता है। एम.पीज के लिए पानी की किल्लत नहीं है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर में हफ्ते में दो से तीन दिन 15 से 20 मिनट के लिए पानी मिलता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डवलपमैन्ट से 90 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। लेकिन मिनिस्ट्री ने आज तक कोई पैसा नहीं दिया। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में पीने का अच्छा पानी, शुद्ध पानी देने के लिए सरकार स्कीम बनाये और बजट में इसके लिए पैसे का प्रावधान करे। ताकि वहां के लोगों का पेट ठीक रहे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। मैं पी.एम. ऑफिस में गया था। सुनने में आया कि 24 मरीजों को पी.एम. रिलीफ फंड से आर्थिक मदद मिलेगी। जैसे कैंसर पेशेन्ट के लिए दो लाख रुपये, हार्ट आदि के ऑपरेशन के लिए पचास हजार रुपये मिलेंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इलाज के लिए 20 से 30 हजार रुपये देने की व्यवस्था है। जबकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के समय में पी.एम. रिलीफ फंड में मरीजों की कोई सीमा नहीं थी। परंतु आज 24 मरीज से अधिक कोई सांसद अपना निर्वाचन क्षेत्र से पी.एम. रिलीफ फंड से इलाज नहीं करा सकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पी.एम. रिलीफ फंड तथा हैल्थ मिनिस्ट्री का फंड बढ़ाया जाए।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं कि हर पी.एम.सी., सी.एस.सी., डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल आदि में आयुष का एक स्ट्रीम जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी खोले जायेंगे। द्वीपों में 31 सैन्टर्स हैं, लेकिन केवल दो-तीन सैंटर्स खोले गये हैं। उनमें डाक्टर पांच साल से 24 साल तक कांट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सारे भारत में यही हालत है। दीपों के लिएं स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक हर पी.एस.सी., सी.एस.सी., और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में आयुष की एक स्ट्रीम जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी के रेगुलर डाक्टर और स्टाफ द्वारा चलाई जाएं। आज वहां मैडिकल कालेजों की जरूरत है। प्रशासन की ओर से पोर्ट ब्लेयर में मैडिकल कालेज खोलने के लिए डी.पी.आर. बनकर 277 करोड़ रुपये की मांग की गई है। देश में तथा द्वीपों में अधिक से अधिक हैल्थ सैन्टर्स भी खोले जाएं।

अब मैं पी.एम. रिलीफ फंड के बारे में बताता हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एम.पी. था। जब मैं पी.एम. ऑफिस में मिलने के लिए गया तो मुझे बताया गया कि एम.पी. साहब साल में 24 केस इस फंड के तहत लिए जाते हैं। मैं कहां से लाऊंगा, हमारी आबादी छः लाख है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नॉर्थ-ईस्ट जैसे कई राज्यों में डाक्टर्स नहीं हैं। सर्जन नहीं हैं, कार्डियोलोजिस्ट नहीं हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें बढ़ौतरी की जाए। तब कांग्रेस पार्टी देश की ग्रोथ की बात करे।

इसके बाद ओल्ड एज पेंशन का सवाल आता है। अभी सुनने में आया है कि हम लोगों की पेंशन कितनी बढ़ी? एक्स एम.पी. की पेंशन तीन हजार रुपये थी, उसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये कर दिया। अभी सुनने में आया कि एम.पी. की तनख्वाह चीफ सैक्रेटरी की तनख्वाह से ज्यादा 90 हंजार रुपये तक बढ़ेगी। छठा वेतन आयोग लागू हुआ। लेकिन ओल्ड एज पेंशन केवल दो सौ रुपये मिल रही है। यह पैसा चाय पीने के लायक भी नहीं है। एक चाय भी आज चार-पांच रुपये की मिलती है। वित्त मंत्री जी समय पर आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि साठ साल के बूढ़े, माता, पिता, हैंडीकैप्ड लोग हैं। कितनी माएं बंगाल और अंडमान-निकोबार दीप समूह में हैं, जिन्हें उनके आदमी ने छोड़ दिया, भाग गया। उन सबका क्या होगा? आप कृपा करके उन लोगों की पेंशन बढ़ाएं और वह पेंशन उन लोगों के जीने के लायक हो। आज जो पेंशन दी जा रही है, इस पेंशन से एक समय भी लोगों का पेट नहीं भर सकता है।

महोदय, अब मैं आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स आदि के ऑनरेरियम के बारे में बताता हूं कि इन लोगों का ऑनरेरियम आज इतना कम है कि उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एन.डी.ए. सरकार थी तो उसने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स का ऑनरेरियम बढ़ाया था। लेकिन इस सरकार ने पिछले पांच सालों में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स की कोई चिंता नहीं की, कोई मदद नहीं की और इस बजट में भी इन लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाये, उनका ऑनरेरियम बढ़ाये।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सोनिया जी आई, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। सोनिया जी हिन्दी अच्छी तरह जानती हैं। वे बहुत अच्छी हिन्दी बोलती हैं। सोनिया जी 1986 में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में

[श्री विष्णु पद राय]

आई थीं। जब सोनिया जी 1986 में अंडमान द्वीपसमूह में गई थीं। 23-12-1986 को साथ में उनके पति श्री राजीव गांधी और प्रणब बाबू भी थे। सोनिया जी, कृपया ध्यान दीजिए। कांग्रेस पार्टी अंडमान एंड निकोबार के साथ बेईमानी कर रही है, घातक काम कर रही है। अंडमान एंड निकोबार में श्री अडल बिहारी वाजपेयी जी आये। हार्ट पेशेंट, सिर टूटा हुआ पेशेंट को चैन्नई में इंडियन एअरलाइन्स का प्लेन में स्टेचर में जाना पड़ेगा। स्टेचर पेशेंट होगा, कांग्रेस के जमाने में 6-प्लेन टिकट थे। श्री वाजपेयी जी के जमाने में एक टिकट था। जब यू.पी.ए. सरकार आयी, फिर 6 टिकट कर दिया। स्टेचर पेशेंट के एअर फेयर की आप कीमत सुनिये। स्टेचर पेशंट के एअर किराया के खर्च होगा 90 हजार रुपया। गरीब लोग कहां से इलाज करेगा? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि श्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री और आइडिया के चेयरमैन के नाते, राजीव गांधी की लिगेसी लो, परम्परा लो, गांधी परम्परा लो, पंडित जवाहर लाल नेहरू की परम्परा लो, वाजपेयी जी की परम्परा लो, ऐसा अगला भारत बनाओ, इसलिये ऐसा बजट लाओ, नहीं तो बजट के नाम पर अमीर अमीर होता रहेगा, पिजा खाता रहेगा, अमीर का कुत्ता खाता रहेगा, गरीब मरता रहेगा, देश का पार्लियामेंट से आस्था हट जायेगा।

[अनुवाद]

डॉ. जी. विवेकानन्द (पेड्डापल्ली): माननीय सभापति महोदय, मुझे पुनः बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धनय्वाद। पिछली बार, मैं बजट के विषय में बोला था। इस बार मैं स्वयं को वित्त विधेयक तक ही सीमित रखूंगा।

मेरा विचार है, वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन किया है, अर्थात निर्वाचक न्यास स्थापना को आय कर से छूट और निर्वाचक न्यासों को दान की अनुमति और उन दान राशियों को कारपोरेट आय में से घटाने की अनुमति भी दी है। इससे किए जा रहे राजनैतिक वित्तपोषण में भी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

महोदय, समुचित भण्डारण सुविधाओं के अभाव में 30 प्रतिशत कृषि उत्पाद बेकार हो जाते हैं, इस तरह सीमांत किसानों के हितों को भारी क्षति होती है। राष्ट्रीय अपशिष्ट में यह तथ्य भी जुड़ जाता है कि किसान को अपनी न्यायोचित मजदूरी और आजीविका की हानि भी होती है। हानि बहुत अधिक है और इस उद्योग पर ध्यान दिया जाना काफी समय से प्रतीक्षित है। धारा 35 क घ का संशोधन जहां एक कर निर्धारिती द्वारा कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए शीत भण्डारण सुविधा की स्थापना अथवा वेयरहाउस सुविधा का संचालन करने हेतु किया गया पूंजी व्यय सामयिक है, वहीं इससे ग्रामीण अवसंरचना के विकास की बहुप्रतीक्षित प्रगति होगी। किसानों को अपने उत्पादों के संरक्षण और उन्हें उचित मूल्य पर बेचने की क्षमता सृजन के लिए शीत शृंखला तथा गोदामों की अत्यंत आवश्यकता है। इससे किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से जिन्स बाजार में सरलता से भागीदारी करने में भी सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इन सुविधाओं के निर्माण के लिए ऋण आबंटन में वृद्धि करें और इस प्रकार की ऋण राशि से प्राप्त आय को किसी भी प्रकार के आयकर से छूट दें। इससे यह सुनिश्चित करने में काफी सहायता मिलेगी कि 30 प्रतिशत अपशिष्ट उत्पाद बन जाए और मूल्यों तथा स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता मिले।

चालू वर्ष में प्राकृतिक गैस संसाधनों के दोहन से सरकार को बहुमूल्य रॉयल्टी प्राप्त होगी और तेल आयातों के कारण 140 बिलियन डालर के आयात बिल में भारी कमी आएगी। के.जी. बेसिन में तेल की प्राप्ति के कारण, विदेशी विनिमय में लगभग 40 बिलियन डालर की कमी होगी। इससे चालू खाता घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी। अगले दो वर्षों में के.जी. बेसिन से प्राप्त रॉयल्टियां लगभग 25,000 करोड़ रुपये होंगी। यह उचित है कि वित्त विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति-VIII के अंतर्गत प्राकृतिक गैस अथवा कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाना और उसके संचालन में किया गया पूंजी व्यय पूर्णतः कर मुक्त होगा। इस अवसंरचना सुविधा के सुदृढ़ीकरण से औद्योगिक अवसंरचना व्यापक होगी और इससे लाखों भारतीय लाभान्वित होंगे। किसी भी प्रकार से उत्पादित अतिरिक्त गैस से सरकार को रॉयल्टी प्राप्त होती है और आयात बिल में कमी होती है, और इससे चालू खाता घाटा नियंत्रित रहता है।

'उचित व्यापार' की परिभाषा में विस्तार द्वारा धारा 44 कघ में संशोधन का अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव है। पहला, 40 लाख रुपये तक के कारोबार पर 8 प्रतिशत प्रकल्पित कर से कराधार व्यापक होगा और अधिक अनुपालन

सुनिश्चित होगा। दूसरा, लाखों कारोबारी अब गर्वपूर्वक लेखा बही रखे बिना ईमानदारी से कर का भुगतान करने का दावा कर सकते हैं। वित्त मंत्री जी इस सीमा को अधिक लाभ दर के साथ 80 लाख रुपये तक बढ़ाकर देख सकते हैं - अर्थात 40 लाख और 80 लाख रुपये के बीच के कारोबार के लिए 12 प्रतिशत कर सकते हैं, इससे कराधार को व्यापक बनाने में काफी सहायता मिलेगी। ऐसे निर्धारितियों, जो करों की प्रकल्पित दर का चयन करते हैं, को सनदी लेखाकारों द्वारा धारा 44 कख की अनिवार्य लेखापरीक्षा से छूट दी जाए।

मैं वित्त मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूं कि आवश्यक प्रशिक्षण और सॉफ्टवेयर प्रदान करके टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर स्कीम को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए ताकि नए कर निर्धारित कर विवरणिका दाखिल करने में व्यावसायिक मदद ले सकें।

दान के संबंध में कटौती से संबंधित धारा 8 छ में संशोधन एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद गैर-सरकारी संगठनों को नया पंजीकरण कराना होता है। इससे गैर-सरकारी संगठनों को अपने कार्य की योजना बनाने में सहायता मिलेगी, और वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। पनधाराओं सहित पर्यावरण और वन संरक्षण को धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव बहुत से गैर-सरकारी संगठनों को इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन देगा। माननीय मंत्री वैश्विक तापमान में वृद्धि के संदर्भ में धर्मार्थ प्रयोजन के रूप में जल संसाधन प्रबंधन, मौसम परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण नियंत्रण आदि पर कार्य कर रहे संगठनों की जांच कर सकते हैं।

वित्त विधेयक, 2009 में तंबाकू उत्पादों, नशीले उत्पादों, शृंगार सामग्री और प्रसाधनों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न सभी कारोबार के इन-हाउस अनुसंधान और विकास कार्यों के संचालन में 150 प्रतिशत मापित कटौती आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। देश में आन्तरिक अनुसंधान के विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसके अभाव में हमारे वैज्ञानिक विदेशों में चले जाते हैं। यहां तक कि ताइवान जैसा छोटा सा देश भी अनुसंधान और विकास पर भारत से अधिक धन खर्च करता है। मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर 50 प्रतिशत तक कर छूट दी है और उनसे आग्रह करता हूं कि वह विश्वविद्यालयों और अनुसंधान निकायों को दिए जाने वाले दान को भी इसी श्रेणी में सम्मिलित करें।

देश में विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता लगभग 1,50,000 मेगावाट है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 78,000 मेगावाट का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया था परंतु हम केवल 12,000 मेगावाट का ही उत्पादन शुरू कर सके। यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि हमने सकल क्षेत्र-उत्पाद में 8 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया है। विकास हेतु विद्युत की आवश्यकता और विद्युत परियोजनाओं की लाभ कमाने योग्य बनने में लगने वाली लम्बी अवधि को देखते हुए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह पुर्नप्रयोज्य संसाधनों से विद्युत उत्पादन पर विशेष बल देने हेतु आगामी दस वर्षों में विद्युत क्षेत्र को कर में छूट देने के लिए एक योजना बनाएं।

आन्ध्र प्रदेश में छोटे खेत मालिकों के लिए तीन प्रतिशत ब्याज दर है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इसे व्यापक बनाकर पूरे भारत में पांच एकड़ से कम भूमि वाले सभी किसानों द्वारा तीन प्रतिशत ब्याज दर लागू की जाए। केन्द्र को छोटे और सीमांत किसानों को उर्वरक राजसहायता के साथ कृषि उपकरणों को खरीदने हेतु भी राजसहायात देने पर विचार करना चाहिए। इस योजना का किसानों के पास उपलब्ध प्रति एकड़ भूमि के आधार पर विस्तार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम सहायता की गारन्टी दी जानी चाहिए।

इससे 'नरेगा' योजना में रिपोर्ट करने वाले उन ग्रामीण गरीबों को भी सहायता मिलेगी जिन्हें अपने स्वयं के उपकरण खरीदने पड़ते हैं।

इस बजट में, ब्रैन्डेड आभूषणों पर कर को शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। फैशन के लिए पहने जाने वाले आभूषणों का प्रयोग मुख्यतः मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा किया जाता है और उसमें काफी मेहनत लगती है तथा इससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। मुझे आशा है कि ब्रैन्डेड आभूषणों के साथ-साथ फैशन आभूषणों को भी कर से मुक्त कर दिया जाएगा।

मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्र हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रदान की जा रही राजसहायता का उचित उपयोग हो।

[डॉ. जी. विवेकानन्द]

वित्त मंत्री जी ने किसानों, वेतन उपयोग के द्वारा सरकारी कर्मचारियों, उद्योग जगत, रक्षा कार्मिकों आदि का ध्यान रखा है। तथापि, व्यक्तिगत आयकर में 10,000 रु. की वृद्धि से मध्यमवर्गीय लोगों को अधिक सहायता नहीं मिली है। अनुषंगी लाभ (फ्रिन्ज बैनिफिट टैक्स) को हटाने से सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रु. का घाटा हुआ है और व्यक्तिगत कर से मध्यमवर्गीय लोगों पर भार बढ़ा है। मेरे विचार से उद्योग जगत को अनुषंगी लाभ कर का भुगतान करने और अनुषंगी लाभ कर रिटर्न भरने का अभ्यस्त हो गया है। मेरे विचार से अनुषंगी लाभ कर समाप्त करने से हुए लाभ की अपेक्षा व्यक्तिगत आयकर की सीमा को 10,000 रु. तक बढ़ा देने से मध्यम वर्गीय लोगों को निश्चित तौर पर अधिक लाभ मिलेगा। इससे केवल 3,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसमें सभी मध्यमवर्गीय लोगों को लाभ मिलेगा।

सामान्य बजट संबंधी अपने भाषण में मैंने यह अनुरोध किया था कि भूमिगत खान मजदूरों के लिए भत्ते को 17,000 रु. तक बढ़ाया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

महोदय, आज के विश्व में वृद्ध लोगों को स्वयं यह योजना बनानी पड़ रही है कि वह सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे क्योंकि आज के युवा वर्ग के पास बहुत कम समय है और उनकी अपनी समस्याएं भी हैं. अतः मैं अनुरोध करता हूं कि धारा 17 में प्रस्तावित संशोधन को हटा दिया जाए। 1.00 लाख रु. से अधिक की सेवानिवृत्ति निधि पर कर एक अतिरिक्त भार है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाले सेवानिवृत्ति लाभ पर कर को हटाया जाना चाहिए। महोदय, आन्ध्र प्रदेश को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रतिमाह 200 रु. और स्वाध्यता महिला समूह की 60 वर्ष से अधिक आयु वाली सदस्यों के लिए 500 रु. प्रतिमाह की वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। यह एक अच्छी योजना है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

चिकित्सा उपचार पर बढ़ रहे व्यय को देखते हुए विकलांग लोगों को चिकित्सा व्यय के लिए धारा 80 घघ के अंतर्गत दी जाने वाली छूट को 75,000 रु. से बढ़ाकर 1,00,000 रु. तक करना एक अत्यंत उचित कदम है।

महोदय, यह मांग हमेशा की जाती रही है कि अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों हेतु विशेष आवंटन वाले बजट के लिए सामान्य बजट में अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए और दूसरे सामान्य बजट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं इस बजट का पूरे मन से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच): माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने जो फाइनैंस बिल पेश किया है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार जिस तरह से टैक्स इकट्ठा करके इस देश में ठीक से काम करती रहती है, इसी तरह से राज्य सरकारों में भी इसकी चिन्ता होनी चाहिए। इस तरह से उनको भी काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें इस तरह का काम नहीं कर पाती हैं, यह आप सभी लोगों को जानकारी है। राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए। केन्द्र सरकार जिस तरह से तकलीफ उठाकर टैक्स इकट्ठा करती है और उसका लाभ सभी को मिलता है, मेरा निवेदन है कि इस तरह की चीजें स्टेट गवर्नमैंट में भी होनी चाहिए। जब टैक्स इकट्ठा करने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार में कोई बदलाव नहीं आता है। चाहे आप कुछ भी करिये, यह बदलाव उसमें नहीं आता है। दूसरा, वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तीसरा, जो रियायतें हम इंडस्ट्रीज को देते हैं, वे रियायतें अगर प्रदेश सरकारें भी इंडस्ट्रीज को दें तो इंडस्ट्रीज का काम काफी आगे बढ़ सकता है। उससे प्रदेश में काफी अच्छा लाभ पहुंच सकता है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कर्ज माफी का मामला चलता है, कर्ज माफ हो जाते हैं, लेकिन जिस इलाके से मैं एम.पी. बनकर आया हूं, वह इलाका बहराइच उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां शायद ही लोग पहुंच पाते होंगे। नाम सुना होगा लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। वहां जाने के बाद पता लगता है कि किस तरह लोग किस तरह की परेशानियों में जीवनयापन करते हैं। ऐसी जगहों में जहां खासकर थारू और गरीब लोग तथा एस.टी. के लोग निवास करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि उनके लिए एक कंपोनैन्ट देना चाहिए। इस बार तो इस तरह का प्रावधान मिला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि किसी भी

स्टेट में एस.टी. के थारू जाति के लोग हों तो उनको वह मिलेगा। उन इलाकों में बैंकिंग सुविधा नहीं है। खासकर नेपाल के बॉर्डर इलाकों में बैंकिंग सुविधा नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।

महोदय, मैं आपको खाद के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां खाद की एजेंसी के लिए इस तरह का प्रावधान बनाया गया है, जिसमें किसी को भी 15 किलोमीटर के अंदर खाद की एजेंसी नहीं दी जाएगी। इसी वजह से वहां खाद की चोरी और बेइमानी होती है। मेरा निवेदन है कि बार्डर से इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, बार्डर के नजदीक सरकार की कोई न कोई एजेंसी होनी चाहिए।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीब इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके तहत उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जाएं।

महोदय, कृषि आय का मुख्य स्रोत है। इसी से फाइनेन्स और खाना-पीना मिलता है। यदि कृषि व्यवस्था ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से देश और कोई भी प्रदेश विकास नहीं कर सकता है।

महोदय, नरेगा गरीबों के लिए जीवनदान है। यह एक बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता है। यदि ठीक से इसे लागू किया जाए, इस पर ठीक से काम किया जाए तो लोग भूखे नहीं रह सकते हैं।

महोदय, 23 मिलियन लोगों के घरों में बिजली पहुंची हुई है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में घर-घर में बिजली पहुंच जाएगी। इसके अलावा पावर जनरेशन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, जो भी योजनाएं गरीबों के लिए बनती हैं, उनकी मोनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह केन्द्र स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर हो। यदि मोनिटरिंग नहीं होगी तो आपकी सभी योजनाएं, चाहे वह फाइनेंस, विद्युत अथवा नरेगा से संबंधित हो, जमीन पर लागू नहीं हो पाएंगी।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1997 से पहले कुछ किसानों ने कर्ज लिया हुआ है। उनकी संख्या बहुत कम है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन थोड़े किसानों के कर्ज को भी माफ कर दिया जाए।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने साधारण बजट पर कुछ बातें कही थीं, 'जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

महोदय, आज कृषि पर जितना प्रावधान होना चाहिए, उतना नहीं किया गया है। पूरा देश सूखे से प्रभावित है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सिंचाई, बिजली और खाद, इन महत्वपूर्ण चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने बजट अच्छा बनाया, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आज जो किसानों की हालत है, आप जो उन्हें कर्जा दे रहे हैं, सात परसैंट ब्याज पर तीन लाख से ऊपर कर्जा नहीं देते हैं और अल्पकालीन कर्जा दे रहे हैं। दूसरे चीजों के लिए लोगों को जो ऋण दिया जाता है, वह सस्ता दिया जाता है, लेकिन किसानों को जो ऋण दिया गया, उस पर आपका ब्याज रेट ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि किसानों को लम्बे समय के लिए ऋण दिया जाए और कम से कम बीस लाख रुपए तक किसानों को ऋण लेने का अवसर मिले तथा उस पर चार परसैंट से ज्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए, सभापति जी, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी से यह मांग करता हूं।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जितना प्रावधान होना चाहिए, शिक्षा की समानता और मूलभूत सुविधाएं, मौलिक शिक्षा का अधिकार, आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। जब तक देश के गरीब बच्चों की पढ़ाई का ठीक से इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तब तक देश की गरीबी को दूर करने का काम हम सब मिल कर नहीं कर पाएंगे। मैं इस विधेयक के माध्यम से इस अवसर पर आपसे कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों के लिए एक समान शिक्षा, दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे अपना जीवनयापन करते हैं, जिनके बच्चों का पढ़ाई-लिखाई के लिए इंतजाम नहीं है, उन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए अगर आपने एक समान शिक्षा करके और निःशुल्क शिक्षा करके, उनके लिए बजट में बढ़ाने का काम किया तो निश्चित तौर से देश में गरीबी कम होगी और गरीब लोगों का विकास अच्छे प्रकार से होगा। इसके लिए आपको एक नीति बनानी चाहिए और ज्यादा पैसा रखना चाहिए।

[श्री रामकिशुन]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पर जो वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, भारत सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जो राज्यों के माध्यम से हिन्दुस्तान के विकास में काम कर रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का जो उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, कहीं न कहीं राज्य सरकारों ने उसका दुरुपयोग किया है, इसमें दो राय नहीं हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बहुत से गांव छूट गए, आपने पैसा दिया है, वहां दो-चार खम्भे गढ़ गए और तार खींच गए, लेकिन पूरी कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि आप उसके लिए एक कमेटी बनाएं। आपने कई बार कमेटी की घोषणा की है और उसमें क्षेत्रीय सांसद हैं। एक ऐसी कमेटी हो, जिस पर वे निगरानी कर सकें। आपने निगरानी समिति बनाई, लेकिन जिला अधिकारी या दूसरे जो लोग हैं वे उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। आज देश में कुपोषण बढ़ा है। यहां सम्मानित सदस्य एवं वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हम लोग पहली बार आए हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी शुद्ध पानी पीने के लिए हम कोई नीति नहीं बना सके। आज भी देश में गरीबों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। रेल मंत्री महोदया ने बजट पेश करते समय कहा था - इज्जत ट्रेन। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप इज्जत ट्रेन की बात करती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्मों से जब ट्रेनें गुजरती हैं तो वही पानी लोग पीते हैं, जो पानी ट्रेनों में हाथ-मुंह धोने के लिए बोगियों में भरा जाता है, उसी पानी का वे उपयोग करते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए शुद्ध पानी पीने के लिए भारत सरकार को बजट में ज्यादा प्रावधान करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी, राष्ट्रीय सम विकास योजना और यह उन पिछड़े जिलों के लिए बनी थी, जिससे उनका क्षेत्रीय और संतुलित विकास हो सके। बहुत से ऐसे पिछड़े जिले हैं, जहां भारत सरकार ने सीधे अधिकारियों को पैसा भेजा था, लेकिन उस योजना का नाम बदल कर बी.आर.जी.एफ. योजना कर दिया। मैं अपने जिले के चन्दौली जनपद की बात कर रहा हूं। धान का कटोरा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का गृह जनपद है। वहां से आप भी आते हैं। धान का कटोरा, बहुत अच्छी योजना है। राष्ट्रीय सम विकास योजना उस जिले के लिए बनाई गई, लेकिन जब यह योजना आई तो इसका क्रियान्वयन, इसमें कितना पैसा मिला, उसका आज तक हम सांसदों को पता नहीं चला। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे किसान को मजबूती मिलती है और जिले के विकास में भी मजबूती मिलती है।

महोदय, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल सबसे पिछड़ा इलाका है। वहां कोई उद्योग-धंधा नहीं है। वित्त मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां रेल कारखाना बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन चन्दौली और बिहार के बॉर्डर पर अधिगृहीत की हुई पड़ी है। जब पंडित कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने रेल कारखाना बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन ली थी। वह जमीन ऐसे ही पड़ी है। उसमें कारखाना बनाने के लिए इस वित्त विधेयक में धन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि आप रेल कारखाना बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री आपको जमीन नहीं दे रही हैं, लेकिन हमारे पास तो जमीन पड़ी है। बिहार और यू.पी. के बॉर्डर पर जमीन पड़ी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उस जमीन का उपयोग करें और वहां रेलवे का कोई बड़ा और अच्छा कारखाना अथवा कोई संयंत्र लगाने का काम करें।

महोदय, मैं एक मिनट का समय और चाहता हूं। हमारे यहां बांधों की बहुत जरूरत है। हमारे यहां सूखा पड़ा हुआ है। बांधों में एक भी बून्द पानी इसलिए नहीं है, क्योंकि वे जर्जर हो चुके हैं। नौगांव, चकिया, सोनभद्र और मिर्जापुर के बांध जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा हो जाए और अगर वहां पानी बरस जाए, तो उन बांधों में पानी इकट्ठा हो सकता है और उससे किसानों के खेतों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन वे बांध जर्जर हैं। पानी बरसता है, बांधों में रुकता नहीं, बह जाता है।

महोदय, इसी प्रकार बाण सागर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे आपके प्रदेश को भी

लाभ पहुंचेगा, क्योंकि इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सोन नदी से बाण सागर परियोजना को बनाकर पहले आप पानी को मिर्जापुर लाएं, उसके बाद उसे चन्दौली लाएं और उसके बाद उसी पानी को बिहार के सासाराम क्षेत्र में, जहां का प्रतिनिधित्व हमारी लोक सभा की अध्यक्षा महोदय करती हैं, वहां ले जाएं, तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदयः अब समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशुनः सभापति महोदय, मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। उस बांध के लिए ठीक प्रकार से पैसा देकर आप यदि बनाएं, तो देश को बहुत लाभ होगा। यहां कांग्रेस की अध्यक्षा बैठी हैं, मैं उनके सामने प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर अगर पूरी संसद काम करती है, तो किसानों का भला होगा, इस देश का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त-विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, वर्ष 2009-10 का वित्त विधेयक चिंताजनक राजकोषीय कुप्रबंधन को दर्शाता है।

[हिन्दी]

यू.पी.ए. गवर्नमेंट आने के बाद उसने अपने कंट्री को डैट में डुबा दिया है। जब से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली तब से वर्ष 2004 तक 18 लाख करोड़ रुपए का डैट था, जो पिछले पांच साल में बढ़कर 34 लाख 95 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। लगभग 100 परसेंट कंट्री की लाइबिलिटी बढ़ा दी है। आजादी के पिछले 62 साल में इतना डैट और लायबिलिटी बढ़ने के बाद भी पूअर पीपुल के लिए कुछ भी नहीं मिला है। यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने पूरे वोटर्स को एक तोहफा दिया है। उसने हर वोटर के ऊपर 50 हजार रुपए का कर्जा थोप दिया है। आज के दिन पूरे इंडिया के वोटर के ऊपर 50 हजार रुपए का डैट बरडन है। यदि इस साल के बजट का कैपीटल आउटले देखें, तो 10 हजार करोड़ में से 4 हजार करोड़ रुपए का डैट है। इतना धन हमें बाहर से लाना पड़ेगा या बैंकों से लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी रैवेन्यू में आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि जितना भी डैट का रैवेन्यू हमें आया है, उसमें से 37 परसेंट रैवेन्यू इंटरैस्ट बरडन को कम करने के लिए जाएगा। लगभग 2 लाख 25 हजार करोड़ हमारा देश इंटरैस्ट के रूप में पे कर रहा है। पिछले पांच साल में राजस्व में अत्यधिक बृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में रैवेन्यू 2,63,813 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 6497 करोड़ रुपए हो गया है। ऑलमोस्ट 200 परसेंट रेवेन्यू बढ़ गया है। एक तरफ से रेवेन्यू बढ़ा है, दूसरी तरफ से डेट हुआ है, तीसरी तरफ असैट सेल किया है। इतना पैसा आने के बाद भी कॉमनमैन की लाइफ के ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। माननीय मंत्री जी, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की जरूरत है।

[अनुवाद]

वर्तमान प्रणाली पारदर्शी नहीं है। इससे आम जनता का उत्पीड़न हो रहा है और वह असमंजस की स्थिति में हैं। वर्तमान प्रणाली और प्रबंधन से राजस्व का घाटा हो रहा है और व्यर्थ खर्च हो रहा है। वर्तमान प्रणाली में सरकार द्वारा आम आदमी और व्यवसायियों पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की संभावना है। इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। उसी के साथ अभी भारी ऋण भार के होते हुए भी देश में कोई विकास नहीं हो रहा है और रोजगार के नए अवसरों का अभाव है।

[हिन्दी]

हमारे बजट में एक बात बोली है कि हम 12 मिलियन लोगों को जॉब देंगे और उसके लिए वैब पोर्टल लगा देंगे। आज के दिन वैब पोर्टल तो काफी हैं। अगर हम कम्प्यूटर ओपन करें तो काफी वैब पोर्टल रहते हैं, जॉब पोर्टल भी काफी रहते हैं।

[अनुवाद]

परंतु रोजगार प्रदान करने हेतु क्या योजना बनाई गई है। यह महत्वपूर्ण है। हम नौकरियों का सृजन कैसे कर सकते हैं?

[हिन्दी]

हमारे बोलने के बाद जो 12 मिलियन से अभी इस छोटे से समय में एक मिलियन जॉब देने की जगह वे रिमूव हो गये। 12 में से एक मिलियन जॉब्स तो खत्म

[श्री नामा नागेश्वर राव]

हो गये। अभी 11 मिलियन हैं, ये 11 मिलियन भी बाकी जितना टाइम है, उसमें चले जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग नहीं है, इनका जॉब क्रिएशन के लिए कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम नौकरियों का सृजन कैसे कर सकते हैं? वह नहीं है। सिर्फ वैब पोर्टल लगाकर, पोर्टल के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं।

प्रेजेण्टली फार्मर्स के इश्यूज में चार परसेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर सैक्टर में हमने देखी है। हमारा सजेशन यह है, इसके लिए पहले भी हम लोग बोले हैं कि अगर इस सैक्टर को डैवलप करना है तो इण्टरैस्ट रेट को कम करके सात परसेंट जो किया है, उसको चार परसेंट करें। एम.एस.पी. रेट एक्चुअल कास्ट से उसको अच्छे से दे दें, प्लस 50 परसेंट जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा है, जब तक उसको यह नहीं देंगे, इस सैक्टर में इम्प्रूवमेंट आने में बहुत ही दिक्कत है। उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। प्रजेण्ट पोजीशन में देखें तो

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कई कारणों से बुरी तरह प्रभावित है। इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में वैश्विक स्थिति की तुलना में ब्याज दर काफी अधिक है।

[हिन्दी]

गवर्नमेंट स्वयं 12 लाख करोड़ का बोरो कर रही है, अगर बाकी फाइनेंशियल सैक्टर के ऊपर यह बर्डन आ जायेगा तो ऑटोमेटीकली आर.बी.आई. का इंटरैस्ट रेट और बढ़ने के चांसेज हैं।

दूसरी तरफ अगर देखें तो इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पी.पी.पी. मॉडल पर ज्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स के लिए हमें आर.बी.आई. से, नहीं तो बैंकिंग सैक्टर से पैसा मिलने में भी दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए भी सोचना चाहिए। डिस-इन्वैस्टमेंट में देखें तो बजट में 1,01,120 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया है, मगर फाइनेंस मीडिया में बहुत जगह 30 हजार करोड़ का डिस-इन्वैस्टमेंट आएगा, यह दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी क्लैरीफिकेशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

हमारे देश में मानव संसाधन विकास अति महत्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

फाइनली हमारा ह्यूमन रिसोर्स डैवलप करने के लिए और भी फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए और उसमें पर्टिकुलरली लिट्रेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए फीमेल सैक्टर को इसकी काफी जरूरत है, यह भी देखना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश स्टेट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट काफी करना है, उसमें पर्टिकुलरली हमारे हाईवेज

[अनुवाद]

हैदराबाद-राजमुंदरी को जोड़ने वाला सूर्यापेट से होकर जाने वाला मुख्य राजमार्ग एन.एच. 9, में वाया सूर्यापेट-खम्माम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए।...*(व्यवधान)* हैदराबाद-विजयवाड़ा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सूर्यापेट-खम्माम-राजमुंदरी की बात कर रहा हूं। यह एक छोटा मार्ग है। कर्णाटक और महाराष्ट्र में कृष्णा और गोदावरी नदियों पर बनी नई सिंचाई परियोजनाओं के कारण आन्ध्र प्रदेश पूर्णतः सूख जाएगा और इससे इस राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके ऊपर भी तुरंत ध्यान देना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वाल्वमेंट होना चाहिए। वित्त मंत्री जी देश के आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

एम.पी.लैड्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एम.पी.लैड्स सभी से कनेक्टेड ईश्यू है, इसे दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर कम से कम पांच करोड़ रुपए करना चाहिए।

अपराह्न 4.50 बजे

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, कल सभी देशवासियों ने विजय दिवस मनाया। मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से अपने देश के शहीदों को नमन

करना चाहता हूं। "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।"

महोदया, हमारा देश सूखे की चपेट में है। हम बड़े फख्र से कहते थे कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन आज भारत देश सूखे की चपेट में है और उससे प्रभावित है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि किसानों को सूखे से राहत देने के लिए कोई कार्य योजना बनाएं। मैं उत्तराखंड प्रदेश से हूं। जहां सूखा राहत के अंतर्गत 30, 40, 50 और 100 रुपए के चेक मिलते हैं और लोगों को 40 रुपए के चेक को कैश करवाने के लिए ढाई हजार रुपए का एकाउंट खोलना पड़ता है। ऐसा मजाक लोगों के साथ है, क्योंकि जो मानदंड तय किए हैं वे मैदानी इलाकों के हैं, पहाड़ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। सूखा राहत के नाम पर 30 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए के चेक नसीब होते हैं और लोग इसे मुख्यमंत्री को वापस लौटा देते हैं। ऐसी स्थिति वहां बनी हुई है।

मैं वित्त मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि जो टेक्नालाजी हमारे देश में आए, वह कम से कम आब्सोलीट टेक्नॉलाजी न हो। सम्मानिता, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी-अभी लोक सभा में हमें आर.एफ. कार्ड मिले हैं। इसके बारे में मैंने पूछा कि क्या इसके अंदर ब्लड ग्रुप भी आपने डाला है? उन्होंने कहा कि नहीं ब्लड ग्रुप नहीं डाला है, अगर हमें पता होता तो हम डाल देते। हमारे आर.एफ. कार्ड में ब्लड ग्रुप डालना चाहिए था। इसके साथ ही मुझे कार के लिए भी कार्ड मिला है। मेरे ड्राइवर ने उसके आगे एक स्लिप लगा दी जिसके कारण गेट ही नहीं खुलता है। ऐसी आब्सोलीट टेक्नॉलाजी हमारे देश में आ रही है। उस कार्ड के ऊपर कोई फोटो नहीं है, इसलिए एक दूसरा कार्ड ईश्यू किया गया जिसमें हमारी फोटो और सिग्नेचर भी हैं। ऐसी टेक्नालाजी नहीं आनी चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि विश्व की अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। सोना, चांदी व विदेशी मुद्रा की कीमत का उतार-चढ़ाव भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया, वह विकास के लिए अति उत्तम और श्रेष्ठ है। इस मंदी के दौर में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। मैं इस फाइनैंस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान नवनिर्वाचित उत्तराखंड राज्य की ओर दिलाना चाहूंगा, जहां वर्तमान में टैक्स हालीडे यानी कर-अवकाश लागू है। टैक्स हालीडे के कारण मैदानी इलाके में उद्योग लग गए, परंतु पहाड़ों में उद्योग नहीं लग पाए। टैक्स हालीडे का सीधा फायदा पहाड़ों में रहने वाली जनता को नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि पहाड़ों में फैक्ट्री, उद्योग लगने के लिए जमीन की उपलब्धता और यातायात की कठिनाई रहती है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में जैसी व्यवस्था है कि आदिवासी व्यक्ति, जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हुए कार्यरत होता है, उन पर इन्कम टैक्स नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार से सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापक, डाक्टर, बिजली कर्मचारी तथा इसी प्रकार अन्य विभागों में उत्तराखंड राज्य में काम करने वालों को यदि इन्कम टैक्स से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दी जाए, तो पहाड़ों से पलायन भी रोका जा सकता है, तथा सुदूर ग्रामों में अध्यापक, डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी भी उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधानों से उत्तराखंडवासी तथा देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को बहुत फायदा पहुंचेगा और यह बड़ा उत्तम सुझाव है।

यह सर्वविदित है कि आदि गुरू शंकराचार्य ने चार धामों के अंदर चार पीठों की स्थापना की। इसी प्रकार हमारी सरकार ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम में द्वारिका धाम की तरफ सुरक्षा के लिए तार, बाड़ लगवा दी है। पूर्व में जगन्नाथ धाम तथा दक्षिण में रामेश्वरम् धाम की ओर से समुद्र में कोस्ट गार्ड तथा नेवी लगा रखी है तथा जम्मू कश्मीर की ओर भी तार, बाड़ कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम की तरफ सीमा सुरक्षा संगठन (बी.आर.ओ.) स्वतंत्रता के बाद भी डिफैंस की दृष्टि से काफी अच्छा काम कर रहा है। मेरा निवेदन है कि यदि गैरसैंण में सीमान्त विकास प्राधिकरण की स्थापना कर दी जाए तो यह प्राधिकरण सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए अध्ययन करेगा, काम करेगा और इससे उस क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[श्री सतपाल महाराज]

रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा
गर शौक में तेरे जोश रहा तस्वीर का जामा बदलेगा
बेजार न हो, बेज़ार न हो, सारा फसाना बदलेगा
कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो यह जमाना बदलेगा।

*इसके अतिरिक्त सीमान्त क्षेत्र के गांवों के लोगों को इंटेलीजेंस कलेक्ट (गुप्त सूचनाएं एकत्रित) करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इसके अलावा अन्य कई कार्य उनको सौंपे जा सकते हैं जिससे देश की सुरक्षा और दृढ़ होगी और पहाड़ों का विकास कार्य भी होगा। इसमें गुरिल्ला प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती हैं।

वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत इन्फार्मेशन इण्डस्ट्री को आयकर से छूट प्राप्त है जिसे शीघ्र ही समाप्त किया जाना है। परन्तु सुदूर व कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसे सशर्त जारी रखा जा सकता है अर्थात् उत्तराखण्ड या अन्य पहाड़ी इलाकों में कोई इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी इण्डस्ट्री लगाना चाहे तो उसे अगले दस सालों के लिए इन्कम टैक्स से मुक्त रखा जा सकता है।*

अध्यक्ष महोदया: जो माननीय सदस्यगण अपना भाषण नहीं दे पाए हैं, वे कृपया उसे सभा पटल पर रख दें।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लिया, की प्रशंसा और अभिवादन करता हूं। लगभग 35 माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक और बजट के सामान्य प्रावधानों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।

हम इस विस्तृत वित्तीय कार्य के अन्तिम चरण में आ गए हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, यह संसद में एकत्रित निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। सामान्यतः, यह अपेक्षा की जाती है कि सदस्य व्यय को अनुमोदित करने, कार्यपालिका को भारत की संचित निधि से धन लेने हेतु प्राधिकृत करने और कराधान की अनुमति देने के लिए इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण अधिकार हैं जिनका प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधि इसकी सहायता से करते हैं। अतः बजट एक विस्तृत कार्य है।

दूसरा, मैं व्यापक सहयोगात्मक भावना की सराहना करता हूं जिससे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में योगदान दिया है। प्रत्येक सदस्य स्थिति की गंभीरता को जानता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि राष्ट्र सामूहिक रूप से साहस करे और चुनौतियों का सामना करे और सफलता प्राप्त करे।

मैं मुख्य विपक्षी दल के उपनेता, श्री जसवंत सिंह से सहमत हूं, जो देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहे हैं, जब वह कहते हैं कि वह वित्त मंत्री की सफलता की कामना करते हैं क्योंकि यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है; यह वित्त मंत्री की सफलता का प्रश्न है, जिसका तात्पर्य है देश की अर्थव्यवस्था की सफलता, देश की अर्थव्यवस्था का विकास और उस स्थिति को सुधारना जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इस सम्बन्ध में, कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव और टिप्पणियों की हैं और कुछ प्रश्न भी उठाए हैं। मैं इन बातों का उत्तर दूंगा। श्री जसवंत सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि इस विस्तृत कार्य के साथ क्या हम प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। वास्तव में, हम प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं, हम उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते।

संविधान के अनुच्छेद 112 में प्रावधान है कि यह वार्षिक कार्य है। प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित वार्षिक विवरण सभा के सामने रखा जाना होता है। यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, जो अनुमानित वार्षिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। अतः, यह वार्षिक कार्य है जो हमें करना पड़ेगा।

अन्य माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है: क्या यह वास्तव में अनिवार्य है कि छोटे संशोधनों को भी सभा के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए रखा जाए। हां, यह अनिवार्य है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 265 स्पष्ट करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता और इस सभा के पास कर लगाने, कर उगाहने का प्राधिकार है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है, यह

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

आम समझ की बात है और कभी-कभी, यह पहेली बन जाता है - हमें कराधान विधान को भूतलक्षी प्रभाव से क्यों लागू करना होगा? मैं मानता हूं कि कराधान विधान को भूतलक्षी प्रभाव देना अच्छा विचार नहीं है और इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन संविधान की योजना के अनुसार आप केवल यह ध्यान में रखें - हमारे पास विधान बनाने का अधिकार है लेकिन संविधान के अनुसार, कानून की व्याख्या के संबंध में उच्चतम न्यायालय को अन्तिम टिप्पणी करने का अधिकार है। अनेक भूतलक्षी विधान बनाए जाने हैं। मैं स्थिति की थोड़ी विस्तृत व्याख्या कर रहा हूं।

हमारी प्रणाली है कि वित्त विधेयक प्रस्तुति के 75 दिन के भीतर पारित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वित्त विधेयक का एक भाग लागू हो जाता है, कराधान प्रस्तावों का एक भाग तुरंत लागू हो जाता है। जिस क्षण वित्त मंत्री कहते हैं: अध्यक्ष महोदय, "मैं वित्त विधेयक प्रस्तुत करता हूं", इसका एक भाग लागू हो जाता है। यद्यपि सदस्यों ने भी इसे नहीं देखा है। इसके विश्लेषण का कोई प्रश्न ही नहीं है। अभी तक भी प्रस्ताव नहीं रखे गए हैं, लेकिन ये लागू हो जाते हैं। अतः, संविधान में प्रावधान है कि प्रस्तुति के 75 दिन के भीतर, वित्त विधेयक पारित किया जाना चाहिए और यदि इसे पारित नहीं किया जाता है तो गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय संकट आ जाएगा क्योंकि जो कर लोक सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है तो वह कर वैध कर नहीं है और यदि यह लिया जाता है तो इसे वापस लौटाना पड़ेगा।

अब, एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है। इन सभी मामलों में, विशेषकर, धारा 147 के तहत संशोधन - जिसका श्री जसवंत सिंह ने उल्लेख किया है - ऐसा 20 वर्षों के लिये क्यों है? क्योंकि, यह उच्चतम न्यायालय की व्याख्या का प्रश्न है जो कानून बन जाती है। यदि 20 वर्षों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन नहीं किया जा रहा है तो 1989 के बाद से, जो कर एकत्रित किए गए हैं, वापस लौटाने पड़ेंगे यदि उस विशेष धारा के तहत यह भूतलक्षी विधान नहीं बनाया जाता है, जो कि संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। अतः इससे प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा होगी और अक्सर, यह काल्पनिक स्थिति नहीं होती है। श्री चिदम्बरम, जो प्रसिद्ध वकील हैं, यहां बैठे हुए हैं। उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार, जिसे स्थापित परंपरा, माना गया अभी स्थापित नहीं हुई है और सामान्यतया प्रशासनिक गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इसे भूतलक्षी प्रभाव देना होगा। लेकिन यह कर निर्धारण के लिए नहीं है। यह भूतलक्षी प्रभाव कर निर्धारण मामलों को पुनः खोलने के लिए नहीं दिया गया है। पहले यह 16 वर्ष था और बाद में लाए गए प्रशासनिक सुधारों के बाद से यह कर निर्धारण की तिथि से 6 वर्ष है। अतः, ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा, श्री जसवंत सिंह द्वारा वास्तव में हास्य की भावना से उठाया गया था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा आयकर छूट में दी गई 10,000 रु. की वृद्धि से एक बोतल व्हिस्की भी नहीं आएगी। चूंकि यह व्हिस्की पीने की सलाह नहीं दी जाती है और चूंकि मैंने पाइप पीने की आदत छोड़ दी है - मैं उन्हें व्हिस्की लेने की आदत छोड़ने की सलाह दूंगा यदि उन्होंने इसे पहले ही नहीं छोड़ा है। लेकिन मेरा नजरिया अलग है। आप 10,000 रु. की छूट देख रहे हैं। लेकिन कृपया पीछे देखें। यह 10,000 रु. नहीं है। यह पुरुषों के मामले में 1,60,000 रु. है, महिला करदाताओं के मामले में, यह 1,90,000 रु. है, वरिष्ठ नागरिक, चाहे पुरुष हों या महिला, के मामले में यह 2,40,000 रु. है। 1998 तक छूट की सीमा 40,000 रु. थी।

1999 में जब आप दूसरी बार सत्ता में आए तो इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। उसके बाद श्री चिदंबरम ने पांच वर्षों में इसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दिया था और मैंने 1,50,000 रुपए की राशि में इस वर्ष व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 10,000 रुपए और जोड़ दिये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैंने इसमें 15,000 रुपए की वृद्धि की है। यदि आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो 115 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग आयकर देते हैं? कितने लोगों की आय कर के दायरे में है? हम छूट की सीमा 1,60,000 रुपए कर रहे हैं और अगर आप दूसरी दृष्टि से देखें तो यह देश की प्रति व्यक्ति आय का लगभग पांच गुना है। जहां तक मेरी जानकारी है विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस स्तर तक छूट देता है। सामान्यतः वे इसकी बराबरी प्रति व्यक्ति आय से करते हैं। उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। हमारी प्रतिव्यक्ति आय कर बहुत कम है लेकिन यह उससे पांच गुनी ज्यादा है। अतः इस पहलू को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

दूसरे सम्मानित सदस्य ने यह मामला उठाया है कि

[श्री प्रणब मुखर्जी]

कॉरपोरेट घराने भारी लाभ कमा रहे हैं और उन्होंने पूछा कि उसको कर में क्यों नहीं दर्शाया जाता है। इसे सही रूप में और प्रतिशत में भी दर्शाया जाता है। यदि आप 2005-06 में देखें तो निगम क्षेत्र के लिए प्रभावी निगम कर 19.26 प्रतिशत था, 2006-07 में यह बढ़कर 20.60 प्रतिशत हो गया। 2007-08 में यह बढ़कर 22.24 प्रतिशत हो गया। अतः यह तर्क सही नहीं है कि कॉरपोरेट घराने भारी लाभ कमा रहे हैं लेकिन वे अपने आय के कुछ हिस्से को सभी के बीच नहीं बांट रहे हैं।

कराधान के बारे में भी एक प्रश्न यह उठाया गया है कि धन कर इतना कम क्यों है और एक गणना यह की गई है कि इस देश में केवल 40,000 करोड़ रुपए की सम्पत्ति हैं जो संभव नहीं है। धन कर का बुनियादी सिद्धांत निष्क्रिय आस्तियों पर कर लगाना है, जो कि उत्पादक नहीं हैं। अंतः धनकी सभी मदों को धन कर के अंतर्गत नहीं लाया जाता और उस धन के केवल उसी भाग पर कर लगाया जाता है जो निष्क्रिय और अनुत्पादक आस्तियां होती हैं। उसके लिए भी कुछ समय से सीमा को बदला नहीं गया है और इस बार सीमा को थोड़ा बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सामान्य मुद्दों पर ज्यादा समय लेना चाहता हूं जो कराधान की दरों और अन्य को बढ़ाये जाने से संबंधित हैं। मैं एक और मुद्दे के बारे में कहना चाहता हूं, निधि की वापसी में वृद्धि क्यों हो रही है - तीन वर्षों से अधिक समय में विलंबित निधि वापसी पर ब्याज के रूप में 13159 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

लेकिन एक ओर हमें ख्याल रखना होगा कि अभी तक हम इसे पूर्णतया केन्द्रीयकृत संसाधन प्रणाली के अंतर्गत नहीं ला पाए हैं। अब हमने वह व्यवस्था कर दी है और बंगलुरू में एक केन्द्रीय संसाधन प्रणाली स्थापित की जा रही है और इसके इस वर्ष अगस्त से शुरू होने की आशा है। इलेक्ट्रानिक रूप में भरे गए विवरणों को इस केन्द्र पर संसाधित किया जाएगा। चूंकि कंपनियों को अपनी विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में दाखिल करना अनिवार्य है अतः अब इन्हें बंगलुरू में स्थित केन्द्रीयकृत संसाधन केन्द्र को भेजा जाएगा। मैं भी आशा करता हूं कि इससे लाभ के भुगतान में कमी संभव होगी।

दूसरी एक अच्छी परंपरा यह है कि हम प्रशासन और विभाग को व्यस्त रखते हैं। ब्याज की गणना 1 अप्रैल से शुरू होती है जबकि तब तक आयकर विवरणी दाखिल करना शुरू भी नहीं होता। इसकी कार्रवाई लगभग 18 महीने बाद होगी। लेकिन विभाग द्वारा कार्रवाई ठीक ढंग से पूर्ण करने और निधि की वापसी यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए हम निधि वापसी पर ब्याज पहली अप्रैल से ही देना शुरू कर देते हैं जबकि उस समय तक निधि वापसी देय भी नहीं होती। लेकिन मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीयकृत संसाधन केन्द्र की कार्रवाई से इस पर ध्यान देना संभव होगा।

अध्यक्ष महोदया, अब मैं कुछ सामान्य मुद्दों पर बात करना चाहता हूं जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है। मैं यहां डराना नहीं चाहता हूं लेकिन साथ ही मैं बहुत सुन्दर तस्वीर भी नहीं दिखाना चाहता हूं। जैसा कि अभी लग रहा है, मैं यथार्थवादी और व्यवहारिक रहूंगा।

यह प्रश्न उठाया गया है कि हम कृषि में चार प्रतिशत वृद्धि कैसे सुनिश्चित करेंगे। कई सदस्यों ने अपनी-अपनी टिप्पणियां की हैं। प्रश्न यह नहीं है कि हम कैसे कर सकते हैं बल्कि प्रश्न यह है कि हमें यह करना ही है। यदि हम अपने देश में सकल घरेलू उत्पाद में नौ प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कृषि में चार प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना अति आवश्यक है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उसे प्राप्त करने के लिए हमें जल की उपलब्धता, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता और वहनीय कीमत पर अच्छा ऋण प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा। हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

सामान्य चर्चा में भाग लेते समय मैंने उत्तर दिया था कि यदि आप 'कृषि' के बड़े शीर्ष के अंतर्गत केवल कुछ मदों को देखकर 10 लाख करोड़ रुपए के कुछ बजट पर एक निर्णय लें तो केवल एक प्रतिशत कृषि के लिए आवंटित किया गया है - इससे आप सही निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। यदि आप कृषि से संबंधित सभी मदों पर विचार करें तो आप पाएंगे कि हम कुल बजटीय समर्थन का लगभग 24 प्रतिशत कृषि पर खर्च कर रहे हैं न कि एक प्रतिशत। यह सत्य है कि हमें फसल ऋण की अधिकतम सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर 20 लाख (चार प्रतिशत की ब्याज दर से) करना चाहिए था लेकिन कृपया याद रखें कि बैंक विशेष जमा दर पर आपसे, मुझसे और

किसानों के धन लेते हैं। यदि वे डी.आर.आई. सहित एक बड़े तबके को 4 प्रतिशत की दर से ऋण दें तो उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण का एक प्रतिशत चार प्रतिशत ब्याज दर दिया जाता है तो जमा पर ब्याज दर कम होगी? इससे आप की घरेलू बचत कैसे प्रभावित होगी? हमारे समग्र विकास में घरेलू बचत का योगदान बहुत ज्यादा है। यदि आप इसे ध्यान में रखें तो हमारे निवेश की दर जी.डी.पी. का लगभग 37 या 38 प्रतिशत है और उसका लगभग 35 से 36 प्रतिशत हमारे घरेलू बचत से आ रहा है। अतः हम ऐसी आर्थिक नीति या प्रणाली नहीं बना सकते जिसमें घरेलू बचत को हतोत्साहित किया जाएगा। हमें घरेलू बचत के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि घरेलू बचत हमें उच्च निवेश का आधार प्रदान कर रही है। अतः हमें एक समग्र दृष्टि रखनी होगी। मैं समझता हूं कि प्रत्येक राज्य की अपनी समस्याएं हैं। लेकिन क्या सभी 28 राज्यों को विशेष पैकेज देना संभव है? लेकिन हमने कुछ कदम उठाए हैं। मैं अपने अनुभव का हवाला देने के लिए क्षमा चाहता हूं। अस्सी के दशक में जब मैं वित्त मंत्री था, तो प्रतिदिन मुझे भारतीय रिजर्व बैंक से यह जानना पड़ता था कि कितने राज्यों ने ओवर ड्राफ्ट किया। कभी-कभी मुझे कुछ दिनों के लिए भुगतान रोकने का अप्रिय निर्णय भी लेना पड़ता था क्योंकि उन दिनों राज्यों के स्रोतों की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे पास विविध तंत्र हुआ करते थे। आज स्थिति उतनी खराब नहीं है बल्कि यह कुछ बेहतर है। पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों से तथ्य 29 प्रतिशत करों के अंतरित करने के कारण आज आप असम सहित किसी राज्य को लें, उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति कहीं बेहतर है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राज्यों के पास समस्याएं नहीं हैं और उन्हें इसका समाधान नहीं करना है।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जी, हां हमें धन की जरूरत है लेकिन माननीय सदस्यों को केवल व्यय हेतु सिफारिश करने के लिए ही सुझाव नहीं देने चाहिए बल्कि यह सिफारिश करने के लिए भी सुझाव देना चाहिए कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां से आपको कुछ संसाधन जुटाने चाहिए ताकि संसाधन जुटाने में हम उस विवेकपूर्ण परामर्श का उपयोग कर सकें और उसमें मुझे इस सभा के माननीय सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त हो। प्रत्येक वित्त मंत्री की यही नियति है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस बारे में बता रहा था। स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होना शुरू हो गया है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं इस प्रतिष्ठित सभा में बताना चाहता हूं। जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, कतिपय क्षेत्रों में सकारात्मक सुधार हुआ है। इस्पात, सीमेंट और कच्चे तेल के क्षेत्र में जून माह सौर कतिपय क्षेत्रों में से अधिकांश में चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल से जून के पहले तीन महीनों में सकारात्मक सुधार हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र के नवीनतम आंकड़ों में 12 प्रतिशत वृद्धि पर बताई गई है, जो मेरे विचार से उत्साहजनक है क्योंकि अक्तूबर से हम इसमें गिरावट देख रहे थे, जिसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी मैं यह नहीं कहूंगा कि हम संकट से उबर गए हैं। परिस्थिति अभी भी गंभीर है। सुबह मेरे सहयोगी माननीय वाणिज्य मंत्री ने कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए इंगित किया था कि अक्तूबर से निर्यात में गिरावट आई है। इसके दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति से उंबरने में कुछ और समय लगेगा, विशेषकर हमारे निर्यात क्षेत्र यूरोप और उत्तरी अमरीका जहां 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात किया जाता है; समग्र यूरोपीय संघ को 36 से 37 प्रतिशत निर्यात किया जाता है; अमरीका को 16 प्रतिशत निर्यात किया जाता है; और यदि आप जापान को शामिल करें, तो वहां के लिए 15 प्रतिशत से 16 प्रतिशत निर्यात किया जाता है; यदि इन सबको जोड़ दिया जाए, तो यह हमारे कुल निर्यात का 64 से 65 प्रतिशत होगा। जब तक वहां अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता और यह पटरी पर नहीं आती, तब तक इन क्षेत्रों में निर्यात करना आसान नहीं होगा, फिर चाहे हम निर्यात बढ़ाने के लिए कोई भी उपाय करें।

मैंने अपने बजट प्रस्ताव में बाजार के विकास हेतु सहायता में इस उद्देश्य से वृद्धि की है कि यूरोप और उत्तरी अमरीका के पारंपरिक बाजार के अलावा नए बाजारों की खोज की जा सके। निश्चित रूप से इसमें कुछ समय लगेगा। अतः हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम पर्याप्त रूप से विकास कर सकें और शीघ्र ही उच्च विकास दर हासिल कर एक समग्र कार्यनीति अपनाई है। मैंने अपने बजट प्रस्ताव में कतिपय उपाय किए हैं और मैने कुछ ऐसे उपाय भी किए हैं जिनके बारे में मैं वित्त विधेयक में कतिपय संशोधन और परिवर्तन करके बाद में घोषणा करूंगा।

लेकिन उससे पहले मैं जिस समग्र कार्यनीति के बारे में बात कर रहा था वह यह है कि मध्यावधि में हमें घरेलू मांग में वृद्धि करनी होगी; हमें घरेलू मांग बढ़ानी

[श्री प्रणब मुखर्जी]

होगी। इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमने जो वित्तीय प्रोत्साहन दिया है उससे हमें लाभ हुआ है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी माह में की गई भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो पायेंगे कि किसी ने भी यह नहीं कहा था कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) विकास दर पांच प्रतिशत से अधिक होगी।

लेकिन हम अधिक गिरावट को रोकने में सफल रहे हैं और हमने विकास दर में गिरावट को 6.2 प्रतिशत पर रोक लिया है। ऐसा प्रोत्साहन पैकेज के कारण हुआ है, जो हमने वित्तीय उपायों द्वारा वित्तीय शर्तों के अध्यधीन दिया है। मेरे पूर्ववर्ती श्री चिदम्बरम और माननीय प्रधान मंत्री ने दिसम्बर और फरवरी माह में दो वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज दिए थे। तीसरा पैकेज भी था - मैं उसे चौथा पैकेज नहीं कहूंगा; मैंने अपने पूर्ण बजट तथा अपने अंतरिम बजट में कतिपय प्रस्ताव किए थे, जिन्हें जोड़ दिया जाए, तो यह लगभग 2,14,000 करोड़ रु. होता है। हमने व्यवस्था में इतना अधिक लगाया है। जब पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होता, तो कर में वृद्धि करना संभव नहीं है। कर-जी.डी.पी. अनुपात में गिरावट आई है। जी.डी.पी., औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में गिरावट के दृष्टिगत आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि कर - जी.डी.पी. अनुपात और कर के भाग में वृद्धि होगी। यह संभव नहीं है। किसी भी आर्थिक कानून के द्वारा आप ऐसा नहीं कर सकते। यह 12.6 प्रतिशत से गिरकर 11.5 प्रतिशत हो गया है। लेकिन इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए हम जी.डी.पी. विकास दर को बनाए रख सकते हैं, हमने व्यवस्था में पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाया है।

नरेगा और भारत निर्माण सहित अग्रणी परियोजनाओं को शुरू करना मात्र चुनावी वायदों को पूरा करना नहीं है। इसका बड़ा आर्थिक महत्व है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों तक संसाधन पहुंचा सकते हैं, यदि हम ग्रामीण अवसंरचना का शीघ्र निर्माण कर सकते हैं, यदि हम 100 रु. की दर से 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, यदि हम क्रय शक्ति बढ़ा सकते हैं, तो हम उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि कर सकते हैं और वास्तव में यह हुआ है। यह कोई सैद्धान्तिक बात नहीं है। इससे अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और इससे हमें कुछ राहत मिलेगी। उसके बाद हम अन्य प्रमुख समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः हमें ये सभी उपाय अपनाने पड़े। अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि यह उचित और आवश्यक था।

एक अन्य सामान्य बात कहना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि क्या हम इस समग्र प्रक्रिया को सरल नहीं बना सकते और इस बारे में अन्य लोगों के विचार नहीं ले सकते। कृपया यह स्मरण रखिए कि इस अवधि के दौरान हमारे पास बहुत कम समय था। जी, हां हमने वायदा किया था। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनावों के दौरान हमने मतदाताओं से वायदे किए हैं। इन वायदों को पूरा करने के लिए विश्वसनीयता की आवश्यकता है। हमने अपने घोषणापत्र में कहा था कि यदि हम इस देश के लोगों के आशीर्वाद से पुनः सत्तारूढ़ होते हैं, तो हम सरकार के गठन के 45 दिनों के अंदर बजट पेश करेंगे। अतः इसके लिए समय-सीमा निर्धारित थी। इस मंत्रालय का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व लेने के पश्चात् - पहले मेरे पास अंशकालिक उत्तरदायित्व था, क्योंकि पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री की अस्वस्थता के कारण वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहा था; और बाद में मुझे इस मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया लेकिन मैंने, 23 मई, 2009 से 6 जुलाई, 2009 तक स्थायी रूप से विदेश मंत्रालय में कार्य किया। मैं कहता हूं कि हमें पर्याप्त समय नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद पहली बार मैंने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की।

मुझे याद नहीं कि हमारे पास यह पहले था। मुझसे पहले श्री चिदम्बरम के समय बजट प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न संबंधित पक्षों से संपर्क करने की व्यवस्था मौजूद थी। किसानों के संबंध में कई बार यह उल्लेख किया गया कि हम किसानों से परामर्श नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। बजट प्रस्ताव तैयार करने से पहले वित्त मंत्री को जिन चार महत्वपूर्ण समूहों से संपर्क करना होता है उनमें से एक महत्वपूर्ण घटक किसान है। अन्य तीन घटक श्रम संगठन, उद्योगपति और अर्थशास्त्री हैं। इन चार महत्वपूर्ण समूहों के अतिरिक्त इस बार हमने तीस समूह और शामिल किये हैं। निर्यातकों की समस्याओं के कारण हमने इसमें निर्यात क्षेत्र को जोड़ दिया। हमने वित्तीय क्षेत्र को जोड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अतः, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया गया। अब

चार और तीन को मिलाकर सात समूह हो गये हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री भी इसमें सम्मिलित हैं और हमें उन सबके सुझाव मिले। इससे मुझे लाभ मिला है। मुझे मालूम नहीं है कि मुझसे उन्हें कितना लाभ मिला है। परन्तु, निश्चित रूप से इस प्रकार संपर्क स्थापित करने से मुझे और मेरे सहयोगियों को अपने प्रस्ताव तैयार करने में फायदा हुआ है।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लिए इसे संस्थागत सहयोग रूप देना संभव होगा और भविष्य में इसके अंतर्गत अधिक से अधिक परामर्श किया जाएगा। यह बजट-पूर्व होगा। यह बजट के पश्चात भी होगा। यह कार्य सत्र के दौरान होगा। यह इसलिए है क्योंकि आज के राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्य में जब हम केन्द्र और राज्यों में सहयोग की बात करते हैं तो यह केवल एक रूढ़ोक्ति या शब्दाडंबर नहीं है। इसकी बहुत आवश्यकता है। यह अनिवार्य है। केन्द्र और राज्यों को सहयोग के बिना न केवल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपितु, प्रशासन के हर क्षेत्र में आर्थिक विकास करना संभव नहीं है।

यह विश्वास व्यक्त करते समय कि 1 अप्रैल, 2010 से हम जी.एस.टी. लागू करने में सक्षम होंगे मुझे यह बात अच्छी तरह याद है कि अधिकांश राज्यों में एक विशेष पार्टी का सदस्य होने के कारण मेरा आदेश लागू नहीं होता। बहुत से राज्यों में हमारी सरकार नहीं है। परन्तु, साथ ही हमारे हित समान हैं और हितों की इसी समानता जिस पर राज्यों के वित्त मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह कार्य कर रहा है, उनके आश्वासन और उनके सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के आधार पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह संभव होगा। और यदि हम इसे लागू कर पाते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण कर सुधार होगा और इस प्रकार कई मुद्दों पर ध्यान देने के लिये यह राज्यों और केन्द्र का एक सहयोगपूर्ण प्रयास होगा। यह सत्य है कि इसमें कुछ संवैधानिक समस्याएं आ निकली हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु, यदि सभा में मौजूद सभी पक्ष सहयोग करें तो राष्ट्र हित और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए संविधान में संशोधन करने में मुश्किल आएगी जैसा कि आम बजट और वित्त विधेयक पर हुई चर्चा से मुझे प्रतीत हुआ है, व्यापक राष्ट्र हित के इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है जैसा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन से स्पष्ट हुआ है। इस सभा और राज्य सभा में इन दो अवसरों पर हुई चर्चा से भी यही बात सामने आई है तो इसे लागू करना संभव क्यों नहीं होगा?

अतः अध्यक्ष महोदया, मेरा यह मानना है कि इस प्रक्रिया को लागू करना संभव है और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो जिन महत्वपूर्ण कर सुधारों की हम बात कर रहे हैं। हम उन्हें लागू कर पायेंगे और जैसा कि मैंने अपने आम बजट भाषण में वादा किया था कि 115 दिनों के अंदर हम प्रत्यक्ष कर संहिता को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल देंगे, हम उसे पूरा कर पायेंगे।

मैंने वही तिथि निर्धारित की है और मुझे आशा है कि उस तिथि को यह वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लोगों के पास चर्चा करने का अवसर होगा। सार्थक वाद-विवाद और चर्चाएं होंगी। हमें जानकारी प्राप्त होंगी और इन जानकारियों के साथ शीतकालीन सत्र में नई कर संहिता लागू करने में सक्षम होंगे, जिससे देश में कर व्यवस्था और कर कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे।

जैसा कि मैंने कहा है और यह पद्धति है कि वित्त विधेयक और बजट प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् हमें अलग-अलग पक्षों से विभिन्न सिफारिशें और प्रतिवेदन प्राप्त हुए। इस बार कोई अपवाद नहीं है। यदि, यह एक सामान्य वर्ष होता तो मैं और अधिक बातों को समायोजित कर सकता था। परन्तु, चूंकि यह एक बहुत कठिन वर्ष है अतः, मुझे कुछ और उचित रियायतें प्रदान करने से स्वयं को रोकना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वे विचार किए जाने योग्य हैं। वे स्वीकार किए जाने योग्य हैं। परन्तु, मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने निर्णय को सात-आठ और महीनों के लिए लंबित रखा। परन्तु, मैंने सोचा कि हम बहुत हद तक राजस्व को प्रभावित किए बिना भी कुछ कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने, हमें प्राप्त हुए प्रतिवेदनों में दिए गए विभिन्न सुझावों का अध्ययन और विश्लेषण किया है। मैं, आर्थिक मंदी के वर्तमान दौर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की तत्काल प्राथमिकता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। तदनुसार, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मैं (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

वित्त विधेयक के लागू होने की तिथि के पश्चात एक अधिसूचित तिथि से वित्त विधेयक के माध्यम से कर योग्य सेवाओं की सूची में जोड़ी गई नई सेवाएं अथवा मौजूदा कर योग्य सेवाओं के कार्य क्षेत्र में किए गए परिवर्तन प्रभावी हो जाएंगे। व्यापार और उद्योग जगत ने यह अनुरोध किया है कि ऐसे परिवर्तनों को अधिसूचित करने और उन्हें प्रभावी बनाने के बीच पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि व्यवसाय लेखांकन प्रणाली और साफ्टवेयर में समायोजन किया जा सके। इसका कार्य यह है कि वे चाहते हैं कि अधिसूचना की तिथि और उस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि में अंतर हो। मुझे यह सुझाव सही लगता है। तदनुसार, मैंने केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड को, नई सेवाओं पर सेवा कर लगाने और मौजूदा सेवाओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने की अधिसूचनाओं जिनकी वर्तमान बजट में घोषणा की गई है, को 1 सितम्बर से प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है। अतः, उनके पास समायोजन करने के लिए पूरे एक माह का समय होगा।

सड़कें देश की जीवनरेखा होती है। अतः, सरकार ने देश में सड़कों के विकास और उनके रख-रखाव के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। यह बात हमारे व्यय आवंटन से पर्याप्त रूप से स्पष्ट होती है। कर के क्षेत्र में, नई सड़कों के निर्माण को सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। तथापि सड़कों के दायरे में हैं। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव को सेवा कर से छूट प्रदान करने संबंधी बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अतः, मैं सड़कों की मरम्मत और उनके रख-रखाव को भी तत्काल सेवा कर से छूट प्रदान करते हुए इस विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव करता हूं।

विधेयक के खंड 32 में, आयकर अधिनियम की धारा 80 (ई) के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि व्यावसायिक शिक्षा सहित किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती की अनुमति दी जा सके।

इस कटौती का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो शिक्षा ऋण अध्ययन या अपने पत्नी या बच्चों की शिक्षा के लिए लेता है। लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि छात्र के अध्ययन का व्यय उठाने वाले अन्य व्यक्ति भी इस कटौती का लाभ उठा सकें। अतः मैं इस विधेयक के खण्ड 32 में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं जिससे छात्र के कानूनी अभिभावक को भी इस कटौती का लाभ मिले।

आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए.(4) उपखण्ड (111) के प्रावधान के अनुसार उपक्रम द्वारा 31 मार्च, 2009 को या उससे पूर्व विकसित किसी औद्योगिक पार्क के विकास, प्रचालन या अनुरक्षण से जो लाभ प्राप्त हुआ है उस पर कर में छूट मिलेगी। इस योजना के विस्तार के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आर्थिक मंदी को देखते हुए आय में बढ़ोत्तरी के लिए अवसंरचना क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु, मैं औद्योगिक पार्क योजना हेतु अंतिम खंड और दो वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2011 तक विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं।

एन.ई.एल.पी. आठवें दौर के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त एक उपक्रम जो ब्लाकों में प्राकृतिक गैस के व्यवसायिक उत्पादन में लगा है, को कर में छूट देने के लिए इस विधेयक के खण्ड 37 के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा 80-आई.बी. की उप-धारा (9) के प्रावधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है। कोल-बेड मिथेन की खोज के लिए चौथे दौर की बोली के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त ब्लाकों में प्राकृतिक गैस के व्यवसायिक उत्पादन में भी इस लाभ को देने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तदनुसार मैं आयकर अधिनियम की धारा 80-आई.बी. की उप-धारा (9) में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ मूल्यांकन वर्ष 2010-11 से और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों से उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदया, आवास निर्माण विशेषकर निम्न और मध्यम वर्ग के आवास के निर्माण के लिए सहायता देने की आवश्यकता है। इस वर्ग के घर के मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिए मैं घर खरीदने वालों को सभी तरह के दस लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर, बशर्ते घर की कीमत 20 लाख से अधिक न हो, एक प्रतिशत के ब्याज की छूट का प्रस्ताव करता हूं। ब्याज दर राज-सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बंकों और राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाएगी। ब्याज़ पर यह राज-सहायता एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। मैं इस प्रयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं आवास क्षेत्र को करों में राहत देकर और अधिक

प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, मैं आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.बी.(10) में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं ताकि 1 अप्रैल, 2007 और 31 मार्च, 2008 के बीच स्वीकृत परियोजनाएं, जो 31 मार्च, 2012 को या इससे पहले पूरी होती है, से अर्जित लाभ को कर से छूट दी जाएगी। अध्यक्ष महोदया, मैं भवन निर्माताओं से आशा करता हूं कि वे मकानों की कीमतों को समुचित रूप से कम कर इस कर छूट का लाभ इन घरों के खरीदारों को देंगे। मुझे विश्वास है कि व्यय और कर में छूट देने की पहल, दोनों से भविष्य में घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी और गृह निर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार में मदद मिलेगी।

आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.बी. की उप-धारा (11ए) फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण संरक्षण और पैकेजिंग के व्यापार से हुए लाभ को कर से छूट प्रदान करती है। इस कर छूट को विशेष रूप से शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, कुक्कुट, मांस आदि सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को देने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। शीघ्र खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं जैसे दूध, कुक्कुट और मांस के संरक्षण के लिए मैं प्रसंस्करण व्योपार, मांस और मांस के उत्पादों, कुक्कुट, मात्स्यिकी और डेयरी उत्पादों के संरक्षण और पैकेजिंग के लिए भी कर में छूट देने हेतु धारा 80-आई.बी. की उप-धारा (11ए) में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

आयकर अधिनियम की धारा 80 यू के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कर दाता उसे अशक्त है या गंभीर अशक्तता के शिकार हैं, उन्हें क्रमशः 50,000 रुपए और 75,000 रुपए की कटौती का लाभ मिलेगा। ये सीमाएं वित्तीय वर्ष 2003-04 में तय की गई थीं। वर्ष 2003-04 से अधिकतम सीमा और महंगाई में तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैं आयकर अधिनियम की धारा 80 यू में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं ताकि गंभीर अशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए 75,000 रुपए की वर्तमान कटौती को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जा सके। मैं कुछ संशोधनों का प्रस्ताव भी करता हूं जिनका स्वरूप परिणामी है।

अध्यक्ष महोदया, प्रत्येक खण्ड पर विचार-विमर्श करने के बाद आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि हम इस सभा के सहयोग से अपनी कथनी को करनी में बदल पाएंगे। भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की अवसंरचना का निर्माण, कर सुधार और समग्र विकास इस सरकार की नीतियों और कार्रवाई का उद्देश्य होगा। सुधार हमारी कार्यसूची में रहें लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई मंत्र नहीं है जिसका कभी-कभी जाप किया जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू हो गया है और मुझे विश्वास है कि हम 2010 के अंत तक आठ प्रतिशत या नौ प्रतिशत विकास की दर प्राप्त कर लेंगे।

यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं विभिन्न राज्यों की मांगों को पूरा करूं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कृपया मुझे बताइए कि धन कहां है जिसे मैं आपकी इच्छानुसार बांट सकूं। खर्च करने से पहले मेरे पास धन होना चाहिए।

हम राजकोषीय विस्तार की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब हम सबको अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और राजस्व के सृजन के लिए शीघ्र दृढ़ प्रयास करना है।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने की सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्त वर्ष 2009-2010 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 धारा 2 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

[अध्यक्ष महोदया]

'(घ) खंड (24) में,-

(i) उपखंड (iiक) में "या अन्य संस्था द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या किसी निर्वाचन न्यास द्वारा" शब्द 1 अप्रैल, 2010 से रखे ज़ाएंगे;

(ii) उपखंड (xiv), के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अक्तूबर, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xv) कोई धनराशि या धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) में निर्दिष्ट संपत्ति का मूल्य"।

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 धारा 10 का संशोधन

श्री इन्द्रसिंह नामधारी (चतरा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 37 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए-

"(कक) खण्ड 14 के उपखण्ड (i), के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण - उप खण्ड (i) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में कर्मचारियों को उनके निवास-स्थान से काम के स्थान के बीच आने-जाने के प्रयोजन के लिए उनके व्यय की पूर्ति के लिए प्रदत्त परिवहन भत्ते पर पूरी छूट का उपबंध होगा।"

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री इन्दर सिंह नामधारी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 8 सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9 धारा 17 का संशोधन

संशोधन किए गए

पृष्ठ 6, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

'9 आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में 1 अप्रैल, 2010 से,-

(क) उपखंड (v) में, "बीमा निधि; और" शब्दों के स्थान पर, "बीमा निधि;" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (vi) में, के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-।' (12)

पृष्ठ 6, पंक्ति 27 में "अधिक की सीमा तक" शब्दों के स्थान पर "अधिक की सीमा तक, और" शब्द रखें। (13)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 13 नई धारा 35कघ का अंतःस्थापन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 7, पंक्ति 9 से 11 का लोप किया जाए (1)

"पृष्ठ 8, पंक्ति 8 और 9 का लोप किया जाए (2)

अध्यक्ष महोदया: मैं खंड 13 के संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 8, पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए-

'परंतु किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः औपर अनन्यतः उपगत किसी व्यय को उस पूर्व वर्ष के दौरान, जिसमें वह अपने विनिर्दिष्ट कारबार के प्रचालन प्रारंभ करता है, कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, यदि-

(क) उक्त व्यय उसके प्रचालनों के प्रारंभ से पूर्व उपगत किया जाता है; और

(ख) उक्त रकम उसके प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख को निर्धारिती की लेखा बही में पूंजीकृत कर दी गई है। (14)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 23 धारा 49 का संशोधन

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 10, पंक्ति 40 से 44 से स्थान पर निम्नलिखित रखें,

'23. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में,-

(क) उपधारा (2कक) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2010 से रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(2कक) जहां पूंजी अभिलाभ धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयरों के अंतरण से उद्भूत होता है, वहां ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के अर्जन की लागत वह उचित बाजार मूल्य होगी जिसे उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अक्तूबर, 2009 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(4) जहां पूंजी अभिलाभ किसी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत होता है, जिसका मूल्य धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के अधीन आय-कर के अध्यधीन रहा है वहां ऐसी संपत्ति के अर्जन की लागत वह मूल्य समझी जाएगी जो उक्त खंड (vii) के प्रयोजनों के लिए गणना में ली गई है"। (15)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 धारा 50 ख का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 11, पंक्ति 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"24. आय-कर अधिनियम की धारा 50ख के स्पष्टीकरण 2 में 1 अप्रैल, 2010 से,-

(i) खंड (क) में अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थातः-।"। (16)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 धारा 56 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 11, पंक्ति 35 में "उस धारा" शब्दों के स्थान पर, "उन धाराओं" शब्द रखे जाएंगे। (17)

"पृष्ठ 12, पंक्ति 25 में, "धारा 145क की उपधारा (2)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 145क के खंड (ख)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे। (18)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 से 29 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 30 धारा 80 गगघ का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 32 से 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

'(क) उपधारा (ठ) में-

(i) प्रारंभिक भाग में, "जहां केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियोजित ऐसा कोई निर्धारिती जो एक व्यष्टि है," शब्दों और अंकों के पश्चात् "या कोई ऐसा अन्य निर्धारिती जो एक व्यष्टि है," शब्द अंतःस्थापित करें;

(ii) "जो पूर्व वर्ष में उसके वेतन केदस प्रतिशत से अधिक न हो," शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(क) जो किसी कर्मचारी की दशा में, पूर्व वर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो; और

(ख) जो किसी अन्य दशा में, पूर्व वर्ष में उसकी कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक न हो"।'। (19)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 धारा 80 ङ का संशोधन

अध्यक्ष महोदया: खंड 32 हेतु संशोधन संख्या 9। श्री इन्दर सिंह नामधारी।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

पृष्ठ 13, पंक्ति 45-

"पाठ्यक्रम अभिप्रेत है" के पश्चात् "पाठ्यक्रम और जिसमें ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु किसी वृत्तिक संस्थान द्वारा संचालित कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, अभिप्रेत है" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (9)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री इन्दर सिंह नामधारी द्वारा खंड 32 के लिए संशोधन संख्या 9 को सभा में मतदानके लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किए गएः-

पृष्ठ 13, पंक्ति 40 से 45 के स्थानपर निम्नलिखित रखें-

धारा 80 ङ का संशोधन	'32. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ की उपधारा (3) में 1 अप्रैल, 2010 से,-

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-'। (20)

पृष्ठ 13, पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,-

'(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-

(ङ) किसी व्यष्टि के संबंध में "नातेदार" से उस व्यष्टि की पत्नी या पति और बालक या वह छात्र जिसका व्यष्टि विधिक संख्यांक है।'। (21)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः-

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंक बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 धारा 80 छछख

अध्यक्ष महोदयाः खंड 34 हेतु संशोधन संख्या 3। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

पृष्ठ 14, पंक्ति 14-

"या निर्वाचन न्यास" के स्थान पर "या निर्वाचन आयोग के अधीन नर्वाचनों के राज्य वित्तपोषण के लिए एक समग्र निधि का गठन करने" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

महोदया, यह एक अनधिकर, साधारण संशोधन है। कृपया मुझे संशोधन को स्पष्ट करने दें...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, उनका यह अधिकार है।

अध्यक्ष महोदयाः जी हां। कृपया आप जारी रखिए। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्यः महोदया, इसमें मैंने यह सुझाव दिया है कि राजनैतिज्ञों को निगमित घरानों से निधि प्रदान करने की बजाए एक समग्र निधि बनाई जाए जिसमें वह अंशदान करें। चुनाव सुधार संबंधी विभिन्न समितियों ने यह सिफारिश की है कि निर्वाचन हेतु राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जाना चाहिए। उस निधि से, राज्य में चुनाव प्रक्रिया का वित्तपोषण किया जा सकता है और निर्वाचन आयोग उस निधि का प्रबंधन कर सकता है। मेरा संशोधन यह है। मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, मुझे स्मरण है कि वर्ष 1971 में इलैक्ट्रोल रिफार्म के लिए एक संसदीय कमेटी बनी थी। मेरे वरिष्ठ नेता वाजपेयी जी और मैं उस समिति में थे। उस समिति ने उस समय रिकमैण्ड किया था कि अच्छा होगा कि एक रैडिकल रिफार्म किया जाए, चुनाव का खर्च पार्टी अथवा कैंडिडेट करता है, उसकी बजाय लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए शासन करे। उसे प्रिन्सीपल तो कहा गया, लेकिन उस पर इम्पलीमेंटेशन नहीं हो सका क्योंकि उसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं। दुनिया के बहुत से देशों में पब्लिक फण्डिग की व्यवस्था है। हम कभी-कभी यह सोचते हैं कि एमपीलेड फण्ड को बढ़ाया जाए, यह किया जाए, वह किया जाए, मेरा अपना सुझाव है कि उसकी बजाय पब्लिक फण्डिग की बात सोची जाए। पिछले दिनों में मैंने इस विषय पर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उन्होंने मुझे उत्तर में इतना ही लिखा कि मैंने आपका पत्र वित्त मंत्री जी को भेज दिया है।

सायं 18.00 बजे

आपका सुझाव भेज दिया है और वह इस पर विचार करेंगे। आज मेरे साथी ने यह सवाल उठाया है, मुझे खुशी होगी, अगर इस पर वित्त मंत्री जी ने कुछ विचार किया हो, ये बताएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

यदि सभा अनुमति दे, तो हम सभा की कार्यवाही को आधा घंटा बढ़ाकर साढ़े छह बजे तक जारी रख सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

श्री प्रणब मुखर्जी: ठीक है, परन्तु, इसमें कुछ और समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदया, यह सत्य है कि कुछ समय से हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं; और इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

लालू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, आज सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे देश में सूखे का संकट है। बहुत से राज्यों में स्थिति भयावह है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में और बाकी सब जगह राज्य सरकार ने सूखे की घोषणा की है, इसके लिए भी आपको विचार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कल इस विषय पर चर्चा है।

श्री लालू प्रसाद: हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। स्टेट फंडिंग हो और उसमें छोटे-छोटे दलों को ज्यादा मिले, क्योंकि जो बड़े दल हैं, ये नहीं चाहते कि छोटा दल देश में पनपे। इसलिए छोटे दलों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बड़े दलों को बहुत कम मिलना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब विचार करें तो निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखें।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: यह सत्य है, जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा है। वास्तव में कुछ समय से वह यह कह रहे हैं; 1971 से कई प्रयास किए गए हैं; बाद में वर्ष 1990 में श्री इन्द्रजीत गुप्त के नेतृत्व में एक समिति, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी एक सदस्य थे, में भी यह बात उठाई गई। समिति ने इस पर विचार भी किया, परन्तु इस संबंध में आम सहमति नहीं बन पाई; अब इस अधिनियम की धारा 34 में किए गए प्रावधानों में यह उल्लेख किया गया है कि विभिन्न राजनैतिक दल निगमित घरानों से चंदा प्राप्त करते हैं। हम इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना रहे हैं और चूंकि उन्हें इस संबंध में कर में छूट प्राप्त होती है इस आधार पर इसे आंशिक रूप से राज्य वित्त पोषण कहा जा सकता है। अन्यथा, यह धनराशि भारत सरकार के पास आ जाती। अतः, भारत सरकार भी अपना योगदान दे रही है। यह कार्य स्वयं किे जाने की बजाय, अन्य पार्टियां इस कार्य को कर रही हैं। इन मुद्दों पर, सर्वसम्मति नहीं है; अलग-अलग मत हैं। चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा करते समय हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करते समय राज्य वित्त पोषण पर भी चर्चा की जाएगी।

जहां तक वर्तमान संशोधन का संबंध है, यह सुझाव दिया गया है कि निगमित घराने एक कोष का गठन कर सकते हैं; वे अपने लाभ में से उस कोष में धनराशि जमा कर सकते हैं; सभी नियमों का विस्तृत रूप से ब्यौरा दिया गया है। जैसे कि प्रतिशत कितना होगा, समग्र निधि कितनी होगी और वे इसका वितरण कर सकेंगे; यह सब उनके तुलन-पत्र में दर्शाया जाएगा। उनका तुलन-पत्र प्रकाशित किया जाता है। जनता को इस बात की जानकारी होगी कि वे किसको कितनी धनराशि दे रहे हैं; सबको इसकी जानकारी होगी।

अतः, यह कि राज्य वित्त पोषण नहीं है; राज्य वित्त पोषण एक अलग पहलू है। इस संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं; इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, मैंने इसे एक स्पष्ट प्रावधान बना दिया ताकि, यदि कुछ राजनैतिक दल किसी निगमित घराने की समग्र निधि से चंदा प्राप्त करते हैं, तो वे जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे और निगमित घराने भी जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे चूंकि यह सब उनके तुलन-पत्र में दर्शाया जाएगा।

अतः, मुझे नहीं लगता कि इस संशोधन में इस चरण में कोई गुंजाइश बची है।

अध्यक्ष महोदया: मैं अब, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा खंड 34 के लिए संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 34 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36 धारा 80ञक का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 19 में, "उपधारा(1) में" के स्थान पर, "उपधारा (2) में" रखें जाएंगे। (22)

पृष्ठ 14, पंक्ति 22 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

'(ग) उपधारा (4) में,'

(अ) खंड (iii), के दूसरे परंतुक में, "31 मार्च, 2009" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2011" अंक और शब्द रखे जाएंगे।'। (23)

पृष्ठ 14, पंक्ति 23 में, "(अ)" के स्थान पर, "(आ)" रखें। (24)

पृष्ठ 14, पंक्ति 25 में, "(अ)" के स्थान पर, "(इ)" रखें। (25)

पृष्ठ 14, पंक्ति 27 में, "(इ)" के स्थान पर, "(ई)" रखें। (26)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने हैं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 धारा 80ञख का संशोधन

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 15, पंक्ति 18

"किन्तु 31 मार्च, 2012 के अपश्चात्" के स्थान पर "किन्तु 31 मार्च, 2010 के अपश्चात्" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 5, पंक्ति 10 से 14 का लोप किया जाए। (5)

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 15, पंक्ति 9 में, "अंतःस्थापित किया जाएगा" के स्थान पर, "अंतःस्थापित किए जाएंगे" रखे। (27)

पृष्ठ 15, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें-

"(v) कोयला आधार मेथेन के लिए पूर्वेक्षण संविदाएं दिए जाने के लिए बोली के चौथे दौर में अनुज्ञप्त ब्लाकों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है और 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करता है।"। (28)

पृष्ठ 15 पंक्ति 15 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

'(ग) उपधारा (1) में,-

(i) प्रारंभिक भाग में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2008" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में और "पन्द्रह सौ वर्ग फुट है; और" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह सौ वर्ग फुट है;" शब्द 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-'।

पृष्ठ 15 पंक्ति 22 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

'(i) व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति अथवा उसके अव्यस्क बालक;'। (30)

[अध्यक्ष महोदया]

पृष्ठ 15, पंक्ति 26 में, "(iii)" के स्थान पर, "(iv)" रखे। (31)

पृष्ठ 15, पंक्ति 30 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें:-

'(घ) उपधारा (11क) में 1 अप्रैल, 2010 से,-

(i) "सब्जियों" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"या मांस और मांस उत्पादों का कुक्कुट पालन या सामुद्रिक या दुग्ध उत्पादों";

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु इस धारा के उपबंध मांस या मांस उत्पादों या कुक्कुट पालन या सामुद्रिक या दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में लगे हुए किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होंगे यदि वह ऐसे कारबार का प्रचालन 1 अप्रैल, 2009 से पहले प्रारंभ करता है।"।'। (32)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह उपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 33 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने कीअनुमती दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह उपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 33 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 37क धारा 80प का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 15, पंक्ति 30 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें-

'37क. आय-कर अधिनियम की धारा 80प की उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए पहले परंतुक के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो 'पचहत्तर हजार रुपए' शब्दों के स्थान पर, 'एक लाख रुपए' शब्द रखे गए हों"।'। (33)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:-

"कि नया खण्ड 37क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 37क विधेयक में जोड़ दिया गया

नियम 80(i) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 की संशोधन संख्या 42 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

महोदया, प्रस्ताव परिचालित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदया: यह परिचालित किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, यह नए खण्ड को जोड़ने हेतु नियम 80(i) के निलंबन हेतु है और इस नए खण्ड से शहरी सहकारी समितियों को छूट मिलेगी जैसा कि वर्ष 2006 से पहले था।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 की संशोधन संख्या 42 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:-

"कि खंड 38 से 41 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 38 से 41 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 42 धारा 115 खखग का संशोधन

संशोधन किया गया:-

पृष्ठ 16, पंक्ति 37 और 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"(i) निम्नलिखित रकमों से अधिक रकम के प्राप्त अनाम संदानों के योग पर तीस प्रतिशत को दर से संगणित आय-कर की रकम, अर्थात्:-

(अ) निर्धारिती को प्राप्त कुल संदानों के पांच प्रतिशत; या

(आ) एक लाख रुपए; और"।

(ख) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(ii) आय-कर की वह रकम जिससे निर्धारिती तब प्रभार्य होता, जब उसकी कुल आय में से प्राप्त अनाम संदानों के योग को घटा दिया जाता।"।'। (34)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:-

"कि खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 से 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 71 धारा 246क का संशोधन

संशोधन किया गया:-

पृष्ठ 24, पंक्ति 6 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

'71. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा(1) में 1 अक्तूबर, 2009 से,-

(i) खंड (क) में, "धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) खंड(ख) में, "धारा 147 के अधीन" शब्दों और

[अध्यक्ष महोदया]

अंकों के स्थान पर, "विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय" शब्द रखे जाएंगे।'। (35)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:-

"कि खंड 71, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 71, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 72 धारा 253 का संशोधन

संशोधन किया गया:-

पृष्ठ 24, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

'72. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में 1 अक्तूबर, 2009 से,-

(क) खंड (क) में "धारा 282क के अधीन निदेशक;" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 272क के अधीन निदेशक; या" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- (36)

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (37)

पृष्ठ 24, पंक्ति 11 में "धारा 143 की उपधारा (3)" के स्थान पर, "धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147" रखें। (38)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:-

"कि खंड 72, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

खंड 72, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 73 से 77 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 78 नई धारा 293ग की अंतःस्थापना अनुमोदन वापस लेने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 25, पंक्ति 21 से 23 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"293ग, जहां केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या ऐसा कोई आय-कर प्राधिकारी, जिसे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी निर्धारिती को कोई अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या ऐसा प्राधिकारी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुमोदन को वापस लेने का प्रावधान उस उपबंध में विनिर्दिष्ट रूप से नहीं किया गया है, ऐसे अनुमोदन को किसी समय वापस ले सकेगा:"। (39)

पृष्ठ 25, पंक्ति 24 में, "आय-कर प्राधिकारी" के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या आय-कर प्राधिकारी" रखें। (40)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 78, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 78, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 79 से 81 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 82 धारा 3 का संशोधन

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 27, पंक्ति 23-

"30 लाख रुपये" के स्थान पर (6)

"10 लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 6 को मदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंड 82, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 83 से 114 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 115 2008 के अधिनियम 18 का संशोधन

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 36, पंक्ति 13-

"1अप्रैल, 2009" के स्थान पर

"1 अप्रैल 2019" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 7 को मदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंड 115 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 116 विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रथम अनुसूची

श्री इन्दर सिंह नामधारी: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 41, पंक्ति 22 से 47 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

आयकर की दरें

(1)	जहां कुल आय 3,00,000 रु. से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(2)	जहां कुल आय 3,00,000 रु. से अधिक है, किन्तु 5,00,000 लाख रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 3,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;
(3)	जहां कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक है किन्तु 8,00,000 लाख रु. से अधिक नहीं है।	20,000 रु. धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल 5,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;
(4)	जहां कुल आय 8,00,000 रु. से अधिक है	80,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 8,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष से कम आयु की है-

आयकर की दरें

(1)	जहां कुल आय 3,50,000 रु. से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(2)	जहां कुल आय 3,50,000 रु. से अधिक है, किन्तु 5,00,000 लाख रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 3,50,000 रु. से अधिक हो जाती है;
(3)	जहां कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक है, किन्तु 8,00,000 लाख रु. से अधिक नहीं है	15,000 रु. धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;
(4)	जहां कुल आय 8,00,000 रु. से अधिक है।	75,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 8,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का है-

आयकर की दरें

(1)	जहां कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(2)	जहां कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक है, किन्तु 8,00,000 लाख रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;
(3)	जहां कुल आय 8,00,000 रु. से अधिक है, किन्तु 10,00,000 लाख रु. से अधिक नहीं है	15,000 रु. धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 8,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;
(4)	जहां कुल आय 10,00,000 रु. से अधिक है।	75,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;"।

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्री इन्दर सिंह नामधारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और पांचवी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अब अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार करेगी। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, डाक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदुस्तान के महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने आजीवन करोड़ों गरीबों के लिए सवाल उठाने का काम किया। वह सप्तक्रांति के जनक थे। नर-नारी समता के संबंध में, सबसे पहले डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने आवाज उठाने की कोशिश की।

महोदया, उनका जन्मदिन अब करीब आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकारी कैंप में कोई सुगबुगाहट नहीं है। जो महान स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुष देश में हुए हैं, उनका जन्मदिन, जन्मशताब्दी समारोह मनाने का काम सरकार का कल्चर विभाग करता है, लेकिन डा. राम मनोहर लोहिया की जन्मशताब्दी समारोह के लिए कोई तैयारी मैं नहीं देख रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर जो उनके मानने वाले लोग हैं, सब लोगों में सक्रियता है और दुनिया के विभिन्न मुल्कों में लोग सक्रिय हो गए हैं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मशताब्दी वर्ष मनाया जाए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि डा. राम मनोहर लोहिया समारोह मनाने के लिए कल्चर विभाग सक्रिय हो और इसकी तैयारी शुरू हो, जो 23 मार्च, 2010 को है और साल भर तक शानदार-जानदार ढंग से प्रखर नेता डा. राम मनोहर लोहिया की जन्मशताब्दी मनायी जाए। इसके लिए सदन से भी दरख्वास्त है कि इस ओर सभी लोग सहयोग करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: निम्नलिखित माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद जी के भाषण के साथ अपने को संबद्ध करते हैं-

श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रामकिशुन, श्री राधा मोहन सिंह, श्री तूफानी सरोज, श्री मंगनी लाल मंडल।

डा. भोला सिंह (नवादा): महोदया, रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्रीय कवि रहे हैं, राष्ट्र की अस्मिता और पौरुष के अमर गायक हैं, यह उनका जन्मशताब्दी वर्ष है। जब बिहार के हथिडा पुल का उद्घाटन हो रहा था, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी उस उद्घाटन में गये थे, उस समय मैं बी.ए. का छात्र था और उस समय दिनकर जी भी उनके साथ थे। उसी दिन पंडित जवाहर लाल नेहरू उनके गांव सिमरिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए गये थे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह जो उनका जन्मशताब्दी वर्ष है, सिमरिया जो उनका गांव है, रेलवे स्टेशन है, उसे दिनकर के नाम से दिनकर-सिमरिया गांव, रेलवे स्टेशन के नाम से नामित किया जाए। यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

महोदया, मुझे आशा है और मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पुण्यकृति को निश्चित रूप से करना चाहेगी।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदया, यह मामला जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित है। यह बताया गया है कि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में पोल्लावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने की स्वीकृति देने के लिए योजना आयोग से सिफारिश की है। यदि रिपोर्ट सच है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, विशेष रूप से जब भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहुत से मामले न्याय निर्णयन के लिए लंबित हैं। हमने यह मुद्दा सभा में बार-बार उठाया कि इस परियोजना के कारण उड़ीसा में बहुत सारे गांव डूब जाएंगे। इस परियोजना के निर्माण के कारण अनुसूचित जनजाति के बहुत से परिवार प्रभावित होंगे।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री भर्तृहरि महताब: उड़ीसा में कोई जन सुनवाई नहीं हुई, है जो पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने के लिए अनिवार्य शर्त है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना का निर्माण कार्य इसके बिना आगे कैसे बढ़ाया है। जनवरी, 2009 में, केन्द्रीय जल आयोग ने अपनी टी.ए.सी. बैठक में उड़ीसा राज्य सरकार को आमंत्रित किए बिना परियोजना को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय जल आयोग ने लगभग 30 कि.मी. बांध के निर्माण की मंजूरी दी है। केन्द्रीय जल आयोग ने जो किया है, हम उस पर विवाद नहीं करना चाहते।

लेकिन मेरी चिन्ता यह है कि उड़ीसा राज्य सरकार को आमंत्रित किया जाना चाहिये था और उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया है, पर गोदावरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम आदेश में पहले ही सहमति दी गई थी। अधिकरण ने केन्द्रीय जल आयोग को सलाह दी थी कि वह सह-बेसिन राज्यों की सहमति के बाद ही परियोजना की डिजाइन और प्रचालन का कार्य करे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सह बेसिन राज्य हैं, क्योंकि गोदावरी इन राज्यों में बहती है।

तीसरा मुद्दा, जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, यह है कि परियोजना मुख्य रूप से 36 क्यूसेक क्षमता के उतप्लव मार्ग के लिए डिजाइन की गई थी, जबकि डिजाइन को 50 क्यूसेक के लिए संशोधित किया गया है। इससे उड़ीसा का एक बड़ा क्षेत्र डूब जाएगा और मलकानगिरी जिले में बाढ़ आ जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: उस क्षेत्र में कोयले का एक बड़ा भू-भाग है। वहां विभिन्न प्रकार की अन्य खानें भी हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह बैठक बुलाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। कृपया अपनी बात समाप्त करें। मेरे विचार में आपने अपने सभी पक्ष रख दिये हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि विभिन्न न्यायालयों में बहुत सारे मामले दायर किए गए हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इसमें एक पक्ष न बने। जहां दो राज्यों में विवाद है, वहां केन्द्र सरकार को उस विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें। कृपया इस पर चर्चा न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री शैलेन्द्र कुमार।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: पर्यावरण विभाग से अनापत्ति और वन संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामले लंबित हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री शैलेन्द्र कुमार जो बोलेंगे, वही रिकार्ड में जाएगा।

(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: भूमि सावधिक शर्तों के उल्लंघन के कारण परियोजना के निर्माण को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है, अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित न करे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि योजना आयोग की सामरा समिति की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वांचल और बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वह बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां का समग्र विकास नहीं हो पाया है। इस वक्त वर्षा की कमी और अनिश्चित मानसून के कारण वहां सूखे की स्थिति है। वहां जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं, सब बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। वहां तत्कालीन सरकार ने जो मदद की थी, वह भी अवरुद्ध पड़ी हुई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक महेवा घाट यमुना नदी पर 35 करोड़ रुपये का पुल है। गंगा नदी में लेहदरी से काला कांकर में भी जो पुल बन रहा है, वह भी रुका हुआ है, जबकि कौशाम्बी प्रतापगढ़ जनपद अपने आप में एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। वहां पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं। गौतम बुद्ध जी ने वहां रुककर बारह वर्ष अध्ययन किया था। राजा उदयन की राजधानी है। कड़ा शीतला धाम के मंदिर हैं। अलवारा झील है। ये तमाम संभावनाएं हैं जो पर्यटन से संबंधित हैं।

मैं चाहूंगा कि उसके समग्र विकास के लिए भारत सरकार एक केन्द्रीय दल वहां भेजे। वहां पूरे पूर्वांचल और बुंदेलखंड...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शैलेन्द्र जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: बुंदेलखंड के विकास की जो परियोजनाएं लंबित हैं, उन पर अध्ययन दल सर्वे करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। इसके साथ-साथ समुचित धन और पैकेज देकर वहां का विकास करे।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महदोया, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सदियों से जल को अमृत माना गया है। लेकिन जैसा कि हमारा अनुभव बताता है कि जल की उपलब्धता घट रही है, जो हम सब के लिए चेतावनी है।

महोदया, यदि आप जल की उपलब्धता संबंधी कुछ आंकड़े देखें तो यह हमें और अधिक चेतावनी देने के लिए पर्याप्त है। भारत में पुनः उपयोग हेतु ताजे पानी की उपलब्धता 1947 में 6000 घन मीटर से घटकर 1997 में लगभग 2300 घन मीटर हो गई है। इसके अलावा जल की 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति उपलब्धता यदि घटकर 1000 घन मीटर हो जाती है तो यह जल संकट होगा।

महोदया, 200 मिलियन आबादी वाले 20 नदी बेसिनों में से 9 बेसिन पहले ही जल की कमी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल संग्रह 213 घन मीटर है, जबकि यह रूस में 6103 घन मीटर, आस्ट्रेलिया में 4,733 घन मीटर है। हरियाणा, पंजाब,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गुजरात में भूजल का स्तर आधा मीटर प्रतिवर्ष की दर से नीचे गिर रहा है। फिर भी हम अपने देश के जल संसाधनों को विवेकपूर्व तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाले कुल जल का 37 प्रतिशत सार्थक प्रयोग होता है और सिंचाई के लिए प्रयुक्त कुल जल का 63 प्रतिशत बेकार चला जाता है। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी लगभग 16 से 25 प्रतिशत है और औद्योगिक कार्यशालाओं में कुल जल की 20 प्रतिशत मात्रा और निर्माण क्षेत्र में 25 प्रतिशत मात्रा बेकार चली जाती है।

महोदया, इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, जहां जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में चिंताजनक रूप से कमी आ रही है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारी जल नीति की नए तरीके से समीक्षा करे, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए अमृत है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, मैं खासकर यू.पी.ए. चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और नारायणसामी जी से अर्ज करूंगा कि वे मेरी बात पर ध्यान दें। भारत में इस समय 20 एन.आई.टीज हैं, जबकि इलैवन्थ प्लान में दस और एन.आई.टीज खोलने के बारे में सरकार का चिंतन है। 19 जुलाई, 2008 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल को पत्र देकर कहा था कि अंडमान निकोबार में अनकवर्ड स्टेट, जहां विकास नहीं हुआ, उस पिछड़े हुए एरिया में हम एन.आई.टी. खोलेंगे। उन्होंने प्रपोजल मांगा था, जिसकी बात चल रही थी। इस बीच मुझे लगता है कि कांग्रेस के शिक्षा मंत्री और पांडिचेरी के एम.पी. जो वर्तमान पार्लियामैंट के एम.ओ.एस. हैं, उनके बीच एक...*(व्यवधान)* * और 1 जून, 2009...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नहीं। आप इस तरह की दलील नहीं दे सकते। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते।

...*(व्यवधान)*

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये हैं। उन्हें अपने शब्द वापस लेने दें ...*(व्यवधान)* अन्यथा उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदया: यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री विष्णु पद राय: महोदया, ठीक है, इसे वापस लिया जाता है।

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जून, 2009 को एन.आई.टी. का डायरेक्टर पत्र लिखता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है, इस कारण से वहां एन.आई.टी. नहीं बनेगा, यह पांडिचेरी में जाएगा। कहा गया कि यह फिजिबल नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फिजीबिल्टी की मीनिंग क्या है? पंडित नेहरू की लीगेसी लें, पंडित नेहरू ने साठ साल पहले आई.आई.टी., खड़गपुर बनाया था जो एक जेल थी, एक गया-गुजरा गांव था। 50 साल पहले पांडिचेरी में पं. नेहरू ने जिपमेर खोला था। इसी तरह से राजीव गांधी जी जब आई.डी.ए. के चेयरमैन थे, ने अण्डमान निकोबार द्वीप के बारे में कहा था, यह मिनी पार्लियामेंट, मिनी मिनिस्ट्री बनेगा, इसका विकास होगा। अण्डमान निकोबार के साथ क्या होती है फिजिबिल्टी और नॉन फिजिबिल्टी? उदाहरणस्वरूप पांडिचेरी में सरकार के माध्यम से एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, उसके बाद पांच-छः प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आज वहां पर हैं। पांडिचेरी में सरकार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोला गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें; सभा का समय अविलंबनीय लोक महत्व के विषय समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: उसके बाद पांच-छः मेडिकल कॉलेज वहां पर आए। मैं अनुरोध करूंगा कि यू.पी.ए. सरकार पंडित नेहरू की परंपरा पर चले, राजीव गांधी की परंपरा पर चले।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री विष्णु पद राय: अण्डमान का एन.आई.टी. कॉलेज अण्डमान में रखें। पांडिचेरी के स्टूडेंट्स अण्डमान में पढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)* शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इस पर विचार करें, यही मेरा अनुरोध है।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): गत वर्षों से शहरों की आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण वहां की पीने के पानी की व्यवस्था चरमरा गयी है। इसी दृष्टि से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला शहर की इस समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र की सरकार नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन लाई है, जो एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके माध्यम से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बहुत सुन्दर, ठंडा, हरा-भरा तथा हिमालय की ऊंची-ऊंची पहाड़ी शृंखलाओं में समुद्र तल से लगभग 6500 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ अत्यंत आकर्षक शहर है। यह ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिशर्स की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा था। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। राजधानी होने के साथ-साथ यह एक पर्यटक नगरी भी है, जिसके कारण यहां की आबादी काफी बढ़ चुकी है और यहां पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है।

महोदया, पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने एक ग्रेविटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने एवं इसे बनाने हेतु केंद्र सरकार के योजना आयोग एवं शहरी विकास मंत्रालय ने एक्ट्रीमली एडेड प्रोजेक्ट के रूप में वित्त मंत्रालय से केंद्रीय सहायता हेतु संस्तुति की थी।

महोदया, प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (डी.ई.ए.) से वर्ष 2008 की अंतिम तिमाही में आग्रह किया था कि उक्त परियोजना हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए अगले वर्ष यानी वर्ष 2009 की परियोजनाओं में शामिल किया जाए और तदनुसार वांछित सहायता दी जाए।

महोदया, मुझे खेद के साथ सदन में बताना पड़ रहा है कि अभी तक भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय ने सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान नहीं की है। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शिमला शहर हेतु ग्रेविटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए तत्काल सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वांछित धनराशि स्वीकृत और निर्गत की जाए, ताकि इस परियोजना का डी.पी.आर. तैयार हो सके और इसका काम आगे बढ़ सके।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष सरकार ने पूरे देश में अलग-अलग प्रदेशों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया था, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी चुना गया था। जहां मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यहां से केन्द्रीय टीम वहां निरीक्षण करने गई तो जिला कांगड़ा में पालमपुर में उन्हें जमीन दिखाई गई। केन्द्रीय टीम ने 500 एकड़ जमीन की मांग की थी, जबकि हमारी प्रदेश सरकार ने 697 एकड़ जमीन डेहरा में उसे दिखाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी कोई कदम आज तक नहीं उठाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद जिस तरह से बड़ी-बड़ी बातें की हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह भी सिर्फ बात बनकर ही रह जाए और काम न हो।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है वह हाकी टीम से सम्बन्धित है, जबकि इस वक्त आप किसी और विषय पर बोल रहे हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश के अनेक राज्यों में भीषण सूखे की स्थिति है। खासकर, बिहार में जो जिले हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप संक्षेप में कहें, क्योंकि कल इसी विषय पर विस्तृत चर्चा होनी है, तब आप अपनी बात विस्तार से कहना।

श्री जगदीश शर्मा: चर्चा में हम लोगों को तो समय ही नहीं मिलता, पार्टी के नेताओं को ही मिलता है।

अध्यक्ष महोदया: ऐसी बात नहीं है, आपको भी जरूर मौका मिलेगा। इस समय संक्षेप में कहें।

श्री जगदीश शर्मा: बिहार में जहानाबाद, औरंगाबाद, अररिया, गया, नवादा, कैमूर, सासाराम और मुंगेर सबसे सूखा प्रभावित इलाके हैं। कौटिल्य के समय से इन इलाकों में आहर-पइनों का निर्माण किया था, जिसके जरिए वहां जल संरक्षित किया जाता था और उनसे सिंचाई की भी व्यवस्था होती थी। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इन इलाकों में इनके जीर्णोद्धार से, छोटे-छोटे चैक डैम बनाने से समस्या का हल किया जा सकता है, क्योंकि

इससे वहां जल संग्रह का काम होगा। यह काम पूरे राज्य में किया जाए, तो अत्यंत लाभप्रद होगा। यहां पर जल संसाधन मंत्री बंसल जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार जो सूखा प्रभावित राज्य है, आप वहां कौटिल्य के पीरियड में जो आहर-पइन द्वारा जल संरक्षण का काम होता था, जो जल क्षेत्र बना हुआ था, जो आजकल जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसका पुनर्निर्माण कराकर वहां चैक डैम बनाए जाएं। इसके लिए केन्द्र सरकार वहां धनराशि आबंटित करे और बिहार में जो सूखा है, लोगों को उससे राहत दिलाने की दिशा में प्रयास करे।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश का अधिकांश भाग मॉनसून के अभाव से, वर्षा न होने की वजह से सूखाग्रस्त हो गया है। किसान भुखमरी की कगार पर हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। वहां की सरकार के किसानों के प्रति उदासीन है।...*(व्यवधान)* उसने सूखाग्रस्त जिलों को घोषित करने और यहां राहत के लिए प्रस्ताव भेजने के मामले में कोताही बरती है।...*(व्यवधान)* प्रदेश सरकार ने पहले 20 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, फिर 27 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, जबकि पूरा प्रदेश ही सूखे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है, यह इससे पता चलता है कि छाता, रायबरेली और घाटमपुर में तीन चीनी मिल्स बंद हैं। प्रदेश सरकार ने चीनी माफिया को बचाने के लिए इन तीनों शूगर मिल्स को बंद करने का काम किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजाराम पाल: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि एक कृषि वैज्ञानिक दल उत्तर प्रदेश में भेजा जाए, जो वहां सूखे की स्थिति की समीक्षा करके भारत सरकार को रिपोर्ट दे। इसलिए आप तुरंत वह दल भेजें और वहां सूखा राहत का काम तत्काल शुरू करें।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया जी, आज पूरे देश में सूखा है। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए। राज्य सरकार कह रही है कि मैंने केन्द्र सरकार को पैकेज भेजा है, लेकिन केन्द्र सरकार के मंत्री ने कहा कि सूखे से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को आप सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में है, उनके सांसद यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने डीजल पर 15 रुपये से 20 रुपये तक सब्सिडी देनी शुरू कर दी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूखे को देखते हुए, विशेष आर्थिक पैकेज केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को भेजे और उसका पूरा सर्वे कराकर, पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करे। केन्द्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराए तथा राज्य सरकार किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने का काम करे।

अध्यक्ष महोदया: श्री तूफानी सरोज जी, मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप अनुपस्थित थे।

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): थैंक्यू मैडम, मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं अनुपस्थित था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दुबारा आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जौनपुर-इलाहाबाद रेलवे पूर्वोत्तर लाइन पर बारीगांव, भन्नौर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रायपुर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह रेलवे क्रॉसिंग अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है। इसके बगल में दुर्गा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां श्रद्धांलुओं का लगातार आना-जाना लगा रहता है। प्रत्येक मंगलवार को बड़े पैमाने पर वहां मेला लगता है और यह मार्ग सीधे एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है लेकिन अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से वहां पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस अनमैनेबल क्रॉसिंग को मैनेबल क्रॉसिंग बनाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा कल 28 जुलाई, 2009 पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.43 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मंगलवार 28 जुलाई, 2009/6 श्रावण, 1931 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री निशिकांत दुबे	321
2.	श्री एंटो एंटोनी	322
3.	श्री देवजी एम. पटेल	323
4.	श्री रामसिंह राठवा श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	324
5.	श्री सुरेश कलमाडी श्री प्रहलाद जोशी	325
6.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	326
7.	श्री जगदीश शर्मा श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	327
8.	श्री राजू शेट्टी डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	328
9.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल श्री सी. शिवासामी	329
10.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	330
11.	श्री टी.आर. बालू	331
12.	श्री सी. राजेन्द्रन	332
13.	श्री नरहरि महतो श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	333
14.	श्री आनन्दराव अडसुल श्री अधलराव पाटील शिवाजी	334
15.	श्री लालजी टन्डन श्री चंद्रकांत खैरे	335
16.	श्री शैलेन्द्र कुमार	336
17.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे श्रीमती सुप्रिया सुले	337
18.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	338
19.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	339
20.	श्री एल. राजगोपाल	340

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव	3110, 3112, 3153, 3178
2.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	3108, 3143, 3157, 3167
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3069, 3116, 3158
4.	अर्गल, श्री अशोक	3028, 3030, 3089
5.	एंटोनी, श्री एंटो	3084, 3140
6.	बालू, श्री टी.आर.	3103
7.	बाबर, श्री गजानन ध.	3075, 3123, 3129
8.	बलराम, श्री पी.	3040, 3100, 3164
9.	बासवराज, श्री जी.एस.	3147
10.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	3081
11.	बिसवाल, श्री हेमानंद	3078

1	2	3
12.	चौहान, श्री संजय सिंह	3112
13.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	3119
14.	चौधरी, श्री अधीर	3101
15.	'कमांडो', श्री कमल किशोर	3118
16.	दास, श्री भक्त चरण	3166
17.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	3049
18.	देवरा, श्री मिलिंद	3043
19.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	3041, 3122, 3157
20.	दुबे, श्री निशिकांत	3106, 3139, 3156, 3166
21.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	3053, 3118, 3157
22.	गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	3056
23.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	3042, 3128, 3154
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3076
25.	गांधी, श्रीमती मेनका	3055, 3162
26.	जयाप्रदा, श्रीमती	3080
27.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	3049
28.	जिन्दल, श्री नवीन	3142
29.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	3061
30.	जोशी, श्री प्रहलाद	3125
31.	कलमाडी, श्री सुरेश	3105, 3141
32.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	3088
33.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3102, 3127

1	2	3
34.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	3076
35.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	3031
36.	कुमार, श्री मिथिलेश	3089
37.	कुमार, श्री विश्व मोहन	3072
38.	लिंगम, श्री पी.	3049
39.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3093, 3133, 3158, 3177
40.	महदो, श्री नरहरि	3086, 3111, 3151
41.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	3086, 3111, 3151
42.	मंडल, श्री मंगनी लाल	3071
43.	मुत्तेमवार, श्री विलास	3101
44.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3058
45.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3047, 3052, 3120, 3148, 3163
46.	पाल, श्री जगदम्बिका	3052, 3116
47.	पांडा, श्री प्रबोध	3107
48.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	3072, 3173
49.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	3065, 3101, 3112
50.	पाठक, श्री हरिन	3045, 3066
51.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	3045, 3066
52.	राजगोपाल, श्री एल.	3048, 3115, 3146, 3170
53.	राजेन्द्रन, श्री सी.	3109

1	2	3
54.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	3034, 3092, 3132, 3133
55.	रामकिशुन, श्री	3062
56.	राव, डॉ. के.एस.	3033
57.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3063, 3121
58.	राठवा, श्री रामसिंह	3090
59.	रावत, श्री अशोक कुमार	3050, 3104, 3150, 3164, 3171
60.	राय, श्री रूद्रमाधव	3027, 3065, 3087, 3101, 3112
61.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3060
62.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3101, 3145, 3160, 3169
63.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3036, 3048, 3095, 3152
64.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	3086, 3111, 3151
65.	साहू, श्री चंदूलाल	3074
66.	सरोज, श्रीमती सुशीला	3083
67.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3038, 3098, 3136, 3137, 3162
68.	सत्पथी, श्री तथागत	3051, 3117
69.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	3037, 3097, 3136, 3142, 3155
70.	शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार	3044

1	2	3
71.	शर्मा, श्री जगदीश	3107, 3142
72.	शर्मा, श्री मदन लाल	3082
73.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3110, 3112, 3153, 3178
74.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	3031, 3094, 3134
75.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3068
76.	सिंह, श्री दुष्यंत	3079, 3130, 3176
77.	सिंह, श्री गणेश	3059
78.	सिंह, श्री जगदानंद	3046
79.	सिंह, श्री राधा मोहन	3121
80.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	3116, 3124, 3151
81.	सिंह, श्री राकेश	3064, 3123
82.	सिंह, श्री सुशील कुमार	3073
83.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3070, 3112
84.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	3107, 3142
85.	शिवासामी, श्री सी.	3116
86.	सुधाकरण, श्री के.	3147
87.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3153
88.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	3118
89.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	3085, 3131, 3165, 3172
90.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	3032, 3096, 3135, 3161, 3174

1	2	3
91.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	3091, 3138
92.	तकाम, श्री संजय	3057
93.	टन्डन, श्री लालजी	3113
94.	तिवारी, श्री मनीष	3067
95.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	3029, 3055, 3088, 3149, 3175
96.	थॉमस, श्री पी.टी.	3054
97.	वर्धन, श्री हर्ष	3028

1	2	3
98.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3035
99.	वर्मा, श्री सज्जन	3045, 3118, 3126
100.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	3114, 3144, 3159, 3168
101.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	3035
102.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	3166
103.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	3077, 3127
104.	यास्खी, श्री मधु गौड	3076

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	322, 325, 327
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	323, 332, 337, 338
रक्षा	:	329
मानव संसाधन विकास	:	326, 333, 335, 336, 339
श्रम और रोजगार	:	328, 330, 334
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	331
पोत परिवहन	:	321, 324, 340

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	3038, 3039, 3040, 3045, 3050, 3054, 3055, 3058, 3061, 3063, 3065, 3071, 3079, 3082, 3084, 3085, 3096, 3098, 3102, 3104, 3105, 3112, 3115, 3117, 3120, 3125, 3129, 3130, 3132, 3137, 3139, 3140, 3142, 3144, 3162, 3164, 3167, 3172
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3031, 3048, 3064, 3078, 3087, 3088, 3091, 3094, 3110, 3128, 3148, 3154, 3176
रक्षा	:	3028, 3067, 3069, 3101, 3106, 3113, 3114, 3131, 3149, 3153, 3174, 3175
मानव संसाधन विकास	:	3030, 3032, 3036, 3037, 3041, 3042, 3043, 3046, 3047, 3049, 3051, 3052, 3053, 3062, 3072, 3075, 3076, 3080, 3081, 3089, 3092, 3093, 3095, 3097, 3099, 3100, 3103, 3109, 3121, 3122, 3123, 3124, 3126, 3134, 3138, 3143, 3146, 3157, 3158, 3170, 3171, 3177
श्रम और रोजगार	:	3029, 3033, 3034, 3035, 3044, 3056, 3057, 3060, 3070, 3073, 3119, 3133, 3136, 3145, 3159, 3161, 3163, 3165, 3168, 3169, 3173, 3178
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	3027, 3059, 3074, 3083, 3086, 3108, 3111, 3116, 3118, 3150, 3151, 3166
पोत परिवहन	:	3066, 3068, 3077, 3090, 3107, 3127, 3135, 3141, 3147, 3152, 3155, 3156, 3160.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/3/18/2009 (एन.)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।